

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास

लेखक

डा० जगदीश नारायण निगम

एम० ए०, पी एच० डी०, एल एल० बी० (चान्सेलरि गोल्ड मेडलिस्ट)
(Member, Indian Delegation to U S S R)

प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, दयानन्द कालेज, वानपुर

तथा

पद्माकर अण्ठाना, एम० कॉम० (रिसर्च स्कालर)

प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग, दयानन्द कालेज, वानपुर

किताब महल, इलाहाबाद

१९६१

भूमिका

आधुनिक युग आर्थिक विकास का युग है। प्रत्येक राज्य आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के द्वारा अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्धशाली बनाकर देशवासियों के जीवन में सुधार कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सबसे जटिल समस्या उन छोटे एवं अविबसित राज्यों के समक्ष उपस्थित है जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है और अनेक कारणों से जिनकी सहायता हुई अर्थ व्यवस्था देशवासियों के लिए अभिशप्त बन गई है। भारत एक ऐसा ही राज्य है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की आर्थिक प्रगति का उत्तरदायित्व देशवासियों पर आ गया है। परन्तु हर्ष का विषय है कि एक नवोदित राष्ट्र होते हुए भी, भारत इस उत्तरदायित्व को निभाने तथा इस महान् चुनौती का सामना करने में पूर्ण समर्थ है। स्मरण रहे इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सम्भव है जब हम अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विस्तृत, विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन कर उसके निवारण के लिए योजनाओं का निर्माण करें। 'भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास' का उद्देश्य ही ऐसे अध्ययन में सहायता प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत भारत की अनेक वर्तमान, आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक समस्याओं का गहन अध्ययन कर भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का भारत की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखन में समस्त उपलब्ध सामग्री, सरकारी प्रकाशनों, रिपोर्टों एवं अधिकांशपूर्ण कृतियों की सहायता ली गई है, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है।

पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल एवं सुनोच बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को भाषा की क्लिष्टता के कारण समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को समझने में कठिनाई न हो। साथ ही उनकी सहायता के लिए पुस्तक में अनेक रेखाचित्रों, चार्टों तथा मानचित्रों का प्रयोग करके विषय सामग्री को सुगम बनाया गया है। इन विशेषताओं के कारण पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र में रचि रखने वाले प्रत्येक निधार्थी के लिए अपरिहार्य है। पुस्तक के सुधार के लिए दिये गये सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखन में हमें श्रीमती माधुरी निगम एम० ए०, एल० टी० से विशेष सहायता प्राप्त हुई है। वे हमारे भ्रमवाद की विशेष पात्र हैं।

दीपावली, १९६०
दयानन्द कालेज, वानपुर

जगदीश नारायण निगम
पद्माकर अष्टाना

विषय सूची

खण्ड १—विषय प्रवेश

पृष्ठ

- १ भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन का महत्व । ११३
अर्थशास्त्र के अध्ययन के विभिन्न रूप प्राचीन अर्थशास्त्र एवं वृषि अर्थशास्त्र
भारतीय अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थ भारतीय अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ भारतीय
अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अध्ययन का महत्व प्रश्न ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था की मूल विशेषताएँ तथा भारी प्रवृत्तियाँ १४ २०
की मूल विशेषताएँ मूल विशेषताओं का देश के आर्थिक
पर प्रभाव, भारी प्रवृत्तियाँ प्रश्न ।

खण्ड २—प्राकृतिक समाधन

- ३ भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक समाधन २३ ६४
भारत की भौगोलिक सीमा और स्थिति भारत के प्राकृतिक विभाग, भूमि क्षरण,
जलवायु भारत की वन सम्पत्ति भारत की खनिज सम्पत्ति शक्ति समाधन मानव
शक्ति, पशु-सम्पत्ति निष्पत्ति प्रश्न ।

खण्ड ३—सामाजिक वानावस्था एवं जनसंख्या

- ४ भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ ६७ ८०
भारत में प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ जाति प्रथा समुक्त कुटुम्ब प्रणाली
उत्तराधिकार नियम पदां प्रथा एवं बाल विवाह भारतीय धर्म एवं दर्शन, ग्राम
पंचायत, प्रश्न ।

- ५ भारत की जनसंख्या—तथ्य, समस्या तथा उपाय ८१ ११७
जनसंख्या के अध्ययन का महत्व जनसंख्या और राष्ट्रीय आय अर्थ विकसित अर्थ
व्यवस्था में जनसंख्या की समस्या भारत की जनसंख्या के मूलभूत तथ्य—जनसंख्या
का आकार, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व,
स्त्री पुरुष अनुपात, आयु ऋग, जीवन की अवधि, जन्म तथा मृत्यु-दर, जनसंख्या
का व्यावसायिक वितरण, नागरीकरण या समस्या, भारत में जनसंख्या की प्रगति,
संसार में जनसंख्या की प्रगति, भारत में जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या सम्बन्धी
अध्ययन के विभिन्न पक्ष, क्या भारत में जनसंख्या का आविष्कार है? जनसंख्या
सम्बन्धी विभिन्न विज्ञान, जनसंख्या का प्रायःपूर्ति से सम्बन्ध, समस्या का सुलभाने
के उपाय, परिणाम निष्पत्ति, जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी नीति, जनसंख्या एवं पंच
वर्षीय योजनाएं प्रश्न ।

खंड ४—कृषि एवं उसकी समस्याएँ

६. १६ वीं शताब्दी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन — १२१-१३०
विदेशियों का आगमन; १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का आर्थिक संगठन, भारत में आर्थिक क्रान्ति का प्रारम्भ; सामाजिक क्रान्ति; आर्थिक क्रान्ति; उत्पादन पद्धति में क्रान्ति; औद्योगिक क्रान्ति, प्रश्न ।
७. भारत में कृषि का महत्त्व तथा उसकी समस्याएँ १३१-१४६
भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान? कृषि उत्पादन की विशेषताएँ; भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ; कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय, भारत में विस्तृत तथा सघन खेती की समस्या; कृषि क्षेत्र में विदेशों के अनुभव; जापानी दृढ़ से चावल की खेती; प्रश्न ।
८. भारत में कृषि की इकाई १४७-१७४
कृषि उत्पादन का परिमाण; जोत की विधियाँ; आर्थिक जोत; आधारभूत जोत, अनुकूलतम जोत तथा पारिवारिक जोत; भारत में कृषि की इकाई; कृषि जोतों का उपविभाजन तथा अपखंडन; समस्या को हल करने के उपाय; जोतों की चक्कन्दी; चक्कन्दी की प्रगति, कृषि की विभिन्न प्रणालियाँ; सहकारी कृषि; सहकारी सेवा समितियाँ; प्रश्न ।
९. भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार १७५-१९४
भूमि व्यवस्था का अर्थ; भूमि व्यवस्था का महत्त्व; भूमि व्यवस्था के पक्ष; भू-स्वामित्व; जमींदारी प्रथा; महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा; मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन; भूमि सुधारों की प्रगति; भारत में कृषि मजदूर; प्रश्न ।
१०. भारत में सिंचाई १९५-२१३
सिंचाई का अर्थ; सिंचाई का महत्त्व; सिंचाई के साधनों का विभाजन; भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन; भारत सरकार की सिंचाई नीति; प्रमुख बड़ी सिंचाई-परियोजनाएँ; सिंचाई योजनाओं का उपयोग; प्रश्न ।
११. कृषि विपणन २१४-२३२
कृषि विपणन का महत्त्व; कृषि विपणन का अर्थ; भारतवर्ष में कृषिविपणन; बाजारों के प्रकार; कृषि उपज के विपणन की विधि; कृषि विपणन के दोष, कृषि विपणन का सुधार; नियन्त्रित मंडियाँ; प्रशिक्षण; सहकारी विपणन; योजनाओं में विपणन सम्बन्धी लक्ष्य; प्रश्न ।
१२. भारत में अकाल २३३-२४१
अकाल का अर्थ; अकाल के कारण; ऐतिहासिक भीमाहा; अकाल नि-
प्रयत्न; वर्तमान अकाल निवारण नीति; प्रश्न ।
१३. खाद्य समस्या २४२-२५०
खाद्य समस्या के पक्ष; मात्रा सम्बन्धी पक्ष; गुण सम्बन्धी पक्ष; प्रकार; भारत में रेल

सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न, खाद्यान्न का राजकीय व्यापार, खाद्यान्न भण्डारों का महत्व, प्रश्न ।

१४ भारत में ग्राम्य वित्त व्यवस्था ✓ २५८ २७२
श्रृण का परिमाण, कृषक की सहाय सम्बन्धी आवश्यकताएँ, ग्राम्य वित्त प्राप्ति के साधन, महाजन, सहकारी संस्थाएँ, सरकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देशी बैंक, व्यापारिक बैंक, श्रृण कार्यालय, निाधर्मी व निट कोष, पंचवर्षीय योजनाओं में ३६ ग्रामीण श्रृण सहकारिता आंदोलन का निम्न राज्यों में विकास, प्रश्न ।

१५ भारतीय कृषि नीति का विकास २७३ २८४
प्रारम्भिक प्रयत्न कृषि पर शाही आयोग १९२६ ताद्य उत्पादन परिषद १९४२ खाद्यान्न नीति समिति १९४४, अन्नाल अकाल जाँच आयोग १९४५, ताद्य एवं कृषि नीति १९४९, अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नीति प्रश्न ।

१६ सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा २८५ ३०१
परिभाषा एवं अर्थ, योजनाओं का महत्व ऐतिहासिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ, योजनाओं का प्रशासन, योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति, योजनाओं के लाभ, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रश्न ।

१७ भूदान यज्ञ की महिमा ३०२ ३२३
भूदान एक नई क्रान्ति भूदान यज्ञ का अर्थ, भूदान यज्ञ का उद्देश्य, भूदान यज्ञ का मूल उल्लेख, भूदान आन्दोलन का ज्ञेय, भूदान यज्ञ का उदय, भूदान एवं वानूय भूदान एवं साम्यवाद, भूदान आन्दोलन की काय प्रणाली भूमि वितरण के सिद्धान्त भूदान का आलोचनात्मक अध्ययन, भूदान आंदोलन की प्रगति भूदान यज्ञ की देन, प्रश्न ।

खंड ५—सहकारिता

१८ सहकारिता आन्दोलन ३०७-३८२
सहकारिता का अर्थ, परिभाषाएँ, सहकारिता का मूल लक्षण, सहकारिता का महत्व, भारत में सहकारिता की आवश्यकता सहकारिता आन्दोलन का उदय, परिचय तथा गुलनबलिज प्रणाली, सहकारी समितियों का वर्गीकरण, भारत में सहकारिता नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारी आन्दोलन, भारत में सहकारी आन्दोलन का उद्भव प्राथमिक समितियों माध्यमिक समितियाँ, सुधार के लिए सुभाष, बहुदलीय सहकारी समितियों रिजर्व बैंक और सहकारी आंदोलन सहकारिता आंदोलन के दोष सहकारिता आंदोलन का पुनसंरचना, आंदोलन की वर्तमान प्रवृत्तियाँ भारत में अर्थ-व्यवस्था में प्रश्न ।

१९ अर्थ-व्यवस्था में सहकारिता ३८५ ४०१
कठोर, परिहार निषेध, श्रमिक ममत्वाएँ, कल्याण एवं सुरक्षा प्राथमिक धन श्रमिकों की वर्तमान स्थिति, औद्योगिक धन की मूल विशेषताएँ, वर्षाव योजनाएँ, प्रश्न ।

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता; अकुशलता के कारण; कुशलता बढ़ाने के लिए -
सुभाव; प्रश्न ।

२०. श्रमिक कल्याण ४०२-४१४

श्रमिक कल्याण का अर्थ; श्रमिक कल्याण के पक्ष; श्रमिक कल्याण के अङ्ग; श्रमिक कल्याण का उद्देश्य, श्रम कल्याणकारी कार्यों की महत्ता; भारत में आयोजित श्रम कल्याण कार्य, प्रश्न ।

२१. सामाजिक सुरक्षा ४१५-४३६

सामाजिक सुरक्षा का महत्व, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, परिभाषाएँ; विशेषताएँ; भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता; सामाजिक सुरक्षा का विकास; भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी राज्य धीमा योजना; भविष्य के लिए प्रावधान; कोष; प्रश्न ।

२२. श्रमिक संघ आन्दोलन ४३७-४४७

श्रम सङ्घटन की परिभाषा; श्रम सङ्घटनों के कार्य तथा उद्देश्य; श्रमिक सङ्घ आन्दोलन का भारतवर्ष में इतिहास; भारतवर्ष में श्रमिक सङ्घों की वर्तमान स्थिति; श्रमिक सङ्घ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना; प्रश्न ।

२३. श्रम सन्धियम ४४८-४५८

श्रम सन्धियम का विकास; केंद्रीय अधिनियम—१८८१ का अधिनियम; १८९१ का अधिनियम; १९११ का अधिनियम; १९२२ का अधिनियम, १९३४ का अधिनियम; १९४८ का अधिनियम; वागान श्रम-सन्धियम; पानों में सन्धियम; पारिश्रमिक भुगतान सन्धियम, न्यूनतम मजदूरी सन्धियम; प्रश्न ।

खंड ७—राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन

२४. भारत की राष्ट्रीय आय ४६१-४८१

राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा; राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का महत्व; राष्ट्रीय आय एवं औद्योगीकरण; राष्ट्रीय आय की गणना करने की रीति; भारत में राष्ट्रीय आय के पूर्व अनुमान; राष्ट्रीय आय की गणना का सामाजिक महत्व, राष्ट्रीय आय समिति; भारत की राष्ट्रीय आय के मूल लक्षण, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ; अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से तुलना; अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में राष्ट्रीय आय की कठिनाइयाँ; राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के स्रोत; पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय; प्रश्न ।

२५. आर्थिक आयोजन ४८२-५००

आर्थिक आयोजन का अर्थ; भारतवर्ष में आर्थिक आयोजन; प्रथम पंचवर्षीय योजना; द्वितीय पंचवर्षीय योजना; तृतीय पंचवर्षीय योजना; स्मरणीय तथ्य; प्रश्न ।

खंड ८—यातायात-साधन एवं समस्याएँ

२६. भारत में रेल यातायात ५०३-५१८

यातायात का महत्व; यातायात का उद्गम; यातायात के प्रकार; भारत में रेल

यातायात का विनाय; पञ्चमश्रेणीय योजनाओं में रेल यातायात; रेलों की वर्तमान अवस्था; रेलों का त्रैविक्रिक सामूहिककरण; रेलों का प्रशासन; रेल वित्त व्यवस्था; प्रश्न ।

२७. सड़क यातायात ५०६-५२८

सड़क यातायात का महत्व; भारत में सड़क यातायात का प्रादुर्भास, नागपुर योजना; प्रथम पञ्चमश्रेणीय योजना; द्वितीय पञ्चमश्रेणीय योजना; तीसरी वर्षीय योजना, मोटर यातायात; रेल सड़क स्पर्धा एवं सामन्तत्व, सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण; प्रश्न ।

२८. जल यातायात ५२६-५३५

जल यातायात का विकास, नदी यातायात; सामुद्रिक यातायात; योजनाओं के अन्तर्गत जल यातायात; प्रश्न ।

वायु यातायात ५३६-५४४

प्रारम्भिक इतिहास; प्रथम महायुद्ध के पश्चात्, युद्धोत्तरावस्था वायु यातायात नीति, एवं की वायु यातायात योजना, वायु यातायात जाँच समिति; वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण; योजनाओं के अन्तर्गत वायु यातायात की वर्तमान स्थिति; प्रश्न ।

खंड ६—भारतीय प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक वित्त

३०. औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन ५४७-५६०

पूँजी की आवश्यकता, पूँजी प्राप्त करने के साधन; अर्थ पत्रों एवं श्रेष्ठ पत्रों का निर्गमन; धारित लाभ का पुनर्विनियोग. हास कोष; व्यापारिक बैंक, देशी बैंक, सार्वजनिक निक्षेप, प्रमुख अभिवृत्तियाँ, विशिष्ट संस्थाएँ, औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम, रात्रु अर्थ प्रबन्धन निगम; औद्योगिक साल एवं विनियोग निगम; राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम; अन्तर्देशीय वित्त निगम; पुन-अर्थ प्रबन्धन निगम; विदेशी पूँजी; प्रश्न ।

३१. कुटीर एवं लघु उद्योग ५६१-६२६

कुटीर एवं लघु उद्योग का महत्व; अर्थ; परिगणनाएँ; कुटीर उद्योग के प्रमुख लक्षण. कुटीर एवं लघु उद्योग का वर्गीकरण; प्राचीन भारत में कुटीर उद्योग धन्धे; अवनति के कारण, समस्याएँ, सरकार द्वारा प्रयत्न; पञ्चमश्रेणीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योग; विदेशी सहयोग; वित्तीय सहायता; उपसंहार, प्रश्न ।

३२. प्रमुख संगठित उद्योग ६२३-६८०

१. स्टील उद्योग	६२२-६३३
२. जूट उद्योग	६३३-६४१
३. लौह एवं इस्पात उद्योग	६४२-६५३
४. चीनी उद्योग	६५४-६६२
५. सीमेंट उद्योग	६६३-६७२
६. शोयला उद्योग	६७३-६८०

खण्ड १

विषय-प्रवेश

- १ भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन का महत्त्व
- २ भारतीय अर्थ व्यवस्था की मूल विशेषताएँ तथा भावी प्रवृत्तियाँ

अध्याय १

भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं अध्ययन का महत्व

(Meaning, Definition, Subject Matter, Scope and Importance of the Study of Indian Economics)

आधुनिक युग आर्थिक विकास का युग है। इस युग में केवल वही राष्ट्र उच्च स्थान प्राप्त कर सके हैं जिनका पर्याप्त आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हो चुका है। किसी देश की आर्थिक सम्पन्नता एवं विकास की योजनाओं के सफल निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए उस देश की आर्थिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा ही अध्ययन है जिसने अन्तर्गत हम भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं घुटभूमि में उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिनका देश के निवासियों के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

आज भारत स्वतंत्र है। राजनैतिक परतन्त्रता की शृङ्खलाओं से मुक्त होकर हमारा देश तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़िल समस्या उसकी आर्थिक विकास की समस्या है। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास द्वारा ही कोई देश अपने उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करके एवं उसके उचित वितरण द्वारा देशवासियों के जीवन को सुखी व सम्पन्न बना कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना के सुखद स्वप्न को साकार रूप दे सकता है। देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास केवल देशवासियों के जीवन को उच्च स्तर प्रदान करके उनके जीवन को सुखी बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि देश की स्वतन्त्रता के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। वह स्वतन्त्रता जो वपों व कठोर परिश्रम तथा देश के महान् नेताओं के त्याग एवं अलिदान द्वारा प्राप्त की गई है, उसे स्थायी बनाने के लिए और जीवित रखने के लिए भी आर्थिक उन्नति अनिवार्य है। वास्तविकता तो यह है कि राजनैतिक पराधीनता राष्ट्र की जन-भाद्रतग्रा पर कुदराग्रात बरती है जो किसी देश के विकास एवं उन्नति के लिए अत्यन्त मूल्यवान है। ऐसे राष्ट्रीय चरित्र का पराधीनता द्वारा विनाश होना स्वाभाविक ही है। (Foreign domination is a curse not

only because it involves political servitude but because it ruins national character) राजनैतिक स्वतन्त्रता उस समय तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक कि उसकी रक्षा एवं उसका पोषण के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता न प्राप्त कर ली गई हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भारत जैसे महान् देश, जो कि अभी कुछ समय पूर्व विदेशी शासन से मुक्त हुआ है, के लिए अनेक आर्थिक समस्याओं का एक-एक निवारण के लिए योजनाएँ बनानी हैं। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का उदय इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने मन्त्री नवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में इस क्षेत्र में महामूल्य कदम उठाये हैं। पंचवर्षीय योजना की सफलता के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य हुआ और आशा की जाती है कि थोड़ा ही समय के इस योजना के कार्यकाल में ही अनेक निर्धारित लक्ष्यों का पूर्ति हो जायगा। इस प्रकार लगानार कइ पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर ही आधुनिक भारत की समृद्धि एवं सम्पन्नता निर्भर करता है। कोई भी योजना बनानी हो, चाहे वह देश के आर्थिक विकास की योजना हो अथवा किसी उद्योग की प्रतिस्थापना एवं विस्तार की योजना हो, प्राथमिक आवश्यकता इस बात की होती है कि इस योजना के कार्य से सम्बन्धित प्रश्नों एवं समस्याओं का मिला-प्रकार अध्ययन कर लिया जाय।

भारत के समस्त अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के निवारण पर ही देश की उन्नति निर्भर करती है। इससे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम इन समस्याओं का निस्तृत एवं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें। उनके हर पहलुओं का निरीक्षण एवं नाच पड़ताल कर लें ताकि निर्धारित योजनाओं की सफलता प्राप्त हो। भारतीय अर्थशास्त्र इसी उद्देश्य का पूर्ति का एक साधन है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसके अन्तर्गत हम भारत में विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

अर्थशास्त्र के अध्ययन के विभिन्न रूप—अर्थशास्त्र एक लोकोपिय विषय है। इसका अध्ययन के दो विभिन्न रूप हैं। प्रथम वैज्ञानिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र के सिद्धान्त। दूसरा व्यावहारिक अर्थशास्त्र। इन दोनों में बड़ा भिन्नत्व सम्बन्ध है क्योंकि विना व्यावहारिक उद्योग के आर्थिक सिद्धान्तों का महत्त्व सामित है और साथ ही साथ व्यावहारिक अर्थशास्त्र में सम्बन्धित किसी योजना के निवारण के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भी अत्यन्त आवश्यक हैं। लार्ड केन्स (Lord J M Keynes) के शब्दों में "The theory of economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to a policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions."

अर्थात् अर्थशास्त्र के सिद्धांत मुनिश्चित निष्कर्षों के रूप में नहीं होते जिनका किसी नीति के निर्धारण में प्रयोग किया जा सके। यह एक रीति है न कि एक सिद्धान्त, मस्तिष्क का एक यत्न, विचार की एक ऐसी विधि जो विचारक को सही निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र वह है जिसके अन्तर्गत हम अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और जिसका सम्बन्ध मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह अनेक प्रयत्न करता है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम मनुष्य की उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। मनुष्य के अनेक लक्ष्य हैं परन्तु उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो साधन उसके पास उपलब्ध हैं, वे सीमित हैं, अतः उसने समस्त निर्वाचन की समस्या उपस्थित होती है। अर्थात् जिस प्रकार वह अपने सीमित साधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिससे उसको अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो। यही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र उन समस्त सिद्धान्तों एवं समस्याओं से सम्बन्धित है जिनका सम्बन्ध अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों से है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन का दूसरा रूप व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) कहलाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का यह रूप भी सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की तरह महत्वपूर्ण है। सत्य तो यह है कि अर्थशास्त्र की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसका व्यावहारिक समस्याओं के अध्ययन से सम्बन्धित होना है। अर्थशास्त्र ही उन इने गिने सामाजिक शास्त्रों में से एक है जो मनुष्य को उस शास्त्र के आधारभूत एवं मुख्य सिद्धान्तों से अवगत कराने में ही समुदाय नरहा होता बल्कि व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन को भी अपना कर्तव्य समझता है जिनके सफल निवारण पर मानवीय हित एवं कल्याण (Human Welfare) निर्भर करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है, अतः मानव हित एवं कल्याण इसका मुख्य ध्येय है जिसके लिए वह मनुष्य की विभिन्न साधारण एवं दैनिक समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रो० मार्शल (Dr Alfred Marshall) के शब्दों में “मनुष्य के दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है।” (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life) इस दृष्टि में “व्यावहारिक अर्थशास्त्र”, “अर्थशास्त्र का सिद्धांत” अथवा “सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र” से भिन्न है। जहाँ एक तरफ सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धान्तों का अध्ययन होता है वहाँ दूसरी ओर व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) में मानवीय जीवन से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि की समस्या, मुद्रा तथा बैंक से

सम्बन्धित समस्याएँ, खेती एवं उद्योग सम्बन्धित समस्याएँ, आर्थिक नियोजन एवं विकास की समस्या। अर्थशास्त्र के व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक पहलू के अन्तर्गत हम किसी देश की आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारतीय आर्थिक समस्याओं एवं स्थिति का विवेकपूर्ण अध्ययन भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है।

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं कृषि अर्थशास्त्र (Rural Economics and Agricultural Economics)—अर्थशास्त्र निम्ने अन्तर्गत मनुष्य की विभिन्न

आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसका नेत्रल एवमात्र उद्देश्य मानव जीवन को सुखी एवं समृद्धिशाली बनाना है। मुद्रिधा के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं कृषि अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र आदि। ग्रामीण अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय वे समस्त

एक ग्राम्य जीवन सम्बन्धी परिस्थितियाँ हैं जिन पर ग्रामीण-जीवन की एवं समृद्धि निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल देश में जिसमें अग्रिकाय

जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण अर्थशास्त्र का अध्ययन विशेष महत्व का है। इसके अन्तर्गत हम ग्राम निवासियों के कार्य एवं उनका रहन सहन सम्बन्धी बातों का अध्ययन, उनके जीवन को सुखमय एवं उपयोगी बनाने के उपाय निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार कृषि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत खेती सम्बन्धी कार्यों, कृषक के समस्त पैदा होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के इस भाग में कृषि सम्बन्धी समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात् उन समस्त बातों पर विचार होता है जिनका सम्बन्ध या तो भूमि से है अथवा मृत्ति की विभिन्न स्वतंत्र देणों (Free Gifts of Nature) से है। इस प्रकार कृषि अर्थशास्त्र ज्ञानमय रूप से अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का उपयोगी भाग है।

उपर्युक्त दो प्रमुख विभाग अर्थशास्त्र में व्यावहारिक अध्ययन में सहायक होते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार के अध्ययनों से प्रभावित एवं लाभान्वित होता है।

भारतीय अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थ (Various Interpretations of the term "Indian Economics")—“भारतीय अर्थशास्त्र” एक ऐसा शब्द है जिसमें व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। प्रारम्भ काल से ही भारतीय लेखकों एवं अर्थशास्त्रियों के समस्त यह एक निरादमल प्रश्न रहा है। यही कारण है कि ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ के विभिन्न अर्थ लगाए गये हैं। विचार करने से यह ज्ञान होगा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के पारम्परिक मतभेद विचारधियाँ के मन में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। साधारण तौर पर भारतीय अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग हम तीन प्रकार के अर्थों में करते हैं। यह तीन रूप निम्न हैं —

(१) “भारतीय अर्थशास्त्र” भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास के रूप में (Indian Economics as a History of Indian Economic Thought)

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय आर्थिक समस्याओं पर आधारित अध्ययन के रूप में (Study of Economic Principles based upon instances from Indian Economic Life)

(३) भारतीय अर्थशास्त्र एक नवीन शास्त्र के रूप में (Indian Economics as a new science or subject of study)

(१) “भारतीय अर्थशास्त्र” भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास के रूप में—भारतीय अर्थशास्त्र के इस अर्थ के अन्तर्गत हम भारत में विभिन्न विचारों की विचारधाराओं एवं उनके द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं जैसे कीटिलियर व आर्थिक सिद्धान्त तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्मित एवं रचित आर्थिक नीति एवं पद्धतियों का अध्ययन। इससे अन्तर्गत समय समय पर किये जाने वाले प्रयोगों का अध्ययन भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन के विषय हो सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर महान् जैसे मुसलमान शासकों की मालगुजारी एवं वित्त सम्बन्धी नीति अपने राजकोष को पूरा करने व उद्देश्य से कार्यान्वित मुहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा (Token Currency) की नीति। इससे अनिश्चित आधुनिक भारत की अनेक महान् विभूतियाँ जैसे न्यायाधीश रानाडे, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जे० सी० कुमारस्वामी तथा विनोबा भावे द्वारा समय समय पर देश की आर्थिक समस्याओं के लिए दिये गये सुझावों एवं नीतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यही नही भारत जैसे महान् देश में समय समय पर होने वाली क्रान्तियाँ एवं चलाये गये आन्दोलनों का जिनका हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियाँ एवं जीवन पर गहरी छाप पड़ी है, अध्ययन किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ आन्दोलन (Trade Union Movement), सहकारिता आन्दोलन (Co-operative Movement), भूदान आन्दोलन (Bhoodan Movement)। यद्यपि इन सबका अध्ययन हम भारतीय अर्थशास्त्र में कर सकते हैं फिर भी भारतीय अर्थशास्त्र का यह अर्थ नहीं हो सकता। इसका निम्न कारण है—

(१) भारतीय अर्थशास्त्र के उपरोक्त विश्लेषण से इस बात का आभास होता है कि यह केवल एक ऐतिहासिक अध्ययन मात्र है। इस कारण यदि इसको भारतीय अर्थशास्त्र के स्थान पर भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास की उपाधि दी जाये तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र केवल भूतकाल की समस्याओं का ही अध्ययन नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा व्यापक अध्ययन है जिसका

उद्देश्य भूत के अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में भविष्य के लिए एक सफल योजना का निर्माण करना है।

(२) भारतीय आर्थिक विचार एवं प्रयोगों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी अल्प मात्रा में है जिससे इस विषय का अध्ययन का क्षेत्र अति सीमित हो जाता है।

(३) विभिन्न ग्रन्थों एवं ग्रन्थशास्त्रियों का रचनाश्रम में इन आर्थिक विचारों के फैले होने के कारण इनका कोई निश्चित क्रमबद्ध विकास नहीं हुआ है जिसका फलस्वरूप इसका विधिवत् अध्ययन करना असम्भव है।

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय आर्थिक समस्याओं पर आधारित अध्ययन के रूप में—अर्थशास्त्र के विचारों के लिए केवल अर्थशास्त्र का सैद्धान्तिक अध्ययन ही पर्याप्त एवं उपयोगी नहीं होगा। उसकी सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ तक वह अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को अपने प्रयोग में लाता है। इसी दृष्टि से भारतीय अर्थशास्त्र का एक और अर्थ लगाया जाता है जिसका अन्तर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भारतीय आर्थिक जीवन के साथ निरूपण करना होता है परन्तु अर्थशास्त्र का यह अर्थ भा. भ्रमामय है। कारण यह है कि इसका अन्तर्गत केवल सैद्धान्तिक अध्ययन पर ही विश्वास बल दिया जाता है।

(३) भारतीय अर्थशास्त्र एवं नवीन शास्त्र के रूप में—इस दृष्टिकोण से भारतीय अर्थशास्त्र एक मिलजुल नया विषय है जिसकी विषय सामग्री पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धान्तों एवं निरमल से पृथक्ता मिली है। इस विचारधारा का मूल कारण यह है कि पश्चिम परिस्थितियों ने पश्चिम अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का जन्म दिया है, व भारत का स्थिति एवं भारत के आर्थिक जीवन से मिलजुल मेल नहीं था। इसलिए भारतीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं उनका हल के लिए व मिलजुल अनुभवों का सिद्ध होंगे। इसी कारण भारतीय अर्थशास्त्र एक मिलजुल नवान सिद्धान्तों का समूह है जिसका विकास भारतीय आर्थिक परिस्थिति एवं वातावरण में हुआ है। परन्तु यह विचारधारा उचित नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रीय विषय का भारतीय अर्थशास्त्र (Indian Economics) को सशक्त देना ही उसी प्रकार अनुचित होगा जैसे रूसी भौतिक शास्त्र (Russian Physics), जर्मन अर्थशास्त्र (German Economics), भारतीय गणित शास्त्र (Indian Mathematics) इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ (Real Meaning of Indian Economics)—उत्तराक्त विचारों से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा निरादमन शब्द है जिसकी व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस शब्द का वास्तविक अर्थ

समझ लें। यह एक ऐसा विषय है जिसके अन्तर्गत हम भारत की वर्तमान समय की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। ऐसे अध्ययन का क्षेत्र यही उद्देश्य होता है कि हम देश की आर्थिक स्थिति से भली प्रकार परिचित हो जायें जिसके आधार पर हम देश की भारी आर्थिक प्रवृत्तियों का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति का ऐसा वस्तुगत (objective) अध्ययन देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के हेतु पथप्रदर्शन का कार्य करेगा।

अतः भारतीय अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अन्तर्गत हम भारत की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशाओं का भी अध्ययन करना पड़ता है और साथ ही उनका देशवासियों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है क्योंकि आधुनिक युग में देश की आर्थिक स्थिति इन सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। भारतवासियों को इस सत्य का बहुत अनुभव है। यद्यपि भारत आज एक स्वाधीन देश है और जिसे ससार का एक महान् प्रजातन्त्र देश कहलाये जाने का गौरव प्राप्त है फिर भी आज से कुछ वर्ष पूर्व तब यह दास्ता की जमीरा में जकड़ा हुआ था और इस काल में हमारे देश का जो आर्थिक शोषण (economic exploitation) हुआ है उसने प्रत्येक देशवासी भलीभाँति परिचित है। एक विदेशी शासन के अधीन होने पर देश अपने आर्थिक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। स्वतंत्र होने के पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था जिन्होंने सर्वत्र हमारे देश को अपने आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति का केवल साधन मात्र ही समझा। परिणामस्वरूप हमारे देश का इतना आर्थिक पतन हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के लगभग १३ वर्ष पश्चात् भी देश की आर्थिक स्थिति गम्भीर ही बनी हुई है और आये दिन देशवासियों के सामने अनेक आर्थिक कठिनाइयाँ बनी ही रहती हैं। देश में अन्न की कमी, आवश्यक वस्तुओं का अपर्याप्त उत्पादन एवं देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्याएँ राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के समक्ष यही और ऐसी ही अनेक आर्थिक समस्याएँ हैं जिनका वह भारत की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि में अध्ययन एवं विश्लेषण करना है जैसे देश की कृषि सम्बन्धी समस्याएँ, औद्योगिक विकास सम्बन्धी समस्याएँ, यातायात, व्यापार एवं वित्तीय समस्याएँ इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Indian Economics)—

भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है। भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम भारत की

आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यह नेत्रल समस्याओं के विश्लेषणात्मक (analytical) अध्ययन तब ही सीमित नहीं करन समस्याओं के हल के मुभाव भी प्रस्तुत करती है। साधारण में भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र ने अन्तर्गत निम्न बातों का वर्णनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है —

(१) प्राकृतिक दशा (Physical Conditions)—इसके अन्तर्गत हम भारत की प्राकृतिक स्थिति एवं उसकी वनाच्छाद तथा जलवायु का उसने आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

(२) प्राकृतिक साधन (Natural Resources)—देश की आर्थिक स्थिति पर प्राकृतिक साधनों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक साधन क्या हैं। उसकी मिट्टी कैसी है? उसकी वनस्थिति, खनिज पदार्थ एवं शक्ति का साठा का उसने आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार अधिकतम प्रयोग हो सकता है।

(३) सामाजिक पृष्ठभूमि (Social Background)—इसने अन्तर्गत हम भारत की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार नियम एवं भारत का जनता, उसकी जनसंख्या, नागरिकरण (urbanisation) की समस्या तथा उसने व्यावसायिक ग्रथना जीवन निर्वाह की दशाओं का विस्तृत अध्ययन करत हैं।

(४) कृषि एवं औद्योगिक समस्याएँ (Agricultural and Industrial Problems)—इसके अन्तर्गत देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न फसलों, भूमि के पत्र की प्रणालियाँ (Systems of Land Tenure), सिंचाई, कृषि मजदूर एवं खेती की उन्नति तथा अधिन व्याप्य उत्पादन की समस्या, विभिन्न विशाल उद्योग, औद्योगिक निष्ठ एवं प्रबंध तथा देश के औद्योगिकरण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन होता है।

(५) श्रम सम्बन्धी समस्याएँ (Labour Problems)—देश के औद्योगिककरण के साथ-साथ औद्योगिक श्रम का महत्व भी बढ़ जाता है। इस कारण देश के औद्योगिक श्रम की कार्यक्षमता, श्रम कल्याण एवं आराम सम्बन्धी योजना, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय वेतन नीति (National Wage Policy), औद्योगिक शान्ति (Industrial peace) जैसी समस्याओं चिन्ता देश के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, का भी अध्ययन किया जाता है।

(६) यातायात एवं संचारवाहन सम्बन्धी समस्याएँ (Problems of Transport and Communication)—इसके अन्तर्गत देश में उपलब्ध विभिन्न यातायात के साधन जैसे रेल-परिवहन, सड़कों और जल एवं वायु पथ (Waterways and Airways) सम्बन्धी समस्याएँ।

(७) व्यापार तथा वाणिज्य (Trade and Commerce)—अन्तर्देशीय व्यापार, विदेशी व्यापार, व्यापार सतुलन (Balance of Trade), शोधन शेष (Balance of Payment) सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन भी भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित है।

(८) मुद्रा तथा वित्तीय समस्याएँ (Currency and Financial Problems)—इसके अन्तर्गत देश की बैङ्किङ्ग व्यवस्था, वस्तुओं का मूल्य स्तर (Price Structure), सार्वजनिक वित्त (Public Finance) जैसी समस्याएँ आती हैं।

(९) राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन (National Income and Economic Planning)—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय आयोजना आयोग (National Planning Commission) द्वारा निर्मित प्रथम, द्वितीय एवं आगामी पञ्चवर्षीय योजनाओं का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन इसका मुख्य अंग है।

(१०) विभिन्न आन्दोलन (Various Movements)—देश में समय-समय पर होने वाले विभिन्न आन्दोलनों का अध्ययन, जिनका हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, जैसे सहकारिता आन्दोलन (Co-operative Movement), श्रमिक संघ आन्दोलन (Trade Union Movement), भूदान आन्दोलन (Bhoodan Movement) इत्यादि।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of Indian Economic)—भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है तथा अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ हो सकता है यह बात उपरोक्त विवेचन से स्वतः स्पष्ट है। जैसा कि हम ऊपर देखा चुके हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे अध्ययन से हम देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान तथा देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होता है। ध्यानविरता तो यह है कि यह शास्त्र हमारे समस्त देश के भूत, वर्तमान तथा भावी आर्थिक एवं सामाजिक विकास का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय अर्थशास्त्र का महत्व केवल सैद्धान्तिक ही है बल्कि यह एक ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व मुख्यतया निम्न बातों पर निर्भर है —

(१) व्यावहारिक महत्व—व्यावहारिक लाभ के कारण भारतीय अर्थशास्त्र अत्यन्त उपयोगी विषय माना जा सकता है। देश की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जैसे

दृष्टि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों के लिए उनके व्यवसाय सम्बन्ध विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ज्ञान जिसे वह भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा प्राप्त कर सकता है, निःसन्देह उनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(२) पथ प्रदर्शक के रूप में—देश की आर्थिक स्थिति को भली भाँति समझने के लिए, उसकी वर्तमान स्थिति एवं प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक प्रगति के कठिन मार्ग पर अग्रसर राष्ट्र के लिए एक शास्त्र के अध्ययन का महत्त्व उस पथ प्रदर्शक के समान है जो हम इस बात की जानकारी कराता है कि वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं या किछ सीमा तक हम अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य का प्राप्ति कर चुके हैं और कौन-कौन-सी गणना हमारे मार्ग में उपलब्ध है।

(३) तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से—आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के काफी निकट आ गये हैं जिससे कारण किसी एक देश में होने वाला आर्थिक घटनाएँ दूसरे देश के आर्थिक जीवन का प्रभाव डालने में सक्षम नहीं हो सकतीं। इसी कारण यह जानना आवश्यक हो जाता है कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य हमारे देश का क्या स्थान है और किस प्रकार उन राष्ट्रों के अनुभवों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधारण में सफलता मिल सकती है।

(४) आर्थिक नियोजन के लिए महत्त्व—देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने वाला यान्त्रिक उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह देश का आर्थिक स्थिति के पूर्ण ज्ञान पर आधारित न हो। देश के नियोजक (Planner) के लिए योजना निमाणा का उत्तरदायित्व है उन-के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह देश के आर्थिक दशाओं एवं समस्याओं से भली भाँति परिचित हो। भारतीय अर्थशास्त्र देश का सही आर्थिक परिस्थिति तथा दशाओं का ज्ञान करा कर आर्थिक योजनाओं के निमाणा में सहायता देता है।

(५) आर्थिक अज्ञानता दूर करने के लिए—जिस राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता इस बात की है उस देश के नागरिकों को योजनाओं का सकल ज्ञान में सक्षम भाग लें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब देश में आर्थिक अज्ञानता (economic ignorance) का उन्मूलन हो। प्रत्येक नागरिक देश के आर्थिक विकास एवं समस्याओं से भली भाँति परिचित हो तथा उनका समाधान के लिए नए-नए यान्त्रिकों का भला भाँति समझ सकें। देश को होने पर ही राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जनमत तैयार हो सकता है। कुछ समय पूर्व तक हम आदेशों याज्ञिक के अधीन थे। देश का आर्थिक विकास करना उनका कार्य था। पर अब हम स्वतंत्र हो गये हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति

के पश्चात् अपने देश की आर्थिक समृद्धि का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी समस्याओं का भली भाँति अध्ययन करके देश के आर्थिक विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

प्रश्न

1 Clearly explain the meaning of the term 'Indian Economics'. Describe the importance of its study

2 Write a short note on the scope of Indian Economics
(Agra, 1957)



अध्याय २

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मूल विशेषताएँ तथा भावी प्रवृत्तियाँ

(Basic Characteristics of Indian Economy
and Future Trends)

भारत एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या चीन को छोड़ कर सभार में सभत अधिक है। यह अर्थ है कि प्राचीन काल में हमारा देश अपने आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के कारण सभार में अन्य देशों की तुलना में सभसे उच्च स्थान प्राप्त कर चुका था। उस समय हमारा देश सभे की चिड़िया बहलाता था। देश में साम्राज्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अपार भंडार था, चारों ओर दूध की नदियाँ बहती थीं और सभसभ देशवासी सुख एवं शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु आज हमारा देश वह गौरवपूर्ण स्थान छोड़ चुका है। आज भारत की स्थिति उड़ी दयनीय अवस्था में पहुँच चुकी है। एक लम्बे काल तक विदेशी शासकों का अधीन होने के कारण हमारे देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति न हो सकी। वैसे तो हमारे देश में प्रकृति की विशेष कृपा से प्राकृतिक संपत्तियों की कमी नहीं है। देश में विशाल जनसंख्या एवं जनसंख्या उपलब्ध है। सभार में सभसे उपजाऊँ लेती सभो भूमि भारत में ही प्राप्त है और भूमि का अन्दर अपार पवित्र सम्पत्ति देशवासियों की सहायता के लिए प्राप्त है परन्तु दासता की शृङ्खलाओं में अडके होने के कारण भारत वासी प्रकृति की इन अपार देनों का समुचित उपयोग एवं विदोहन कर अपनी आर्थिक उन्नति करने में असमर्थ रहे। यही कारण है आज भारतवासियों का जीवन-स्तर अन्य देशों की तुलना में निम्नतम है। कृषि प्रधान देश होने हुए भी साम्राज्य की सभसा रुद्धि रनी रहती है। हम अपने औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम भारत की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति का मूली मति अध्ययन करें तो हम सभसे अधिक जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ मूल लक्षणों का ज्ञान होगा।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की निम्न विशेषताएँ जानने योग्य हैं जो इस प्रकार हैं —
मूल विशेषताएँ

(१) धनी देश की निर्धन जनता (A rich country inhabited by

poor people) — भारतीय अर्थ व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि धनी देश होते हुए भी यहाँ की जनता निर्धन है। देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देश में अपार वन-सम्पत्ति, भ्रम शक्ति, जल शक्ति, पशु धन एवं पानिज पदार्थ होते हुए भी भारतवासियों का जीवन स्तर सबसे निम्न है जिसका प्रमुख कारण यह है कि अभी दस अपार प्राकृतिक सम्पदा का आर्थिक विदोहन नहीं हो सका है, जिससे देश सम्पन्न तथा समृद्धिशाली हो सके।

(२) भारत एक अर्ध-विकसित राष्ट्र है (India is an under developed country) — देश के साधनों का अपर्याप्त विदोहन तथा समुचित विनास न होने के कारण भारत एक अर्ध विकसित राष्ट्र कहलाता है जो उसकी निर्धनता का मूल कारण है। आधुनिक युग में ससार के सत्र राष्ट्रों का उत्तम आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के कारण उड़े-उड़े पेशाल एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बन गये हैं। परन्तु भारत की स्थिति अभी असन्तोषजनक है। एक अर्ध विकसित राष्ट्र के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक आविष्कार तथा ज्ञान का सीमित उपयोग,

(२) उत्पादन जीवन निर्वाह की सीमा तक ही होना,

(३) सञ्चित बाजार,

(४) निर्माणागरी उद्योगों का अपेक्षाकृत गौण स्थान,

(५) आर्थिक विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण।

इस दृष्टि से देखा जाय तो भारत वास्तव में एक अर्ध विकसित राष्ट्र कहलावेगा जहाँ विभिन्न कारणों से देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है और देशवासियों का जीवन स्तर अब भी काफी नीचा है। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार ने अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में उसने आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की अनेक योजनाएँ बनाई जा रही हैं और इस समय भारत में अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनकी सफलता शीघ्र ही देश के लिए प्रयोग की जाने वाली सज्ञा—‘अर्ध विकसित राष्ट्र’ से मुक्ति प्रदान करवेगी और हमारा देश भी अन्य राष्ट्रों की तरह एक विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बन जायगा।

(३) भारत एक कृषि प्रधान देश है (India is a predominantly agricultural country) — भारत की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि देश की अधिकांश जनता अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती पर आश्रित है जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था सन्तुलित नहीं कही जा सकती। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग ७०% भाग कृषि पर तथा शेष ३० प्रतिशत भाग कृषि से भिन्न व्यवसायों पर निर्भर करता है। इस कारण भारत के सगटिन

उद्योग धर्मों में, व्यापार, उद्योग तथा यातायात में बहुत कम जनसंख्या लगी होने के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि पर अत्यधिक भार होने के फलस्वरूप खेती भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई एक दयनीय अवस्था में है। कृषि की सफलता तथा देश की आर्थिक दृढ़ता दोनों एक प्रकार से वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसका कारण यह है कि मुख्यतया कृषि पर आश्रित अर्थ व्यवस्था उसी समय उत्प्रतिशील एवं सम्पन्न अवस्था में होगी जिस समय फसल अच्छी होने से कृषि का उत्पादन में वृद्धि हो। सिंचाई के साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने का फलस्वरूप भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। इससे अतिरिक्त जब अधिक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर करने लगते हैं तो खेतिहर भूमि अनाधिक जोता में रिभाजित हो जाती है जिससे कृषि उत्पादन कम हो जाता है।

(४) निरन्तर वृद्धिशील जनसंख्या वाला देश (A country with rapidly rising population)—भारत एक ऐसा देश है जहाँ न केवल संसार में चीन को छोड़ कर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है बल्कि एक विशेषता यह भी है कि यहाँ की जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि हाना जा रही है। सन् १९०१ ई० में जिस देश में लगभग २३ ५५ करोड़ जनसंख्या हा थी और जिसके सन् १९६१ तक ४१ करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान हो उस देश में जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि की समस्या एक जटिल समस्या होगी। देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा देशवासियों का जीवन-स्तर घटने का कारण होना, अत्यधिक शिशु तथा मातृ मृत्यु दर, जीवन की छोटी अवधि, बढ़ती हुई बेकारी की समस्या, एक माल्थस द्वारा बताये गये कुछ प्राकृतिक अन्वेषणों की क्रियाशीलता जैसे बाढ़, अनाल एवं महामारी इत्यादि इस बात के प्रमुख प्रमाण हैं कि भारत एक अति जनसंख्या वाला देश है। इसलिए यदि हम देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो इस निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित रखने के उपाय ढूँढने हामें और सभी देश की वास्तविक प्रगति भी हो सकेगी।

(५) अतिरिक्त जनशक्ति का देश (Land of surplus manpower)—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भारत में तीव्र गति से जनसंख्या के बढ़ने का कारण सब व्यक्तियों के लिए उपयोगी कार्य उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जुटीर-उद्योगों का विनाश तथा कृषि भूमि पर निरन्तर बढ़ने वाले भारत के कारण भारी संख्या में लोग देश के उड़े-उड़े नगरों एवं विशाल औद्योगिक केन्द्रों में नौकरों की खोज के लिए उभरे चले आते हैं। परन्तु देश का पर्याप्त औद्योगिक विकास न होने के कारण इन सभी के लिए रोजगार का अन्वेषण प्राप्त होना असम्भव है। इस कारण भारी संख्या में लोग बेकार रहने हैं तथा देश की अतिरिक्त जन शक्ति का अवाकिमान हो छूड़ कर।

उपयोग नहीं हो पाता। एक ओर तो यह स्थिति है और दूसरी ओर देश में कुशल श्रमिकों का अभाव भी है। देश में स्थापित किये जाने वाले नये-नये उद्योग धर्मा के लिए कुशल श्रमशक्ति का अभाव बना रहता है जो बहुत सीमा तक देश की आर्थिक प्रगति में बाधक सिद्ध होता है।

(६) वैज्ञानिक एवं तांत्रिक क्षेत्र में पिछड़ा होना (Scientific and Technical Backwardness)—इसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस देश में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तांत्रिक ज्ञान का समुचित प्रयोग हो। तांत्रिक विकास में निरुद्ध होने के कारण हमारे उत्पादन के साधन एवं यंत्र-प्रयन्त प्राचीन एवं अनुपयुक्त हैं जो बहुत हद तक हमारे आर्थिक विकास में बाधा देने के लिए उत्तरदायी हैं। बल्कि हमारे देश का उस समय तक सम्पूर्ण आर्थिक विकास सम्भव नहीं जब तक कि वैज्ञानिक एवं तांत्रिक ज्ञान के निरक्षित क्षेत्र में अन्य देशों द्वारा किये गये अनुसंधान एवं अनुभवों का भारतीय उद्योगों में समावेश न हो।

(७) निर्धनता एवं अज्ञानता का देश (A Country of Poverty and Ignorance)—भारत के आर्थिक जीवन की एक और विशेषता यह है कि यहाँ की जनता निर्धनता एवं अज्ञानता की बेड़ियों में तबड़ी हुई है। देश में बेरोजगारी के कारण अधिकांश जनता अपने लिए आवश्यक जीविनोपार्जन में असमर्थ रहती है। एक निर्धन देश में जन शक्ति का अनुपयोगी अवस्था में पड़ा रहना उसकी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। यही नहीं कि हमारे देशवासी केवल निर्धन हैं बल्कि अशिक्षित होने के कारण अधिकांश जनता अज्ञानता के अधःकार में अपना जीवन व्यतीत करती है। देश की ८२.७% जनसंख्या ऐसी है जो भारत के विभिन्न ग्रामों में निवास करती है। खेती में लगे हुए ये सीधे-सादे लोग सारी आयु अधःश्रमण एवं अज्ञानता में समाप्त कर देते हैं। ससार के अनेक राष्ट्र शिक्षा के प्रचार एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण अपने देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने में न जाने कहाँ तक सफल हो चुके हैं। परन्तु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे इस नवीन युग का अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। ससार का अपने देश के ही निरक्षित एवं उन्नतिशील नगरों से अलग होने के कारण ग्राम-वासी अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं। इस लिए इस बात की महान् आवश्यकता है कि भारत के प्रत्येक गाँव में शिक्षा के प्रसार के हेतु स्कूल स्थापित किये जायें जो अज्ञानता को बाहर निकाल कर देशवासियों का सुगम्य जीवन जिताने में सहायक हों।

(८) रीति रिवाज में प्रसिद्ध तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का देश (A Land of Custom ridden & Religious minded People)—भारत में अति प्राचीन काल से देशवासियों के जीवन पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक

संस्थाओं की गहरी छाप पड़ती आई है। देश के आर्थिक जीवन पर इन सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं का इतना अमिट प्रभाव पड़ा है कि वे देश की अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं। इसी धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण का यह प्रभाव है कि भारत आध्यात्मिक उत्थिति की चरम सीमा तक पहुँचने के कारण भौतिक उन्नति से घृणास्पद दृष्टि से देखा गया है। भारत के अनेक प्राचीन एवं धार्मिक ग्रन्थ देशवासियों से सादा जीवन तथा सतोष का पाठ पढ़ाते आये हैं। पश्चिमी राष्ट्रों ने आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति की है उसका मूल कारण यह है कि उनका जीवन में उन्नति को प्रथम स्थान दिया गया है। इसका अनिश्चित हमारे देश में कुछ प्रभाव प्रथाएँ एवं रीति रिवाज हैं जो किसी न किसी प्रकार भारत के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते आये हैं। जैसे जाति प्रथा, सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली, पदों की प्रथा, उत्तराधिकार नियम।

(६) विभिन्न अभावों का देश (A Land of Scarcities)—भारत जैसे देश की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो उसके आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं। जैसा कि सर्व विदित है कि आर्थिक विकास के लिए अनेक ऐसी बातें एक मुनिधाया की आवश्यकता होती हैं जिनसे देश के औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है जैसे कृशल श्रम शक्ति तथा प्राबोध-ज्ञान (technical knowledge) का प्राप्ति, पूँजी की उपलब्धता, वायव्य तथा निपुण साहसिकता तथा समुचित शिक्षा, साम्य मुनिधाया, यात्रायात एवं संचारवाहन के साधनों का उपलब्ध होना। परन्तु हमें यह भी याद है कि भारत में अभी तक इन सब बातों की कमी है जिसके कारण देश की आर्थिक प्रगति रुकन नहीं पाती।

(१०) विभिन्न जलवायु वाला देश (A Nation of Diverse Climates)—भारत के आर्थिक जीवन पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत भी उन देशों में से एक है जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यदि भारत में उसका उत्तरा भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तो दक्षिण में उष्ण जलवायु मिलता है। यह नहीं याद का भा भारत में अत्यन्त अचानक वितरण होता है जिसके कारण कुछ स्थान पर है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है जैसे चेन्नई, परन्तु साथ ही कुछ एक स्थान भी हैं जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है जैसे राजस्थान, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पठार इत्यादि। विभिन्न प्रकार की जलवायु अत्यन्त हानि के कारण हमारे देश में अनेक प्रकार की फसलों उत्पन्न की जाती हैं जिससे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों का दृष्टि से हानि में नहीं रहता मिलाती है जिसके कारण भारत में प्राकृतिक साधनों का दृष्टि से एक धनी देश कहलाता है।

(११) नियोजित आर्थिक प्रगति वाला देश (A Country with Planned Economic Development)—वर्तमान समय में भारतीय अर्थ व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ देश की प्रगति के लिए आर्थिक नियोजन (Economic Planning) की सहायता ली जा रही है। वषों की गिगडी हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारने तथा आर्थिक जीवन में दृढ़ता लाने का आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त और कोई उपाय हो ही क्या सकता है। जन देश की अधिकांश जनता निर्धन हो और साधनों का पर्याप्त मात्रा में विदोहन न हो रहा हो तो आर्थिक नियोजन द्वारा ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी कारण सभार के प्रायः सभी विचारों के व्यक्ति आज इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसी भी देश की निर्धनता की समस्या और आर्थिक विकास की प्रगति को तीव्र करने के लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक आयोजन अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। भारत ऐसा ही एक उदाहरण है जहाँ भारी पैमाने पर आर्थिक नियोजन द्वारा देश के आर्थिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है।

देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था की अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं जिनका अध्ययन देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति समझने के लिए अनिवार्य है। इन मूल लक्षणों के अध्ययन का विशेष महत्व यह है कि इनका देश की राष्ट्रीय आय तथा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अधिकांश जनता को कृषि द्वारा जीविका प्राप्त होती है। अति प्राचीन काल से अधिकांश जनता का रोजी के व्यवसाय में लगे होने के कारण भारतवासियों में औद्योगिक चरित्र (industrial character) का विकास नहीं हो पाया जो उसकी मददगति से औद्योगिक विकास होने का मुख्य कारण है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में जनशक्ति का आधिक्य है जिसके कारण श्रम पूर्ति भी अत्यधिक मात्रा में हो रही है। रोजगार के लिए श्रमिकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण मजदूरी की दर घटती जाने की प्रवृत्ति है। इसके फलस्वरूप मजदूरों में मोल भाव करने की शक्ति (bargaining power) कम है। इसी प्रकार जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा धार्मिक भावनाओं द्वारा भी भारतवासियों का आर्थिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। धर्म की प्रधानता होने के कारण भारत में भौतिक विकास की अपेक्षा नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

भावी प्रवृत्तियाँ (Future Trends)—देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो परन्तु भविष्य अक्सर ही उज्ज्वल प्रतीत होता है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर कर भारतवासी अपने निरन्तर तथा अथक

परिश्रम से निश्चय ही भारत को एक समृद्धिशाली तथा सुविकसित राष्ट्र बनाने का सुखद स्वप्न देख रहे हैं। गौरव की बात यह है कि भारतवर्ष कई वर्षों की पराधीनता की शृंखलाओं से अन्त मुक्त हो गया है तथा राष्ट्रीय सरकार देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सबसे हृष की बात यह है कि भारतवर्ष जिसे कुछ समय पूर्व तक एक अवििकसित राष्ट्र कहा जाता था अब उसे अर्थ विकसित राष्ट्र की सजा दी जाती है। अवििकसित आर्थिक अवस्था से अर्थ विकसित अवस्था (from backward economy to under developed economy) तक, वास्तव में, पहुँच कर भारत ने एक लम्बा रास्ता तय किया है। इस कारण भारत जैसे राष्ट्र का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल प्रतीत होता है। इस समय भारत में देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनकी सफलता पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर है।

प्रश्न

1 Describe the basic features of Indian economy and state to what extent these have been responsible for the slow growth of our national economy
(Agra, 1953, 1959)

2 India has often been described as a rich country inhabited by poor people. Do you agree with this view? Give full reasons for your answer
(Punjab 1954, Rajasthan, 1951)



खण्ड २

प्राकृतिक संसाधन

१ भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन

भारत की भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन

भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं प्राकृतिक साधनाँ से तात्पर्य देश के वातावरण, बलवायु, भूमि की रचना, शक्ति के साधन, खनिज पदार्थ, वन-सम्पत्ति, पर्वत, तथा समुद्र तट इत्यादि से है। किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास उस देश की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रचुर उपहार प्रदान करने की महान् कृपा की है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी पाई जाती है। फलस्वरूप लगभग सभी कृषि पदार्थ भारतभर में उत्पन्न होते हैं। सखार में समुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के पश्चात् भारत ही एक ऐसा देश है जो ग्राम निर्भर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता एवं अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत को अनादि काल से 'सोने की चिड़िया' तथा 'ब्रिटिश साम्राज्य का सप्रे मुद्दर हाँता' जैसे मुद्दर शब्दों की सजा प्रदान की गई है। आज भी भारत का गौरव उपरोक्त दृष्टिकोण से कम नहीं है।

भारतीय आर्थिक विकास का टीन-टीक रूप जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम इस देश के प्राकृतिक साधनों एवं भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में थोड़ा-सा ज्ञान कर लें। सर्व प्रथम हम भारत की प्राकृतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात् भारतीय वन, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन इत्यादि का विवेचन करेंगे।

अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भारतीय भौगोलिक परिस्थिति को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है —

- (१) भौगोलिक सीमा और स्थिति,
- (२) भूमि की बनावट,
- (३) जलवायु, तथा
- (४) वनस्पति एवं पशु।

(१) भारत की भौगोलिक सीमा और स्थिति

भारतवर्ष भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° अक्षांश से लेकर ३७° अक्षांश तक तथा

६६ २° से ६४° देशान्तर तक फैला हुआ है। देश का सीमा स्वयं और निश्चित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसे समस्त सभार में सबसे ऊँचे होने का गौरव प्राप्त है और जो संदीप बर्फ से ढँका रहता है। देश में उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में और विशाल पहाड़ों की श्रेणियाँ शाभावमान हैं। देश का पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी भाग समुद्रों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल का खाड़ी है पश्चिम की ओर अरब सागर है, और दक्षिण में हिन्द महासागर है। इस प्रकार भारत हिन्द महासागर के सिरेवर्तन स्थित है।

भारत का क्षेत्रफल इस समय लगभग १२,६६,६४० वर्ग मील है। विभाजन पूर्व समस्त भारत का क्षेत्रफल १५ लाख ८१ हजार वर्ग मील था। उत्तर से दक्षिण भारत का लम्बाई २ हजार मील है और पश्चिम से पूर्व तक १,७०० मील है। १९५१ का सामुद्रिक तट ४,१०० मील लम्बा है। यह अग्नि कटा पटा नहीं है, प्रत्युत लगभग पृथ्वीवत् सीमा है। भारतवर्ष में विस्तृत क्षेत्रफल तथा अनुपुल स्थिति के कारण इस देश की गणना सभार में विशालतम देशों के साथ की जाती है। इस देश का क्षेत्रफल रूस का छोड़ कर समस्त यूराल के क्षेत्रफल से कुछ कम है, और संयुक्त राज्य (U K) का आठ गुना है। भारत में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सर्वसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकांश भाग मानव उपजाऊ के लिए सुलभ है जब कि सभार के उच्च देशों का अधिकांश भाग अनुपयुक्त पड़ा रहता है। उदाहरणार्थ रूस और कनाडा में विस्तृत क्षेत्र निरन्तर हिमोच्छादित रहते हैं और आस्ट्रेलिया में उच्च चट्टानें स्थित हैं जो मानव उपयोग के दृष्टिकोण से निरर्थक हैं।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी भारत का सभार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभार का जनसंख्या का लगभग ३ भाग भारत में पाया जाता है। इसी विशाल क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या को देखकर कुछ लोगों ने भारत का भू-महाद्वीप अथवा उप-महाद्वीप (Sub Continent) के नाम से विभूषित किया है।

भारत का भौगोलिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी है। हमारा देश पूर्वी भूमण्डल के एक मध्य में स्थित है। इसमें एक द्वार बसा, चान, हिन्दिया, जापान तथा दूसरे द्वार बांग्लादेश और मध्य पूर्वी देश हैं जिनके साथ स्वतन्त्रतापूर्वक अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। भारत के पास स्वयं अन्तर्गत जहाजी बड़ा नहरों के कारण भारत अभी तक अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। यदि यह अभाव भी दूर हो जाय (कैम्पी कि आयात न जाता है) तो शीघ्र ही भारत सभार का एक प्रमुख और अग्रगामी व्यापारिक देश बन जावेगा।

भारत के प्राकृतिक विभाग—प्राकृतिक विभाग से तात्पर्य उस भू-भाग से होता

है जिसमें भौतिक परिस्थितियाँ, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में समानता होती है। इन तीन समानताओं के फलस्वरूप उस समान भू-मण्डल की कृषिगत उपज, जीव जन्तु, मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ, जनसंख्या का घनत्व और रहन सहन लगभग समान होता है। भारत के प्राकृतिक विभागों को निर्धारित करने में देशी और विदेशी दोनों ही विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सर्वमान्य धारणा डा० स्टॉम्प की मानी जाती है। उन्होंने भौतिक आकृति के आधार पर भारत के तीन मुख्य विभाग किये हैं—

(अ) हिमालय प्रदेश—इसके अन्तर्गत निम्न प्राकृतिक खंड माने गये हैं —

- (१) पृथ्वी पहाड़ी प्रदेश,
- (२) हिमालय प्रदेश,
- (३) उप हिमालय प्रदेश,
- (४) निम्न या पठार।

(ब) गंगा सतलज का मैदान—इसमें निम्न प्राकृतिक खंड अवस्थित हैं —

- (५) पंजाब का मैदान,
- (६) गंगा का उपरी मैदान,
- (७) गंगा का मध्य मैदान,
- (८) गंगा का निचला मैदान,
- (९) ब्रह्मपुत्र की घाटी।

(स) दक्षिण का पठार—इसमें निम्न खंड सम्मिलित किये गये हैं —


- (१०) कच्छ, सौराष्ट्र प्रदेश,
- (११) पश्चिमी तटीय प्रदेश,
- (१२) तामिलनाडु प्रदेश अथवा कर्नाटक,
- (१३) नर्मदा प्रदेश,
- (१४) दक्षिणी दक्कन,
- (१५) दक्षिण का लावा प्रदेश,
- (१६) उत्तरी पूर्वी दक्कन,
- (१७) धार मरुस्थल,
- (१८) मलावा, बुन्देलखण्ड और छोटा नागपुर का पठार,
- (१९) राजस्थान का पठार।

डा० रामनाथ दुबे ने भारत को निम्नलिखित चार विभागों में विभाजित किया है —

- (१) हिमालय प्रदेश,
- (२) गंगा-सतलज का मैदान,

- (३) दक्षिणी पठार तथा
(४) तटीय प्रदेश ।

(१) हिमालय प्रदेश—शिवाल हिमालय पर्वत माला उत्तर में पामीर से प्रारम्भ होती है और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत को तीन भागों में विभाजित किया जाता है—(१) भीतरी हिमालय जिसमें प्रधान श्रेणी स्थित है (२) गहरी हिमालय और (३) शिवालिक पहाड़। हिमालय पर्वत सखार वा समूह नवीन पहाड़ है। नवीन होने का कारण ही इसे सखार की उच्चतम चोटी 'एवरेस्ट' प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक उच्चतम चोटियाँ हैं जिनमें सखार में अपना सानी नहीं रहता। उदाहरणार्थ एवरेस्ट, २९,१४१ फीट, कंचनजंगा २७,८१५ फीट तथा धौला गिरी २६,८२६ फीट उँची हैं। हिमालय का कारण भारतीय क्षेत्र एशिया का अल्प जलवायु क्षेत्रों से भिन्न हो गया है। तिब्बत से ठीकी उत्तरी हवाओं का यहाँ न आने देने का कारण तथा भारत में मानसून का राफ़ समान का कारण हिमालय एवं जलवायु सम्बन्ध अग्रोप है। सामान्य में इस पर्वत का कारण हमारे देश की जलवायु हमारे देश में ही पनती है। उँचे दरों का कारण हिमालय व्यापसायिक तथा सामाजिक अग्रोप माना रहा है। भारत में नितने भी आक्रमण गहरा हुए हैं उनमें से कोई भी इन उँच दरों से नहीं हुआ।



चित्र १—भारतवर्ष का प्राकृतिक मानचित्र

हिमालय पर्वत से देश को अनेक लाभ हैं जैसे—

(१) अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोक कर यह पर्वत जल वृष्टि प्रदान करता है जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जीवन-सर्वाङ्गी है।

(२) निम्न की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है जिन्हें भारत में कोई हानि नहीं होता।

(३) देश की लगभग सभी महत्वपूर्ण नदियाँ हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं।

(४) हिमालय पर्वत से अनेक जल प्रपातों को जल मिलता है जिससे विद्युत शक्ति का निर्माण होता है।

(५) हिमालय पर्वत के दक्षिण में विशाल जंगल हैं जो हमसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ पहुँचाते हैं।

(६) हिमालय पर्वत के ही कारण देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिससे फलस्वरूप हमारे देश में अनेक प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं।

(७) विशाल एवं अभंग होने के कारण यह देश को सहरी आरक्षण से सुरक्षित रखता है।

(८) पर्वत पर अनेक न्याय्यरक्षक स्थान हैं।

(९) पर्वत पर बहुमूल्य पदार्थ एवं जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो विभिन्न असाध्य रोगों के निवारण में सहायक होती हैं।

(१०) इसकी गोद में बहुमूल्य खनिज पदार्थ तथा विशाल चरागाह भी पाये हैं जो हमारे पशु धन को भोजन प्रदान करत हैं।

(२) गंगा-सतलज का मैदान—गंगा, सिन्धु तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ से घिरा हुआ यह भाग पूर्व-पश्चिम में लगभग १५०० मील लम्बा और उत्तर दक्षिण में १५० मील चौड़ा है। यह विशाल मैदान समस्त के समस्त उपजाऊ समतल मैदानों में से है और यहाँ समस्त अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। सिंचाई सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण यह भाग आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से बड़े-बड़े मैदान सम्मिलित हैं जिनसे कई नदियाँ बहती हैं और दोमट मिट्टी लाकर मैदान को उर्वर बना देती हैं।

गंगा सतलज का मैदान दक्षिण में हिमालय पर्वत से लेकर उत्तर पर्वत (श्रेणियाँ) तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। इस भाग के पश्चिम में व्यास तथा सतलज नदियाँ बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नदियाँ या एक दूसरा पूज क्विनम गंगा और यमुना प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर गुजरता है। इन सब में गंगा

पैला हुआ है। यह मैदान उत्तर में थर और राजस्थान के रेगिस्तानों से मिल जाने हैं। बालू, मिट्टी के विशाल समूह जो कि पुराने नदी मार्गों के सूख जाने के कारण तथा समुद्रों के हट जाने के कारण बन गये हैं, यहाँ की विशेषताएँ हैं। पश्चिमी तट नारियल के पेड़, कपास और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे उत्तम रूई—भड़ौच की रूई—इसी प्रदेश में पैदा होती है। पूर्वी तट की सबसे महत्वपूर्ण उपज चावल है। यहाँ कपास और गन्ने ही उत्पन्न होते हैं।

(२) भूमि की बनावट

प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था में उस देश की भूमि की बनावट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश का आर्थिक विकास यहाँ की भूमि की बनावट पर निर्भर होता है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण और कृषि का मिट्टी पर निर्भर रहने के कारण, भारतीय मिट्टियाँ वा अध्येयन हमारे लिए बहुत आवश्यक हों जाती हैं। भारतभर में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो काफी अच्छी और दर्ज भी होती हैं किन्तु यह अधिन्तर सूखी होती हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाने पर ही यह अच्छी उपज देती हैं।

भारतीय मिट्टी का विभाजन विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया है। Indian Agricultural Research Institute, Delhi, ने भारत की मिट्टी को निम्न वर्गों में विभाजित किया है :—

- (१) कछार,
- (२) बड़े कछार,
- (३) परिवर्तित चट्टानों पर की लाल मिट्टी,
- (४) लाल कड़ी मिट्टी,
- (५) काली मिट्टी,
- (६) गहरी काली मिट्टी,
- (७) ट्रेप चट्टानों पर की हल्की मिट्टी, तथा
- (८) गहरी काली कछार की मिट्टी।

Indian Council of Agricultural Research ने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :—

- (१) लाल मिट्टी,
- (२) लैटेराइट,
- (३) कपास की काली मिट्टी,
- (४) कछार मिट्टी,
- (५) पहाड़ी और वन प्रदेशों की मिट्टी,

(६) चारयुक्त मिट्टी, और

(७) दलदली मिट्टी।

भूमि का वर्गीकरण आज का नहीं उल्टा पुस्तना है। ऋग्भेद में भूमि को उल्लेख गुण तथा क्रिमा के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है—अर्वना (अनुपजाऊ), अपनाम्बती (उपजाऊ) तथा उर्वरा (अति उपजाऊ)। इन्हीं प्रकार किसानों को भी उनका हल करने के अनुसार—ग्रहिली (गिना हल का), मुहली (मुन्दर हल करने वाला) तथा टुहली (दोपदृष्य हल)—में विभक्त किया है।

यद्यपि हमारा देश में नाना प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं परन्तु फिर भी उनमें अत्यन्त की कृषि में चार मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी या दोमट मिट्टी,

(२) लाल मिट्टी,

(३) बाली मिट्टी,

(४) रसादार मिट्टी।

(१) दोमट मिट्टी (Alluvial Soil)—यह मिट्टी अधिकतर नदियों द्वारा लाई जाती है। अतः इसमें नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी, गंगानर, दोमट अथवा दुमट आदि नामों में पुनाग आता है। इस मिट्टी का भारतीय कृषि-अर्थ व्यवस्था में विशेष महत्व है। भारत में यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें जनावट तथा इसका लक्षण प्रायः बदलता रहता है। दक्षिण उत्तरी भागों में यह मिट्टी शुष्क और छद्दार होती है, पश्चिम में यह नम और घनी होती है, दक्षिण भारत में यह बहुत घनी और गीली होती है। भारत में यह निम्नी मिट्टी की भाँति और रंग में बाली होता है। यह मिट्टी रबी और सर्षप दोनों ही फसलों के लिए काफी उपयुक्त है। यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम और गुजरात तथा मद्रास और दक्षिण पंजाबसुला के कुछ भागों में भी मिलता है। सन्तुष्ट में इस मिट्टी वाले प्रदेश का क्षेत्रफल ३ लाख वर्ग मील है।

(२) लाल मिट्टी (Red or Crystalline Soil)—लाल या पीली मिट्टी उन चट्टानों की विशेषताएँ हैं जिनमें लाह के अथवा प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। साधारण रूप से उँचे तापमान का दशाग्र में लोहा गल कर सारी मिट्टी में समान रूप से फैल जाता है और मिट्टी को लाल या पीला कर देता है। अतः ये मिट्टियाँ उष्ण कटिबंध में आमतौर से पाई जाती हैं। भारत में यह मिट्टी तान्जी के दक्षिण में विशेष रूप से पाई जाती है। बाँकी भागों में तान्जी के ऊपर तथा अरुण में भी पाई जाती है। दालू स्थानों और पहाड़ों प्रदेशों पर पाई जानेवाली लाल मिट्टी हल्की और छिद्रपूर्ण होती है और अत्यन्त अनुपजाऊ होती है। मैदानों में यह मिट्टी अधिक मोटी और शुष्क होती है। अतः अच्छी फसल उगाने के योग्य होती है।

(३) काली मिट्टी (Black Soil)—धातुग्राहक अधिन मिश्रित हो जाने के कारण इस मिट्टी का रंग काला हो गया। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड की मात्रा कम होती है और पोटास तथा चूने की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसलिए इसे 'काली कपास वाली मिट्टी' तथा 'ट्रेप' मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत घनी होती है और चिन्नाहट भी बहुत होती है। इसमें वनस्पति को पालने की शक्ति अधिक शक्ति है कि हजारों वर्ष से मिना प्रिन्सी साद का उपयोग नये इस पर लेती की जा रही है। कभिकल्स की मात्रा अधिक होने के कारण यह उपजाऊ भी बहुत होती है। कपास की पैदावार क अतिरिक्त इसमें गेहूँ और मोटे अनाज भी पैदा नये जा सकते हैं। साधारणतया इस पर रबी की फसलें सफलतापूर्वक होती हैं।

इस मिट्टी का मुख्य क्षेत्र पश्चिम में मद्रास से पूर्व म अमरकंटक तक, तथा उत्तर में घूना से दक्षिण में बेलगाँव तक फैला है। यह क्षेत्रफल लगभग २ लाख वर्ग मील है।

(४) खादादर मिट्टी (Laterite Soil)—यह मिट्टी प्रायः उन प्रदेशों में मिलती है जो ऊसर हैं। इनकी उपरी सतह बँकरीली होती है। यह भौतिक और रसायन तत्वों में एक-सी नहा होती। इसमें फास्फोरिक एसिड की बहुत कमी होती है। यह एसिड बहुत महत्वपूर्ण साद है। यह मिट्टी विशेष रूप से दक्कन, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी घाटा क पास पाई जाती है। मिश्रित खाना पर यह विभिन्न प्रकार की होती है। यह पहाड़ी प्रदेशों में अनुपजाऊ होती है किन्तु मैदानों में जहाँ इसका रंग कुछ भूरा सा होता है, काफी उपजाऊ होती है। यौसवन यह मिट्टी खेती के उपयुक्त नहीं होती।

भूमि क्षरण (Soil Erosion)

भूमि क्षरण भारतीय कृषि क लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इसके द्वारा भारत को कितनी हानि हो रही है इस पर पूरा पूरा ध्यान न दिया जाना ही भारतीय कृषि की गम्भीर समस्या है। प्रति वर्ष हजारों टन अच्छी मिट्टी नहर समुद्र में चली जाती है। भारतीय वर्षा की प्रकृति ही कुछ ऐसी है जिसने कारण छोटी-बड़ी नदियों में बाढ़ आ जाती है और उनके साथ देश के एक भाग की मिट्टी दूसरे भाग में और अन्ततः समुद्र में चली जाती है। वर्षा क जल अथवा वायु द्वारा भूमि के महीन कणों को हटाये जाने को ही 'भूमि क्षरण अथवा मिट्टी का कटाव' कहते हैं। भूमि क्षरण से भूमि की उर्वरा शक्ति नाश हो जाती है और भूमि उजर बन जाती है। हमारे देश की हजारों एकड़ भूमि क्षरण के कारण बेकार हो गई है। बिहार के विशाल भू भाग तथा उत्तर प्रदेश में यमुना और चम्पल नदियों के दोनों और बहुत से बड़े बड़े भू भाग खेती के लिए अनुपयुक्त हो गये हैं।

भूमि-क्षरण के प्रकार

भारत में भूमि क्षरण तीन प्रकार से होता है—

- (१) तल क्षरण अथवा एक-सा कटाव (Sheet Erosion),
- (२) अन्त-क्षरण अथवा कटार वाला कटाव (Gully Erosion),
- (३) वायु क्षरण अथवा हवा द्वारा कटाव (Wind Erosion) ।

(१) तल क्षरण—मिट्टी व ऊपरी कण मुलायम, ढीले और उपजाऊ होते हैं, अतः वर्षा का जल इन्हें अपने साथ नहीं ले जाता है। इस प्रकार व कटाव को एक-सा कटाव अथवा तल क्षरण कहते हैं। इससे भूमि की ऊँचा शक्ति नष्ट हो जाती है और देश को अर्थभित्त हानि पड़ती पड़ती है।

(२) अन्त क्षरण—जब वर्षा मुसलाधार होती है तब वह जल नदी और नाला व रूप में जल लगता है, जिसका प्रहार मिट्टी को धुरी तरह से काट देता है। इस प्रकार गहरा गड्ढे और समतल जल नाले हैं जिन्हें कटार अथवा ग्रीड कहते हैं। ये कटार गेती व लिए अनुपयोगी होते हैं।

(३) वायु क्षरण—जब वायु का वेग बहुत तीव्र होता है तब वह अपने साथ भूमि की ऊपरी सतह व मुलायम और उपजाऊ कणों को अपने साथ उठा ले जाता है। यह प्रायः सूखे प्रदेशों में होता है जैसे राजस्थान और पूर्वी पंजाब।

भूमि-क्षरण के कारण (Causes of Soil Erosion)

भूमि-क्षरण व प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) वनों का विनाश—प्रायः भूमि-क्षरण वनों व विनाश व कारण होता है। भारत में वनों का विनाश नदी कूला व साथ किया गया है। वनों और पौधों तथा घास का जड़ों में जल व प्रभाव का रोक्ने की शक्ति होती है, जिससे भूमि का कटाव नहीं होता। परन्तु भारतीय लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं।

(२) वनस्पति का नष्ट करना—वनस्पति व नष्ट हो जाने से भूमि रेगिस्तानी बन जाती है। हवा का एक भाग अतः ही खीली मिट्टी हवा व साथ उड़ने लगती है और शरीर शरीर भूमि की ऊपरी सतह, जो कि अति उपजाऊ होती है, उड़ जाती है।

(३) निरन्तर रोती—एक ही स्थान पर निरन्तर अन्त वर्षों तक खेती होने रहने व कारण भूमि की ऊँचा शक्ति कम हो जाती है। यदि कुतिल साधनों जैसे खाद इत्यादि के द्वारा भूमि की उत्पादकता को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो भूमि का क्षरण हो जाता है।

(४) स्थान परिवर्ती रोती—देश के कुछ प्रदेश जैसे असम, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करते। वे लोग कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर और कभी तीसरे स्थान पर रोती करते हैं। इस प्रकार वे

जगलों को नष्ट करके रोती के लिए स्थान बनाते रहते हैं। जगलों को जला पर साफ करने की क्रिया को असम में 'भूमिग क्रिया' कहते हैं।

(५) अनियंत्रित चराई—त्रिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पशुओं द्वारा जगलों की अत्यधिक अनियंत्रित चराई होती है। सरकार के द्वारा इस पर कोई नियंत्रण न होने के कारण स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है।

भूमि-क्षरण की हानियाँ

भूमि-क्षरण से होनेवाली प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) भूमि की उत्पादन शक्ति का ह्रास—भूमि की ऊपरी सतह के उड़ जाने अथवा कट जाने से भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है।

(२) भूमि से पौधों की पुराक एक बड़ी मात्रा में उड़ जाती है—भूमि की ऊपरी सतह के शक्तिहीन हो जाने के कारण, नीचे की सतह वाली भूमि भी कमजोर होने लगती है और वह ठीक से पानी को सोख नहीं पाती।

(३) कुओं एवं जलस्रोतों का जल स्तर नीचा हो जाता है—भूमि में पानी सोखने की शक्ति कम हो जाने के कारण जलाशयों का जल स्तर नीचा हो जाता है।

(४) कट्टार एवं कगारों का निर्माण हो जाता है—भूमि के निरन्तर कटाव से भूमि कगारी तथा कटावदार हो जाती है जिससे भूमि खेती योग्य नहीं रहती। यह दुःखद स्थिति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रायः दृष्टिगोचर होती है।

(५) बाढ़ आने की सम्भावना रहती है—वनस्पति के समाप्त हो जाने से जल निधि का एक बड़ा भाग न केवल व्यर्थ बह कर नष्ट हो जाता है बल्कि देश में बाढ़ आदि आ जाने की आशंका भी रहती है।

(६) सिंचाई में बाधा पड़ती है—भूमि क्षरण के फलस्वरूप नदियाँ, नहरों तथा जलाशयों के दोनों ओर शलू (रेती) एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं। इससे सिंचाई की व्यवस्था में अड़चन पड़ती है।

(७) नौचालन (Navigation) में बाधा पड़ती है—नदी, नहरों आदि के बीच में मिट्टी (बालू) आदि के जम जाने से जल मार्ग नौचालन के अयोग्य हो जाते हैं। इससे जल यातायात की बाधा हानि होती है।

(८) सरकारी व्यय बढ़ जाता है—पानी के निकास के मार्गों (drainage) आदि के साफ करने में सरकार को खर्च एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(९) जगली जानवर तथा आदिवासी—इनके प्रश्रय (shelter) तथा भोजन के साधन कम हो जाते हैं और वे नगर के लोगों को परेशान करने लगते हैं।

भूमि क्षरण को रोकने के तरीके

भूमि क्षरण की समस्या आज देश के लिए एक जटिल समस्या है। समुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने इस समस्या पर विजय प्राप्त कर ली है। भारत को भी इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना है। भारत में भूमि क्षरण का रोकने के लिए निम्न उपायों को अपनाना होगा —

(१) उत्तम भूमि प्रयोग कार्यक्रम को अपनाना चाहिए—इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी उपायों को अपनाना चाहिए जिससे भूमि का सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। उदाहरणार्थ ऐसी भूमि को जो खेती के सर्वाधिक उपयुक्त हो, वहाँ पर घने जंगल लगाने चाहिए। ऐसी भूमि जो ढालू हो और जिस पर घास आदि जम सकती हो वहाँ स्थायी रूप से घास को उगने दिया जाय। १०% से अधिक ढाल वाली भूमि को जहाँ तक हो सके घास अथवा पेड़ों से अच्छादित रखना चाहिए।

(२) फसलों का हेर फेर (Rotation) होना चाहिए—ऐसी भूमि जहाँ कटाव की सम्भावना हो, वहाँ पर वर्ष पर्यन्त खेती करना चाहिए और विशेष ऐसे अवसरों पर जब कि वर्षा होने वाली हो।

(३) वर्षा का यथासम्भव संरक्षण करना चाहिए।

(४) ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं (contours) के समानान्तर जोत कर पट्टीदार खेती (strip cropping) करना चाहिए। इससे पानी रुकता है, और मिट्टी काटने की शक्ति कम होती है। लम्बे ढाल को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर भूमि क्षरण कम होता है।

(५) यांत्रिक विधियाँ—भूमि-क्षरण को रोकने के लिए यांत्रिक (mechanical) विधियों को भी अपनाना होगा। इसमें बाँध (dams), चबूतरों (terraces) अतिरिक्त जल को निकालने वाली नालियाँ आदि का निमाण सम्मिलित है। इन सभी निमाणाँ का उद्देश्य रहने हुए पानी की मात्रा को घटाना है, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो।

(६) लड्डू बन्द करना (Gully Plugging)—यदि भूमि के कटाव के कारण किसी क्षेत्र में फसलें अथवा लड्डू बहुत ही गंवे हों तो उन्हें बन्द कर देना अथवा पाट देना चाहिए। लड्डू नियंत्रण का सबसे सस्ता और निश्चयनीय तरीका यह है कि सम्पूर्ण लड्डू में वनस्पति उगाना चाहिए और उस प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि लड्डू बन्द होने के कारण वहाँ सम्पूर्ण लड्डू में वनस्पति को लगाना सम्भव न हो तो कम से कम किरी तथा जगलो (heads and sides) में तो वनस्पति लगाना ही देना चाहिए। अनेक छोटे छोटे बाँध (dams) को बनाना चाहिए। ये बाँध प्रायः बुने हुए तार (woven wire), ब्रश (brush), चलायमान चट्टानों (loose rocks), पौध (plants) आदि के बने होते हैं।

(७) किसानों की शिक्षा—भूमि संरक्षण व सम्बन्ध में किसानों की भी सहायता लेनी चाहिए। भूमि कटाव को रोकने के छोटे मोटे तरीके उन्हें मालूम होने चाहिए जिससे वे पहले से ही आवश्यक व्यवस्था करते रहें। सरकार को इस सम्बन्ध में किसानों की पूरी पूरी सहायता करनी चाहिए।

(८) वना की अनियंत्रित चराई (free grazing) को नियमित करना चाहिए।

योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-संरक्षण

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इसके अंतर्गत भूमि संरक्षण के कार्य क्रमा पर केन्द्रीय सरकार ने २ करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान किया था। राज्य सरकारों की योजनाएँ तथा उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं है।

योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निम्न कार्य किये गये हैं—

(१) २५० कृषि व वन अधिकारियों को भूमि-संरक्षण (soil conservation) की विधियाँ के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है।

(२) पाँच 'अनुसन्धान व प्रशिक्षण केन्द्र' (Research cum Training Centres) देहरादून, कोटा, बसाड़ (उत्तरी गुजरात), बेलारी और उदकमड और जोधपुर में स्थापित किये गये हैं।

(३) ११ आदर्श योजना केन्द्र (Pilot Projects) मम्बई, आन्ध्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, पंजाब, सौराष्ट्र, त्रिपुरा, मीचीन, अजमेर, कच्छ और मण्डलीपुर में ताले गये हैं। मद्रास और केरल के आदर्श योजना केन्द्रों को 'विकास योजनाएँ' (Development Projects) में बदल दिया गया है।

(४) देहरादून में मिट्टी व कटाव संरक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर टोक करने के लिए एक 'वन अनुसन्धान संस्था' (Forest Research Institute) की स्थापना की गई है।

(५) सन् १९५३ ई० में राष्ट्रीय भूमि संरक्षण का कार्यक्रम बनाने के लिए एक 'केन्द्रीय संरक्षण मंडल' (Central Soil Conservation Board) स्थापित किया गया है।

(६) योजना काल में विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख एकड़ भूमि पर उपरोक्त उपायों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इस क्षेत्रफल (७ लाख एकड़ भूमि) का ३ भाग केवल मम्बई में है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इसमें भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों के लिए २ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट िवाले २ में एक करोड़ एकड़ भूमि के पर्यवेक्षण (survey), बर्गीकरण विवरण के लिए ६५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

योजना काल में—

(१) ₹० लाख एवम् से भी अधिक भूमि पर विशेष रूप से भू-संरक्षण का कार्य किया जावेगा।

(२) लगभग ४,००० से भी अधिक कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(३) किसानों को भू-संरक्षण सम्बन्धी ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रदर्शन केंद्र (Demonstration Centres) स्थापित किये गये हैं।

उरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार भूमि क्षरण की समस्या के निवारणार्थ काफी प्रयत्नशील है। आशा है कि भारतीय किसान तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति अपना योग प्रदान करके सरकार की योजनाओं को सफल बनायेंगे।

जलवायु

जलवायु का किसी देश के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश में पाये जाने वाले पशु तथा वन सम्पत्ति, देशवासियों की कार्यक्षमता, मानवीय आवश्यकताएँ और उद्योग धन्धा की स्थिति सभी कुछ जलवायु के द्वारा निर्धारित होते हैं। सन्ध्या तो जलवायु की उपज कहलाती है। किसी भी अन्य देश में वस्तुओं का उत्पादन जलवायु पर इतना निर्भर नहीं जितना भारत में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ असह्य किसान अपनी गैती की सफलता के लिए आकाश की ओर आशा भरी दृष्टि से निहारते रहते हैं। उष्ण और सामान्य जल-मृष्टि ही उनका भाग्य है। जलवायु भारतीय जीवन-रूढ़ि सम्बन्धी नहीं, वरन् अन्यान्य पहलुओं पर भी प्रभाव डालती है। हमारा स्नान, धर, खड़े, खेल, भोजन व स्वास्थ्य और कार्य शक्ति सभी कुछ जलवायु पर निर्भर रहते हैं।

भारत में भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° से ३७° अक्षांश के अन्तर्गत फैला हुआ है। एक रेखा इसका ठा नागा में विशालाचल जाती है—उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भाग में जलवायु शीतोष्ण है। दक्षिणी भारत भूमध्य रेखा की पट्टी में आता है अतएव यहाँ तापक्रम साल भर उँचा रहता है और जाड़ा तथा गर्मियाँ व तापक्रम में बहुत कम अन्तर रहता है। तटीय प्रदेशों में जलवायु शीतोष्ण होता है। देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाये जाने व कारण विभिन्न प्रकार की गैती, विभिन्न प्रकार के लाग तथा विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे भी पाये जाते हैं।

वनसम्पत्ति एवं पशु

किसी देश की भौगोलिक, भू-गर्भिक एवं जलवायु सम्बन्धी अवस्था ही उस देश की वनसम्पत्ति एवं पशु सम्पत्ति को निर्धारित करती है। भारत में ये दृष्टाएँ इतनी

विभिन्न हैं कि यहाँ पर वनस्पति एवं पशु सम्पत्ति ही विभिन्न प्रकार की होती है। अन्य प्रदेशीय, शीतोष्ण प्रदेशीय तथा पर्वतीय सभी प्रकार की वनस्पतियाँ इस देश में पाई जाती हैं।

भारत में वन सम्पत्ति (Forest Resources in India)

देश का अधिकांश भाग में उष्ण प्रदेशीय वनस्पति है। यहाँ पर २३-२४ तथा विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते हैं, जो कि देश के लिए एक बहुमूल्य निधि है। भारत में वनों का क्षेत्रफल २ ६६ वर्ग मील है। यह क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग २१ ३ प्रतिशत है। संक्षिप्त रूप में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल ३ ५ हेक्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका में १ ८ हेक्टर तथा भारत में केवल ० २ हेक्टर है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में वनों का क्षेत्रफल अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। यही नहीं यहाँ पर वनों का वितरण भी बहुत असमान है और प्रति व्यक्ति एकड़ उत्पादन भी केवल ३ ० घन फीट (c ft) है जो कि अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणार्थ यह उत्पादन फ्रांस में ५३ ८, जापान में ३७ ० तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में १८ ० घन फीट है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सन् १९५२ के 'राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव' के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि धीरे धीरे वनों का क्षेत्रफल बढ़ा कर कुल भूमि के क्षेत्रफल का ३३ २% तक कर दिया जाय। इस अतिवृद्ध क्षेत्रफल का अनुपात पहाड़ी क्षेत्रों में ६% तथा मैदानों में २०% होगा।^{1/}

भारतीय वनों की एक विशेषता तथा अभाव यह भी है कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों में वनों का वितरण भी बहुत असमान है। उदाहरणार्थ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ११% तथा कन्द्रीय क्षेत्र में ४४% है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के वनों के क्षेत्रफल सम्बन्धी जो आंकड़े दिये गये हैं उससे उक्त कथन की पुष्टि होती है।[†]

राज्य	भू क्षेत्र का वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल
उड़ीसा	७ ६
उत्तर प्रदेश	११ २
पंजाब	१२ ३
बिहार	२० १
पश्चिमी बंगाल	२० ६
मद्रास	२२ ५
आन्ध्रप्रदेश	२४ ५
मध्य प्रदेश	३१ ४
अज्ञात तथा निकोबार	८५ ८

^{1/}India, 1960 p 254

[†]द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वृत्त २६८।

भारतवर्ष में यातायात सम्बन्धी वटिनाइयां तथा कुछ अन्य वटिनाइयों के कारण वनों का केवल ५५.२% ही व्यापार योग्य है और ४४.७% व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है।

वनों का महत्व

किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में वन-सम्पत्ति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में तो निःसंदेह इन वनों का बड़ा भारी महत्व है। योजना आयोग ने भी इसी महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। यदि रुष, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील को जहाँ निःप्रचुर मात्रा में वन पाये जाते हैं, छोड़ दें तो भारत में सभार का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उत्पादकता के दृष्टिकोण से भी इनका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। सन् १९५५-५६ में वनों से प्राप्त काँचती लकड़ी तथा गौण (minor) उमड़ा का मूल्य क्रमशः २४,४६,२८,००० रुपये तथा ८,०१,७४,००० रुपये था।*

वनों के प्रकार (Kinds of Forests)—भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाये जाने के कारण विभिन्न प्रकार के वन भी पाये जाते हैं। साधारण रूप से वना को निम्न विभागों में विभाजित किया जा सकता है—


- (१) शुष्क वन (Arid Forests)
- (२) पतमड़ी वन (Deciduous Forests)
- (३) सदाहर वन (Evergreen Forests)
- (४) पर्वतीय वन (Mountain Forests)
- (५) डेल्टा वन (Tidal or Mangrove Forests)

(१) शुष्क वन—ये उन ऐसे शुष्क क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ २० इंच से कम वर्षा होती है। जैसे राजस्थान तथा दक्षिणी पंजाब। इस प्रकार के वनों में फेजल भोई से वृक्ष पाये जाते हैं जो नदी की तट पर कारण जीवित रहते हैं जैसे बबूल और कीर के पेड़।

(२) पतमड़ी वन—इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में यदि काश पड़ पर के किसी भाग में पतमड़ी हो जाते हैं। अचिन्तक मीम प्रभृति से ही पतमड़ी प्रारम्भ हो जाता है। ये वन हिमालय की तराई में तथा दक्षिण के पठार के कुछ भागों में फैले हुए हैं। सगौन तथा सागू के वृक्ष इन्हीं वनों में पाये जाते हैं।

(३) सदाहर वन—ये वन उन स्थानों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। इन वनों में वृक्ष साल भर तक हरे रहते हैं। ये अधिकतर पूर्वी हिमालय

प्रदेश तथा पश्चिमी घाट पर पाये जाते हैं। वनों में गोंस तथा बेंत की प्रचुरता होती है।



चित्र २—प्राकृतिक वनस्पति

(४) पर्णमय वन—ये वन पूर्वी हिमालय और असम में पाये जाते हैं। इन वनों में विशेष रूप से गोंस, भूकनोलाया, लारल, देवदार, चीड़, मखन के वृक्ष होते हैं।

(५) डेल्टा वन—ये वन उत्तर प्रदेशीय सदाबहार वन की भाँति होते हैं। उगने वाले पेड़ों की नीची डालें भूमि में पहुँच कर जड़ें मर जाती हैं और भूमि में समा जाती हैं। ये वन बहुत घने होते हैं। भारतभर में इस प्रकार के वन पूर्वी तट पर स्थित डेल्टों में पाये जाते हैं। गंगा के डेल्टे का सुन्दर वन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

वनों का वर्गीकरण (Classification of Forests)

भारतीय वनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। चार विभिन्न दृष्टिकोणों से इनका विभाजन इस प्रकार है—

१. प्रशासन के दृष्टिकोण से -

- (१) सन्नि वन (Reserved Forests)
- (२) रक्षित वन (Protected Forests)
- (३) अविभाजित वन (Unclassified Forests)

सर्वप्रथम सन् १८६५ में बना वन महार को विदेशी सरकार ने सम्भाला और इसी वर्ष एक वन अधिनियम पास किया। वनों की रक्षा तथा विनाश के लिए कन्द्राल तथा प्रांतीय (अन राजकीय) विभागों की स्थापना की गई। वनों के सम्बन्ध में सन् १८७८ और सन् १९२७ के बीच अनेक अधिनियम भी पास किए गए। वनों का विभाजन भी उपरोक्त विधि से किया गया।

संचित (Reserve) वन वंश हैं, जिनका जलवायु तथा भौतिक कारकों सुरक्षित बनाव रखना बहुत आवश्यक होता है। इन पर कन्द्राल सरकार का कंट्रोल रहता है। **रक्षित (Protected)** वन वंश हैं जिनसे व्यापारिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। इन वनों को ठर पर उगा दिया जाता है। इन वनों पर सरकार का इतना कठोर नियंत्रण नहीं होता जितना कि संचित वनों पर। **अविभाजित (Unclassified)** वन वंश होते हैं, जिनसे सामान्य मूल्य की लकड़ा तथा चारा आदि प्राप्त होता है। इन वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। स्वयं सरकार का इन वनों पर उपरोक्त दोनों वनों का अपेक्षा नियंत्रण बहुत कम होता है।

इस समय इन वनों की स्थिति इस प्रकार है —

(वग माल)		
वन	१९५०-५१	१९५५-५६
संचित (Reserved)	१,२२,९७५	१,२८,७८१
रक्षित (Protected)	४५,५१२	६४,९११
अविभाजित (Unclassified)	६८,७२५	६४,९६६
योग	२,३७,२१२	२,६८,७०१

२. उत्पादन (Outturn) के लक्षणों में

इस दृष्टिकोण से वना का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) व्यापारिक (Merchantable) तथा
- (२) अग्राप्य (Inaccessible)।

व्यावसायिक वनों से तात्पर्य ऐसे वनों से है, जहाँ सुगमता से पहुँचा जा सकता है और ऐसी वस्तुओं को जो कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उपयोग के स्थानों तक पहुँचाया जा सकता है।

अप्राप्य वनों से तात्पर्य ऐसे वनों से है जो इतने घने व दुर्गम स्थानों पर बसे हैं कि उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे वन भयानक जंगली जीव जन्तुओं के निवास के गढ़ होते हैं।

इन वनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

	(वर्ग मील)	
	१९५०-५१	१९५५-५६
१. व्यावसायिक (Merchantable)	२,२५,७१४	२,१५,१३६
२. अप्राप्य (Inaccessible)	५१,५१८	५३,५६२
योग	२,७७,२३२	२,६८,७०१

३. संरचना (Composition) के दृष्टिकोण से

इस दृष्टिकोण से वनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) महीन पत्ती वाले (Coniferous)।

(२) चौड़ी पत्ती वाले (Broad leaved)।

इन वनों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है—

	(वर्ग मील)	
	१९५०-५१	१९५५-५६
१. महान पत्ती वाले वन	१४,१०७	६,७३६
२. चौड़ी पत्ती वाले वन .		
(अ) साल	४०,७४७	४०,४४६
(ब) टीक	१६,७८४	२२,४४५
(स) विविध	२,०५,६८४	१,६६,०७१

* India, 1960, p 214

** Ibid, 1960, p 214.

४. स्वामित्व के दृष्टिकोण से

दृष्ट दृष्टिकोण से वनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) राज्य वन (State Forests),
- (२) सस्माओं (Corporations) के वन, तथा
- (३) निजी वन (Private Forests)

सन् १९५२-५३ में इनका क्षेत्रफल क्रमशः २७०, ३ तथा १० हजार वर्ग मील था।

वनों का आर्थिक महत्त्व Importance

एक सम्पत्ति किसी देश के आर्थिक जीवन में विशेष महत्त्व रखती है। वनों का आर्थिक महत्त्व समझने के लिए हमें वनों से होने वाले विभिन्न लाभों की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। ये लाभ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष लाभ एवं परोक्ष लाभ।

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Advantages)

वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ एवं सामग्री को हम वनों के 'प्रत्यक्ष लाभ' के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) सरकारी आय—वन राजस्वीय आय का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक वर्ष सरकार को देश की वन सम्पत्ति से पर्याप्त आय होती है। ग्रीष्म रूप में सरकार का वनों से प्रति वर्ष लगभग १२ करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है।

(२) बहुमूल्य लकड़ी—वनों से बहुमूल्य इमारती लकड़ी का अनिश्चित ईंधन के उपयुक्त लकड़ी भी प्राप्त होती है। सन् १९५५-५६ में २४,४६,२८,००० रु० के मूल्य की इमारती एवं जलाने वाली लकड़ी प्राप्त हुई।

(३) कच्चा माल—भासक व लुहरे महत्वपूर्ण उद्योग अपनी कच्चे माल की उपलब्धता के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे दियाखलाई उद्योग, बागान उद्योग, रजक उद्योग, रेशम व रेयन उद्योग इत्यादि।

(४) विविध—उद्योगिक लाभों के अनिश्चित वनों से अन्य प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ, लाय, गोंद, छाल, पत्तियाँ तथा पशुचारा के लिए चारा आदि।

अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Advantages)

(१) वर्षों में सहायता—वनों से देश में वर्षों होने में उदा सहायता मिलती है। उनमें नमी बनाये रखने की शक्ति होने के कारण मानसून द्वारा उनसे और आच्छादित होती हैं जिससे समीपवर्ती प्रदेशों में वर्षा होती है।

(२) भूमि क्षरण पर रोक—देश की भूमि-क्षरण जैसी गम्भीर समस्या को

हल करने में भी वन महत्वपूर्ण योग देते हैं। वनों द्वारा मिट्टी के कटाव पर एक प्रकार की रोक लग जाती है।

(३) बाढ़ पर नियंत्रण—वन बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं क्योंकि बढ़ते हुए पानी के तीव्र वेग को पेड़ पीछे कम कर देते हैं।

(४) वन रोजगार के साधन—देश की जनसंख्या के एक भारी भाग को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है।

(५) वन तूफानी हवाओं को नियंत्रित करते हैं।

(६) वन वातावरण के तापमान को कम करते हैं।

(७) वन रेगिस्तान के विस्तार पर रोक लगाते हैं।

सरकार की वन-नीति Importance

देश की अर्थ व्यवस्था में वनों का अत्यधिक महत्व होने के कारण सरकार ने वनों के नियंत्रण एवं विकास के लिए समुचित नीति का निर्माण किया है। सव प्रथम सन् १८६४ में वन सम्बन्धी सरकारी नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अन्तर्गत देश के वनों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया था—सुरक्षित, रक्षित एवं वर्ग रहित।

इस वन-नीति की प्रमुख बातें सक्षेप में इस प्रकार हैं। विदेशी सरकार की यह नीति अधिक प्रभाव पूर्ण नहीं रही। वनों के विस्तार और सुरक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आवर्षित हुआ। वनों के योजनात्मक विकास एवं सुरक्षा के लिए १३ मई, १९५२ को राष्ट्रीय सरकार ने अपनी नवीन नीति घोषित की। इस नीति की प्रमुख बातें निम्नान्वित थीं—

(१) तटीय क्षेत्रों में समुद्री रेत के आक्रमण तथा राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तानी इलाकों को रोकने के लिए तथा भूमि के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों का पुनरोपेक्षण करना तथा वृक्षा की निरन्तर निर्दय कटाई को रोकना।

(२) इमारती तथा जलाने वाली लकड़ी की प्राप्ति के लिए तथा पशुओं के लिए चरागाह बनाये रखना।

(३) देश की जलवायु और भौतिक दशाओं में सुधार करने के लिए वृक्षा का पुनरोपेक्षण करना।

(४) निजी वनों पर सरकारी नियमन तथा नियंत्रण रखना।

(५) सरकार के लिए निरन्तर अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने में सहायता देना।

(६) ऐसी व्यवस्था करना जिससे राज्य सरकारें राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर अपनी वन नीति बना सकें।

— योजनाओं के अन्तर्गत वनों का विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केंद्राध्यक्ष एवं राज्य सरकारों द्वारा ११७० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। इसमें से २ करोड़ रुपये केंद्राध्यक्ष सरकार द्वारा और ९७० करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय किये जाने थे।

योजना में चार प्रांतों पर विशेष ध्यान दिया गया था—

- (१) जंगल मरना का प्रभाव को दूर करने के लिए वन पट्टाओं का प्रावण करने में।
- (२) भूमि उपयोग में अक्षय भाग पर ध्यान देना।
- (३) सामान्य जंगल में उलाने वाली लकड़ों का व्यवस्था करने के लिए योजना लगाना।
- (४) बुद्धिमत्ता में निवेशित जंगल का पुनर्निर्माण करना।

योजना काल में राज्य सरकारों ने ७५,००० एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में नये वन लगाये। वनों के अन्तर्गत लगभग ३,००० माल लकड़ों सड़कों का निर्माण तथा सुधार हुआ। सरकार ने निजी व्यापकता के अन्तर्गत २६ करोड़ से भी अधिक जंगलों का अपने हाथ में ले लिया। सन १९५२ में 'वन अनुसंधान संस्था' स्थापित की। इसमें अतिरिक्त 'वन्य पशुओं की सुरक्षा' तथा वन सम्बन्धी शिक्षा का प्रबंध किया। योजना काल में वन तथा भूमि की सुरक्षा पर १२ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

योजना काल के अन्त में 'एफएचएफ' (F A O) तथा (ECAF) के सहयोग से देश में लकड़ी सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया गया। इस पर्यवेक्षण का उद्देश्य लकड़ी तथा अन्य वनजाल वस्तुओं के सम्बन्ध में आश्चर्यजनक आँकड़ों एकत्रित करना था। इस पर्यवेक्षण (Survey) के फलस्वरूप वन सम्बन्धी वस्तुओं का माप और पूर्ति की सही पट्टा बन गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन विकास के लिए २७ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। केंद्रीय सरकार वन निगम योजनाओं के सम्बन्ध में शोध (Research), शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित कार्यों को राज्य सरकारों इन योजनाओं का कार्य रूप में परिष्कृत करेंगी। 'दि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' भारतीय वनों सम्बन्धी समस्याओं को मुलभूत है और उपासम्भार सहायता पहुँचाता है। देश के वनों सम्बन्धी आँकड़ों का एकत्रित करने के लिए, योजना के अन्तर्गत करने के लिए, वन सम्बन्धी शिक्षा की तांत्रिक क्षमता का विकास करने के लिए 'वन आयोग' स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों की सन्निधि रूपरेखा इस प्रकार है —

(१) वन क्षेत्रफल में वृद्धि—नहरा, सड़का, व बेकार भूमि पर वृक्षा को लगा कर वन क्षेत्रफल में लगभग ३,८०,००० एकड़ की वृद्धि की जावेगी।

(२) औद्योगिक एवं व्यापारिक महत्त्व की मूल्यवान लकड़ियाँ वाले वृक्षा का आरक्षण किया जावेगा ॥

(३) वन वसाधियों तथा वस्तुओं को प्राप्त करने के साधन में सुधार एवं विकास किया जावेगा।

(४) वन सम्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त आँकड़ें एकत्रित करवाये जायेंगे।

(५) वन सम्बन्धी अनुसंधान का विस्तार किया जावेगा।

(६) वन सम्बन्धी कार्यों के लिए पर्याप्त सख्या में कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे और उनका आवास भी व्यवस्था की जावेगी।

वन-सम्पत्ति की रक्षा एवं वन-महोत्सव

जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वन हमारे आर्थिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश की प्रगति तथा पर निर्भर करती है। परन्तु वर्षा को पर्याप्त एवं नियमित रूप में प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने देश की वन-सम्पत्ति की रक्षा करें तथा उसका उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास करते जायें। परन्तु खेद का विषय है कि लगभग पिछले ५० से अधिक वर्षों के बीच हमारे देश की वन-सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँची है। प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध तथा तत्पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में वृक्ष भारी मात्रा में इमारती लकड़ी की आवश्यकता पड़ने तथा निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप नई नई बस्तियाँ व आवास होने, नये-नये उद्योगों की स्थापना, स्कूल, कालेज तथा अन्य इमारतों का निर्माण के कारण देश की वन सम्पत्ति का भारी उपयोग हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि वना की रक्षा की जाय। इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के प्रथम रविवार को 'वन महासत्र' मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों में पौधे लगाये जाते हैं। परन्तु अबल नये नये पौधों को लगा देने मात्र से ही हमारा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रति वर्ष 'वन महासत्र' के अवसर पर लगाये गये वृक्षा का अधिकांश अनायास वास्तविक आयु तक पहुँचने के पूर्व ही मर जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनका उचित देख रेखा रखें।

खनिज सम्पत्ति

(Mineral Resources)

खनिज सम्पत्ति किसी देश की समृद्धि के सात होता है। खनिज सम्पत्ति

कारण ही आज इंग्लैंड सखार में इतना समृद्धिशाली उद्योग प्रधान देश बन गया है। रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस व अन्य योरोपियन देशों की उन्नति का एकमात्र कारण उनकी धनवान् एनिज सम्पत्ति व उसका निदोहन है। हमारे देश में कुछ एनिज पदार्थों जैसे सीसा, जिंक, ताँबा, गंधक तथा पेट्रोलियम को छोड़कर और सभी एनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं। वह एनिज पदार्थ देश की अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं और इन्होंने उत्पादन तथा यातायात के आधुनिक तरीकों में क्रान्ति दी है।

१९५८ में भारतवर्ष में एनिज कार्य में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे और ३,२०० एनार्स में काम हो रहा था। अधिक महत्वपूर्ण एनिज केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। १९५७ में एनार्स से १ अरब २६ करोड़ २० लाख रुपये का मूल्य के एनिज पदार्थ निकाले गये। १९५६ में इनका परिमाण सम्बन्धी सूचनाक ११६.५ (आधार वर्ष १९५१ = १००) था। विभिन्न पदार्थों का विस्तार में अध्ययन इस प्रकार है :—

अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भंडार २१ अरब टन का है जो सखार के कुल भंडार का एक चौथाई है। उड़ीसा, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हेमेटाइट लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में लाइ-गोनाइट लोहे का काफी बड़ा भंडार है। देश में सभी प्रकार के लोहे का भंडार लगभग ६.७६ अरब टन का है।

कोयला

सततन्त भारत की नीच मुख्यस्थित अर्थ व्यवस्था पर लड़ी करने के लिए आजादी के बाद देश में बहुत से विकास कार्य शुरू हुए हैं। देश के औद्योगीकरण के लिए कोयला और इस्पात उद्योगों के विकास को प्रधानता दी गई है। दूसरी योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में २५ हजार वर्ग मील में ६० अरब टन सभी प्रकार के कोयले के भंडार होने का अनुमान है। यह दुनिया भर के कोयले के भंडारों का पाँचवाँ भाग है। भारत का कोयला क्षेत्र ब्रिटेन के कोयला क्षेत्र से तिगुना है।

कोयले की खुदाई का काम हमारे देश के लिए नया नहीं है। प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि सन् १७७४ में रानीगञ्ज में काम गहरी एनार्स थीं। इससे ४० साल बाद कोयले का काम नये सिरे से शुरू हुआ और १९ वीं सदी के मध्य तक रानीगञ्ज में बहुत-सी कोयला एनार्स खोदी गईं।


प्रमुख कोयला क्षेत्र रानीगञ्ज, भरिया, गिरीडीह, बोकारो, पेंड, चाँदा घाटी तथा गोडवाना हैं।

१९५५ में दूसरी योजना के शुरू में देश में ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला जाता था। दूसरी योजना के ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य का पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन २ करोड़ २० लाख टन बढ़ाना है।

निजी कोयला खानों के उत्पादन में १ करोड़ टन और सरकारी खानों के उत्पादन में १ करोड़ ३० लाख टन वृद्धि से इस कमी के पूरा होने की आशा है। १९५८ में इन खानों से निजी क्षेत्र में ३ करोड़ ६५ लाख टन और सरकारी क्षेत्र में ५७ लाख टन कोयला निकाला गया। सन् १९५६ में दोनों क्षेत्रों में ४ करोड़ ६४ लाख टन कोयला निकाले जाने का अनुमान है।

रुग्ना लोहा (Iron Ore)

लौह उत्पादक देशों में भारत का ६वाँ स्थान है। सन् १९५८ में ६० लाख



चित्र ३—भारत के खनिज पदार्थ

मीट्रिक टन बच्चे लोहे का उत्पादन हुआ और जून १९५६ तक ३७,७१,००० टन लोहा निकाला गया। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में १३५ लाख टन बच्चे लोहे का लक्ष्य रखा गया है। बच्चे लोहे के प्रमुख खनिज क्षेत्र बिहार और उड़ीसा राज्यों में स्थापित

हैं। अनुमान है कि यदि १५ लाख टन लोहा प्रति वर्ष निर्यात जाय तब भी कच्चे लोहे का कोष १,००० वर्ष के लिए पर्याप्त होगा।

मैंगनीज (Manganese)

भारत, मैंगनीज पैदा करने वाले सभार के देशों में तीसरा महत्वपूर्ण देश है। यहाँ प्रति वर्ष औसतन १५ लाख टन से अधिक मैंगनीज निर्यात जाता है। यह दुल विश्व के उत्पादन का ३ है। इसका प्रयोग स्नान, रासायनिक पदार्थ, बिजली तथा सीस की वस्तुएँ बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन अधिकतर मध्य प्रदेश, मद्रास व मैसूर में होता है। दुल उत्पादन का १०% देश के काम में लाया जाता है और शेष भाग ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है।

अनुमान है कि मैंगनीज का महार लगभग १५ करोड़ टन है, जिसमें से ६ करोड़ टन बढ़िया किस्म के हैं और शेष घटिया प्रकार के हैं, जिसमें मैंगनीज धातु ५० प्रतिशत या इससे कम होती है। बढ़िया किस्म का मैंगनीज प्राय १० लाख टन प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है या फ़ैरो मैंगनीज के उत्पादन के काम में लाया जाता है और घटिया किस्म का मैंगनीज फ़ैर दिया जाता है।

२५ ३० वर्ष पहले मैंगनीज धातु का धातुमर्मित उपयोग में कोई प्रयोग नहा होता था, क्योंकि धातु का मिल्लुल पालिस आदार बनाना कठिन था।

द्वितीय योजना में कच्चे मैंगनीज के उत्पादन का लक्ष्य २० लाख टन रखा गया है। १९५८ में कच्चे मैंगनीज का उत्पादन १२ लाख ५३ हजार मीट्रिक टन और निर्यात ६ लाख ७६ हजार मीट्रिक टन हुआ। इस प्रकार इस वर्ष निर्यात ५०% घट गया।

अभ्रक (Mica)

भारत में अभ्रक की पैदावार सभार में सबसे अधिक और सबसे बढ़िया किस्म की होती है। हमारा देश सभार का ८०% अभ्रक पैदा करता है। भारत में अभ्रक आंध्र प्रदेश (६०० वर्ग मील), बिहार (१,५०० वर्ग मील) तथा राजस्थान (१,२०० वर्ग मील) से प्राप्त होता है। बिहार में सर्वाधिक अभ्रक प्राप्त होता है। भारत अपने उत्पादन का अधिकतर ब्रिटेन को निर्यात कर देता है। १९५१ में १२,५२,६७,७०१ रुपये का अभ्रक निर्यात किया गया। इतना निर्यात उसका बाद किसी भी वर्ष में न हो सना, यद्यपि प्रयत्न किये जाते रहे हैं। १९५७ में अभ्रक के निर्यात ८,८७,६६,५५८ रुपये के मूल्य के थे। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से 'अभ्रक निर्यात समर्पण समिति' की स्थापना की गई है। सन् १९५८ में ३,१८,११००० मीट्रिक टन अभ्रक खानों से निर्यात गया जिसका मूल्य २,५१,६६००० रुपये था।

ताँबा (Copper)

ताँबे के उत्पादन में सभार में भारत का १३ वाँ नम्बर है। ताँबा बिहार की

एक ८० मील की पट्टी में पाया जाता है। १९५८ में कच्चा तॉंग का उत्पादन ४,११, ४७१ मीट्रिक टन हुआ जिसका मूल्य २,०६,६८००० रुपये था।

सोना (Gold) 330 959 J240/25885

भारत में सोना के उत्पादन का केवल दो प्रतिशत सोना ~~प्राप्त हुआ है~~ है। मैसूर राज्य की कोलार सोना खानों में सम्भवतः १२६० लाख टन सोने का भण्डार है। भारत के कुल उत्पादन का ९९ प्रतिशत मैसूर की कोलार खानों से निकलता है। १९५८ में ५,२८८ किलोग्राम (१,७०,११२ औंस) सोने का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ४,६६,८८००० रुपये था।

बाँक्साइट (Bauxite)

बाँक्साइट का प्रयोग अचिन्तार अल्यूमिनियम के उपयोग में होता है। यह भारत में व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्मू, मद्रास, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिला कर इसके लगभग २५ करोड़ टन के भण्डार की सम्भावना है। न्यूनतम अनुमान के अनुसार भारत में २८० करोड़ टन बढ़िया किस्म के बाँक्साइट का भण्डार है जिसमें से लगभग एक तिहाई भाग बिहार में है। सन् १९५७ में १,३६,०६८ मीट्रिक टन बाँक्साइट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १२,८४,००० रुपये था।

क्रोमाइट (Chromite)

क्रोमाइट मुख्यतः उड़ीसा, बिहार तथा मैसूर में मिलता है, भारत में कुल १३२० लाख टन टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। इसका उपयोग लोहे, इस्पात तथा क्रोमियम लाल आदि उद्योगों में होता है। सन् १९५८ में ६३,६५७ मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन किया गया जिसका मूल्य ३१,८६००० रुपये था।

इलमेनाइट

यह मुख्यतः भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों के किनारे की रेत में पाया जाता है। भारत में इसके ३५ करोड़ टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। सन् १९५८ में ३,१४,१२२ मीट्रिक टन इलमेनाइट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १,८३,३६००० रुपये था।

नमक (Salt)

भारत में नमक मुख्यतः समुद्रतट स्थित नमक कारखानों, मद्रास तथा राजस्थान की भीलों और हिमाचल प्रदेश की सेंधा नमक की खानों से पाया जाता है। सन् १९५८ में नमक (सेंधा नमक छोड़कर) का उत्पादन ४२,२७००० मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ८,४३,३५००० रुपये था।

विभिन्न अलौह खनिज पदार्थ

अलौह खनिज पदार्थों में से जो अणु खिलवटन के लिए प्रयुक्त होते हैं,

भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास

'वेरिल' राजस्थान और 'मोनाजाइट' केरल में मिलता है। बिहार में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ यूरेनियम निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त पिटकरी, एपाटाइट (एक प्रकार का नमक), सलिया, ऐस्बस्टस, बेरियम सल्फेट, फेल्वपार, रेड, गार्नेट (लाल खनिज), काला सीसा, स्फटिक, शोरा तथा स्ट्रियाटाइट धातुएँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जिप्सम (८८१ करोड़ टन का सम्भावित भंडार) मम्बई, मद्रास तथा राजस्थान में पाया जाता है। एपाटाइट के भण्डार मद्रास तथा बिहार में हैं जिनसे २० लाख टन एपाटाइट सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है।

सन् १९५८ में विभिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा उसका मूल्य इस प्रकार

खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य) १९५८*

	परिमाण (Quantity) (मीट्रिक टन में)	मूल्य (हजार रुपये) (Value)
धातु खनिज पदार्थ		
लोह		
क्रोमाइट (टन)	६३,९५७	३,१८६
लोहा (टन)	६१,३०,०००	४,८,४९१
मैंगनीज (टन)	१२,५३,०००	११,२,४२९
अलौह		
थॉक्साइट (टन)	१,३९,०९८	१,२८४
ताँबा (टन)	४,११,४७१	२,२,६६८
सोना (किलोग्राम)	५,२९१	४,९,९८८
इलेमेनाइट (टन)	३,१४,१४२	१,८,३३९
सीसा (टन)	५,३४१	१,९३७
चाँदी (किलोग्राम)	३,४१६	५४८
जस्ता (टन)	७,३९१	२,०४९
धातु मिश्र खनिज पदार्थ		
हीरा (कैरेट)	१,५४०	३७०
मरन्त (एमराल्ड) (कैरेट)	८०,०००	५०
जिप्सम (टन)	७,९४,३९२	५,२१२
कच्चा अभ्र (टन)	३१,८११	२,५,१९६
नमक (सैधा नमक की छोट्टकर) (टन)	४२,२७,०००	८,४,३३५

भारतीय खान व्यूरो

दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जो अधिक जोर दिया गया है उसे देखते हुए भारतीय खान व्यूरो का कार्य विशेष महत्त्व रखता है। खनिज साधनों के विकास और उपयोग के बारे में इस व्यूरो को जो विधिवत् काम सौंपा गया

है उसके अलावा भी इस ब्यूरो को बहुत सभानित एनिज पदार्थों का पता लगाने और उनकी खुदाई का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरा करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्यूरो ने निम्न महत्वपूर्ण (सर्वे) पर्यवेक्षण कार्य किया —

(१) राजस्थान में खेतड़ी और दरीगो-तांज भंडारों का पर्यवेक्षण।

(२) पन्ना की हीरा ताना का पर्यवेक्षण।

(३) अमजोर मास्कीक का पर्यवेक्षण।

इनके अलावा ब्यूरो को कोयला भंडारों का पता लगाने और खुदाई का काम भी सौंपा गया था। जनवरी, १९५६ के अन्त तक १४६,६०० मीटर तक की खुदाई की जा चुकी थी जिससे ७,८३७५ लाख टन कोयले का पता लग चुका था। अक्टूबर, १९५६ के अन्त तक ८,००० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ब्यूरो ने अभी हाल में उड़ीसा के विरोबुद नामक स्थान में एनिज लोहे का पता लगाने का काम भी हाथ में लिया है।

उड़ीसा एनान निगम—उड़ीसा एनान निगम की स्थापना १५ नवम्बर १९५६ में, सार्वजनिक क्षेत्र में एनिज साधना का उपयोग करने के बारे में सर्वे करने के लिए की गई थी। इस निगम ने पहली जुलाई १९५७ से लेकर २८ फरवरी, १९५६ तक की अवधि में दो ताना पर काम किया। इन दोनों तानों से ७७,१४६ टन कच्चा लोहा निराला गया।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम—राष्ट्रीय एनिज विकास निगम १५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से १५ नवम्बर, १९५८ में स्थापित किया गया था। यह निगम तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को छोड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र में एनिज साधना से लाभ उठाने का सर्वे करेगा। दीर्घकालीन आधार पर जापान की इत्याद मिला को कच्चा लोहा देने के बारे में भारत सरकार का जापान सरकार से एक समझौता हुआ।

शक्ति ससाधन

(Power Resources)

शक्ति ससाधनों अथवा स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) क्षय (Exhaustible) साधन—ये शक्ति के संचित कोष हैं जैसे कोयला, एनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस, और

(२) अक्षय (Inexhaustible) साधन—ये वे साधन हैं जिनकी पूर्ति प्रकृति के द्वारा निरन्तर होती रहती है, जैसे जलप्रपात (Water falls), हवाएँ तथा ज्वार भाटे (Tides)। हवाओं व ज्वार भाटे से शक्ति का उत्पादन एकदम प्रकृति के ऊपर निर्भर है।

किसी भी देश की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति उसने व्यावसायिक (Commercial) शक्ति के साधनों—कोयला, विद्युत तथा तेल—पर निर्भर होती है। यद्यपि भविष्य में प्रमाणिक शक्ति (Atomic energy) भी व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त हो सकेगी परन्तु उसका प्रभाव भविष्य में अधिक प्रमाणपूर्ण होने की सम्मानना नहीं है। कोयला, जिसने औद्योगिक क्रान्ति के समय में अन्य अव्यावसायिक शक्ति के साधना जैसे लकड़ी आदि की प्रतिस्थापित कर दिया, की महत्ता तेल के सामने २०वां शताब्दी के प्रारम्भ में कम होती जा रही है। सत्य तो यह है कि ऐसा परिवर्तन सिद्धने तीस बरों से हुआ जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है —*

संसार में कार्य साधन रीति से प्रयुक्त शक्ति का आधार
(World Pattern of Effectively Utilised Energy)

	कुल का प्रतिशत अंशदान	
	१९२५	१९५५
कोयला तथा लिग्नाइट (Coal and Lignite)	७७	४५
पेट्रोलियम ईंधन तथा प्राकृतिक गैस (Petroleum Fuel and Natural gas)	२०	४९
जल विद्युत (Hydro-Electricity)	३	६
योग	१००	१००

शक्ति के साधनों के लिए योरोप और समुक्त राज्य अमेरिका कोयला भण्डारों से मध्यपूर्व (Middle east) तथा करीबियन (Caribbean) के तेल क्षेत्रों की ओर निरन्तर बढ़ते रहे हैं। संसार में कुल तेल का उत्पादन भी काफी बढ़ गया है। १९२० में तेल का कुल उत्पादन १०० मिलियन टन था जो कि बढ़कर १९५७ में ८०० मिलियन टन हो गया। जल विद्युत का उत्पादन भी संसार में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, परन्तु उसका संसार की कुल शक्ति प्रदाय (Supply) में योगदान अल्प ही अपेक्षाकृत बहुत कम है।

औद्योगिक दृष्टि से अविभक्त अन्य देशों की भांति भारत में भी शक्ति के साधन मिला हैं। भारत की कुल शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं की लगभग ८०% पूर्ति इस समय गोर (Animal dung), लकड़ी, कृषि की बेकार बस्तुओं (Agricultural Waste) इत्यादि, तथा जीवित शक्ति (मानवीय तथा वायविक) से होती है, तथा शेष २०% शक्ति कोयला, तेल तथा बिजली से प्राप्त होती है। यदि

*Supplement of 'Capital' of 10th July, 1958, P 69

(३) कालटेक्स, विशाखापट्टनम, और

(४) असम ऑयल कम्पनी, डिगोई (असम) ।

डिगोई रिफाइनरी (असम) सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसका वार्षिक उत्पादन ६० मिलियन गैलन है जो कि देश की कुल आवश्यकता का ७% पूरा करता है। उपरोक्त चारों रिफाइनरीज की उत्पादन क्षमता ४ मिलियन टन है और देश की वर्तमान मांग ५ मिलियन टन है। इससे अतिरिक्त प्रतिवर्ष तेल की मांग में ८% वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दो और रिफाइनरीज सार्वजनिक क्षेत्र में ७म और ऋद्धार में खोली जाएगी। भारत में कच्चा तेल (Crude-oil) आयात किया जायगा और इन रिफाइनरीज में साफ किया जायगा, इस प्रकार १० करोड़ रुपये प्रति वर्ष सालाना की वचन होगी। रिजर्वी का उत्पादन बढ़ने पर इसका आयात कम हो जायगा।

त्रिपुरा राज्य, पश्चिमिया (असम) तथा काँगड़ा (पंजाब) जिलों में तेल क्षेत्र पाये जाने की सम्भावना है, परन्तु फिर भी और अधिक तेल प्राप्त करने की समस्या अभी ही रहेगी। देश के वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक विचार की दर के अनुसार १९६१ में ७५ मिलियन टन से अधिक और १९७१ तक २० मिलियन टन से अधिक कच्चे तेल (Crude Oil) की आवश्यकता होने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार १९६५ तक इन भारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ३५० करोड़ रुपये के विनियोग की और १९७० तक इस विनियोग के दुगुने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार तेल उद्योग में भारी पूंजी निर्माण की आवश्यकता होगी, अन्यथा तेल की पूर्ति के साधन खूब जायेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इसमें पंजाब के काँगड़ा जिले, राजस्थान के जय कलमेर तथा कच्छ के काम्बे क्षेत्रों में तेल के अनुसन्धान सम्बन्धी पर्यवेक्षण कराने की योजना थी। १९५१ तथा १९५५ में भारत सरकार ने Standard Vacuum Oil Co. Ltd., से पश्चिमी बंगाल के बेरिन में संयुक्त रूप से तेल की खोज करने का एक समझौता किया है। योजना की प्रगति की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात हुआ है कि इन समझौते के अनुसार उचित रीति से कार्य चल रहा है।

केन्द्रीय प्राकृतिक साधन एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग ने १९५५ में तेल एवं प्राकृतिक गैस विभाग (Oil and Natural Gas Division) तथा १९५५-५६ में जयकलमेर क्षेत्र में विभागीय तेल खोज (Departmental Exploration of Oil) प्रारम्भ की। तेल खोज कार्य के समन्वय में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा से प्राविधिक (Technical) सहायता भी प्राप्त हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इसमें तेल-क्षेत्रों के अन्वेषण तथा विनास कार्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जयकलमेर, काम्बे तथा बालासुन्दी में

होने वाले कार्यों के लिए ११५ करोड़ रुपये का प्राविधान था, जो कि राशि में बढ़ा कर २० करोड़ रुपये कर दिया गया।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले खोज कार्यों में काफी प्रगति हुई है। १९५८-५९ में लगभग ८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। पश्चिमी बंगाल बेसिन में अन्वेषण कार्य जारी है। नाहोरकटिया तेल क्षेत्र के विद्रोहन के लिए तथा एक पाइप लाइन बनाने एवं चलाने के लिए भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी की साझेदारी में रूपी कम्पनी का निर्माण हुआ है। इस चच्चे तेल के शोधन के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में दो रिफाइनरीज बनाने का विचार है। पाइप लाइन का निर्माण तथा रिफाइनरीज की स्थापना दो चरण (Stages) में की जावेगी। प्रथम चरण में नाहोरकटिया से गौहाटी तक एक पाइप लाइन डाली जावेगी जहाँ कि ७५ मिलियन टन की क्षमता की एक रिफाइनरी बनाई जावेगी। दूसरे चरण में पाइप लाइन बरौनी तक बढ़ा दी जावेगी जहाँ कि दूसरी रिफाइनरी बनाई जावेगी, जिसकी उत्पादन क्षमता १५ से २० मिलियन टन की होगी। रूपी कम्पनी तथा गौहाटी में बनने वाली रिफाइनरी में सरकार २४ करोड़ रुपये द्वितीय योजना काल में व्यय करेगी।

सितम्बर १९५८ में काम्बे में ६,५०० फीट की गहराई पर तेल पाया गया है। भद्रिय में और तेल कूपा के पाये जाने की सम्भावना है।

१९५७ में मध्य पूर्वाय देशों (Middle east) से २८,२६,२६,००० रुपये के मूल्य का क्रूड पेट्रोलियम आयात किया गया। १९५८ के प्रथम ८ महीनों में यही आयात ६,६७,०५,००० रुपये के मूल्य का किया गया।

पेट्रोलियम की विकास योजनाएँ

तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन—तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने तेल की खोज का काम और भी जोरों से शुरू कर दिया है। पञ्जाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल के लिए प्रारम्भिक खुदाई का काम हो रहा है। वहाँ गैस होने में भी कुछ संकेत मिले हैं। पञ्जाब के होशियारपुर क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर एक कुआँ भी खोदा गया है। असम के शिवसागर क्षेत्र में भी प्रारम्भिक खुदाई का काम जल्दी ही शुरू किया जायगा। उड़ीसा क्षेत्र में ऊपरी सतह की खुदाई का काम हो रहा है। वहाँ गैस और तेल होने की सम्भावना का पता चला है।

भारत स्टैंडर्ड वैक्युम पेट्रोलियम परिधोजना—इस योजना का अधीन जिसमें सरकार के २५ प्रतिशत हिस्से हैं, स्टैंडर्ड वैक्युम आयल कम्पनी पश्चिमी बंगाल के बेसिन में तेल की खोज का काम कर रही है।

आयल इण्डिया लिमिटेड—यहाँ आयल कम्पनी और असम आयल कम्पनी के साथ एक समझौते के अधीन १८ फरवरी, १९५९ को 'आयल इण्डिया

लिमिटेड' के नाम से एन कम्पनी स्थापित की गई। इसमें सरकार के २२% प्रतिशत हिस्से हैं। यह कम्पनी आसाम के नाहोरफटिया तेल क्षेत्रों से बिना साफ किया तेल निकालेगी और एक पाइप लाइन के जरिये यह तेल असम और विहार में स्थापित किये जाने वाले तेल साफ करने के कारखाना तक पहुँचायेगी। पाइप लाइन बनाने का काम दो चरणों में पूरा होगा। तेल साफ करने के इन कारखानों के निर्माण और संचालन के लिए इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से एक सरकारी कम्पनी गठित की गई है। असम में खोले जाने वाले तेल साफ करने के पहले कारखाने लिए मशीनों तथा टेक्निकल सहायता प्राप्त करने के लिए रूसानिया सरकार का एक समझौता कर लिया गया है। विहार के जौनी नामक स्थान में खोले जाने वाले दूसरे कारखाने के लिए विदेशों से इसी तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्राकृतिक गैस—आसाम के नाहोरफटिया क्षेत्र में तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का काफी बड़ा भंडार होने का पता चला है। इस सम्बन्ध में अभी जाँच पड़ताल हो रही है कि इस गैस का उपयोग करने के लिए वहाँ कौन कौन से उपयोग स्थापित किये जायें।

विद्युत शक्ति के स्रोत (साधन) (Electric Power Resources)

तीसरी शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति हुई। मार्च, १९५६ में औद्योगिक उपयोग के विद्युत संयंत्रों (Plants) की प्रस्थापित क्षमता (Installed Capacity) ३५,११,५८६ किलोवाट थी। इसी अवधि में विद्युत-उत्पादन भी अक्षर १२ अरब ६६ करोड़ ४० लाख किलोवाट हो गया।

भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कवल ३५ किलोवाट घंटे है, जब कि जापान, कनाडा, प्रिटेन, रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन क्रमशः ७,२५०, ५,४५०, २,०००, ६६०, तथा ८५० किलोवाट घंटे है।

पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिमी घाट की नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ तथा मध्यपूर्व भारतीय पठार की नदियाँ का सम्बन्ध में केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग, द्वारा किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि इस आयोग (Commission) की रिपोर्ट में सुझाई गई ११५ बड़ी योजनाओं से लगभग १ ४७ करोड़ किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४१० करोड़ किलोवाट से अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

विद्युत विकास सम्बन्धी सगठन

भारत में विद्युत-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था लम्बे समय तक

१९१० के 'भारतीय विद्युत अधिनियम' के अनुसार होती रही। १९४८ में पारित 'विद्युत् (उपलब्धि) अधिनियम' के अनुसार १९५० में 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकारी समग्र'।



चित्र ४—शक्ति के साधन

की स्थापना हुई और इसके अंतर्गत असम, केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में विद्युत मंडल (बोर्ड) स्थापित किये जा चुके हैं। स्वामित्व तथा उपभोग

१९२५ तक विद्युत् विद्यास का कार्य मुख्यतः शाहंवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। गत दसरे दशक में ही कुछ राज्यों में विद्युत्-विकास योजनाओं पर कार्य करना आरम्भ किया गया। मार्च १९५६ में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली ३६८ प्रतिशत विद्युत् पर प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था।

१९५८-५९ में घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक, सार्वजनिक प्रकाश तथा टिंवाई आदि की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३६१८ लाख उपभोक्ताओं ने विद्युत् का उपयोग किया।

गाँवों में बिजली

कुछ बड़े विद्युत् केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली पैदा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक केरल आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ही कुछ प्रगति हुई है। मार्च १९५६ के अन्त में ५,६१,१०८ कम्पों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी। दोनों योजनाओं की विस्तृत योजनाएँ

प्रथम योजना के आर्गेनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत् विकास योजनाएँ सम्मिलित हैं। उनमें से बड़े बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी योजना कार्य थे—मायदा नगल, हीराकुड, १२ घाटी कारपोरेशन, चम्बल, सिन्द, कोयना तथा कोची।

प्रथम योजना काल में जिन मुख्य विद्युत् योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा जिनमें विद्युत्-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे इस प्रकार हैं—

प्रस्थापित क्षमता (किलोवाट)
[Installed Capacity Kwt.]

१. नगल (पंजाब)	४८,०००
२. बोकारो (बिहार)	१,५०,०००
३. चोल (कलकत्ता, मध्य प्रदेश)	५४,०००
४. तापरनेड़ा (मध्य प्रदेश)	३०,०००
५. मोयार (मद्रास)	३६,०००
६. मद्रास नगर सयन्त्र (Plant) विस्तार (मद्रास)	३०,०००
७. मचकुण्ट (आन्ध्र प्रदेश—उड़ीसा)	३४,०००
८. पथरी (उत्तर प्रदेश)	२०,०००
९. शारदा (उत्तर प्रदेश)	४१,४००
१०. सेनगुलम (केरल)	४८,०००
११. जोग (मैसूर)	७२,०००

मार्च १९५१ में विद्युत् उत्पन्न करने वाले सयन्त्रों (Plants) की कुल प्रस्थापित क्षमता (Installed Capacity) २.३ मिलियन किलोवाट थी। प्रथम योजना काल में इस क्षमता १.१ मिलियन किलोवाट की वृद्धि हुई। योजना काल में ३,७०० अतिरिक्त कम्पों तथा गाँवों में बिजली पहुँचाई गई और प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग १९५०-५१ के १४ यूनिट से १९५५-५६ में २५ यूनिट हो गया।

द्वितीय योजना काल में विद्युत् सयन्त्रों की क्षमता ३.४ मिलियन किलोवाट से ६.६ मिलियन किलोवाट करने का निश्चार है। इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को सरकारी व निजी सयन्त्रों तथा हाइड्रो एवं थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र में ४२७ करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में ४२ करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है।

द्वितीय योजना के अन्त तक १८,००० कर्मों व गावों में बिजली पहुँच जायेगी और बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग १६६० ६१ तक ५० यूनिट हो जायेगा।

द्वितीय योजना काल में कुल मिलाकर ४२ विद्युत्-उत्पादन योजनाएँ प्रारम्भ की जायेंगी जिनमें से २३ जल विद्युत् योजनाएँ तथा १९ वाष्प शक्ति योजनाएँ होंगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए १ करोड़ १८ लाख किलोवाट कर दी जायगी। अणु शक्ति से भी ३ लाख किलोवाट बिजली बनाई जायगी। आशा है कि इस योजना काल में १५००० गाँव और छोटे कस्बों में बिजली लगाई जायगी, जिससे इनकी कुल संख्या ३४,००० हो जायगी।

मानव-शक्ति

(Human Resources)

किसी देश की जनसंख्या का परिमाण और उसके गुण उस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक स्थिति पर प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अतः अतीत काल से अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा देशभक्तों में इस बात को लेकर कि किसी देश में अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए कितनी जनसंख्या का होना उपयुक्त है, वाद विवाद होता रहा है। सामान्यतः एशियाई देशों की जनसंख्या निरन्तर अबाध गति से बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि से उन देशों की उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पडा है, और इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि एक प्रमुख आर्थिक-सामाजिक समस्या बन गई है। भारत स्वयं इस श्रेणी में आता है।

भारत की जनसंख्या और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन औद्योगिक विकास की किसी भी योजना के लिए सर्वथा आवश्यक है।

संसार की सबसे अधिक जन संख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। १९५१ की अंतिम जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ३५,६८,७६,३६४ थी। इसमें सिक्किम की जनसंख्या (१,३७,७२५) तो सम्मिलित थी, परन्तु असम के 'ल' भाग के आदिम जलीय क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य की नहीं। १९५८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या अनुमानतः ३६ ७५ करोड़ थी जिनमें जम्मू तथा कश्मीर, पण्डिचेरी और सिक्किम का जनसंख्या भी सम्मिलित थी।

भारत के राज्यों तथा क्षेत्रीय सघों के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या निम्न तालिका में दी गई है—

राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या*

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या
भारत राज्य :	१२,५६,७६७	३६,११,५१,६६६
असम	८८,८६६	६०,४३,०००
आन्ध्र प्रदेश	१,०६,०५२	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,१६२	१,४६,४५,६४६
उत्तर प्रदेश	१,१३,४५२	६,३२,१५,७४२
केरल	१५,००३	१,३५,४६,११८
जम्मू तथा काश्मीर	८६,०८४	४४,१०,०००
पंजाब	४७,०८४	१,६१,३४,८६०
पश्चिमी बंगाल	३३,६२८	२,६३,०२,३८६
रामेश्वर	१,६०,०३८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,१६८	३,८७,८३,७७८
मद्रास	५०,१३२	२,६६,७४,६३६
मध्य प्रदेश	१,७१,२१०	२,६०,७१,६३७
मैसूर	७४,१२२	१,६४,०१,१६३
राजस्थान	१,३२,१५०	१,५६,७०,७७४
संघीय क्षेत्र :		
अण्डमन तथा निकोबार द्वीप समूह	३,२१५	३०,६७१
दिल्ली	५७३	१८,४४,०७२
मणिपुर	८,६२८	५,७७,६३५
लक्षद्वीप, मिनिस्त्रॉप तथा अमीन दीवी		
द्वीप समूह	११	२१,०३५
हिमाचल प्रदेश	१०,८००	११,०६,४६६
त्रिपुरा	४,०३६	६,३६,०२६

भारतीय जनसंख्या और उसके प्रमुख लक्षण

(१) जन्म दर तथा मृत्यु-दर—अभिज्ञान जन्म तथा मृत्यु कबोकि पंजीकृत (Register) नहीं कराई जा पाती, इसलिए पंजीकरण के आंकड़ों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना के आँकड़ों में भिन्नता मिलती है। १९४१-५० के दशक में पंजीकृत जन्म दर २८ तथा पंजीकृत मृत्यु दर २० थी। १९५७ में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म दर २१.५ तथा मृत्यु दर ११.० थी।

१९५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ६४७ स्त्रियों थीं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या लगभग ४५% प्रतिशत है। जनसंख्या में स्त्रियों की कमी का प्रधान कारण उचित देखभाल न होने के कारण उनकी मृत्यु दर का अधिक होना है।

(२) काम करने वाली आयु के व्यक्तियों का कम अनुपात—जनसंख्या के आंकड़ों से आयु विभाजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उससे किसी देश की कार्य शक्ति का परिचय मिलता है। अन्य उन्नत देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ही थोड़ा ऐसे व्यक्ति हैं, जो पचास साल से अधिक जीवित रहते हैं। योरोप में अधिकतर एक व्यक्ति के कार्य करने का समय २० से ६० साल माना जाता है जब कि हमारे यहाँ यह कार्य माल १३ से ४० साल है। इस प्रकार कुल जनसंख्या में हमारे यहाँ कार्य करने वाली जनता का अनुपात ४२ प्रतिशत रहता है, जबकि इंग्लैंड में वह ६२ प्रतिशत और फ्रांस में ५२ प्रतिशत है। इसका प्रधान कारण हमारे यहाँ अत्यधिक शिशु और माल मृत्यु-दर है।

(३) जनता का हीन स्वास्थ्य और कार्यक्षमता—केवल जीवित लोगों की संख्या से ही हम उनकी कार्यक्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त सुविधाओं की ओर भी दृष्टि डालनी होगी। इस दृष्टि से हमारी जनसंख्या की अवस्था बहुत ही निराशाजनक है। आवश्यक पौष्टिक भोजन, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं के अभाव में उनकी विरम और कार्यक्षमता का गिरा होना स्वाभाविक ही है।

(४) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता—अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश की अधिकांश जनसंख्या का कृषि जैसे प्राथमिक उद्योग पर निर्भर रहना उसकी निर्धनता का सूचक है। इसका विपरीत उद्योगों, यत्नायत तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं में जनसंख्या के अधिक अनुपात का लगा होना उसकी समृद्धि का सूचक है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ३६.१ करोड़ जनसंख्या में से २४.६ करोड़ व्यक्ति कृषि तथा शर्की १०.७ करोड़ अन्य धन्धों पर निर्भर हैं। ८.६५ करोड़ काम करने वाला में से ७.१ करोड़ कृषि, ६० लाख उद्योगों, ६० लाख व्यापार तथा स्वास्थ्य, ३० लाख शिक्षा और शासन सेवाओं में तथा ५ लाख व्यक्ति अन्य घरेलू सेवाओं इत्यादि कार्यों में लगे हुए हैं।

(५) शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या—देश की कुल जनसंख्या में से ६.१६ करोड़ अथवा १७.३ प्रतिशत व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २६.५० करोड़ अथवा ८२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में। १९४१-१९५१ के दशक में शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की कमी हुई। देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८,०८८ गाँव हैं।

(६) परिवार नियोजन—बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए १९५१ की जनगणना रिपोर्ट में परिवार नियोजन का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्थिर जनसंख्या ही विद्यमान स्थिति में हमारे लिए उपयुक्त है। इसके लिए जन्म-दर में कमी अनिवार्य है। जनगणना आयोग (Census Commissioner) श्री गोपाल स्वामी के अनुसार एक विवाहित दम्पति में अधिकतम अधिकतम तीन बच्चे होने चाहिए। जनसंख्या का एतन्मान नियन्त्रण परिवार नियोजन के द्वारा हो सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी परिवार नियोजन में महत्व का स्वीकार किया गया है।

(७) बेरोजगारी—हमारे नवोदित स्वतन्त्र भारत में सम्पूर्ण अनेक समस्याएँ हैं, परन्तु आज सबसे चिन्ताजनक समस्या बेरोजगारी की है। इसकी समाधान के ऊपर ही हमारे राष्ट्रीय आयोगों की सफलता और असफलता निर्भर करती है।

१९४१ से १९५१ तक हमारे यहाँ ४५ करोड़ की वृद्धि हुई है जो मास की कुल आबादी के बराबर है। प्रति वर्ष हमारे यहाँ ४५ लाख जनसंख्या की वृद्धि होती है, जो डेनमार्क की कुल आबादी है। द्वितीय योजना की अधि में प्रति वर्ष ७० लाख की वृद्धि हो रही है और यह सम्मानना है कि तृतीय योजना की अधि में यह जनसंख्या १ करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ने लगेगी। ऐसी दशा में बढ़ती हुई जनसंख्या को काम देना एक असम्भव कार्य है, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग भारत में उस गति से नहीं बढ़े हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ऐसा अनुमान है कि, लगभग ४५ लाख व्यक्ति का रोजगार दिलाया गया। परन्तु रोजगार की दशा निराशाजनक है। जनता प्रथम योजना को असफल घोषित करने लगी क्योंकि योजना की प्रगति में साथ बेरोजगारी की भी प्रगति हो रही थी। यह अनुभव किया गया कि औद्योगिक विकास की योजना तभी सफल हो सकती है जब लोगों को रोजगार दिलाना भी उसका एक प्रधान लक्ष्य हो।

इस लक्ष्य को सामने रखकर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ २० लाख व्यक्तियों का काम दिलाने की प्रतिज्ञा की गई है। दूसरे शब्दों में द्वितीय योजना का एक प्रधान लक्ष्य रोजगार मुद्रासहायता का अविभाज्य अंग है। परन्तु वर्तमान प्रगति का देखते हुए कहा जा सकता है कि योजना अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में सफल नहीं पायेगी।

पशु-सम्पत्ति (Live-stock Resources)

एशिया में सघार की समस्त पशु सम्पत्ति का ४३ प्रतिशत भाग है, परन्तु प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या एशिया में (०.२६) सघार में प्रत्येक क्षेत्र से कम है। उदाहरणार्थ उत्तरी अमेरिका में प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या ०.६८, दक्षिणी अमेरिका १.१७, अफ्रीका ०.४६ तथा यूरॉप ०.२५ है। भारत में पशुओं की संख्या प्रति व्यक्ति

१७ ४६ है। १९५६ की पशु गणना के अनुसार भारतभर में कुल पशुओं की संख्या ३० करोड़ ६५ लाख थी। इसमें गाय, बैल, भैंस तथा भैंसे, भेड़, बकरे जकरियाँ, घोड़े तथा टट्टू एवं अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा मुंग्रर) सम्मिलित हैं। इनकी संख्या १९५६ की पंचमपीय पशु गणना इस प्रकार थी—*

	१९५६ की पशुगणना
१. गाय बैल	१५,८७,००,०००
२. भैंस तथा भैंसे	४,४९,००,०००
३. भेड़	३,९२,००,०००/
४. बकरे जकरिया	५,५४,००,०००
५. घोड़े तथा टट्टू	१५,००,०००
६. अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा मुंग्रर)	६५,००,०००
कुल योग	३०,६५,००,०००

भारतभर में संसार की कुल पशु-संख्या का चौथाई हिस्सा है, जो कि हमारे आर्थिक विकास में बहुत कुछ सहायक हो सकता है। किन्तु हमारे देश में जानवरों को अच्छा पाना नहीं मिलता, फलस्वरूप हमारे जानवर बहुत संतान निम्न के होते हैं। चरागाहों की कमी, गर्भाधान व खुराक व वैज्ञानिक तरीकों का अभाव और चेचर जानवरों का बध करने के विरुद्ध धार्मिक विचार, इन सब बातों ने मिलकर भारतीय पशुओं की किस्म को बहुत संतान कर दिया है।

भारत व किमानों की आय का लगभग ५० प्रतिशत भाग उनका दूध दही के उद्योग से प्राप्त होता है। पर यदि गर्भाधान की विधि को वैज्ञानिक रूप दे दिया जाय और चरागाहों का पर्याप्त प्रबंध कर दिया जाय तो इस आय को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में प्रति एकड़ जूती हुई भूमि पर पशुओं का घनत्व ६७ है। यह घनत्व संसार में सबसे अधिक है किन्तु साथ ही सबसे कम कार्यक्षम और सबसे कम उत्पादक है।

सरकार की नीति

पशुपालन विकास सम्बन्धी सरकारी नीति का उद्देश्य देश में जूनी हुई नस्लों व पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। इसके बैलों की किस्मों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायगा। इस उद्देश्य की पूर्ति केन्द्र ग्राम योजना, गोशाला विकास योजना तथा गोसदन योजना द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विभिन्न साधनों के उचित प्रयोग एवं विरोधन से भारत को भू, बेकारी, दरिद्रता और बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। भारत सरकार ने आयोजना के द्वारा इन विभिन्न दानों से मुक्ति दिलाने के लिए जिन प्रयासों का अनुभव लगाया है, वे इस प्रकार हैं—*

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना	पंचम योजना
राष्ट्रीय आय (करोड़ों में)	१०,८००	१३,४८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
कुल शुद्ध विनियोग	३,१००	६,२००	९,९००	१४,८००	२०,७००
विनियोग दर (राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)	७३	१०७	१३७	१६०	१७०
जनसंख्या (करोड़ों में)	३८४	४०८	४३४	४६५	५००
प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	२८१	३३१	३९८	४६६	५४६

प्रश्न

- 1 Describe the natural resources of India and discuss the circumstances in which they could not be properly and adequately exploited (Agra 1934)
- 2 Give a description of the mineral wealth of India and indicate the policy of the development plan for the future (Agra 1960)
- 3 In what different ways do forests prove beneficial to the economy of a country? What is the present policy of the state in this connection? (Agra 1960)
- 4 What are the economic consequences of soil erosion? What steps have been taken in the country against this evil? (Banaras, 1914)

खण्ड ३

सामाजिक वार्तावरण एवं जनसंख्या

१. भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ
२. भारत की जनसंख्या—तथ्य, समस्याएँ और उपाय

भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ

(Social and Religious Institutions in India)

मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सभी आर्थिक क्रियाएँ समाज में प्रचलित रीति रिवाज, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रभावित होती हैं। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का देश के आर्थिक विकास पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के द्वारा ही देश के उद्योग वधों, व्यवसायों तथा राष्ट्रीय आय का वितरण निर्धारित होता है। डॉ० मार्शल के अनुसार “संसार में सभसे बड़ी निर्माणकारी दो संस्थाएँ चली आ रही हैं—धार्मिक तथा आर्थिक।” सम्भवतः भारत में भी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने हमारे देश के आर्थिक विकास को जितना प्रभावित किया है उतना वद्वचित् अन्यत्र नहीं। भारत में प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक क्रिया के पीछे धार्मिक भावना होती है। प्रत्येक कार्य का श्रीगणेश शुभ मुहूर्त बेला में किया जाता है। यह ज्ञात करने के लिए कि इन संस्थाओं ने हमारे देश के आर्थिक जीवन को कहीं तक प्रभावित किया है, आवश्यक है कि हम उनके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें।

प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ

भारत में प्रमुख धार्मिक संस्थाएँ, जिनका हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है, निम्नलिखित हैं :—

- (१) जाति प्रथा (Caste System);
- (२) संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली (Joint Family System),
- (३) उत्तराधिकार नियम (Laws of Inheritance),
- (४) पदां प्रथा एवं बाल विवाह,
- (५) भारतीय धर्म एवं दर्शन, तथा
- (६) ग्राम पंचायतें।

जाति-प्रथा

जाति प्रथा का हमारी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह भारतीय समाज की प्राचीनतम रूढ़ियों में से एक है। अनेक सामाजिक एवं

जत्र धार्मिक, उत्सव सम्बन्धी, राजनैतिक, नैतिक तथा औद्योगिक संगठन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित थे और वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप थे। लगभग 'उन सभी राष्ट्रों ने जो संसार की प्रगति में अग्रगामी थे, जाति के लगभग कठोर रूपको ग्रहण लिया था।' श्री जेम्स मिल का विश्वास है कि जाति प्रथा का विकास श्रम विभाजन की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ। श्री एन० सोमर्ट के सिद्धान्त के अनुसार जाति प्रथा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार हुआ।

जाति प्रणाली केवल भारतवर्ष में ही प्रचलित नहीं है बल्कि संसार के अन्य देशों में भी है। अन्य देशों में इसका रूप इतना कठोर एवं जटिल नहीं है जितना भारतवर्ष में। जाति प्रथा ने भारतीय अर्थ व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जैसा अगले पृष्ठों में दिये गये विवरण से ज्ञात होगा।

जाति प्रथा के लाभ

(१) सामाजिक शुद्धता—जाति प्रथा के कारण भारतवर्ष को अपनी सामूहिक वैश्विक तथा सामाजिक शुद्धता बनाये रखने में उच्च सहायता मिली है। एक ही सम्प्रदाय में रहने से, पान पान करने से तथा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने से आचार विचार और रक्त की शुद्धता बनी रही है।

(२) श्रम विभाजन—जाति प्रणाली के नियमानुसार प्रत्येक जाति अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाती है। यह एक प्रकार का कार्य अथवा श्रम विभाजन है। इस प्रकार जाति प्रथा के फलस्वरूप श्रम विभाजन के सभी लाभ प्राप्त हैं।

(३) पैतृक प्रशिक्षण संस्थाएँ—प्राचीन काल में जत्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं की जाती थी, जाति प्रथा के द्वारा व्यक्तियों को ऐसी संस्थाएँ अपने घर पर ही प्राप्त हो जाती थी। किसी भी नवयुवक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। वह अपने पिता से सम्पूर्ण प्रशिक्षण तथा कारीगरी का उत्तराधिकार पाता था, और फिर अपनी भाग्य राने पर वह उस उत्तराधिकार को अपनी सतान को दे देता था।

(४) कार्य में निपुणता—जाति प्रथा प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उसके जन्म नुसार ही निश्चित कर देती थी। नवयुवक को अपनी जीविका के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ से ही सीखता रहता था और आगे चल कर वह उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता था।

(५) सहकारिता की भावना—जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहा करता था। किसी व्यक्ति का काम दूसरे की सहायता के बिना नहीं चलता था। स्वभावतः सभी जाति के लोगों में सहकारिता की भावना जाग्रत हो जाती थी।

(६) श्रमिक सघ—जाति प्रणाली ने आर्थिक क्षेत्र में श्रमिक सघ के कार्य की भूमिका अदा की है। प्रत्येक जाति अपने प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करती थी।

(७) स्वतंत्र सामाजिक संगठन—सामाजिक क्रियाओं का नियमन करने के लिए प्रत्येक जाति ने पंचायत द्वारा करती थी। इन पंचायतों का निर्णय सत्रमान्य होता था। पंचायतों ने सामाजिक क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और उनकी महत्ता को आज हमारी राष्ट्रीय सरकार भी स्वीकार करती है।

(८) वैज्ञानिक समग्रय—जाति प्रथा के समर्थकों ने जाति प्रथा को वैज्ञानिक समाजवाद का सहायक भी दी है। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री भगवानदास के शब्दों में “लागा ने प्राचीन काल से जाति प्रथा का समर्थन ही कसौटी पर गया उतरा हुआ ऐसा वैज्ञानिक समाजवाद मतलब है, जिसने व्यावहारिक लोगों में शक्ति संचालन का सपना बनाया रखा।”

(९) वर्ग सघों का उदय—आ आर० पी० मुगाना के अनुसार जाति प्रथा ने वर्ग सघों को कम से कम कर दिया था और आर्थिक शक्तियों के नियंत्रित मार्ग के नियंत्रण काम का काम किया था। जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह धारणा होती है कि उसका काम किसी जाति विशेष में उच्च प्रारण्य के कारण हुआ है। अतः वर्ग सघों का भावना रह ही नहीं जाता।

(१०) नैतिक प्रतिपद्य—प्रत्येक व्यक्ति जाति से उद्दिष्ट है जो जान के मन से नैतिक दुराचरण नहीं करना है कथन नैतिक दुराचरण करने वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। आ आर० पी० मुगाना के शब्दों में जाति प्रथा के द्वारा “प्राचीन परम्परा का रक्षा का जाता था, सामाजिक शांति का सुरक्षित रखा जाता था, नागरिक तथा आर्थिक क्रियाएँ प्रारण्य किया जाता था तथा व्यक्तिगत आनन्द और सन्तोष का उदाहरण जाता था।

जाति प्रथा के लाभ

(१) श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक—जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्थूल अर्थों में जाति का ही व्यवसाय कर सकता था अथवा जाति का व्यवसाय नहीं कर सकता, चाहे उसमें इस प्रकार के कार्य करने में कितना ही निपुणता क्यों न हो। इस प्रकार श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीलता नहीं रहती।

(२) पूँजी की गतिशीलता में बाधक—जाति प्रथा के अनुसार धन का आनन्द करने के लिए धन का निवेश करने में जाति का ही व्यवसाय में ही कर सकता था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के व्यवसाय में धन नहीं लगा सकते। इस प्रकार जाति प्रथा

पूँजी की गतिशीलता में बाधक होती है जिसका कुछ प्रभाव औद्योगिक विकास पर भी पड़ता है।

(३) व्यवसाय और व्यक्तिगत रुचि में असामंजस्य—जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय ही करना होता था। व्यक्तिगत रुचि एवं दक्षता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अतः व्यावसायिक एवं औद्योगिक निपुणता का नितान्त अभाव रहता था।

(४) श्रम की गरिमा की हानि—जाति प्रथा के कारण श्रम की गरिमा (dignity) को भारी धक्का लगाया है। ऊँची जात के लोग निम्न कोटि के कार्य करने में सकोच करते थे और निम्न जाति के लोग ऊँची जाति के कार्य करने में डरते थे। इससे देश को काफी हानि होती थी। आज यह सर्वमान्य है कि 'श्रम की गरिमा में ही मानव की महिमा है।'

(५) विदेश गमन में सकोच—जाति प्रथा के विचारों के अनुसार लोगों को विदेश जाने की आशा नहीं मिलती थी। यदि वे विदेश जाते थे तो उनका हुक्का पानी बन्द कर दिया जाता था। इस भय से लोग विदेशी व्यापार करने में सकोच करते थे।

(६) राष्ट्रीय एकता में बाधक—जाति प्रथा के अनुसार समाज अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है। साम्प्रदायिकता के अल पर ही देश का विभाजन हुआ और अनेक विभिन्न राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो रहे हैं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र।

(७) निरर्थक व्यय—जाति प्रथा के नियमानुसार अथवा परम्परानुसार लोगों को विशेष अवसरों अथवा उत्सवों पर हेतियत से अधिक धन व्यय करना पड़ता है जैसे शादी, जन्म, मृत्यु आदि पर। इससे आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(८) आपसी द्वेष भाव—एक जाति दूसरी जाति की प्रगति को ईर्ष्या एवं संघर्ष की दृष्टि से देखती है जिससे परस्पर घृणा, द्वेष एवं घूट की भावना को अल मिलता है।

(९) सामाजिक दुराचरण—एक ही जाति के अन्तर्गत विवाह इत्यादि होने के कारण कुछ सामाजिक और नैतिक दुराचरण जैसे दहेज, आत्महत्या तथा शिशु हत्या बढ़ जाते हैं। स्त्रियाँ और पुर्णों का अनुशासन प्रत्येक जाति में समान नहीं होता, अतः अपरोक्ष दोषों का होना स्वाभाविक है।

(१०) अन्त में जाति प्रथा 'जीवशास्त्र' के दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। जीवशास्त्र हम बताता है कि यदि एक ही जाति में परस्पर विवाह होता है तो सन्तान

14 सेक एवं शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ नहीं होती। यही नहीं इसका प्रमाण स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा नहीं पड़ता।

सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली

सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का अर्थ है कि एक ही परिवार में खुद से सदस्य जैसे पति पत्नी, माता पिता माइ बहन, चाचा-चाची तथा दादा दादी आदि सम्मिलित रूप से रहने हैं। परिवार का सबसे बृद्ध पुरुष प्रमुख अथवा कर्ता होता है। सभी सदस्य अपने द्वारा कमाये गये धन का कर्ता को सौंप देते हैं और कर्ता उस धन से पूरे परिवार का प्रबंध करता है। समाज का मुख्य सिद्धान्त—‘प्रत्येक पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर और आवश्यकतानुसार उपभोग कर।—इस प्रणाली के अन्तर्गत पूरा होता है।

प्राचीन भारत में सयुक्त परिवार सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे का केंद्र होता था। इस प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्यों में अनुशासन, त्याग, आशीर्वादन, आदर की भावना जगृत होती थी और स्वाध्याय का हतोत्साहन होता था। कोई व्यक्ति अभाव, रोग अथवा आलस्य का शिकार नहीं होता था। यह परिवार के सदस्यों के लिए एक प्रकार के सामाजिक नीम का काम करता था। अनाथ, वृद्ध, असहाय तथा निर्यातों की भला भात देखभाल की जाता था। विदेशी प्रभाव के कारण भारत में सयुक्त परिवार प्रथा का अन्त होने लगा। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों को सहकारिता के आधार पर चलाने का मुझाव इसीलिए दिया था जिससे सयुक्त परिवार प्रथा का पुनर्गठन हो पाय।

सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के लाभ

(१) एकता का भावना—सयुक्त परिवार प्रणाली सहयोग एवं निःस्वार्थ सेवा के भावना का प्रोत्साहन करता है। इसमें अन्तर्गत सम्पूर्ण परिवार का ध्येय होता है कि ‘एक के लिए सब और सब के लिए एक’। इसमें परिवार के सदस्यों में एकता के भावना का जागरण होता है।

(२) मित-ययता—सयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के सम्मिलित रूप में रहने के कारण दैनिक एवं सामयिक व्यय में काफी मितययता होती है। उच्च-मूल्यवान् वस्तुओं को सम्मिलित रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का अलग अलग खर्च करने का आवश्यकता नहीं पड़ता।

(३) सर्वाधिकारिता—सयुक्त परिवार में ही ‘परिवार’ के सदस्य अन्तर्गत योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्यों का कर्ता हैं जिससे समदिभाजन के लाभ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

(४) सामाजिक सुरक्षा—भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का कार्य करती है। यहाँ पर सत्र सदस्य अपनी योग्यतानुसार धन कमाते हैं और उस धन को सदस्यों पर अपनी आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है। अर्थात्, अन्न एवं बेमार सदस्यों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है।

(५) भूमि के विभाजन पर रोक—संयुक्त परिवार में यदि उम्मीद खराब नही होना है तो भूमि तथा अन्न सम्पत्ति अविभाजित रहती है। इस प्रकार इस पद्धति के अनुसार भूमि विभाजन तथा उपखण्ड के दोष उत्पन्न नहीं होते।

(६) सदस्यों की मानसिक सतुष्टि—संयुक्त परिवार प्रणाली में सम्पूर्ण सदस्यों का उनकी अवस्थानुसार सम्मान होता है। इससे प्रत्येक सदस्य मानसिक दृष्टि से सतुष्ट रहता है।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के दोष

(१) आलस्य एवं अकर्मण्यता में वृद्धि—परिश्रम और प्रतिफल में न्यायोचित सम्बन्ध न होने के कारण परिवार के सदस्यों में आलस्य और अकर्मण्यता आ जाती है। सदस्य मली भोजि सम्भक्त हैं कि जो कुछ भी कमायेंगे, उसका एक अंश ही उनको मिल पावेगा। अतः उनको अधिक कमाने की प्रेरणा नही मिलती।

(२) पूजा के निर्माण में बाधा—क्योंकि परिवार के सदस्यों को प्रवृत्त करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता, अतः पूजा का निर्माण भी नहीं हो पाता। पूजा का निर्माण स्वतः ही होता है। पूजा का विकास न होने के फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास ही रुक जाता है।

(३) निरर्थक व्यय—संयुक्त परिवार पद्धति के अन्तर्गत किञ्चन खर्चों को भाग्यमिलता है। व्यय का भार व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होने के कारण किञ्चन खर्चों की भावना को तीव्र कर देता है। फलतः विवाह, मुण्डन, जन्म और मृत्यु इत्यादि अवसरों पर सदस्य हस्तमुक्त व्यय करते हैं। अतः यह अल्प प्रकृति का भी रूप धारण कर लेता है।

(४) परिवार नियोजन की अवहेलना—संयुक्त परिवार में अत्यायस्था में ही विवाह हो जाने के कारण तथा खर्चों के पालन पोषण का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न होने के कारण सदस्यगण परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण युक्ति की अवहेलना करते हैं। इससे परिवार तथा अन्ततोगत्या देश के रहन सहन का स्तर गिर जाता है।

(५) श्रम गतिशीलता में बाधा—संयुक्त परिवार में रहने के फलस्वरूप सदस्यगण परिवार के सुहावने यातावरण को छोड़ कर बाहर जाना पसन्द नहीं करते। अतः उन्हें अपने ही अर्थोत्पन्निकरण से न प्राप्त होतें हैं। देश के आर्थिक विकास में यह एक बड़ी बाधा है।

भारतीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास

(६) वैमनस्य एवं मनमुटाव—मुप्रसिद्ध लोकोक्ति है कि 'जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ एकटकते ही हैं।' संयुक्त परिवार में बहुत से व्यक्तियों के एक साथ रहने के कारण छोटी-मोटी धरेलू बातों पर आपस में मनमुटाव हो जाता है। रिश्तों में विशेष रूप से स्वभाषतः यह भावना अधिक होती है। मनमुटाव धीरे धीरे वैमनस्य का रूप धारण कर लेता है जिसमें संयुक्त परिवार का स्वर्गीय जीवन नारकीय बन जाता है।

(७) मुकद्दमेवाजी—धन-सम्पत्ति की वितरण सम्बन्धी तथा पारम्परिक मान-हानि सम्बन्धी भगड़ें कभी कभी इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उनके निवारणार्थ न्यायालयों तक का मुद्दा देरना पड़ता है। इससे दोनों पक्षों की आर्थिक तथा मानसिक हानि होती है।

उत्तराधिकार के नियम

(Laws of Inheritance)

भारतभर में उत्तराधिकार सम्बन्धी दो प्रमुख नियम हैं :—

(१) मिताक्षरा (Mitakshara), तथा

(२) दायभाग (Dayablag)।

उपरोक्त दोनों नियम भारतीयों के आर्थिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।

मिताक्षरा प्रणाली—यह प्रणाली सम्पूर्ण भारत में, बंगाल को छोड़कर प्रचलित है। इस प्रणाली के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से परिवार की सम्पत्ति के म्वामी होते हैं। पिता के जीवन काल में ही पिता के साथ-साथ पुत्रों का पारिवारिक सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है। बॉई भी पुत्र कृती भी समय-सम्पत्ति का बँटवारा करके अपनी सम्पत्ति का भाग प्राप्त कर सकता है। अविभाजित सम्पत्ति पर पिता का अधिकार रहता है और वह परिवार के सदस्यों की ओर से उसका प्रन्ध करता है। पिता अपने पुत्रों की अनुमति के बिना सम्पत्ति को बेच नहीं सकता। जब तक संयुक्त परिवार का अस्तित्व नहीं होता, तब तक यही क्रम चलता रहता है। केवल विभाजन होने पर ही अन्य सदस्य को सम्पत्ति का भाग प्राप्त होता है।

दायभाग प्रणाली—यह प्रणाली केवल बंगाल क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पिता का पारिवारिक सम्पत्ति पर निराला अधिकार रहता है। उसे यह भी अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छानुसार, पुत्रों की अनुमति लिये पिता भी इस सम्पत्ति को बेच सकता है। पुत्रगण पिता के जीवन काल में इस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं करवा सकते। पुत्रों का सम्पत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात् होता है।

सन् १९५६ के पूर्व स्त्रिया को उपरोक्त दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत पारिवारिक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। विधवा स्त्रिया बचल अपने लिए निर्वाह भत्ता माग सकती थी। अविवाहिता लड़की के लिए विवाह न होने तक के लिए कुछ प्राविधान किया जाता था। निस्सन्देह यह एक दोषपूर्ण पद्धति थी। इस दोष के निवारणार्थ १७ जून १९५६ को केंद्रीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम, 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६', पास किया। इस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति की सम्पत्ति को उसका परिवार के सभी सदस्य यथात् लड़के, लड़कियाँ, विधवा और माता में समान रूप से बाँटा जायगा, यदि वह व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व कोई इच्छापत्र (will) न लिख गया हो।

मुसलमानों में उत्तराधिकार

भारत में मुसलमानों में पैतृक सम्पत्ति का बँटवारा 'मोहम्मदियन ला' (Mohammadan Law) के अनुसार नियमित होता है। इस कानून के अनुसार पैतृक सम्पत्ति परिवार के पुरुष एवं स्त्री सभी सदस्यों में विभाजित की जाती है। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टिकोण में मुसलमानों के पैतृक नियम हिन्दुओं के नियमों से मिलते जुलते ही हैं।

शुद्धि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समाजों में सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है अतः इसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर समान रूप से पड़ता है।

उत्तराधिकार नियमों के गुण

(१) सम्पत्ति पर अधिकार—सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति पर कुछ अधिकार होता है जिससे उसे जीवन की दुरुह और लम्बी यात्रा पार करने के लिए प्रारम्भिक आगर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भारतीय उत्तराधिकार नियम समानता और न्याय के सिद्धान्तों के धारक हैं।

(२) समाजवाद—परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति में से कुछ न कुछ भाग मिलने के कारण सम्पत्ति के वितरण में समानता आ जाती है। इस प्रकार पूँजीवाद का स्थान प्राप्त न होने समाजवाद का श्रीगणेश होता है।

(३) भ्रातृत्व की भावना—सम्पत्ति के विभाजन में समानता अधिकार प्राप्त होने के कारण आपस में वैमनस्य एवं झगड़ों की भावना का अन्त नहीं होता, फलतः परिवार के सभी सदस्यों में भ्रातृत्व एवं सहकारिता की भावना उत्पन्न होती है।

(४) स्वतन्त्र कृषक भूस्वामी वर्ग—कृषि क्षेत्र में यह नियम स्वतन्त्र कृषक भूस्वामी वर्ग तथा उनके द्वारा निर्मित स्थिर प्रान्तीय समाज का जन्म देता है।

उत्तराधिकार नियमों का दोष

(१) भूमि विभाजन एवं टप टपकरण—भारतीय कृषि का

१ 'भूमि विभाजन एवं उपखन' हमारे भारतीय उत्तराधिकार नियमां की ही देन है।
 २ दर पीढ़ी भूमि का विभाजन छोटे छोटे टुकड़ों में होता जाता है यहाँ तक कि वे बेटी के लिए विक्रय अर्थात् इनाइया बन जाती हैं।

(२) पूँजी निर्माण में बाधा—उत्तराधिकार नियमां के अनुसार सम्पत्ति अथवा पत्नी का अनेक भागों में विभाजन हो जाने के कारण पूँजी का निर्माण (capital formation) उड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। इससे फलस्वरूप ग्राम्य विकास उड़े पैमाने के उद्योग अथवा कृषि नहीं चल पाते और देश आर्थिक दृष्टि से अतिक्रमिण रह जाता है।

(३) मुक्तमेजानी—सम्पत्ति के उत्तारों के सम्बन्ध में प्रायः ग्राम्य मूल मूल हो जाता है। यह अभी अभी इतना विकसाल रूप धारण कर लेता है कि उद्योग में ग्राम्य मूल बड़ा भगड़ तथा फौजदारी भी हो जाती है। अतः कहा जाता है कि 'सम्पत्ति पूँजी का उत्तार है।'

(४) अकर्मण्यता—पूँजी द्वारा अर्जित सम्पत्ति में से निम्न प्रयास किये हुए एक अंश मिल जाने के कारण अधिकांश सम्पत्ति-धारियों में अकर्मण्यता आ जाती है। वे नीचिका-कर्मों में या राई प्रयास नहीं करना करना सम्पत्ति की आय से ही उनकी आनन्द-कामना का पूर्ति हो जाती है। अतः वे सतत मल-काम के शब्दों 'अनगर के' का अर्थ, पछा कर न नाम। तब मलूना यह गये खर के तब राम की चारनाथ है।

पदा एवं बाल विवाह

भारतवर्ष में दो अन्य दासपूर्ण सामाजिक प्रथाएँ भी प्रचलित हैं। ये हैं—बाल विवाह और पदा प्रथा। ये प्रथाएँ भी हमारे आर्थिक जीवन का बुरा प्रभावित करता हैं।

बाल विवाह भारत में अब प्रचलित हुआ, यह टंग टंग ता नहीं कहा जा सकता परन्तु यह अर्थ है कि मुसलमान शासकों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों से बचने के लिए ब्राह्मण-कायस्थ बालविवाह को प्रोत्साहित किया गया था। बाल विवाहों का यह भावना नहीं है कि विवाह क्या होता है और उसका क्या उत्तरदायित्व होता है। अतः, दुष्ट भावना के समय समय के तबजा था परन्तु अब समय का दूसरा तबजा है। अधिन सवनापात की जगह सति नियमन, निम्न स्वास्थ्य स्तर का जगह उच्च स्वास्थ्य स्तर तथा अत्यायु की जगह दानायु की आनन्दकामना है। इस प्रथा के लाभ का नाम मात्र है परन्तु हानियाँ अत्यन्त गम्भीर हैं। ये इस प्रकार हैं

(१) स्वास्थ्य-समस्या में विवाह हो जाने के कारण भारत में तब दर भी उच्च है। देश का जनसंख्या निम्न-स्तरीय रत-चौगुनी बढ़ना बला का रहा है। देश का भी याचना चाह वह कितनी भी अच्छी क्या न हो उस समय तब सफल नहीं हो

सकती जब तक जनसंख्या-सीमित न हो। १९५१ के जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) ने यह सुझाव दिया था कि एक व्यक्ति को सतान तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा देश की आर्थिक प्रगति रुक जायगी।

(२) दूसरा दोष यह है कि शाल्यावस्था में जो संतान उत्पन्न होती है वह अस्वस्थ एवं अप्रग होती है। हम लोगों की यह एक धार्मिक एवं सामाजिक धारणा है कि संतानहीन व्यक्ति मनहूस एवं पापी होता है। वे इतने अधम समझे जाते हैं कि एक भ्रियारी उनसे भीतर लेना भी उचित नहीं समझता। ऐसी अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकृत होने हुए भी व्यक्ति विवाह कर लेते हैं और सतानोत्पत्ति पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगाते। फलतः देश के मातृ वरुणधार शारीरिक एवं मानसिक रूप से जन्म से ही अयोग्य होते हैं।

(३) अल्पयु में मातृत्व प्रहण करने के कारण अधिकांश स्त्रियों की प्रसव-काल में ही मृत्यु हो जाती है। दुर्बल बच्चे होने के कारण उनकी भी अधिकांशतः मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हमारे देश में जन्म और मृत्यु दोनों की दरें अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ऊँची हैं।

(४) चौथी हानि यह है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से अभावग्रस्त होने के कारण हमारे नवजमानों की कार्यक्षमता अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका आर्थिक परिणाम यह होता है कि देश का आर्थिक विकास कम होता है और रहन-सहन का स्तर नीचा रहता है।

पर्दा प्रथा

बाल-विवाह की तरह पर्दा-प्रथा भी हमारे राष्ट्र के शरीर में एक कण्डू है। पर्दा-प्रथा का प्रादुर्भाव सम्भवतः मुस्लिम काल से ही होता है। कुछ मुसलमान शासकों के शासन काल में मुसलमानों को इतनी स्वतन्त्रता मिल गई थी कि वे किसी भी हिन्दू नारी के साथ बलात् विवाह कर सकते थे। सुन्दर नारियों का अग्रहण एक साधारण-भी शान बन गई थी। ऐसे में उदाहरण पाये जाते हैं जहाँ कुछ अत्याचारी शासकों ने यह घोषित कर दिया था कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिन्दू बालिका अथवा नारी से स्वयं ऐच्छिक अथवा बलात् विवाह कर सकता था और असमर्थ होने पर ऐसा करने के लिए राज्य अधिकारियों की सहायता भी ले सकता था। इन अत्याचारों से बचने के लिए तथा अपने धर्म की लाज बचाये रखने के लिए हिन्दू समाज में पर्दा-प्रथा प्रचलित हो गई। उस समय पर्दा-प्रथा के लाभ कुछ भी रहे हों परन्तु अब तो हानि ही हानि है। परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और परिनिर्मित परिस्थितियों में पर्दा-प्रथा को भी परिनिर्मित कर देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके कारण ये हैं—

(१) पर्दा प्रथा के कारण हमारी श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा अंश निष्क्रिय पड़ा रहता है। मंत्रिया अथ देशों की भांति जीवन-संग्राम में सक्रिय भाग नहीं ले पाती। उनकी बुद्धि एवं श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

(२) पर्दा प्रथा के कारण हमारा स्त्री वर्ग अधिनाशत अशिक्षित बना रहता है और जीवन अधकारमय बना रहता है।

(३) पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियाँ स्वच्छ एवं खुले हुए वातावरण में निचरण नहीं कर पाती जिससे दुर्गन्धिपूर्ण कमल उत्पन्न मानासक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तब ही सम्भित न रहकर उनकी सतान पर भी पड़ता है।

(४) पर्दा प्रथा के कारण पुरुष अपनी स्त्रियों को शहरों में, नए स्थानों का अभ्यास होता है, साथ नहीं रख पाते जिससे फल यह होता है कि स्त्रियाँ अनेक अर्थवैतिक दृष्टियों में फस जाती हैं। पुरुषों को भी इस दृष्टि में शिक्षण हो जाना है।

यद्यपि पर्दा प्रथा का आजकल काफी प्रसार हो रहा है और प्राचीन सभ्यता के प्रभाव, सामाजिक एवं आचारिक कारणों तथा प्रगतिशील शिक्षा का वृद्ध के फलस्वरूप पर्दा प्रथा समाप्त हो रहा है परन्तु फिर भी देश के अधिकांश भागों में इसका प्रचलन है। आवश्यकता यह है कि इसका शीघ्रतम उन्मूलन किया जाय और स्त्रियों को पूर्णतः के साथ उन्नत समाज में मिलाने का राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए विदेशों में हो रहा है। यह भारत के लिए कोई नवीन चाँज न होगी क्योंकि प्राचीन भारत में भी स्त्रियों ने पुरुषों का सदैव सहयोग दिया है। ऐसे ही हठान्त मिलाने हैं कि स्त्रियों ने पुरुषों का नष्ट भी किया है।

भारतीय धर्म एवं दर्शन

भारतीय आर्थिक विकास का प्रभावित करने में भारतीय धर्म और दर्शन का भी एक विशेष हाथ रहा है। भारतीय हिन्दू व्यक्ति किसी भी कार्य का करने से पहले उसका शुभ मुक्त का राजता है और ज्ञानिपिया एवं पारिता से किसी कार्य का सफलता के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित समझता है। आर्थिक पद्धत के स्थान पर धार्मिक एवं अध्यात्मिक पद्धतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह फल अशिक्षित व्याक्तियों तक ही सम्भित नहीं है बल्कि बड़े बड़े विद्वान् व्यक्तियों के लिए समान रूप में सत्य है। उदाहरणार्थ हमारे राष्ट्रीय डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जीना मन्त्र निचरणाये विदेश भ्रमण नहीं करे। हमारे प्रथम के मुख्य मंत्री डॉ० सत्यनारायण दत्त अपने मन्त्रिय के बारे में ज्ञानिपिया से परामर्श लेते हैं।

धर्म के नाम पर आज हमारे देश में कितने ही लोग निष्क्रिय पड़े हुए हैं। असत्य धर्म का अपव्यय किया जा रहा है और कितने ही सामाजिक दुरुचरणा का

सहा जा रहा है। धर्म के नाम पर लाखों व्यक्ति भीषण मारते हैं। अहिंसा के नाम पर अनेक हानिकारक कीटाणुनाशक एवं पशुओं को नष्ट नहीं किया जाता जो हमारी खेती को करोड़ों रुपये की प्रति वर्ष हानि पहुँचाते हैं। इसी विचारधारा के अनुसार बूढ़ और बेकार जानवरों को मारा नहीं जाता जिससे लगभग ६ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की हानि होती है। निःसंदेह भारतीय विशाल जनसंख्या का निर्धन एवं पिछड़ा हुआ देश है परन्तु इसकी निर्धनता तथा पिछड़ेपन के लिए फल हमारा धर्म और दर्शन ही उत्तरदायी नहीं। हम यह भी मना नहीं कर सकते कि भारतीय धर्म और दर्शन से देश के आर्थिक विकास को कोई क्षति नहीं पहुँची। श्रीमती वीरा एस्टे के अनुसार "धार्मिक प्रवृत्ति चाहे किसी भी विशाल सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है और दुरुह रुढ़िवाद व अंध विश्वासों को जन देती है तथा प्रत्येक नवीनता का चाहे वह कितनी ही जायज व उदार क्या न हो, वर्तनी विरोध करती है। पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए धार्मिक विचार को नष्ट करना अधिक कठिन है क्योंकि यहाँ वर्तमान धार्मिक विचार तथा उनसे उत्पन्न हुआ विशेष सामाजिक संगठन इस उद्देश्य में सफल है।"

भारतीय धार्मिक ग्रन्थ जैसे उपनिषद्, दशमशास्त्र, श्री मद्भगवद्गीता तथा श्री रामचरित मानस को विदेशियों द्वारा भारतीय निर्धनता के कारण मनाया जाते हैं। इसका प्रत्युत्तर में यही कहा जा सकता है कि विदेशियों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा को या तो अिच्छुल नहीं समझा है और यदि समझा है तो उस गलत समझा है। बाल्य में देखा जाय तो हमारे ये शास्त्र हम लोगों को निष्काम एवं उदास न बना कर निष्काम धर्म योग की शिक्षा देकर कर्मण्य बनाते हैं। बनासजान का कहीं भी निषेध नहीं है परन्तु यह हम यह भी नहीं सिखाते कि मानवीय जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भुलाने केवल धन की ही प्राप्ति में पागल हो जाना चाहिए। हमारा धर्म यह बताता है कि धन मनुष्य के कल्याण के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए। धन साधन है साधन नहीं। यही बात प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० माण्डल और उनका अनुयायिनी ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में स्पष्ट की है। हमारा सच्चा धर्म हम एक सुन्दर जीवन पिताने के लिए, परमार्थ के लिए उत्पत्ती अथवा कर्मठ मनन के लिए प्रेरणा देता है।

आधुनिक युग पुष्प लालमान्य विलक, महात्मा गांधी तथा विनायक भावे ने धर्म की व्याख्या करते हुए धर्म का ही धर्म की प्रधान शिक्षा बताया है। श्री मद्भगवद्गीता का सार धर्म और दशम शास्त्र का सार है एक कर्मयोग शास्त्र है। इसका अनुसार धर्म निष्काम होना चाहिए। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि धन का प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। धन साधन के रूप में उत्पन्न करना अर्थात् आवश्यक है। यह धर्म मात्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अथवा धनोपार्जन करना और उसका सदुपयोग

करना हिन्दू धर्म की मूल शिक्षा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी आर्य समाज में धर्म को ही प्रधान बताया है।

अतएव यह निर्भीकता से कहा जा सकता है कि यदि भारत में साधारण शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी स्थान दिया गया होता और धर्म के सही और मूल सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया होता तो निस्सन्देह भारतवर्ष अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुग्री, सम्पन्न एवं समृद्धिशाली होता।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतें भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और अन्ततः देश में आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। प्राचीन भारत में पंचायतें समाज के संगठन की आधारशिलाएँ थीं। श्री एलफिन्सटन के अनुसार “इन ग्रामों में (अम्बई प्रान्त) छोटे पैमाने पर अपने अन्दर ही एक पूर्ण राज्य के सभी उपकरण हैं और यदि सभी सरकारों को यहाँ से हटा लिया जाय, तो भी पंचायतें ग्रामों की सुवृद्धा के लिए पर्याप्त हैं।” इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इन पंचायतों को पुनः प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पंचायत राज्य की स्थापना की है। देश में ग्राम पंचायतों की पुनर्स्थापना निस्सन्देह एक क्रान्तिकारक कार्य है जो शीघ्र ही आमरण जीवन के स्तर को ऊँचा करने तथा अन्नतोषण देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगा।

प्रश्न

- 1 In what manner do the important social and religious institutions help or hinder the economic progress of the people in India - Give examples. (Punjab, 1954)
- 2 Discuss the economic consequences of the caste system. Do you think there is any justification for its continuance in the present conditions? (Agra 1954)
- 3 Write a short note on Joint family system. (Agra 1957)

भारत की जनसंख्या—तथ्य, समस्या तथा उपाय

(The Population of India—Facts, Problems, and Remedies)

किसी देश की अर्थव्यवस्था या अभ्ययन उस समय तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक उस देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन न कर लिया गया हो। देश की आर्थिक उन्नति के लिए केवल प्राकृतिक साधनों का ही महत्व नहीं है क्योंकि प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसकी मानवी शक्ति (human resources) होती है। इस कारण देश की प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त उस देश की जनसंख्या की प्रगति एवं उसकी कार्यक्षमता पर बहुत बल निर्भर है।

जनसंख्या के अध्ययन का महत्व

(Significance of the Study of Population)

किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन उस देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। यह स्पष्ट है कि किसी देश की उन्नति उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा और प्रकृति के अन्य प्राकृतिक उपहारों (other free gifts of nature) पर जितना निर्भर करती है उससे अधिक उसके निवासियों पर। कारण यह है कि एक ओर तो जनसंख्या उत्पात्ति या प्रमुख साधन है अर्थात् देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग राष्ट्र की श्रमशक्ति द्वारा ही होता है, दूसरी ओर देश के समस्त उत्पादन एवं प्रकृति के समस्त साधनों के शोषण का लक्ष्य देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही किया जाता है। अन्य शब्दों में जनशक्ति द्वारा ही उत्पादन सम्भव है और समस्त उत्पादन जनशक्ति के लिए ही किया जाता है।

(Population helps production and all production is for population.)

जनसंख्या के अध्ययन के महत्व का दूसरा कारण यह है कि आधुनिक युग में जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है, देश के विकास सम्बन्धी योजना के निर्माण के लिए यह जानना आवश्यक है कि देश की कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या की वृद्धि किस गति से हो रही है? देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण का क्या रूप है तथा जनसंख्या की रचना किस प्रकार की है? जनसंख्या के ऐसे अध्ययन द्वारा देश की कार्यक्षम जनशक्ति का अनुमान हो जायेगा जिससे उस देश

क निवासियों की सम्पूर्ण कार्यशक्ति का आभास हो सकेगा। ऐसी कार्यशक्ति का देश क आर्थिक विकास क लिए उच्चतम उपयोग करना आर्थिक नियोजनों का उत्तरदायित्व है। उदाहरणार्थ यदि हम किसी देश क लिए आर्थिक योजना का निर्माण करते हैं तो यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उस देश का कितना भाग कार्य करने योग्य है। साधारण तौर पर १५ से ६० वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या (working population) में माना जाता है। इस दृष्टि से यदि हम देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु-समूह (different age groups) में वर्गीकरण कर लें तो हमें देश की कार्यक्षम जनसंख्या का सही अनुमान हो जायेगा, जो आर्थिक योजना एवं रोजगार (economic planning and employment) में अपना विशेष स्थान रखता है।

जनसंख्या और राष्ट्रीय आय

(Population and National Income)

किसी देश की राष्ट्रीय आय का उस देश की जनसंख्या से गड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जनसंख्या का कितना अधिक भाग कार्यशील होने क कारण राष्ट्र की विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त होगा उसी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्भव होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय देश की जनशक्ति क लिए उपलब्ध रोजगार क साधना (avenues of employment) पर भी निर्भर करती है। यदि किसी देश की अधिकांश जनता बेकार है या जिसके लिये पर्याप्त कार्य उपलब्ध न हो तो उस देश की राष्ट्रीय आय, निस्संदेह ऐसे देश की तुलना में कम होगी जहाँ सम्पूर्ण जनशक्ति के लिये पर्याप्त कार्य उपलब्ध हो। इससे अतिरिक्त राष्ट्रीय आय किसी देश की प्रकृति क गुण (nature and qualities) पर भी निर्भर होता है। अर्थात् धनी आमादी और अधिक कार्यक्षम जनसंख्या होने पर भी यदि देशवासियों में राष्ट्र क उत्साह में वृद्धि का वाग्यता एवं इच्छा (ability and willingness) न हो तो उस देश का आर्थिक विकास (economic growth) बढ़ाने सम्भव नहीं। इस कारण किसी देश की आर्थिक समृद्धि क राष्ट्रीय आय देशवासियों क उन व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है जो आर्थिक उत्थिति क लिए अत्यन्त आवश्यक हैं वरु भौतिक पदार्थों में रुचि (liking for material things), नये विचारों का ग्रहण करने का तत्परता (responsiveness to new things), नई विधियाँ का सीखने का इच्छा (desire to learn new techniques), सामान्य वाग्यता (general ability), गतिशीलता (mobility), उद्योग और साधन-सम्पन्नता (industry and resourcefulness) इत्यादि।

अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की समस्या (The Problem of Population in an Underdeveloped Economy)

एक पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था की तुलना में पूर्णतया भिन्न होती है। जैसे तो जासूसी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है परन्तु एक अर्थव्यवस्था में उन्नी विशप समस्याओं के कारण जनसंख्या का विशप महत्व होता है। स्वीडन के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रो० गुन्नार मर्डल (Prof Gunnar Myrdal) के अनुसार अर्थव्यवस्था में जहाँ एक श्रम श्रौखण्ड आय का स्तर (average level of income) बहुत भिन्न होता है, वहाँ दूसरी श्रम जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जाता है। इसी प्रकार दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में विकास सम्बन्धी समस्याएँ उनके आकार की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। आज जो विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या प्रारम्भ में बहुत कम थी, उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड की जनसंख्या उद्यम पूर्व औद्योगिक काल (pre industrial era) के समय तक एक करोड़ से लगभग थी। इस कारण से इन गिने गिने विकसित राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था का शोषण पर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकने में समर्थ थे। इन्हें उनके आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये एक साधन समझा जाता था और उन द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिये एक विस्तृत बाजार। यही नहीं तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था ने भी उनके आर्थिक विकास में भी बहुत योग दिया, जिसका कारण बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपने छोटे छोटे अर्थव्यवस्था राष्ट्रों का अपनी दासता ही बेड़िया में समझ लिया। अर्थव्यवस्था देशों के आर्थिक विकास के लिये ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं। उनके सामने विशाल एवं दिनोन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के आर्थिक पर्याय और उच्च स्तर प्रदान करने की जटिल एवं भीषण समस्या है।

भारत की जनसंख्या के मूलभूत तथ्य (Basic Facts about Indian Population)

(१) जनसंख्या का आकार (Size of Population)—भारत में सस्तर में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या का आकार बहुत विशाल है। चीन को छोड़कर सस्तर में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जम्मू और काश्मीर, गुजरात, तमिल, असम के बड़, क्षेत्रों को छोड़कर भारत में की जनसंख्या ३५,६८,७६,४८२ थी। जम्मू काश्मीर राज्य की जनसंख्या लगभग ४४ लाख है और असम के (Tribal Areas) की ५७ लाख थी। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार ३६ १८

करोड़ थी। ऐसा अनुमान किया जाता था कि प्रति वर्ष १३ प्रतिशत की औसत वृद्धि होता गई तो १९५८-५९ तक भारत की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ हो जायगी।

(२) देश की वर्तमान जन संख्या—भारत की जनसंख्या आजकल कितनी है? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organization) व एक विशेष अध्ययन दल (Special Study Group) का अनुमान जानने योग्य है। इस अनुसार १ मार्च सन् १९६१ तक भारत की जनसंख्या ४३० करोड़ मिलियन हो जायगी और सन् १९६६ तक यह जनसंख्या बढ़ कर ४७६ करोड़ मिलियन तक पहुँच जायगा। देश की आगामी जनगणना १९६१ में होगी और जन तक सन् १९६१ की जनगणना व परिणाम ज्ञात नहीं हो जाते तब तक यही अनुमान आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना व निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

(३) विभिन्न राज्यों की जनसंख्या (Population in Different States) — १ नवम्बर सन् १९५६ को हमारे देश में राज्यों का पुनर्संगठन हुआ। १९५१ की जनगणना व आधार पर भारत की पुनर्संगठित जनसंख्या निम्न तालिका में उनकी जनसंख्या क्रम में दी जाती है —

राज्य	जनसंख्या (लाखों में)	केंद्र शासित क्षेत्र	जनसंख्या (लाखों में)
उत्तर प्रदेश	६३२	दिल्ली	१७
बम्बई	८३	भरतपुर	६
बिहार	३८८	हिमाचल प्रदेश	११
आन्ध्र प्रदेश	३१३	त्रिपुरा	६
मद्रास	१००	अदमान नीकोबार द्वीप	३
पश्चिमी बंगाल	२६३	लखादिव, मिनीत्राय	२
मध्य प्रदेश	२६१	एन अमिनीदिव	
मैसूर	१९४		
पंजाब	१६१		
राजस्थान	१५९		
उड़ीसा	१४६		
करल	१३५		
असम	९०		
जम्मू व काश्मीर	४४		

• उपरोक्त अनुमान से यह स्पष्ट है कि आज भारत की जनसंख्या ४० करोड़ से अधिक हो जायगी।

(४) जनसंख्या का वितरण ग्रामों तथा नगरों में (Distribution of Population between Towns and Villages)—उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारतभर की जनसंख्या का वितरण विभिन्न राज्यों में किस प्रकार हुआ है। अब हम देखेंगे कि देश में नगरों तथा ग्रामों में देश की जनसंख्या का वितरण का क्या रूप है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनता खेती पर आश्रित है इस कारण देश का अधिकांश भाग ग्रामों में निवास करता है। किसी लेखक ने स्पष्ट लिखा है 'भारत ग्रामों का निवास' है, (India lives in villages) कुल जनसंख्या का केवल १७.३% अर्थात् ६२ मिलियन शहरों और नगरों में तथा ८२.७% भाग अर्थात् २६५ मिलियन ग्रामों में बसा हुआ है। इस समय भारत में लगभग ३,०१८ नगर और ५,५८,०८८ ग्राम हैं निम्न तालिका से जनसंख्या के आधार पर नगरों और ग्रामों की संख्या का ज्ञान हो सकता है —

शहर और ग्राम जिनकी जनसंख्या	संख्या
५०० से कम	३,८०,०२०
५०० से १,०००	१,०४,२६८
१,००० से २,०००	५१,७६६
२,००० से ५,०००	२०,५०८
५,००० से १०,०००	३,१०१
१०,००० से २०,०००	८५६
२०,००० से ५०,०००	४०१
५०,००० से १,०,००००	१११
१,००,००० से अधिक	७३
कुल योग	५,६१,१०७

(५) जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)—किसी देश की 'जनसंख्या के घनत्व' से हमारा आशय इस देश में प्रतिवर्ग मील रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है। अर्थात् एक वर्ग मील में कितने लोग बसे हुए हैं। जनसंख्या का घनत्व सम्पूर्ण देश के लिए निकाला जा सकता है अथवा देश के किसी प्रदेश व भाग का, जिसमें निवास करने की रीति बड़ी सरल है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या को देश अथवा प्रदेश के कुल क्षेत्रफल से भाग देकर जनसंख्या का घनत्व निकाला जा सकता है।

जनसंख्या के घनत्व का महत्त्व (Significance of the Density of Population)—किसी देश की जनसंख्या का घनत्व का ज्ञान उस देश की वस्तुनिष्ठ आर्थिक एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जनसंख्या के घनत्व से हमें इस बात का पता लगता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों का राष्ट्र की जनसंख्या अथवा जनशक्ति का वितरण का क्या स्वरूप है। जैसा आगे चलकर हम भारत के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व की जानकारी से स्पष्ट होगा कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व एक-सा नहीं है। उनमें भीषण विभक्तता है। उदाहरणार्थ जब एक और जगह में जनसंख्या का घनत्व ८०६ है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में केवल १६३ है। इसी प्रकार सबसे अधिक घनत्व देहली का है जो ३,०१७ है तो अन्डमन नीकोबार का सबसे कम है जो १० है। जनसंख्या का घनत्व से किसी स्थान अथवा प्रदेश की जलवायु, वहाँ हाने वाली पर्याय तथा उपलब्ध भूमि, सिंचाई का साधन तथा उद्योग धर्मों की स्थिति, एवं रोजगार के उपलब्ध साधनों की वस्तुनिष्ठ दशा का ज्ञान होता है जिसके कारण किसी एक स्थान पर दूसरे स्थान की अपेक्षा अधिक व्यक्ति आकर्षित होते हैं।

भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व (Density of Population in India)—सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या का औसत घनत्व ३१३७ प्रति वर्गमील था। निम्न तालिका में देश के विभिन्न प्रमुख राज्यों के घनत्व को प्रदर्शित किया गया है। यह तालिका १९५१ के जनगणना के आँकड़ों पर आधारित घनत्व के अनुमानों पर दिये गये हैं —

राज्य	घनत्व	राज्य	घनत्व
दिल्ली	३,०१७	मैसूर	३०८
आमनगोर घोड़ीन	१,०१५	मध्य प्रदेश	१६३
पश्चिमी बंगाल	८०६	राजस्थान	११७
बिहार	५७२	असम	१०६
उत्तर प्रदेश	५५८	हिमाचल प्रदेश	६४
पंजाब	३३८	कर्णाटक	३५
बम्बई	३२३	अण्डमन निकोबार द्वीप	१०

उपरोक्त तालिका से देश की जनसंख्या व घनत्व में प्रादेशिक विभिन्नता स्पष्ट है इस विभिन्नता के अनेक कारण हैं जो निम्न हैं—

जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व (Factors governing Density of Population)

(१) जलवायु (Climate)—जनसंख्या व घनत्व पर जलवायु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यप्रद है तो उस क्षेत्र में अधिक लोगों का निवास होगा जिससे उस क्षेत्र का घनत्व भी अधिक होगा परन्तु यदि जलवायु ऐसी हो जहाँ अनेक प्रकार की बीमारियों को प्रोत्साहन मिलता हो जैसे, असम की जलवायु में मलेरिया का प्रकोप रहता है, तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा, यह स्वाभाविक है।

(२) वर्षा (Rainfall)—भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण जिस क्षेत्र अथवा स्थान पर खेती के लिए आरक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक ही अधिक होता है। खेती के लिए वर्षा जीवन-सजीवनी है इस कारण जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में तथा उपयुक्त समय पर होती है वहाँ प्रति वर्गमील अधिक आबादी होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इस कारण घनी आबादी वाले प्रदेश भी यही हैं। हाँ यह अत्यधिक जानने योग्य बात है कि असम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, फिर भी वहाँ आबादी

कम है क्योंकि जनसंख्या के घनत्व का पहला तत्व जलवायु ही है। असम, जहाँ मलेरिया का भीषण प्रकोप रहता है वहाँ भी जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम है।

(३) भूमि की उर्वरता (Fertility of Soil)—अच्छी उपज वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होना स्वाभाविक ही है जिससे कारण कृषिकों को कम लागत और कम परिश्रम से अधिक प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है।

(४) सिंचाई (Irrigation)—जनसंख्या का घनत्व जेजल वर्षा पर ही निर्भर नहीं करता कृषि जिन क्षेत्रों में सिंचाई का पयाप्त साधन उपलब्ध है वहाँ वर्षा की इस कमी को किसी हद तक पूरा कर लिया गया है और इसी कारण जिन क्षेत्रों में पहले वर्षा न होने से जनसंख्या का घनत्व कम था वहाँ नहरों जैसे सिंचाई के अन्य कृत्रिम साधनों की उपलब्धि के फलस्वरूप प्रति वर्गमील जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती गई है।

(५) सुरक्षा (Security)—जिन क्षेत्रों में जान व माल की सुरक्षा होती है वहाँ अधिक लोग रहने लगते हैं और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है। हमारे देश में विभाजन के बाद सीमान्त क्षेत्रों में, जहाँ धार्मिकान्तानी क्षेत्र से बयान आतंक व सतरा बना रहता है, जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है।

(६) रोजगार के साधन (Avenues of Employment)—जिन स्थानों में रोजगार एवं जीविकोपार्जन के साधन अधिक उपलब्ध हैं वे स्थान सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद आदि, जहाँ रोजगार के आकर्षण के फलस्वरूप दूर-दूर के स्थानों से लोग आकर रहने लगते हैं और इससे कारण जनसंख्या के घनत्व में निरन्तर वृद्धि होती जाती है।

संसार के प्रमुख देशों की जनसंख्या के घनत्व का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of the Density of Population of Important Countries of the World)

निम्न तालिका में हम संसार के कुछ प्रमुख देशों की जनसंख्या के घनत्व की भारत के औसत घनत्व से तुलना करेंगे —

देश	घनत्व (प्रति वर्ग मील)
भारत	३१३
आस्ट्रेलिया	३
कनाडा	३
फ्रान्स	२५०
इटली	३६४
स्वीजरलैण्ड	३१२
यूनाइटेड किंगडम	<u>५३५</u>
संयुक्त राज्य अमेरिका	५४
सोवियत रूस	२३

जनसंख्या के घनत्व का आर्थिक समृद्धि में सम्बन्ध / Relation between Economic Prosperity and Density of Population)

अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी देश की जनसंख्या के घनत्व का उसकी आर्थिक समृद्धता से कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में दो विचार प्रस्तुत किये जाते हैं। एक विचार के अनुसार अधिक घनत्व से देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है क्योंकि किसी स्थान पर भारी संख्या में उद्योगी एवं परिश्रमी जनसंख्या के एकीकृत होने के फलस्वरूप उस क्षेत्र अथवा प्रदेश के प्राकृतिक ससाधनों का समुचित विकास सम्भव हो सके के कारण भौतिक एवं आर्थिक समृद्धि अक्षय होगी परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि देश की जनसंख्या का घनत्व सदैव आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। सभार के प्रमुख देशों की उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित जनसंख्या के घनत्व के अध्ययन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास देश की जनसंख्या के घनत्व से सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ सभार में कुछ ऐसे मुद्रिभसित एवं विशाल राष्ट्र हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है परन्तु फिर भी आर्थिक उन्नति की दौड़ में वे सबसे आगे हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस इत्यादि जहाँ जनसंख्या का घनत्व क्रमशः ५४, ३ व २३ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि केवल जनसंख्या के घनत्व पर ही निर्भर नहीं करती। देश की जनसंख्या का घनत्व तो केवल मानवी ससाधनों (Human Resources) अथवा जनशक्ति का द्योतक मात्र है। राष्ट्र की उन्नति के लिए देश में रहने वाले व्यक्तियों के ऊर्जा, योग्यता, कार्यक्षमता तथा प्राकृतिक ससाधनों एवं पूँजी के कुशल उपयोग की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

स्त्री-पुरुष अनुपात (Sex-Ratio)

स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ—किसी देश के स्त्री-पुरुष अनुपात

आशय है उस देश में प्रत्येक एक हजार पुरुष अथवा स्त्री के पीछे कितनी स्त्रियाँ अथवा पुरुष हैं।

अध्ययन का महत्व—देश की जनसंख्या का अध्ययन उसने स्त्री पुरुष का अनुपात की दृष्टि से मुख्यतया ऐसे देशों के लिए विशेष महत्व रखता है जहाँ सम्यक्ता का उदय तथा सामाजिक प्रगति मंद गति से होने के कारण देश की स्त्रियाँ देश की आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय भाग नहीं लेती। आधुनिक युग में जहाँ एक ओर नये नये देशों में स्त्रियाँ ने निरन्तर प्रगति करके पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त कर लिया है और आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रह कर वे भी देश की राष्ट्रीय आय का उत्पादन में अपना सहयोग देती हैं—जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा सोवियत रूस इत्यादि—वहाँ दूसरी ओर भारत व पाकिस्तान जैसे अन्य पिछड़े देशों में स्त्रियाँ अब भी आर्थिक क्रियाओं से दूर रहती हैं। उनका यह स्तम्भिलता का ही कार्य मुख्य कार्य तथा घर की चहारदीवारी ही उनका आदर्श स्थान समझा जाता है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या ३,५६६ लाख थी जिसमें से १,८३२ लाख अर्थात् ५१.४ प्रतिशत पुरुष और १,७३४ लाख अर्थात् ४८.६ प्रतिशत स्त्रियाँ थीं। भारत में एक हजार पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। परन्तु भारत का कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ स्त्रियाँ की संख्या पुरुषों से अधिक है, जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है —

राज्य	स्त्रियाँ की संख्या (प्रति हजार पुरुष)
केरल	१,००८
मध्य प्रदेश	१,०१७
मण्डीपुर	१,०३६
उड़ीसा	१,०४०
मद्रास	१,०५४
बिहार	१,०७६

उपरोक्त तालिका में दिये गये भारत का कुछ इन्ने गिने ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ स्त्रियाँ की संख्या पुरुषों से अधिक है परन्तु देश की सामान्य स्थिति इससे भिन्न है। साधारणतया हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ की संख्या कम है। इसका मुख्य कारण स्त्रियाँ में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होता है। यद्यपि जल्दा बच्चा म स्त्रियाँ की अपेक्षा पुरुषों में अधिक मृत्यु होता है फिर भी शिशु उत्पन्न करने वाली आयु (child bearing age) अर्थात् १५ से ४५ वर्ष की आयु में स्त्रियों की अधिक संख्या में मृत्यु होती है। यही कारण है कि हमारा देश में स्त्रियाँ की जनसंख्या में निरन्तर ह्रास होता रहता है। इसका अतिरिक्त स्त्रियों की अधिक मृत्यु होने का कई

सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी हैं। हमारे देश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ अधिकांश स्त्रियाँ व पुरुष अशिक्षित हैं। उनका दृष्टि क्षेत्र सीमित होता है। पदों की प्रथा एवं अस्वच्छ वातावरण में अधिक परिश्रम व अशुद्ध भोजन मिलने व फलस्वरूप स्त्रियाँ अस्वस्थ हो जाती हैं और वे अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहती हैं, जैसे प्रदर, प्जर, क्षयरोग इत्यादि जिनके कारण स्त्रियाँ की अधिक मृत्यु होती है।

देश की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात असन्तुलित होने के परिणामस्वरूप तथा नागरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की निरन्तर प्रगति के कारण जब बड़े बड़े नगरों एवं शहरों की संख्या में प्रसार वृद्धि होती जाती है और अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग औद्योगिक कन्द्रों में आकर रहने लगे हैं जिससे एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। बड़े विशाल नगरों में आवास की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण श्रमिक अपने परिवार को ग्राम ही में छोड़ आते हैं, इसके स्त्री पुरुष अनुपात में अन्तर (disparity in sexes) उत्पन्न हो जाता है जो अनेक सामाजिक एवं अनैतिक क्रियाओं को जन्म देता है, जो देश की जन शक्ति एवं जन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिप्रद है।

आयु-वर्ग (Age Structure)

महत्त्व—किसी देश की जनसंख्या का अनुमान लगाने समय प्रत्येक व्यक्ति की आयु की भी जानकारी कर ली जाती है जिससे सम्पूर्ण जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में विभक्त करने में सरलता होती है। देश का आयु वर्ग (age structure) उस देश के आर्थिक जीवन को मजबूत करने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जनसंख्या के विभिन्न आयु समूहों के विभाजन से हम इस बात का ज्ञान हो जाता है कि देश में कार्यशील जनसंख्या (working population) कितनी है। जिससे जानकारी राष्ट्र की आर्थिक योजना के निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी होती है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हम भारत की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं —

वर्गीकरण	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग
शिशु व बालक	०—४	१३.५
लड़कू व लड़कियाँ	५—१४	२४.८
युवक व युवतियाँ	१५—२४	१७.४
	२५—३४	१५.६
प्रीढ़ पुरुष व स्त्रिया	३५—४४	११.६
	४५—५४	८.५
वृद्ध पुरुष व स्त्रियाँ	५५—६४	५.१
	६५—७४	२.२
	७५ से ऊपर	१.०
	कुल योग	१००

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का ३८.३ प्रतिशत है। इस आयु समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का केवल २७.१ प्रतिशत भाग आता है। इससे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे देश में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा शिशुओं तथा बालकों की संख्या अधिक है जो इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में जन्म दर काफी ऊँची है। उपरोक्त तालिका से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे देश की कार्यव्यस्त जनसंख्या क्या है। साधारण तौर पर १५ से ५५ वर्ष की आयु के व्यक्तियों से अपनी जीविका स्वयं कमाने की आशा की जाती है जिसके अन्तर्गत हमारे देश की जनसंख्या का ५३.४ भाग आता है। ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् वृद्धावस्था प्रारम्भ हो जाती है। अर्थात् इस या इससे अधिक अवस्था वाले लोग भी अपनी जीविका के लिए दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश की ५३.४ प्रतिशत जनसंख्या जो कि कार्यशील जनसंख्या कही जा सकती है इसको अपने ऊपर आश्रित देश की कुल जनसंख्या के अर्ध ४६.६ प्रतिशत भाग के लिए भी जीविका कमाना पड़ती है। इस प्रकार देश की आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या का अधिक से अधिक भाग आर्थिक कार्य में व्यस्त होने के योग्य हो। देश की कार्यव्यस्त जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। आयु-वर्ग की उपरोक्त तालिका से एक और महत्वपूर्ण तथ्य का ज्ञान होता है। देश की जनसंख्या का कुल ८.३ प्रतिशत भाग ऐसा है जिसमें ५५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। यह सर्वविदित है कि आयु के साथ-साथ किसी व्यक्ति में

ज्ञान की वृद्धि होती है। अतः उनके संचित ज्ञान एवं अनुभव से राष्ट्र को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचता है। बाल्य में देश के पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे ही अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है। निम्न तालिका से विदित होगा कि हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में ऐसी आयु वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।—

राष्ट्रों के नाम

५५ वर्ष से अधिक आयु वाले
(कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग)

भारतवर्ष	८३
जर्मनी	१६.१
यूनाइटेड किंगडम	२१.१
फ्रान्स	२१.४
उत्तरी अमेरिका	१६.६
जापान	११.०
इटली	१२.०

उपरोक्त तालिका से यह मिलसुल स्पष्ट है कि योरोप के कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ ५५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या भारत की तुलना में काफी अधिक है जिससे कारण वहाँ अधिक समय तक अनुभवशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति अपने राष्ट्र की सेवा तथा उसके पथ प्रदर्शन में समर्थ होते हैं। भारतवर्ष में इस आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का केवल ८.३ प्रतिशत भाग हमारी निर्मलता का घातक है।

जीवन की आशा या अवधि (Expectation of Life)—किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चों के जीवित रहने की आशा कितने समय तक की जा सकती है इससे हमें उस देश के जनसाधारण के स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में जीवन की अवधि बहुत कम है। सन् १९३१ की जनगणना के अनुसार एक भारतवासी की आयु केवल २७ वर्ष थी जो १९३१ से ४१ के बीच घट कर केवल २३ वर्ष थी। १९४१ से ५१ के जीवन की अवधि बढ़कर ३२ वर्ष तक पहुँच गई। निम्नतालिका से विदित होगा कि संसार के अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारतवर्ष की जीवन अवधि बहुत कम है :—

राष्ट्र	औसत आयु (वर्ष)
नार्वे	६६
यूनाइटेड किंगडम	६८
यू० एन० ए० (अमेरिका)	६७
न्यूजीलैंड	६७
भारत	३२

जन्म तथा मृत्यु-दर (Birth and Death Rate)

निम्न तालिका में भारतनप की जन्म तथा मृत्यु दर का अन्य देशों से तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जन्म तथा मृत्यु की दृष्टि से सभार के अनेक नई देशों से आगे बढ़ा हुआ है।

देश	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)
भारत	३०.५	११.७
जापान	२०.१	८.२
फ्रान्स	२८.७	८.२
न्यूजिलैंड	२५.८	६.०
संयुक्त राज्य अमेरिका	२४.६	६.२
यू.के.	१५.६	११.४
प्रान्त	१८.८	१२.०
इटली	१७.६	६.२

भारत में जन्म-दर अधिक होने के कारण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से विदित होगा हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में जन्म दर अधिक है निम्न कारण हैं —

(१) बाल विवाह—भारत में जन्म दर अधिक होने का उत्तरदायित्व बहुत कुछ उसका बाल विवाह जैसी प्राचीन प्रथा पर है जिसके फलस्वरूप छोटी आयु में ही बच्चा का पैदा होना शुरू हो जाता है।

(२) धार्मिक विचार—भारत जैसे धर्म प्रधान देश में बच्चा का जन्म एवं धार्मिक महत्त्व रखता है। शिवाय कि मृत्यु का बाद उसका आत्मा को शान्ति देने के लिए उच्च शक्ति का पुत्र प्राप्त होना आवश्यक है। इसी कारण धार्मिक दृष्टि से बच्चे पैदा करना आवश्यक है।

(३) सामाजिक आदर्श—भारत का जन्म सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है। भारतनप में उन विवाहों की पूर्णा की दृष्टि से देखा जाता है जो सन्तानरहित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दम्पति को इसकी तीव्र इच्छा होती है कि उसका कुछ रूप ही जिससे वह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाये।

(४) सन्तान नियोजन (Family Planning) के ज्ञान का अभाव—हमारे देश में सन्तान नियोजन का महत्त्व केवल कुछ इने गिने शिक्षित व्यक्तियों में

ही समझा जाता है। देश की अधिकांश जनता जनसंख्या नियमन उपायों से पूर्णतया अनभिज्ञ है इससे भी जन-दर अधिक है।

(५) निर्धनता—भारतवासियों की निर्धनता भी देश की उच्च जन दर का कारण है।

सुझाव—उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि यदि हम देश का जन-दर को कम करना है तो हम विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक अंध विश्वासों का दूर करने का प्रयत्न करना होगा। देश में शिक्षा का प्रसार द्वारा हम देशवासियों का दृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं जिससे जनसंख्या नियमन के लिए उद्युक्त वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

मृत्यु-दर ✓

शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality)—जिस प्रकार हमारे देश में जन-दर अधिक है उसी प्रकार मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में काफी ऊँची है। मृत्यु-दर का सम्बन्ध में हम शिशु मृत्यु दर एवं स्त्री मृत्यु दर का अध्ययन करेंगे। निम्न तालिका में कुछ अन्य देशों की तुलना में भारतवर्ष की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार दी गई है —

देश	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)
भारत	१०१ ✓
शीलका	७२
जापान	४८.६
कनाडा	३१.८
न्यूजीलैंड	१४.१
संयुक्त राज्य अमेरिका	२६.८
स्विट्जरलैंड	२७.२
यूनाइटेड किंगडम	२६.१

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा काफी ऊँची है। अत्यधिक शिशु मृत्यु दर का निम्न मुख्य कारण है —

(१) माताओं का अस्वस्थ जीवन—हमारे देश में माताओं का स्वास्थ्य अनेक कारणों से विगड़ जाता है जैसे अत्यधिक परिश्रम, अस्वस्थ वातावरण में रहना, पदों की प्रथा एवं उनका अनेक बीमारियों में ग्रस्त होना। माताओं के खराब स्वास्थ्य का होना उनका शिशुओं पर भी बुरा प्रभाव डालता है जिसके कारण बच्चों की मृत्यु अधिक होती है।

(२) माताओं का अस्वास्थ्य वर्धक भोजन—देश की अधिकांश जनता निर्धन है जिसका कारण यह सम्भव नहीं कि माताओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हो सक, यहाँ तक कि गर्भिणी होने के समय देश की अधिकांश स्त्रियाँ को आवश्यक स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन दिया जा सके। इसका उनका स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है साथ ही उनके बच्चे भी दुर्बल एवं कमजोर होते हैं जो विभिन्न बीमारियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं।

(३) अस्वच्छता—देश की अधिकांश जनता गन्दे तथा अस्वच्छ वातावरण में अधिनाश जीवन निर्वाह करती है। अपने दैनिक जीवन में भी हमारी ग्रामीण जनता सफाई की ओर ध्यान नहीं देती जिससे अनेक बीमारियाँ का जन्म होता है और प्रायः महामारी एवं अनेक भीषण बीमारियाँ के कारण हजारों शिशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है।

(४) प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—हमारे देश में ऐसे अस्पतालों की बहुत कमी है जहाँ जन-साधारण का प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त हो सकें तथा जच्चा-धच्चा की उचित देखभाल हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन के समय प्रायः अशिक्षित एवं अनुशुल दाइयाँ ही उपलब्ध होती हैं जिसका कारण अत्यधिक शिशु मृत्यु दर होना स्वाभाविक ही है।

(५) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी—देश की अधिकांश जनता ग्रामीणों में निवास करती है जहाँ बीमारियाँ के फैलने पर चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं होता और भारी सख्ता में बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं।

✓ स्त्री मृत्यु-दर—देश में अत्यधिक स्त्री मृत्यु दर के विभिन्न कारण हैं। इस सम्बन्ध में यह बात जानने योग्य है कि हमारे देश में १५ से ४५ वर्ष की आयु ऐसा है जिस काल में स्त्रियाँ बच्चा का जन्म देती हैं। दुर्भाग्य से यही आयु ऐसी है जिसमें सन्ध अति अधिक स्त्रियाँ मर जाती हैं जो इस बात का सबूत है कि हमारे देश में प्रसूत-काल ही स्त्रियों के लिए सन्ध घातक एवं जाहलम का समय होता है। स्त्री मृत्यु-दर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) छोटी आयु में विवाह हो जाना—जन्म के सम्बन्ध में अपत्यात रिवाज होने के कारण बाल्यन अवैध होने पर भी गलत विवाह की प्रथा भारत में बहुत हद तक प्रचलित है। छोटा उम्र में विवाह होने के फलस्वरूप लड़कियाँ अपरिपक्व अवस्था में ही माता बन जाती हैं और प्रसूत सम्बन्धी कठिनाइयाँ सहन नहीं कर पाती हैं।

(२) जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा होना—हमारे देश में अधिकांश स्त्रियाँ के बच्चे जल्दी-जल्दी पैदा होते हैं। बच्चों के जन्म सम्बन्धी अपत्यात अन्तर होने के कारण माताओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और अनेक बीमारियाँ में प्रसूत हो जाने के कारण शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।

(३) प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—जैसा कि ऊपर देखा चुके हैं भारत में प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी भी स्त्री मृत्यु दर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

(४) सामाजिक रीति रिवाज—भारत में विभिन्न सामाजिक कृत्याओं के कारण भी स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जैसे स्त्री शिक्षा के प्रति अरुचि, पदा प्रथा आदि।

समस्या के हल के हेतु सुझाव—भारत में अत्यधिक शिशु एवं स्त्री मृत्यु दर होने के कारण इस श्रेणी के आवश्यक कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि माताओं को कम से कम एक गर्भशाला में एक शिशु जन्म के कुछ समय पश्चात् तब स्वास्थ्यवर्धक एवं वैष्टिक भोजन दिया जाये। प्रकृत सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, चिकित्सा का उचित प्रबंध हो तथा गलत विचार एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनमें आवश्यक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए।

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण (Occupational Distribution of Population)

महत्त्व—किसी देश का आर्थिक जीवन उस देश की जनसंख्या के पेशेवर वितरण द्वारा निर्धारित होता है। देश की जनसंख्या के पेशेवर वितरण से इस बात का ज्ञान होता है कि उस देश की कितनी जनसंख्या किन किन आर्थिक क्रियाओं तथा उद्योगों में व्यस्त है। ऐसी जानकारी के फलस्वरूप ही संसार के विभिन्न राष्ट्रों में से कुछ को औद्योगिक राष्ट्र तथा कुछ देशों को कृषि प्रधान देश कहना संभव होता है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारतभर में विभिन्न उद्योगों तथा पेशों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है —

पेशा	आश्रित जनसंख्या (लाखों में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
कृषि	२४६०	६६.८
अन्य प्रकार के उद्योगों में (कृषि को छोड़ कर)	३७७	१०.५
व्यापार	२१३	६.०
यातायात	५६	१.६
अन्य	४३०	१२.१
कुल योग	३५६६*	१००.०

*उपरोक्त तालिका में कुल जनसंख्या ३५६६ लाख में केवल ३५६६ लाख

जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव—उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतवर्ष की जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर है। इस कारण भारत एक कृषि प्रधान देश है। उद्योग तथा अन्य पेशों में लगे हुए लोगों की संख्या कम होने के कारण हमारी आर्थिक योजनाओं में खेती के विकास पर विशेष महत्त्व दिया गया है। वही कारण है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) एक कृषि योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी सफलता कृषि के विकास पर निर्भर करती है। एक और महत्त्वपूर्ण बात जो देश की जनसंख्या का पेशावर वितरण में प्रदर्शित करने वाली उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वह यह कि हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है तथा भारतीय आर्थिक जीवन बहुत हद तक असंतुलित संस्था में है जो उच्च मंद गति से आर्थिक विकास का एक मुख्य कारण है अथवा कृषि पर निर्भर होना जिससे देश की राष्ट्रीय आय में असंतुलन होता रहता है जिससे राज्य की आय निरन्तर घटती बढ़ती रहती है। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि “भारतीय बजट मानसून में एक जुवा है।” (Indian budget is a gamble in monsoons) कारण यह है कि जिस वर्ष देश में फसल अच्छी होती है उस साल अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाता है, कृषि की अवस्था सुधर जाती है, राजस्व आय में वृद्धि होती है तथा देश के आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त आधुनिक धन उपलब्ध हो जाता है परन्तु यदि वर्ष या वर्ष किसी प्राकृतिक कारण के फलस्वरूप दुभाग्य से यदि किसी वर्ष फसल अच्छी न हो तो देश की समस्त अर्थव्यवस्था गिरावट जाती है और आर्थिक जीवन अस्त-वस्त हो जाता है। यही नहीं अथवा जनसंख्या के खतम लगे होने के कारण भूमि पर अधिक दबाव हो जाता है जो कृषि अर्थव्यवस्था में अनेक द्वेष उत्पन्न कर देता है, जैसे गन्ना का छोटे छाने द्वारा टुकड़ा में विभक्त हो जाना जिससे खेती में उत्पन्न बहुत कम हो जाता है।

नागरिकरण की समस्या (Problem of Urbanization)—जनसंख्या की वृद्धि के साथ भारतवर्ष में नागरिकरण की समस्या भी जाटल होना जा रही है। ऐसा कि बताया जा चुका है सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में कुल ६.१६ करोड़ प्रधान १७.३ प्रतिशत भाग शहरों तथा नगरों में रहता है और शेष ग्रामों में। सारा के अन्तर्गत देश में व्यक्ति ऐसी नहीं है। आदर्श के लिए मान्य में लगभग ५२ प्रतिशत तथा इंग्लैंड में ८० प्रतिशत भाग तक नागरिक जनसंख्या कही जा सकती है। भारतवर्ष में नगरों तथा ग्रामों में जनसंख्या के वितरण का रूप सदा

के सम्बन्ध में ही परामर्श वितरण संस्था आन्दे प्राप्त है। शेष ३ लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है।

ऐसा ही नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक स्थिति पूर्णतया भिन्न थी। परन्तु समय की गति के साथ साथ नागरीकरण में वृद्धि होती गई जिसके प्रमुख कारण ये हैं;—

(१) भूमि पर जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते भार के कारण ग्रामीण निवासियों को जीविकोपार्जन के अन्य साधनों की खोज करना आवश्यक हो गया और वे नगरों तथा शहरों में अधिक मात्रा में जा कर बसने लगे।

(२) औद्योगीकरण तथा मशीन के आगमन से नव-युग का प्रारम्भ हुआ और रोजगार के अनेक क्षेत्र नगरों में उपलब्ध होने लगे।

(३) नागरिक जीवन के प्रति अधिक आकर्षण होने का एक और कारण वहाँ अनेक सुख सुविधाओं का उपलब्ध होना है जो प्रायः ग्रामीण जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता।

(४) जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उड़े उड़े जमींदार कुटुम्बों का ग्रामों से नगरों तथा कस्बों की ओर बढ़ना स्वाभाविक ही था।

(५) देश के विभाजन ने भी नागरीकरण में योग दिया और व्यापार तथा वाणिज्य में अधिक रुचि होने के कारण विस्थापितों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए नगरों में ही रहना उचित समझा।

उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप इधर कुछ वर्षों से देश की नागरिक जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है —

वर्ष	कुल जनसंख्या की	
	ग्रामीण जनसंख्या	नागरिक जनसंख्या
१९२१	८८.७ प्रतिशत	११.२ प्रतिशत
१९३१	८७.६ "	१२.४ "
१९४१	८६.१ "	१३.९ "
१९५१	८२.७ "	१७.३ "

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले ३० वर्षों में नगरों की जनसंख्या में ६.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही नहीं, देश में बड़े-बड़े शहरों और नगरों में लोग छोटे छोटे नगरों की अपेक्षा रहना अधिक पसन्द करते हैं जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है :—

जनसंख्या	नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत भाग
१,००,००० तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में	३८ १ प्रतिशत
५०,००० से १,००,००० जनसंख्या वाले	३० १ ”
५,००० से ५०,००० जनसंख्या वाले	२८ ५ ”
५०० से कम जनसंख्या वाले	३ ३ ”

नागरिकरण का महत्त्व—इसके पूर्व कि हम यह देखें कि नागरिकरण का हमारे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जान लेना अधिक उपयुक्त होगा कि नागरिकरण का क्या महत्त्व है तथा किसी देश की जनसंख्या का ग्रामीण तथा नागरिक स्तरों में विभाजन से उस देश के राष्ट्रीय जीवन में किस तथ्यों का आभाव होता है।

(१) नागरिकरण से किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र (National Character) का ज्ञान होता है—नगर तथा ग्रामीणवासियों के चरित्र में अंतर होता है। जहाँ एक ओर ग्रामीण स्तरों में कृषि में व्यस्त निवासियों की प्रशंसा में प्रसिद्ध निचारक कैटो (Cato) ने कहा है, “The agricultural population produces the bravest men, the most valiant soldiers and a class of citizens the least given of all to evil designs” वहाँ उनका सम्बन्ध न यह भी प्रसिद्ध है कि वे सद्गुणों के अन्वेषण के तथा नवीन एवं उन्नतशील विचारों के प्रायः अन्वेषण के कारण आर्थिक विकास की दृष्टि में अधिक अपने नागरिक मंडलों की अपेक्षा प्रायः पीछे रहते हैं। नागरिक विपरीत विशाल दृष्टिकोण, उन्नत शैली के विचार तथा अधिक साधन सम्पन्न होते हैं। इस दृष्टि से भारत में सम्बन्ध में कहा जा सकता है, हम यह सरलता से कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक श्रेष्ठतम सभी अपेक्षाएँ एक निराल हैं।

(२) नागरिकरण से किसी देश का आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है—यदि देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और शहर तथा नगरों में रहने वालों की संख्या बहुत कम है तो हम यह नागरिक निराल समझें कि देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है तथा औद्योगिकरण के क्षेत्र में देश अभाव में है। इस प्रकार यदि देश की आर्थिक जनसंख्या शहरों तथा नगरों में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि देशवासियों का आधुनिक जीवन का अन्तर्गत प्रगतिशील स्तर

जैसे रेल, ग्राम, बस, डाक व तार, संचार साधन इत्यादि का आवश्यक मुनिषाय प्राप्त है।

भारत में एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों का संख्या लगभग ७३ है, जहां पिछले कुछ वर्षों से निरंतर अचानक वृद्धि होती जा रही है। हम नीचे दी गई तालिका में ऐसे दस प्रमुख नगरों की जनसंख्या में पिछले पच्चीस वर्षों में होने वाली प्रगति का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इस तथ्य का ज्ञान होगा कि भारत में किस गति से नागरीकरण (urbanisation) हो रहा है।

नगर	जनसंख्या में वृद्धि (लाखों में)		वृद्धि (लाखों में)
	१९०१	१९५१	
कलकत्ता	६०	४५८	३९८
मम्बई	५६	२८४	२२८
मद्रास	१६	१४२	१२६
दिल्ली	२३	१३८	११५
हैदराबाद	०२	१०९	१०७
अहमदाबाद	१३	७९	६६
बंगलूर	१५	७८	६३
कानपुर	०४	७१	६७
पूना	०८	५९	५०
लखनऊ	०२	५०	४८

नागरीकरण के प्रभाव (Effects of Urbanisation)—नागरीकरण का देश की अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में नागरीकरण के प्रमाण के दो पक्ष होते हैं। अर्थात् एक ओर जहां नागरीकरण द्वारा देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है वहां दूसरी ओर नागरीकरण के अनेक दोष भी होते हैं।

नागरीकरण के लाभदायक प्रभाव (Beneficial Effects of Urbanisation)

(१) **आर्थिक एवं औद्योगिक विकास**—नागरीकरण देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति में सहायक होता है। उड़े उड़े निश्चल उद्योग धंधों के लिए कुशल व परिश्रमी जनशक्ति की उपलब्धि के कारण देश का औद्योगिक विकास सरलता से हो जाता है।

(२) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—भूमि पर जनसंख्या में वृद्धि से निरन्तर बढ़ते भारत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जनशक्ति (surplus man power) को नागरीकरण के फलस्वरूप उपयोगी रोजगार (gainful employment) प्राप्त होता है। इससे बेकार जनशक्ति का आर्थिक उपयोग (economic utilisation) होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(३) देश की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति होती है—नगरों में जनसंख्या में वृद्धि से प्रगतिशील विचारों के संचार में सहायता होती है शिक्षित एवं शिक्षित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जब ग्रामों में जाते हैं तो वहाँ वे एक नई चेतना या जागृति में सहायक होते हैं। अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से सुपरिचित व्यक्ति देश की प्रगति में सहायक होते हैं और अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों एवं परम्पराओं के उन्मूलन में सक्रियता होती है जैसे जाति प्रथा, पदां प्रथा, गलत विवाह, असुरक्षा आदि।

नागरीकरण के हानिकारक प्रभाव (Adverse Effects of Urbanisation)

(१) देश का असन्तुलित विकास—नागरीकरण के कारण नगरों व शहरों में बड़े-बड़े विशाल उद्योगों की स्थापना होती है। जहाँ अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, जहाँ एक ओर शहरों व नगरों की आर्थिक प्रगति होती जाती है वहीं ग्रामीण क्षेत्र उसी विद्युत्की अवस्था में पड़े रहते हैं जिससे देश के विभिन्न भागों का असन्तुलित विकास होता है।

(२) आवास की समस्या—नागरीकरण के कारण जब अधिकांश जनसंख्या नगरों में प्रवास करने लगती है, तो इससे नगरों का विकासक्रम असन्तुलित हो जाता है और लोगों के रहने के लिए जगह नाना एक समस्या हो जाती है। गन्दी बस्तियाँ (slums) तथा असुरक्षा का जन्म होता है।

(३) धुआँ एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण—नागरीकरण का जनसाधारण के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हर ओर धुआँ, गन्दगी एवं वातावरण की रुकावट (traffic congestion) जैसी अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तियों के सामान्य जीवन प्रवाह में बाधा पहुँचती है।

समस्या के हल का सुझाव (Suggestions and Remedies)—उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नागरीकरण का दोष भी है और गुण भी। इस कारण हम नागरीकरण को रोकना बंद नहीं करना चाहते हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस दिशा में पश्चिमी राष्ट्रों का अनुयायन करते चले जायें जहाँ कुछ इने-गिने विशाल नगरों में देश का जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। हमारे

देश में कुछ नये-नये नगरों की जनसंख्या में वृद्धि पचास वर्षों में नहीं हुई हुई है जिससे नागरीकरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया। इसलिए हमारे देश में समस्या यह है कि हम अपने नगरों के विकास के लिए सुनिश्चित योजना बनायें जिससे नगरों तथा शहरों का नियोजित विकास (planned growth) हो तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त सुगम सुविधाएँ प्राप्त हों। देश का समुचित आर्थिक प्रगति के लिए यही आवश्यक नहीं कि केवल नगरों का विकास हो बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नये-नये उद्योगों के प्रतिस्थापित किये जायें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होता पाये। सभी राष्ट्र की समृद्धि सम्भव हो सकेगी।

भारत की जनसंख्या की प्रगति ✓

(Increase in India's Population)

जैसा सर्वज्ञित है कि भारत सभार के अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जैसा कि हम आगे देखेंगे। भारत की जनसंख्या की यह प्रगति आर्थिक नियोजकों के लिए पौर चिन्ता का विषय बनी हुई है। निम्न तालिका भारत की जनसंख्या की (१८६१ से १९५८ तक की) प्रगति का चित्र प्रस्तुत करती है—

भारत की जनसंख्या की प्रगति (१८६१ से १९५८)

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)	प्रगति (लाखों में)	प्रगति (प्रतिशत में)
१८६१	२,३५६	—	—
१९०१	२,३५५	-४	-१३
१९११	२,४६०	+१३५	+५८
१९२१	२,४८१	-६	-०.३५
१९३१	२,६५५	+१७४	+११.०
१९४१	३,१२८	+४७३	+१४.३
१९५१	३,५६६	+४४१	+१३.३
१९५८	३,९७५	+४०६	+९.५
(अनुमानित)			

भारत की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण

(१) बाल विवाह—बाल विवाह जैसी सामाजिक कुुरीति जिसका फलस्वरूप छोटी आयु में विवाह हो जाने से देश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(२) भारत में अनेक धार्मिक एवं सामाजिक विचार बालक के जन्म को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं जैसे पिता के लिए कन्या दान देना तथा उनकी मृत्यु

के पश्चात् अन्तिम दाह सत्कार का पुत्र द्वारा सम्पन्न होना उसकी आत्मा की शान्ति के लिए अनिवार्य है।

(३) देशवासियों का निर्धनता तथा उनका जीवन स्तर अत्यन्त निम्न होना भी जनसंख्या में वृद्धि का कारण है।

(४) मनुष्य यह देखा गया है कि आर्थिक निर्धन परिवारों में अधिक बच्चे पैदा होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सामाजिक विचारों का प्रोत्साहन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए विवाह अनिवार्य समझा जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

(५) आशुचित एव निरक्षर होने के कारण अधिकांश भारतीय उच्च जीवन स्तर को निरापेक्ष महत्त्व नहीं देते हैं। अतः जलन के जन्म को यह भगवान की देन समझते हैं। ऐसी प्रवृत्ति भी जनसंख्या की वृद्धि में सहायता देती है।

(६) सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली—इसके कारण बच्चा का पालन-पोषण की समस्या तथा उसका उत्तरदायित्व दम्पति पर न पड़ने के कारण जलन के जन्म में कोई बाधा नहीं पहुँचती और जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(७) आर्थिक दृष्टि—इसमें भी बच्चा का अधिक पैदा होना उचित समझा है। परिवार का आय कम होने के फलस्वरूप पिता छोटी आय में ही अपने बच्चा का किसी कार्य में लगा देता है जिससे आय में वृद्धि हो। इस कारण वे अधिक बच्चे उत्पन्न करने के पक्ष में हैं।

(८) देश में परिवार नियोजन का कार्य मन्द गति से होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बिना रोक-टोक टूटती रहती है।

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव (Effects of Increase in Population)
लाभदायक प्रभाव (Beneficial Effects)

(१) देश की जनशक्ति में विभिन्नता (Diversity in Man power)—देश की जनसंख्या की वृद्धि मानव शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है इससे देश की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं (economic activities) के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक मानवी शक्ति उपलब्ध होती रहती है।

(२) औद्योगिक विकास (Industrial Progress)—देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास एवं राष्ट्रीय आय की निरन्तर वृद्धि के लिए कुशल जनशक्ति एक आवश्यक तथ्य है।

(३) नागरीकरण (Urbanisation)—जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि से नागरीकरण में सहायता होती है और बड़े बड़े विशाल औद्योगिक क्षेत्रों में देश की जनशक्ति आकर्षित होती है।

हानिकारक प्रभाव (Bad Effects)

(१) भूमि पर दबाव (Pressure of Population on Land)—जनसंख्या के निरन्तर बढ़ने रहने से भूमि पर उसका भार बढ़ता रहता है जिससे कृषि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(२) अतिरिक्त जनशक्ति (Surplus Man-power)—आर्थिक विकास के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि से सम्पूर्ण मानवी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है, इस कारण देश में प्रायः अतिरिक्त जनशक्ति के आर्थिक उपयोग की समस्या पैदा रहती है।

(३) बेकारी की समस्या (Problem of Unemployment)—जनसंख्या की वृद्धि से अभिन्नरहित राष्ट्रों में बेकारी की समस्या का जन्म होता है। इस कारण देश के लिए सर्वोच्च जनसंख्या से अधिक जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्र के आर्थिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानी जा सकती।

(४) निर्धनता व जीवन का निम्न स्तर (Poverty and Low Level of Life)—जब देश में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से बेकारी व बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगती है तो देश की अधिकांश जनता को गरीबी तथा निम्न जीवन-स्तर का सामना करना पड़ता है।

(५) बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों के दुष्परिणाम (Evils of Big Industrial Towns)—जनसंख्या की वृद्धि से अत्यधिक लोगों का शहरों को ओर प्रवास होने लगता है जिससे बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र तथा विशाल नगरों के अस्तित्वित विकास के फलस्वरूप अस्वच्छता, आवास का अभाव, यातायात की रुकावट (traffic congestion), धुँआँ, गंदी बस्तियाँ आदि की अनेक समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं। भविष्य में जनसंख्या निर्धारण के तथ्य (Factors determining the Future Population)

किसी देश की भविष्य में कितनी जनसंख्या होगी यह मुख्यतया निम्न बातों पर निर्भर है—

(१) आवास (Immigration)—अर्थात् किसी निश्चित समय में देश के भीतर आकर बसने वालों की संख्या।

(२) प्रवास (Emigration)—अर्थात् किसी निश्चित समय में देश से बाहर जाकर बसने वालों की संख्या।

(३) पुनर्जन्म की दर (Rate of Reproduction)—अर्थात् जन्म दर तथा मृत्युदर में अन्तर।

भारत जैसे देश में जनसंख्या की वृद्धि केवल पुनर्जन्म की दर (rate of reproduction rate) पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ से प्रवास करने वालों की संख्या तथा देश में आकर बसने वालों की संख्या बहुत ही कम है जिससे देश की वृद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

भविष्य में जनसंख्या-वृद्धि के कारण—भारत ही क्या, सभार के समस्त राष्ट्रों में जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसने कारण विशेषज्ञों ने अनेक चिन्ता-जनक विचार प्रस्तुत किये हैं, इनकी जानकारी अत्यन्त रुचिभर एवं उपयोगी होगी।

1 “Double in forty years — डा० सी० पी० ब्लैकर (Dr. C. P. Blacker), जो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मन्त्रालय के सलाहकार हैं, के अनुसार यदि वर्तमान गति से सभार की जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो ४० वर्षों में सभार की जनसंख्या दूनी हो जायगी।

2 “Rise in population may cause water shortage”—संयुक्त राष्ट्र के अन्तरराष्ट्रीय जलमोप के अधिकारी सर हर्बर्ट ब्राडले (Sir Herbert Broadley) के अनुसार सभार की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने से सभार के बड़े-बड़े नगरों में जल की कमी उत्पन्न हो सकती है।

सभार में जनसंख्या की प्रगति (Growth of World Population) लगभग पिछले २०० वर्षों में सभार की जनसंख्या में जिस गति से प्रगति हुई है उसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ों में)
१७५०	७२८
१८००	६०६
१८५०	११७१
१९००	१६०१
१९४०	२१७१
१९५०	२४०१

भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ (Principal Characteristics of Population)—भारत की जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन के परिचायक हम देश की जनसंख्या के कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। भारत की जनसंख्या की निम्न विशेषताएँ उसकी आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव डालती हैं तथा इन्हीं कारणों से भारत की समस्या अन्य देशों की जनसंख्या की समस्या से भिन्न है।

(१) तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या (Progressively increasing Population)—जिस गति से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रहा है वह भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ी विशेषता है। १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग ३६ करोड़ थी परन्तु १९६१ तक यह संख्या बढ़कर लगभग ४३ करोड़

होने का अनुमान है जो १९७१ में तथा १९८१ में क्रमशः ५३ तथा ६७ करोड़ तक पहुँच सकती है।

(२) भारतीय जनसंख्या संख्यात्मक दृष्टि से विशाल परन्तु गुणात्मक दृष्टि से निर्धन है (Indian population is quantitatively great but qualitatively poor)—वैसे तो भारत का जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सार में दूसरा स्थान है परन्तु स्वास्थ्य तथा शक्ति की दृष्टि से निम्नतम है जिससे देश में जन्म दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर का बहुत ऊँचा होना तथा भारतीयों की जीवन अवधि का बहुत कम होना है।

(३) अति ग्रामीण जनसंख्या (Predominantly Rural Population)—भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता यह है कि देश का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। १९५१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का ८२.७ प्रतिशत भाग ग्रामों में तथा १७.३ प्रतिशत भाग नगरों में रहता है।

(४) अत्यधिक कृषि पर आश्रित जनसंख्या (Population mainly depending upon Agriculture)—देश की अधिकांश जनता अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि व्यवसाय में लगी हुई है यही कारण है कि भारत की अधिकांश जनता खेतिहर है।

(५) स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक कार्यशील (Male Population more active than Female Population)—अनेक सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज के कारण भारत में स्त्रियाँ आर्थिक कार्यों में अधिक सक्रिय भाग नहीं ले पाती, अतः देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में भाग लेने का उत्तरदायित्व पुरुषों पर ही है।

(६) जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक विभिन्नता (Regional Disparity in the Density of Population)—भारत में विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व एक-सा नहीं है। किन्तु कुछ भागों में आसानी इतनी घनी है कि जिसके कारण घनत्व में बहुत वृद्धि हो गई है, जैसे दिल्ली जहाँ घनत्व ३०१७ है इसने विपरीत राजस्थान प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल ११६ है।

भारत में जनसंख्या की समस्या

(Problem of Population in India)

भारत की जनसंख्या के सम्बन्ध में मूलभूत तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात् इसकी जनसंख्या की समस्या के वास्तविक रूप को समझने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। सार में जनसंख्या की समस्या के विषय में एक बात उड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या की समस्या एक-सी नहीं है। हाँ, देश में उसकी जनसंख्या की समस्या उसकी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है।

जनसंख्या की वृद्धि (जिसका उल्लेख तालिका से निहित है जिसमें संसार की जनसंख्या की प्रगति प्रदर्शित की गई है) ही समस्या का मूल कारण नहीं है। संसार में जनसंख्या की समस्या उसी वृद्धि के साथ साथ किसी देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति से भी सम्बन्धित होती है। इस दृष्टि से संसार के अनेक मुद्रित राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या की वृद्धि से समस्या ही नहीं और वे अपनी निरन्तर बढ़ती हुई आमादा के लिए पर्याप्त रसद एवं भोजन उपलब्ध करने में पूर्णतया समर्थ हैं। यही नहीं, उन देशों में जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाता है, परन्तु हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है।

भारत में पिछले तीस सालों में जनसंख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है और देश में पर्याप्त आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक सुविधाएँ न प्राप्त होने के कारण भारतवासियों का जीवन-स्तर बराबर गिरता जा रहा है। यही नहीं, जनसंख्या की वृद्धि से उनके प्रमुख आर्थिक व्यसाय में भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। जनसंख्या के बढ़ने से जब भूमि पर अत्यधिक भार पड़ता है तो देश की ग्रेती योग्य जमीन अनाधिकृत जाला (uneconomic holdings) में पड़ जाती है जिससे खेती के उत्पादन में वृद्धि नहीं आती। यहाँ के पिछड़े होने के कारण कृषि पर आश्रित अधिकांश जनसंख्या की आर्थिक दशा सुधरने नहीं पाती। भारत में कितनी जनसंख्या रह सकती है जिसका जीवन स्तर निम्नलिखित राष्ट्रों की तुलना में भी नहीं अच्छा हो? यह राष्ट्र के सम्पूर्ण आर्थिक साधना के कुशल उपयोग पर निर्भर करता है। निःसन्देह भारत में अपने आर्थिक साधना की दृष्टि से एक धनी देश है, परन्तु कुछ ही बात यह है कि यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर काफी नीचा है जिसका मूल कारण देश की पर्याप्त आर्थिक प्रगति तथा उसके साधना का कुशल उपयोग न होना है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि एवं विशाल समस्या प्रगत होती है। पश्चिम के बड़े राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में हड़ता आती है तथा पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धि से मात्र साधना का अच्छा विचार होता है, परन्तु हमारे देश में परिस्थिति इसमें विपरीत है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि देश की अर्थ व्यवस्था को हड़ नहीं लाती वरन् देश के आर्थिक दायों में स्थितता उत्पन्न होती है।

भारत की जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन के विभिन्न पक्ष (Different Aspects of the Study of India's Population)—हम भारत की जनसंख्या की समस्या का कई दृष्टिकोणों से निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यतया इस समस्या के दो रूप हैं —

(१) जन वर्णन पहलू (Demographic Aspect)—जनसंख्या के अध्ययन के इस पहलू में हम देश की जनसंख्या की प्रगति दर (Rate of

growth) तथा मानवी प्रजनन शक्ति (human fertility) का सांख्यिकीय अध्ययन करते हैं जिससे देश की वर्तमान जनसंख्या का क्या रूप है, इसके विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या का आकार उसका आर्थिक साधनों के विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा है और जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधन सी प्रतीत होती है।

(२) आर्थिक पहलू (Economic Aspect)—जनसंख्या की समस्या का अध्ययन या एक आर्थिक दृष्टिकोण भी होता है जिसने अन्तर्गत हम देश की जनसंख्या तथा उसके आर्थिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से भी भारत में जनसंख्या का आधिक्य है। कारण यह कि हमारे देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य और शक्ति अन्य देशों की तुलना में काफी नीची है। जता कि शिशु मृत्यु दर, स्त्री मृत्यु दर तथा देश की सामान्य मृत्यु दर का आंकड़ों से जाना जा सकता है। अनेक रोगों में प्रसूत और अपर्याप्त पौष्टिक भोजन + अभाव में देश की अधिकांश जनसंख्या का स्वास्थ्य दिगम्बा हुआ है जिसने कारण देश की श्रमशक्ति अशुशाल है।

क्या भारत में जनसंख्या का आधिक्य है ?

(Is India overpopulated ?)

भारत में जनसंख्या का आधिक्य है अथवा देश की जनसंख्या उसकी आवश्यकता के अनुसार है ? इस सम्बन्ध में पारस्परिक विरोधी विचार प्रस्तुत किये जाते हैं। यह जानने से पूर्व कि किन परिस्थितियों में देश की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होती है और किन अवस्थाओं में देश की जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल होती है यह जान लेना उपयोगी होगा कि जनसंख्या के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं, जिसको ध्यान में रखकर किसी देश की जनसंख्या के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्त (Important Theories of Population)

(१) जनसंख्या का माल्थस का सिद्धान्त (Malthusian theory of population)—जनसंख्या सम्बन्धी माल्थस का सिद्धान्त एक प्रमुख सिद्धान्त है। इसके अनुसार किसी देश की जनसंख्या ज्योमेट्रिक वृद्धि (geometrical progression) अर्थात् १ २ ४ ८ १६ ३२ आदि, परन्तु देश की खाद्य सामग्री में समानान्तर वृद्धि (arithmetical progression) होती है। इस कारण किसी देश की जनसंख्या उस देश की खाद्य सामग्री की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है परन्तु ऐसा तभी होता है जब किसी प्रकार का अवरोध कार्य न कर रहा हो। जैसे निवारक (preventive) तथा नैसर्गिक (positive) अवरोध। निवारक अवरोधों द्वारा जनसंख्या के जन्म दर में हास होता है तथा नैसर्गिक अवरोधों

से मृत्यु दर में वृद्धि होती है। माल्थस के अनुसार यदि देश की जनसंख्या को रोकने के लिए निवारण अस्त्रों द्वारा सफलता न मिल रही हो और उस देश में महामारी, भूकम्प, नाढ़ इत्यादि जैसे कारणों द्वारा मृत्यु दर में वृद्धि हो रही हो अर्थात् नैसर्गिक अस्त्रोपकरण क्रियाशील हो तो उस देश में आसुर्यवृत्ता से अधिक जनसंख्या बढ़ी जा सकती है।

जनसंख्या का आधुनिक सिद्धान्त या अनुकूलतम (optimum) जनसंख्या का सिद्धान्त—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने माल्थस के सिद्धान्त की तीव्र आलोचना करके जनसंख्या का एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया है जिसे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त (optimum theory of population) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश के लिये जनसंख्या का एक आदर्श आकार होता है जो किसी राष्ट्र में उच्चतम पूँजी, औद्योगिक एवं कलात्मक ज्ञान द्वारा देश के अधिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इससे फलस्वरूप प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय (per capita real income) अधिकतम होती है। यदि देश की जनसंख्या सर्वोत्तम जनसंख्या से कम होगी तो देश के अधिक संसाधनों का पूर्ण विकास न होकर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम से कम होगी। इसी प्रकार यदि देश में जनसंख्या अधिक है तो भी व्यक्तियों को रोजगार न मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय सर्वोत्तम जनसंख्या की दशा से कम होगी।

भारत में जनसंख्या आधिक्य की समस्या

जनसंख्या के उन्नत सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर अब हम भारत की जनसंख्या का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इस सम्बन्ध में एक विवादग्रस्त प्रश्न यह है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है अथवा आवश्यकतानुसार है। इस सम्बन्ध में दो मत हैं—

(१) भारत में जनसंख्या का आधिक्य नहीं है।

(२) भारत में जनसंख्या अधिक है।

भारत में जनसंख्या का आधिक्य नहीं है (India is not overpopulated)

(१) जिन लोगों का यह मत है कि भारत में जनसंख्या अधिक नहीं है वे इस तर्क की पुष्टि के लिए देश की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का सहारा लेते हैं। उनकी राय में विश्व देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो तो उस देश में जनसंख्या का आधिक्य न बने हो सकता है ८० बी० ए० आर० ३० ए० के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १६३१ ३२ में ६५ बढ़ाया थी। परन्तु १९५०-५१ में २६५-२ बनाया हो गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के पश्चात् देश की प्रति व्यक्ति

राष्ट्रीय आय बढ़कर लगभग ३३० रुपया वार्षिक होने का अनुमान है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अतिवासित नहीं है।

(२) माल्थस द्वारा बताये गये नैसर्गिक अवरोधों, जिनका प्रकोप भारत में पिछले कई वर्षों से विलम्बुल कम हो गया है, इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में जनसंख्या अधिक नहीं है।

(३) संसार के विभिन्न देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या का घनत्व भी कम होना इस तथ्य का प्रमुख प्रमाण है।

(४) भारत के औद्योगिक विज्ञान की गति मन्द होने का एक प्रमुख कारण देश में कुशल शक्ति का अभाव है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि भारत की जनसंख्या अधिक नहीं है।

(५) कुछ लोग भारत की गरीबी व निर्धनता का दोष उत्पत्ती हुई जनसंख्या पर मढ़ देते हैं परन्तु यह भ्रमात्मक है। वास्तव में देश का निर्धन होना उसके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग एवं शोषण न होने के फलस्वरूप अधिक विकास में बाधा पड़ने के कारण है जिसका उत्तरदायित्व राष्ट्रीय आय के अनुमान वितरण पर भी है न कि इसलिए कि हमारा देश अतिवासित है।

देश में जनसंख्या का आधिक्य है (India is overpopulated)

भारत की जनसंख्या के सम्बन्ध में दूसरा मत यह है कि भारत में जनसंख्या अधिक है जिसके लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१) देश की जनसंख्या के निरन्तर वृद्धि से ही भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती की अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं, जैसे खेती की भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक भार द्वारा कृषि जोत का छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना।

(२) देश में जनसंख्या के परावर बढ़ते जाने के कारण ही वेवारी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

(३) जनसंख्या के स्वास्थ्य निगड़ने के कारण अधिकांश जनता में अधिक रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्यवर्धक तथा पौष्टिक भोजन का न मिलना भी जनसंख्या के आधिक्य का एक प्रमाण है।

(४) भारत में जनसंख्या के अधिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कृषि प्रधान देश होने हुए भी देश में साक्षरता की कमी बराबर बढ़ती जा रही है और साक्षरता के लिए पर्याप्त साक्षरता की पूर्ति करने की दृष्टि से सरकार को भारी मात्रा में विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ता है।

(५) देशवासियों के जीवन स्तर की दृशा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में

वृद्धि तो अनश्य हूँ है पर सखार के अन्त देशों की तुलना में स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं रही जा सकती है जिसका मूल कारण है देश में जनसंख्या का आवश्यकता से अधिक होना जिससे भारतवासियों का जीवन स्तर बहुत नीचा है।

(६) यद्यपि भारत में चिकित्सा क प्रगति द्वारा सरकार ने जनसाधारण का स्वास्थ्य में काफी प्रगति की है फिर भी समय समय पर माल्थस द्वारा बताये गये नैसर्गिक अन्वेषण (positive checks) जैसे बाढ़, चेचक, फ्लू इत्यादि की क्रियाशीलता इस बात का प्रमाण है कि देश में जनसंख्या का आधिक्य है।

जनसंख्या का सापेक्षता से सम्बन्ध (Population in relation to Food Supply)—जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है भारत में जनसंख्या का अधिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण देश में सायाज की निरन्तर कमी होते जाना है। निम्न तालिका से स्पष्ट है सरकार को देश में अन्न की इस कमी को पूरा करने के लिए बराबर भारी मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ता है जिससे देश की राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात को चला जाता है।

देश में सायाज का आयात (१९४७-५८)

वर्ष	आयात की मात्रा (टन में)	लागत (करोड़ रुपये में)
१९४७	२५३	६३७
१९४८	२८४	१२६५
१९४९	३८०	१४२०
१९५०	२०३	१५००
१९५१	४७०	२१६०
१९५२	४७६	२२८१
१९५३	२६१	१५३०
१९५४	३५८२	१६२०
१९५५	३१७३	१२०५

जिस गति से भारत की जनसंख्या में प्रगति होती जा रही है उसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि देश में वृद्धि उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किये गये तो भारत में सायाज की दरार कमी नहीं रहेगी। १९६१ की जनगणना के पूर्व भारत में जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाये गये हैं उन पर १९६१ में देश की जनसंख्या लगभग ४१ करोड़ तक पहुँच जायेगी जिसके लिए करीब ८८ लाख टन सायाज की आवश्यकता होगी। अशोक मेहता सायाज-समिति (Ashok Mehta Foodgrains Enquiry Committee) सार भी १९६०-६१ में देश में अन्न उत्पादन लगभग ७७० लाख टन होगा,

अवधि में देश की ताप आवश्यकता लगभग ७६० लाख टन होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में लगभग २० लाख टन अनाज की कमी होने की सम्भावना है।

जनसंख्या के सुधारने के उपाय (Suggestions to tackle the Problem)—भारत में जनसंख्या की समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी है, अतएव इस समस्या के मुलभूतने की अत्यन्त आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या की समस्या हल करने के लिए हम दो प्रकार के प्रयत्न करने हगिे। प्रथम तो हम जनसंख्या की भावी प्रगति में प्रतिरुध लगाना होगा अर्थात् ऐसे उपाय करने हगिे जिससे जनसंख्या की प्रगति कम हो जाये। दूसरी ओर हम वर्तमान जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊँचा उठा कर तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके जीवन को सुखमय बनाना है। इसके अनिश्चित भ्रातृत्व में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए हम नीचे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं —

(१) कृषि में प्रगति (Progress in Agriculture)—कृषि प्रधान देश होने के कारण आगामी कुछ समय तक देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर रहेगी जिसकी प्रगति पर देश का आर्थिक विकास तथा देशवासियों के जीवन स्तर को उठाने की आशा की जा सकती है।

(२) शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)—जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए देश में शिक्षा का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे देशवासियों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा उनका दृष्टिकोण विकसित होगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति समस्या के हल करने में अपना योग दे सकेगा जिससे परिवार नियोजन कार्य में सफलता मिल सकेगी।

(३) जनसंख्या का समान वितरण (Equal Distribution of Population)—जैसा कि विदित है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व में भीषण प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण यदि हम देश की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से कुछ जनसंख्या उन क्षेत्रों में भेज दें जहाँ आबादी कम है तथा जिनका विकास अभी कम हुआ है तो बहुत सीमा तक समस्या के प्रकोप को कम किया जा सकता है।

(४) आत्म सयम (Self restraint)—आत्म सयम द्वारा हमारी समस्या का हल आसानी से हो सकता है। इस कारण यदि अधिक उम्र में विवाह हो और विवाह करने के लिए आवश्यक न होकर केवल उन्हीं के लिए आवश्यक समझा जाय जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का भली भाँति पालन पोषण कर सकें तो अवश्य ही पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम होगी जिससे इस समस्या को हल करने में सफलता होगी।

(५) औद्योगीकरण (Industrialisation)—देश के औद्योगिक

ये भी हम देश की जनसंख्या की समस्या सुलझा सकते हैं। औद्योगीकरण के फल-स्वरूप देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उनका जीवन-स्तर ऊँचा होगा और साथ ही जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन में अनुसार उत्पन्न होने से भूमि पर जनसंख्या का भार भी कम होगा जिससे खेती की समस्याएँ भी हल हो सकेंगी।

(६) स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ (Measures to improve Health and Physique)—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है भारत में केवल जनसंख्या के घनत्व की ही समस्या नहीं है बल्कि समस्या का गुणात्मक (qualitative) पहलू भी है। इस कारण हम देशवासियों को स्वास्थ्य तथा शक्ति को सुधारने के लिए अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ बनानी पड़ेंगी जिससे जनसंख्या की गुणात्मक प्रगति (qualitative improvement) हो सकेगी।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास (Emigration)—बुद्ध लोगों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास द्वारा अतिविकासित देशों की जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है। यह सुझाव वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है, परन्तु टुर्मांगपत्र आधुनिक म अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास में अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। फलतः हम सुझाव को कार्यान्वित नहीं कर सकते और उससे म बुद्ध राष्ट्र घेरे है जहाँ जातीयता (Racialism) की मानना इतनी तीव्र है जिससे फलस्वरूप बुद्ध जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के लिए उन देशों के द्वार बन्द हैं। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत जातीय नीति (White Australia Policy) तथा दक्षिणी अफ्रीका में जातीय प्रश्न को लेकर डॉ. वरवोर्ड (Dr. Verwoerd) सरकार ने जो अत्याचार किये हैं उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन एक स्वप्न मात्र है।

(८) सततता नियंत्रण (Birth Control)—देश की वर्तमान जनसंख्या की प्रगति को देखकर हम जन्म-नियन्त्रण का भी आश्रय लेना पड़ेगा, जिससे सम्बन्ध में आगे चलकर अध्ययन करेंगे।

परिवार नियोजन (Family Planning)—हम तथ्य की अन्वेषण करना चाहते हैं कि भारत में इस समय परिवार नियोजन का परम आवश्यकता है। विश्व देश में देशवासियों का जन्म दर इतना निम्न तथा आर्थिक दृष्टि से मा राष्ट्र काफी विकसित हुआ है वहाँ देश का जनसंख्या की वृद्धि का निरन्तर रोकना के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना होगा। यहाँ नहीं, भारत में जहाँ विवाह एक सखीतिक प्रथा है और प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए एक आवश्यक कर्मचारी समझा जाता है, वहाँ परिवार नियोजन में और भी महत्व बढ़ जाता है। इस कारण देश में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार परिवार नियोजन के लिए आवश्यक कदम उठाये और हर सम्भव प्रोत्साहन प्रदान करे। देश में अधिक

से अधिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र खोले जायें जहाँ विवाहित व्यक्तियों को सन्तति निग्रह सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सुविधायें प्राप्त हो सकें।

परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय (Different Methods of Family Planning)—भारत में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए परिवार नियोजन एक सरल उपाय समझा जाता है जिसके सम्बन्ध में इस समय देश में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। विशेषज्ञों ने सन्तति निग्रह के विभिन्न तरीके बताये हैं जिनमें द्वारा देशवासी गर्भ निरोध में सफल हो सकते हैं।

(१) सतर्क रीति (Precaution Method)—उपरोक्त सरल उपाय सन्तति निग्रह का यह है कि सम्भोग के समय पति थोड़ी सतर्कता से काम ले तथा वीर्यपात से पहले ही स्त्री योनि से अपनी इन्दी बाहर निकाल ले। इस रीति को *coitus interruptus method* भी कहते हैं।

(२) अप्रजनन काल (Safe period Method)—इस रीति के अनुसार पुरुष को कुछ समय तक स्त्री-सम्भोग से दूर रहना पड़ता है अर्थात् स्त्रियों के माहवारी के ८ दिन पश्चात् उनमें जनन काल (fertile period) प्रारम्भ होता है, इन दिनों यदि सम्भोग न किया जाय तो गर्भ रहने की आशंका नहीं रहती।

(३) गर्भ निरोधक रीति (Use of Contraceptives)—अनेक प्रकार की रबर की बनी वस्तुओं के प्रयोग से जैसे शीथ, डाइफन, रबर पेसरी, डच कैप, रॉकिल कैप तथा ट्यूबस कैप से भी गर्भ निरोध हो सकता है।

(४) स्पर्मिसाइडल रीति (Spermicidal Method)—इस रीति के अन्तर्गत कुछ ऐसी गोलियाँ, क्रीम अथवा जेली के प्रयोग से स्पर्म सेलों को समाप्त किया जा सकता है जिससे गर्भ की आशंका नहीं रहती।

(५) वाध्य कराने की रीति (Sterilization)—इस रीति के अनुसार आण्डेक्टमी (vesectomy) द्वारा स्त्री तथा पुरुष बॉम्बेन (sterilization) से गर्भ की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं।

रुकावटें (Obstacles)—भारत में परिवार नियोजन में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप भी भारत की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में अनेक कारण ऐसे हैं जो परिवार नियोजन के कार्य में बाधक हैं जिनमें सबसे प्रमुख कारण है अशिक्षा एवं निर्धनता। देश की अधिकांश जनता निरन्तर है जिसके कारण वह परिवार-नियोजन की विभिन्न रीतियों को समझने में असमर्थ है तथा अशिक्षित होने के फलस्वरूप सीमित दृष्टिकोण होने के कारण अधिकांश देशवासी

परिवार नियोजन का महत्त्व नहीं समझत। इसी प्रकार अधिवास जनता गर्भनिरोध सम्बन्धी आरक्षण सामग्री का परीक्षण में असमर्थ है। कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी शांतिपूर्ण है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी आय का थोड़ा भाग भी नहीं खर्च कर सकते। देश में परिवार नियोजन का सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार शिक्षा का प्रसार कर लोगों को परिवार नियोजन के प्रति रुचि पैदा करे तथा कम मूल्य पर उन्हें सन्तति निषेध सम्बन्धी आरक्षण सामग्री प्रदान करे।

जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी नीति (Population Policy in India)—हमारे देश में कुछ साल पहिले तक जनसंख्या सम्बन्धी कोई निश्चित नीति नहीं रही। विदेशी शासन काल में सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे समस्या निरन्तर गम्भीर होता गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और यह समझा जाने लगा कि उस समय तक भारत की आर्थिक अवस्था में कोई भारी प्रगति नहीं हो सकती जब तक देश की जनसंख्या का एक समुचित हल न ढूँढ लिया जाए। जल्द ही यह मस्ये है कि जो कुछ भी आर्थिक प्रगति हम कुछ सालों के पार परिक्षम के पश्चात् कर रहे हैं देश की जनसंख्या की वृद्धि उन पटेरा कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार देश में जगह जगह पर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल चलावे जहाँ जनसाधारण को विभिन्न साधनों द्वारा सन्तति निषेध की विभिन्न रीतियों का ज्ञान कराया जा सके तथा उन्हें आवश्यक सहायता एवं परामर्श मिलान में सहायता हो।

जनसंख्या एवं पंचवर्षीय योजनाएँ (Population and Five Year Plan)—जनसंख्या के सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय योजना काल में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं और परिवार नियोजन में भी कुछ प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कन्द्रीय सरकार ने लगभग ६५ लाख रुपया परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर खर्च किया था। सन् १९५४-५० में इस दिशा में एक परिवार आवाज अनुदान समिति (Family Planning Grants Committee) की स्थापना की तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी परिवार नियोजन के कार्य में काफी प्रगति हुई। सन् १९५६ तक ८२६ परिवार नियोजन केंद्र खोले जा चुके और लगभग ४६२३ पुरुषों का आरक्षण किया गया। लगभग ७६२४ स्त्रियों को न्याय कर दी गई।

प्रश्न

1. Viewed over a long period the Indian economy has been, more or less stagnant and has failed to meet the demands of a rapidly growing population. Do you agree with the above statement? Explain fully. (Agri, 1958 Rajasthan, 1952)

- 2 Discuss what do you consider to be the main problem of Indian population (Agra 1956)
- 3 Explain critically the problem of population in India. How far can the population be deliberately planned and controlled ? (Patna, 1955)
- 4 In what sense is India overpopulated ? Do you advocate population control ? Give reasons (Agra, 1956)
- 5 How far do you agree with the view that the rapid growth of population in India stands in the way of economic progress ? (Delhi, 1953, Agra, 1957)
- 6 Write a short note on 'Family Planning' (Agra 1960 1957, Delhi, 1954)
- 7 Examine the case for family planning in India (Punjab, 1957)
- 8 What are the major problems of population in India ? Suggest a suitable population policy for the solution of these problems (Punjab, 1958)



खण्ड ४

कृषि एवं उसकी समस्याएँ

१. उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था
२. भारत में कृषि का महत्त्व एवं उसकी समस्याएँ
३. भारत में कृषि की इकाई
४. भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार
५. भारत में सिंचाई
६. भारत में कृषि-विपणन
७. भारत में अकाल
८. भारत में खाद्य समस्या
९. भारत में ग्रामीण विद्युत्
१०. भारतीय कृषि नीति का विकास
११. सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा
१२. भूदान यज्ञ की महिमा

१९वीं शताब्दी में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन

(A Study of Indian Economy during 19th Century)

इतिहास की दृष्टि से भारत का प्राचीन काल एक स्वर्ण काल कहलाता है। जिस समय सभ्यता के अन्य राष्ट्र अज्ञानता के घोर अधकार में डूबे हुए थे तथा जिनसे सभ्यता का प्रकाश कौनों दूर था उस समय भारत अपनी आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक तथा नैतिक प्रगति द्वारा उन्नति के शिखर तक पहुँच चुका था जिसके कारण सभ्यता के उत्कर्ष का भार भारत जैसे देश पर था। इस काल में भारतीय सभ्यता का वह तेजस्वी रूप था जिसमें आर्थिक उन्नति के अतिरिक्त हमारे देश में कला, साहित्य, धर्म तथा दर्शन का उच्चतम निवास हुआ। यही नहीं, यह वह समय था जब देश में स्वर्ण एव चांदी का अपार भंडार था। चारों तरफ सुख-शान्ति की रक्षा होती थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भरण-पेट भोजन, पहनने की वस्त्र तथा देश में दूध घी की नदियाँ बहा करती थी। कला तथा उद्योग की महान् प्रगति के कारण देश में बनी हुई अनेक सुन्दर तथा कलात्मक वस्तुएँ विदेशों को जाया करती थी जिसके कारण भारत ने सभ्यता में अपना आधिपत्य जमा रखा था। यही नहीं, भारत के कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रशंसा प्राचीन रोम एव मिश्र जैसे सभ्य देशों में भी की जाती थी। इतिहास साक्षी है कि भारतीय मलमल मिश्र की ममीज के आवरण के लिए प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार व्यापार तथा उद्योगों के कारण भारत में सोना व चाँदी दूसरे देशों से डुला चला आता था। एक लेखक के अनुसार विक्रम की पहली दूसरी व तीसरी शताब्दी में भारत का रोम साम्राज्य के साथ जो व्यापार था उसका यह फल हुआ कि पश्चिम से आने वाली नदी ने भारत को संचि दिया परन्तु अपनी आर्थिक समृद्धिशीलता एव सभ्यता के कारण भारत अन्य राष्ट्रों की आँखों में खटकने लगा और किसी न किसी आकर्षण के फलस्वरूप विदेशियों ने भारत में पदार्पण प्रारम्भ कर दिया।

विदेशियों का आगमन (Advent of Foreigners)—भारत विदेशियों के लिए सदा ही आकर्षण का कारण रहा। १५वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में योरोप के अनेक धर्म प्रचारकों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १४९८ ई० में सर्वप्रथम पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा कालीकट में उतरा। इसके पश्चात् डच, डेन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज इत्यादि योरोप निवासियों ने भारत में आना प्रारम्भ

कर दिया। यह जातिवाँ हमारे देश में मुख्यतया व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति ही के लिए आई थी, किन्तु कालान्तर में पारस्परिक संपर्क के कारण एक-एक कर के इनका पतन होता गया और अन्त में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। अंग्रेजों से पूर्व अन्य शासकों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन उत्पन्न होने नहीं दिया और देश का सामान्य आर्थिक जीवन प्रायः हस्तक्षेप से मुक्त (undisturbed) ही रहा। परन्तु भारत में अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उस काल में अनेक ऐसे कार्य हुए जिनका देश की अर्थ व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। उनकी नीतियों ने भारत की प्राचीन अर्थ व्यवस्था की काया ही पलट दी। स्मृतिशील तथा आत्मनिर्भर भारतीय अर्थ व्यवस्था पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गई और हमारा देश आर्थिक अवनति की ओर बढ़ने लगा।

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का आर्थिक संगठन

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के आर्थिक संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं जिनका अध्ययन विशेष महत्व रखता है। अतिप्राचीन काल से भारत एक देश रहा है जिसके कारण देश का आर्थिक संगठन तथा सम्यता की प्रकृति भी देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँवों में रहा करता था जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, परन्तु उस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों द्वारा भी अनेक व्यक्तियों का जीवन निर्वाह हो रहा था। यह कुटीर उद्योग न केवल भारत की जनसंख्या के अधिकांश भाग को उसकी जीविका प्रदान करने में समर्थ थे बल्कि इनके द्वारा भारत की प्राचीन सम्यता तथा संस्कृति का परिचय भी होता था। भारत भूमि से जन्मित ये अनेक उद्योग भारत के प्राचीन गौरव-प्रतीक हैं जिनसे स्पष्ट था कि भारतवासी एक सरल तथा नम्र स्वभाव के होने हुए भी विभिन्न कलाओं तथा उद्योगों से किटना प्रेम रखते थे। उनका जीवन सादा परन्तु परिश्रमशील था। विदेशी शासन द्वारा प्रभावित होने के पूर्व भारत के आर्थिक संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं जिनकी देश के आर्थिक जीवन पर गहरी छाप पड़ी थी। हम इनका वर्णन नीचे करेंगे।

(१) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का आत्मनिर्भर होना—भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हमारे ग्राम-आत्मनिर्भर थे, यहाँ तक कि सारा ग्रामशासन में जो अनेक आन्दोलन अथवा क्रान्तियाँ हुईं वे भी हमारे) ग्रामीण जीवन को न प्रभावित कर सकीं। अन्तः-सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता ज्यों की त्यों बनी रही। ग्रामीण निवासी नेत्र अपने गाँव सम्बन्धी अनेक समस्याओं में व्यस्त रहते थे। उनका सारा तथा देश की विभिन्न भागों से कोई सम्बन्ध

न था। एक सरल तथा आत्मनिर्भर जीवन के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। उनका जीवन सुखी एवं सम्पन्न था। देश की जनसंख्या भी इतनी न थी कि भूमि पर उसके अत्यधिक भार से कृषि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जातीं। इनके सुखमय एवं समृद्धिशील जीवन का मुख्य कारण यह था कि उनके जीवन तथा मुख्य व्यवसाय कृषि में किसी प्रकार की कठिनाई एवं समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। खेती के लिए पर्याप्त भूमि थी जिसके कारण कृषक तथा उसके परिवार को जीवन निर्वाह के आनश्यक साधन उपलब्ध हो जाते थे। जो कुछ भी अतिरिक्त जनसंख्या थी उसके लिए भारत में पैले हुए विभिन्न कुटीर उद्योगों द्वारा जीविका प्राप्त हो जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों के लिए अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए गाँव के बाहर का मुँह नहीं देखना पड़ता था। उनके लिए समस्त आवश्यक वस्तुएँ एवं ऋचे माल का गाँवों में पर्याप्त भण्डार था तथा देहातों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों में पारस्परिक प्रेम तथा सद्भावना के कारण किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता तथा अभाव के कारण पीड़ित होने का कोई कारण ही न था।

(२) द्रव्य एक गौण स्थान के रूप में—जैसा कि उपरोक्त विवेचन से सिद्ध है कि १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे जिसके कारण बहुत सीमित मात्रा में विनिमय की आवश्यकता पड़ती थी। अधिकतर प्रचलन वस्तुविनिमय (barter) का था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायः व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा कर लिया करता था। यदि किसी समय उसे किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती थी जिसका उत्पादन उसके द्वारा नहीं होना था तो वह उस वस्तु को अपने द्वारा निर्मित किसी अन्य वस्तु द्वारा प्राप्त कर लिया करता था। गाँव में जितनी भी सेवाएँ होती थीं जैसे खेतिहर मजदूरों की सेवाएँ, नाई, कुन्धार, जुलाहे, कहार, तेली, अहीर, बँदई, सुनार इत्यादि, इन सभी की सेवाओं के लिए हमारे ग्रामीण बन्धु प्रायः अनाज का ही प्रयोग करते थे। इस कारण अनाज उस समय विनिमय का प्रमुख माध्यम (medium of exchange) था, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे ग्रामीण भाई मुद्रा से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। वास्तविकता यह थी कि मुद्रा का प्रचलन कम था जिसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय देशवासियों को मुद्रा की अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। इस कारण उनके दैनिक जीवन में आधुनिक युग के विपरीत मुद्रा का महत्त्व गौण था। यद्यपि आज हमारे जीवन में मुद्रा का एक उच्च स्थान है पर भारत में एक ऐसा भी समय था जब कि भारतवासियों का जीवन मुद्रा की महानता (supremacy of money) से मुक्त था।

(३) सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं से प्रसक्त जीवन—एक और विशेषता यह थी कि देशवासियों का जीवन विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज तथा परम्प

अप्रगतिशील जागृत व्यतीत करते रहे। उनका दृष्टिकोण अभिन्नमित रहा तथा उन्नति के विभिन्न साधनों का उन्हें ज्ञान तक न होने पाया।

१२ (२) पारस्परिक प्रतियोगिता का अभाव—भारत की प्राचीन अर्थ व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण यह भी था कि उसमें प्रतियोगिता का कोई स्थान न था। ग्राम निभरता तथा जाति के आधार पर विभिन्न व्यवसाय में होने के कारण पारस्परिक प्रति योगिता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि विदित है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था में व्यापारिक कारणा का महत्त्व बहुत कम था जिसके फलस्वरूप व्यापारिक लाभ कमाने की दृष्टि से की जाने वाला प्रतियोगिता बहुत कम देखने में आता था। एक प्रकार से लोगो में अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं थी। ज्ञानि के आधार पर व्यवसायो के विभाजन होने के कारण जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता था उसे उस जाति द्वारा निये गये व्यवसाय को ही अपनाना पड़ता था।

१३ (७) कृषि में व्यापारीकरण का अभाव—१९वां शताब्दी के प्रारम्भिक काल तक जन देश के आर्थिक जीवन में पर्याप्त क्रांति नहीं होने पाई थी तब देश के अधिकांश व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था जिसका स्वरूप भी उसका आधुनिक स्वरूप से पूर्णतया भिन्न था। मुख्यतया छोटे पैमाने पर चलाये जाने के कारण कृषि उद्योग के लिए बहुत सीमित मात्रा में श्रम तथा पूँजी की आवश्यकता होती थी। यही कारण था जो कृषि अधिकांश जनता के जीवन निर्वाह का साधन बनी हुई था। कृषि को अधिक स्वतन्त्र मजदूरी की भी आवश्यकता न थी और प्रायः वह स्वयं तथा अपने परिवार के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा खेती सम्बन्धी समस्त काम पूरा कर लेता था। कृषि के समस्त अधिन समसामर्थ्य भी न था। भूमि पर जनसंख्या के अतिवृद्धि न होने के कारण खेती की भूमि के अनाधिक जोता (uneconomic holding) में निभर होने वाली वर्तमान जैसी कड़ी समस्या भी न थी। खेती की प्रणाली तथा पद्धत भी अत्यन्त सरल थी। कृषि में प्रयोग होने वाले औजार सादे व घरेलू हुआ करते थे। परन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत की खेती व्यापारिकरण से मुक्त थी। कृषि का अधिकांश भाग किसान अपने तथा परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखता था। शेष भाग उसकी अन्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तुनिमित्त की प्रधानता होने के कारण कृषक अनेक सेवाओं का भुगतान आनाज द्वारा करता था। जिसके फलस्वरूप कृषि का विशाल स्तरीय उत्पादन (large scale production) न होने के कारण किसान के पास बाजार में बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं बच पाता था जिससे कृषि में व्यापारीकरण संभव नहीं था।

(८) उद्योग तथा व्यापार की दशा—कृषि प्रधान देश होने हुए भी प्राचीन

काल में भारत ने औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर ली थी। १९वें शताब्दी के प्रारम्भ काल तक यद्यपि देश में विशाल स्तरीय उद्योगों की भरमार नहीं थी फिर भी अपने कुटीर उद्योगों की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमारा देश संसार के सब देशों से आगे था। भारत में लगे हुए कुटीर उद्योगों में अतिशुशल श्रमिकों द्वारा निर्मित अनक सुन्दर तथा मोहक वस्तुओं की प्रशंसा समस्त संसार के कला प्रेमियों द्वारा की जाती थी। फ्रांस, इटली तथा मिश्र जैसे अन्य देशों में भारत की जमी हुई सुन्दर कलापूर्ण वस्तुओं के प्रयाग से लाग प्रसन्नता तथा गौरव अनुभव करते थे। उस काल में औद्योगिक दशा की प्रमुख विशेषता यह थी कि भारत में विशाल उद्योगों की अपेक्षा कुटीर एवं लघुस्तरिय उद्योगों का प्रमुख स्थान था। यही नहीं कि कल भारत की इन कलात्मक वस्तुओं की ख्याति केवल विदेशों ही में थी वरन् स्वयं देश में तत्कालीन राजाओं व महाराजाओं के प्रोत्साहन के कारण इन वस्तुओं का विस्तृत बाजार था। भारत में जमी हुई अनेक वस्तुओं से लदे जहाज प्रायः संसार के सभी भागों में जात्रा करते थे जिनसे देश में अधिक मात्रा में स्वर्ण तथा रत्नों की प्राप्ति होती थी।

भारत में आर्थिक क्रान्ति का प्रारम्भ—ग्रामीण श्रमनिर्मलता, मुद्रा का अभाव, नगर तथा ग्रामों में सम्पन्न हानता तथा कुटीर उद्योगों की प्रधानता जैसी प्रमुख विशेषताओं के चित्रण के अन्तर्गत क्या गत्या है उनसे भारत के प्राचीन आर्थिक संरचना का निरस्त रूप आगे के सामने आ जाता है, परन्तु याद ही समय के बाद भारत की आर्थिक स्थिति में महान् परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। विदेशों के सम्पर्क में आने के कारण तथा उनके शक्ति रिक्त से प्रभावित होने के फलस्वरूप भारत की दृढ़ आर्थिक स्थिति का रूप भी बदलने लगा। अंग्रेज शासक अपने प्रारम्भ काल से ही भारत में अपना आधिपत्य जमाने का स्वप्न देख रहे थे जिसके लिए उन्होंने धार धार कहा के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे को बदलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

१८वीं शताब्दी में अंग्रेजों का अधिकार भारत में काफी गहराई तक पहुँच चुका था। अनेक शासन काल में अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक नातिका के फलस्वरूप उन्होंने भारत के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में महान् क्रान्ति उत्पन्न कर दी। अतः भारत में ग्रामीण श्रमनिर्मलता समाप्त होने लगी। विदेशियों के सम्पर्क में आने के कारण नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ तथा ग्रामीण निजामी भाँ अतः इस नई विचारधारा से प्रभावित होने लग। जिस देश में अपनी दैनिक आवश्यकताओं तथा धनार्था के प्राप्ति के लिए लोग वस्तु विनिमय का ही सहारा लेते थे वहाँ अब मुद्रा का चलन बढ़ गया। उत्पादन में वृद्धि होने लगा। रस्ता के तरीकों में परिवर्तन होने लगा जिसके कारण कृषक अपने तथा अपने परिवार के आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो सके और विभिन्न धनार्थों का मुक्तान अब अनाज में न होकर

मुद्रा में होने लगा जिसके कारण ग्रामीण जनता के पास बाजार में पिक्री के लिए भी अनाज की पर्याप्त पूर्ति शेष रहने लगी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ खेती पर भार अधिक बढ़ने लगा और अपने जीविकोपार्जन के लिए भारी संख्या में लोग शहरों में आने लगे। ब्रिटिश शासकों के सम्पर्क में आने के कारण अंग्रेजी राजा तथा नवाबों की रूचि तथा पैशन में भी परिवर्तन होने लगा। वे अंग्रेजी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे जिससे कारण भारत के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित विभिन्न आकर्षक तथा कलात्मक वस्तुओं की माँग घटने लगी। राजाओं तथा नवाबों के प्रोत्साहन के अभावों के कारण अनेक कुटीर उद्योग एवं दस्तकारी का विनाश होने लगा जिससे उन पर आश्रित जनसंख्या के समस्त जीविकोपार्जन की जटिल समस्या उत्पन्न होने लगी। अधिकांश लोग बेकारी का शिकार हो गये। अंग्रेजों ने भारत को अपनी आर्थिक पूर्ति करने का साधन मात्र समझ रक्खा था। इंग्लैंड तथा स्काटलैंड के अनेक उद्योगों की सफलता भारत के शोषण पर ही निर्भर थी। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते मूल्य पर कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शासकों ने अनेक कदम उठाये। एक ओर तो अंग्रेज भारत से भारी मात्रा में कच्चा माल इंग्लैंड को ले जाया करते थे दूसरी ओर वहाँ कमी हुई उसी कच्चे माल की वस्तुओं के उच्च मूल्य पर बेचने के लिए भारत को एक विस्तृत बाजार समझा जाता था। इन सब का देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और भारत की आर्थिक सम्पन्नता की मजबूत चट्टान हिलने लगी और देश के आर्थिक जीवन की नींव बिगड़ने लगी। फलस्वरूप देश का आर्थिक पतन प्रारम्भ हो गया।

पर ऐसा सोचना सर्वथा अन्वय ही होगा कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत का कुचल आर्थिक पतन ही हुआ है और उसकी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। सत्य तो यह है कि विदेशियों के सम्पर्क में आने तथा उनके शासन काल में अनेक ऐसी आर्थिक घटनाएँ हुईं तथा बहुत सी ऐसी योजनाएँ कनी जिनसे भारत के आर्थिक जीवन में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। अंग्रेज हमें देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा सामाजिक क्षेत्रों में इनके प्रभावा का परीक्षण करेंगे।

सामाजिक क्रान्ति (Social Transition)—१९वीं शताब्दी भारत के लिए एक ऐसा युग रहा है जिसमें भारत में अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन हुए जिनसे फलस्वरूप भारत का सामाजिक ढाँचा पूर्णतया बदल गया। सामाजिक क्षेत्र में इस क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि भारत में ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए ग्रामवासियों को औरों पर निर्भर रहना आवश्यक होने लगा। देश की प्राचीन सामाजिक संस्थाएँ जैसे समुदाय कुटुम्ब प्रणाली एवं जाति प्रथा का अन्त होने लगा। लोगों में व्यक्तिवाद की भावना जागृत हो गई।

शिक्षा का प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों से सम्पर्क हीनता की समाप्ति के कारण लोगों में नई विचारधारा का संचार हुआ। देशवासियों का दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिग्दर्श देने लगा। सत्तेप में भारत का प्राचीन सामाजिक ढाँचे ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया।

आर्थिक क्रान्ति (Economic Transition)—नये विचारों के समावेश तथा नवीन विचारमग्नता से पोषित इन नवीन वातावरण में देश में हर तरह आर्थिक क्षेत्र में भी एक नई जागृति होने लगी। विरसित राष्ट्र तथा समृद्धिशील राष्ट्र का सम्पर्क में आने से भारत का आर्थिक जीवन तथा उसकी प्राचीन अर्थ व्यवस्था में भी क्रान्ति उपन्य हो गई। देश में अन्न कृषि का साथ साथ औद्योगिक उत्पत्ति का प्रति भी रुचि बढ़ने लगी। कृषि से उद्योग की ओर (from agriculture to industry) बढ़ने की प्रवृत्ति आर्थिक क्रान्ति का एक प्रमुख कारण थी। यही नहीं कि केवल इस काल में देश में कुछ उद्योगों का प्रारम्भ हुआ तथा भारत में नये नये उद्योगों की नींव रखी जाने लगी परन्तु अन्य देश का प्राचीन व्यवसाय कृषि में भी एक प्रकार की क्रान्ति भी आ गई। अन्न भारतीय कृषि का वह रूप नहीं था जिसमें विज्ञान के जल अपने लिए हा उत्पादन करने का और जिसमें धमक व पूँजी का सीमित उपयोग होकर कृषि की प्रणाली सीधी सादी रानी हो। इस नई अर्थ व्यवस्था में भारत का कृषि में अन्न का सुधार हुआ। सबसे प्रमुख परिवर्तन जो भारतीय कृषि में दृष्टिगोचर हुआ वह दशक कृषि का व्यापारीकरण (commercialisation of agriculture) था जिसका अर्थ था कि अन्न कृषि का उत्पादन केवल अपने लिए ही न करने देश का संचार के अन्य लोगों के लिए भी करता था। विदेशी साम्राज्यवादियों, जिनका भारत पर आधिपत्य था, वे भारत से अधिक मात्रा में कच्चा माल अपने देश में निर्यात करने थे जिससे भारतीय किसान को काफी ग्राह्य होने लगी थी। भारतीय कृषि अन्न वह भली भाँति समझ गया था कि ऐसी अवस्था में उत्पन्न किए केवल अपने लिए ही कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन करना उचित नहीं बल्कि ऐसी अन्न वस्तुओं का जैसे चाय, कहना, रजड़, कपास, जूट, रेशम इत्यादि जिनका उत्पादन द्वारा उद्योगों को काफी लाभदानी हो सकती है। जिससे भारतीय कृषि में व्यापारीकरण की प्रवृत्ति आने लगी।

उत्पादन पद्धति में क्रान्ति (Transition in Productive Technique)—१९वीं शताब्दी में भारत में होने वाली आर्थिक क्रान्ति तथा शिक्षा का प्रसार एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों में सम्पर्क स्थापित होने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि रुढ़िवादी विचारों तथा अन्धविश्वास को छोड़कर देशवासी एक नवोदय दृष्टिकोण तथा उन्नतिशील विचारों को अपनाने के लिए उन्मुख होने लगे। इस नये प्रकाश एवं नवीन चेतना के प्रकाश का फलस्वरूप भारत के किसान अब कृषि की अपनी प्राचीन रीति तथा पद्धति से घृणा करने लगे। कृषि उत्पादन पद्धति में भी

सर्वथा कान्ति दिखाई देने लगी। भारतीय किसान ग्राम खेती में केवल अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही संतुष्ट नहीं था वरन् खेती के व्यापारीकरण के फलस्वरूप उसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी जिसका फलस्वरूप ग्राम कृषि में रातदर मजदूरों (Agricultural labourers) की अत्यधिक सहायता लेने लगा और कृषि उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन होने लगा। ग्राम किसान केवल कुओं तथा कालाज से ही अपने पान नहा सात्ता था वरन् सिंचाई की सुविधाओं के लिए देश के अनेक भागों में नहरों का निर्माण हो गया था जिससे भारतीय किसान को काफी लाभ हुआ।

औद्योगिक कान्ति (Industrial transition)—सन् १८६६ ई० में स्वेज नहर (Suez Canal) के खुल जाने से भारत के उद्योग एवं व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस कारण भारत को अन्य देशों से प्रथम करने वाली दूरी कम हो गई। उदाहरण के लिए जेप की ओर से (Via Capetown) बम्बई से लंदन (London) लगभग दस हजार छै मी (१०,६००) मील से अधिक की दूरी पर है जब कि स्वज नहर के खुल जाने के पश्चात् यह फासला घटकर केवल ६,२७४ मील ही रह गया जिससे लगभग दूरी में ४१२ प्रतिशत की कमी हो गई।^४

यही नहर स्वज नहर के खुलने से केवल भारत से अन्य देशों की दूरी में कमी हो गई वरन् इसका भारत की अर्थ व्यवस्था पर अनेक प्रकार से गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के विदेशी व्यापार में महान प्रगति होने का मुख्य कारण स्वज नहर का खुलना ही था। इस नहर के खुलने तथा दूरी में कमी के कारण किराये (freights) में पर्याप्त कमी हो गई जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत से भारी मात्रा में बच्चे माल के निर्यात तथा उसका अन्वेषण में निमित्त वस्तुओं के आयात में और भी प्रोत्साहन मिला और अन्वेषण में नयी वस्तुएं, ज्ञान के क्षेत्रों में कमी के कारण, कम व सस्ते मूल्य पर विज्ञान लगा। इस दो मुख्य कारणों का कारण हुआ। पहला तो यह कि भारत को अपने उद्योगों के लिए आधानक यंत्र तथा साज-सज्जा कम मूल्य पर प्राप्त होने लगी परन्तु साथ ही दूसरा परिणाम यह हुआ कि इससे भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को भारी क्षति भी पहुंचने लगी और अनेक भारतीय उद्योगों तथा दस्तकारों का विनाश प्रारम्भ हो गया।

इस काल में भारत में अनेक आधुनिक सुविधाएं उदभव होने लगीं। देश में रेल सड़क तथा संचारवाहन के साधनों की सुविधाओं के कारण देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में बड़ी सहायता मिली। देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे जिनमें आधुनिक यंत्र तथा मशीनों द्वारा उत्पादन होने के फलस्वरूप भारी सच्चा

म बेमार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। उद्वेग-श्रेणी औद्योगिक केंद्र तथा नगरों की स्थापना होने लगा जिसका फलस्वरूप देश की जनसंख्या न नगर तथा ग्रामों में वितरण में भी काफी परिवर्तन हो गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि १९वीं शताब्दी में भारत में जो आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक क्रान्ति हुई उससे देश का प्राचीन अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया परिवर्तित हो गई जिसके परिणाम-स्वरूप देश का आर्थिक ढांचा ही मिल्कुल बदल गया। विभिन्न क्षेत्रों में हानि-प्राप्ति द्वारा उत्पन्न इस नए अर्थ-व्यवस्था में भारत के भाग्य औद्योगिकरण तथा आर्थिक प्रगति की राह तो अच्युत पड़ गई है परन्तु फिर भी अनेक कारणों से देश का सम्पूर्ण आर्थिक एवं औद्योगिक विकास नहीं हो सका। संसार के अन्य राष्ट्रों का तुलना में भारत फिर भी एक पिछड़ा तथा अर्थ-निम्नलिखित राष्ट्र बना रहा जिसके कारण भारतवासियों का जीवन स्तर बहुत निम्न है।

प्रश्न

1. What do you know about the economic transition in India during 19th Century? What were its causes and effects on the economic life of the country? (Lucknow 1944)



भारत में कृषि का महत्व तथा उसकी समस्याएँ

(Importance of Agriculture and its Problems in India)

प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन की कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनका राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थ व्यवस्था की प्रकृति तथा देशवासियों की आर्थिक क्रियाओं का इनके द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। अतः राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इन विशेषताओं को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए औद्योगिक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि वहाँ प्रथम उद्योग सम्बन्धी ध्यवसायों जैसे खनिज उद्योग व इन्जीनियरिंग उद्योगों का विकास किया जाये जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि होती जाय। इसी प्रकार एक कृषि प्रधान देश की आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि के लिये पहले कृषि की दशा को सुधारना होगा। बिना उन्नतिशील कृषि के देश की अर्थ व्यवस्था में वास्तविक सुधार होना असम्भव है। यही दशा हमारे देश की है। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश जनता खेती के व्यवसाय में लगी हुई है, अतः राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को सफल बनाने तथा देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हो। यही हमारा अर्थ व्यवस्था का आधारभूत तथ्य है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान (Place of agriculture in Indian economy)—भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। वैसे तो प्रत्येक देश में उसकी जनसंख्या के पालन पोषण तथा उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चे माल की पूर्ति की समस्या को हल करने के लिये कृषि का महत्व होता है, परन्तु भारत में कृषि का एक विशेष स्थान है। हमारे आर्थिक जीवन का आधार-स्तम्भ-कहलाने का गौरव केवल कृषि को ही प्राप्त है। प्राचीन काल से ही यह हमारे देश वासियों का मुख्य व्यवसाय रहा है। कृषि उद्योग भारत का सर्व श्रेष्ठ उद्योग है। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व जब देश में यातायात सम्बन्धी सुविधायें बहुत कम थीं कृषि उत्पादन का क्रय विक्रय केवल गाँव तक ही सीमित था। हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे तथा बाहरी दुनिया से उनका कोई सम्बन्ध न था। यातायात के साधनों के विकास से कृषि उत्पादन के बाजार में भी विस्तार हुआ, अतः कृषि का व्यापारीकरण हो गया। यद्यपि वर्तमान समय में हमारे देश के समस्त खाद्य पूर्ति की गम्भीर समस्या उपस्थित है, ~ ११

हमारे देश से विभिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। खाद्य समस्या को हल करने के लिये किये गये प्रयत्नों से कृषि की उन्नति तथा उसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि बिना उन्नतिशील कृषि के देश की आर्थिक उन्नति सम्भव नहीं है। देश का आर्थिक विकास के लिये निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता भी कृषि की उन्नति एवं विकास पर ही निर्भर है।

हमारे देश का प्राकृतिक साधनों में सबसे प्रमुख साधन "भूमि" है। उत्पत्ति के लिये आवश्यक पाँच साधनों—भूमि, श्रम, पूँजी, साहस एवं संगठन में जिन दो उत्पत्ति के साधनों का हमारे देश में बाहुल्य है वे हैं भूमि व श्रम (Land and labour)। देश का विकास जनता एवं जन शक्ति भूमि पर आश्रित है। इसी कारण देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्यक्ष एवं पराक्ष रूप से देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती के व्यवसाय में लगा हुआ है। सन् १९५१ का जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग अर्थात् ३५६६ लाख व्यक्तियों में से लगभग २४ करोड़ ६० लाख कृषि द्वारा अपना जिविका प्राप्त करते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग ३० प्रतिशत ही भाग ऐसा है जो कृषि से भिन्न व्यवसाय पर निर्भर रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि देश की जनसंख्या के प्रत्येक दस व्यक्तियों में से सात व्यक्ति ऐसे हैं जो कृषि या उससे सम्बन्धित कार्यों में संलग्न हैं। कृषि में लगा हुआ जनसंख्या पर ही राष्ट्र का चालीस करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व है। परन्तु इस समय खाद्य सामग्री की पूर्ति के अभाव के कारण देश की आवश्यकता का कुछ भाग विदेशों से आयात करना आवश्यक हो जाता है।

कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सन् १९५५ के राष्ट्रीय आय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि (वन उत्पादों सहित) व्यवसाय द्वारा ४,२२० करोड़ रुपये का राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई। यह उस वर्ष का कुल राष्ट्रीय आय का ४३.७ प्रतिशत भाग है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण साधन है। सारा के अलावा देशों में कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय भारत की तुलना में बहुत कम है जैसा कि निम्न तालिका से विदित है।

कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय (१९५४)

राष्ट्र	कृषि द्वारा प्राप्त आय (करोड़ रुपये में)	कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत
भारत	४२२०.०	४३.७
जापान	१९७१.१	२१.८
यूनाइटेड किंगडम	१०२०.०	४.६
संयुक्त राज्य अमेरिका	७२७१.६	४.३

1) हमारे देश द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का महत्व कम नहीं है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुयें कृषि से सम्बन्धित हैं, जैसे जूट, तम्बाकू, चाय, तिलहन, लाख इत्यादि। इन वस्तुओं के निर्यात से देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जहाँ तक व्याप सामग्री का प्रश्न है, भारत की दशा इस समय वास्तव में बड़ी शोचनीय है। देश में जनसंख्या के लिए पर्याप्त व्याप सामग्री का अभाव के फलस्वरूप भारत को हर वर्ष अपनी आवश्यकता का लगभग १० प्रतिशत भाग विदेशों से आयात करना पड़ता है। आयात किये गये इस व्याप सामग्री से राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा हानिकर प्रभाव पड़ता है। एक ओर जबकि विदेशों से आयात किये गये गेहूँ तथा अन्न प्रकार की व्याप सामग्री की किस्म (Quality) निम्न श्रेणी की होती है, जो एक प्रकार से निर्यात करने वाले देशों के लिए अतिरिक्त (surplus) के समान होती है, ता दूसरी ओर भारी मात्रा में व्यापान से आयात के लिए राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग विदेशों का चला जाता है। इससे हमारी विकास सम्बन्धी योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई उपस्थित होती है। किसी समय हमारे देश को विश्व का व्याप भण्डार का पालिहान (Grainary of the world) कहलाने का गौरव प्राप्त था, परन्तु आज स्थिति बड़ी गम्भीर है। सन् १९३७ में भारत से अन्ना के अलग हो जाने के पश्चात् देश में व्यापान की बराबर कमी अनुभव की जा रही है। १९५७-१९५८ में क्रमशः ३५ और ३८ मिलियन टन अन्ना का आयात किया गया जिसका मूल्य क्रमशः १६२२, १२०५ करोड़ रुपये होता है।* द्वितीय एवं आगामी पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान देने के फलस्वरूप भारत न केवल व्यापान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दशा को प्राप्त कर लेगा वरन् ऐसी आशा की जाती है कि पुनः वह अपने उत्पादन का कुछ भाग विदेशों को निर्यात करने में भी समर्थ हो सकेगा।

ii) भारत के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी कृषि का महत्व कुछ कम नहीं है। देश में प्रतिस्थापित अनेक उद्योगों में कच्चे माल की निरन्तर पूर्ति करते रहने के लिए भी भारतीय कृषि को उत्तुष्टिशील और समृद्धि शील अवस्था में लाना अत्यन्त आवश्यक है। भारत के कुछ उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, तथा जूट उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनका भावी विकास के लिए हमें उनके लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन जैसे कपास, पटसन, गन्ना, इत्यादि कृषि वस्तुओं के उत्पादन में बराबर वृद्धि करने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। देश विभाजन के पश्चात् जूट उद्योग के समस्त कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः इस उद्योग का भविष्य मुख्यतया जूट के आन्तरिक उत्पादन पर ही निर्भर करता है। इन कारणों से

यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थ व्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सच्चे में राष्ट्र की उन्नति कृषि की उन्नति पर निर्भर करती है।

कृषि उत्पादन की विशेषतायें (Characteristics of agricultural production)—पूरी इसका कि हम भारत की कृषि की समस्याओं का अध्ययन करें। यह जान लेना आवश्यक है कि कृषि उत्पादन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा औद्योगिक उत्पादन से कृषि उत्पादन किस प्रकार भिन्न हैं? कृषि संसार के प्रमुख व्यवसायों में गिना जाता है। प्रत्येक देश में कृषि अथवा कृषि से प्राप्त वस्तुओं का महत्व अत्यंत होता है। इस आवश्यकता का पूरा करने के लिए या तो देश स्वयं उसका उत्पादन करता है अथवा अन्य देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं का आयात करता है। एक कृषि प्रधान देश का हित इसी में है कि वह कृषि उत्पादन सम्बंधी अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो। कृषि उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रकृति पर बहुत निर्भर रहती है। प्रकृति पर निर्भरता के कारण कृषि में मनुष्य, मृदा, टिड्डे आगमन, अनेक प्रकार के रोगों के जैसे प्राकृतिक प्रभावों का महत्व भयानक रहता है। कृषि उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) अधिक शीघ्रता से लागू होने लगता है। औद्योगिक उत्पादन में काफी समय के बाद इस नियम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और उत्पादन के आकार में वृद्धि कर देने से बहुत हद तक उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रवृत्ति का दूर किया जा सकता है, परंतु कृषि में भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई होती है।

कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति प्रायः जल्दी नष्ट होने वाली होती है जिसके कारण कृषि के सामने अन्न संचय की विकट समस्या होती है, अतः फसल कटने के बाद ही बाजार में पूर्ण अधिक उद्दे जाती है और वस्तुओं के दाम गिरने लगते हैं। कृषि का पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि के अन्तर् उत्पादन के अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने में भी बाधा पहुँचता है जिससे उसका आर्थिक स्थिति पर बड़ा हानिकार प्रभाव पड़ता है। कृषि व्यवस्था की उत्तम विशेषताओं का कृषि उत्पादन एवं कृषि के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। इस कारण कृषि सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करने समय इन्हें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

interests, and farmers in the course of their pursuit of a living and a private profit are the custodians of the basis of national life *

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ

(Main features of Indian agriculture)

संसार के अन्य देशों की भाँति भारत के कृषि उत्पादन में भी उपरोक्त विशेषताएँ चरितार्थ होती हैं। परंतु कृषि उत्पादन की इन मौलिक विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय कृषि की कुछ और प्रमुख बातें विशेष महत्व की हैं जिनके सम्बन्ध में जानकारी होना भारतीय कृषि की विभिन्न समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(१) भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कृषि वर्षा पर ही मुख्यतया निर्भर करती है, परंतु वर्षा के अनिश्चित, अपर्याप्त एवं समय पर न होने के कारण कृषकों के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(२) हमारे खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना तथा उनके छिटके होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।

(३) भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि भूमि क्षरण जैसी समस्याओं के कारण भारत की कृषि भूमि की उपज में निरन्तर क्षति होती जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रति एकड़ उत्पादन में कमी होने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

(४) भारतीय कृषि बड़ी पिछड़ी अवस्था में है। प्राचीन उत्पादन पद्धति तथा खेती सम्बन्धी अनेक सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय कृषि की दशा बड़ी शोचनीय है।

(५) भारतीय कृषक की अज्ञानता एवं निरक्षरता कृषि की उन्नति में बाधक है। किसानों के पास पूँजी की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना पड़ता है। सामाजिक रीति रिवाज एवं परम्पराओं के कारण किसान अपव्यय का शिकार हो जाता है जिसके कारण उसे भारी व्याज पर ऋण लेने की आवश्यकता होती है जिसका उससे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(६) भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभी तक भारत के कृषि उत्पादन में विज्ञान के प्रयोग का अभाव है। संसार के अन्य राष्ट्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा कृषि उत्पादन में पर्याप्त उन्नति कर ली गई है। भारतीय कृषि अभी तक वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों से लाभान्वित होने में असमर्थ रही है। यही भारतीय कृषि की समस्याओं का मूल कारण है।

*Quoted in Theory and Practice of Co operation in India and Abroad, Vol III

भूमि उपयोग (Land Utilisation)

भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है, इसकी जानकारी करना अत्यन्त आवश्यक है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग ८२१ करोड़ एकड़ है। इसमें से केवल ७२२ करोड़ एकड़ भूमि का प्रयोग कृषि में ही आँकड़े उपलब्ध है। लगभग ८६ करोड़ एकड़ भूमि ऐसा है जिसका सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। भारत की ७२२ करोड़ एकड़ भूमि का उपयोग निम्नतालिका में प्रदर्शित किया गया है।

भूमि	क्षेत्रफल (करोड़ एकड़ में)
कुल क्षेत्रफल	८२१
उपयोग की जाने वाली भूमि	७२२
वन प्रत्यक्ष	१३३
खेती में प्रयुक्त भूमि	३१५
खेती योग्य अप्रयुक्त भूमि	१२२
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	६५
उत्तर भूमि	५८

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में लगभग ३१५ करोड़ एकड़ भूमि ही ऐसी है जिस पर खेती का जाना हुआ है। वैश्व स्तर पर भूमि मिलाकर भारत में कुल खेती योग्य भूमि लगभग ३६३ करोड़ एकड़ है परंतु ३१५ करोड़ एकड़ ही भूमि पर खेती की गई थी। १९५६-५७ में ३२० करोड़ एकड़ भूमि पर खेती का गठबंधन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल में वृद्धि करके प्रयत्न किए गये हैं। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा लगभग २३ लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने का कार्य किया गया। भारत का कुल खेती योग्य भूमि को अगर भारतीय किसानों में वितरित किया जाय तो प्रति व्यक्ति भूमि लगभग ११ एकड़ आवेगी। संसार के अन्य देशों में प्रति व्यक्ति जाती हुई भूमि भारत का तुलना में कहीं अधिक है। निम्न तालिका में हम भारत तथा संसार के कुछ प्रमुख देशों में प्रति व्यक्ति जोती गई भूमि का प्रदर्शन कर रहे हैं।

राष्ट्र प्रति व्यक्ति जोती गई भूमि (एकड़)

भारत	११
अमेरिका	३१७
ऑस्ट्रेलिया	४७१
कनाडा	५२६

मुख्य फसलें (Main crops)

भारत की फसलें मुख्यतया दो प्रकार की हैं— खाद्य फसलें (Foodcrops) और अखाद्य फसलें (Non food crops)। वस्तु भारतीय कृषि उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अधिक मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने के कारण तथा पर्याप्त वर्षा एवं विभिन्न प्रकार की आवश्यक जलवायु के कारण कृषि उत्पादन में बड़ी सहायता मिलती है जिसने फलस्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। दूसरी विशेषता भारतीय कृषि की यह है कि यहाँ खाद्य फसलों का प्रमुख स्थान है अर्थात् कृषि योग्य भूमि के ८० प्रतिशत भाग पर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आती हैं जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, दालें इत्यादि। केवल २० प्रतिशत क्षेत्र पर ही अन्य प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। निम्न तालिका में हम १९५८-५९ में देश में उगाई गई मुख्य फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन प्रदर्शित कर रहे हैं

मुख्य फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (१९५८-५९)

फसल	कुल क्षेत्रफल (लाख एकड़ में)	उत्पादन (लाख टन में)
चावल	८१५ २०	२९७ २१
गेहूँ	३०९ ६६	९६ ९४
ज्वार	४२६ ०८	८६ ८९
बाजरा	२७९ ०५	३७ ९१
मक्का	१०३ १४	२९ ९०
रागी	५९ ३०	१७ २२
जौ	८१ ८६	२६ ४०
दालें	५८९ ७०	१२२ ०८
कुल	२७८६ ०३	७३५ ०३

उपरोक्त तालिका में प्रमुख खाद्य फसलों के सम्बन्ध में आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु खाद्य फसलों के अतिरिक्त भारत में अखाद्य फसलों का भी काफी महत्त्व है। निम्न तालिका में हम तिलहन, कपास, तम्बाकू, चाय, गन्ना, पटसन इत्यादि फसलों से सम्बन्धित क्षेत्रफल एवं उनके उत्पादन के सम्बन्ध में आँकड़े दे रहे हैं :-

फसल	कुल क्षेत्रफल (लाख एकड़)	कुल उत्पादन (लाख टन में)
तिलहन	३३४२	५६१
कपास	२०१६	५७५
पटसन	१७५	४०६ (लाख गाँठ)
गन्ना	५०२	६४१४
तम्बाकू	६३	२५
चाय	७८	६८ (लाख पौड)
कहना	२४	६८० (लाख पौड)
रबर	१८	४६० (लाख पौड)

खाद्य फसलें

चावल—चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में गिना जाता है देश की श्रृषि-योग्य भूमि के लगभग ३५ प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है। भारत के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ व निवासियों का मुख्य भोजन चावल ही है। १९५८-५९ में इसका क्षेत्रफल लगभग ८१५६ लाख एकड़ और उपज २६७२१ लाख टन थी। चावल एक खरीफ की फसल होने के कारण नवम्बर दिसम्बर के महीने में काटी जाती है। भारत में चावल की समस्या १९३५ में बर्मा व अलग हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। अपनी आवश्यकता के लिए भारत को चावल विदेशों आयात करना पड़ता है। पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश, असम, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इत्यादि प्रदेश चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं।

गेहूँ—भारत में शीत ऋतु में गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ देशवासियों का प्रमुख भोजन है। वैसे तो इसने उत्पादन व लिये वर्षों की आवश्यकता होती है परन्तु कम वर्षों वाले स्थानों में सिंचाई द्वारा इसकी पैदावार के लिये पत्रत जल उपलब्ध कर लिया जाता है। गेहूँ के उत्पादन के लिए दुमठ मिट्टी सबसे अधिक लाभदायक है। इस कारण देश की कुल उपज का लगभग ३५ प्रतिशत भाग वनज उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। शेष उत्पादन पंजाब, बिहार, मध्य, राजस्थान से प्राप्त होता है। १९५८-५९ में इसका क्षेत्रफल १०६६६ लाख एकड़ था जिसमें लगभग ६६६४ लाख टन की उपज हुई थी।

जौ—जौ भी देश में भोजन के लिए प्रयुक्त होता है। यह अधिकतर निर्धन एवं कम आय वाले व्यक्तियों का लोकप्रिय अनाज है। इसका प्रयोग बियर (Beer) बनाने के लिए भी किया जाता है और घाघ ही पशुधर्म के चारे के लिए भी। इस कारण

कृषकों के लिए यह द्राविक फसल होने के कारण अधिक महत्व की है। उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, मध्य प्रदेश, पञ्जाब, राजस्थान आदि में अधिक होता है। १९५८-५९ में इसकी कुल उपज २६ ४० लाख टन थी।

ज्वार बाजरा एवं रागी—ज्वार, बाजरा, रागी को घटिया किस्म की फसलों में गिना जाता है परन्तु देश की निर्धन जनता के भोजन के लिए इनका महत्व कम नहीं है। सन् १९५८-५९ में ज्वार, बाजरा तथा रागी का उत्पादन क्रमशः ८६ ८६ लाख टन, ३७ ६१ लाख टन और १७ २२ लाख टन था।

दालें—दालें भारत के लिए अत्यन्त महत्व की हैं। देश की अधिकांश जनता शाकाहारी होने के कारण लगभग सारे देश में दालों का उपभोग किया जाता है। दालें प्रायः देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इनका महत्व अधिक है क्योंकि इनसे प्रोटीन काफी मात्रा में प्राप्त होती है। सन् १९५८-५९ में लगभग ५८६ ७ लाख एक्ड में दालों की कاشت हुई थी जिसकी कुल उपज लगभग १२२ ०८ लाख टन थी। बिहार, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, बम्बई, आदि राज्य इसके लिए प्रमुख हैं।

गन्ना—यह भारत की प्रमुख व्यापारिक फसल गिनी जाती है तथा देश का एक प्रमुख उद्योग—चीनी उद्योग—इसी पर आधारित है। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सन् १९५७-५८ में देश में लगभग ५० २ लाख एक्ड भूमि पर गन्ने की खेती हुई थी। उसी समय इसका उत्पादन लगभग ६४१ ४ लाख टन था। उत्तर प्रदेश, जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक है, के अतिरिक्त बम्बई, मद्रास, आसाम, बिहार, पञ्जाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन होता है।

अन्नान्य फसले (Non food crops)

कपास (Cotton)—कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया है। इसके लिए पर्याप्त वर्षा तथा उच्च तापक्रम की भी आवश्यकता है। इस कारण भारत में कुल उत्पादन का लगभग ६०% भाग दक्षिणी भारत से ही प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के मुख्य क्षेत्र बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश आदि राज्य हैं। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के पश्चात् ही भारत का गणना हानो है। भारत में अच्छी किस्म की कपास अधिक पैदा न होने के कारण देश की सूती मिल्नों की आवश्यकता के लिए अष्टिया किस्म की कपास मिल्न तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से आयात की जाती है। १९५७-५८ में कपास का कुल उत्पादन ४७ ०५ लाख गॉट हुआ था। एक गॉट का भार लगभग ३६२ पौंड होता है। भारत में १९८ लाख एक्ड के क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर कपास का उत्पादन किया जाता है।

पटसन (Jute)—संसार में पटसन के कुल उत्पादन का लगभग ६६% भाग अतिभाजित भारत में होता था। इस कारण देश के विभाजन के पूर्व जूट के उत्पादन का भारत को एकाधिकार प्राप्त था। परन्तु अब दशा बदल गई है। विभाजन के फलस्वरूप जूट के उत्पादन क्षेत्र अधिकांश पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत को जूट की मिलाई के लिये देश का पाकिस्तान से आयात किये गये जूट पर निर्भर रहना होता है। इस कारण देश में जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तिलहन (Oil seeds)—मूँगफली, सरसों, अलसी, तिल एवं रेंडी ही प्रमुख फसल भारत में उगाई जाती हैं। इनका उपयोग पशुओं के खिलाने, तल निकालने एवं साबुन तथा वनस्पति धातु जैसे उद्योगों में किया जाता है। सन् १९५७-५८ में इन पाँचों प्रकार के तिलहन का उत्पादन लगभग १३५२ लाख एकड़ भूमि पर किया गया था जिसका कुल उत्पादन लगभग ५६ लाख टन था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चात्, बिहार और असम इसका उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं।

चाय (Tea)—संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरा स्थान भारत का है। आंतरिक उद्योगों के अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा महत्व निर्यात की दृष्टि से है। भारतीय चाय संसार के अनेक देशों को निर्यात की जाती है। सन् १९५७-५८ में भारत से लगभग ११६ करोड़ रुपये की चाय का निर्यात हुआ था।

रबर (Rubber) दक्षिणी भारत में अधिकांश रबर का उत्पादन होता है। कर्नाटकराज्य में ही कुल देश का लगभग ६० प्रतिशत रबर पैदा होता है। केरल के अतिरिक्त मद्रास और मैसूर राज्यों में भी रबर का उत्पादन होता है। सन् १९५८-५९ में भारत में लगभग ४६ लाख पौंड रबर का उत्पादन हुआ था।

तम्बाकू (Tobacco)—संसार के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन हैं। तम्बाकू के उत्पादन की दृष्टि से संसार में भारत का तृतीय स्थान है। यहाँ तो सारे देश में तम्बाकू किसी न किसी मात्रा में उत्पन्न होता है परन्तु बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, अम्बई तथा पश्चिमी बंगाल तम्बाकू के प्रमुख उत्पादक हैं। लगभग २५३ लाख टन तम्बाकू का उत्पादन सन् १९५८-५९ में किया गया था।

कहना (Coffee)—कहना भी दक्षिणी भारत में अधिक उत्पन्न होता है। मैसूर तथा मद्रास कहना के प्रमुख उत्पादक हैं। कहना का अधिकांश भाग निर्यात के काम आता है। सन् १९५७-५८ में ८८ लाख पौंड कहना उत्पन्न किया गया।

भारतीय कृषि की समस्याएँ

वर्तमान समय में भारत की सबसे प्रमुख समस्या उसकी कृषि की समस्या

हे। वास्तव में भारत, जो कमी संसार के अन्य-देशों के लिये भी खाद्य सामग्री उत्पन्न करता था, आज उसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी होने पर भी वह अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसके कारण राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक भारी भाग प्रति वर्ष देश-वासियों के लिए आवश्यक भोजन के आयात करने में व्यय कर दिया जाता है। हमारी कृषि की समस्या ही वर्तमान में देश की अत्यन्त गंभीर समस्या है। बिना कृषि की समस्या हल किये भारत का आर्थिक विकास सम्भव नहीं। यदि हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा नागरिक क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में भारी अन्तर दिखाई देगा। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि व्यवसाय में लगी जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय ₹८० रुपये है परन्तु दूसरे कार्यों में सलग्न व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान ४१६ रुपया लगाया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि जैसे तो समस्त राष्ट्र ही निर्धन व्यक्तियों से बना हुआ है, परन्तु भारत की ग्रामीण जनता की दशा अत्यन्त दयनीय है जिसका मुख्य कारण भारतीय कृषि के समस्त अनेक समस्याओं का उपस्थित होना है। इन समस्याओं को हल करने पर ही हम देश के कृषि-उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण नियातियों तथा समस्त देश-वासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर उनका जीवन सुखमय बनाने में समर्थ हो सकेंगे। भारतीय कृषि की निम्न प्रमुख समस्याएँ हैं जिनके कारण भारतीय कृषि एक पिछड़ी हुई अवस्था में है—

भारतीय कृषि के पिछड़े होने के कारण

✓ (१) भूमि पर जनसंख्या का भार—भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख समस्या भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार होना है जिसके कारण हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश होने हुए भी कृषि की दृष्टि से एक पिछड़ी हुई अवस्था में है। खेती के व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होना स्वाभाविक ही है। तथा इन छोटे-छोटे खेतों में खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने में भी अत्यन्त कठिनाई होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें रोजगार के अन्य अवसरों की उपलब्धि के लिए नये नये उद्योग-धन्धों का विकास करना आवश्यक है।

✓ (२) खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होना तथा छिटके होना—खेती की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि खेत काफी बड़े हों जिनके अन्दर हम आधुनिक यन्त्रों तथा ट्रैक्टरों से सुगमता से खेती कर सकें परन्तु भारत में खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गये हैं। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ खेत का औसत क्षेत्रफल केवल २३ एकड़ ही है। छोटे छोटे टुकड़ों में तथा उनके सर्वत्र बितरे

होने के कारण हमारी खेती एक पिछड़ी अवस्था में है। चक्रवर्दी द्वारा ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं जिससे हमारी कृषि में पर्याप्त मुधार सम्भव हो सकता है।

✓ (३) उत्तरदायित्व का अभाव—कृषि के क्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच उत्तरदायित्व के अभाव के कारण कृषि को भारी क्षति हो रही है (Divided responsibility is hitting agriculture)। कृषि की समस्या को हल करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का अपने जिम्मेदारी का अनुभूत न कर अपने लिए आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय सरकार पर सदैव निर्भर करते रहने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए सन्निधान का संशोधन किया जाय जिससे कृषि सम्बन्धी समस्त अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास आ जायें।

✓ (४) वर्षा पर अत्यधिक निर्भर होना—अच्छी उपज के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता है, परन्तु भारत में सिंचाई के कृत्रिम साधनों की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धि के कारण भारतीय कृषक को अपनी उपज के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है, परन्तु वर्षा का ठीक समय पर तथा समान वितरण न होने के कारण खेती को गंभीर क्षति पहुँचती है। वर्षा अधिक हो जाने से बाढ़ आ जाती है और फसल को नुकसान पहुँचता है। वर्षा न होने अथवा कम होने के फलस्वरूप कभी कभी सूखा पड़ जाने का मय रहता है। इस कारण संक्षेप में भारतीय कृषि मानसूनी लुब्धा (gamble in monsoons) के नाम से विख्यात है।

(५) दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था—भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण खेती की उत्पत्ति में बाधा पहुँचती है तथा इसका कृषकों की कार्यक्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भारत में जमींदारी प्रथा ने प्रचलित होने के कारण खेती एक पिछड़ी अवस्था में रही है, परन्तु जमींदारी उन्मूलन ने परचात् कृषक को अपनी भूमि में मुधार करने तथा उत्तम उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिली है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषक और सरकार ने बीच मध्यस्था को समाप्त कर दिया जाये तभी कृषि में वास्तविक मुधार सम्भव हो सकेगा।

✓ (६) कृषि की दोषपूर्ण प्रणाली—भारतीय कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण देश में प्राचीन तथा दोषपूर्ण कृषि पद्धति का अपनाया जाना है। हमारे कृषक प्राचीन यन्त्रों द्वारा ही खेती करते हैं। उनके खेती के तरीके बहुत पुराने हैं जिसका मुख्य कारण उनकी अज्ञानता ही है। इस कारण खेती में प्रयुक्त यन्त्रों का उत्पत्तिशील बनाया जाये तथा हमारे कृषक गण खेती के नये-नये एवं मुधार तरीकों को अपनायें जिससे भारतीय कृषि को वास्तविक लाभ अवश्य होगा।

✓ (७) खाद की कमी—खाद उत्पादन बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन क्षेत्रों में उत्पन्न आधिकार्य गोबर, जो अच्छी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा

सकता है, मारी मात्रा में किसानों द्वारा ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे किसानों को कम्पोस्ट बनाने का भी समुचित ज्ञान नहीं है जिससे कारण यद्यपि अधिक शक्ति खर्च करके खेत चला जाता है अथवा दोषपूर्ण ढंग से इकट्ठा रखने के कारण उनके आवश्यक रासायनिक तत्व नाश हो जाते हैं। इस कारण कृषि का उत्पादन कम हो जाता है।

✓(८) उत्तम बीज की कमी—भारतीय कृषि को सुधारने के लिए उत्तम बीज का भी होना अत्यन्त आवश्यक है। अच्छे प्रकार के बीज के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

• (९) दुर्बल पशु—वैसे तो हमारे देश में खेती में प्रयोग होने वाले पशुओं की संख्या कम नहीं है तथा संख्या की दृष्टि से भारत में सस्य में सबसे अधिक पशु हैं, परन्तु किस्म की दृष्टि से (Qualitatively) भारतीय पशु दुर्बल और घटिया प्रकार के हैं। उनकी कार्य क्षमता कम होने के कारण किसान को उनसे वास्तविक लाभ नहीं हो पाता। भारत की पशु सम्पत्ति सुधारने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पशुओं के लिए चारे का समुचित प्रबंध हो, उनके रहने का स्थान स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक हो तथा उनकी चिकित्सा का भी प्रबंध हो।

✓(१०) कृषि विपणन के दोष—भारतीय कृषि के पिछड़े होने का दायित्व बहुत कुछ कृषकों की भी पिछड़ी एवं दयनीय अवस्था होना है जिसका मुख्य कारण यह है कि दोषपूर्ण विपणन प्रणाली के कारण उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। गाँवों के रास्ते पुराने होने तथा यातायात के साधनों के अभाव के फलस्वरूप किसान को गाँव में ही प्रतिदूल परिस्थितियों में अपनी फसल को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। संगठित मंडियों के अभाव के कारण वहाँ नाना प्रकार की धोखे जाकियाँ प्रचलित हैं तथा मध्यस्थों द्वारा उसके मूल्य का एक भारी भाग हड़प कर लिया जाता है। सहकारी विपणन समितियों द्वारा इन मध्यस्थों को दूर कर किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सकता है जिससे उसकी दशा में वास्तविक सुधार हो जायेगा।

✓(११) कृषकों का ऋण प्रसू होना—भारतीय कृषक रूढ़िवादी तथा दकियानुही विचारधारा का शिकार है। अपनी अज्ञानता के कारण उद्ये सामाजिक एवं धार्मिक अरुणों पर गाँव के महाजन से ऋण लेना पड़ता है। इससे अतिरिक्त अपनी खेती सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए भी उद्ये महाजन और साहूकार के द्वार खटखटाने पड़ते हैं। सहकारी समितियों द्वारा किसान को अपनी आवश्यकता के लिए उचित न्याय पर खाल दिलाकर उद्ये महाजन साहूकार के निर्दयी पंजों से मुक्त किया जा सकता है। इससे देश की कृषि की दशा को सुधारने में सहायता मिलेगी।

कम उपज के कारण—जैसा कि उपरोक्त विवरण से विदित है भारतीय कृषि

की अग्रस्था बड़ी दयनीय है। एक ओर तो देश की जन संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए देश में पर्याप्त खाद्य सामग्री का अभाव है जिससे फलस्वरूप देश को विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। भारत में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। निम्न तालिका में हम चावल, गेहूँ, तथा गन्ने के सम्बन्ध में सप्ताह के प्रमुख देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।

[प्रति एकड़ औसत उत्पादन (पौण्डों में)]

देश	गेहूँ	चावल	गन्ना
भारत	५८६	६६१	२६,४६७
पाकिस्तान	८३३	१,२६१	१७,४६६
अमेरिका	६४६	—	३६,६१८
कनाडा	१,०५०	—	—
यू० के०	२,४३६	—	—
जापान	—	२,५३३	—
हवाई	—	—	१,५०,३६८

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में गेहूँ, चावल, गन्ना जैसे प्रमुख वस्तुओं का प्रति एकड़ औसत उत्पादन सप्ताह के अन्य देशों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन से बहुत कम है। जबकि यू० के० में प्रति एकड़ गेहूँ का औसत उत्पादन २,४३६ पौंड है वहीं भारत में केवल ५८६ पौंड ही है। इसी प्रकार जापान में चावल के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की तुलना में भारत का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम है। इससे इस बात का आभास होता है कि हमें कम उत्पादों के कारणों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए जिनसे हल करने के पश्चात् ही देश की कृषि अर्थ व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार सम्भव हो सकेगा। भारत में कम उत्पादों के प्रमुख कारण निम्न हैं—

- (१) खेतों का उपलब्ध तथा छिड़ने होना।
- (२) लगातार खेती करने तथा भूमिचरण (Soil erosion) के कारण कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होते जाना।
- (३) उत्तम बीज तथा खाद का प्रयोग कम होना। ✓
- (४) दोगधर्या प्राचीन कृषि प्रणाली का अग्रनाया जाना।
- (५) सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण खेती का वर्षा पर निर्भर होना।
- (६) दुर्बल तथा रोगग्रस्त पशुओं का प्रयोग।
- (७) दोगधर्या कृषि विषयन की पद्धति।

(८) विभिन्न रोगों तथा कीटाणुओं द्वारा फसल नष्ट हो जाता । —

(९) कृषकों की अज्ञानता तथा ऋणग्रस्त होना ।

(१०) दोगपूर्य भू धारण प्रणाली ।

(११) कृषकों की निर्धनता तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए पूँजी का अभाव ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पर निम्नलिखित की गई समितियों एवं सम्मेलनों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं । हमारे विचार से यदि हमें देश की कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है तो निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना होगा —

(१) उद्योग घरों के विकास से रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किये जायें जिससे भूमि पर जनसंख्या का भार कम हो ।

(२) देश की जनसंख्या की रक्षा करने की दृष्टि से पेड़ों के काटने पर रोक लगानी चाहिये ।

(३) सिंचाई के साधनों का समुचित विकास हो । उन्नतिशील कृषि यन्त्र, उत्तम बीज एवं उद्भिद्या रास का प्रयोग हो ।

(४) ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो जिससे कृषक की अज्ञानता एवं उसकी रूढ़िवादी विचारधारा समाप्त की जा सके ।

(५) यातायात के साधनों का विकास हो ।

(६) कीटाणु एवं विभिन्न रोगों से फसल की रक्षा की जाये ।

(७) कृषि अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा खेती के उन्नतिशील तरीकों का विकास हो ।

(८) भूमिदाहण द्वारा होने वाली हानि से कृषि भूमि की रक्षा की जाये ।

(९) छोटे छोटे खेतों को मिलाकर कृषि जोत (agricultural holdings) में वृद्धि की जाये ।

(१०) पशु सम्पत्ति के सुधार के लिए प्रयत्न किये जायें ।

भारत सरकार के राज्य एवं कृषि मंत्रालय (Ministry of Food and Agriculture) एवं सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Community Development and Co operation) के नियन्त्रण पर आमन्त्रित १३ सदस्यों वाले 'फोर्ड फाउन्डेशन अध्ययन दल' (Ford Foundation Study Team) द्वारा भारतीय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिये गये सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इन सुझावों से देश के कृषि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि का सम्भावना की जा सकती है । सुझावों को सक्षेप में नीचे दे रहे हैं —

(१) भूमि सुधार तथा भूमि की रक्षा व्यवस्था करना ।

(२) खाद्यान्न के मूल्यों में स्थिरता लाना ।

- (३) खेतों की चकन्द्री ।
- (४) सहकारी कृषि प्रणाली ।
- (५) सात सम्बन्धी सुविधाओं का प्रदान करना ।
- (६) कृषि नियन्त्रण में सुधार ।
- (७) भूमि क्षरण से भूमि की रक्षा की जाना ।
- (८) पशुओं द्वारा खेतों में अनियन्त्रित दम से चरने पर रोक ।
- (९) रासायनिक खादों का प्रयोग ।
- (१०) कृषि का यंत्रीकरण ।
- (११) पशुओं की दशा सुधारना तथा बेकार पशुओं की संख्या कम करना ।
- (१२) कृषि अर्थशास्त्र में अनुसंधान (Research in Agricultural Economics)

भारत में विस्तृत तथा सघन अथवा गहरी खेती की समस्या (Problem of Extensive and Intensive Cultivation in India)

भारत में कृषि सम्बन्धी सुधार के अन्तर्गत विस्तृत तथा गहरी खेती की समस्या भी आती है। हमारे देश ने समस्त इस समय अधिक उत्पादन की समस्या है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से न केवल भारत अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न जुटाने में समर्थ हो सकेगा बल्कि उत्पादन की इस वृद्धि का अन्य दृष्टि से भी अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व है। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा यदि हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है तो उसका लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत अपनी उन वस्तुओं के उत्पादन में दिनोंन्तर वृद्धि करता जाय जिनका प्राचीन समय से भारत द्वारा निर्यात किया जाता रहा है। दूसरे नियोजित आर्थिक विकास के अन्तर्गत होने वाले औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की पूर्ति के लिए स्वयं आत्मनिर्भर न रहना पड़े। इस सम्बन्ध में दो समस्याएँ हैं —

(१) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) — अर्थात् खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि करना। अधिक उत्पादन के लिए हमें देश की कृषि योग्य भूमि में निरन्तर वृद्धि करनी चाहिए। देश में अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उड़ी-बड़ी चट्टानें हैं और मिट्टी न हाने के कारण उसका खेती के लिए प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भारत की कुछ कृषि योग्य भूमि ऊपर तथा नीचे हो जाने या अधिक जगली घास पान से ढकी होने के कारण खेती के उपयोग अयोग्य हो गई है। हमें इस प्रकार की भूमि को पुनरुद्धार करके पुनः खेती योग्य बनाना है। इस प्रकार भारत की कृषि योग्य पट्टी हुई भारी मात्रा में व्यर्थ भूमि खेती के कार्य में प्रयुक्त हो सकती है। भारत के तराई के क्षेत्र में भी बहुत-सी ऐसी भूमि है जिसमें सुधार करके कृषि उत्पादन किया जा सकता है।

‘के.टी.ए. ड्रेक्टर संगठन’ की स्थापना इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। इस कार्य के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय ऋण से समय समय पर ऋण भी प्रदान किया गया है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग १५ लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विस्तृत खेती का भी पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं परन्तु इसमें आवश्यक तांत्रिक ज्ञान तथा वित्तीय साधनों का अभाव है।

(२) गहरी सघन खेती (Intensive Cultivation)—अधिक उत्पादन के लिए या तो खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की जाये अथवा भूमि व एक निश्चित क्षेत्रफल पर अधिक श्रम व पूँजी तथा खाद के प्रयोग से उत्पादन में आवश्यक वृद्धि प्राप्त की जाये। यदि हमें अपने देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी सघन खेती की पर्याप्त सभावनाएँ हैं। सिंचाई की सुविधाओं के समुचित विकास, उन्नतिशील कृषि, पत्र, उच्चम बीज व बढ़िया खाद द्वारा देश की प्रति एकड़ भूमि में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। इस क्षेत्र में हमें जापान के उदाहरण को समझना होगा जहाँ प्रति व्यक्ति खेती किया गया क्षेत्रफल भी भारत की तरह कम है। परन्तु वैज्ञानिक एवं उन्नतिशील कृषि पद्धति द्वारा वहाँ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर ली गई है। हमारे देश में भी सरकार द्वारा आयोजित फसल प्रतियोगिताओं के अर्तगत की गई उपज इस बात का साक्ष्य है कि सुधरे हुए तरीकों तथा पर्याप्त सुविधाओं द्वारा देश में सघन खेती द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना अधिक कठिन नहीं है।

कृषि क्षेत्र में विदेशों के अनुभव

वस्तु में यह बड़े हुए का विषय है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि सम्बंधी अनेक समस्याओं में प्रस्त है जिसके कारण उसकी कृषि अर्थ व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई अवस्था में है। सभार ४ अन्य देशों के कृषि सम्बंधी अनुभवों द्वारा भारत का काफी लाभ हा सकता है। नीचे हम अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे प्रमुख राष्ट्रों की कृषि पद्धति का अध्ययन करेंगे।

अमेरिका (America)—अमेरिका की कृषि पद्धति ४ विषय में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पहली तो कृषि में विज्ञान का प्रयोग और दूसरी वैज्ञानिक कृषि प्रबंध (scientific farm management)। विज्ञान ४ क्षेत्र में अप्रसर होने के कारण कृषि-सम्बंधी अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कृषि प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर लिए गये हैं। आधुनिक कृषि, औजारों, रासायनिक खाद तथा कृषि ४ यन्त्रिकरण द्वारा कृषि में पर्याप्त उन्नति हुई है।

रूस (Russia)—सोवियत रूस कृषि ४ क्षेत्र में सभार के प्रमुख राष्ट्रों में गिना जाता है। अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए रूस अपने आन्तरिक उत्पादन पर आत्मनिर्भर है। रूसी कृषि के सम्बंध में निम्न बातें जानने योग्य हैं —

- (१) बड़े बड़े खेतों पर खेती किया जाना ।
- (२) कृषि यन्त्रकरण (Mechanisation of agriculture) ।
- (३) सामूहिक कृषि प्रणाली (Collective farming) ।

चीन (China)—पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भी कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली है । चीन में प्रात एकड़ उपज बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग किया जाता है । जिन खादों का चीन में अधिक प्रयोग किया जाता है उसमें से प्रमुख हैं मल की खाद (night soil), वृद्धे की खाद (compost) तथा सोम की खली (bean cake) इत्यादि । भारत में उत्पन्न होने वाली अविनाश योग्य कृषक द्वारा ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो जाने के कारण तथा अन्य प्रकार की खादों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी न होने के कारण भारतीय कृषि में खाद का पर्याप्त मात्रा के प्रयोग का पाठ हमें चीन से मिलता है जिससे देश के कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि संभव है ।

जापान (Japan)—जापान के कृषि उत्पादन में सबसे प्रमुख वस्तु चावल है जिससे सम्बन्ध में जापान के अनुभवों से भारतीय कृषि को पर्याप्त लाभ होने की संभावना है । जापान में प्रति एकड़ चावल की उपज भारत की प्रति एकड़ चावल की उपज से कई गुना अधिक है जैसा कि निम्न तालिका से विदित है —

देश	प्रति एकड़ चावल की उपज (पौंड में)
जापान	३५३३
भारत	६६१

जापान में प्रति एकड़-उपज अधिक होने का मुख्य कारण एक विशेष प्रकार की धान की खेती का जाना है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है ।

जापानी ढंग से चावल की खेती* (Japanese Method of Rice Cultivation)—जापानी ढंग से धान की उपज बढ़ाने के लिए २ बातों को सदैव याद रखना आवश्यक है — (१) बड़े-बड़े खेतों में (२) फसल का अच्छा होना ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निम्नलिखित तरीकों को काम में लाना चाहिए —

- (१) बेड़ को भली भाँति तैयार का हुई क्यारियाँ म लगाने से ।
- (२) बेड़ के लिए मीज की मात्रा कम डालने से ।
- (३) क्यारियाँ और खेत दोनों में प्रचुर मात्रा में खाद देने से ।
- (४) कतार में और दूर-दूर पर रोपाई करने से ।

* (१) उत्तर प्रदेश में जापानी ढंग से धान की खेती ।

(५) वेड़ की देखभाल करने और खेत में उचित निराई करने से।

यदि इन तरीकों से कार्य किया जाये तो धान की पैदावार औसत से दुगुनी और तिगुनी हो जाती है।

वेड़ लगाने का स्थान सिंचाई के साधन के नजदीक ही होना चाहिए। क्यारी बनाने के पहले खेत को सूख अच्छी तरह जोत कर मिट्टी बारीक कर लेनी चाहिए। क्यारी की लम्बाई २५ फुट तथा चौड़ाई ४ फुट होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रत्येक क्यारी में एक मन की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद व कम्पोस्ट अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके बाद क्यारी के ऊपर लगभग ३ इंच छुनी हुई बारीक कम्पोस्ट और इसके ऊपर राख की एक पतली तह फैला देनी चाहिए। राख की तह के ऊपर ३ सेर रासायनिक खाद का मिश्रण जिसमें आधा अमोनियम सल्फेट और आधा सुपर फास्फेट हो छिड़क देना चाहिए। अब अच्छे बीज को नमक के पानी में डालकर फिर अलग पानी में धो लेना चाहिए, तत्पश्चात् खाद के मिश्रण के ऊपर बीजों को इस प्रकार छालना चाहिए कि बीज हर स्थान पर बराबर-बराबर पड़ जाये। एक क्यारी के लिए ३ सेर बीज काफी है। ७ या ८ दिन के बाद पौधों की निराई करनी चाहिए। वेड़ तैयार हो जाने के बाद उन्हें शीघ्र ही रोप देना चाहिए इसके बाद खेत तैयार किया जाता है। हर एक वेड़ को बहुत सावधानी से उखाड़ना चाहिए। रोसाई कतार ही में करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दस-दस इंच की होनी चाहिए। रोसाई के बाद पन्द्रह पन्द्रह दिन पर गोड़ाई करनी चाहिए। बरसात में यदि पानी की कमी हो तो समय-समय पर पानी देते रहना चाहिए।

प्रश्न

1. Mention the chief characteristics of Indian agriculture. How can we improve it? (Rajputana, 1951)
2. What are the main problems of Indian Agriculture? How is it proposed to solve them during the next five years? (Allahabad, 1954, Punjab, 1953, Agra, 1946)
3. Why is agricultural productivity low in India? Are you satisfied with the steps taken so far to increase it? (Bararas, 1954)
4. The central problem in planning and development of India's economy is the reconstruction of agriculture. Discuss. (Bombay, 1955)
5. Write a short on —
 - (1) 'Principal Agricultural Crops of India'. (Agra, 1957)
 - (2) Causes of Low Yield (Agra, 1942)

भारत में कृषि की इकाई

(Unit of Cultivation in India)

कृषि की उन्नति में प्रभाव डालने वाली बातों में जल का आकार सबसे अधिक महत्व का है। यह सत्य है कि बिना बढ़िया खाद, बीज, उन्नत औजार एवं कृषि यंत्र। सिंचाई आदि की सुविधाओं व कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती है,

उ इन सब साधनों तथा सुविधाओं से अधिकतम लाभ उठाने तथा उनका अधिकतम आर्थिक प्रयोग करने व लिए खेत की इकाई अथवा जोत का आकार एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका मुख्य कारण यह है कि कृषि व आकार पर ही उत्पत्ति का पैमाना, कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं उत्पादन प्रविधि इत्यादि जैसी समस्त बातें निर्भर करती हैं। कृषि की इकाई के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हम आगामी पृष्ठों में करेंगे।

कृषि उत्पादन का परिमाण (Scale of Agricultural Production)

जिस प्रकार औद्योगिक उत्पादन छोटे पैमाने अथवा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है ठीक उसी प्रकार कृषि उत्पादन का पैमाना भी निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व देश की जनसंख्या है। एक कृषि प्रधान देश में भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार होने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की मात्रा कम होती है। अधिक लोगों की जीविका मिलाने व कारण समस्त देश की कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और यदि कृषक इस सीमित कृषि भूमि की मात्रा से उत्पादन वृद्धि का इच्छुक है तो उसे अधिक मात्रा में धन तथा पूँजी लगाकर गहरी खेती कर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। परन्तु सभार व उन देशों में जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक है और साम ही जनसंख्या का भूमि पर भार भी कम है, वहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की मात्रा अधिक होती है जिससे कारण बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन किया जा सकता है। कृषि में उत्पत्ति का परिमाण अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनमें मुख्य निम्न हैं—

कृषि में उत्पादन का पैमाना निर्धारित करने वाले तथ्य (Factors governing the Scale of Production in Agriculture)—

(१) भूमि पर जनसंख्या का भार—पनी आसदी वाले देशों में भूमि पर

जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाने से बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जा सकती।

(२) भूमि की प्रश्रुति—यदि खेती की भूमि उपजाऊ है तो थोड़ी ही भूमि पर कृषि की उत्पत्ति में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(३) जलवायु—जन स्वास्थ्य तथा कृषि के लिए उपयुगी जलवायु होने के कारण किसी स्थान पर जनसंख्या के घनत्व अधिक हो जाने से कृषि जोतों का क्षेत्र छोटा हो जाता है।

(४) कृषि सम्बन्धी सुविधायें—खाद, बीज तथा मुधरे हुए कृषि के औजार तथा सिंचाई के साधनों की उपलब्धि पर कृषि उत्पत्ति का परिमाण निर्भर करता है।

(५) उत्पादन प्रविधि तथा कृषकों की कार्य क्षमता—कुशल कृषकों तथा उन्नत कृषि पद्धति द्वारा सीमित क्षेत्र में भी पर्याप्त उत्पादन सम्भव हो सकता है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि कृषि उत्पत्ति का परिमाण अनेक बातों पर निर्भर करेगा है। अतः यह कहना कठिन है कि बड़े पैमाने पर खेती अच्छी है अथवा छोटे पैमाने पर। वास्तव में दोनों प्रकार की कृषि उत्पत्ति के परिमाण के लाभ व ह्रास हैं और प्रत्येक देश की आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को दृष्ट में रखकर ही उस देश के लिए कृषि उत्पत्ति का परिमाण निश्चित किया जाना चाहिए। जहाँ तक कृषि की जोत का सम्बन्ध है यह बात सर्वविदित है कि एक छोटे जोत में कृषि उत्पादन में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। इस कारण कृषि की छोटी जोत की अपेक्षा बड़े जोत में खेती करना अधिक लाभदायक होता है।

जोतों के उपविभाजन से होने वाली हानियाँ का वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ यह जानना उपयोगी होगा कि वास्तव में कृषि की बड़ी जोतों से क्या लाभ होते हैं।

कृषि की बड़ी जोतों से होने वाले लाभ (Advantages of Bigger Holdings)—बड़ी जोत के मुख्य लाभ निम्न हैं—

(१) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उच्चतम आर्थिक प्रयोग होना।

(२) उन्नत कृषि आजारों, समय तथा परिश्रम बचाने वाले यन्त्रों का प्रयोग सम्भव होना।

(३) प्रति इकाई उत्पादन व्यय में कमी होना।

(४) औजारों तथा पशुओं का अधिकतम प्रयोग होने से पिसाब व्यय (D-preciation) कम होना।

(५) कृषि में अनुसन्धान होना।

जोत का अर्थ (Meaning of Holding)—कृषि जात से हमारा मतलब कृषक द्वारा जाते हुए समस्त क्षेत्र से है अर्थात् यह कुल भूमि जिस पर एक किसान खेती सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करता है।

जोत की किस्में (Kinds of Holdings)—कृषक कृषि भूमि के जिस क्षेत्र पर खेती करता है उस पर या तो उसकी मिल्कियत या पैतृक अधिकार हो सकता है अथवा उसे उस भूमि पर फल कृषि उत्पादन मात्र का ही अधिकार हो। इस दृष्टि से कृषि जोत की दो मुख्य प्रकार होती हैं—

(१) भूस्वामी की जोत (Owner's Holdings)— अर्थात् वह जोत जिस पर किसान का अधिकार हो और कानूनी दृष्टि से उसे उसका स्वामित्व प्राप्त हो। इस प्रकार की भूमि पर या तो भूस्वामी स्वयं कृषि करे अथवा कई किसानों में उसे विभक्त कर दे जिससे प्रत्येक किसान को कुल स्वामित्व की इकाई (unit of ownership) का केवल एक छोटा भाग ही प्राप्त होगा।

(२) कृषक की जोत (Cultivator's Holdings)— इसे कृषि की इकाई (unit of cultivation) भी कहते हैं। इससे हमारा अभिप्राय एक कृषक द्वारा उस समस्त भूमि से है जो वास्तव में कृषक द्वारा जोती जाती है। किसान अपनी आवश्यकता के लिए अनेक भूस्वामियों से छोटी छोटी मात्रा में भूमि लेकर खेती कर सकता है। इस प्रकार उसने द्वारा जोती गई समस्त भूमि को 'कृषि की इकाई' या 'कृषक जोत' कहा जायगा।

आर्थिक जोत (Economic Holding)

अर्थ—आर्थिक जोत व समूह में विभिन्न मन प्रगट किये गये हैं जिससे इस शब्द का सही अर्थ समझने में कठिनाई होती है। वास्तव में आर्थिक जोत से हमारा तात्पर्य एक कृषक द्वारा जोती गई कृषि भूमि के उस क्षेत्र से है जिससे उसे न्यूनतम लगान से अधिकतम उपज प्राप्त होती है। यह तब सम्भव होगा जब खेत का आकार कम से कम इतना अवश्य हो जिससे कृषि में लगे उत्पात्ति व समस्त साधनों के उच्चतम प्रयोग के फलस्वरूप किसान को होने वाला लाभ अधिकतम हो।

आर्थिक जोत का वास्तविक अर्थ जानने के लिए इस सम्बन्ध में कुछ विरोधों एवं लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

परिभाषाएँ

कीटिंग्स (Keatings) व शब्दा में एक आर्थिक जोत उसे कहते हैं "जो आवश्यक एवं निकालने व पश्चात् एक कृषक को अपने और अपने परिवार को उचित सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन का प्रसर देती है।"^१

डा० मान व अनुसार—“एक आर्थिक जोत वह है जो एक औसत आकार के परिवार को जीवन का सतोषजनक समझा जाने वाला न्यूनतम स्तर प्रदान करती है।”^२

स्टैन्ले जेवन्स (Stanley Jevons) व विचारानुसार कोई जोत तभी आर्थिक

१ Keatings, *Agricultural Problems in Western India*

२ H Mann *Land and Labour in Deccan Villages*

आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार कृषि के स्वरूप पर भी आर्थिक जोत का आकार निर्भर करता है।

(५) उगाई जाने वाली फसल की प्रकृति—कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके उगाने के लिए एक छोटा खेत भी आर्थिक जोत कहा जा सकेगा जैसे गन्ना, सब्जी, फल इत्यादि। परंतु विभिन्न प्रकार के अनाजों जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि की उत्पत्ति के लिए आर्थिक जोत का बड़ा ही होना उपयुक्त होगा।

(६) बाजार से अन्तर—खेत से बाजार का अंतर भी आर्थिक जोत निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। उदाहरण के लिए जो खेत बाजार व रेलवे स्टेशन के निकट होते हैं ऐसे छोटे खेत भी आर्थिक जोत कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत यातायात व्यय में वृद्धि होने से स्टेशन व बाजार से दूर स्थित होने वाली कृषि भूमि के जोत का आकार बड़ा होना चाहिए।

आधारभूत जोत, अनुकूलतम जोत तथा पारिवारिक जोत

(Basic Holdings, Optimum Holdings & Family Holdings)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त कृषि सुधार समिति १९४६ (Agrarian Reforms Committee 1949) ने भारतीय कृषि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर कृषि भूमि के आर्थिक जोत का आकार निर्धारित करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति की अथेक्षा सामाजिक परिस्थितियाँ तथा देश में उपलब्ध भूमि की माँग व पूर्ति को दृष्टि में रखने पर अधिक बल दिया है। समिति द्वारा कृषि भूमि के आर्थिक जोत को आधारभूत जोत (basic holding) का नाम दिया गया है।

आधारभूत जोत—आधारभूत जोत कृषि जोत की सबसे छोटी इकाई है। इससे कम भूमि पर कृषि उत्पादन का कार्य करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकर होगा अर्थात् “बुनियादी जोत” से हमारा अभिप्राय व्यक्तिगत आधार पर की जाने वाली लाभदायक खेती के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से है।

अनुकूलतम जोत—इसे “आदर्श जोत” भी कहते हैं। सभार के कुछ राष्ट्रीयों में (जैसे कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका) आर्थिक जोत तथा आदर्श या अनुकूलतम जोत में कोई अन्तर नहीं माना जाता है। अर्थात् खेत का वह आकार, जिससे एक किसान का उसने द्वारा लगाये गये भ्रम व पूँजी से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, यही आदर्श जोत कही जायेगी। भारत में अनुकूलतम जोत का आकार आर्थिक जोत के अत्रार का तीन गुना माना गया है। आदर्श जोत के आकार को इस प्रकार निश्चित करना सामाजिक दृष्टि से देश के लिए बड़े महत्व की बात है जिसने द्वारा देश में फेली आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया है।

पारिवारिक जोत—पारिवारिक जोत से हमारा तात्पर्य कृषि भूमि के ऐसे आकार से है जो किसान को कम से कम इतना उत्पादन अवश्य प्रदान करे जिससे

कृषि जोत का औसत आकार^१

देश	कृषि-जोत का औसत आकार
भारत	७५
ब्रिटेन	२०
फ्रांस	२०५
जर्मनी	२१५
हॉलैंड	२६
डेनमार्क	४०
संयुक्त राज्य अमरीका	१४५

जब कि भारत की औसत जोत ७५ एकड़ है, भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि जोत का आकार काफी छोटा है। निम्न तालिका में हम भारत के कुछ राज्यों में, जोत के औसत आकार का विवरण दे रहे हैं—^२

राज्य	जोत का औसत आकार (एकड़ में)
उत्तर प्रदेश	२५
पश्चिमी बंगाल	४४
मद्रास	४५
असम	४८
उड़ीसा	४६
मैसूर	६२

भारत में पचास तथा षष्ठई राज्य ऐसे हैं जहाँ जोत का औसत आकार, उरोक्त तालिका में दिखाये गये विभिन्न राज्यों की जोत के औसत आकार से काफी बड़ा है। यह क्रमशः १० व १३३ एकड़ है। फिर भी इन आँकड़ों से कृषि जोत की समस्या का वास्तविक रूप स्पष्ट नहीं होता। कारण यह है कि औसत आकार वाले खेतों की संख्या छोटे आकार वाले खेतों की तुलना में बहुत कम है और समस्त कृषि भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होने पर भी औसत आकार से यही अनुमान लगता है कि प्रदेश की जोत का औसत आकार काफी बड़ा आकार है। इस कारण निम्न तालिका में हम

^१ *Indian Economics Year Book*, p 53

^२ *Agricultural Legislation in India, 1951* (Govt. of India)

भारत के कुछ राज्यों में ५ एकड़ से कम वाली जोतों का विवरण दे रहे हैं। यह कुल जोतों का प्रतिशत तथा कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत भाग में प्रदर्शित किया गया है —
विभिन्न राज्यों में पाये जाने वाले ५ एकड़ से कम कृषि जोता का विवरण^१

राज्य	कुल जोता की प्रतिशत	कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत
द्रावनकोर कोचीन	६४६	५७ १
उत्तर प्रदेश ^२	८१२	३८ ८
मद्रास	६७६	१० ३
आन्ध्र प्रदेश	६६८	१८ १
मध्य प्रदेश	५६४	१३ ६
राजस्थान	५१४	११ ०
बम्बई	५१३	१० ८

ऊपर दी हुई तालिका से यह बात स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि जोतों के आकार में पर्याप्त अन्तर है जहाँ द्रावनकोर कोचीन जैसे राज्यों में कुल जोतों का ६४६ प्रतिशत जोत ५ एकड़ से कम का आकार के हैं वहाँ बम्बई राज्य में केवल ५१३ प्रतिशत ही जोतों का आकार ५ एकड़ से कम है। फिर भी यह नहीं समझना चाहिये कि यह राज्य कृषि जोतों की समस्या से मुक्त हैं। वास्तव में समस्त देश में जोतों का आकार इतना छोटा है कि जिसने भारतीय कृषि को बहुत सीमा तक एक अनाधिक व्यवसाय बना दिया है। ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में उन्नति करना केवल स्वयंसेवा है। आगामी तालिका में उत्तर प्रदेश व बम्बई में कृषि जोतों के आकार का विस्तृत चित्र दिया जा रहा है—

उत्तर प्रदेश व बम्बई में खेतों का आकार

उत्तर प्रदेश			बम्बई		
क्षेत्रफल (एकड़)	संख्या	प्रतिशत	क्षेत्रफल (एकड़)	संख्या	प्रतिशत
०-५	१६७७	६१ २	०-५	१३१३	५२ ३१
५-१०	१५६३	१२ ७	५-१५	७०७	२८ १८
१०-१६	४४०	३ ६	१५-२५	२७४	१० ६०
१६-२५	१६०	१ ६	२५-१००	२०१	८ ०२
२५से ऊपर	११४	० ६	१००-५००	१४	० ५७
-	-	-	५००से ऊपर	१	० ०२

१ Second Five Year Plan p 213-220

२ First Five Year Plan p 199-201

कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन

(Subdivision and Fragmentation of Agricultural Holdings)

ऊपर दिये गये आकड़ों से शत होता है कि भारत में छोटे छोटे आकार वाले खेतों की संख्या अत्यधिक है। इन अलाभकर कृषि जोतों के ही कारण भारतीय कृषि में उन्नतिशील तरीकों को अपनाने में बाधा पहुँचती है। पहले यह देवना आवश्यक है कि जोतों का उपविभाजन व अपखण्डन से हमारा क्या अभिप्राय है।

अर्थ—कृषि जोतों की दो प्रमुख समस्याएँ हैं—एक उपविभाजन (subdivision) की और दूसरे अपखण्डन (fragmentation) की। कृषि भूमि की इन गम्भीर समस्याओं में पारस्परिक प्रतिघट सम्बन्ध होने के कारण इन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता।

उपविभाजन—इसका अर्थ है कृषि भूमि का छोटे-छोटे अलाभकर जोतों में बँट। भूस्वामी की मृत्यु के पश्चात् उसकी कृषि भूमि का उसका उत्तराधिकारियों में बराबर अथवा उनके हक के अनुसार बँट जाने के कारण ही जोतों के उपविभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। यह क्रम बराबर चलता रहता है जिसके कारण पिछले लगभग २०० वर्षों में भारत की कृषि भूमि के टुकड़े टुकड़े हो गये हैं।

जोतों के अपखण्डन से हमारा आशय यह है कि किसी भूस्वामी की कुल भूमि एक चक्र के रूप में नहीं है वरन् उसने छोटे छोटे खेत एक अथवा कई गाँवों में बिलेरे पड़े हैं। सक्षेप में भूमि के अपखण्डन से हमें कृषि जोतों की स्थिति का आभास होता है। खेतों के अपखण्डन होने के फलस्वरूप किसान की खेती में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

डा० मान (Dr Mann) द्वारा कन्नड़ राज्य के पूना जिले के 'विष्णुला सौदागर' ग्राम में कृषि जोतों के सम्बन्ध में की गई जाँच से वहाँ की स्थिति का सही ज्ञान होता है। उनके अनुसार सन् १७७१ में वहाँ जोत का औसत आकार लगभग ४० एकड़ था जो १८१८ व १९१५ में घटकर क्रमशः १७½ व ७ एकड़ ही रह गई थी। इससे पता चलता है कि लगभग १५० वर्षों में उपविभाजन की निरन्तर प्रवृत्ति से कृषि जोत पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस काल में कृषि जोत दो स भी कम रह गई है।

इस प्रकार खेतों का अपखण्डन के समय में भी स्थिति अत्यन्त गम्भीर है देश के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसान छोटे छोटे अनेक खेतों पर खेती करता है। डा० मान की जाँच से जोतों का अपखण्डन का भी पता चलता है। उनके अनुसार वहाँ लगभग १५६ भूस्वामियों का ७२९ खेत थे। इनमें ४६३ खेत ऐसे थे जिनका आकार १ एकड़ से कम था तथा २११ खेत तो ½ एकड़ से भी छोटे थे।^१

कृषि जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के कारण—

^१ Dahama, *Agricultural and Rural Economics*, p 50

(१) जनसंख्या की वृद्धि से भूमि पर भार का बढ़ना—भारत की अधिकांश जनता खेती सम्बन्धी कार्य में लगी है। पिछले कुछ वर्षों में देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है जिनके पास रोजगार के कोई अन्य अवसर न होने के कारण खेतीवाड़ी ही जीविका का एक मात्र साधन रह जाता है। यही कारण है कि भारत की कृषि भूमि छोटे-छोटे अलाभदायक जोतों में विभाजित होती जा रही है।

(२) सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का अन्त—आजकल देश में सयुक्त परिवार प्रणाली जैसी प्राचीन प्रथा का लोप होता जा रहा है। सारी जनसंख्या छोटे छोटे परिवारों में बँट गई है। आज भारत के एक साधारण परिवार की औसत संख्या केवल ५ ही रह गई है।

(३) व्यक्तिवाद की भावना—पश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रसार तथा पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण देश में व्यक्तिवाद की भावना के विकास में प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में अलग रहने की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई। प्रत्येक अपना हिस्सा अलग ही कर लेना चाहता है। इस व्यक्तिवाद की भावना ने कृषि जोत के उप-विभाजन तथा अपखण्डन में भारी योग दिया।

(४) उत्तराधिकार के नियम—हमारे देश में प्रचलित दायधिकार तथा उत्तराधिकार नियमों ने भी भूमि के उपविभाजन तथा अपखण्डन को प्रोत्साहन दिया है। पैतृक सम्पत्ति के विभाजन सम्बन्धी दायधिकार के नियम के अनुसार पिता के सभी पुत्रों को उसकी सम्पत्ति में बराबर का अधिकार होता है जिससे कृषि भूमि का उपविभाजन तो होता ही है साथ ही प्रत्येक उत्तराधिकारी का सब प्रकार की भूमि से हिस्सा लेने के कारण भूमि का अपखण्डन भी होता है।

(५) कुटीर उद्योगों एवं सहायक धन्वों का विनाश—देश के विभिन्न कुटीर उद्योगों, सहायक धन्वों एवं दस्तकारियों के पतन होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या के लिए केवल कृषि ही रोजगार का एकमात्र साधन शेष रह गया जिससे भूमि से जीविका प्राप्त करने वालों की संख्या में चिन्ताजनक वृद्धि हो गई और कृषि भूमि का उप-विभाजन तथा अपखण्डन होता गया।

(६) कृषकों का ऋणग्रस्त होना—भारतीय कृषकों के ऋणग्रस्त होने से भी भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन में सहायता मिली। ऊँची ब्याज की दर पर ऋण देकर ग्रामीण महाजन सदैव किसानों की भूमि के कुछ भाग को हथियाने की ताक में रहता है।

(७) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति—भारत के किसानों में पैतृक एवं अचल सम्पत्ति के प्रति अपूर्व प्रेम होने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप भी कृषि भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन होना स्वाभाविक ही है।

उपविभाजन एवं अपखंडन के आर्थिक प्रभाव—देश की खेती योग्य भूमि के उपविभाजन तथा अपखंडन का भारत की कृषि अर्थ व्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। कृषि पर जोतों का अन्तर्विभाजन तथा दूर दूर छिड़के होने के प्रभावों को समझने के लिए उपविभाजन तथा अपखंडन से होने वाले लाभों एवं हानियों का परीक्षण करना होगा।

जोतों का उपविभाजन

लाभ—खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से निम्न लाभ होते हैं—

(१) एक कृषि-प्रधान देश में जहाँ भूमि की माता के समान सम्मान प्राप्त है यह कहाँ तक उचित है कि कुछ के पास काफी भूमि हो और कुछ को इससे वंचित रखा जाये। भूमि के उपविभाजन से प्रत्येक को कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हो जाती है।

(२) देश की अधिकांश जनसंख्या को भूमि द्वारा ही जीविका मिलती है। इस वजह तक देश के औद्योगीकरण द्वारा जीविकोपार्जन के अन्य साधन मुलभ नहीं हो जाते भूमि के उपविभाजन से हर व्यक्ति को अपनी रोटी कमाने के लिए एक छोटे से खेत का मिल जाना ही उचित है।

(३) भूमि के उपविभाजन के कारण कृषि में एक सीमित क्षेत्र से ही अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण जनता में सघन खेती तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव होगी।

(४) आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने की दृष्टि से भी कृषि भूमि का उपविभाजन आवश्यक है। कारण, इससे देश दो पारस्परिक विरोधी वर्गों में विभक्त हो जाने से बच जाता है। एक वर्ग भूमिहीन किसानों का और दूसरा वह जिसके हाथों में देश की अधिकांश भूमि हो।

हानियाँ—कृषि जोतों का छोटे-छोटे अनाधिक एवं अलाभदायक टुकड़ों में विभाजित होने से खेती पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे होने वाले कुछ लाभों को ऊपर बताया गया है। नीचे हम इससे होने वाली हानियाँ का वर्णन कर रहे हैं—

(१) छोटे-छोटे खेतों में कृषि-उत्पादन करने से बहुत-सी भूमि भेड़ों तथा चरवाड़े इत्यादि बनाने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है।

(२) अत्यधिक छोटे एवं उपविभाजित कृषि जोत पर खेती सम्बन्धी रसाईं सुधार नहीं किये जा सकते जिसके बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव है।

(३) छोटे खेतों पर कृषि सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करने से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। कारण कृषि यन्त्रों तथा खेती में प्रयुक्त पशुओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और साथ ही खाद बालने जैसे कार्यों पर खर्चा भी अधिक आता है।

(४) बहुत छोटे खेतों पर उन्नतिशील कृषि प्रविधि, सुधरे हुए यंत्र तथा खेती के लिए उपयोगी मशीनों इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर जैसी मशीनों के प्रयोग के लिये खेतों का आकार काफी बड़ा होना चाहिए।

(५) अत्यधिक छोटे कृषि जोनों पर खेती करने वाले कृषकों की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। पर्याप्त आय तथा आर्थिक लाभ न होने के कारण उनके साधन भी सीमित होते हैं जिसके फलस्वरूप कृषि में उन्नति करने की उनमें पर्याप्त क्षमता नहीं होती।

जोतों का अपरदन—जोतों के उपविभाजन की भाँति जोतों के अपरदन से भी अनेक लाभ व हानियाँ हैं।

लाभ

(१) कृषि भूमि के अपरचित होने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि एक कृषक के पास विभिन्न प्रकार की कृषि योग्य भूमि आ जाती है जिसमें से यदि कुछ का उद्भव कम है तो दूसरी भूमि की उपज अधिक होने के कारण कृषक को होने वाली हानि कुछ सीमा तक पूरी हो जाती है। इससे कृषक को विभिन्न प्रकार की फसलें बोने की सुविधा होती है। इससे अतिरिक्त कई प्रकार की भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने व कारण उसे वर्ष भर के लिए पर्याप्त काम भी उपलब्ध हो जाता है।

(२) खेतों के अपरदन के फलस्वरूप पट्टिक सम्पत्ति के प्रत्येक उत्तराधिकारी को सब प्रकार की भूमि मिल जाती है। यह नहीं, कि एक पुत्र को बढ़िया तथा उपजाऊ भूमि प्राप्त हो और दूसरे के घटिया और कम उपजाऊ भूमि ही हाथ लगे।

(३) खेतों का दूर-दूर छिंटके होना वर्षा, पाला, टिड्डी व आक्रमण, सूखा इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के प्रति एक सीमा जैसा है जिससे किसान को किसी एक स्थान के खेत में होने वाले हानि का दूसरे स्थान पर स्थित खेतों से पूरा किया जा सकता है। इससे उसकी आर्थिक सुरक्षा होती है।

हानियाँ

(१) कृषि जोत के दूर दूर स्थित होने व कारण किसान को कृषि उत्पादन में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक खेत से दूसरा खेत काफी दूरी पर स्थित होने के कारण आने जाने में काफी समय व शक्ति का अपव्यय होता है।

(२) अपरचित खेतों की देख रेख करने व कृषक को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रायः देसभाल तथा निरक्षर के अभाव में कृषि उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है।

(३) खेतों के अपरचित होने के कारण किसान के सीमित साधनों तथा पूँजी का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता। कफा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर साद,

बीज तथा कृषि-यन्त्रों के लाने वाले जाने में यातायात व्यय तथा धन का अपव्यय होता है।

(४) खेतों के अपखण्डन तथा दूर-दूर छिटके होने के कारण सिंचाई का भी समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। कृषि जोतों के दूर-दूर स्थित होने के कारण पशुओं की शक्ति का भारी नुकसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ही बैल इतने थक जाते हैं कि खेतों पर उनसे भरपूर काम नहीं लिया जा सकता।

(५) कृषि जोतों के अपखण्डन से किसानों में परस्परिक भगदोर-फिसाद पैदा होते हैं जिनसे गाँव का वातावरण तनावपूर्ण तथा दूषित हो जाता है।

समस्या को हल करने के उपाय (Remedies)

भारत की कृषि के पिछड़ा होने का एक महत्वपूर्ण कारण कृषि जोतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में होना तथा उनका दूर-दूर छिटके होना है। यही कारण है जिसने भारतीय कृषकों की आर्थिक दशा इतनी दयनीय बना दी है। अतः यह आवश्यक है कि इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जायें। कृषि जोतों को उपविभाजन एवं अपखण्डन से उत्पन्न होने वाली गुराहियों को दूर करने के लिए हम दो प्रकार के भिन्न उपायों का सहारा ले सकते हैं :—

(१) वर्तमान कृषि जोतों की एक निश्चित सीमा के उपरान्त भविष्य में होने वाले उपविभाजन एवं अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाना।

(२) जोतों की चक्रवन्दी करना।

उपविभाजन पर रोक—कृषिजोत के उपविभाजन तथा अपखण्डन की गम्भीर समस्या को हल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि एक निश्चित एवं निम्नतम आकार के पश्चात् जोतों का अपखण्डन न किया जाय। इस प्रकार बड़ी बड़ी तथा आर्थिक कृषि जोतों के अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें अनुत्पादक एवं अलाभकर जोतों में परिवर्तित होने से रोका जाय। इस समस्या को मुलभाने के लिए केवल चक्रवन्दी से काम न चलेगा जैसा कि हम आगे देखेंगे। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर तथा दूर-दूर छिटके खेतों को एकत्र करके उन्हें चक्रवन्दी द्वारा यदि हम एक बड़ी कृषि की इकाई में बदल भी देते हैं तो भविष्य में उनके उपविभाजन तथा अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध न लगने पर भविष्य में फिर उनके अन्तर्विभाजन तथा छिटके जाने का भय रहेगा। इस कारण या तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाय जिससे कृषि में लगी जनसंख्या की अज्ञानता का अन्त हो और उनमें चक्रवन्दी से होने वाले लाभ का महत्व समझने की क्षमता उत्पन्न हो जिसके परिणामस्वरूप वह स्वयं उपविभाजन तथा अपखण्डन जैसी गुराहियों को दूर करने का प्रयत्न करने लगेंगे, परन्तु साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे खेतों की अन्तर्विभाजन से रक्षा की जाय जिनका

आकार केवल इतना ही रह गया है कि जिसके और टुकड़े किये जाने पर वे आर्थिक जोत ही न रह सकेंगे। इस कार्य के लिए कानून की सहायता लेना भी आवश्यक है। भारत के कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, पेशु (PEPSU), बम्बई तथा उत्तर प्रदेश मृत्यादि में भूमि के एक निम्नतम सीमा के पश्चात् भूमि के अन्तर्विभाजन एष उसके हस्तांतरण पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि समस्त देश में व्यापक कृषि जोत के उपविभाजन तथा अपखण्डन की इस बुराई को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिये जायें।

निम्न तालिका में हम भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि की जिस निम्नतम सीमा के पश्चात् उपविभाजन तथा अपखण्डन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है उसका विवरण दे रहे हैं—¹

राज्य	न्यूनतम सीमा (एकड़)
उत्तर प्रदेश	६½ एकड़
भूपाल	१५ ”
मध्य भारत	१५ ”
दिल्ली	८ स्टैंडर्ड एकड़
दिल्ली प्रदेश	५ एकड़ (सिंचाई वाली भूमि)
	१० ” (सूखी भूमि)

उपरोक्त तालिका, विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध कृषि भूमि की निम्नतम सीमा निर्धारित करने के लिए वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक और आवश्यक कार्य किया जाना भी उपयोगी होगा और वह है देश में दाय्याधिकार व उत्तराधिकार के नियमों में आवश्यक संशोधन करना। वर्तमान अवस्था में इन नियमों द्वारा पैतृक सम्पत्ति का सब उत्तराधिकारियों में उनसे अधिकारानुसार बराबर वितरण करने से एक भूस्वामी की कृषिभूमि के अन्तर्विभाजन तथा अपखण्डन में सहायता मिलती है। इन नियमों में अगर ऐसा परिवर्तन कर दिया जाये जिससे केवल छोटे पुत्र को ही पिता की मृत्यु के पश्चात् समस्त कृषि भूमि मिले तो उससे कृषि भूमि अपखण्डित होने से बच जायगी। परन्तु क्या यह न्यायोचित कहलायेगा! छोटे पुत्र तथा अन्य उत्तराधिकारियों को कुछ न मिले और सब भूमि बड़े लड़के को ही मिल जाय! इससे भूमि बचिन व्यक्तियों व समस्त औद्योगिकीकरण की जटिल समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

जोतों की चकण्डी

चकण्डी का अर्थ—जब भूस्वामियों की दूर दूर छिटकी हुई कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक या आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक चकों में बाँधने का प्रयास किया जाता है तो इस कार्य को जोतों की चकण्डी (consolidation of holdings) कहते हैं। इस कारण चकण्डी कृषि भूमि के उपनिभाजन तथा अपखण्डन की समस्या को हल करने का एक सफल प्रयास है।

चकण्डी का उद्देश्य—चकण्डी का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध तथा दूर-दूर बितरी हुई कृषि भूमि को एक बड़े एव आर्थिक जोत में बदल देना है। कृषि की आर्थिक जोतों के निर्माण द्वारा ही हम अन्तर्निभाजन से होने वाली हानियों को दूर कर कृषि में उन्नति कर सकते हैं।


— शाही कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture) के १०१ "भूमि के टुकड़े टुकड़े होने की नुसई को रोककर उसकी कुछ सहायता करने का केवल एक उपाय दिखाई पड़ता है, वह उपाय है—चकण्डी। इस प्रणाली से एक मालिक की समस्त भूमि का एक भूमिखण्ड अथवा विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कुछ भूमिखण्ड बन सकते हैं।^१

चकण्डी के प्रकार—चकण्डी का कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है —

(१) ऐच्छिक चकण्डी। यह भी दो प्रकार से हो सकती है (अ) व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा व) सहायिता के आधार पर

(२) अनिवार्य चकण्डी। चकण्डी के विभिन्न प्रकारों को हम नाचे दिये गये रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं.—

चकण्डी



व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर सहायिता के सिद्धान्त पर।

ऐच्छिक चकण्डी (Voluntary Consolidation)—इस प्रकार की कृषि जोतों की चकण्डी का कार्य किसानों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है तथा चक बनाने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चकण्डी का कार्य करने में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक आवश्यक है कि पहले हम चकण्डी के प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों का उल्लेख होने वाले लामों से अवगत कराएँ। भोली

माली, अशिक्षित एवं रुढ़िवादी विचारधारा वाली ग्रामीण जनसंख्या को चक्रवन्दी का अर्थ तथा उसका महत्व समझने में काफी समय लगेगा, परन्तु यदि एक बार वे चक्रवन्दी की सम्भायनाओं तथा कृषि को उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों से प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर निःसन्देह वे स्वेच्छापूर्वक चक्रवन्दी के लिए तैयार हो जायेंगे। ऐच्छिक चक्रवन्दी का कार्य दो प्रकार से सम्पन्न हो सकता है —

(१) व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर—व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा चक्रवन्दी करना वास्तव में एक बड़ा ही कठिन कार्य है। आश्चर्य की बात तो यह है कि व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा की जाने वाली चक्रवन्दी का कार्य संसार के उन्नतिशील राष्ट्रों जैसे डेनमार्क, जर्मनी तथा फ्रांस आदि देशों में भी अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सका तो इस क्षेत्र में भारत जैसे पिछड़े देश में व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर की जाने वाली चक्रवन्दी की सफलता के लिए आशा करना ही व्यर्थ है। अनेक कारणों से हमारे देश में चक्रवन्दी का कार्य व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा सफल नहीं हो सकता। क्योंकि —

(अ) भारत की अधिकांश कृषि जनसंख्या अशिक्षित एवं रुढ़िवादी होने के कारण चक्रवन्दी का वास्तविक महत्व नहीं समझती।

(ब) भारत में कृषिक्षेत्र में अधिकारों की विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर चक्रवन्दी करने में बड़ी बाधा पहुँचती है।

(स) टेक्नीकल ज्ञान का अभाव।

(२) सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर—चक्रवन्दी का कार्य सहकारिता के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार चक्रवन्दी के कार्य का जन्म सर्वप्रथम १९२१ में पंजाब में हुआ जहाँ चक्रवन्दी के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई। सहकारी सिद्धान्तों द्वारा की जानेवाली चक्रवन्दी में भी किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाती और न ही किसी को चक्रवन्दी के लिए बनाई गई योजना को गान्यता प्रदान करने के लिए विवश किया जाता है। समिति के अधिकारियों का मुख्य कार्य चक्रवन्दी सम्बन्धी लाभों से सदस्यों को अवगत करना है। समिति की सदस्यता के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। चक्रवन्दी के लिए आवश्यक भूमि के पुनर्विभाजन तथा चक्रवन्दी की योजना उस समय तक कार्यान्वित नहीं की जा सकती जब तक प्रत्येक सदस्य की अनुमति प्राप्त न हो जाये। इस प्रकार सहकारिता के आधार पर की जानेवाली चक्रवन्दी में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे:—

(१) अशिक्षित तथा अन्धविश्वासी ग्रामीण जनता को चक्रवन्दी का लाभ तथा महत्व समझाना अत्यन्त कठिन कार्य है।

(२) आसानी से भारतीय किसान अपनी पैतृक भूमि के हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं होते।

(३) यथार्थ में किसी एक व्यक्ति को भी चक्रवन्दी की योजना मान्य न होने पर उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(४) चक्रवन्दी के लिए आवश्यक भोड़े से भी व्यय के लिए किसान तैयार नहीं होता।

(५) इस प्रकार चक्रवन्दी में समय अधिक लग जाता है।

अनिवार्य चक्रवन्दी—भारत जैसे देश में व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर तथा सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर की जाने वाली ऐच्छिक चक्रवन्दी सफल न होने के कारण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि हमें भारतीय कृषि को कृषि भूमि के विभाजन तथा अपतंडन न दोषा से मुक्त करना है तो यह आवश्यक है कि अनिवार्यता (compulsion) का सहाय लें। इसलिए कानून द्वारा चक्रवन्दी का कार्य किया जाने

। अनिवार्य चक्रवन्दी या तो गाँव के अधिकांश भूमिामियों, जिनके पास गाँव की निश्चित न्यूनतम भूमि है, द्वारा चक्रवन्दी के लिए खरीती गई योजना के आवार पर की जाती है। अथवा सरकार अपनी ओर से चक्रवन्दी का कार्य प्रारम्भ कर देती है। ऐसी दशा में सरकार न लिए भूस्वामी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अनिवार्य रूप से चक्रवन्दी का कार्य करने के लिए भारत में विभिन्न राज्यों में चक्रवन्दी सम्बन्धी अधिनियम बना लिए गये हैं। मध्य प्रदेश में यह नियम १९२८ में पास हुआ था, पंजाब में १९३६ में, उत्तर प्रदेश में १९३६ में, तथा जम्मू व काश्मीर में भी यह नियम १९४० में पास किये गये। उत्तर प्रदेश के अधिनियम का संशोधन १९५३ में किया गया। बम्बई राज्य में १९४७ में, पूर्वी पंजाब में १९४८ में, उड़ीसा में १९५१ में, हिमाचल प्रदेश में १९५३ में, राजस्थान में १९५४ में, पश्चिमी बंगाल में १९५५ में और बिहार तथा हैदराबाद में १९५६ में चक्रवन्दी सम्बन्धी अधिनियम पास किये गये।^१

चक्रवन्दी की प्रगति

चक्रवन्दी ही भारत की कृषि भूमि के अन्तर्विभाजन तथा छिटके होने का एक मात्र उपाय है। हमारे देश में चक्रवन्दी का महत्व पूर्णतया स्पष्ट हो जाने न कारण प्रायः देश के सभी राज्यों में चक्रवन्दी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। कुछ राज्यों में तो इस क्षेत्र में महान प्रगति हुई है। परन्तु साथ ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में अभी काफी पिछड़े हैं जिसके कारण भारतीय कृषि के समस्त उत्पन्न इस भीषण रंग को पूर्णतया दूर नहीं किया जा सका है। देश के विभिन्न राज्यों में सन् १९५७ के अन्त तक चक्रवन्दी के क्षेत्र में की गई प्रगति अगले पृष्ठ पर दी गई है^२ (इसका विस्तृत विवरण अध्याय ६ में दिया गया है।)

१ *Indian Economics*, Gupta S B, p 202

२ *Indian Economics Year Book*, 1959-60, p 69

बम्बई	१८६० गाँव
दिल्ली	२१० गाँव
मध्य प्रदेश	२६ लाख एकड़
पंजाब	६१*४ लाख एकड़
उत्तर प्रदेश	४०*६ लाख एकड़

चक्रवन्दी में आने वाली कठिनाइयाँ

यद्यपि चक्रवन्दी द्वारा हम भारतीय कृषि में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं फिर भी चक्रवन्दी के कार्य में अनेक ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिनके कारण चक्रवन्दी की प्रगति में बड़ी बाधा पहुँचती है। इनमें से कुछ कठिनाइयाँ निम्न हैं:—

(१) चक्रवन्दी के कार्य में आवश्यक व्यय होने के कारण इसकी प्रगति में बाधा पहुँचती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार भी चक्रवन्दी के लिए कुछ शुल्क लेती है।

यदि यह कार्य बिना कुछ लिये ही किया जाये तो आशा है कि चक्रवन्दी के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो सकेगी।

(२) अपनी पैतृक तथा पूर्वजों से प्राप्त भूमि व प्रति अत्यधिक ममता तथा लगाव होने के कारण किसान उसे हस्तांतरित करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। इस कारण भी चक्रवन्दी का कार्य अधिक तेजी से नहीं हो पा रहा है।

(३) भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूमि में अधिकार सम्बन्धी आवश्यक अभिलेखा (Records) के न होने के कारण भी चक्रवन्दी के कार्य में कठिनाई होती है।

(४) प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की कमी होने के फलस्वरूप चक्रवन्दी जैसे गम्भीर तथा पेचीदा कार्य को पूरा करना अत्यन्त कठिन हो जाता है, जो उसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है।

(५) चक्रवन्दी कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों में ईमानदारी की कमी, रिश्वत लेने, भेदभाव तथा पक्षपात करने की प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण जनता में चक्रवन्दी के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है जो इस कार्य की प्रगति में बड़ी बाधाक सिद्ध हुई है।

(६) निरक्षरता, अधविश्वास तथा अज्ञानता के कारण भारतीय किसान चक्रवन्दी के कार्य का न तो वास्तविक महत्व समझता है और न उसकी प्रगति में अपना समुचित योग प्रदान कर पाता है जिसके कारण चक्रवन्दी के क्षेत्र में भारी प्रगति नहीं हो सकी है।

कृषि की विभिन्न प्रणालियाँ (Types of Farming)

भारतीय कृषि को सुधारने के लिए कृषि जोतों के अन्तर्धिभाजन तथा अपखण्डन को रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त सुझाव जैसे उत्तरा

धिकार नियमों में परिवर्तन करना तथा चक्रवन्दी द्वारा बड़े आकार के आर्थिक जोतों का निर्माण करना तो इस समस्या को हल करने का एक सफल उपाय है ही, परन्तु साथ-साथ कृषि प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने भी हम इस समस्या को बहुत सीमा तक हल कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग भूमि पर ही अपनी जीविका प्राप्त के लिए निर्भर करता हो व्यक्तिगत आधार पर कृषि व्यवसाय अधिकतर उपयुक्त नहीं हो सकता। वर्तमान परिस्थितियों में जब भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है तो इस बात की ओर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हम व्यक्तिगत खेती (individual farming) के स्थान पर किसी अन्य प्रकार का व्यवस्था का प्रयोग नहीं कर सकते। सत्तार के अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर किसानों द्वारा व्यक्तिगत आधार पर खेती नहीं की जा सकती है जिसके फलस्वरूप वे राष्ट्र उपविभाजन एवं अपराएडन जैसी समस्याओं से मुक्त हैं और साथ ही उनकी खेती भी सुधरी हुई अवस्था में है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रणालियों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है—

(१) सामूहिक खेती (Collective Farming) सामूहिक कृषि प्रणाली के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर खेती का जा सकता है। भूमि पर किसी व्यक्ति का आधार न होकर सामूहिक अधिकार हो जाता है। समस्त कृषि यन्त्रों तथा अन्य साधनों का सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत किसान को मजदूरी पाने का अधिकार होता है जिसका निर्धारण उसके कार्य के अनुसार किया जाता है। सत्तार में सामूहिक प्रणाली के अन्तर्गत भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों का प्रायः अन्त हो जाता है। हमारे देश में जहाँ भूमि तथा अचल सम्पत्ति के प्रति लोगों में इतना प्रेम है इस प्रकार की कृषि पद्धति के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, परन्तु सोवियत रूस जैसे महान देशों में सामूहिक कृषि उत्पादन में भारी प्रगति हुई है। रूस के कोलखोज (Kolkhoz), इबराहल के किब्बुज (Kibbutz) तथा मोशव शितुफ़ी (Moshav shitufi) सामूहिक खेती के उत्तम उदाहरण हैं।^१

(२) राज्य कृषि अथवा भूमि का राष्ट्रीकरण (State Farming or Nationalisation of Land)—राज्य कृषि भी भारत की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। हमारे देश में आदि काल से भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की परम्परा चली आ रही है। शायद ही भारत का कोई भी किसान ऐसा हो जो भूमि पर अपने व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देने को उत्तर हो, परन्तु राज्य कृषि के अन्तर्गत ऐसा सम्भव नहीं है। उसके अन्तर्गत समस्त भूमि का राष्ट्रीकरण करके भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देना पहला कार्य होगा। सरकार

सारी कृषि भूमि को अपने अधिकार में लेकर कृषकों द्वारा आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग से कृषि उत्पादन का कार्य करायेगी जिसके लिए किसानों को वेतन दिया जायेगा। परन्तु क्या इस प्रणाली में समस्त कृषि समस्याओं का हल हो जायेगा ? सत्य तो यह है कि कृषि में उन्नति व्यक्तिगत प्रेरणा तथा प्रोत्साहन द्वारा ही सम्भव हो सकती है। भूमि के राष्ट्रीकरण के पश्चात् किसान केवल सरकारी कर्मचारी के रूप में ही खेती का कार्य करेंगे। व्यक्तिगत लाभ की आशा के अभाव में प्रत्येक कृषक अपना अधिकतम योग (maximum contribution) न देगा।

(३) **सुसंगठित खेती (Corporate Farming)**—इस प्रकार की सुसंगठित खेती का एक मात्र उद्देश्य कृषि उत्पादन द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। सुसंगठित खेती वास्तव में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का ही एक रूप है। कृषि उत्पादन की इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर खेती करने के लिये पर्याप्त पूँजी एवं भूमि का होना आवश्यक है जिससे खेती के उन्नत तरीकों से कृषि उत्पादन करने से लाभ में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादन भी बहुत बढ़ जाता है।

(४) **सहकारी कृषि (Co-operative Farming)**—वर्तमान समय में सहकारी कृषि के ऊपर काफी वादविवाद उठ खड़ा हुआ है। खेतों के उपखण्डन तथा दूर दूर छिटके होने की समस्या को हल करने के लिये तथा भारतीय कृषि के पुर्नसंगठन के लिए सहकारी कृषि पद्धति अपनाये जाने का मुझाव दिया जाता है। सहकारी कृषि का वास्तविक अर्थ क्या है ? इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है और अनेक भ्रममूलक विचार प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे सहकारी कृषि का अर्थ तथा देश की वर्तमान कृषि व्यवस्था में उसके महत्व को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। हम इस सम्बन्ध में नीचे कुछ प्रमुख लेखकों तथा विशेषज्ञों द्वारा बताये गये सहकारी कृषि के अर्थ का विवरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए डा० ओटो शिलर (Dr Otto Schiller) के शब्दों में—

“In modern literature generally co-operative farming is understood as a form of farm management in which the land is used jointly.....¹ अर्थात् आधुनिक साहित्य में सहकारी कृषि का यह अर्थ लगाया जाता है कि यह प्रायः कृषि व्यवस्था का एक रूप है जिसमें भूमि का संयुक्त प्रयोग किया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी (Shri Sanjiva Reddy) के अनुसार “Co-operation is not only a technique for greater production and better living but is also a way of life

¹Dr. Otto Schiller Quoted by K. R. Kulkarni, *Theory and Practice of Co-operation in India and Abroad*, V. III, p. 378.

which is opposed to many of the conflicts that exist today." सहकारिता न केवल अधिक उत्पादन तथा उन्नत जीवन की एक विधि है वरन् यह जीवन का एक ऐसा मार्ग भी है जो वर्तमान समय के अनेक समस्याओं के विरुद्ध है।

सहकारी कृषि के भेद—सहकारी कृषि के ४ विभिन्न रूप हैं जिनका भेद समझना आवश्यक है :—

(१) सहकारी संयुक्त कृषि (Co-operative Joint Farming)—इस प्रकार की सहकारी कृषि में छोटे छोटे शेतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बना ली जाती है जिसमें सदस्यों का अपनी अपनी भूमि पर अधिकार बना रहता है। भूमि के प्रबंध के लिए एक समिति होती है जिसके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करने हैं। उनके द्वारा किये गये श्रम के लिए उन्हें मजदूरी दी जाती है, साथ ही उनकी भूमि में मूल्य के अनुपात में लाभांश भी प्राप्त होता है।

(२) सहकारी उन्नत कृषि (Co-operative Better Farming)—इस प्रकार की प्रणाली में व्यक्तिगत एवं मिल जुलकर दोनों प्रकार से काम किया जाता है। सदस्या में इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह किस बातों में अन्य सदस्यों के साथ मिल जुलकर कार्य करें और किस बातों को व्यक्तिगत आधार पर करें। जहाँ तक भूमि व स्वामित्व तथा प्रबंध का प्रश्न है उसने लिए भूस्वामी पूर्ण स्वतंत्र है, परन्तु यदि वह कृषि में उत्थित करना चाहता है तो इसके लिए कृषक एक सहकारी उन्नत शेती समिति का निर्माण कर लेते हैं जिसके द्वारा बढ़िया बीज, अच्छी खाद, उन्नत कृषि यंत्र तथा कृषि सम्बन्धी विभिन्न विषयों के लिए मशीन आदि के रखरखाव तथा श्रमिकों की उन्नत वेतन का कार्य किया जाता है। डेनमार्क जैसे देशों में इस प्रकार की समितियों ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

(३) सहकारी वाग्द्वारा शेती (Co-operative Tenant Farming)—सहकारी कृषक शेती के अन्तर्गत समस्त कृषि भूमि सहकारी समितियों के अधिकार में होती है जिसे छोटे छोटे चक्रों में विभक्त कर दिया जाता है। समिति शेती कराने के लिए कुछ किसानों को लगान पर एक एक चक्र दे देती है जिन पर शेती समिति द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही करना होता है। कृषि सम्बन्धी विविध सुविधाओं, जैसे खाद, बीज, औजार आदि प्रदान करना समिति का ही उत्तरदायित्व होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा खाद योजना पर सहकारी आसामी कृषि अधिका अधिका सहकारी कृषक कृषि का महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहा है।

(४) सहकारी सामूहिक कृषि (Co-operative Collective Farming)—इस प्रकार की कृषि में भी भूमि सहकारी कृषि के अधिकार में होती है, परन्तु

इसमें खेती का कार्य भी समिति के सदस्यों द्वारा ही सम्पन्न होता है। ऐसी प्रणाली में समिति के सदस्य के पास भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता है। वे तो वेतन के बदले केवल एक श्रमिक के रूप में ही काम करते हैं। सदस्य समिति द्वारा अर्जित लाभ का कुछ भाग पाने के अधिकारी होते हैं।

भारतवर्ष में सहकारी कृषि (Co-operative Farming in India) —वैसे तो सहकारी कृषि के सिद्धान्त भारत के लिए कुछ नये नहीं हैं फिर भी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पास किये गये प्रस्तावों में, विशेषकर कृषि सगठन सम्बन्धी, के पास होने के उपरान्त सहकारी कृषि पर काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है। नागपुर अधिवेशन के पश्चात् कांग्रेस ने सहकारी कृषि प्रणाली अपनाने का जो महत्वपूर्ण निश्चय किया उसे देश के अन्य राजनैतिक दलों तथा आलोचकों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की जाने लगी। कुछ लोगों के विचार से देश की वर्तमान कृषि अर्थ व्यवस्था को सुधारने, कृषि में उन्नति करने, तथा कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि तथा खाद्य समस्या को हल करने का एक मात्र साधन सहकारी कृषि है, परन्तु दूसरी ओर स्वतंत्रता, जनतन्त्र तथा अन्य उच्च आदर्शों एवं सिद्धान्तों के नाम पर सहकारी कृषि की की जाने वाली कठु आलोचना भी सर्व विदित है। यदि एक ओर भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सजीव रेड्डी, श्री निजिलिंगप्पा जैसे नेताओं ने सहकारी कृषि द्वारा देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने का बड़ा आशा प्रकट की है, तो दूसरी ओर राज गोपालाचारी, व० एम० मुन्शी, प्रो० रंगा, मिस्टर एम० थार० मसानी जैसे विचारकों एवं विद्वानों ने सहकारी कृषि की सफलता पर काफी सन्देह प्रकट किया है। इस कारण हम सहकारी कृषि के पक्ष एवं विपक्ष में कहे गये कुछ महत्वपूर्ण तर्कों का परीक्षण कर रहे हैं।

सहकारी कृषि का आलोचनात्मक विश्लेषण पक्ष में

- (१) सहकारी कृषि से कृषि जोतों के आकार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने तथा उनके छिटके होने के कारण कृषि को होने वाली हानियाँ दूर करके भारतीय कृषि में काफी उन्नति की जा सकती है।
- (२) सहकारी कृषि भारतीय कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मिल जुलकर की जाने वाली खेती में फसल खराब होने तथा अन्य प्रकार के अक्षयों का भार एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता।
- (३) सहकारी कृषि द्वारा देश में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि करके वर्तमान समय में खाद्यान्न की कमी जैसी गम्भीर समस्या बड़ी सुगमता से हल की जा सकती है।
- (४) अनेक प्रकार से कृषि में उन्नति करने के लिए सहकारी कृषि बड़ी उपयोगी

सिद्ध हो सकती है। सहकारी कृषि समितियों द्वारा किसान को बाजार की प्रवृत्ति तथा अपने साधनों के समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सकती है जिससे उसको अपने कृषि उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में उन्हीं सहायता मिलेगी।

(५) सहकारी कृषि द्वारा उन्हीं पैमाने पर खेती की जाने की सम्भावना की जा सकती है। अनेक बचतों के प्राप्त होने तथा योक्त भाव पर कृषि के लिए आवश्यक सामग्री गीन, यन्त्र, आदि खरीदने से उत्पादन लागत बहुत कम हो जाती है और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

(६) सहकारी खेती द्वारा होने वाले सामाजिक लाभ के कारण भी सहकारी कृषि पद्धति भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण व उपयोगी है। ग्रामीण जीवन में मिल जुल कर रहने, पारस्परिक सहयोग तथा भाईचारे की भावनाओं का विकास कर सहकारी ग्रामीण जीवन में शान्ति एवं सुख का संचार करने का एक उपयोगी साधन है।

सहकारी कृषि से होने वाले लाभों को उन्हीं ही सुन्दर ढङ्ग से निम्न शब्दों में स्पष्ट किया गया है —

“Co operative farming is held to be the best means of rationalising agriculture and attaining a higher order of social and economic life in keeping with the principles of democracy and self-government”¹

विपक्ष में

विभिन्न लेखकों तथा विशेषज्ञों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की गई है। मिस्टर एच० के वीराना गऊध (Mr H K Veeranna Gowdh) के शब्दों में —

“Co operative farming had nothing sinful or destructive about it any more than promoting joint stock companies or industrial combines”²

सहकारी कृषि के विपक्ष में दिये जाने वाले मुख्य तर्क निम्न हैं —

(१) सहकारी कृषि भारत की सामाजिक परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल है।

(२) भूमि के प्रति अधिक लगाव होने के कारण कृषकों से भूमि प्राप्त करने में उन्हीं कठिनाई होगी। सहकारी कृषि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे किसान केवल एक श्रमिक के रूप में परिणत हो जाता है। इससे फलस्वरूप उसकी रुचि एवं उत्साह में कमी आ जाने से कृषि उत्पादन में नुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(३) कुछ लोगों के विचार से सहकारी कृषि प्रणाली के अपनाये जाने से देश में बेकारी की समस्या और बढ़ जायेगी।

¹ K R Kulkarni, *Theory and Practice of Co-operation*, p 578.

² *National Herald*, dated Jan 17, 1960

(४) पर्याप्त कुशल कर्मचारियों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव सहकारी कृषि पद्धति को सफल बनाने तथा उसे वास्तविक लाभ प्राप्त करने में बहुत बड़ा बाधा है।

(५) मिस्टर रेलफ ओसलेन (Mr Ralph Oslen), जिन्होंने भारत में अभी कुछ समय पूर्व आये हुए अमरीकी कृषकों के एक दल का नेतृत्व किया, सहकारी कृषि के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा है —

“Co operative farming was not too practical and I do not think it will be successful in India. It took away incentive from the farmer and made him lose his identity and individual interests as an entrepreneur in the land.”¹

सहकारी सेवा समितियाँ (Service Co operatives)—भारत में कृषि की उन्नति के लिए सहकारी सेवा समितियों द्वारा बड़ा उपयोगी कार्य किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में जहाँ विभिन्न विचारकों तथा लेखकों द्वारा सहकारी कृषि की तीव्र आलोचना की जा रही है शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे सहकारी सेवा समितियों के उपयोग तथा महत्व म तनिक भी स देह हो। प्रसिद्ध अमेरिकन कृषि नेता मिस्टर ओसलेन द्वारा भी सहकारी सेवा समितियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। उनके शब्दों में —

‘Service Co operatives were very practical and will be of tremendous advantage to India’

इन सहकारी सेवा समितियों द्वारा किसान को उसने लिए आवश्यक खाद, बीज, उर्वरक, सुधरे कृषि यंत्र, साध, विपणन तथा प्राथमिक उपयोगी सुविधाएँ सुगमता से प्राप्त हो सकती हैं जिनसे वह अपनी कृषि में पर्याप्त उन्नति कर सकता है। इस प्रकार सहकारी सेवा समितियाँ कृषि सुधार के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

भारत में सहकारी कृषि अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है परन्तु कृषि क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्व होने के कारण सहकारी कृषि के विकास का दृढ़ निश्चय कर लिया गया है। दिसम्बर १९५८ तक भारत में सहकारी कृषि समितियाँ की संख्या लगभग २०२० थी परन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए यह संख्या इस मान का स्पष्ट प्रमाण है कि अभी सहकारी कृषि ने देश में व्यापक प्रगति नहीं की है जिसके लिए आवश्यक है कि इसके विकास एवं प्रचार के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जायें तथा देश सहकारी कृषि द्वारा समुचित लाभ प्राप्त कर सकेगा। सहकारी कृषि के विकास के लिए हमें निम्न प्रयत्न करने चाहिए —

(१) सहकारी कृषि द्वारा होने वाले लाभ तथा उसके महत्व से किसान को अवगत करने के लिए इसका व्यापक प्रचार हो।

(२) इसके लिए आवश्यक प्रावैधिक सलाह तथा परामर्श की सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिससे इसके मार्ग में आनेवाली प्रावैधिक कठिनाइयाँ इसके विकास में बाधक न हों।

(३) सहकारी कृषि समितियों को अपना कार्य सुगमतापूर्वक चलाने के लिए उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन देना भी अत्यन्त आवश्यक है। उन्हें अपने कृषि उत्पादन के लिए उचित अथवा रियायती मूल्य पर आवश्यक कृषि सामग्री जैसे खाद, बीज, कृषि-यन्त्र उर्जरता वर्धक इत्यादि दिलाकर सहकारी कृषि में बड़ी प्रगति की जा सकती है।

भारत सरकार ने देश में सहकारी कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में देश में कार्य करने वाली अथवा निष्क्रिय समितियों को सुधारने अथवा पुनः जीवित करने की ओर ध्यान दिया जायेगा। दश में आगामी वर्षों के लिए बनने वाली तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सहकारी कृषि तथा सहकारी सेवा समितियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाने का निश्चय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग २,५०,००० सहकारी समितियों की स्थापना करने का प्रस्ताव रक्ला गया है जिसकी सदस्य संख्या लगभग ४ करोड़ होगी।

प्रश्न

1. What are the causes and effects of subdivision and fragmentation of agricultural holdings? What remedial measures have been adopted to check and eradicate the evil?

(Agra, 1937-1939, Delhi, 1953, Rajasthan, 1952, Allahabad 1953, Patna, 1953)

2. Write a short note on 'Agricultural Holdings in India'.

(Agra, 1956, 1948, Rajasthan, 1948)

3. Define an 'Economic Holding'. What measures would you suggest for creation and stabilisation of economic holdings in India?

(Rajasthan, 1953)

4. What are the various types of farming at present practised in India? How far would 'Co-operative Farming' prove beneficial for our country under the present circumstances?

(Agra 1960)

5. Write a short note on —

Consolidation of Holdings
Service Co-operatives

(Punjab, 1958)

(Agra, 1960)

लिए निश्चित की जाती है। यह काल ३० या ४० वर्ष का होता है। इस काल के पूर्ण हो जाने पर लगान की धनगति पुनः निश्चित की जाती है।

जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अभी हाल में ही किया गया है। जमींदारी प्रथा का विस्तार में अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

✓ महालवारी प्रथा—इस पद्धति का श्रीगणेश सन् १८३३ ई० के 'रेगुलेशन एक्ट' के अनुसार सर्व प्रथम आगरा व अवध में हुआ था। कालान्तर में इसे पंजाब के कुछ भागों में लागू कर दिया गया। 'महाल' शब्द का अर्थ गाँव से होता है। गाँव के कुछ समृद्धिशाली लोग मिलकर सरकार से भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं और सम्मिलित रूप से गाँव भर के लगान को चुकाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः इस प्रथा को 'सयुक्त ग्राम स्वामित्व' (Joint Village Tenure) प्रणाली भी कहते हैं।

विशेषतायें

(१) इस प्रथा के अन्तर्गत मालगुजारी अस्थायी होती है।

(२) मालगुजारी के लिए केवल कोई विशेष भूस्वामी ही सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि सम्पूर्ण गाँववाले मिलकर मालगुजारी के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(३) किसान को अपनी भूमि का किसी भी रूप में प्रयोग करने का पूरा पूरा अधिकार होता है।

(४) इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि के हिस्सेदारों में विभाजन की तीन मुख्य प्रणालियाँ होती हैं :

(अ) पैतृक सिद्धान्त के अनुसार,

(ब) अपैतृक सिद्धान्त के अनुसार, तथा

(स) साधारण विभाजन।

पैतृक सिद्धान्त के अनुसार भूमि का हिस्सेदार परम्परागत भूमि का स्वामी होता है। पैतृक प्रणाली वाले गाँव तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वे गाँव जो एक सयुक्त जुट्टम्ब प्रणाली की भाँति होते हैं अर्थात् जिन पर कुछ व्यक्तियों का सामूहिक अधिकार होता है। द्वितीय वे ग्राम होते हैं जो अपैतृक प्रणाली पर आधारित हैं। इसमें भूमि का विभाजन 'सच्चे भाई-बारे' के सिद्धान्त के अनुसार होता है। यह तीन रूप धारण कर सकता है—(क) भूमि को बराबर बराबर हिस्सों में बाँटकर, (ख) हल्की सख्तियों के स्वामित्व के अनुसार, (ग) पानी अथवा कुओं के हिस्सों के अनुसार। तृतीय वे गाँव

होते हैं जहाँ भूमि के विभाजन के लिए कोई विशेष नियम प्रचलित नहीं। जिस व्यक्ति के अधिकार में जो भूमि होती है वही व्यक्ति उस भूमि का स्वामी माना जाता है।

वह प्रथा पंजाब, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित है। सैद्धान्तिक रूप से यह प्रथा भली अवस्था मालूम होती है, परन्तु व्यावहारिक रूप में इसमें कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः पंजाब आदि राज्यों में इसका स्वरूप व्यावहारिक दृष्टिकोण से बदला हुआ है। पंजाब में सम्पूर्ण गाँव के स्थान पर किसान ही व्यक्तिगत रूप में भूमि का स्वामी समझा जाता है।

रैयतदारी प्रथा (Ryotwari System)—उर्वरप्रथम इस पद्धति को कैप्टेन रीड तथा मद्रास के गवर्नर टामस मनरो ने सन् १७६२ में मद्रास के चारामहल नामक जिले में चालू किया था। शनैः-शनैः यह पद्धति राज्य के अन्य भागों तथा बम्बई में फैल गई। इस समय यह प्रथा बम्बई, मद्रास, बरार, कुर्ग, मध्य प्रदेश तथा म में प्रचलित हैं। प्रारम्भ में रैयत ही स्वयं काश्तकार होता था परन्तु आजकल बहुत से रैयत खुद काश्तकार नहीं होते।

विशेषतायें

(१) इस प्रथा के अन्तर्गत किसान और सरकार के बीच एक सीधा सम्पर्क होता है और किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती।

(२) किसानों को व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों के लगान को सरकारी राजाने में जमा करना पड़ता है।

(३) मालगुजारी लगभग प्रत्येक ३०-४० वर्ष बाद निश्चित होती है। मालगुजारी के निश्चित करते समय भूमि के क्षेत्रफल तथा उसकी उर्वर शक्ति को ध्यान में रखा जाता है।

(४) सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व रहता है। यद्यपि वैधानिक रूप से किसान भूमि का पूरा स्वामी नहीं होता, व्यावहारिकता में वह स्वामी ही रहता है।

(५) किसान को अपनी भूमि को प्रयोग में लाने, बदलने अथवा छोड़ देने का पूरा अधिकार होता है।

(६) किसान भूमि का स्वामी उसी समय तक रहता है जब तक वह सरकार को लगान देता रहता है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भूमि का विभाजन सन् १९३७-३८ में इस प्रकार था^१—

^१ Ministry of Information and Broadcasting, *Agricultural in India*

भूमि व्यवस्था की प्रथा	क्षेत्रफल (करोड़ एकड़ में)	कुल का % क्षेत्रफल	राज्य जहाँ प्रचलित है
(१) रयतवारी	१८३	३६	मद्रास, बम्बई, आसाम तथा सिन्धु (पाकिस्तान)
(२) जमींदारी (स्थायी बन्दोबस्त)	१२६७	२५	बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और मद्रास
(३) जमींदारी तथा महाल धारी (अस्थायी बन्दोबस्त)	१६७२	३६	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब।

जमींदारी उन्मूलन

सरकार तथा किसानों के बीच में उपस्थित मध्यस्थों ने कृषि के विकास को ठेस पहुँचाई है। अतः राज्य सरकारों ने जमींदारी प्रथा तथा मध्यस्थों का अन्त करने का निश्चय कर लिया और अपने अपने राज्यों में तत्सम्बन्धी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी पास कर दिये हैं। इस प्रकार के अधिनियम देश के भाग 'अ' के लगभग सभी राज्यों में तथा हैदराबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में बनाये गये हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम अन्य बहुत से राज्यों में भी बनाये जा रहे हैं।-

मध्यस्थों के उन्मूलन सम्बन्धी अधिनियम कुछ राज्यों में पूर्णतया, कुछ राज्यों में अधिकांशतः तथा कुछ राज्यों में आंशिक रूप में लागू किये जा चुके हैं। राज्यानुसार इनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) पूर्णतया क्रियान्वित (Fully implemented)

मध्य प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद, पंजाब तथा नेपाल।

(२) अधिकांशतः क्रियान्वित (Substantially implemented)

आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा सौराष्ट्र।

(३) आंशिक रूप में क्रियान्वित (Partially implemented)

बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिगुण प्रदेश।

जमींदारी प्रथा अथवा मध्यस्थों के उन्मूलन के सम्बन्ध में लोगों का एक मत नहीं है। कुछ लोग उन्मूलन के पक्ष में हैं और कुछ इसके विपक्ष में।

(उन्मूलन के पक्ष में तर्क)

जमींदारी उन्मूलन के समर्थकों ने अपने प्रभावपूर्ण तर्क इस प्रकार दिये हैं—

(१) जमींदार किसानों का शोषक होता है—जमींदारी प्रथा के इतिहास का विहानलोकन करने से शत होता है कि अधिकांश जमींदार लोग निर्धन, जर्जर

और वीक्षित किसानों का सदैव से शोषण करने रहे हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति जैसे भूमि सुधार आदि की व्यवहलना करने रहें हैं। उन्मूलन के समर्थकों का कहना है कि यदि मध्यस्थों को हटा दिया जाय तो किसानों की दशा भी सुधरेगी और भूमि सुधार भी हो सकेगा।

(२) राजकीय आय में वृद्धि—जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत किसानों से लगान वसूल करने का उत्तरदायित्व जमींदारों प्रथम मध्यस्थों का होता है। ये मध्यस्थ लगान का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लते हैं। यदि इन मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया जाय तो सरकार और किसान का भीधा सम्पर्क स्थापित हो जायगा और मध्यस्थों की जेब में जाने वाला भाग सरकारी खजाने में जाने लगेगा।

(३) राजनैतिक सुधार—भारतीय जनता का अधिकांश भाग (लगभग ७०%) वृषि पर आधारित है। जमींदारों द्वारा शोषित तथा उत्पीड़ित किये जाने के कारण नों में एक राजनैतिक असन्तुष्टि की भावना ब्रा गइ है। यदि इस प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाय तो किसानों की भावना का भी अन्त हो जायगा और सम्पूर्ण देश में किसानों का सम्पर्क स्थापित हो जायगा और आर्थिक निर्वाचन में उनकी लोकप्रियता बनी रहगा।

(४) देश का आर्थिक विकास—लोगों का यह भा कहना है कि यदि मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया जाता है तो वृषि में सुधार होगा, ज़िद उत्पादन में वृद्धि होगी, जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अन्ततः देश का आर्थिक विकास होगा।

उन्मूलन के विपक्ष में तर्क

जमींदारी उन्मूलन के विपक्षियों ने अपने तर्क निम्न प्रकार प्रस्तुत किये हैं —

(१) देश में बेरोजगारी की वृद्धि—यदि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है तो बहुत से जमींदार तथा मध्यस्थ और अन्य कर्मचारी एक बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जायेंगे। अधिकांशतः अधिस्थित प्रथम अधिशिक्षित होने के कारण इनका कोई राजगार भी नहीं मिल सकेगा। ऐसे समय में जब कि देश में बेरोजगारी का दानस आवक मचाये हुए है, इन लोगों की अतिरिक्त बेकारी देश में प्रसन्नता फैला देगी और नवादिष्ट स्वतन्त्र राष्ट्र के शुभ भाल पर कष्टक का धीका लगा देगी।

(२) किसानों की कठिनाइयाँ—महादत्त क्लार्क उन्मूलन के शब्द, "भारतीय कृषक का जन्म अरण्य में होता है, अरण्य में जावन व्यतीत करता है और इसी अरण्य में उसकी मृत्यु भी हा जाती है" आज भी अत्यन्त खल है। जमींदार लोग अपने किसानों को अपनी प्रथा समझ कर उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का पूर्ण समय समय पर किया करते हैं। यही कारण है कि जमींदारों में अनेक दाप होते हुए भी किसान

उनकी झूठछाया से अलग नहीं होना चाहते। जमींदारी के समाप्त हो जाने पर किसान लोग निराधार हो जाएंगे और सामाजिक अराजकता फैल जावेगी।

(३) ग्रामीण रिकार्डों का अभाव—देहातों में भूमि सम्बन्धी सलेखों (Records) की लिखापट्टी पटवारियों (लेखपालों) द्वारा की जाती है। इन लोगों को कोई उचित शिक्षा, उच्च अथवा विशेष नहीं दी जाती, अतः वे ठीक-ठीक हिसाब-किताब नहीं रख पाते। प्रायः पैसे के लालच में वे अशुद्ध प्रविष्टियाँ कर देते हैं। जमींदारी उन्मूलन के समय ये कठिनाइयाँ बाधक सिद्ध होंगी।

(४) क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की समस्या—जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होते ही सरकार को जमींदारों की क्षतिपूर्ति देने की समस्या उत्पन्न होगी। अनुमान है कि जिन राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है वहाँ क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग ४५० करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसे समय में जब कि सरकार के पास धन का अभाव है क्षतिपूर्ति एक समस्या बन जावेगी। यदि इस धन का उपयोग कृषि सुधार में लगाया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

(५) भूमिधर बनने की समस्या—कार्तकारों को भूमिधर बनने के लिए सरकार को दस गुना लगान देना होगा। भारतीय किसान इतने धनवान नहीं हैं कि वे इसे अपने सक्ति कोष से निकाल कर जमा कर दें। उनके पास ऐसी कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति भी नहीं है जिसके विरुद्ध वे भ्रूण प्राप्त कर सकें।

जमींदारी उन्मूलन के मूल तत्व

जमींदारी उन्मूलन के तीन प्रमुख तत्व हैं :—

(१) मध्यस्थ अधिकारों का अन्त और जमींदार को क्षतिपूर्ति जो कि मध्यस्थ अधिकार से होने वाली शुद्ध आय की कई गुनी रखी गई। जिस जमींदार की आय अधिक थी उसको घटती हुई दर से क्षतिपूर्ति की गई।

(२) जमींदार द्वारा अपनी व्यक्तिगत कृषि के लिए रखी जाने वाली भूमि की सीमा निश्चित की गई और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।

(३) सरकार और किसान में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना जिससे अब किसान लगान चुकाने के लिए सीधा सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।

जमींदारों अथवा मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए सरकार को कुल क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान (ग्याज सहिव) ६२५ २५ करोड़ रुपए देना था। इसमें से रु० १६५७-५८ तक ६८८० करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। निम्न तालिका में ग्याजानुसार रु० १६५७ के अन्त में देय क्षतिपूर्ति तथा दी जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं :—

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी क्षतिपूर्ति
(राज्यां से पुनर्संगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

	कुल देय क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान (•याज सहित)	दी जा चुकी राशि
आसाम	५ १८	० ०२
आन्ध्र प्रदेश	६ ६०	४ ५६ ^१
उड़ीसा	१० ५०	० ४७
उत्तर प्रदेश	१७६ ००	५६ ७३
तिरुवाकुर-कोचीन	० २०	—
शिमला	७० ००	१ ५६
	२० ८६	० १४
बिहार	२४० ००	३ ७० ^२
मद्रास	४ ८१	३ १६
मध्य प्रदेश ^३	२२ १०	६ ७८
मैसूर	१ ८०	—
राजस्थान (अजमेर सहित)	३५ ८८	६ ४०
सीरान्द्र	१० २०	२ ६२
हैदराबाद	१५ १८	६ ६४
योग	६१५ २५	६८ ८७

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधिकांश कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भूस्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि विहीन भूमि (जहाँ भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती) तथा वन आदि हस्तगत कर लिए गये हैं और उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यां में भिन्न भिन्न स्थिति में है।

^१ फरवरी, १९५८ तक

^२ जुलाई, १९५८ तक

^३ भूतपूर्व भोवाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित

जमीदार अथवा मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में कुल क्षेत्रफल का ४३% भाग जमींदारी उन्मूलन के पूर्व था। उन्मूलन के पश्चात् कुल क्षेत्रफल का लगभग ५% भाग अब भी मध्यवर्ती लोगों के हाथ में है। स्पष्ट विवरण निम्न तालिका से ज्ञात होगा :—

मध्यवर्ती लोगों से सन्वन्धित क्षेत्रफल

	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
वह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में था	४३
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं	४०
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन किया जा चुका है	३८
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोग अभी भी हैं	५

भूमि सुधार (Land Reforms)—आर्थिक दृष्टिकोण से भूमि नीति ऐसी होनी चाहिए कि कृषि की विविधता द्वारा तथा उसकी कार्यक्षमता के स्तर को ऊँचा उठा कर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। योजना आयोग की रिपोर्ट में भूमि नीति के आर्थिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक पहलू पर भी बल दिया गया है। सामाजिक पहलू में निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

- (१) धन और आय की असमानताओं को कम करना,
- (२) शोषण का अंत करना, तथा
- (३) किसान के लिए भू धारण की सुरक्षा और ग्रामीण जनसंख्या के विभिन्न समुदायों को समाज में स्थान और अवसर पाने की समानता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि नीति में यह स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि स्वामित्व तथा कृषि के रूप का बहुत अधिक महत्त्व है। उस भूमि व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता आ रहा था, इस भूमि नीति में एक ऐसी भूमि व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई जिसमें किसानों को अपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उद्ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर बल दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्देश्य हैं :—

- (१) गाँव में वर्तमान भूमि व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन के मार्ग

वाली अइचनों को दूर करना तथा देश में यथा शीघ्र ऐसी ग्रामीण ग्रर्थ व्यवस्था लागू करना जिससे कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता, दोनों में वृद्धि हो, और

(२) समानता व सिद्धान्त पर आधारित समाज की रचना करना तथा सामाजिक अय्याभ्युत्थानों का दूर करना ।

नई कृषि नीति—नागपुर प्रस्ताव

कांग्रेस व नागपुर अधिवेशन में 'ट्रिप्लि सगटन समझौते' पर स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा भूमि नीति का एक ठोस रूप दिया गया । यह प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ट्रिप्लि उत्पादन सम्प्रदाय उपसमिति को रिपोर्ट पर तैयार किया गया था । प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण आधारभूत निम्नलिखित हैं—एक तो भूमि की अधिकतम सीमा व और दूसरा संयुक्त सहकारी रूप से सम्भारित है । ट्रिप्लि सगटन पर पाठ किए प्रस्ताव की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) ग्राम पंचायत और ग्राम सहकारिता—ग्रामीण सगटन ग्राम पंचायत और ग्राम सहकारिता पर आधारित हो जिनसे पाठ पराप्त अधिकार और सम्पत्ति (हो) ग्राम सहकारिता का संरक्षण समाजों के लिए खुली होना चाहिए । चाहे उनसे पाठ भूमि हो या न हो । सहकारी समिति का वैज्ञानिक रूप और सुदृढ़ उद्योगों का प्रोत्साहन देकर अपने सदस्यों के कल्याण का व्यवस्था करना चाहिए ।

(२) सहकारी समुक्त कृषि—भागी ट्रिप्लि सगटन सहकारी संयुक्त कृषि पर आधारित होगा, जिसमें संयुक्त कृषि के लिए भूमि का एकत्रित कर लिया जायगा, किसानों का भूमि में स्वामित्व बना रहेगा और उन्हें शुद्ध आय से अपनी भूमि के उत्पादन में लाभार्थ (हिस्सा) मिलेगा । संयुक्त रूप पर काम करने वालों का मजदूर मिलेगा चाहे उनसे पाठ भूमि हो या न हो । संयुक्त कृषि प्रारम्भ करने के पूर्व किसानों को आवश्यक समझौते जैसे अच्छे नाल, रोड, कृषि यंत्रों की पूर्ति, वैज्ञानिक सलाह, सिंचाई की सुविधाएँ, सखा सार, निरुप और सग्रह की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ग्राम सहकारिता की स्थापना की जायगा ताकि किसान वैज्ञानिक रूप से काम करें । यह समझौते नए व अदर पूरे हो जाना चाहिए । इस समय में जहाँ संयुक्त कृषि सम्भव हो सके चालू की जानी चाहिए । ग्राम सहकारी समितियों से संयुक्त सहकारी समितियों की प्रस्ताव करना कठिन होगा । क्योंकि पुराने विचारों वाले प्राशान्त किसानों का उत्पादन करने और उनके मानसिक दृष्टिकोण को विकृत करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने तथा नए प्रयागों को सम्भव में कठिनाई होगी । अतः सहकारी संयुक्त कृषि शीघ्र धारें देग से चालू की जाना चाहिए । इससे लिए आवश्यक सगटनानक एवं तकनीकल योग्यताएँ प्राप्त विशेषज्ञ और मुक्त रूप नेतृत्व की आवश्यकता होगी ।

(३) जोत की अधिकतम सीमा—इसमें वर्तमान और भारी जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और विभिन्न राज्यों में १९५६ के अन्त तक कानून बना देना चाहिए। इस प्रकार जो भूमि शेष बचेगी वह पंचायतों की होगी और भूमिहीन तथा जोत की अधिकतम सीमा से कम होने वाले किसानों की सहकारी समिति द्वारा उस पर खेती की जायगी।

(४) फसल के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण—फसल बोने से काफ़ी पहले फसल का निम्नतम मूल्य निश्चित कर देना चाहिए ताकि किसान को अपनी उपज क बदले में उचित मूल्य का विश्वास हो जाये।

(५) वज्र भूमि को कृषि योग्य बनाना—वज्र भूमि को खेती के लिए उपयोगी बनाना चाहिए।

भूमि सुधार की प्रगति

भूमि सुधार के अन्तर्गत निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :—

- (१) मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन;
- (२) काश्त सम्बन्धी सुधार,
- (३) जोतों का सीमा-निर्धारण,
- (४) जोतों की चक्रवर्ती,
- (५) सहकारी कृषि; तथा
- (६) भूदान।

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधिकार कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भू स्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि भिन्न भूमि (वह भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती) तथा खन आदि हस्तगत कर लिए गये हैं और उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है।

काश्त सम्बन्धी सुधार

योजना आयोग ने राज्यों से जो काश्त सम्बन्धी सुधार अपनाने की सिफारिश की, उसके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) लगान में कमी करना, (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफ़ी प्रगति हो चुकी है।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि सम्बन्धी गणना करने का मुकाबल रखा गया। यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई। द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर खेपल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाय। इससे अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

सीमा निर्धारण दो प्रकार का होता है (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतों का। निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का व्यौरा दिया गया है

	मैदानी जिले	५० एकड़
उत्तर प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
उत्तर प्रदेश		१२ $\frac{१}{२}$ एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२ $\frac{१}{२}$ एकड़
पंजाब		३० स्टेण्डर्ड एकड़
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
मध्य प्रदेश	बम्बई क्षेत्र (भूतपूर्व)	१२ से ४८ एकड़
	मराठवाड़ा क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
	विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र	३ पारिवारिक जोत (क्षेत्र का निश्चय न्यायाधिकरण करेगा)
मध्य प्रदेश	सीराफ़्ट क्षेत्र	६० से १२० एकड़
	मध्य भारत क्षेत्र	५० एकड़
	राजस्थान क्षेत्र	३० से ६० एकड़ (भूमि की उपज के अनुसार भिन्न भिन्न)
मैसूर	बम्बई क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
राजस्थान (अजमेर सहित)		३० तिचित एकड़ अथवा ६० सव्ने एकड़
दिल्ली		३० स्टेण्डर्ड एकड़

निम्न राज्यों में वर्तमान जोतों पर कानून बनाये जा चुके हैं :

असम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलगाना क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२ ½ एकड़
पंजाब	पेप्सु क्षेत्र	३० स्टैण्डर्ड एकड़ (विरथापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में ५० स्टैण्डर्ड एकड़)
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	मराठवाडा क्षेत्र विदर्भ तथा कन्नड़ क्षेत्र	१८ से २७० एकड़ ६ पारिवारिक जोत
मैसूर	हैदराबाद क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
गुजरात	अजमेर क्षेत्र	५० एकड़ (मध्यवर्ती सोमों के तन्त्र में)
हिमाचल प्रदेश		चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रुपये के मूल्य का क्षेत्र

इसके अतिरिक्त असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेप्सु क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जोतों की चक्रवन्दी

प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाओं में जोतों की चक्रवन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चक्रवन्दी का कार्य सांशुदायिक योजना कार्ग-क्षेत्रों में अवरुध किया जाना चाहिए।

प्रथम योजना काल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८ लाख एकड़ भूमि, पेप्सु में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २६ लाख एकड़ भूमि तथा बम्बई में २१ लाख एकड़ भूमि में चक्रवन्दी का कार्य किया गया। द्वितीय योजना काल की तत्कालीन राष्ट्रीय योजनाओं के लिए ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों में जोतों की चक्रवन्दी के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक हुई प्रगति अगले शृङ्खला की तालिका में दिखाई गई है।

जोतों की चक्रवन्दी

राज्य, संघीय क्षेत्र	१९५६-६१ के लिए व्ययस्था (लाख रुपये)	३१.१२.५७ तक हुआ कार्य (एकड़)	३१.१२.५७ को जारी कार्य (एकड़)
असम	१४ २५	—	—
आन्ध्र प्रदेश	२० ५३	—	१,६२,३४१
उड़ीसा	५ ००	७३	—
उत्तर प्रदेश	*	१३,६८,५६२	२७,२५,१२६
पंजाब	१७२ ००	८५,८०,८७४	५६,१७,४३८
पश्चिम बंगाल	१४ २५	—	—
बम्बई	७६ ३६	१२,६५,२७५	११,७६,५४२
बिहार	१८ ६७	—	२,५५,८८५
मद्रास	११ ५०	—	—
मध्य प्रदेश	५८ २५	२६,६५,४३५	२,१६,६४२
मैसूर	१४ ५१	३,८८,३३८	८,५१,११०
राजस्थान	३२ ५०	२१,०००	३,६२,११६
दिल्ली	२ ८५	२,०१,८३८	—
पाण्डिचेरी	० २०	—	—
मणिपुर	० १६	—	—
हिमाचल प्रदेश	६ ५०	२१,७६२	२६,१०८

सेतों का घंटवारा तथा टुकड़े होना

भू सम्पत्ति व उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप सेतों के घंटवारे से उनके टुकड़े होने अधिक होते गये कि आज जूटि उत्पादन बहुत ही गिरी अवस्था में है। भारत सरकार की नीति इस प्रवृत्ति को रोकने की है।

१५ राज्यों में सेतों का घंटवारा को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही ली गई। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में अन्य उपायों पर भी अमल किया गया।

जोत के आंकड़े

२२ राज्यों में जूटि-भूमि तथा जोत सम्बन्धी गणना की जा चुकी है। गणना में सम्बन्धी परिणाम बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं।

चक्रवन्दी का कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था। अब इसे वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है।

सहकारी कृषि

भूमि समस्या को केवल सहकारी ग्राम व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है। वैसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में बताया गया था। प्रथम योजना में यह कहा गया था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही उन्हें उच्च उत्पादों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, कृषि में अधिक पूजा लगाना तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों का पूरा पूरा उपयोग करना सम्भव हो सकेगा। इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए सहायक कानून तथा उनकी सहायता के लिए नियम बनाये।

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ़ आधार भूमि तैयार करने के काम की प्रधानता दी गई है।

'राष्ट्रीय विकास परिषद्' का स्थायी समिति ने सितम्बर, १९५७ में सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर विचार किया और शेष द्वितीय योजनाकाल में ३,००० खेती में सहकारी कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २०२० सहकारी कृषि समितियाँ थीं।

भूदान

भूदान अथवा स्त्रैचिद्धक भूमिदान आन्दोलन का प्रेरणा देने का श्रेय आचार्य विनायक भावे का है। आन्दोलन के उद्देश्य के विषय में कतलान हुए आचार्य विनायक भावे कहते हैं "न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज में भूमि सन्की हानी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं मांग रहे बल्कि उन गरीबों का हिरण्य मांग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।" इस आन्दोलन का मूल उद्देश्य बिना किसी दान दाराही के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्बलवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान आन्दोलन का अर्थ, लोगों से भूमिदान कर लिया में रोटने के लिए उनकी अपनी भूमि के १ भाग का स्वच्छा से दान करने का अनुरोध करना है। कृषि भिक्षु क्षत्र में वह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, ज्ञानदान, साधन दान तथा गृहदान का रूप ले लेता है। इस आन्दोलन में लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे प्रत्येक ग्राम के परिवार को कृषि के लिए पचास भूमि प्राप्त हो सके। इसने अब भूमिदान का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

भारत में कृषि मजदूर

(The Agriculture & Labour in India)

कृषि प्रधान देश भारत अर्थात् उन्नति का धेय कृषि का ही मानता है। भारत का प्राचीन वैभव करने कृषि और उत्सम्भित उद्योगों पर ही अवलम्बित था।

क्वेसनेय के शब्दों में 'गरीब किसान, गरीब राजा, गरीब देश' आत्र भारत के लिए सचेता उपयुक्त है। भारत में आत्र किसान को न भर पेट रोटी का ठिकाना है न तन ढकने के लिए समूचा कपड़ा। उसे यह भी पता नहीं था कि सामाजिक सुविधायें क्या होती हैं ? उसके पास न निजी घर थे और न खेती करने के लिए साधन ही। हमारे देश की सामाजिक अर्थ व्यवस्था मिगड़ने का प्रथम कारण था हमारे देश के किसानों का निर्धन एवं निरन्तर होना। जहाँ के किसानों की इस प्रकार की दयनीय दशा हो वहाँ पर खेतिहर मजदूरों की दशा क्या होगी वह एक विचारणीय विषय मन जाता है।

उक्त पृच्छा जाय तो भारत का खेतिहर मजदूर और किसान अपनी सौंसे को आहों के रूप में निकालता था और वह सिर्फं श्रृण के सुगतान के लिए जीवित रहता था। उसे न तो अपने जीवन से प्रेम रह जाता था न मातृभूमि से ममता और अपने परिवार से स्नेह उसके कोसों दूर रहता था। उसका जीवन सदैव निराशासय और चित्तप्रलत शीतता रहता था। उसके परिवार के सदस्य सदैव नगे और भूखे रह कर अपना जीवन व्यतीत कर देते थे।

सन् १९५०-५१ की कृषि-मजदूर सम्बन्धो रिपोर्ट

वह रिपोर्ट केन्द्रीय धम सचिवालय ने प्रकाशित की थी। इसमें कृषि मजदूरों के विषय में जांच की, पर देश की सम्पूर्ण जांच न हो पाई क्योंकि भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ पर खेतिहर मजदूर भी पैले हुए हैं। न वे एक स्थान पर रहते हैं और न उनका कोई संगठन ही है जिससे सही आँकड़े बाने जा सकें अतएव सही और पूर्ण जांच होना असम्भव हो जाता है। अतएव नमूने के रूप में सम्पूर्ण देश के ८१२ गाँव लिए गये थे जिसमें १,०३,५८४ व्यक्ति रहते थे जिसमें ७६.८% परिवार खेती पर ही निर्भर थे। ३०.४% इनमें खेतिहर मजदूर हैं। इनके आगे अर्थात् १५.२% व्यक्तियों के पास अपनी निजी कुछ भूमि है और सेव १५.२% लोगों के पास अपनी निजी कोई भी भूमि नहीं है।

विस्तृत जांच के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारत में ५.८० करोड़ परिवार हैं जिसमें से १७६ लाख परिवार खेतिहर मजदूर हैं और इनके आगे अर्थात् ८८ लाख परिवारों के पास कुछ निजी भूमि है और उक्तार्थ ८८ लाख परिवारों के पास निजी भूमि के नाम पर शक्य है।

उपरोक्त संख्या जो ३.०% नतलाई गई है उसका निरलेपय करने से शक्य होता है कि २५.४% अस्थायी एवं आकस्मिक कृषि मजदूर हैं और ४.६% स्थायी

मजदूर हैं। इनके परिवारों में लगभग ४७ व्यक्ति प्रति परिवार पाये जाते हैं। इनमें से प्रत्येक परिवार में २४ व्यक्ति काम धंधों में लगे हुए हैं तथा अन्य आश्रित हैं। २१% मजदूर ऐसे भी हैं जो सहायक उद्योग धंधों से भी कुछ आय प्राप्त कर लेते हैं। इन भूमिकों के पास औसतन निजी भूमि २६ एकड़ है, जो बहुत ही कम है।

कृषि-मजदूरों की प्रति परिवार औसत वार्षिक आय ४४७ रुपए और प्रति व्यक्ति औसत आय १०४ रुपए थी। वर्ष में औसतन केवल २१८ दिन काम के होते थे १८६ दिन कृषि सम्बन्धी कार्य में और शेष २६ दिन और कार्यों में। इस प्रकार वर्ष में ७ महीने मजदूरी देकर कृषि होती थी। लगभग १५ प्रतिशत कृषि मजदूर भू स्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औसतन ३२६ दिन काम करते थे, जब कि आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले कृषि मजदूरों को वर्ष के २०० दिनों में ही काम रहता था। कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की समस्या दरिद्रता उन्मूलन की एक मूलभूत समस्या है।

१ इन कृषि भूमिकों के चूल्हे को गरम रखने के लिए यह आवश्यक है कि बेरोजगारी एवं अर्धरोजगारी को दूर कर अनूत्पन्न समय का सदुपयोग किया जाय। इस समय के सदुपयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :—

(१) लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय और ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक भूमिक लाभ उठा सके।

(२) शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे बच्चे, वयस्क एवं वृद्धि सभी लाभान्वित हों।

(३) कृषि मजदूरों को अपना नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों के हाथ में न सौंप कर स्वयं करना चाहिए जिससे वे अपनी दशा सम्भालने में सफल हो सकें।

(४) श्रम सहकारी समितियों का निर्माण किया जाय जिससे भूमिक आर्थिक एवं सामाजिक सहायता पा सके तथा उसमें भाईचारे की भावना की जागृति हो।

(५) तांत्रिक प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना की जाय और उनको (भूमिकों को) इन केन्द्रों से समय समय पर सहायता मिलती रहनी चाहिए।

श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए किये गये उपाय—ऐसी स्थिति में जब कि भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दास बना हुआ है सरकार इनकी स्थिति को सम्भाले बिना देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था समाजवादी ढंग पर नहीं बना सकती है। आधुनिक जगत में इस प्रकार के सभी कार्य सरकार के उत्तरदायित्व में सम्मिलित हो गये हैं और जनप्रिय सरकार इनको जनता की भलाई के लिए करना अपना धर्म समझती है। भूमिक भी अब न तो मौन है और न उतना अज्ञानी ही है कि वह अपना घर मुझाये सब कुछ मुनता रहे। अब यदि उसका शोषण किया गया

तो देश में आपसी कलह उत्पन्न हो जायगी और विद्रोह की भावना जाग्रत हो जायगी। इन श्रमिकों का अभ्युदय ब्रिटिश शासन काल से हुआ था और वह दासता अंग्रेजों के साथ साथ चली भी गई। अब कानून व द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनको न तो कोई परीक्षा ही सकता है और न वेच ही सकता है। फिर भी वर्ग प्रथा के पूर्णतः समाप्त न होने के कारण स जमादार का कुछ काम जैसे मुर्गियों पालना, तथा अ व पालन जानवरों की सेवा मुफ्त में ही करनी पड़ती है। पर तथा पर जमादारी समाप्त हो चुकी है जैसे उत्तर प्रदेश वहाँ भी अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। वहाँ अब इन मजदूरों को इस कार्य के लिए भी वेच दिया जाने लगा है। अ व शब्दों में अर्थ सामन्त प्रथा जो सदियों से चला आ रही थी उसका अन्त हो गया है। श्रमिकों की दशा सुधारने के लक्षण जो अब उपाय किये जा रहे हैं उनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है—

(१) श्रमिक महत्कारिता—मजदूरों के हित के लिए योजना आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किया है कि सिंचाई सहकारिता, वृषि एवं धन विभाग तथा राज्य के अन्य विभागों से वृषि श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जाय। इस संगठन के द्वारा सामाजिक कल्याण होने की सम्भावना पाई जाती है।

(२) भूदान यज्ञ—विनाश भाव द्वारा प्रसारित भूदान यज्ञ न केवल भारत के लिए चरम विश्व के लिए एक आदर्श है। इसमें भूमिपतियों से जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है उसे प्राथमिक रूप से कुछ भूमि मांगी गई है और जो भूमि प्राप्त हो जाती है उसको उन व्यक्तियों में बांट दिया जाता है जिनके पास भूमि नहीं होती है पर भूमि पर घ कठिन परिश्रम कर सकते हैं। बिहार के राजा को इस क्षेत्र में श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने १,०२,००१ एकड़ भूमिदान में दे दी। यह आंदोलन सन् १९५२ में हैदराबाद के तेलंगाना नामक जिले से प्रारम्भ हुआ था तथा इसका लक्ष्य १९५७ तक ५ करोड़ एकड़ भूमिदान में प्राप्त कर लेने का लक्ष्य था। अनुमान के द्वारा यह कहा जा सकता है कि १९५६ तक करल ४० लाख एकड़ भूमि हा एकत्र हो पाएँगे। इससे सामाजिक तथा राजनैतिक दोनों ही प्रकार की समितियाँ प्रभावित हुई हैं। इसके मुख्य मुख्य निम्नलिखित लाभ हैं—

(१) इससे द्वारा आपस में सहभागिता एवं सहकारिता का विकास होता है।

(२) इससे त्याग की भावना बढ़ती है जैसे इससे द्वारा भूमिदान, आमदान, सम्पत्तिदान, धर्मदान, बुद्धिदान आदि सभी एकत्र किये जाते हैं।

(३) इससे द्वारा यह विद्रोह की भावना नहीं बढ़ती तथा सर्व मंत्र की भावना बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

(४) इससे वक्तव्यों की समस्या दूर की जा सकती है।

(अ) भूमिहीन किसानों को भूमि मिल जाती है।

(ब) खेती के अयोग्य भूमि पर ट्रैक्टरों द्वारा तथा अन्य औजारों की सहायता से उसे खेती योग्य बनाया जाता है।

(स) कृषि से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों को गाँवों में ही चालने का प्रयास किया जा रहा है।

(द) सिंचाई में विकास करने के लिए नई योजनाएँ तैयार की जा रही हैं जिसे श्रमिका को कार्य मिल जायगा।

(य) कृषि एवं कृषि सम्बन्धित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी चाले गये हैं।

(र) इसमें उद्योग प्रादेशिक स्वारलम्भन के आधार पर चाले गये हैं जिसमें श्रमिका का बेकार समय इन उद्योगों में जा सके।

(३) इन (कृषि श्रमिकों) का अपना जीवन स्तर उठाने के लिए कहीं कहीं प्रौढ़ पाठशाला चाले गये हैं तथा इनके बच्चों को स्कूल में बिना किसी भेदभाव के मुफ्त शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहायता के रूप में उनको नि.गुल्क शिक्षा, विद्यार्थी हितकारी कोष से निश्चित धन तथा पुस्तकें मुफ्त में प्राप्त होती हैं जिसे इनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी ध्यय नहीं करना पड़ता है। इससे श्रमिकों की दरिद्रता, उनका पिछड़ापन तथा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है।

(३) सामुदायिक विकास योजनाएँ—हरिजनों एवं कृषि मजदूरों की दशा सँभालने के लिए २ अक्टूबर १९५२ से ५५ सामुदायिक विकास योजनाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था तथा २ अक्टूबर १९५३ से राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ भी प्रदान की जाने लगीं। इनकी स्थापना श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। इनके द्वारा वे सभी काम किये जाते हैं जिनसे श्रमिकों का कल्याण हो सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ७ करोड़ जनसंख्या की भलाई के लिए १२०० विकास एजेंडों ने कार्य प्रारम्भ किया था जिनके कार्य करने का क्षेत्र १,२०,००० गाँव थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह सम्पूर्ण गाँवों पर लागू करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इस योजना में ५१० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इन विकास एजेंडों के द्वारा जनता की सर्वांगीण उन्नति की जायगी।

(४) कृषि में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण—कृषि मजदूरों की दशा सुधारने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८' पास किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। ये राज्य हैं—केरल, उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त, असम, आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, हिमा-

बल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर एवं पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया है।

सन् १९५६ ५७ में लगभग ३,६०० ग्रामों में सन् १९५१ की जाँच के आधार पर ही 'द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जाँच' (Second All India Agricultural Labour Enquiry) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के विकास के प्रभाव को आँकने के लिए की गई थी। अभी तक इस जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।^{१४}

प्रश्न

1 Describe the different forms of land tenures in India. What are their defects? Briefly examine the effects of the abolition of Zamindari on the economic status of the peasantry

(Agra, 1947, 1949)

2 Which system of land tenure will in your opinion, bring about greater social justice and higher efficiency of agriculture in India? Give reasons in support of your answer (Rajasthan, 1944)

3 Argue the case for and against the fixation of a ceiling on agricultural holdings in India (Delhi, 1954)

4 Distinguish between Zamindari and Ryotwari systems. Point out the defects of each. Examine the effects of abolition of permanent settlement on the state revenues and the economic status of the peasantry (Agra, 1948, Rajasthan 1948)

5. Discuss the land policy of the Government of India since Independence



अध्याय १० भारत में सिंचाई

(Irrigation in India)

वृषि प्रधान देश में सिंचाई क्या महत्व रखती है इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। भारत के आर्थिक ढाँचे की दुर्बलताएँ कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं हुई थीं जितनी द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात् दिखाई पड़ीं। देश के विभाजन से स्थिति और भी गम्भीर हो गई। राष्ट्रीय सरकार के सामने उस समय अनेक समस्याएँ थीं जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अन्न उत्पादन की समस्या थी। इसके पश्चात् विद्युत शक्ति क उत्पादन का प्रश्न था जो उद्योग धन्धों के विकास के लिए अनिवार्य थी। भारत के पास विशाल जल साधन हैं, जो पर्याप्त में १३ हजार लाख एकड़ फुट क्षेत्र के बराबर हैं, परन्तु उसमें से केवल ही प्रयुक्त हो रहा है। भारत में सिंचाई तो बहुत प्राचीन काल से हो रही है परन्तु जल और विद्युत साधनों का योजनाबद्ध विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही आरम्भ हुआ। यदि हमारी राष्ट्रीय सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना देश की जल शक्ति के योजनाबद्ध विकास का प्रतिनिधित्व करती है तो द्वितीय योजना ने उस कार्य को आगे बढ़ाया है।

सिंचाई का अर्थ

साधारण रूप से वृषि के लिए जल सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति वर्षा से होती है परन्तु यदि वर्षा के अभाव में कृत्रिम साधनों जैसे नदी, तालाब कुओं और नहरों से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है तो इसको सिंचाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूमि में नमी कम हो जाने पर फसल को सूखने से बचाने के लिए जो पानी बाहरी साधनों द्वारा पौधों को दिया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। भारत जैसे विशाल और वृषि प्रधान देश में जहाँ बहुत से क्षेत्रों में वर्षा का नितान्त अभाव है अथवा जहाँ वर्षा अनियमित और अनिश्चित होती है, वहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अवलम्बन लेना ही आवश्यक होता है।

सिंचाई का महत्व

प्रत्येक किसान सिंचाई का महत्व मली भाँति जानता है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके भी किसान पाला पड़ने वाले मौसम में भी रात भर ठंड खाकर और परिश्रम करके अपनी फसलों को सूखने से बचाता है। सिंचाई की आवश्यकता किन्हीं

किन्हीं फसलों में अधिक तथा किन्हीं किन्हीं में कम पड़ती है और मौसम के आधार पर भी फसलों में कम या अधिक पानी देना पड़ता है। अतएव कृषि में सिंचाई का एक बहुत बड़ा स्थान है।

भारतवर्ष में वर्षा के मानचित्र को देखने से शत होता है कि देश के कुछ भाग जैसे अरुम और हिमालय की तराई में बहुत अधिक वर्षा—१००" से ३००" तक—होती है और कुछ भागों जैसे राजपूताना और पंजाब में नाम मात्र की ही वर्षा होती है। देश के अन्य भागों में वार्षिक वर्षा ३०" से ४०" के बीच में होती है।


मौसम के आधार पर तथा फसलों के अपने-अपने गुणों के अनुसार भिन्न-भिन्न फसलों के लिए भिन्न-भिन्न मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, परन्तु यह मात्रा किसी एक फसल के लिए कभी एक नहीं रहती। जलवायु और भूमि की वनावट के अनुसार पानी की आवश्यकता घटती अथवा बढ़ती रहती है और कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए फसल भर तक (Crop season) पानी की आवश्यकता होती है, जब कि अभाव्यवश भारतवर्ष में वर्षा केवल सामयिक (seasonal) होती है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि फसल के मौसम में कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए औसतन ४०' जल की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण के विचार से निम्नलिखित तालिका में हम कुछ प्रमुख फसलों के लिए पानी की आवश्यकता की मात्रा देते हैं जिससे किस फसल को कितना पानी आवश्यक है इसका अनुमान लग सकेगा —

फसल का नाम	पानी की मात्रा (वर्षा के अतिरिक्त एकड़ इंचों में)
धान	३७
ज्वार	१०
मक्का	१५
गहूँ	८
जौ	६
बई	८
मटर	६
चना (यदि आवश्यक हो)	३
गन्ना	५०
आलू	३०

अतः उन सर क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है वहाँ सिंचाई अपरिहार्य हो जाती है।



चित्र ५

भारतीय वर्षा की चार मुख्य विशेषताएँ हैं :-

- (१) वर्षा का असमान वितरण;
- (२) वर्षा का अनियमित वितरण;
- (३) वर्षा का अभाव अथवा अनावृष्टि; तथा
- (४) वर्षा की अधिकता अथवा अतिवृष्टि।

अमेरिकी विशेषज्ञों के कारण सर चार्ल्स ट्रेवीलियन ने कहा है कि "भारत वर्ष में सिंचाई ही सब कुछ है। पानी भूमि से मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर जल पड़ता है तो उपज शक्ति में कम से कम छः गुनी वृद्धि होती है और यह भूमि भी उपजाऊ हो जाती है, जो बजर थी, अतः भारत में सिंचाई सब कुछ है।" श्री नर्विलिस ने तो यहाँ तक कहा है कि "सिंचाई के कार्यों ने जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया है, क्योंकि भूमि की उपज, उसके मूल्य तथा उससे प्राप्त आय में वृद्धि हुई है। अतः दुर्भिक्ष के समय में इस सहायता की अति आवश्यकता पड़ती है और यह सम्पूर्ण क्षेत्रों को संभ्य बनाने में सहायक हुए हैं।"

सिंचाई का महत्व केवल कृषि और दूध तक ही केन्द्रित नहीं है बल्कि देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के विकास, व्यापार में उन्नति, उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, सरकारी आय में वृद्धि तथा सर्व साधारण के रहन सहन को प्रभावित करता है।

जल की पूर्ति (Availability of Water)—सिंचाई के लिए जल की

पूर्ति तीन साधनों से होती है :—(१) प्राकृतिक नदियों और स्रोतों से प्रयत्न रूप में, (२) बाढ़ अथवा वर्षा के पानी को एकत्रित करके तथा (३) भूमि के नीचे संचित जल से। भारतवर्ष में ये तीनों ही साधन उपलब्ध हैं।

भारतवर्ष में प्रति वर्ष ७ करोड़ एकड़ भूमि से अधिक की सिंचाई की जाती है। वृषि-प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर सघार का सबसे अधिक सिंचित भू-भाग है। यह भू-भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के सिंचित भाग का दुगुना है। भारतवर्ष में सिंचाई अति प्राचीन काल से की जाती रही है। प्रारम्भिक सिंचाई कुआँ, तालाबों, नहरों तथा स्रोतों को काटकर की जाती थी।

सिंचाई के साधनों का विभाजन

सिंचाई के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (१) उत्पादक और (२) अनुत्पादक अथवा रक्षात्मक। उत्पादक साधनों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि जिससे पूँजीगत व्यय पर न्याय, कार्य शील खर्च तथा कर वसूल करने के खर्च आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इस वर्ग में आने वाली योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था सार्वजनिक मण्डलों के द्वारा की जा सकती है क्योंकि इससे सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत वे योजनाएँ आती हैं जिनसे केवल इतनी आय प्राप्त होती है जिससे लगाई गई पूँजी का न्याय निकल आये।

सिंचाई के लाभ

(१) अप्रत्याशित विरुद्ध सुरक्षा—अनाद्युष्टि अथवा अप्रत्याशित वर्षा होने की दशा में सिंचाई का मुख्य कार्य उस क्षेत्र की अकाल के विरुद्ध रक्षा करना होता है। सिंचाई की योजनाओं के निर्माण के समय असह्य लोगों को कार्य मिलता है जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। योजनाओं के समाप्त हो जाने पर सिंचाई कार्यों की सहायता से लोगों को स्वाध्याय और न्यारे की फसलें प्राप्त होती हैं।

(२) भूमि के मूल्य में वृद्धि—सिंचाई की योजनाओं के पास वाले क्षेत्रों का बाजार मूल्य पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है क्योंकि अत्र उस स्थान को उपज सम्बन्धी अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।

(३) सिंचाई वाले स्थान का स्तर (level) पहले की अपेक्षा ऊँचा हो जाता है।

(४) मनुष्यों और जानवरों को नहाने और पीने के लिए पानी की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं।

(५) सिंचाई की सहायता से बागान संभल जाते हैं और भूमि की नमी बढ़ जाती है।

(६) राज्यों की आगमना में वृद्धि हो जाती है।

(७) बाढ़ नियन्त्रण तथा शक्ति उत्पादन में सहायता मिलती है।

(८) यदि सिंचाई की योजनाएँ बहुउद्देशीय होती हैं तो उससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

Rakesh Mohan Saxena

उपरोक्त लाभों से प्रभावित होकर हमारी सरकार ने सिंचाई विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होगा—

(मिलियन में)


वर्ष	जनसंख्या	बोई गई भूमि (एकड़)	सिंचित क्षेत्र (एकड़)	कुल लाघार्थ क्षेत्र (एकड़)
१९००	२३६	२०२	२९	१८०
१९५१	३६२	३००	५१	२४०
१९७१ (अनुमानित)	४००	३१५	१५०	पूर्ण विकास

भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन

भारतवर्ष में सिंचाई के बहुत से साधन हैं, जिनसे सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलता है, जैसे—

- (१) कुआँ,
- (२) नल कूप (Tube well),
- (३) नहर,
- (४) नदी,
- (५) तालाब अथवा झील, तथा
- (६) भरना।

ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त विभिन्न साधनों द्वारा भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का केवल २०% क्षेत्रफल ही लाभान्वित होता है और शेष ८०% क्षेत्रफल के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। सन् १९५८-५९ में विभिन्न सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल और उनका तुलनात्मक प्रतिशत अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है—



चित्र ६— सिंचाई

सिंचाई के साधन	वित्तित क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)
नहरें :	
सदकारी	१६,८३२
निजी	३,३६०
तालाब	१०,८८४
कुएँ	१६,६४३
अन्य साधन	५,४४४
योग	५६,१६३

आगे हम सिंचाई के प्रमुख साधनों का सक्षिप्त वर्णन करेंगे ।

कुआ द्वारा सिंचाई

सिंचाई के व्यक्तिगत साधनों में कुआँ का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में यह अति प्राचीन काल से अत्यन्त महत्वपूर्ण एव अति प्रचलित साधन रहा है। देश में जहाँ कहीं भी अनुकूल भौगोलिक दशाएँ विद्यमान हैं वहाँ कुएँ पाये जाते हैं। भारत वर्ष में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग २६% भाग कुआँ के द्वारा ही सिंचा जाता है। वैसे तो यह देश के लगभग प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं परन्तु यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, और बम्बई राज्य में पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ११ लाख से अधिक कुएँ काम में लाये जाते हैं। इसके बाद मद्रास का नम्बर आता है जहाँ ९२ लाख कुएँ पाये जाते हैं। पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और राजपूताना क्रमशः इसके बाद आते हैं। कुआँ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—साधारण कुएँ और नल रूप।

साधारण कुएँ—साधारण कुएँ कच्चे और पक्के दोनों ही प्रकार के होते हैं। इन कुआँ की बनावट, गहराई और पानी की मात्रा भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कुआँ की संख्या अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। दक्षिणी भारत में पथरीली भूमि होने के कारण कुआँ की संख्या बहुत कम है। १९४५ के अकाल जाँच आयोग ने कुआँ की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “कुएँ सिंचाई का सर्वोत्तम महत्व के साधन हैं और यदि सिंचित क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि करनी है, तो व्यक्तिगत कुआँ की सहायता से पर्याप्त वृद्धि करना अनिवार्य है।”

नल रूप—नल कुएँ के निर्माण ने सिंचाई पद्धति का इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। एक नल रूप ६० फुट से लेकर ५०० फुट तक गहरा होता है। इसकी क्षमता ३३००० गैलन पानी प्रति घण्टा खाने की होती है। इससे लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है।

सर्वा प्रथम सन् १९४८ में भारत सरकार ने नल कुएँ के विषय में दो अमराका विशेषज्ञों को सलाह के लिए बुलाया था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऐसे कुआँ का निर्माण सन् १९३० से प्रारम्भ हो गया था और १९५० तक लगभग २५०० कुएँ बन चुके थे। अमरीकी विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में नल कुएँ के विकास की भारी योजनाएँ बनाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५८३० नल रूप तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५८१ नल रूप बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस समय यह नल रूप पंजाब, बम्बई, बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, द्रावणकोर कोचीन तथा मध्य प्रदेश में काफी सहायता में पाये जाते हैं।

कुआँ से लाभ

(१) पानी के व्यय में मितव्ययता—विभिन्न गहराइयों से पानी निकालने

में होने वाले परिश्रम से बचने के लिए किसान स्वभावतः पानी व्यर्थ नष्ट करने में सहकोच करता है। पानी निकालने में लागत भी अधिक लगती है, अतः इस पानी का उपयोग फ़ैवेल लाभदायक फसलों में ही किया जाता है। इस प्रकार पानी के व्यय की लागत कम हो जाती है और परिश्रम की वृद्ध होती है।

(२) कुएँ का पानी धात्विक दृष्टिकोण से अधिक गुणकारी होता है क्योंकि इसमें सोडा, नाइट्रेट, क्लोराइड तथा सल्फेट मिले होते हैं जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं।

(३) आवश्यकतानुसार पानी का उपयोग होने के कारण पानी के सङ्गे (water-logging) का भी भय नहीं रहता जैसा कि नहरों, तालाबों और भीलों से सम्भव है।

(४) कुआँ के निर्माण में न तो अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है और न ही तांत्रिक योग्यता की।

(५) भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी कुआँ का निर्माण ही अधिक हितकर है। अधिकतर भूमि तराई की एवं रतीली है जिसमें कि बरसात को पानी सुविधापूर्वक संचित हो जाता है।

(६) नल रूप आधारण कुआँ की अपेक्षा मितव्ययी, दीर्घजीवी होते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे मानवीय और पारंपरिक परिश्रम को विलकुल दुष्टकार दे देते हैं।

कुआँ से सिंचाई करने में कठिनाइयाँ

(१) कुआँ द्वारा सिंचाई करने में धन और परिश्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। यद्यपि प्रारम्भ में धन और परिश्रम का विनियोग कम मालूम होता है परन्तु कालान्तर में कुआँ की मरम्मत, संचाई और पुनर्निर्माण पर जो व्यय और परिश्रम होता है वह अनर्हक होता है।

(२) अनावृष्टि अर्थात् वर्षा के अभाव वाले वर्ष जब कि पानी की अधिक आवश्यकता होती है कुएँ प्रायः सूख जाते हैं। यही नहीं निरन्तर पानी के सिंचाज से भी कुएँ प्रायः सूख जाते हैं।

(३) कुएँ का पानी अक्षर तारा होता है जो कि पौधों के लिए हानिकारक होता है।

(४) नदियाँ एवं झरना की अपेक्षा कुएँ के पानी में धात्विक मिश्रणों की कमी होती है क्योंकि ये एक ही स्थान पर केन्द्रित होते हैं।

(५) कुआँ के द्वारा फ़ैवेल सीमित क्षेत्रों पर ही सिंचाई हो सकती है। इसके विपरीत नदियाँ, नहरों और झरना से भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है।

(६) भारत के कुछ भूखण्डों में पानी की सतह बहुत नीची है जहाँ पर कुएँ खोदना अनार्थिक एवं कष्टप्रद है।

नहरों द्वारा सिंचाई

सिंचाई की दृष्टि से प्राकृतिक साधन (वर्षा) के बाद नहरों का ही स्थान आता है। भारत में तो नहरें ही सबसे अधिक सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। इनकी कुल लम्बाई ६७ हजार मील है। ये भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से प्रचलित रही है, यद्यपि इनका आधुनिक विकास १९ वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ होता है। इस प्रकार से इनके निर्माण का श्रेय ब्रिटिश सरकार को प्राप्त नहीं हो सकता। अनुमान है कि हमारी नहरों में ८० करोड़ अधिक खर्च लगा हुआ है। नहरें अधिकतर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती हैं जहाँ इनका एक प्रकार से जाल सा बिछा हुआ है। १९२१ ई० के पूर्व नहरों का वर्गीकरण इस प्रकार था —

- (१) उत्पादक नहरें (Productive Canals),
- (२) रक्षात्मक नहरें (Protective Canals) तथा
- (३) छोटे कार्य में आने वाली नहरें (Minor Canals)।

प्रथम वर्ग की नहरें उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टिकोण से बनाई जाती थीं। द्वितीय वर्ग की नहरों से उत्पादन कार्य तो कम लिया जाता था परन्तु बाढ़ नियन्त्रण प्रमुख उद्देश्य होता था। इनसे आय नाम मात्र को तथा अनिश्चित होती थी। तृतीय वर्ग की नहरों को आपत्ति काल में अन्वाया जाता था। इनके निर्माण के लिए किसी विशेष कोष (fund) आदि का प्रावधान नहीं था। इनकी अर्थ व्यवस्था चालू वर्ष के बजट से ही की जाती थी।

आधुनिक काल में नहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है —

- (१) बारहमासी अथवा स्थायी नहरें (Perennial Canals),
- (२) मौसमी अथवा अस्थायी नहरें (Inundation Canals) तथा
- (३) बाँध की नहरें (Storage Work Canals)।

(१) स्थायी नहरें

बारहमासी, धारावाहिक अथवा स्थायी नहरें वे नहरें हैं जो सदैव सिंचाई के लिए पानी उन्नाये रखती हैं और आवश्यकता के समय हानि से बचाती हैं। इनका निर्माण नदियों के दोनों ओर एक मजबूत बाँध बनाकर पानी को रोक कर किया जाता है। इनके द्वारा सिंचाई अधिक निश्चित, नियमित तथा समयानुवृत्त होती है। इस प्रकार की नहरें उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती हैं। राष्ट्रीय सरकार आजकल इसी प्रकार की नहरों के निर्माण पर अधिक बल दे रही है।

(२) मौसमी नहरें

मौसमी, अनित्य वाहिनी, अस्थायी अथवा बाढ़ की वे नहरें होती हैं जिनमें केवल वर्षा ऋतु में पानी आता है। बरसात के दिनों में अथवा बाढ़ से उमड़ती हुई नदियों का अतिरिक्त जल इन नहरों में आ जाता है। ये नहरें केवल वर्षा काल में ही काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार इन नहरों की अधिक महत्ता नहीं है क्योंकि वर्षा ऋतु में जब कि जल की बहुतायत होती है ये जल को प्रदान करती हैं परन्तु हाँ ऐसे स्थानों में जहाँ वर्षा ऋतु में भी पसलों को पर्याप्त जल नहीं मिलता इनकी महत्ता अवश्य बढ़ जाती है।

(३) बाँध की नहरें

बाँध की नहरें वे नहरें हैं जिनमें घाटियाँ के दोनों किनारों पर बाँध लगाकर पानी एकत्र किया जाता है और सूखे मौसम में उनका सदुपयोग किया जाता है।

से लाभ

(१) कृषि उद्योग में स्थायित्व—साल भर तक नहरों द्वारा पानी मिलने के कारण कृषि उद्योग में एक प्रकार का स्थायित्व (stability) आ जाती है और उपज की मात्रा तथा गुण में भी वृद्धि हो जाती है।

(२) बाढ़ नियंत्रण—नदियों का आरवार बाँध बना कर जल संचित करने का कारण बाढ़ का प्रकोप कम हो जाता रहता है। अनेक देशों में नहरों का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है।

(३) नहरों द्वारा सिंचाई का कारण बहुत से मरुस्थल तथा बजर भूमि लहलहाते हुए खेती में परिणत हो जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई का एक मात्र साधन यहाँ रह जाता है।

(४) अकाल के भूत से हुटकारा मिल जाता है।

(५) नहरों का निर्माण से देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग को रोज गार मिल जाता है।

(६) वर्षा वर्षा नहरों की यत्नायत का साधन का रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है।

नहरों के दोष

(१) पानी का अपव्यय—भारतीय किसान लोग अपनी अज्ञानता एवं मूर्खता के कारण नहरों से आवश्यकता से अधिक पानी ले लते हैं जिससे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नहरों द्वारा सिंचित भूमि में एक ही स्थान पर पानी मरा रहता है जो दलदल का रूप धारण कर लेता है। इससे मच्छर आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो मलेरिया, फाय लेरिया आदि अनेक भीषण बीमारियों को जन्म देते हैं।

(२) भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास—खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी के इकट्ठा हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और उसमें लवण अथवा रेत उत्पन्न हो जाता है जो खेती को क्रमशः नष्ट कर देता है। बम्बई तथा पंजाब के क्षेत्रों में रेत के कारण हजारों एकड़ भूमि व्यर्थ नष्ट हो गई है।

(३) फसल का नष्ट होना—आवश्यकता से अधिक पानी हो जाने पर भी फसलें या तो गल जाती हैं अथवा देर में पकती हैं।

(४) प्राकृतिक वर्षा के बहाव में रुकावट—कभी-कभी नहरों के कारण वर्षा के पानी का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाता है जो अनेक अर्थ समस्याओं को जन्म देता है।

(५) ऊँची सिंचाई दर—सिंचाई की दरें प्रायः ऊँची और विभिन्न स्थानों में अलग अलग होती हैं। पानी की नाप तौल न होने के कारण किसानों को मितव्ययता करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता।

उपरोक्त दोषों के होते हुए भी यह निर्माकता से कहा जा सकता है कि नहर भारतवर्ष के लिए बरदान है और इनकी उपयोगिता को किसी भी प्रकार चुनौती नहीं दी जा सकती है।

तालाबों द्वारा सिंचाई

तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रथा हमारे देश में अति प्राचीन काल से चली आई है। बरसात के दिनों में वर्षा के पानी को अनेक स्थानों पर तालाबों में एकत्रित कर लिया जाता है और फिर सूखे मौसम में इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। यद्यपि देश के प्रत्येक राज्य में तालाबों द्वारा सिंचाई का साधन किसी न किसी रूप में अपनाया जाता है परन्तु मध्य और दक्षिणी भारत में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत में, इतिहास के पन्ने पलटने से ज्ञात होता है, कि यहाँ पर कई शताब्दियों पूर्व विशाल तालाब पाये जाते थे। उनमें से कुछ तालाब तो आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई होने के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे —

(१) दक्षिण भारत की नदियाँ केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर होकर रहती हैं।

(२) बहा चट्टानों और पथरीली भूमि होने के कारण नहरों और कुँओं को खोदने में भी बड़ी कठिनाई होती है।

(३) चट्टानों में बरसाती पानी के सोखने की भी सामर्थ्य नहीं होती।

(४) दक्षिण भारत की जनसंख्या बिलखी हुई होने के कारण तालाब की सिंचाई प्रथा को ही अधिक उपयुक्त समझती है।

(५) पहाड़ी और टूटी फूटी भूमि में तालाबों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तथा उपयोगी सिद्ध होते हैं।

तालाब विभिन्न आकार के होते हैं। यह साधारण पोखरों से लेकर बड़ी बड़ी

भूतलों के रूप में पाये जाते हैं। मद्रास में लगभग ३५०० तालाबों से लगभग ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

तालाबों का भारतीय वृषि व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इनके निर्माण में नहरों तथा कुँयों की अपेक्षा कम पूँजी लगती है और इनका उपयोग भी तुरन्त होने लगता है। इसी कारण सरकार ने तालाबों को सरकारी मूदान किया है। बम्बई तथा मद्रास के तालाब अधिकतर सरकारी निरीक्षण में ही हैं। बहुत से पुराने तालाबों, जो कि प्रयोग में न आने के कारण टूटे-फूटे पड़े हैं, का पुनरुद्धार किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी तालाबों का निर्माण और रक्षा का कार्य जोरों से जारी है।

भारत सरकार की सिंचाई नीति

अध्ययन की सुविधा के लिए हम भारत सरकार की सिंचाई नीति को पाँच खण्डों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) अति प्राचीन काल,
- (२) मध्य काल,
- (३) ईस्ट इंडिया कम्पनी का काल,
- (४) ब्रिटिश शासन काल, तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

अति प्राचीन काल

भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से सिंचाई का कार्य होना आया है। ऐसा कहा जा सकता है कि सिंचाई का कार्य वृषि के साथ-साथ ही प्रारम्भ हुआ। अधिक धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस काल में सिंचाई के कार्य का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर नहीं होता था। सिंचाई के साधनों के निर्माण का कार्य शासकों की उदारता, दयालुता तथा धार्मिक भावनाओं पर निर्भर करता था। शासक लोग पुण्य कार्य के रूप में यदा कदा कुँयों और तालाबों को बनवा दिया करते थे। अधिकतर यह कार्य वैयक्तिक हुआ करता था। फलतः कोई सिंचाई विभाग अथवा तत्सम्बन्धी प्रशासन विभाग नहीं हुआ करता था।

मध्य काल

मध्य काल में भी सिंचाई कार्य की महत्ता को राजकीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्राचीन काल की अपेक्षा इस काल में सिंचाई कार्य को अकाल नियारणार्थ अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। मुसलमान शासकों जैसे फीरोज़ तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर तथा शाहजहाँ इत्यादि ने कुछ सिंचाई के साधनों का निर्माण कराया। उदाहरणार्थ १६वीं शताब्दी में परिचमी यमुना नहर तथा पूर्वी यमुना

नहर मुगल सम्राटों ने बनवाई थी। परन्तु यह सब कार्य अधिकांश में पुण्य एवं धर्म भावना से प्रेरित होकर किये गये थे, अतः इस काल में भी राष्ट्रीय आधार पर कोई सिंचाई नीति नहीं बनाई गई।

ईस्ट इंडिया कम्पनी का काल

सिंचाई कार्य-व्यवस्था की ओर सच्चे अर्थों में ध्यान सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी का ही गया। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि यह सब ध्यान स्वप्रेरित न होकर परिस्थिति प्रेरित था। १८ वीं और उन्नीसवीं शताब्दी में पड़ित अकालों ने विदेशी सरकार को सिंचाई सम्बन्धी एक सुव्यवस्थित और निश्चित नीति बनाने के लिए विवश कर दिया। प्रारम्भ में कम्पनी ने केवल उत्पादक कार्यों की ओर ही ध्यान दिया परन्तु कालान्तर में रक्षात्मक कार्यों की ओर भी ध्यान देना पड़ा।

उत्पादक कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ में पुराने कार्यों की मरम्मत कराई गई, तत्पश्चात् कुछ नये कार्यों का भी निर्माण किया गया। इन सब का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) पुरानी नहरों का सुधार

(१) सन् १८२० में पश्चिमी यमुना नहर का सुधार किया गया, और सन् १८८३ में पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण किया गया।

(२) सन् १८३० में पूर्वी यमुना नहर का सुधार किया गया।

(३) सर आर्थर कॉटन ने सन् १८३६ में कावेरी ग्राउ एनीकट बाँध बनाने के कार्य को अपने हाथ में लिया। सन् १८४३-४४ में इसका विस्तार तथा सन् १८६६-१६०२ में इसका पुनर्निर्माण किया गया।

(ब) नई नहरों का निर्माण

(१) सन् १८४०-५० में 'अपर गंगा कैनाल' का निर्माण किया गया।

(२) सन् १८४७-५४ में अपर बायी दोआब नहर का निर्माण किया गया।

(३) सन् १८४६ में गोदावरी नहर का निर्माण किया गया।

(४) सन् १८५२-५४ में कृष्णा नदी बाँध का निर्माण किया गया।

उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त कम्पनी ने रेलों के प्रादुर्भाव से पूर्व अनेक छोटी मोटी नहरों का निर्माण किया। यह सब अकाल सकट के निवारण के लिए था।

ब्रिटिश शासन काल

सन् १९१६ के बाद से सिंचाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने-अपने राज्यों में सिंचाई विभाग की स्थापना की है। अन्तर-राज्य सिंचाई व्यवस्था (Inter State Irrigation) का संचालन करने के लिए दो केन्द्रीय संस्थाएँ हैं—

(१) केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई तथा जलयान आयोग (Central Water Power Irrigation and Navigation Commission), तथा

(२) केन्द्रीय सिंचाई परिषद (Central Board of Irrigation)।

इन दोनों संस्थाओं की स्थापना क्रमशः १९४५ और १९३१ में हुई थी। उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त Central Ground Water Organisation (1946-47) तथा Tube Well Development Organisation (1954) नामक दो और संस्थाएँ हैं जो जल स्रोतों और नल कुएँ के विकास पर काम कर रही हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई के महत्व को भली भाँति समझा है। विशेषज्ञों का मत है कि जल संकट का पूर्ण हल करने के लिए देश के सिंचित क्षेत्रफल को दुगुना करना होगा। इस कार्य के पूरा होने में १५ वा २० वर्ष का समय लग सकता है। राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई विकास की योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६)

योजना के प्रारम्भ में (१९५१) ५१.५ मि० एकड़ भूमि पर सिंचाई होता था जो कुल खेती योग्य भूमि का १७.५% था। इस योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि खेती करने वाले क्षेत्रफल में १०% की वृद्धि हो जाय। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नदियाँ, नहराँ, तालाबों और कुँओं पर ७० करोड़ रुपये व्यय करने का आशोधन किया गया। इस योजना के अन्तर्गत १७३ योजनाएँ थीं। सिंचाई के नवीन निर्माण कार्यों का तीस भाग में बाँटा गया—

(१) बहुउद्देशीय योजनाएँ (Multi purpose projects),

(२) सिंचाई के बड़े निर्माण कार्य, तथा

(३) सिंचाई के छोटे छोटे निर्माण कार्य।

उपर्युक्त कार्यों पर व्यय किये जाने वाली धन की रकम तथा तदनुसार सिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि निम्न तालिका में दिखाई गई है—

निर्माण कार्य	धन राशि (करोड़ रुपये)	योजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि (लाख एकड़)
(१) बहुउद्देशीय योजनाएँ	२६६	२३
(२) सिंचाई के बड़े निर्माण कार्य	१६८	६७
(३) सिंचाई के छोटे निर्माण कार्य		११०
अतिरिक्त प्रावधान—		
(१) सिंचाई के छोटे निर्माण के लिए	३०	—
(२) नल कुएँ के लिए	६	—
योग	४७०	२००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५५-६१)

प्रथम योजना के प्रारम्भ में जैसा कि पहले कहा जा चुका है ५१५ मि० एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, और प्रथम योजना की सफलता के फलस्वरूप यह क्षेत्रफल ६७० मि० एकड़ हो गया। यह प्रगति वास्तव में सराहनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि इस दिशा में ३१% की वृद्धि और की जाय जिससे सन् १९६०-६१ में सांचे जाने वाला क्षेत्रफल बढ़ कर ८८० लाख एकड़ हो जाय। इस कार्य के लिए द्वितीय योजना में ३८१ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं जिसमें से, अनुमान है कि १७२ करोड़ रुपये द्वितीय योजना काल में और शेष तृतीय एवं चतुर्थ योजना काल में व्यय किये जायेंगे।

द्वितीय योजना काल में १९५५ नये निर्माण कार्य किये जायेंगे। इन निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय तथा पूर्ण होने पर सिंचित क्षेत्र में होने वाली वृद्धि का व्यापक निम्न तालिका में दिया गया है—

अनुमानित लागत	योजनाओं की संख्या	कुल अनुमानित लागत	पूर्ण होने पर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि
१० और ३० करोड़ रुपये के अन्तर्गत	१०	१९१	८४
५ और १० करोड़ ६० के अन्तर्गत	७	५४	१५
१ और ५ करोड़ ६० के अन्तर्गत	३५	८५	३४
१ करोड़ से कम धन राशि	१४३	४६	१५
योग	१९५	३७६	१४८

तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी ओर से भी कुछ धन और व्यय किया जावेगा। योजना के अन्त तक सिंचाई का क्षेत्रफल ९ करोड़ एकड़ हो जायगा, जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह ७ करोड़ एकड़ होगा। लगभग ४ करोड़ एकड़ में बरानी लेती की जायगी। १ करोड़ ३० लाख एकड़ अधिक भूमि को कटाव आदि से बचाने का काम किया जायगा। सन् १९६०-६१ तक लगभग ३ लाख ६० हजार टन नम्रजन युक्त खाद का प्रयोग होने का अनुमान है, १९६५-६६ में यह १० लाख टन हो जायगा। ७५ करोड़ एकड़ भूमि में पौधों को बचाने की व्यवस्था की जायगी।

प्रमुख बड़ी सिंचाई-परियोजनाएँ

भाकरा नागल योजना—इस योजना का शुभारम्भ १९४६ में हुआ था जो

१९५८ में पूर्ण हो सकी। इसकी अनुमानित लागत १७० करोड़ २ लाख रुपये है। इसके द्वारा वर्तमान समय में ६४,००० किलोवाट बिजली उपयोग में लाई जा सकती है तथा यदि आवश्यकता पड़े तो ३६००० किलोवाट तक और बढ़ाया जा सकता है यह विद्युतशक्ति ५ केन्द्रों में विभाजित कर दी जायगी।



चित्र ७—माखरा नाल योजना

माखरा बांध की ऊँचाई ७०० फीट और लम्बाई १७०० फीट है। इस बांध में ७४ मिलियन एकड़ फीट पानी संचयित हो सकता है जिसका क्षेत्रफल ५६४ वर्ग मील है। इससे निकली हुई प्रमुख नहर की लम्बाई ६५२ मील है तथा सहायक नहरों की लम्बाई २,२०० मील है।

दामोदर घाटी योजना—चार बांधों वाली इस योजना की लागत ७५ करोड़ रुपये है। इसमें से तीन पर १,५०,००० किलोवाट के जल विद्युत घर, बोकारो तथा दुर्गापुर में ३,७५,००० किलोवाट के दो थर्मल पावर स्टेशन, नहरें तथा उनकी सहायक नहरें होंगी। इसके तीन बांध पूर्ण हो चुके हैं। इसका प्रबन्ध 'दामोदर वेली-कारपोरेशन' को सौंप दिया गया है। यह योजना तिलैया, कोनार, मेटी तथा पचेट पहाड़ियों पर बांध बना कर दामोदर तथा उसकी अन्य सहायक नदियों पर काबू पाने के लिए कार्यान्वित की गई है।

महानदी घाटी योजना—यह योजना सम्बलपुर तथा बोलनगिर के जिला को हरा भरा करने के लिए बनाई गई है। इससे ६७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके अन्तर्गत तीन बांध—हीराकुंड, टिकरपारा, तथा नारज—में बनेंगे। हीराकुंड बांध की लम्बाई (१५,७४८ फीट) सारा के सभी बांधों से अधिक है तथा इसकी ऊँचाई १५० फीट है। इसमें ६६ लाख एकड़ फीट पानी एकत्रित हो सकेगा जिसे हम दूसरे गन्दा में २२८ वर्ग मील की भील कह सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत ६२ करोड़ रुपये है।

तुङ्गभद्रा योजना—दक्षिण भारत की सबसे नई योजना ग्राम्भ और मैग्ग

राज्य द्वारा प्रारम्भ की गई है। तुङ्गभद्रा नदी पर ७६४२ फीट लम्बा तथा १६२ फीट




चित्र ७—प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ
 चौड़ा बांध बनेगा। इसके दोनों किनारा पर जल विद्युत केन्द्र बनाये जायेंगे। इसकी
 क्षमता ३० लाख एकड़ फीट पानी की है। इसके दोनों ओर से नहरें निकाली जायेंगी जो

१३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी। इस योजना की कुल लागत ६० करोड़ रुपये है। इसमें तीन विद्युत-गृह बनाये जाएंगे जिनका उत्पादन क्षमता ६६,००० किलोवाट होगी।

कोसी योजना—१३ ६५ लाख एकड़ भूमि को लहलहा देने वाली योजना में कोसी नदी के दोनों तटों पर १५० मील लम्बी दीवारें बनाई जाएंगी, इनुमान नगर (नेपाल) से तीन मील दूर पर एक नराब बनेगा तथा नराब से पूर्वा कोसी नहर का निर्माण होगा। इस नहर की—सुवाल, प्रतापगज, पूर्णिया तथा अररिया—शाखाएँ हैं। इस योजना में लगभग ४४ ६ करोड़ रुपये व्यय किया जायगा।

हीराकुड योजना—यह बाँध सम्मलपुर रेलवे स्टेशन से ६ मील दूरी पर है। उसकी लम्बाई १५,७४८ फीट तथा ऊँचाई २०० फीट होगा। इससे निकलने



चित्र ६—हीराकुड योजना

वाली नहर तथा उसकी शाखाएँ ६१ ५ मील और सहायक नहरों की लम्बाई ४६० मील होगी एवं जल मार्ग की लम्बाई ६,५०० मील होगी। इस योजना का लागत व्यय लगभग ७० ७८ करोड़ रुपये है।

बडो और मँझली सिंचाई योजनाओं का उपयोग

सन् १९५८-५९ में चार बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं—भाखरा नागल, दामोदर घाटी निगम, तुन्नभद्रा और हीराकुड से २५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसमें से भाखड़ा नागल योजना द्वारा पंजाब और राजस्थान में १६ लाख ५० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। दामोदर घाटी निगम से पश्चिमी बंगाल में २३५ हजार एकड़ जमीन की और हीराकुड से उड़ीसा में २८५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। तुन्नभद्रा योजना से मैसूर और आंध्र प्रदेश में १ लाख ८५ हजार एकड़ जमीन

की सिंचाई हुई। वैसे, इन चारों योजनाओं से कुल ३७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी।

देश में सभी बड़ी और मँझली योजनाओं की कुल जितनी सिंचाई-क्षमता थी, उसका ८२% उपयोग हुआ। आशा है १९५६-६१ के दो वर्षों में भी कुल सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग का यह अनुपात जारी रहेगा।

सन् १९५०-५१ में सब प्रकार के साधनों से कुल ५.१५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई थी। इसमें से २२० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मझली सिंचाई योजनाओं द्वारा हुई। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़ी और मँझली योजनाओं से ३३.५ लाख एकड़ और जमीन की सिंचाई होने लगेगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात् १९७५-७६ तक लगभग १८ से १९ करोड़ एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएँ कर देने का विचार है। आशा है इसमें से लगभग ६ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मँझली योजनाओं द्वारा होने लगेगी।

पहली और दूसरी योजना में जो बड़ी और मँझली सिंचाई योजनाएँ शामिल की गई हैं, उन पर लगभग १,४०० करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

प्रश्न

1 State the different forms of irrigation in India. What is meant by Productive and Protective works? Point out the relative importance of irrigation works in different provinces in India.

(Agra, 1949)

2 Describe the various methods of irrigation used in India and discuss their relative merits from the point of view of agriculture.

(Punjab, 1951)

3 Mention the principal features of the multi-purpose projects undertaken by the government, and envisage their prospects.

(Agra, 1952)



अध्याय ११ कृषि-विपणन

(Agricultural Marketing)

कृषि विपणन का महत्व

किसी भी वस्तु का विपणन अथवा विक्रय किसी देश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि उत्पादन भी अन्य वस्तुओं की भाँति उस समय तक नहीं होता जब तक कि उसका विक्रय न हो जाय। यदि विपणन की उचित

रहती है तो अति उत्तम विधि से किया गया कृषि उत्पादन भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। आज इस तथ्य का समाधान व्यक्ति भी स्वीकार करता है और विपणन की महत्ता दिन प्रति दिन बढ़ता जा रही है। एक समय था जब कहा जाता था कि "अच्छे किसान की एक आँख हल पर और दूसरी आँख बाजार पर रहती है।" परंतु आज यह कहा जाता है कि "एक अच्छा किसान अपने दोनों हाथ हल पर तथा अपनी दोनों आँखें बाजार पर रखता है।" अर्थात् आज एक किसान जितनी लगन से कृषि-उत्पादन करता है उतनी ही लगन से उसके विपणन की भी व्यवस्था करता है। वह भी एक अर्थशास्त्री की भाँति कृषि उत्पादन की माँग और पूर्ति में संतुलन बनाये रखने की चेष्टा करता है किन्तु कुछ विवशताओं के कारण वह कृषि उत्पादन की माँग अथवा उसके सफल विपणन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। उसकी अशिक्षा एवं अज्ञानता उसको उचित मूल्य दिलाने में बाधक सिद्ध होती है।

भारतीय किसान के साथ कुछ प्राकृतिक तथा कुछ कृत्रिम ऐसा असमर्थताएँ होना हैं जो कृषि विपणन को सफल बनाने में बाधक होती हैं। कृषि उत्पादन ही स्वयं बहुत कुछ देवी अनुकम्पा पर निर्भर होता है। यदि कृषि विपणन की व्यवस्था समुचित कर दी जाय तो निस्संदेह कृषि उद्योग पर देवी प्रकाय कम किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कृषि तथा कृषक, दोनों की दृष्टा सुधारनी है, अच्छी फसलें उत्पन्न करने के स्वप्न को पूरा करना है तो फसलों के उचित मूल्य की व्यवस्था करनी ही होगी।

कृषि विपणन का अर्थ

कृषि विपणन से हमारा तात्पर्य कृषक वस्तुओं की माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने से है। सरल शब्दों में कृषि वस्तुओं को कृषि उत्पादकों से लेकर उप

भोक्ताओं तक पहुँचाने में मध्यस्थों द्वारा की गई सेवाओं को विपणन-कार्य कहते हैं। कृषि-विपणन में निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं :—

- (१) कृषि वस्तुओं का एकत्रीकरण (Assembling)
- (२) कृषि वस्तुओं का श्रेणीकरण (Grading)
- (३) कृषि वस्तुओं का प्रविधिकरण (Processing)
- (४) कृषि वस्तुओं का परिवहन (Transportation)
- (५) कृषि वस्तुओं को सुरक्षित रखना (Storing)
- (६) कृषि वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना (Retailing)
- (७) कृषि वस्तुओं की समस्त क्रियाओं के लिए वित्त प्रदान करना (Financing)
- (८) उपरोक्त क्रियाओं में निहित जोखिम उठाना (Risk Bearing)

भारतवर्ष में कृषि विपणन

भारतवर्ष में प्रायः कृषि वस्तुओं का विपणन किसानों के द्वारा न किया जाकर मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। मध्यस्थों की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि कृषि उपज के लाभ का ५०% से अधिक भाग इन लोगों की जेब में चला जाता है। भारतीय गेहूँ विपणन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार के मध्यस्थ पाये जाते हैं —

- (१) ऐसे किसान जो दूसरे किसानों से अनाज एकत्र करते हैं,
- (२) जमींदार जो किसानों की ओर से गल्ला एकत्र करके बेचते हैं,
- (३) महाजन अथवा गाव का बर्नियाँ,
- (४) ऐसे व्यापारी जो गाँव गाँव घूम कर अनाज इकट्ठा करते हैं,
- (५) कच्चा अदतिया,
- (६) पक्का अदतिया, तथा
- (७) सहकारी समितियाँ।

बाजारों के प्रकार (Types of Markets)—भारत में कृषि विपणन के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार पाये जाते हैं। श्रीयुत कुलकर्णी के अनुसार निम्न लिखित बाजार पाये जाते हैं —

- (१) पैंठ अथवा हाट अथवा मडियाँ,
- (२) मडिया,
- (३) फुटकर बाजार (Retail markets)
- (४) मेले तथा प्रदर्शनियाँ,
- (५) उपज विपणन (Produce Exchange)
- (६) पैंठ अथवा हाट—ग्रामों में छोटे मोटे बाजार जीवन की आवश्यक

वस्तुओं जैसे अनाज, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, फल तथा तस्कारियाँ आदि के क्रय विक्रय के लिए लगा करते हैं। कुछ प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में इन बाजारों को पैठ अथवा हाट कहते हैं तथा दक्षिणी भारत में शण्डी (shandis) कहते हैं। ये सप्ताह में एक बार या दो बार लगती हैं। इनके लगने के दिन तथा स्थान व्यापारियों अथवा जमींदारों द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ५-१० मील की दूरी पर एक हाट या बाजार होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार के बाजार लगभग २२००० से अधिक हैं।

(२) मंडियाँ—मंडियाँ वस्तुतः थोक बाजार होती हैं। ये कृषि निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से लगाई जाती हैं और यहाँ पर प्रति दिन थोक में सौदे किये जाते हैं। यहाँ नित्य बहुत बड़ी मात्रा में उपज का क्रय विक्रय होता है और कुछ विशिष्ट क्रियाएँ विशिष्ट लोगों के द्वारा की जाती हैं और विशिष्ट लोग कुछ विशिष्ट नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे तोले (weighmen), अर्द्धतिये तथा दलाल। ये मंडियाँ प्रायः निजी व्यक्तियों, स्थानीय संस्थाओं जैसे म्यूनिसिपैलिटी, कारपोरेशन तथा खिला बोर्ड आदि के द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका स्वामित्व भी इन्हीं संस्थाओं के हाथ में होता है। ये मंडियाँ प्रायः १० से ४० मील की दूरी पर होती हैं और ऐसे स्थानों पर होती हैं जहाँ कि सड़क सम्बन्धी, बैंक सम्बन्धी, यातायात सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

भारतवर्ष में इन मंडियों की संख्या लगभग १७०० है। ये मंडियाँ नियमित तथा अनियमित दोनों ही प्रकार की होती हैं।

फुटकर बाजार

ये फुटकर बाजार शहर अथवा देहात के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं। इन बाजारों में फुटकर विप्रेता और उपभोक्ता में सीधा सम्बन्ध होता है। इनका स्वामित्व फुटकर व्यापारियों के हाथ में होता है और इनका नियमन स्थानीय सरकारों जैसे जमींदारों और पंचायतों द्वारा होता है। इन बाजारों में लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और आसपास के गाँवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है।

मेले तथा प्रदर्शनियाँ

अनादिकाल से भारतवर्ष में मेले तथा प्रदर्शनियाँ देश के विभिन्न भागों में लगते रहते हैं। प्रायः मेले धार्मिक त्योहारों के उत्सव में तीर्थ-स्थानों पर लगते हैं। जैसे प्रयाग में माघ मेला, गढ़मुक्तेश्वर में काविकी स्नान मेला, श्रु जी का मेला (बलिया), बटेश्वर का मेला (आगरा) आदि। अन्य मेले आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से लगाये जाते हैं। भारत में १७०० से अधिक पशुओं तथा कृषि-उपज के मेले

लगते हैं। इनमें से ५०% के लगभग पशु-सम्बन्धी, ४०% कृषि उपज सम्बन्धी तथा शेष १०% पशु तथा उपज सम्बन्धी होते हैं। इन मेलों तथा प्रदर्शनियों का सगठन जिला अधिकारियों, स्थानीय सस्थाओं अथवा निजी सस्थाओं द्वारा होता है।

(५) उपज विपणन

ये बाजार कृषि उपज के सबसे बड़े बाजार होते हैं यहाँ पर थोक में कृषि उपज का क्रय विक्रय होता है। ये देश के प्रमुख केन्द्रों में स्थापित हैं। इनका नियमन व्यापारिक सस्थाओं द्वारा होता है। इनका विस्तार में अभ्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

कृषि उपज के विपणन की विधि

मास्तवप में कृषि वस्तुओं की विप्री तीन प्रकार से होती है -

(१) गुप्त विधि द्वारा (By Under Cover),

(२) नीलाम के द्वारा (By Auction), तथा

(३) निजी समझौता द्वारा (By Private Agreement)

ये उपरोक्त क्रियाएँ भारतीय कृषि विपणन में प्रायः अपनाई जाती हैं चाहे कृषि विपणन की पद्धति किसी भी प्रकार की हो। बहुधा, कृषि विपणन की निम्नलिखित पद्धतियाँ भारतीय प्रामों में अपनाई जाती हैं -

(१) गाँव में बिक्री

(२) किसान के द्वारा माल स्वयं गाँव से बाजार को ले जाना

(३) मंडियों में बिक्री।

गाँव में बिक्री

नबोधित स्वतंत्र भारत का कृषक आज भी दरिद्रता की गोद में शयन कर रहा है। उसके पैतृक ऋण, सामाजिक रीति रिवाज, जैसे विवाह, मुहन, यशोपर्वत आदि तथा सरकारी भूमिकर जिनमें लगान, सिंचाई आदि आते हैं, उसको अपनी फसल बेचने के लिए विवश कर देते हैं। इस विवशता का पूरा पूरा लाभ साहूकारों और जमींदारों को प्राप्त है। सच तो यह है कि ऋणी किसान अपनी उपज को बेचल खेत से खलिहान तक ही लाता है और खलिहान से ही ऋण की अदायगी में उसका अधिकार छिन जाता है। गाँव में कृषि उत्पादन का क्रय करने वाले—जमींदार, साहूकार, बनियार, फेरी वाले तथा अन्य महाजन हैं। कभी कभी धार्मिक त्योहारों पर लगने वाले मेलों में भी कृषि उत्पादन का क्रय विक्रय किया जाता है। अथवा वे छोटी छोटी हाटें जो सातवें या पंद्रहवें दिन लगा करती हैं, उनमें कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग बँच दिया जाता है। इस प्रकार से गाँव में बिक्री प्रतिकूल समय, प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिकूल वातावरण का ज्वलत उदाहरण है।

(२) किसान के द्वारा माल स्वयं गाँव से बाजार को ले जाना—उन किसानों की संख्या अल्प होती है जो अपने कृषि उत्पादन को गाँव से ले जाकर बाजार में बचते हैं। ये किसान या तो जमींदार होते हैं या बड़े पैमाने के कृषक होते हैं जिनके पास यातायात के साधन के रूप में घर की बैलगाड़ी होती है अथवा किसान, पशु, गधे, खच्चर, ऊँट, घोड़े आदि से माल बाजार तक पहुँचाने की सामर्थ्य होती है। फिर भी सड़कों के अभाव में यातायात का व्यय इतना अधिक हो जाता है कि उत्पादन के मूल्य का २०% भाग किराये के रूप में व्यय हो जाता है। माल को इन बाजारों तक लाने में अनावश्यक मध्यस्थों का व्यय भी बढ़ जाता है।

(३) मड़ियाँ म चिन्नी मड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं—नियमित (Regulated) तथा (२) अनियमित (Unregulated)।

नियमित मड़ियाँ अनियमित मड़ियों से कहीं अच्छी होती हैं। इनमें प्रमाणित माँट हान ई तौलनेवाले, सफाई करने वाले, तथा अथ कार्य व्यवस्था को मुचररूप से धनाये रखने वाले लाइसंस प्राप्त होते हैं। फिर भी दलाल, कच्चा अदविया, पक्का अदविया आदि जैसे मध्यस्थ उपज का एक बड़ा अंश अपनी जेब में रख लेते हैं।

वही नहीं अनियमित मड़ियों में नार तौल के न तो माँट ही शुद्ध होत हैं और न उनके समय का ही निश्चय होता है। इस प्रकार की मड़ियों के कार्यकर्ता को किसी प्रकार का लाइसंस भी नहीं दिया जाता है तथा जा रकम कमीशन, दलाली, तौलाइ और धमाँदा के रूप में काटी जाती है, वह भी नियमित नहीं होती है। वहाँ पर उत्पादन का मूल्य गुप्त षधि द्वारा होता है जिसका प्रमुख गुण्य क्रेता और विक्रेता की आर्खा में धूल भङ्कना होता है।

कृषि विपणन के दोष

भारतीय कृषि विपणन की जो पद्धतियाँ इस समय अपनाई जाती हैं वे बहुत ही दायपूर्ण एवं असतापन्नक हैं। इन दोषों का निवारण कृषि विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कृषि विपणन के दाय निम्नलिखित हैं —

- (१) संगठन का अभाव (Lack of Organisation)
- (२) बलात् चिन्नी (Forced Sales)
- (३) निरर्थक मध्यस्थ (Superfluous Middlemen)
- (४) विविध व्यय (Multiplicity of Charges)
- (५) बाजार में धोखाधड़ी (Malpractices in the Market)
- (६) नार तौल के प्रमाणित पैमानों का अभाव,
- (७) श्रेणीयन तथा प्रमाणीकरण का अभाव,
- (८) निम्नकोटि की उपज तथा मिलारट,

- (६) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव
- (१०) सप्रहालय सुविधाओं का अभाव
- (११) यातायात के साधनों का अभाव
- (१२) वित्तीय सुविधाओं की दुर्लभता

(१) संगठन का अभाव—कृषि विपणन का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि कृषि उत्पादकों में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं पाया जाता। कृषि उपज, विशेषतः व्यापारिक उपज जैसे जूट, कपास, तिलहन आदि के खरीदार बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं को खरीदते हैं और भली प्रकार से संगठित होते हैं। इसके विपरीत इन फसलों के उत्पादक छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं और दूर-दूर तक छितरे-बितरे होते हैं। अतः इन लोगों में ऐसा कोई संगठन नहीं होता जिससे वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकें। फलतः व्यापारिक लोग इन बेचारे उत्पादकों का शोषण मनमाने ढंग से करते हैं।

(२) बलात विक्री—आर्थिक परिस्थिति शोचनीय होने के कारण किसान को अपनी उपज को प्रतिकूल स्थान पर, प्रतिकूल मूल्य पर तथा प्रतिकूल समय पर बेचना पड़ता है। इस दयनीय परिस्थिति के कारण हैं—(१) कि ऋणग्रस्त होने के कारण फसल कटते ही ऋणदाताओं को कम मूल्य पर बेचे जाने के लिए विवश करना, (२) सतोषजनक यातायात एवं सवादावाहन के साधनों का अभाव; (३) लगान तथा अन्य व्ययों को चुकाने की शीघ्रता; तथा (४) देहलों में सङ्ग्रहालयों का अभाव होना।

(३) निरर्थक मध्यस्थों की शृंखला—अधिकांश किसान अपनी फसल गाँव में ही बेच देते हैं। अतः उस फसल को गाँव से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए अनेक मध्यस्थों की आवश्यकता होती है और अततः मध्यस्थों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उपज का अधिकांश भाग मध्यस्थों की जेब में चला जाता है। उदाहरणार्थ एक अनुमान के अनुसार चावल के मूल्य के रूप में उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रत्येक रुपये में से केवल ८३ आने और गेहूँ के मूल्य के प्रत्येक रुपये में से केवल ६३ आने ही उत्पादक को मिल पाते हैं।

(४) विविध व्यय—मंडी में उपज को बेचने के लिए किसान को अनेक प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है और विविध निरर्थक व्ययों को भी चुकाना पड़ता है। सबसे पहले किसान को एक दलाल के सम्पर्क में आना पड़ता है जो उसका परिचय कच्चे अद्वितीया से कराता है। दलाल की दलाली और अद्वितीये की आदत चुकाने के पश्चात् किसान को अनेक अन्य व्यय भी चुकाने पड़ते हैं जैसे, तुलार्डि, पल्लेदारी, गर्दा, धर्मादा, घाता तथा दाना आदि।

यू० पी० रैफ़िंग बाँच समिति के अनुमान के अनुसार सौ रुपये की मूल्य की उपज में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों जैसे हापुड में २ ६० ६ आने, गाजियाबाद

में ४ स० ३ आने, हाथरस में ४ स० १३ आने, आगरा में ५ स० १ आना ६ पाइतण प्रतापगढ़ में २ स० १३ आने व्यय के रूप में चुकाने पड़ते हैं।

• (५) बाजार में धोखाधड़ी—वर्तमान कृषि उपज विपणन का एक और महान् दोष बाजार में धोखाधड़ी की क्रियाएँ हैं। यह धोखाधड़ी तीन प्रकार से की जाती है। प्रथम अद्वितीय तथा दलाल क्रेता और विक्रेता दोनों का कार्य करते हैं। अर्थात् वे दोनों से ही अपना उल्लूखीया करते हैं। द्वितीय परदे के अदर क्रेता और विक्रेताओं से छिपाकर वस्तुओं के मूल्य तय करते हैं। इस पद्धति का एक मात्र गुण क्रेता और विक्रेताओं को धोखा देना है। तृतीय बेचारे किसान विक्रेता से अनेक प्रकार से गुरुक और सब्जें जैसे कमीशन, पल्लेदारी, तुलाई, धमादा, गदा, दाना आदि अनिवार्य रूप से वसूल किये जाते हैं और यह पूरी धन राशि उसकी रकम से पहले ही काट ली जाती है।

(६) नाप तौल के प्रमापित पैमाने का अभाव—भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर से लेकर पश्चिम तक वहाँ पर भी नाप-तौल के पैमानों में एकादीयता नहीं पाई जाती है। कृषि पर शाही आयोग ने बम्बई प्रदेश के पूर्वा खानदेश के १६ पूर्वी बाजारों में पर्यवेक्षण करके पता लगाया कि वहाँ पर मन (maund) १३ प्रकार का पाया जाता था जो कि २१ $\frac{1}{2}$ सेर से लेकर ८० सेर तक के प्रचलित थे। मध्य प्रदेश में नाप तौल के पैमाने 'मणि' 'किन्ना' तथा 'खाण्डी' के नाम से प्रचलित हैं जिनका वजन विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। असम में चावल की नाप तौल विभिन्न प्रकार की टोकरीयाँ द्वारा होती है।

नाप तौल के विभिन्न पैमानों का प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है। प्रथम इसके द्वारा मोले भाले किसानों को आसानी से ठगा जा सकता है, द्वितीय इसके द्वारा एक बाजार से दूसरे बाजार तक मूल्य बहुत ही निरर्थक बढ़ितलाए जा जाते हैं जो कि व्यवसाय एवं वाणिज्य के हित में नहीं होती। तृतीय कृषि उत्पादन के मूल्य सम्बन्धों अर्थात् एकत्रित करने में कठिनाई होती है।

(७) कृषि उपज के श्रेणीयन एवं प्रमापनकरण का अभाव—कृषि उपज के श्रेणीयन तथा प्रमापनकरण के अभाव में भारतीय वस्तुओं का मान अन्य देशों की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। निर्मात सम्पर्कन समिति १९४६ ने भी सरकार का ध्यान निम्न कोटि (quality) के भारतीय निर्यातों की ओर आकर्षित किया था। समय-समय पर अनेक समितियाँ इस दोष की ओर इंगित करती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस ओर ध्यान अवश्य दिया है।

(८) निम्न कोटि की उपज तथा मिलावट—भारतवर्ष में वस्तुओं की बनाते समय अनेक प्रकार की मिलावटें (adulterations) कर दिये जाते हैं।

जैसे—अनाज में पानी डाल देना, मिट्टी-बूड़ा डाल देना आदि जिससे वजन बढ़ जावे। यही नहीं वस्तुओं को उत्पन्न करते समय उसकी किस्म सुधारने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(६) मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव—भारतीय कृषि विपणन का एक अन्य दोष यह भी है कि कृषि उत्पादकों को वस्तुआ के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में शीघ्र सूचना नहीं मिल पाती। गाँव का बनिया ही अधिकांशतः सूचना का केन्द्र होता है जो कि सर्वत्र अपने हित में ही मूल्य रक्ताता है।

(१०) सप्रहालय सुविधाओं का अभाव—भारतीय कृषि-उत्पादकों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए सप्रहालय सुविधाओं का अभाव होता है। वे शायद अपनी उपज को गड्ढा, खत्तियों तथा कोठियाँ आदि में रखते हैं। ये अवैज्ञानिक रीति से होने होने के कारण चूहे, घुन, पारं, दीमक आदि हानिकारक जंतुओं से अनाज को रक्षा नहीं कर पाते और देश को करोड़ों रुपये का प्रति वर्ष नुकसान उठाना पड़ता है।

(११) यातायात के साधनों का अभाव—देश में अब भी यातायात के साधनों का बहुत अभाव है। अधिकांश ऐसे ग्राम हैं जिनके आसपास न तो कोई रेल की ही व्यवस्था है और न मोटर यातायात की ही। फलतः किसान अपनी उपज को गाँव से मण्डियों तक ले जाने में असमर्थ रहता है और उसे विचर होकर गाँव के लोगों को कम मूल्य पर ही उपज बेच देनी पड़ती है।

(१२) वित्तीय सुविधाओं की दुर्लभता—कृषि-उत्पादकों को वित्तीय सहायता पहुँचाने वाली संस्थाएँ अधिकांशतः देशीय बैंक अथवा महाजन होते हैं। ये लोग अत्यधिक ऊँची दर पर अग्रिम अथवा ऋण देते हैं जिससे कृषि उपज की लागत बढ़ जाती है और अतः कृषि उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है।

कृषि-विपणन का सुधार

भारतीय कृषि-विपणन में अनेक दोष होने के कारण उनमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब अन्न से भरी गाड़ी लेकर किसान गाँव से ~~चला~~ है तो वह सुशी से भूम उठता है परन्तु मंडी में पहुँच कर जब एरीदार उसे मूल्य चुकाता है तो उसकी सभी आशाओं पर तुलारापात हो जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश मण्डियों में अनेक प्रकार की अनुचित क्रियाएँ होती हैं जिनका वर्णन विस्तार से पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अतः देश के अन्नदाता किसान की सहायता करने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है और पिछले कुछ वर्षों से इस ओर सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयास भी किये गये हैं।

भारतगर्भ में कृषि विपणन का विकास करने के लिए सर्व प्रथम सन् १९३५ में

सरकार ने केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय (Directorate of Marketing Inspection) की स्थापना की। यह निर्देशालय विभिन्न राज्यों में इसके प्रतिकार्या (counterparts) के माध्यम से कार्य संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा बुझाये गये मूल्य का अधिकांश भाग किसान को मिले। इस प्रयोज्य को पूरा करने के लिए मण्डियों का नियंत्रित करने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है और किसानों को वस्तुओं के संग्रहण (Pooling), विधायन (Processing) और वर्गीकरण (Grading) के उचित तरीकों के बारे में समझाया जाता है।

विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय के कार्य (Functions of Directorate of Marketing and Inspection)

(१) यह निर्देशालय अखिल भारतीय आधार पर कृषि उत्पादनो का विपणन सम्बन्धी सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर वे सूचनाएँ तैयार की जाती हैं जिनसे विकास कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

(२) कृषि उत्पादन (वर्गीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत वर्गीकरण प्रतिमान (Grade Standards) निश्चित करके वर्गीकरण कन्ट्रा के संगठन द्वारा यह निर्देशालय वर्गीकरण को प्रोत्साहन देता है।

(३) यह निर्देशालय राज्य सरकारों को नियंत्रित मण्डियों की स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श देता है और विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन विपणन अधिनियमों के परिपालन में समन्वय रखता है।

(४) यह ध्वनसाय द्वारा अपनाये जाने के लिए प्रमाणी (स्टैंडर्ड) शर्त तय करता है।

(५) यह फल उत्पादन आदेश १९५५ के अन्तर्गत फलों से बनी वस्तुओं के गुण (जालिटी) नियंत्रण का कार्य करता है और फल परिवहन उद्योग के विकास में सहायता करता है।

(६) यह कृषि विपणन में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(७) यह भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और खाद्य और कृषि मन्त्रालय की वस्तु समितियों के लिए विपणन विषयक सभी परामर्श देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि एफ.ओ.ए.ओ. (F A O) और इकाफ (ECAFE) से सम्पर्क रखता है।

सर्वेक्षण (Surveys)

सन् १९३५ में विपणन और निरीक्षण निर्देशालय का स्थापना के तुरन्त बाद बाजार की अस्थिरता का सर्वेक्षण करने के लिए कदम उठाये गये क्योंकि यह अनुभव

किया गया था कि विपणन विकास का कोई भी कार्यक्रम देश के विभिन्न बाजारों में प्रचलित व्यवहार सम्बन्धी पूर्ण और व्यापक सूचनाओं के अभाव में न तो बनाया ही जा सकता है और न कार्यान्वित ही किया जा सकता है।

अब तक ४१ कृषि-उत्पादनों सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें अन्न व दालें (५) पशु-धन और पशु जन्य वस्तुएँ (१२) और विशेष उपज (२४) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त १० मुख्य वस्तुओं का पुनः सर्वेक्षण हो चुका है और उन पर सशोधित रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन अथवा विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले १३ विशेष बुलेटिन और ब्रोशर प्रकाशित किये गये हैं।

इन रिपोर्टों में प्रत्येक वस्तु के निम्न पहलुओं पर जानकारी दी गई है :—

(१) उत्पादन;

(२) देश की आन्तरिक खपतें और निर्यात के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक माँग;

(३) कीमतें और कीमतों का फैलाव;

(४) प्रतिमानीकरण;

(५) मडियाँ, मडीशुल्क और मडियों में विपणन की विभिन्न अवस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी;

(६) खर्चों के अनुसार वितरण व्यवस्था;

(७) बाजार व्यवहार में सुधार की सिफारिश।

ये रिपोर्टें समस्त देश में हो रहे विकास कार्यों का आधार बनाती हैं। विपणन सर्वेक्षणों से जिन अनुचित व्यवहारों का भेद खुला है, उनके निवारणार्थ निम्न कानून बनाये गये हैं :—

(१) फॉरवर्ड ट्रेडिंग का नियन्त्रण;

(२) प्रमाणिक नाप-तोल लागू करना;

(३) लाइसेंस प्राप्त गोदामों की स्थापना और

(४) मडियों का नियन्त्रण।

वर्गीकरण और प्रतिमानीकरण -

वर्गीकरण से खरीदार और विक्रेता दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलती है। उपरोक्त को इच्छानुसार श्रेष्ठ कोटि की वस्तुएँ मिल जाती हैं और उत्पादक को उसकी उपज का उचित मूल्य। दोनों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से भारत सरकार ने कृषि उत्पादक (वर्गीकरण एवं विपणन) अधिनियम १९३७ पास किया जिसके अनुसार कृषि विपणन सलाहकार को अधिकार दिया गया है कि वह कृषि उत्पादों

की निम्नलिखित किस्मों और प्रकारों का प्रतिमान निर्धारित करे और गुण (quality) सूचक वर्गानुसूक्त चिह्न निश्चित करे।

इसके अनुसार ऐसी भी व्यवस्था है कि निरीक्षण और विपणन निर्देशालय उनयुक्त व्यक्तियों और संगठित संस्थाओं को निर्धारित प्रतिमान के आधार पर वर्गीकरण और चिह्नान्कन करने का अधिकार—प्रमाण-पत्र जारी कर सके। इस प्रकार वर्गीकृत वस्तुओं पर एगमार्क लगाया जाता है।

एकत्र करने वाले, उपभोग करने वाले और वितरण करने वाले बाजारों से प्रमुख व्यावसायिक किस्मों का प्रतिनिधि नमूने लिये जाते हैं और उनके विश्लेषक परिणामों के आधार पर प्रारूप विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं। भारत और विदेशों के व्यापार हित रक्षकों, राज्य सरकार और सम्बद्ध पक्षां से राय कर इन प्रारूप विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस निर्देशालय ने ११५ ट्राप उत्पादनों का प्रतिमान तैयार कर लिये हैं। आनश्यकता पढ़ने पर इन विशिष्टियों में आनश्यकतासुधार संशोधन कर लिया जाता है ताकि उनको व्यापार की नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुकूल रखा जा सके।

देश का आंतरिक उपभोग के लिए निम्न प्रमुख वस्तुओं का एगमार्क के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया है—ची, वनस्पति तेल, काएलानों का बना मक्खन, अद्रे, चारल, आटा, कपास, गुड़, देशी शक्कर, फल (आम, नारंगी, नींबू, अमूर, सेब आदि)।

मुख्यतया निर्यात के लिए वर्गीकृत की हुई वस्तुएँ ये हैं—तम्बाकू, सन, आवश्यक तेल (चन्दन, लैमनग्रास, तल) उन और मुअर के ताल।

देश के आन्तरिक उपभोग के लिए काम आने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण ऐच्छिक होता है। लेकिन निर्यात के लिए जिन विशिष्ट वस्तुओं की आशा की जाती है, 'सी कस्टम्स एक्ट १८७८' के अनुच्छेद १६ के अन्तर्गत उनका वर्गीकरण आवश्यक बनाया जा सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय आवाजना में व्यवस्था की गई है कि काली मिर्च, सोंठ इलायची, वनस्पति तेल, हाथ से तोड़ी जाने वाली मूँगफलियाँ, हड्डियाँ और चमड़ा, रंगा हुआ चमड़ा, सेनर की रूंद और आँवला जो कि विदेश भजने के लिए हो, का आवश्यक रूप से वर्गीकरण किया जायगा।

वर्गीकरण कार्य के विस्तार और गुण नियंत्रण की प्रभावशाली व्यवस्था नमूने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि पृथक् प्रयोगशालाएँ स्थापित की जायें। दूध एवं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नागपुर में एक राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला और वानपुर, राजकोट, कांचान, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मैसूर और अमृतसर में प्रत्येक स्थान पर एक एक यानी कुल आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

वर्गाकरण का परिणाम कासी सतोपजनक रहा है। उदाहरण के लिए १९५३ ५४ में वर्गीकृत कपास ७ गांठों की सख्या पाँच हजार था, जिनका मूल्य लगभग २ कराड़ रुपये था। यह सख्या १९५५ ५६ में बढ़ कर २ ५३ लाख गांठों हो गई, जिनका मूल्य १२ कराड़ रुपये था। इसी प्रकार वर्गीकृत धी का परिमाण १९४२ में ६२००० मन से बढ़ कर १९५६ में १ ५ लाख मन हो गया। देश ७ अरब अन्न उपभोक्ता एगमार्क को शुद्धता और गुण का प्रतीक मानते हैं। वस्तुओं के वर्गीकरण के नमूने देने और परीक्षण कराने में कुछ खर्चा होता ही है। यह प्रतिरिक्त खर्चा एगमार्क लेजिल लगाने से और शुद्धता और गुण की विश्वसनीयता प्रदान करने से पूरा हो जाता है।

गुण (Quality) नियंत्रण

रिदेशों को निर्यात करने के लिए जो धी या अन्य सामग्री तैयार होती है, उसके वर्गीकरण के समय और वर्गीकरण के बाद भी गुण नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि सामग्री निष्ठागित विशिष्टिवा ७ अनुरूप ही हो इसके लिए निम्न लिखित कदम उठाये जाते हैं —

(१) कच्चे माल को ढँक कर रखा जाता है ताकि उसमें धूल, कूड़ा या अन्य बाहरी तत्व न मिल पाये।

धी और बनस्पति तैला का अनिवार्य रूप से सैंप कर या रासायनिक परीक्षण भी किया जाता है।

(२) प्रोसेस करने, पैकिंग करने, लेजिल लगाने के समय कड़ी निगरानी रखी जाती है।

अन्न, सन, उन और मुग्रर के गालों के सम्बन्ध में स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता है। धी, बनस्पति तैला, मक्खन तैयार करते समय माल को इकट्ठा कर उसे समरस न्ना देते हैं। यह समरसता की प्रक्रिया यागर रासायनिकों की देल रेल में होती है।

(३) नियंत्रण प्रयोगशालाओं में त्रिलेपक परीक्षण—वर्गीकरण केन्द्रों से आये प्रतिनिधि नमूनों के प्रतिरूपों का इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

(४) नमूनों का परीक्षण—विपणन कर्मचारी राजार से नमूने एकत्र कर लेते हैं और उन नमूनों के गुण नम्बर नियत कर देते हैं। ये नमूने फिर विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिपोर्ट के लिए भेज दिये जाते हैं। उपयुक्त तीन में वर्णित रिपोर्टों से उनकी फिर जांच की जाती है।

नियंत्रित मडियाँ

किसानों को मध्यस्था की चालबाजी से बचाने के लिए वह अनुभव किया गया कि देश में नियंत्रित मडियों की स्थापना की जाय जहाँ के अरानी पैदावार का ईमानदारी पूर्वक और उचित तयक से मोलभाव कर सकें, वहाँ स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना हो,

उसके साथ न्यायपूर्ण धर्तान किया जाय और वहाँ अवशेष के रूप में उनकी आवाज की मान्यता हो।

इस प्रकार की व्यवस्था करने की दृष्टि से बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल और उड़ीसा राज्यों में 'राज्य रूप पैदावार रिश्वी अधिनियम' लागू किये गये हैं। अन्य राज्यों में भी शीघ्र ऐसी व्यवस्था की जाने की आशा है। जो मंडियाँ इन नियमों के अधिनियमों के अन्तर्गत आती हैं उन्हें नियंत्रित मंडियाँ कहा जाता है।

सार देश में पैली हुई १,८०० मुख्य मंडियों में से उपरोक्त राज्यों में (केरल को छोड़कर) ५२३ मंडियाँ नियंत्रित की जा सकी हैं। आशा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ५०० मंडियाँ और नियंत्रित की जा चुकेंगी।

नियंत्रित मंडियाँ में प्रजातान्त्रिक विद्धात पर कार्य होता है। मन्-प के लिए 'मिति' बनाई जाती है जिसमें उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय निवासी (Local Bodies) के प्रतिनिधि और राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अधिकांशतया उत्पादकों को इन समितियों में बहुमत प्राप्त है। कई स्थानों पर उत्पादकों का प्रतिनिधि अल्पसंख्य भी निर्वाचित हो गया है।

इन नियंत्रित मंडियों से प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ है कि मंडी शुरू, जिसमें २८ प्रतिशत से लेकर ६६% तक मिलता है, में कमी हो गई है। इसके अलावा खुली नीलाग्री में अपनी पैदावार बेचने से किसान को मूल्य अधिक प्राप्त होता है। देखा गया है कि इन मंडियाँ में बेचने से किसान को १०० रुपये के माल पर २ से ५ रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है।


प्रशिक्षण (Training)

विभिन्न विपणन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कृषि विपणन कर्मचारियों की अत्यावश्यकता है। यह इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा नहीं है।

१९५५ में इस दिशा में आरम्भिक प्रयत्न किया गया था जब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशुपालन शाखा व उत्पादकान म निर्देशालय में पशुधन विपणन का विशेष कार्य शुरू किया गया। बाद में भारत सरकार ने विस्तृत प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति दे दी थी, जिसमें पशु जन्य वस्तुओं व अतिरिक्त कृषि उत्पादनों के विपणन में प्रशिक्षण देना सम्मिलित कर लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ३० ठम्मीदारों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण

भारत नियंत्रित मंडियों का वितरण



देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

अनुबन्धों का प्रमाणीकरण

केन्द्रीय कृषि-विपणन विभाग द्वारा गेहूँ, तिलहन, मूँगफली, वनस्पति धी के लिए प्रमाणित अनुबन्ध शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं।

बाजार सूचना सेवा

वस्तुओं की मूल्य सूचक तथा परिवर्तनों सम्बन्धी विपणन सूचनाओं को आल इंडिया रेडियो (A. I. R.) द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। ग्रामीण कार्यक्रम में बाजार बन्द होने के समय के मूल्य प्रसारित किये जाते हैं।

केन्द्रीय स्तर पर सूचना सेवा के अन्तर्गत निम्न सूचनाएँ दी जाती हैं—

(अ) A. I. R. से नित्य हापुड़ मार्केट मूल्यों का प्रसारित करना,

(ब) A. I. R. द्वारा साप्ताहिक मार्केट रिपोर्ट को प्रसारित करना;

(स) मासिक पत्रिका 'भारत में कृषि स्थिति' (Agricultural Situation in India) तथा साप्ताहिक एव सामयिक मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं को सरकारी उपयोग के लिए प्रकाशित करना।

समितियों की नियुक्ति

कृषि वस्तुओं के उत्पादन तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी केन्द्रीय समितियाँ नियुक्त की गई हैं, जैसे—

(१) इंडियन सेन्ट्रल कॉटेन कमेटी, बम्बई;

(२) इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता,

(३) इंडियन सेन्ट्रल टोबैको कमेटी, मद्रास;

(४) इंडियन सेन्ट्रल आयल सीड्स कमेटी, नई दिल्ली;

(५) इंडियन सेन्ट्रल कोकोनट कमेटी, इर्नाकुलाम,

(६) इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी, नई दिल्ली;

(७) इंडियन सेन्ट्रल लेक (Lac) सेस कमेटी, राँची;

(८) इंडियन सेन्ट्रल ऐरेकोनोट कमेटी, कोजीकौडे;

(९) आल इंडिया कैडिल शो कमेटी, करनाल, पंजाब।

सम्रहालयों (Warehousing) की व्यवस्था—कृषि विपणन में सुगर लाने के उद्देश्य से कनाडा और यू० ए० ए० के आधार पर भारतवर्ष में भी सम्रहालयों की व्यवस्था की गई है। जून १९५६ में संसद द्वारा एक अधिनियम Agricultural Produce Development and Warehousing Corporation Act पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार Central Ware

दूध प्राप्त होता है और इनके द्वारा अधिकांश मधुवन निर्यात किया जाता है। नार्वे में ८० से ६० प्रतिशत तक दुग्ध बिक्रेता सहकारी दुग्धशालाओं के सदस्य थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग २० हजार 'कृषक विपणन तथा क्रय परिषद्' थे जिनकी सदस्यता ४० लाख थी। कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा न्यूजीलैण्ड में भी सहकारी विपणन का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में सहकारी विपणन समितियाँ

सर्वप्रथम भारतवर्ष में सन् १९१२ में सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत सहकारी विपणन समितियों को स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। ये समितियाँ बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाती हैं। उद्देश्या के अनुसार इन समितियों को ४ भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) कृषि उपज का क्रय विक्रय करने वाली समितियाँ,
- (२) कृषि उत्पादन और विक्रय समितियाँ,
- (३) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय की समितियाँ
- (४) कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन का क्रय विक्रय करने वाली समितियाँ।

यद्यपि भारतवर्ष में सहकारी विपणन समितियाँ का जन्म काफी देर से हुआ फिर भी आज भारत के विभिन्न राज्यों में सहकारी विपणन समितियाँ में काफी उन्नति हुई है। बिहार में सहकारी विपणन समितियाँ की संख्या सबसे अधिक है। ये समितियाँ अधिकतर गन्ने की बिक्री से सम्बन्धित हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान बिहार के पश्चात् आता है। यहाँ गन्ने और घी की सहकारी विपणन समितियाँ सबसे अधिक हैं। सदस्यों की संख्या की दृष्टिकोण से घ मास की बिक्री के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है और इस क्षेत्र में इसके पश्चात् बम्बई का स्थान है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियाँ

कृषि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक सम्पन्न राज्य है। व्यापारिक फसलों में गन्ने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के साथ साथ गाँव में पशुपालन प्रायः सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है, जिससे घी और दूध की बिक्री के द्वारा हमारे राज्य के किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी विपणन समितियों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिनमें से तीन प्रकार की समितियों को विशेष रूप से। ये समितियाँ हैं साधारण विपणन समितियाँ, घी समितियाँ तथा गन्ना समितियाँ। गन्ना सहकारी विपणन समितियों को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। शक्कर कारखानों की गन्ने सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं का लगभग ८५% से ९६% तक गन्ने की पूर्ति इन समितियों द्वारा की जाती है। प्रत्येक कारखाने के फाटक पर एक गन्ना सप हाता है। सन् १९५७-५८

में सरकार फायदानों ने कुल २५.८२ करोड़ मन गन्ना पर, जिसका ६६.६% अर्थात् २५.०१ करोड़ मन गन्ना सहकारी सर्वा ने पटुनाया। सहकारी सर्वा की निजी और कायरेत पूँजी सन् १९५७ ५८ में क्रमशः ३३२ ७६ लाख रुपये ४७६ ७२ लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश में सात सहकारी टुंग सन हैं जो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में स्थित हैं। सन् १९५७ ५८ में टुंग सर्वा ने २.६६ लाख मन दूध इकट्ठा किया। लखनऊ, इलाहाबाद, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में सब प्रयोगशील हैं जब कि कानपुर, वाराणसी, मेरठ को अपने काम में हानि हुई है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी की समितियाँ भी कम महत्व की नहीं हैं। इन समितियों का संगठन 'एक गाँव में एक समिति' के सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। कद भी व्यक्ति का गाँव रहना है अथवा अपने का इच्छा रहता है इन समितियों का सदस्य हो सकता है। ये समितियाँ अपने सदस्यों से दूध, अन्य वस्तु आशर पर ली जाती हैं। इन समितियों का स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की गई है जहाँ धीरे धीरे का उत्पादन अधिक होता है। सहकारी के पास एक अनुसंधानशाला होती है जिसमें सदस्यों के पी की जाँच की जाती है और परामर्श करने वाले सदस्यों को सजा दी जाता है।

इसी प्रकार दस के अलावा म.प्र. में भी सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई है जिन्होंने हमारा ट्राप विपणन की व्यवस्था के अनेक शर्तों का दूर कर दिया है। सहकारी विपणन समितियों द्वारा प्राप्त लाभ सञ्चय में निम्नलिखित हैं —

- (१) विपणन का लागत में मित-व्ययता,
- (२) उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है,
- (३) वस्तुओं का विस्म में मुधार,
- (४) सामूहिक सोदा करने का शक्ति के लाभ,
- (५) स्थाई पूर्ति और मूल्य का स्थिरकरण,
- (६) सस्ता अथ व्यवस्था।
- (७) किसानों का व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान और सुसलता की शिक्षा प्राप्त होता है।

सहकारी विपणन संस्थाओं की सफलता के लिए आवश्यक तत्व

Richard Murphy म्हादय ने सहकारी विपणन संस्थाओं की सफलता के लिए अनेक महत्वपूर्ण शर्तों का वर्णन किया है संक्षेप में उनका स्वरूप इस प्रकार है —

- (१) निश्चित उद्देश्य का होना।
- (२) सहकारी विपणन संस्थाओं के स्थापित करने का उचित कारण और सन्तुष्टि आनन्दनता होना चाहिए।

(३) सहकारी विपणन संस्थाओं के द्वारा बेची जानेवाली वस्तुएँ सीमित होना चाहिए।

(४) सदस्यों की सहभागिता एवं स्वामित्व होनी चाहिए।

(५) सहकारी विपणन समितियों के द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक कार्य पर्याप्त होना चाहिए जिससे प्रति इकाई लागत निम्नतम हो।

(६) ऐसी वस्तुओं का विपणन करना चाहिए जिनका बाजार देशी तथा विदेशी दोनों हो।

(७) कुशल प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए।

(८) आदर्श एवं कुशल व्यक्तियों का नेतृत्व (leadership) होना चाहिए।

सहकारी विपणन समितियों की धीमी प्रगति के कारण

† उपरोक्त कारणों के होते हुए भी इन समितियों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण देश में सहकारी विपणन समितियों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाया है। इसका लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) पर्याप्त तथा कुशल तांत्रिक सलाह का अभाव,

(२) विपणन वित्त प्रदान करने में असुविधाएँ,

(३) सहकारी अधिकारियों में व्यापारिक योग्यता का अभाव,

(४) पर्याप्त संगठन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव,

(५) निर्यात प्रति के बाजार भावों की सूचना का अभाव,

(६) अल्पसंख्यक यातायात सुविधाएँ,

(७) नियंत्रित बाजार का अभाव,

(८) व्यापारियों द्वारा प्रतिव्योगिता,

(९) सदस्यों में स्वामित्व का अभाव, तथा

(१०) देश में सहकारिता के सिद्धान्त की उपेक्षा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य

* योजना काल में १० हजार से अधिक नए पैमाने को ग्राहक समितियाँ तथा १६०० विपणन समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता की तृतीय सभा (१९५६) में समितियों की स्थापना सम्बन्धी वर्षानुसार निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं —

वर्ष -	साल समितियाँ	विरयन समितियाँ
१९५६-५७	१,७१५	३१८
१९५७-५८	२,६८४	४७१
१९५८-५९	३,६००	६००
१९५९-६०	..	४११
१९६०-६१	२,४०१	...

प्रश्न

1. Mention briefly the difficulties of the Indian cultivator under which he sells his produce. What remedial measures have been adopted to remove these difficulties? *(Agra, 1966)*
2. Discuss the main problems of agricultural marketing in India. Suggest suitable remedies. *(Agra, 1911)*
3. What is the importance of co-operative marketing in the rural economy of India? What are the difficulties in making it more widespread and successful? Suggest remedies. *(Agra, 1917)*

अध्याय १२

भारत में अकाल

(Famines in India)

अकाल का अर्थ—अकाल का अर्थ समय की गति के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। प्राचीन काल में अकाल का अर्थ अन्न के अभाव और तदनुसार कष्ट और मृत्यु से लगाया जाता था। सन १८६७ में स्थापित अकाल आयोग (Famine Commission) ने भी अकाल शब्द की व्याख्या इन्हीं अर्थों से प्रभावित होकर की थी। “अकाल का अर्थ साधारणों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या का भूख से पाड़ित होना है।” * सामाजिक विज्ञान के विश्लेषण के अनुसार भी, “अकाल ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कि साधारण रूप से उपलब्ध साधन पूर्ति के अभाव के फल स्वरूप किसी क्षेत्र में जनता को तांत्र लुप्तानल का अनुभव होता है।” ** इसके विपरीत आधुनिक काल में अकाल का अर्थ, वस्तुओं की महंगाई, बेकारी, धनाभाव तथा यातायात के साधनों की अपर्याप्तता से लगाया जाता है। अधिक शब्दों में कथन यह कि अकाल ही अकाल का द्योतक है। आधुनिक अकाल मुद्रा के अभाव का सूचक है न कि साधनों के अभाव का, क्योंकि साधनों की कमी अन्न के अभाव के द्वारा दूर की जा सकती है। आधुनिक काल में किसी क्षेत्र विशेष में यदि अकाल पड़ जाता है तो उसका प्रभाव उसी क्षेत्र तक सीमित न रहकर सारे देश में ध्वनि तरंगों का भाव प्रसारित हो जाता है।

अकाल के कारण—अकाल के कारणों को अध्ययन की मुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष।

✓ प्रत्यक्ष कारण—इनके कारणों को तात्कालिक, आस्तिक, प्राकृतिक तथा मूल भूत कारण भी कहते हैं। संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है —

(१) अनापूर्ति (Drought)—साधारण रूप से कृषि इन्द्र भगवान की

* As suffering from hunger on the part of large classes of population — Famine Commission 1867

** The state of extreme hunger on the part of large classes of population (Encyclopedia of Social Sciences) Vol V, p 85

अनुकम्पा पर आधारित होती है। भारतवर्ष में यह तथ्य एक वट्ट सत्य है कि 'जिस वर्ष भी वर्षा का अभाव हो जाता है, कृषि उद्योग में नाला पड़ जाता है।' यही कारण है कि भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' (gamble in rains) की सजा दी गई है। औसत रूप में प्रत्येक ५ वर्ष में एक वर्ष सूखा तथा प्रत्येक दस वर्ष में एक वर्ष अनाज का वर्ष होता है।

(१) अतिवृष्टि (Excessive Rains)—अनाज पकने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण अतिवृष्टि है। जिस वर्ष आन्तरिकता से अधिक वर्षा हो जाती है उस वर्ष खेती का सर्वांश ही जाता है। अति वृष्टि होने से खेतों में पानी भर जाता है जो पत्तों पर लटकता जाता है। भारतवर्ष में यह दृश्य साधारण रूप से दृष्टिगोचर होता ही रहता है। इस प्रकार अनाजवृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही कृषि उद्योग की समृद्धि के लिए हानिकारक हैं।

(२) नाद एवं भूमि का कटाव—अति वृष्टि के फलस्वरूप नदियाँ और जलाशयों में नाद आ जाती है जो दूर दूर तक फसलों को नाद पर डालती है। इससे एक परिणाम यह भी होता है कि भूमि का कटाव तथा भूमि क्षय प्रारम्भ हो जाता है।

(३) प्राकृतिक प्रकोप—वैज्ञानिक तथा आर्थिक क्षेत्र में विद्युत् होने के कारण कृषि के दुश्मन जैसे टिट्टी, दीमक, चूहे, घुन तथा अन्य कीड़े-मकोड़े अपना दायें दिशाये बिना नहीं रहते। ओला, पाला तथा चक्रवात (cyclone) भी अपना परिचय कभी कभी दे जाते हैं। इसी कारण से भारतीय विज्ञान अति प्राचीन काल से भाग्यवादी (fatalistic) बना हुआ है।

अप्रत्यक्ष कारण—इन कारणों को आर्थिक, अर्थिक, तथा सर्वकालिक कारण कहते हैं। सचेत में इनका विवेचन निम्न प्रकार है —

(१) जङ्गलों की सफाई—वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिन स्थानों पर जङ्गल अधिक मात्रा में हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। यही नहीं बल्कि जङ्गल नाद, भूमि का कटाव तथा भूमि क्षय को भी रोकने में सहायक होता है। भूमि के प्रभाव तथा अदूरदर्शिता के कारण जङ्गल का नष्ट निर्दयता से किया गया आ रहा है। परिणामस्वरूप भूमि क्षय कर भूभूमि का रूप धारण करती जा रही है और नाद तथा भूमि कटाव अनाज उत्पादन क्षमता दिखलाने जा रहे हैं। जङ्गलों की उपयोगिता को समझने हुए उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राजगढ़ की वे० एम० मुशी ने वन महोत्सव प्रारम्भ किया था और अन्तर्गत वह एक पर्यटन रूप में माना जाने लगा है।

(२) भूमि की उपेक्षा शक्ति का कमिक्रमण—वैज्ञानिक उपचारों का प्रतिपालन न होने के कारण भारतीय भूमि की उन्मा शक्ति का क्रमशः क्षय होता जा रहा

अनाल की स्थिति उन्नत हो जाया करता थी। सामान्य प्रचार तथा धन के प्रचोभन से प्रेरित होकर राजा महाराजा लोग अन्य राज्यों पर आक्रमण किया करते थे और विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से सेना को नष्ट कर देते थे तथा लूट-पसोड करके वहाँ के आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते थे, फलतः लोग भूत से मरने लगते थे।

अकाल के प्रभाव—अनाल जन्य प्रभारा को लेखनी उद्घटना निराशा की मूर्ति को साकार करना है। इसके दुष्परिणाम आर्थिक, नैतिक और सामाजिक तीनों ही रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। इनका उचित निपटन इस प्रकार है—

(१) धन शक्ति का वित्ताश—अनाल के परिणामस्वरूप अस्वस्थ लोग काल के गर्त में चले जाते हैं। कहा जाता है कि १८७५-१९०० के बीच में लगभग ३ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। १९०१ में अनाल आयोग ने कर्नालीन अनाल के परिणामस्वरूप कालमरलित व्यक्तियों की संख्या ५० लाख आँकी थी। वरिष्ठ आधुनिकतम आँकड़े उल्लेख नहीं हैं तथापि भागी मृत्यु दर का अनुमान भली भाँति लगाया जा सकता है।

(२) सामाजिक विघटन (Social Disintegration)—अनाल का दुष्परिणाम केवल आर्थिक ही नहीं होता बल्कि सामाजिक भी होता है। इसके फलस्वरूप अनेक सामाजिक दण्ड उत्पन्न हो जाते हैं। वचकता विरमविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा १९४३ में का गई शोध के अनुसार मंगल के २४७% परिवारों का सामाजिक विघटन तत्कालीन अनाल के कारण हुआ। इस विभाग की रिपोर्ट पढ़ने से शत होता है कि इस अनाल में अस्वस्थ विधवाएँ, लड़कियाँ और अनाथ लालचों से घूम रहे थे। आर्थिक एवं भाव्य स्थिति ने युवा, वृद्ध स्त्रियों को अपना शील विक्रय के लिए मजबूर कर दिया था। पुत्रों ने अपनी स्त्रियों को मरवा दिया था, स्त्रियों ने अपने बीमार पतिवों को छोड़ दिया था, बच्चों ने अपने वृद्ध एवं अस्वहाय माताओं को त्याग दिया था तथा माताओं अपने घर-बार को छोड़ कर लालचों में घूम रहे थे।

(३) बेकारी की समस्या—अनाल के फलस्वरूप मजदूरों को एक मनुष्य की संख्या में बेकार हो जाना पड़ता है और उनकी नैतिकता भी कम हो जाती है।

* Husbands have driven away wives, and wives have deserted along husbands children have forsaken aged and disabled parents and parents have also left home in despair brothers have turned deaf ears to the entreaties of the hungry sisters and widowed sisters maintained for years together by the brothers have departed at the time of direct need Tales of such woes blacken the face of our records and show where civilisation stands when faced with the periodical needs of man"—Report of the Dept. of Anthropology of Calcutta University

अकाल में अर्थात् तथा अपौष्टिक भोजन मिलने के कारण अनेक भयानक रोग फैलते हैं जिससे जनसम्पत्ति की अत्यधिक हानि होती है।

(४) आर्थिक विकास में बाधा—अकाल के फलस्वरूप कृषि उद्योग में अनिश्चितता आ जाती है। कृषि सम्बन्धी क्रियाएँ लगभग समाप्त हो जाती हैं। किसानों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और अन्ततोगत्वा देश में आर्थिक विकास में बाधा पड़ जाती है।

(५) पशुसम्पत्ति की हानि—अकाल में न उपलब्ध राशियों का ही अभाव होता जाता है बल्कि भूखे और चारों की भी कमी हो जाती है जिससे फलस्वरूप हमारी कृषि के आधार पशुगण भी काल बलि हो जाते हैं। कहना न होगा कि पशुसम्पत्ति की हानि आर्थिक हानि होती है।

(६) राज्य की हानि—अकाल के दुष्परिणाम फल जनता जनाने को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि सरकार को भी प्रभावित करती हैं। अकाल निवारणार्थ बढ़ती हुई खर्च तथा घटती हुई आय मिल करके राज्य की अर्थव्यवस्था में अस्त व्यस्त कर देते हैं। इससे फलस्वरूप साधारण सामाजिक विकास भी रुक जाता है।

ऐतिहासिक मोमासा

अध्ययन की सुविधा के विचार से हम अकाल के इतिहास को पांच विभागों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) हिन्दू शासन काल,
- (२) मुस्लिम शासन काल,
- (३) ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन काल,
- (४) ब्रिटिश शासन काल, तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात्।

हिन्दू शासन काल—भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से अकाल अपना स्वरूप देते रहे हैं। कोई भी ऐसी घड़ी नहीं होगी जसने इन प्राकृतिक प्रकोपों की लीला न देखी हो। अतः भारतवर्ष को लोग कहानत के रूप में 'अकालों का देश' भी कहते हैं। हिन्दू काल में भारत में ऐसा कोई भी अकाल नहीं पड़ा जिसको देश व्यापी अकाल कहा जा सके। इस काल में सबसे पहला अकाल सन् ६५० ई० में पड़ा। इससे पश्चात् क्रमशः सन् ६४१, १०२२, तथा १०३३ में अनेक अकाल पड़े जिससे बहुत से राज्य (प्रान्त) मुनसान हो गये और मानव दान के रूप में पारखत हो गया। दरभंगा राज्यान्दी में कश्मीर में सन् ६१७ ई० में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा जिसमें भयंकरता का अनुमान कल्हण की राजतरंगणी के उद्यन से होता है। "केलम में पानी बरत नहीं दिखाई देता था, वह निलकुल पटी हुई थी क्योंकि लोथ

जो दीर्घकाल से उसमें पड़ी हुई थीं सड़ गयीं, फूल रही थीं। भूमि हठियां से बने रूप में पूर्णतया टूटती हुई थी और यह एक समयान के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जिसको देख कर आत्मा सहित उठती थी। राजा, मंत्री और रक्षक धनवान बन गये वे क्रांति के चारों ओर ऊँची मूल्यों पर बचन थे। राजा ऐसे व्यक्तियों से मंत्री बनाता था जो प्रजा से बेच नर उस आर्थिक-उत्पत्ति धन प्रदान कर सकें।”

जब स्त्री देश में अमल पड़ना था हिन्दू राजा लोग उनके निवारणार्थ अनेक साधनों को अपनाते थे। अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में अमल निवारण के लिए अनेक उपाय बतलाये हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं —

- (१) कर माफ करना,
- (२) देश निगमन,
- (३) राजन सेना से वन तथा अनाज का वितरण,
- (४) इतमि भीली, तालाबों तथा कुयों का निर्माण,
- (५) अनाज का आयात इत्यादि।

मुस्लिम शासन काल में अकाल—मुस्लिम शासन काल में अनेक भयंकर अमल पड़े। इतिहासकारों ने अनेक अमलों के बारे में दयनीय कथाएँ लिखी हैं जिसमें से चार अमल बहुत ही मार्मिक हैं। मुहम्मद गुलाम के समय में सन् १३४३ ई० में बहुत ही भयंकर अमल पड़ा जो दृश्यायी था। इस अमल के निवारण के लिए मुहम्मद तुगलक ने “दिल्ली की सम्पूर्ण जनता के लिए छ, महीने तक मुक्त अनाज वाटने के लिए, रोना करने तथा कुएँ खोदने के लिए अन्नमि राशि देने की आज्ञा दी।” इस अकाल में शहर और जिले मनुष्यों से गाली हो गये और मनुष्यों को अनाकृतिक भाषण जैसे मालें, आदिमियों का मांस तथा जानवरों का गूँस पाने के लिए मान्य होना पड़ा।

सम्राट् अकबर के शासन में भी इसी प्रकार का भयंकर अमल पड़ा। सम्राट् ने पूरे हिन्दुस्तान में दान वाटने का आज्ञा दी। इसके पश्चात् शाहजहाँ के शासन काल में सन् १६३० ई० में सबसे भयंकर अमल पड़ा। सम्राट् द्वारा अन्नमि उदासी पूर्ण नीति अपनाने के पश्चात् भी देशी प्रयोग का काम न किया जा सका। चौथा अमल औरंगजेब के शासन काल में सन् १६८६ में पड़ा। औरंगजेब ने भी बहुत ही उदासी का परिचय दिया परन्तु अमल पाठित अन्नमि मनुष्यों का बाढ़ विनाश लाभ न हुआ। इन चार भयंकर अमलों के अतिरिक्त अनेक और भी अमल पड़े जो इतने से कमिन्त बर दत हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल में—अमल आयाग १६१० की रिपोर्ट के

अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल में १२ अकाल और चार तान सखे (scarcities) पड़े। इस काल में सर्वप्रथम १६३० में अकाल पड़ा जिसमें गुजरात की ३ जनता समाप्त हो गई और अनेक स्थान मानवरहित हो गए। इस काल में सबसे बड़ा अकाल १७७० में पड़ा। इस अकाल में लगभग एक करोड़ व्यक्ति मरे। १८३३ में मद्रास में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें गुन्तूर अकाल (Guntur famine) कहते हैं। ऐसा अनुमान है कि गुन्तूर में ५ लाख की आबादी में से २ लाख आदमी मर गए। सन् १८३७ में अनादृष्टि के कारण उत्तर भारत में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें ८० लाख से अधिक व्यक्ति मर गए। इस अकाल के सम्बन्ध में लार्ड लारेंस ने लिखा है कि "मने अपने जीवन काल में इतना विनाशकारी विषय नहीं देखा है जैसा १८३७ में पला है।"

ब्रिटिश शासन काल—सन् १८५८ में भारत का शासन पूरवतया इंग्लैंड के अधीन म आ गया। इस काल में इस बड़े बड़े अकाल और अनेक छोटे मटे अकाल पड़े। पहला अकाल सन् १८६०-६१ में पड़ा जिसमें दिल्ली व आगरा के क्षेत्र प्रभावित हुए। १८६६-६७ में बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिससे देश का लगभग प्रत्येक प्रान्त प्रभावित हुआ। सन् १८६६ में अकाल के कारण लगभग ६ करोड़ लोग भूखा मर गये। तीसरी शताब्दी में अकालों की कुछ संख्या कम रही। सबसे भयंकर अकाल ब्रिटिश काल में सन् १९४३ में बंगाल में पड़ा जिसमें लगभग ३५ लाख व्यक्ति मरे।

बंगाल का अकाल सन् १९४३—यह अकाल तीसरी शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल कहलाता है। लार्ड एमरी के अनुसार इस अकाल में लगभग १० लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई परन्तु यह संख्या गलत नालूम होता है। औसत रूप में बंगाल में लगभग ५० हजार व्यक्ति प्रति सप्ताह माल मरते हैं। कलकत्ता एरन विद्यालय के पुरातत्व विभाग की रोज क अनुसार इस अकाल में लगभग ३२ लाख २५ हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस अकाल ने बंगाल के आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक जीवन का एकदम नाट कर दिया था। निधनता के कारण लोग स्वग्राही व्यक्तियों की प्रत्यष्टि क्रिया भी नहीं कर पाते थे और लाशों को नदी-नालों में फेंक दिया जाता था। पुरुष, स्त्री, बच्चे का मुले ग्राम रूप मरकर हुआ। दृष्टा-दृष्टी गालसात्री को बर्सावृत्ति का परा अपमाना पड़ा। बदमाशों में बड़ी जाने वाली लड़कियों की दूर काल १३ रखा था। बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष श्री ज० फ० मित्र ने कहा था कि, 'ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुखी नगर कलकत्ता आज भूरे और नंगे लोगों का शिमारगाह बन रहा है।'

इस अकाल के निवारणार्थ बंगाल सरकार ने लगभग ११३ करोड़ रुपये व्यय किये। सरकार ने ५,४४२ सहायताार्थ भाजनालय खोल दिये। परन्तु ये भाजनालय भी

अपर्याप्त थे। यही नहीं इन योजनालयों में दिया जाने वाला भोजन भी अमानवीय था। शमसे कानिकल के अनुसार "सहायतार्थ योजनालय ऐसी सस्था नहीं थी जो मनुष्यों को च्वाती। यह केवल मनुषु को कुछ दिनों के लिए डाल देती थी। यह केवल श्मशान की ओर पहला कदम था।"

बंगाल के भीषण अकाल के कुछ विशेष कारण थे जिनकी सञ्चित विवेचना इस प्रकार है :—

- (१) सन् १९४२ में ब्रह्मा द्वारा जागन को आलग-समर्पण;
- (२) युद्ध-जन्य मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि,
- (३) सामाजिक दृष्टिकोण से जात्यान्त का सग्रह बंगाल से हटाना;
- (४) बंगाल के बहुत से जिलों की फसलों का नष्ट होना;
- (५) केन्द्रीय सरकार द्वारा लका को चावल निर्यात किया जाना,
- (६) व्यापारियों की स्वार्थपूर्ण सग्रह नीति तथा चोर बाजारी;
- (७) यातायात के साधनों की दुर्लभता, तथा
- (८) दोषपूर्ण सरकार की विपश्चन नीति।

सन् १९४४ में बंगाल के अकाल के कारणों की जाँच करने के लिए बुद्धदेव आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। जैसे—

(अ) २५,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में तुल्य राशनिंग प्रथा लागू कर दी जाव,

(ब) अनाज के व्यापारियों को लाइसेंस देते समय सरकार को कड़ी नीति अस्माननी चाहिए;

(स) 'अधिक अन्न उम्पाओ' आन्दोलन को मुहत्त बनावा जाव;

(द) निश्चित सीमा से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाव और २५ एकड़ भूमि अधिकतम सीमा निश्चित की जाव; तथा

(ए) अतिरिक्त अनाज वाले स्थानों पर वट्टा नियंत्रण किया जाव।

स्वतंत्रता के पश्चात्—स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में कोई भयंकर अकाल नहीं पड़ा। हों जात्यान्त का अभाव अवश्य प्रतीत होता रहा है। सरकार की सामयिक सहायता, सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता के कारण जनता को वह भी अधिक खला नहीं है। विगत कुछ वर्षों से भारत में लाख सठ अवश्य बना रहा है जिसके लिए प्राकृतिक और आर्थिक दोनों ही कारण समान रूप से उत्तरदायी हैं। इन परिणामों का विस्तार में अध्ययन खाद्य-समस्या के अन्तर्गत अध्याय १३ में किया गया है।

अकाल निवारणार्थ प्रयत्न (Famine Relief Measures)—अकाल निवारण के प्रथम प्रयत्नतः खेती का उत्पादन बढ़ाने और उसे साधस्य की क्रम शक्ति

को बढ़ाने से सम्बन्धित होना चाहिए। खेती या सर्वांगीण विकास ही भारतीय अकाल की समस्या का एकमात्र उपाय हो सकता है। जनता को अकाल से आसुचितों से उर्द्वर रक्षित रखने के लिए कुछ स्थायी सुधारों से भी आसुरनका होगा जैसे भारतीय खेती का पुनर्गठन, सिंचाई के साधनों का विकास, ग्वात्रान्न के पितरण पर निरक्षण, रातायत के साधनों का विकास, खेती के प्राकृतिक शत्रुओं से रक्षा तथा अकाल निवारण कोष से स्थापना आदि।

भारतमें म प्राचीन काल में (हिन्दू और मुस्लिम शासन काल में) अकाल निवारण से कोई समुचित एर स्थायी नीति नहीं अरनाई गई। जब कभी अकाल का प्रकोप होता था तत्कालीन शासकगण अपने राज्ना में अस्थायी निवारण कार्य प्रारम्भ कर देने से उदाहरणार्थ से नहरें और तालाब सुदराने से, सड़क और इमारतों का निर्माण करने से, सरकारी पत्तान से वन और अन्न का पितरण उड़ी उदारता से साथ किया जाता था। यह नहीं से लोग अकाल प्रसूत जनता से मुक्त भोजन, लगान से छूट तथा तमारी भ्रूण आदि भी दिसा करने से। इस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इन्ही शासन से नीति का अनुसरण किया। मुक्त भोजन, अनाज व सड़क दिसा जाता था ग्वात्रान्न के निरांत पर प्रविश्य लगा दिसा था परन्तु फिर भी रातायत के साधनों से दुर्लभता से कारण अक्षरं चरकिरा से अपने प्राणा से रक्षित दनी पड़ी।

आधुनिक सहायता कार्य—आधुनिक सहायता कार्य का समुठन सर्वप्रथम १८६० से किया गया। इस समय तक अकालों का स्वरूप बदल चुका था। अकाल ग्वात्रान्न व अभाव व कारण नहीं बालक क्रयशक्ति एर रोजगार व अभाव व कारण होने लगे। सन् १८६० में आधुनिक अकाल संहिता (Modern Famine Codes) का निर्माण किया गया। इस संहिता में अनुसार जनसंख्या का विभाजन तीन श्रेणियों में किया गया। प्रथम से लोग जो शारीरिक परिश्रम करने योग्य से, द्वितीय व लोग जो निर्धन और असहाय थे परन्तु कुछ कर सकते थे और तृतीय से लोग जो बिलकुल असहाय थे। सन् १८६५-६७ में उड़ीसा में अकाल ने उपरोक्त नियमों का असफल कर दिसा।

फलस्वरूप सन् १८६७ में सर जॉन रैम्बेल् की अध्यक्षता में सरकार ने अकाल जाच आयोग से नियुक्ति की। यह प्रथम अकाल आयोग था। इस आयोग की सिफारिशों व अनुसार सरकार ने घोषित किया कि उसकी मुख्य नीति जनता व जीवन से रक्षा करना है। सन् १८८० में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में सरकार ने एक और अकाल आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सरकार की भारी अकाल निवारण नीति से सिद्धान्तों से नीचे डाली। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार सन् १८८३ में प्रांतीय अकाल धान्दा का निर्माण किया गया। इन संनना का परीक्षण सन्

१८६६-६७ तथा सन् १८६६-६७ क अथाला द्वारा किया गया। ये कानून पूर्णतया सफल निकले।

वर्तमान अर्थशास्त्र निवारण नीति—वर्तमान अर्थशास्त्र निवारण नीति के दो प्रधान अंग हैं—प्रथम अर्थशास्त्र पीड़िता को तत्कालीन सहायता पहुँचाना तथा द्वितीय अर्थशास्त्र की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न करना। तत्कालीन सहायता कार्य को तीन भागों में बाँटा गया है—(१) चेताननी कार्य, (२) सुविधानुसार सहायता कार्य, तथा (३) जीवन रक्षा कार्य। सन् १९४३ में अर्थशास्त्र क मीथुन अर्थशास्त्र ने उपरोक्त सिद्धान्तों को असफल कर दिया। परिणामस्वरूप सन् १९४५ में सर जान बुईहेड की अध्यक्षता में एक अर्थशास्त्र जांच आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने सरकार क सम्मुख दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट में तो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र क कारणों का विश्लेषण था और दूसरी रिपोर्ट में आयोग ने भागी अर्थशास्त्र की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझावों को दिया था। इन सुझावों क सम्बन्ध में ऊपर उक्त किया जा चुका है।

सततता प्राप्ति क पश्चात् हमारे लोकप्रिय सरकार ने अर्थशास्त्र सचट से दूर करने क लिए संती क सर्वांगीण विकास पर धारी जारी किया। संती क विकास योजनात्मक ढंग पर किया जा रहा है और कृषि सम्बन्धी टोंग नीति को अपनाया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं में क्रमशः १०१८ करोड़ रुपये, १४८१ करोड़ रुपये तथा १५०० करोड़ रुपये कृषि एवं सिंचाई क विकास पर व्यय किये जाने क लिए नियत किये गये हैं। ये धनराशि योजनाओं में किये जाने वाले कुल व्यय की क्रमशः ४३.२%, ३०.८% तथा १५% है। आशा की जाता है कि इन योजनाओं क सफल हो जाने पर हमारे देश में अर्थशास्त्र का सचट सदैव क लिए समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न

1. Write a short note on 'Early Famines in India' (Agra, 1955)
2. What were the causes responsible for the frequent outbreak of famines in this country? What measures would you suggest for preventing their recurrence in future? (Agra, 1954)

अध्याय १३

खाद्य-समस्या

(Food Problem)

भारतवर्ष की अनेक गम्भीर समस्याओं में से खाद्य समस्या का स्थान सर्वापरि है। देश के राजनीतिशास्त्री और अर्थशास्त्रियों के मस्तिक में इस समस्या ने एक दर्द उत्पन्न कर दिया है। अनेक प्रयत्नों के पश्चात् भी ये लोग इस समस्या को मुलभाने में असफल रहे हैं। आज हम आयात किये गये अन्ना पर आश्रित रहने लगे हैं। यह पढ़ते हुए हम लज्जा और शोक का अनुभव होता है। भारत अनादि पाल से एक कृषि प्रधान देश रहा है और वहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती रही हैं। आज भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार ८२.७% जनसंख्या ग्रामीण है और कुल जनसंख्या के ६६.४% व्यक्ति अर्थात् २४.६ करोड़ व्यक्ति अत्यल्प व अल्पवृद्ध रूप में होती में ही लगे हुए हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए यह वास्तव में शोक, लज्जा व आश्चर्य की बात है कि यह अपनी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहे।

खाद्य समस्या के पक्ष (Aspects of Food Problem)—हमारी खाद्य-समस्या केवल अन्नाभाज की ही नहीं है वरन् गुण विषयक (Qualitative) तथा प्रशासन (Administrative) सम्बन्धी भी है। इस प्रकार खाद्य समस्या के तीन पक्ष हैं —

- (१) मात्रा सम्बन्धी (Quantitative),
- (२) गुण सम्बन्धी (Qualitative), तथा
- (३) प्रशासन सम्बन्धी (Administrative)।

१—परिमाणात्मक अथवा मात्रा सम्बन्धी पक्ष

(Quantitative Aspect)

आज हमारी खाद्य उपज इतनी कम हो गई है कि जनता के उदर पोषण के लिए हम प्रति वर्ष लाखों टन अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता है। सन् १९५७ और १९५८ में क्रमशः ३६ और ३२ लाख टन अनाज विदेशों से आयात किया गया। खाद्य समस्या के अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लेने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश की जनसंख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। जन

संख्या की समस्या और साथ समस्या एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, कैलीफोर्निया व प्रान्सापर १० हेससन मोडन ने जनवरी १९५६ में कहा है कि "यदि सधार की जनसंख्या इसी प्रकार उच्चतम दर से बढ़ती गई तो एक दिन इस धरती पर इतने व्यक्ति भण्ड्य हों जाएंगे कि उनको अपने घर पर अपना उगाना सपना पड़गा—"

यदि वह सच लिया जाए कि भारत में सदन से अन्न का खपट जना रहा है तो एक अक्षम्य मूल होगी। सन् १९५० के अन्त में अन्न आयोग (Famine Commission) ने इंगित किया था कि भारत में ५० लाख टन आयातों का आवश्यकता रहता है। कुछ समय तक पर्याप्त सिंचाई की उन्नति ने जनसंख्या की वृद्धि और उपलब्ध खाद्य पृथिवी के बीच एक प्रकार का साम्य बनाये रखा किन्तु मालूम होता है कि जनसंख्या की वृद्धि ने खाद्य पृथिवी को पछाड़ दिया। ३४ वर्ष के पश्चात् अर्थात् सन् १९१४

मूल्य जांच समिति (Prices Enquiry Committee) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि देश में जनसंख्या निश्चय गति से बढ़ रहा है, आयातों का अन्तर्गत कृषि, मृत्ति का क्षेत्र उभी तब तक नहीं बढ़ रहा है जिससे फलस्वरूप जनसंख्या और खाद्यान्न के प्रति एक जीव का अनुपम सम्बन्ध हो रहा है।

सन् १९०१ में भारत में एक शुद्ध आयातकर्ता देश बन गया। इस वर्ष वह एक निर्यातकर्ता देश था। इस वर्ष से भारतीय रूप से इतिहास में एक नया अध्याय का आरम्भ होता है। सन् १९२१ ई० में जनसंख्या सूचकांक अर्थात् ११७ (आधार वर्ष १९०१) था, जब कि ऐसी क्रियात्मक कार्यवाही का मूलक वर्ष १९६ था। इस प्रकार जनसंख्या ने खाद्य समस्या को दौड़ में पीछे पछाड़ दिया और माल्यवध के सिद्धान्त का समर्थन का प्रमाण दिया। भारत सरकार ने सन् १९३३ में सर जॉन मेगाव (Sir John Megaw) का आचरण करके करने के लिए नियुक्त किया। उनके अनुसार, "उस समय लगभग ४०% गांधी की जनसंख्या अन्न उत्पादन से दृष्टि से अधिक थी। उस समय ३६% जनसंख्या को पूरा भोजन, ४१% जनसंख्या को अधूरा भोजन, तथा शेष २०% जनसंख्या के लिए भोजन मिलना या न मिलना सार्वभौमिक था।" सन् १९३४ में डॉ० राधाकृष्णन मुकुर्जी ने अनुमान लगाया था कि एक सामान्य वर्ष में भारत की खाद्य उपज उसकी जनसंख्या के ५५% जनसंख्या के लिए ही पर्याप्त होती है।

सन् १९३७ में जर्मनी देश से अन्न का आयात करने के कारण खाद्यान्न की और भी अधिशेषता हो गया। जर्मनी से भारत को पर्याप्त मात्रा में आयात प्राप्त होता था। फलस्वरूप आयात के अभाव के अन्त में, जापान तथा अन्य देशों के आयात से पूरा किया जाने लगा। अक्टूबर १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के कारण खाद्य-समस्या का रूप और भी भयानक हो गया। देश की आवश्यकताओं के अतिरिक्त भारत पर विदेशी

की संनाया की अन्न देने में उत्तरदायित्व दिया गया। इस प्रकार एक ओर तो अन्न का नाँग बढ़ रही थी और दूसरी ओर अन्न का उत्पादन घट रहा था। सन् १९४३ में अगस्त के मीषण अफाल ने, जिसमें कि लगभग ३५ लाख व्यक्ति फाल खलित हो गये, राज्य-समस्या को और भी गम्भीर बना दिया। इस समय तर विदेशों से खाद्यानों के आयात भी लगभग रुद्ध हो गये क्योंकि चीन, थाईलैण्ड, जावा तथा इंडोचीन जैसे देश, जिन पर कि भारतस्य अरने आयात के लिए निर्भर करता था, दुस्मन राष्ट्रा द्वारा अधिनार में ले लिये गये।

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होत ही १५ अगस्त १९४७ को देश के विभाजन में भारत के भाग्य को एक नया मोड़ दिया। देश में बहुत से उपजाऊ भाग जैसे पंजाब का नहरों वाला क्षेत्र, वृद्ध तथा दर उगाने वाला अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। फलतः देश में लगभग ८ लाख टन अनाज की और कमी हो गई। विभाजन के फलस्वरूप भारत को वृद्ध क्षति का सट और निम्न कालिका से शत होगा —

(आसडे लाता म)

	भारत	पाकिस्तान	भारतीय क्षति
अन्नफल (र्गमील)	१२	३५	२२%
जनसंख्या	३,३२७	६६१	१७%
अगल (एरड)	६२५	५२	८%
वृषि योग्य भूमि (एरड)	२,०६८	५५२	२१%
खिचित भूमि (एरड)	३६०	१६५	३३%
अन्न (टन)	१०७	१३५	२५%
गन्ना (टन)	४५	८	१५%
मिलहन (टन)	५०	२	४%
रई (गाडे)	२१	१४	६०%
वृद्ध (गाडे)	१४	६३	८२%
तम्बाकू (टन)	३	१	२५%
धान (टन)	१२०	८५	४२%
गई (टन)	५६	३१	३४%

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् खाद्यान्न का उत्पादन और भी घट गया। सन् १९५०-५१ में खाद्यान्न का उत्पादन ४१७४ मि० टन था जब कि १९४६-४७, १९४८-४९ तथा १९४७-४८ में यह उत्पादन क्रमशः ४६०२, ४३३, तथा ४३७४

मिलियन टन था। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन द्वारा किये प्रयत्नों के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादन घटता ही चला गया था कि :-

(१) नई ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने पर अधिक जोर दिया गया और पहले से उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया।

(२) आन्दोलन ने अधिभारित तथा भावार्थीयों की अनुपलब्धता तथा बेईमानी।

(३) आन्दोलन के साथ किसानों का अपूर्ण सहयोग।

(४) खाद्यान्नों की अपेक्षा व्यापारिक फसलों पर जोर।

सन् १९४७ से सन् १९५१ तक की राज्य स्थिति का विवेचन करना व्यर्थ ही है, क्योंकि उस समय देश में राजनीतिक उथल-पुथल का समय था, जिससे भूमि सुधार करने तथा कृषि उत्पादन में सुधार लाने में सरकार कोई स्थिर तथा ठोस नीति नहीं ले सकी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६) काल में खिन्नि भूमि का क्षेत्रफल में उच्चरेतर वृद्धि होती रही। इस वृद्धि का मूल कारण खाद्यान्नों पर से मूल्य नियन्त्रण का हटाया जाना और अन्न संप्रदाय पर से प्रतिबन्ध का अन्त किया जाना था। इस प्रकार सभी प्रतिबन्धों का अन्त किया जाने से उत्पादकों में नई आशा का संचार हुआ। उन्हें अन्न प्रसन्नता थी कि वे खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि करके सूझ लाभ कमा सकेंगे। किन्तु १९५२ और १९५४ में दो लाभकारी मानसून ने देश की खाद्यान्न की स्थिति को निलकुल बदल दिया। उत्पादन इतना बढ़ा कि खाद्यान्नों का मूल्य बहुत निम्न स्तर तक गिर गया। सरकार इस स्थिति से भयभीत हो गई और उसने मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए अन्न के अन्न की खरीद प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर दी।

सन् १९५१ से १९५६ तक सरकार ने अन्न उत्पादन की ओर सूझ ध्यान दिया। उत्पादन वृद्धि के सभी साधन पुष्टाये गये तथा अनेक उपाय प्रयोग में लाये गये लेकिन सन् १९५६, ५७, ५८ और ५९ में उत्पादन स्थिति निरन्तर निगडती गई। देशवासियों की उदरपूर्ति के लिए विदेशों से अन्न में आयात करना आवश्यक हो गया, और 'राशनिंग' प्रथा को पुनः लागू करना पड़ा।

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बावजूद वर्ष पश्चात् भी अनेक उपाय करने पर भी खाद्यान्न की कमी को दूर नहीं किया जा सका और आज भी देश की यह दशा है कि उसे परिस्थितियों से बाध्य होकर अनाज का भारी मात्रा में लाजमी तौर पर आयात करना पड़ रहा है।

खाद्यान्नों के अभाव के परिणाम

(१) अर्थिक आयात—खाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति के लिए विदेशों से

असह्य मात्रा में आयात करने पड़े। समय-समय पर किये गये आयातों का अनुमान इस तालिका से होता है :—

वर्ष	आयात (लाख टनों में)
१९४४	६.४
१९४७	२३.३
१९५०	२१.३
१९५३	२०.०
१९५४	८.०
१९५५	७.०
१९५६	१४.०
१९५७	३६.०
१९५८	३१.७३
१९५९ (१५ मई तक)	१७.२२

भारत और अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार अमरीका भारत को चार वर्षों की अवधि में ६० लाख टन गेहूँ और १० लाख टन चावल देगा। इस अन्न राशि के मूल्य और समुद्री यातायात के व्यय के रूप में भारत अमरीका को ६०७ करोड़ रुपया देगा।

(२) विदेशी मुद्रा का संकट—विदेशों से असह्य मात्रा में किये गये आयातों का प्रभाव हमारे आर्थिक साधनों पर भी पड़ा। आयातों के फलस्वरूप हमारा भुगतान का सन्तुलन (Balance of Payment) प्रतिकूल हो गया और यह आज भी प्रतिकूल बना हुआ है। अन्न संकट को दूर करने के लिए सरकार को समय-समय पर तदर्थियाँ अथवा अनुदान (subsidies) भी देने पड़े हैं जिन्होंने हमारे देश के वित्त व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया है।

(३) राशनिंग प्रथा का अपनाया जाना—राशन के अभाव के कारण लाद्यान्न की पूर्ति पर नियंत्रण करना पड़ा जो कि राशनिंग प्रथा के नाम से अधिक प्रचलित है। १९४४ के प्रारम्भ में २४० लाख व्यक्तियों को राशनिंग के अन्तर्गत अनाज मिल रहा था। यह संख्या शनैः शनैः बढ़ती चली गई। मार्च १९४६ में ५०० लाख व्यक्तियों को तथा दिसम्बर १९४७ तक १४५० लाख व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत अनाज प्राप्त हुआ। दिसम्बर १९४८ में यह संख्या घट कर ८०४ लाख हो गई। तदुपरान्त यह संख्या घटती-बढ़ती रही और अभी तक राशनिंग प्रथा चालू है।

(४) आन्तरिक उपभोग में कमी—असख्य माना में आघात होने का नतीजा या देश में लाघान भी कमी रही। फलतः प्रति व्यक्ति लाघान में उभयोय घटता चला गया। उदाहरणार्थ १९२० में प्रति व्यक्ति लाघान की वृत्ति ४७० पौण्ड की जा १९३० ३१, १९४० ४१, तथा १९५० ५१ में क्रमशः ४०० पौण्ड, ३२८ पौण्ड तथा, २१२ पौण्ड रह गई। १९५१ से लाघान की स्थिति में कुछ सुधार प्रदर्श्य हुआ है।

साथ समस्या के कारण

(१) जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या का समस्या का मूल बात यह है कि उसने साथ वृत्ति का काफी पीछे टनल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले ६० वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि इस प्रकार हुई है —

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि
१९०१	२३६	—
१९११	२४९	+५.८
१९२१	२४८	-०.३
१९३१	२७६	+११.०
१९४१	३१०	+१४.३
१९५१	३५७	+१३.४
१९६१	४१०	+१४.९
१९७१	५६०	+३६.९

} अनुमानित*

अयोग्य महत्ता समिति का अनुसार जनसंख्या की उतमान वृद्धि से हमारा मांग सन् १९६० ६१ में ७९० लाख टन ही जावगी। इस प्रकार ऋतवी हुई जनसंख्या साथ समस्या को जटिल बनाये हुए हैं क्योंकि अन्य कारणों के लिए पचास चने नहीं हैं।

(२) मुद्रा स्थिति (Inflation)—द्वितीय महायुद्ध से मूल्यों का स्तर में अनन्तर वृद्धि होती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। मौद्रिक साथ अत्यधिक बढ़ी है परन्तु उसके साथ साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। मौद्रिक साथ की अत्यधिक मूल्यों में वृद्धि आधर हुई है, अतः मूल्य निर्देशन भी ऋता गया है—

(आगर १९५२ ५३ = १००)

वर्ष	मूल्य निदेशांक
१८५५ ५६ ✓	६२५
१९५६ ५७	१०५ ०
१९५७ ५८	१०८ ४
१९५८ ५९	११२ ८
१९५९ ६० ✓	११७ १

अनुमान था कि मूल्यों में वृद्धि से मात्र उत्पादन बढ़ेगा परन्तु ऐसा नही हुआ। उन्ही हुई आय से किसानों ने अपने पुराने ऋणा को चुकाया और शेष रकम से अपने उपभोग स्तर में वृद्धि की। इस प्रकार कृषि उत्पादन विधि में कोई सुधार नही आया और अन्न संचय अथवा खर ऊँचा बनाव रहा।

(३) कृषि उत्पादन में कमी—एक आर तो जनसंख्या दुर्गमाल से बढ़ता जा रहा है और दूसरी आर प्रति व्यक्ति कृषि-क्षेत्रफल घटता जा रहा है। यात्रना आराम (प्रथम योजना) के अनुसार जोये जाने गला प्रति एक क्षेत्रफल १९११ १२ में ०.८६ एकड़ था, जो सन् १९२१, १९३१, और १८५१ में घट कर क्रमशः ०.८३ एकड़, ०.७२ एकड़ और ०.६५ एकड़ रह गया। अलग-अलग प्राकृष्टि के अनुसार जहा पालेड, चकोम्लोकोका, हगरी, रुमानिया, यूआन्वारिया और इगलैच में १०० एकड़ भूमि क्रमशः १,२४,३०,३०,६२ और ९ आदामिया की आराम देती है, उहा भारत में उच्च १४८ आदामिया का भार वहन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ प्रति एकड़ उच्च आदेशों की तुलना में बहुत कम है।

(४) अनाज अथवा व्यापारिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि—पिछले कुछ वर्षों से पाच फसला के स्थान पर व्यापारिक फसला (cash crops) को पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सन् १९१३ १४ से सन् १९४० ४१ के लगभग २० वर्षों में मात्र फसला में ४% वृद्धि हुई जब कि व्यापारिक फसला में ५३% की वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण विदेशी सरकार की उपेक्षापूर्ण कृषि नीति है।

(५) देश से बर्मा का अलग होना—सन् १९३७ में देश से बर्मा के अलग हो जाने के कारण हमारे देश में खाद्यान्न विशेषकर चावल की कमी हो गई। बर्मा से लगभग १३ लाख टन चावल हमारे देश को प्राप्त होता था। इस अभाव को दूर करने के लिए बर्मा, जापान तथा अन्य पूर्वी देशों से आयात करने पड़े।

(६) देश का विभाजन—१५ अगस्त १९४७ को भारत का विभाजन हो जाने के कारण पाप-समस्या ने ग़ौर भी उभर कर धारण कर लिया। जर्मनी के अलग हो जाने से तो हम बरत बाल से ही बन्धित हो गये, परन्तु देश के विभाजन ने हमें बाल ग़ौर गेहूँ दोनों ही छीन लिये। पञ्जाब ग़ौर सिंध व अल्पदिन उपजाऊ ग़ौर सिंचित क्षेत्र, जो कि गेहूँ से ख़ूब चले जाने थे, पाकिस्तान में चले गये। बाल क चनफल का बरत ५६.६% ग़ौर गेहूँ के चनफल का ६६% हमें प्राप्त हुआ। इसके विपरीत अविभाजित भारत की ८०.५% जनसंख्या हमारे हिस्से में रही ग़ौर से १६.५% जनसंख्या पाकिस्तान में हिस्से में। इस प्रकार हमारे पाप उत्पादन ग़ौर जनसंख्या का अनुपात ग़िरा गया।

(७) शरणार्थियों का आगमन—विभाजन के बाद-बाद पाकिस्तानी क्षेत्रों में शरणार्थियों का आगमन से समस्या ग़ौर गम्भीर हो गई। अनुमान है कि लगभग ६० लाख शरणार्थी पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आये हैं।

(८) प्राचीन व दीर्घकालीन कृषि पद्धति—ग़ौर न केवल मानव ने लगभग सभी प्राकृतिक क्षेत्रों पर विचार प्राप्त कर ली है ग़ौर विज्ञान का प्रयोग उत्पादन के सभी क्षेत्रों में आया है। भारत में ग़ौर भी इस प्रकार का लाभ नहीं उठा सका है। भारतीय कृषि उत्पादन के अर्थ में ग़ौर ही प्राचीन तथा अविज्ञानिक है। राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न व योजनाओं द्वारा पद्धति में सुधार वास्तव में हो रहा है।

(९) वर्षा पर निर्भरता—ग़ौर भी भारत में कृषि क्षेत्र में भूगर्भ की अनुपस्थिति पर आधारित है। ग़ौर कहा जाता है कि “भारत में कृषि वर्षा का उत्पाद है।” वर्षा का वितरण दीर्घकालीन, अविज्ञान तथा अनिश्चित है। जब वर्षा अनाच्छिद्रित हो जाती है, कृषि उत्पाद में काला पड़ जाता है। ३० अलग-अलग विभागों में अनुसार उत्तर प्रदेश में ३५ वर्ष में लगभग १६ वर्षों में वर्षा कम हुई है ग़ौर ९ वर्षों में सूखा रहा है। इसी प्रकार ग़ौर में १० वर्षों में बरत एक वर्ष ही ऐसा होता है जब सततपनक वर्षा होती है ग़ौर प्रति वर्ष राज्य के विभागों में कृषि क्षेत्र में अनाच्छिद्रित अन्वय पद्धति का प्रयोग रहता है।

ग़ौर कृषि उत्पादन साधन उपलब्ध ग़ौर खेती करने के अनेक वैज्ञानिक तथ्यों अपनाने पर भी पानी (सिंचाई) की समस्या हल किये बिना सच कुछ व्यर्थ है।

(१०) दीर्घकालीन संगठन—भारतीय किसान जर्म से ही निर्भर होता है ग़ौर ग़ौरजीवन निर्भरता से ग़ौर में रहता है। निर्भरता के कारण वह व्यक्तिगत रूप में अपनी कृषि व्यवस्था का संगठन नहीं कर पाता। विपरीत हाकर उस व्यवस्था का सहाय्य लेना पड़ता है जो राजस्व (T B) की कीमतों द्वारा न भविष्य उस आर्थिक ग़ौर का चुन जानत है।

(११) अलाभकारी उद्यम—दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण तथा अर्थशास्त्रिक कृषि पद्धति के कारण कृषि उद्योग एक अलाभकारी उद्यम मान रह गया है फलस्वरूप कृषक पूर्ण परिश्रम तथा प्रेरणा से कार्य नहीं करता है।

↓ (१२) विविध—साद्य समस्या के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक अन्य कारण भी हैं, जैसे यातायात के साधनों का अभाव, कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव, उत्तम खाद व सिंचार का अभाव, पशु शक्ति की दयनीय दशा, फसला के रोग तथा कीटाणु, देवी प्रमोय तथा समापत्ति व्यापारिक नैतिक पतन आदि।

मेहता जाँच समिति (Mehta Inquiry Committee)

साद्य समस्या के विभिन्न पक्षों का विस्तार में अध्ययन करने के लिए केंद्रीय सरकार ने जून १९५७ में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक साद्य जाँच समिति नियुक्त की। समिति को निम्न बातों की जाँच करनी थी —

(१) वर्तमान साद्य स्थिति का पर्यवेक्षण करना तथा १९५५ के मध्य से साद्यान्न के मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारणों की जांच करना।

(२) अगले कुछ वर्षों में माग और पूर्ति की प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों को निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए इंगित करना —

(अ) साद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए नये गये अथवा नये जाने वाले उपाय

(ब) विक्री योग्य अतिरिक्त साद्यान्नों की माग पर बढ़ते हुए निवास व्यय, जन संख्या में वृद्धि तथा शहरीकरण (urbanisation) का प्रभाव

(स) आयाज्यकता के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए साद्यान्न प्राप्त होने की सम्भावना।

समिति के सुझाव

सन् १९५०-५१ से सन् १९५७ तक की साद्य स्थिति की जांच करने के पश्चात् समिति ने नवम्बर १९५७ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये —

(१) सरकार द्वारा साद्यान्न का क्रय विक्रय (Buffer stock Operations) करने साद्यान्न के मूल्यों में स्थिरता रखना,

(२) अनाज के थोक व्यापार का शाने शाने समाप्तीकरण,

(३) परिवार नियोजन के लिए देश व्यापी आंदोलन,

(४) सहायक (subsidiary) साद्यान्नों का उपभोग, तथा

(५) एक पृथक् साद्यान्न स्थिरीकरण संगठन (Foodgrains Stabilisation Organisation), मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड (Price Stabilisation Board), केंद्रीय साद्य परामर्शदात्री समिति (Central Food Advisory Council) तथा मूल्य जांच विभाग (Price Intelligence Division) की स्थापना करना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इसने लगभग सा बहना है कि “गन्तव्य-उत्पादन स्थिर रहने का प्रमुख कारण यह है कि अभी तक भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण प्रयत्न नहीं किया गया है। भारतवर्ष में प्रति एकड़ उपज उससे अधिक नहीं है। जापान में प्रति एकड़ उपज ३,७५० पीएड है, चीन में २,३८७ पीएड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ३,००० पीएड है जबकि भारतवर्ष में केवल ७०० पीएड ही है। गन्धु की प्रति एकड़ उपज ६०० पीएड ही है जबकि जापान में १८०० पीएड। अन्य आवाकगणना समस्त भूमि से उत्पादन शक्ति बढ़ाने की है।”

भूमि से उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए योजना में निर्माण चार सुझाव रखे गए हैं —

- (१) खिन्नाई तथा जल की सुविधाओं की व्यवस्था,
- (२) उपज में प्रचालित भूमि तथा उनका विभिन्न प्रकार का भूमि में उपयोग,
- (३) खेती का यंत्रण तथा ट्रैक्टरों का उपयोग, तथा
- (४) किसानों को उत्तम बीज प्रदान करने का व्यवस्था।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अनुसार भूमि से उत्पादन में परामर्श से तान अर्थ सिद्ध करने का एक महत्त्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान आता। उसने भारत में धूम धूम का समृद्ध स्थिति का अभ्यन्तन किया और हाल ही में उसने भारत की विकास योजनाओं के बारे में अपना रिपोर्ट देना है।

इस रिपोर्ट में निर्माणलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है —

- (१) कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता
- (२) निर्यात व्यापार का विविध क्षेत्रों में प्रगति
- (३) योजना में लाच रचनायें करने की आवश्यकता तथा
- (४) कृषि उत्पादन के खर्चों को कम करने का स्वास्थ्यकारी बनाने सरकार के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्रों में सुचारु रूप से निर्यात करने की आवश्यकता।

२—खाद्य-समस्या का गुणात्मक पक्ष

(Qualitative Aspect of Food Problem)

इस समस्या का गुणात्मक स्वरूप और भाव भयङ्कर है यह अस्पष्ट नहीं है कि मनुष्य को केवल पचास भाजन ही नहीं मिलना चाहिये, बल्कि उस भाजन में पचास प्राण, मिनरल साल्ट और विटामिन्स भा होने चाहिए। भारतवर्ष में जनता का केवल खाने में ही पर्याप्त नहीं मिलता बल्कि उस भाजन में पोषक तत्वों में भी बहुत अभाव होता है। हमारे भाजन में अनेक पोषक पदार्थों जैसे दूध, माँ, मसूर, दही, माँस मछली, आटा, दालें, सब्जियाँ तथा फल आदि की बहुत कमी है। अब हमारे सुचारु अस्पष्टलिखित रहती है कि कौन-कौनसे पदार्थों हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है

और लोग यह कहने के लिए निराश हो जाते हैं, 'भूखार्थ क निजासा रहत नही, मलिक रह लेते हैं।'

सन् १९३३ म कृषि एव लाघ पंडित सर जान मेगा (Sir John Megaw) ने भारत का सर्वेक्षण करके बताया था कि भारत म कल ३६% व्यक्ति म पचास रूप म पोषण तत्व मिलत है, ४१% में अल्प मात्रा म पोषण तत्व मिलत है, और २०% को बहुत कम पोषण तत्व मिलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ (U N O) क लाघ तथा कृषि संघ (F A O) क एक प्रकाशन क अनुसार सन् १९४८ ४८ म भारत म प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसतन १६२१ कैलोरीज का उपभोग किया जाता है जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका म ३१२८ कैलोरीज और कनाडा म ३०६२ कैलोरीज का उपभोग किया जाता था। देश की प्रमुख पत्रिका 'इस्टर्न इकनामिस्ट' म विभिन्न देशों क सम्बन्ध म दिये हुए आंकड़ों से भा उक्त कथन की पुष्टि होती है।

कैलोरीज और प्रोटीन का उपभोग

(प्रति व्यक्ति, प्रति दिन)

देश	कैलोरीज की संख्या		प्रोटीन (ग्राम म)	
	पुंरु क पूर्व	५४५५	पुंरु क पूर्व	५४५५
अमेरिका	३,१५०	३,०६०	८६	६२
इंग्लैण्ड	३,११०	३,२३०	८०	८६
आस्ट्रेलिया	३,३०५	३,०४०	१०३	६१
जापान	२,१८०	२,१५५	५४	५८
भारत	१,६७०	१,८४०	५६	५०

पोषणहीन भोजन ग्रथना अर्प्राप्त पोषण वाले भोजन का स्वाभाविक दुःखार गाम यह होता है कि देश म अनेक प्रकार की बीमारिया जैसे सूजा, वेरिबेरी, खून की कमी तथा रिकेट (रन्धा की बीमारा) आदि फैलती हैं। चिसने फलस्वरूप जनता की कार्यक्षमता कम हो जाती है। यही नहा मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बढ़ जाती है। काग्रस द्वारा प्रकाशित 'आर्थिक समीक्षा' म यह बताया गया है कि जिन देशों के भोजन म प्राणीय प्रोटीन अधिक मात्रा म होते हैं, वहां जनसंख्या की वृद्धि का परिमाण धीमा होता है इसके विपरीत जिन देशों म प्राणीय प्रोटीन का उपभोग कुछ कम होता

है यहाँ जनसंख्या कुछ तेजी से बढ़ती है। निम्न ग्रॉसरे उक्त नथन की पुष्टि करते हैं—

देश	जन्म दर	प्राणीय प्रोटीन का दैनिक भोजन म परिमाण (ग्रामी म)
फारमोसा	४५.६	४७
मलय राज्य	३६.७	८५
भारत	३३.६	८७
जापान	२७.०	६७
यूनान	२३.५	१५.२
इटली	२३.४	१५.२
जर्मनी	२०.०	३७.३
आयरलैंड	१६.१	४६.३
ऑस्ट्रेलिया	१८.०	५६.६
युक्त राज्य अमेरिका	१७.६	६१.४
स्वीडन	१५.०	६२.६

भारत में अर्थशास्त्र पोषण के तीन प्रमुख कारण हैं। प्रथम देश में पोषण साधनों की बहुत कम उपलब्धि होती है, द्वितीय देश गांधीवा ने रहन-सहन का स्तर निम्न होने के कारण वे पोषण पदार्थों का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तथा तृतीय अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण विभिन्न धातु पदार्थों के पोषण तत्वों के बारे में अनभिज्ञ है।

३—प्रशासकीय पक्ष

(Administrative Aspect)

जब देश में साधनों का अभाव होता है, तब साधन समस्या का प्रशासकीय पक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशासकीय शिक्षितता से साधनों की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ऐसी समय में देश में उत्पन्न किये गये साधनों के निम्नी योग्य आधिक्य (marketable surplus) को किसान और व्यापारी बाजार में नहीं डालते। वे साधनों का अत्यधिक संचय करके व्यवस्था का पायदा उठाना चाहते हैं। फलस्वरूप साधन समस्या और भी गंभीर हो जाती है और मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ते चले जाते हैं यहाँ तक कि वे गणनयुग्मी हो जाते हैं। इस प्रकार सरकार के सामने तान समस्याएँ उत्पन्न होती हैं —

(१) मूल्य नियंत्रण (control) द्वारा मूल्यों का स्थिर रखना,

(२) राशनिंग पद्धति के द्वारा खाद्यान्न का समान वितरण, तथा

(३) उपरोक्त दायित्वा को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार को बनाए

रखना।

†

सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

स्वतंत्रता के पूर्व सरकार ने खाद्य समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के प्रयत्न किये।

दीर्घकालीन हल—सन् १९४७ में श्रीयुक्त कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक खाद्य जाँच समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने खाद्य पदार्थों का निर्यात को रोकने, बड़े शहरों में राशनिंग लागू करने तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को चालू करने की सिफारिश की, जिसका अन्तर्गत निम्न तथा गहन खेती की जाय, अत्याय पदार्थों के प्रकार खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए भूमि का उपयोग किया जान, सिंचाई की सुविधाएँ तथा उन्नत खाद और उन्नत बीज दिए जायें। अभावग्रस्त उच्चतम सगठन का अभाव का कारण यह आन्दोलन सफल न हो सका।

अल्पकालीन हल—खाद्य समस्या को तुरन्त हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने खाद्य नियंत्रण लगाने, अनाज मण्डल का इन्स्टा किया तथा राशनिंग और अनाज के मूल्याएँ आवागमन पर नियंत्रण किया। उस समय भ्रष्टाचार तथा चोर नजारी का बोलबाला था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी खाद्य समस्या सरकार के लिए एक चिन्ता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय सरकार इस समस्या को बसल आत्मनिर्भरता के स्तर पर ही हल नहीं करना चाहती, बल्कि बढ़ती हुई जनसंख्या और उन्नत जीवन स्तर को व्यभि म रखते हुए आश्चर्यता से अधिक उत्पादन करके हल करना चाहती है। हम जीवन-स्तर को उन्नत करना है, लेकिन साथ ही साथ परिवार नियोजन द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को भी रोकना है। यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि अधिक उत्पादन के यत्न के साथ-साथ खाद्यान्न का अभाव होता जा रहा है और उनका मूल्या में वृद्धि हो रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ता का कारण है। इसी स्थिति के कारण अन्न के राजकीय व्यापार का निश्चय किया गया है।

खाद्यान्न का राजकीय व्यापार

† ८ और ९ नवम्बर, १९५८ को राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय किया गया कि सरकार अन्न का थोक व्यापार अपने हाथ में ले ले। इस योजना के अनुसार किसानों से फालगु अन्न सेवा सहकारी समितियाँ, ग्राम्य स्तर पर इकट्ठा करेंगी और वह क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, उच्च नय विक्रय सहकारी

उन अन्न उत्पादकों को जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हमारे देश में अन्न तथा कृषि उत्पादकों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्मित भंडार-गृहों की आवश्यकता है।

भारत में भंडार गृहों की आवश्यकता की ओर सन् १९५५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कृषि तथा ग्रामीणों को उधार देने की सुविधाओं के विस्तार पर अग्रणी करने के लिए १९५१ में नियुक्त 'सैमुल सर्वे क्रेडिट कमेटी' का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में भंडार गृहों की क्रिया प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव रखा जिसके परिणामस्वरूप १९५६ में भारतीय संसद में कृषि उत्पादन (विस्तार एवं भंडार गृह) निगम कानून 'एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस' (डिप्लोमेट एण्ड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन एक्ट पास हुआ, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विस्तार और भंडार गृह मंडल (नेशनल कोऑपरेटिव डिप्लोमेट एण्ड वेयरहाउसिंग बोर्ड), सन्द्रीय भंडार गृह निगम (सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) तथा प्रांतीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में प्रांतीय भंडार गृह निगम (स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) की स्थापना हुई।

प्रश्न

- 1 Write a short note on The Food Problem (Agra 1957)
- 2 Describe briefly the present food crisis in India. Examine some of the main recommendations made by the Ashok Mehta Committee (Agra 1959)
- 3 What are the main factors which are impeding the solution of the food problem in India? What measures would you recommend for these impediments? (Punjab 1959)

अध्याय १४

भारत में ग्राम्य वित्त-व्यवस्था

(Rural Finance in India)

प्रांशवा लोकोक्ति है “साख किसान को उसी प्रकार सहायक होती है जैसे फाँसने वाले की डोर किसी वस्तु को फाँसने में सहायक होती है।”* श्री निकल्सन का कथन है कि “रोम से स्काटलैंड तक कृषि का इतिहास, यह पाठ सिखाता है कि साख कृषि के अनिवार्य है।” भारतीय लोग भी उसी ग्राम को रहने योग्य समझते हैं जिसमें “एक महाजन हो जिससे आवश्यकता के समय धन उधार लिया जा सके, एक वैद्य हो, जो बीमारी में इलाज कर सके, एक ब्राह्मण पुजारी हो, जो भूमि की व्यवस्था कर सक तथा एक ऐसा जल स्रोत हो, जो ग्रीष्म ऋतु में भी न सूखे।” ये शब्द महाजन (साख) की महत्ता को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

परन्तु कृषि साख जब प्राप्त होती है तब भी एक समस्या है और यदि प्राप्त नहीं होती तब भी एक समस्या है क्योंकि “साख एक अच्छा सेवक है पर एक बुरा स्वामी।” एक बार जब मोलामाला किसान निर्दयी महाजन के चंगुल में फँस जाता है तो उसकी महाजन से जीवनपर्यन्त छुटकारा पाना असम्भव हो जाता है और उसके द्वारा लिया हुआ ऋण एक पैतृक ऋण बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ‘मास्-ताप कृषक का धर्म ऋण में होता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और इसी ऋण में उसकी मृत्यु भी हो जाती है।’ अतः भारतीय कृषि व्यवस्था में साख का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके विरोध अध्ययन की आवश्यकता है।

ऋण का परिमाण

(Magnitude of Indebtedness)

भारतीय कृषि ऋण का परिमाण ने सम्बन्ध में समय समय पर अनुमान निकालते रहे हैं। प्रमुख आँकड़ों की सूची अग्रलिखित है —

*Credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged — French proverb

वर्ष	ऋण करोड़ रुपयों में	लेखक
१९११	३००	सर एडवर्ड मैकलागन
१९२४	६००	सर माल्कम डार्लिंग
१९३०	६००	जे० सी० वी० ई० समिति
१९३५	१,२००	डा० राधाकमल मुकर्जी
१९३८	१,८००	ई० वी० यस मैनिम

विगत कुछ वर्षों से खाद्यान्नों के कारण, जर्मादारी प्रथा के अन्त हो जाने के कारण तथा सामाजिक विकास के कारण, ग्रामीण ऋण में अब कुछ कमी हो गई है। निश्चित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण कुछ कहा तो नहीं जा सकता है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखने से इस सम्बन्ध में अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। पहले की अपेक्षा किसानों की अवस्था कहीं अच्छी है। किसान लोग खेती के साथ-साथ मजदूरी का कार्य भी करने लगे हैं और मजदूरी में वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो रहा है।

कृषक की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ

भारतीय किसान को तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है —

- (१) अल्प कालीन ऋण (Short term Credit)
- (२) मध्य कालीन ऋण (Middle term Credit)
- (३) दीर्घ कालीन ऋण (Long term Credit)

अल्प कालीन ऋण

अल्प कालीन ऋण अथवा साख की आवश्यकता अल्प काल (१२ माह से १५ माह तक) के लिए होती है जिसका भुगतान अगली फसल में कर दिया जाता है। यह आमतौर पर बीज, खाद, फसल काटने, फसल बेचने, लगान चुकाने तथा दैनिक व्यय के सम्बन्ध में होती है।

मध्य कालीन ऋण

यह ऋण अथवा साख १५ माह से ५ वर्षों तक की अवधि के लिए ली जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः कृषि यन्त्रों के खरीदने, पशुओं को खरीदने, खेत पर छोटे मोटे सुधार करने, तथा सिंचाई की व्यवस्था करने आदि के लिए होता है।

दीर्घ कालीन ऋण

यह ऋण ५ वर्ष से ३० वर्ष की अवधि तक के लिए लिये जाते हैं। इसका उपयोग भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए होता है। जैसे भूमि खरीदने, कृषि सम्बन्धी औजार खरीदने, पुराने ऋणों को चुकाने, कुँआँ तथा मकान आदि बनवाने में किया जाता है।

ग्राम्य वित्त प्राप्ति के साधन (Sources of Rural Finance)

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (१९५१-५२) के अनुसार भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली सस्थाएँ तथा उनसे प्राप्त होने वाले ऋण का तुलनात्मक प्रतिशत निम्न प्रकार है —

साख सस्थाएँ सम्थागत स्रोत	ऋण का प्रतिशत अनुपात
सरकार	३३
सहकारी सस्थाएँ	२८
व्यापारिक बैंक	०६
	योग ७३
निजी सस्थाएँ	
सम्भवी	१४२
जमींदार	१५
वृषक ऋणदाता	५४६
पेशेवर ऋणदाता	४४८
बापारा तथा कमीशन एजेंट	५५
अन्य	१८
	योग १०००

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल साख अथवा ऋणों का लगभग ६३% भाग निजी सस्थाओं से प्राप्त होता है और लगभग ७% सरकारी अथवा सार्वजनिक सस्थाओं से। विभिन्न साख प्रदान करने वाली सस्थाओं का वर्गीकरण उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार इस प्रकार दिया जा सकता है —

- (१) महाजन,
- (२) सहकारी सस्थाएँ,
- (३) सरकार,
- (४) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
- (५) अन्य स्रोत—
 - (अ) देशी बैंकर,
 - (ब) व्यापारिक बैंक,
 - (स) ऋण कार्यालय,
 - (द) निधियों व चिट फाण आदि।

महाजन (Moneylenders)

ग्रामीण साख प्रदान करने वाले स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ग्रामीण महाजन है। अनादि काल से यह हमारे ग्रामीण भाइयों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति करते आये हैं। आज भी इनकी महत्ता कम नहीं है। अतिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की खोज के अनुसार ये अब भी हमारी कृषि सम्बन्धी साख आवश्यकताओं की लगभग ७०% पूर्ति करते हैं।

महाजन दो प्रकार के होते हैं—(अ) पेशेवर (Professional) तथा (ब) गैर पेशेवर (Non Professional)।

पेशेवर महाजन वे होते हैं जो रुपये में लेन देन करने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। ग्रामीण साख की दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गैर पेशेवर प्रायः जमींदार, तालुकेदार, समृद्ध किसान, अवकाश प्राप्त (रिटायर्ड) धनवान व्यक्ति तथा सम्पन्न परिवार की विधवा स्त्रियाँ होती हैं। इनका मुख्य ध्येय रुपये का लेन देन करना तो नहीं है परन्तु अच्छी धरोहर की प्रतिभूति पर परिचित व्यक्तियों को बहुधा सय्या उधार दे देते हैं।

उपरोक्त प्रणाली में शनैः शनैः अनेक दोष आ गये हैं जिनके द्वारा हमारे ग्रामीण समाज का शोषण होने लगा है। अत्यधिक शोषण की अवस्था में भारतीय मृतप्राय किसान को उचाने के लिए हमारी सरकार ने महाजनों के ऊपर अनेक वैधानिक प्रतिबन्ध लगाये हैं। प्रत्युत दोषों का निराकरण पूर्णतया नहीं हो पाया। महाजन आज भी देश के लिए एक समस्या बने हुए हैं।

महाजनों के दोष

भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड समिति (१९३१) ने अपनी रिपोर्ट में महाजनों के निम्न दोषों को दर्शाया है :—

(१) महाजन लोग ऋण देते समय ही ऋण दिये जाने वाले धन में से आगामी वर्ष तक का ब्याज काट लेते हैं और किसान-से पूरा धन प्राप्त करने की रसीद ले लेते हैं। महाजन द्वारा ब्याज प्राप्त होने की किसान को कोई रसीद न दिये जाने के कारण ब्याज को साल के अन्त में पुनः माँगा जा सकता है।

(२) महाजन किसान (ऋणी) से ऋण देते समय कोरे (bank) कागज पर दस्तखत ग्रथना अँगूठे का निशान लगावा लेते हैं और बाद में नियमित रूप से ब्याज के प्राप्त न होने पर मनमाने धन की राशि को लिप्त लेते हैं।

(३) महाजन प्रायः अपने बही खाते अथवा रजिस्टर में वास्तव में दी हुई धन राशि से कहीं अधिक लिखते हैं।

(४) ब्याज प्राप्त होने अथवा किस्त के प्राप्त होने पर महाजन द्वारा किसान को

कोई रसीद नहीं दी जाती। फलतः दी गई धन की राशि पूर्ववत् धनी रहती है। बेचारे किसान को श्रृणु देते समय न्याय के अतिरिक्त अनेक अनुचित राशें भी चुकाने पड़ते हैं जैसे गिरह खुलाइं, गद्दी खर्चा, सलामी, कटौती, मट्टान आदि।

(५) कमी-कमी श्रृणी किसान से यह शर्त भी कर ली जाती है कि वह अपरा उपज महाजन को ही बेचेगा। महाजन उपज को सदैव बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खरीदते हैं इस प्रकार उनको दुहवा लाभ होता है।

गाढगिल समिति के सुझाव

श्रृणि निम्न उपसमिति, जो गाढगिल समिति के नाम से प्रसिद्ध है, ने महाजनों के दोषों दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट में अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनमें स प्रमुख निम्नलिखित हैं —

- (१) महाजनों का अनियमित पञ्चायन (रजिस्ट्रेशन),
- (२) महाजनों को लाइसेंस देना,
- (३) निश्चित विधि के अनुसार लेखे तैयार करना,
- (४) लेखों का खुला प्रदर्शन,
- (५) श्रृणु लेने वालों को सामयिक न्यीरा देना,
- (६) श्रृणु लेने वालों से प्रत्येक प्राप्त किये गये धन का रसीद देना,
- (७) न्याय को दूर सीमित करना,
- (८) अनुचित धन लेने के विरुद्ध प्रतिबन्ध,
- (९) श्रृणु लेने वालों को महाजनों द्वारा दिये जाने वाले कष्टों अथवा हानियों के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा,

(१०) प्रत्येक राज्य में महाजनों की कयें विधियों की जाँच करने के लिए निरीक्षण करने वाली संस्थाओं को स्थापित करना।

उपरोक्त विचारों का अन्वित न हो सका क्योंकि ये ध्यानहारिक नहीं हैं। इनके दोषों को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि सात सुविधा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाय।

(२) सहकारी संस्थाएँ*

सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारी सात संस्थाएँ, जिनमें भूमि बंधक बैंक भी सम्मिलित हैं, को प्राथमिक रैंकिंग के लिए तथा महाजनों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। परन्तु इनकी सफलता एवं प्रगति के आँकड़ों को देखने के पश्चात् यही ज्ञात होता है कि यह आन्दोलन हमारे अभीष्ट उद्देश्य को पूर्ण

*विलुप्त अध्यायन के लिए पुस्तक का अध्याय “सहकारी आन्दोलन” देखिये।

करने में सफल नहीं हुआ है। इन संस्थाओं ने बैंकिंग के सिद्धान्तों का पुर्यतया नहीं अपनाया है यद्यपि ये ग्रामीण बैंकिंग का कार्य करती हैं। ये व्यवसाय के लिए अल्प एवं मध्यकालीन निक्षेप (deposits) तथा गुणों को प्राप्त करते हैं परन्तु इनके द्वारा दिये गये ऋण साधना के अनुकूल नहीं होते हैं। ऋण वापस लेने में सिधिलता, अनुत्पादक ऋण तथा क्षमता से अधिक ऋण देने के कारण अल्पकालीन ऋणों की वापसी भी निश्चित समय में नहीं हो पाती और वे स्वतः दीर्घकालीन ऋण बन जाते हैं। दिये गये ऋणों की अधिकारत वापसी नहीं हुई है।

डाक्टर ई० हाघ (Dr E Hough) ने सहकारी आन्दोलन के सफल न होने के कारणों को अपनी पुस्तक 'भारत में सहकारी आन्दोलन' में इस प्रकार दिया है, "निर्धनता तथा अणुषट्टिक भाजन, (malnutrition), विस्तृत ऋण-ग्रस्तता, निरक्षरता का अत्यधिक उँचा प्रतिशत, व्यापारिक ज्ञान का अभाव, अनार्थिक कृषि का इकाइ तथा प्राचीन कृषि प्रणाली, अपर्याप्त यातायात तथा समृद्ध सुविधा, प्रमापित प्राप-तौल के पैमाने का अभाव, अत्यधिक मूल्यों में उतार चढ़ाव, नियमित बाजारों का अभाव तथा महाजननों एवं मन्वस्था के द्वारा शोषण।"^४

सहकारी योजना समिति (C I C) ने सहकारी आन्दोलन की मंदगति के मुख्य कारणों को इन शब्दों में व्यक्त किया है, "सरकार की मुक्त व्यापार (Laissez faire) नीति, लोगों की अज्ञानता, जनता का असहयोग, प्रारम्भिक इकाइ का छोटा आकार होना तथा नि शुल्क सेनाओं पर अत्यधिक विश्वास ही आन्दोलन के प्रबन्ध की असफलता के कारण हैं।"^५

उपरोक्त व्यक्त की गई कठिनाइ को यदि दूर कर भी दिया जाय, फिर भी हमारी साख समितियाँ दीर्घ कालीन ऋण नहीं ले सकती क्योंकि —

(१) इन समितियों के आर्थिक साधन सीमित हैं।

(२) दीर्घ कालीन ऋण केवल भूमि की जमानत पर ही दिया जा सकता है। और यदि इसके स्थान पर वैयक्तिक जमानत ली जाय तो सहकारिता के सिद्धान्तों की अवहेलना होने लगेगी।

(३) भूमि सम्बन्धी जमानतों का मूल्यांकन तथा तत्सम्बन्धी अधिकारों की जाँच करने के लिए विशेष वात्रिक ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसका कि साधारण सहकारी समितियों के पास अभाव होता है।

(४) निश्चित तिथि पर दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी न होने पर इन समितियों की सम्पत्ति समाप्त हो जाती है।

^४Dr E Hough, *The Co-operative Movement of India*, 1953 p p 284 85

(५) प्रबंधक लोगों की स्वार्थपरता अथवा अकुशलता के कारण सहकारी वित्त अश्लोच, लाल चोरी तथा अवर्याप्तता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित रहती है।

जब तक उपरोक्त दोषों को दूर नहीं किया जायगा सहकारी समितियाँ ग्राम वित्त को प्रदान करने में सहायक नहीं हो सकतीं।

सरकार (The Government)

सरकार भी कई प्रकार से ग्रामीण वित्त को प्रदान करती है। १९वीं शताब्दी में किसानों को साल मुचिभाएँ पहुँचाने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण अधिनियम पार किये—

(१) भूमि सुधार अधिनियम १८८३ (Land Improvement Act 1883), तथा

(२) कृषक ऋण अधिनियम १८८४ (Agriculturists Loans Act, 1884)।

प्रथम अधिनियम के अन्तर्गत किसान को ऋण केवल भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए दिया जाता है और यह दीर्घ कालीन ऋण होता है। इस ऋण की अवधि अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक ३५ वर्ष की होती है परंतु व्यवहार में ऋण प्रायः २० वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दिये जाते हैं। ऋण का भुगतान वार्षिक किस्तों में न्याय सहित होता है।

द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत किसान की बालू, आवरणकलाओं जैसे बीज परीदना, खाद व पशु परीदना, औजार खरीदना आदि के लिए अल्प तथा माध्यमक काल के लिए ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों की अदायगी फसल कटने के बाद की जाती है।

उपरोक्त दोनों ऋणों को तकावी ऋण कहा जाता है। इस समय सरकार प्रति वर्ष लगभग ६५ करोड़ रुपये २ तकावी ऋण देती है। इनमें से ३५ करोड़ रुपये प्रथम अधिनियम के अन्तर्गत और ६० करोड़ रुपये द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं।

तकावी ऋण के दोष

(१) तकावी ऋणों पर न्याय की दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। वह प्रायः ६½% वार्षिक होती है जब कि सहकारी संस्थाएँ केवल ६% न्याय लेती हैं। शाली चर्का का कहना है कि सरकार को सहकारी संस्थाओं से कम न्याय की दर पर ऋण देने चाहिए।

(२) ऋणों को प्राप्त करने में अनेक वैधानिक उपचार करने पड़ते हैं।

(३) ऋण मिलने में समय भी बहुत लगता है। प्रायः ऋण ऐसे समय पर मिलता है जब ऋण की आवश्यकता नहीं रहती।

(४) ऋण वसूल करने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कठोरता का व्यवहार किया जाता है।

उपरोक्त दोषों के कारण किसान को अपनी कृषि साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजन की शरण में ही जाना पड़ता है जो उनका शोषण करने में नहीं चूकता।

तक़ावी ऋणों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए दो सुझाव दिये जा सकते हैं :—

(१) तक़ावी-ऋणों के प्रशासन की कठोरता को कम करना चाहिए तथा ऋण देने में विलम्ब एवं ऋण वापस लेते समय की जाने वाली कठोरता को दूर करना चाहिए।

(२) सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी शर्तों एवं सुविधाओं को अधिक से अधिक जनता में प्रसारित करना चाहिए जिससे वे अधिकतम उपयोग कर सकें।

रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया

(Reserve Bank of India),

हमारी वृषि अर्थ व्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया का प्रारम्भ से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और जब से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उसका महत्व और भी बढ़ गया है। यद्यपि बैंक ग्रामीण साख-सुविधाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं करता है परन्तु इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली सहायता कम महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं को उनकी ऋण नीति एवं संगठन के सम्बन्ध में सलाह देना है।

प्रारम्भ से लेकर आज तक बैंक ने ग्रामीण वित्त प्रदान करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य एवं सेवाएँ की हैं उनका सक्षित व्यौरा इस प्रकार है—

(१) कृषि साख विभाग की स्थापना—बैंक की स्थापना के समय ही रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया, अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत यह ग्राहोर्जन किया गया था कि वह ग्रामीण एवं वृषि साख प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का समुचित संगठन एवं एकीकरण करे। इसी उद्देश्य से एक विशेष विभाग—वृषि साख विभाग 'जोड़ा गया, जिसके दो उद्देश्य हैं :—

(१) वृषि साख सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ रचना तथा समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को राज्य सहकारी बैंकों अथवा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को सलाह देना तथा उनका उचित मार्ग प्रदर्शन करना।

(२) अपनी क्रियाओं को वृषि साल से सम्बन्धित रखना तथा वृषि साल से सम्बन्धित राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को संगठित करना।

(२) रिजर्व बैंक और सहकारी सार्व—रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट, १९१४ के अन्तर्गत वृषि को सहकारी आन्दोलन के द्वारा साल प्रदान करने का कर्तव्य भी रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को ही सौंपा गया था। इसके अनुसार यह बैंक राज्य (प्रान्तीय) सहकारी बैंकों को दो प्रकार से अल्पकालीन साल प्रदान करता है :

(अ) राज्य सहकारी बैंकों या अनुसूचित बैंकों की प्रतिभूति पर अल्पकालीन अधिम (advances) देकर, तथा

(ब) राज्य सहकारी बैंकों या अनुसूचित बैंकों की विनिमय विपदा (B/E) अधम बचन पत्रों (P/N) को पुनः भुना कर अथवा उनकी प्रतिभूति पर अधिम (advances) देकर, यदि ये प्रतिभूतियाँ (securities) १५ माह न अन्दर परिपक्व (mature) हो जायें और यदि ये मौसमी (seasonal) वृषि क्रियाओं या उनके विपणन को पुनः प्रदान करने के लिए लिखी गई हों।

सन् १९५१ के पश्चात्

सन् १९५१ तक पूरा उपरोक्त प्रावधानों का राज्य सहकारी बैंकों द्वारा बहुत कम प्रयोग किया जाता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि रिजर्व बैंक की श्रृंखला देने का शर्त बहुत कठोर थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रगतिशील वृषि नीति अपनाते और सन् १९४९ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से तथा विशेष रूप से सन् १९५१ में हुए संशोधन के पश्चात् शायद साल पहुँचाने में रिजर्व बैंक का पार्ट अधिक महत्वपूर्ण रहा है।

सन् १९५१ में रिजर्व बैंक एक्ट में किये गये संशोधन के अनुसार —

(१) रिजर्व बैंक द्वारा मौसमी वृषि क्रियाओं और फसलों की बिक्री के लिए दी जाने वाली अल्पकालीन साल की अवधि ६ माह की जगह १५ माह कर दी गई है।

(२) अनुसूचित बैंकों को विनिमय विपदा (B/E) और बचन-पत्रों (P/N) को खरीदने, बेचने और पुनः भुनाने की जो सुविधाएँ रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती थीं वे अब राज्य सहकारी बैंकों को भी दी जाने लगी हैं।

(३) रिजर्व बैंक को मिश्रित खेती (mixed farming) तथा फसलों के विभाजन (processing) के लिए अल्पकालीन साल देने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(४) रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को साल देने की दिशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये हैं।

(५) यद्यपि नवम्बर, १९५१ में बैंक दर को ३% से बढ़ाकर ३½% और फिर

मई १९५७ में ३३% से बढ़ाकर ४% कर दिया गया था तब भी सहकारी संस्थाओं को वृद्धि के लिए पूर्ववत् १३% की दर पर ही ऋण दिये जा रहे हैं।

(६) ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के सुझाव के अनुसार १ सितम्बर, १९५१ से कोषों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने की दर घटा दी गई है।

(७) देश के सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर छोड़कर) में सहकारी साख आन्दोलन के पुनर्संगठन की योजना बनाने में रिजर्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख पर्यवेक्षण समिति, १९५१

(All India Rural Survey Committee, 1951)

अगस्त सन् १९५१ में श्री ए० डी० गोरेवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख का पर्यवेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने सम्पूर्ण भारत की ग्रामीण साख का पर्यवेक्षण (Random Sampling) के आधार पर किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५४ में प्रेषित की। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(१) रिजर्व बैंक का अधिक से अधिक सहयोग—ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख का विकास करने के लिए सरकार का रिजर्व का अधिक से अधिक सहयोग आवश्यक है। ग्रामीण साख को संगठित करने के लिए एक 'ग्रामीण साख समग्र-करण योजना' (Integrated Rural Credit Scheme) होनी चाहिए। समिति के अनुसार योजना का उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें सहकारी संस्थाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाएँ अपने व्यक्तिगत सङ्कुचित दृष्टिकोण एवं लाभ को छोड़ कर किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सलग्न हों। सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथे म कार्य करना चाहिए। यह साध्य इन क्षेत्रों में होगा—

(अ) सहकारी साख के क्षेत्र में,

(ब) खेती सम्बन्धी समूह, सतुलन तथा विपणन के कार्यों में,

(स) संग्रहालयों (Warehouses) तथा गोदामों की सुविधाएँ देने में, तथा

(द) व्यापारिक बैंकों के कार्य क्षेत्र में सहयोग देना।

(२) बैंकों का सुधार—बैंकों को सुधारने तथा उनके सङ्कुचित विकास के लिए समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं—

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र में आर्थिक, प्रशासन तथा तांत्रिक सहायता को सुसंगठित करना,

(ब) विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति के अनुसार उक्त संगठन की जिलों में व्यवस्था करना,

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई बैंकों की शाखाओं को प्रत्येक स्तर पर भूमि बंधक बैंकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिए।

(द) नवीन भूमि बंधक बैंक तथा ग्राम सहकारी समितियों का उद्देश्य पैमाने पर पुनर्गठन।

(३) विभिन्न कोषों का निर्माण—योजना को सफल बनाने के लिए तथा पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए समिति ने निम्न कोषों के निर्माण की सिफारिश की है, (अ) रिजर्व बैंक के अधीन

(क) राष्ट्रीय वृषि साल (दीर्घ कालीन) कोष,

(ख) राष्ट्रीय वृषि साल (स्थिरीकरण) कोष,

(घ) केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन

(क) राष्ट्रीय वृषि साल (सहायताार्थ तथा गारन्टी) कोष

(स) राष्ट्रीय सहकारिता एवं समूहालय विकास परिषद् (Board) के अधीन

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोष

(ख) राष्ट्रीय समूहालय विकास कोष

(द) स्टेट बैंक के अधीन

(अ) समन्वयकरण तथा विकास कोष

(य) राज्य सरकार के अधीन

(क) राज्य वृषि साल (सहायताार्थ तथा गारन्टी) कोष, तथा

(ख) राज्य सहकारिता विकास कोष।

(र) राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के अधीन

(क) वृषि साल स्थिरीकरण कोष

(४) इम्पीरियल बैंक तथा अन्य राज्य बैंकों को मिलाकर एक 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' नामक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का जाय।

(५) प्रत्येक स्तर पर तथा विभिन्न गण्यों में एक केन्द्रीय समिति द्वारा सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जो सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के कमचारियों को उचित शिक्षा प्रदान करे।

समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

(१) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण—१६ अप्रैल सन् १९५५ का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बिल लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह दोनों सदनों (Houses) द्वारा पास कर दिया गया। राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी अनुमति ८ मई सन् १९५५ को दे दी। फलस्वरूप १ जुलाई १९५५ से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कार्य करने लगा। इस बैंक को ५ वर्षों के अन्दर ४०० शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

(२) त्रिभिन्न कोषों की स्थापना—सन् १९५५ में रिजर्व बैंक एक्ट में सशो धन करके दो कोषों की स्थापना की गई—

(अ) राष्ट्रीय कृषि खात (दीर्घ कालीन) कोष, तथा

(ब) राष्ट्रीय कृषि खात (सिंथरीकरण) कोष ।

प्रथम कोष की स्थापना १० करोड़ रुपये से की गई है । यह धनराशि राज्य सरकारों तथा भूमि बंधक बैंकों को दीर्घ कालीन ऋण और अग्रिम (advances) देने के काम में लाई जा रही है ।

द्वितीय कोष की स्थापना १ जुलाई १९५६ को एक करोड़ रुपये से की गई है, जिसमें ३० जून १९६१ तक वार्षिक एक करोड़ रुपये जमा होते जायेंगे । इसका उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण को सुविधाएँ देना है ।

(३) सहकारी प्रशिक्षण—सहकारिता की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए रिजर्व बैंक तथा सरकार के संयुक्त प्रयत्नों से एक केन्द्रीय सहकारिता प्रशिक्षण की स्थापना हुई है जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जायगी ।

इस योजना के अन्तर्गत उच्च पदाधिकारियों की शिक्षा के लिए पूना में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है । मध्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ५ प्रशिक्षण केन्द्र पूना, मद्रास, पूसा, इन्दौर तथा मेरठ में खोले गये हैं ।

(४) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में खातों की सुविधा— नये नये डाकघानों की स्थापना की जा रही है और उनमें सेविंग्स बैंक में खाते खोलने की सुविधा भी अधिक से अधिक दी जा रही है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली के प्रधान कार्यालयों में सेविंग्स बैंक के खातों में से प्रति सप्ताह दो बार रुपये निकालने और अधिकतम रकम १ सप्ताह में १००० रुपये तक निकालने की योजना चालू की गई है ।

(५) ऋण पत्रों की मान्यता— रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यह निश्चित कर लिया है कि अखिल भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन कारपोरेशन (I F C) तथा राज्य अर्थ प्रबन्धन कारपोरेशनों (S F C) तथा भूमि बंधक बैंकों के ऋण-पत्र सरकारी प्रतिभूतियों के समान, उधार लेने के सम्बन्ध में, प्रतिभूति समझी जायगी ।

(६) बैंक के कर्मचारियों का प्रशिक्षण— देश में बैंकिंग कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की पूर्ति के लिए सन् १९५५ में बम्बई में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज स्थापित किया है ।

देशी बैंकर

आनीय अर्थ व्यवस्था में देशी बैंकों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । कड़ी कड़ी

संस्थाओं के होते हुए भी हमारे किसान अपनी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशी बैंकों की सहायता लेते हैं। ये देशी बैंक लगभग प्रत्येक गाँव, कस्बे तथा नगर में होते हैं। इनके द्वारा ऋण दिये जाने की शर्तें बहुत ही सरल एवं आकर्षक होती हैं। अनेक गुणों के साथ साथ इनकी पद्धति में बहुत से भयानक दोष भी आ गये हैं। इन दोषों का अध्ययन हम विस्तार में 'महाजन' के अन्तर्गत कर चुके हैं। सरकार ने भी इनकी पद्धति को सुधारने के लिए निष्फल प्रयत्न किये हैं। यदि इनके दोषों का निराकरण हो जाता है तो निस्सन्देह ये हमारी ग्रामीण वित्त व्यवस्था में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

व्यापारिक बैंक

देश में व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा विनिमय बैंक सहित प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण साख प्रदान करने में बहुत कम महत्व रखते हैं। अनुमान है कि कुल ग्रामीण साख की आवश्यकता का एक प्रतिशत भाग इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बैंक ग्रामीण वित्त प्रदान करना अपने व्यापारिक क्षेत्र का अङ्ग नहीं समझते हैं, क्योंकि इनका सगठन ग्रामीण दीर्घ एवं अल्पकालीन साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है। हाँ ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों तथा व्यवसायियों द्वारा ग्रामीण वित्त में सुधार करते हैं। परन्तु मध्यस्थाँ द्वारा यह प्रत्यक्ष वित्त-व्यवस्था बहुत महँगी पड़ती है। कभी-कभी इनकी शर्तें इतनी कड़ी तथा ब्याज की दर इतनी ऊँची होती है कि भारतीय किसान इनकी अपेक्षा महाजनों अथवा देशी बैंकों से ऋण लेना अधिक हितकर समझता है।

ऋण कार्यालय

इस प्रकार के कार्यालय उगल में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये प्रारम्भ में भूमि बंधक बैंकों के आभार पर सगठित किये जाते थे। इनकी संख्या लगभग १ हजार तथा पूँजी करीब १० करोड़ रुपये है। ये कार्यालय अपना कार्य जनता से प्राप्त राशि में ही करते हैं, तथा इस प्रकार की जमा पर ४% से ८% तक ब्याज देते हैं। ये कार्यालय भूमि, जेवर तथा कभी-कभी व्यक्तिगत साख पर भी बर्मादारा तथा किसानों को ऋण दिया करते हैं।

निधियाँ तथा चिट कोष

इस प्रकार की संस्थाएँ मुख्यतः मद्रास राज्य में पाई जाती हैं। प्रारम्भ में ये संस्थाएँ पारस्परिक ऋण सामंतिग की भाँति थीं। परन्तु अब वे शरीर-शरीर: अर्थसंश्लेषण संस्थाओं के रूप में विकसित हो गई हैं। इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत होता है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों में बचत की भावना को जागृत करना, पुराने कर्जों से मुक्तकार्य दिलाना तथा सदस्यों की दैनिक ऋण

सम्बन्धी आवश्यकताओं की श्रृण पूर्ति के लिए एक कोष की स्थापना करना है। इन सस्थाओं में भी कुछ दोष हैं यदि ये दोष दूर हो जाते हैं तो निस्संदेह ये सस्थाएँ भी भारतीय ग्राम्य श्रृण प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण श्रृण

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी तथा सरकारी सस्थाओं द्वारा ग्राम्य वित्त व्यवस्था में प्रति वर्ष १ अरब रुपये के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के अन्तिम तीन वर्षों में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाली सस्थाओं को ५ करोड़ रुपये और अधिक देने की व्यवस्था की गई थी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण श्रृण प्रदान करने के लक्ष्य पहली योजना की अपेक्षा में कहीं अधिक निर्धारित किये गये। इस योजना काल में सहकारी सस्थाओं द्वारा अर्धकालीन श्रृणों की मात्रा पहली योजना में नियत ३० करोड़ रुपये से बढ़ा कर १५० करोड़ रुपये, मध्यकालीन श्रृण की मात्रा १० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ५० करोड़ रुपये और दीर्घकालीन श्रृणों की मात्रा ३ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २५ करोड़ रुपये कर दी गई है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैङ्क द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सरकार भी ४८ करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी।

सहकारिता आन्दोलन का विभिन्न राज्यों में विकास*

सन् १९५७-५८ में रिजर्व बैङ्क ऑफ इन्डिया द्वारा देश के दस राज्यों में से ११ जिलों में आयोजित (First Rural Credit Follow Up Survey) की जाँच के अनुसार बम्बई, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में ५०% से अधिक ग्राम प्रारम्भिक साख समितियों (Primary Credit Societies) के अन्तर्गत आ गये थे। राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः १३%, २७% तथा ३६% था। प्रारम्भिक साख समिति में औसत न्यूनतम कार्यशील पूँजी प्रति सदस्य ३८ रु० बिहार में थी और अधिकतम कार्यशील पूँजी २२१ रु० बम्बई में थी। मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास में यह १२० रु० और १६० रु० के बीच तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर तथा राजस्थान में यह ५० रु० और १०० रुपये के बीच थी।

दस राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा सहकारी सस्थाओं को श्रृण तथा अग्रिम देने में महत्वपूर्ण स्थान क्रमशः मद्रास (६ रु० प्रति व्यक्ति), बम्बई (७ रु० प्रति व्यक्ति) आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश (६ रु० प्रति व्यक्ति) आदि का था। साख न देने वाली

* रिजर्व बैङ्क ऑफ इन्डिया, 'बुलेटिन' मई १९६०, पृष्ठ ६८३-८४

समितियों (Non Credit Societies) को राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम ऋण दिये गये । राज्य तथा केन्द्रीय बैंकों का स्थान इसके पश्चात् आता है ।

प्रश्न

1. What are the main agencies at work in the provision of agricultural finance in India ? Examine their adequacy, along with your suggestions, if any
(Raipurana, 1952, 1955)

2. Examine the existing agencies for financing agriculture in India. What have been their limitations ? What steps have been taken in recent years to remove them ?
(Patna, 1956)

3. What are your suggestions for the reorganisation of rural credit in this country ? Has the role of the Reserve Bank of India in the provision of agricultural credit been satisfactory ?



अध्याय १५

भारतीय कृषि नीति का विकास

(Evolution of Indian Agricultural Policy)

कृषि ही भारतवर्ष की आधार शिला है। यही उसकी विशाल जनसंख्या के लगभग ७०% भाग की रोटी रोज़ी की समस्या को हल करती है। दूसरे शब्दों में, भारत के राष्ट्रीय ढाँचे में कृषि का स्थान सर्वोपरि है और हमारी आर्थिक उन्नति उसके विकास पर ही निर्भर है। परन्तु यह सब होते हुए भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। डॉ० क्लाउस्टन के शब्द “भारत में दलित जातियाँ हैं, दलित उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्य से कृषि उनमें से एक है।” अक्षरशः सत्य हैं। भारतीय कृषि के विकास के प्रति विदेशी सरकार की नीति भी बहुत सराहनीय नहीं रही है। समय-समय पर जो कदम उठाये गये, वे केवल भारतीय कृषकों के श्रॉसू पोछने के तुल्य रहे हैं। विदेशी सरकार अपने शासनकाल में ऐसी कृषि नीति को अपनाती रही है जो उसके हित में थी।

प्लासी के युद्ध के ठीक ३० वर्ष पश्चात् सन् १८८७ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने Dr. Hove को भारतीय कपास व्यापार तथा कपास के बीजों का अध्ययन करने के लिए भेजा क्योंकि कम्पनी भारत में उत्पन्न की जाने वाली कपास के गुण (quality) में रुचि (interest) रखती थी। कपास के गुण के अनुसार ही उसके द्वारा बनाये जाने वाले कपड़ों के गुण का भी निर्धारण होता था। कम्पनी तथा तत्पश्चात् ब्रिटिश सरकार का यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता के पूर्व तक चलता रहा। यद्यपि ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित कृषि नीति में अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी समय-समय पर सम्मिलित होते गये। यह कहना गलत होगा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में भारतीय हितों को हानि पहुँचाई। कम्पनी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना था। अतः कम्पनी ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के विरोध के बावजूद भी भारतीय उद्योगों को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की। जब ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का पूर्णतया विकास हो गया और भारतीय वस्त्र उनका मुकाबला न कर सके, स्वभावतः कम्पनी को अपना रुख बदलना पड़ा।

सन् १८०५ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड वेल्लेज़ली (Lord Wellesley)

भारतीय सरकार के ऊपर लाद्यान की पूर्ति का दोषग्र दागित्व आ गया। एक ओर वो देश के नागरिकों की और दूसरी ओर युद्ध में लगे हुए व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। लाद्यान की पूर्ति के अभाव में भारतीय सरकार को परतरी सन् १९४२ में प्रथम लाद्य उत्पादन परिपद की तुलाने के लिए विवश किया। इस परिपद की सिफारिशों के आधार पर ही 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन (Grow More Food Campaign) १९४२-४७ का निर्माण हुआ। सन् १९४७ में केन्द्रीय सरकार ने कृषि विकास तथा खोज की योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान (Financial Grants) देना प्रारम्भ कर दिया।

लाद्यान नीति समिति १९४४—लाद्यान नीति समिति जो कि Gregory Committee के नाम से प्रसिद्ध है, ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल लाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक अन्न उपजाओ योजना की सिफारिशों के परिचालन पर जोर दिया। समिति ने तरकारियों तथा पत्तों के उत्पादन को बढ़ाने की भी सिफारिश की। ज़ेती में सुधार करने के तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक ताकिक सुभाव दिये। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की कृषि सम्बन्धी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का सुभाव दिया जिससे लाद्यानो पर नियंत्रण आसानी से रखा जा सके।

खरेगाट रिपोर्ट (The Kharegat Report 1944)—Imperial Council of Agricultural Research की एक विशेष समिति जिसके अध्यक्ष Sir Pheroze Kharegat थे, ने भारतीय कृषि विकास के सम्बन्ध में १९४४ में एक रिपोर्ट प्रेषित की। इस समिति ने कृषि नीति के अतिरिक्त भूमि संरक्षण, उत्तर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा जल शक्ति के प्रयोग में भी महत्वपूर्ण सुभाव दिये। सिंचाई तथा बहुउद्देशीय बाँधों के निर्माण पर अत्याधिक जोर दिया।

बंगाल अकाल जाँच आयोग १९४५—बंगाल अकाल जाँच आयोग १९४५ ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सुभाव दिये। सिफारिशों पर पूर्णतया विचार करने के पश्चात् सरकार ने जनवरी १९४६ में अपनी साब एव कृषि नीति को घोषित किया। नीति के अनुसार सरकार का उद्देश्य बवल अकाल के प्रकापों को दूर करना ही न होगा बल्कि वह बरतान की रकू हता को बढ़ा कर उपभोग के स्तर को ऊँचा करेगी तथा एक स्वस्थ एवं सुस्थल में शक्ति का आनन्द करेगी।

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास समिति रिपोर्ट १९४७ व ४८

सितम्बर १९४७ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में लाद्यान नीति समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपना अन्तरिम रिपोर्ट नवम्बर १९४७ में तथा अन्तिम (final) रिपोर्ट मई १९४८ में घोषित की। इस समिति का उद्देश्य देश के विभाजन द्वारा उत्पन्न कृषि एवं लाद्य संकट का अध्ययन करना था। अन्तरिम

(३) बीज खाद व उर्वरकों की पूर्ति की योजनाएँ, और

(४) विविध योजनाएँ ।

(१) छोटे सिंचाई के कार्य (Minor Irrigation Works) — इसके अन्तर्गत कुँआ की मरम्मत करना, नये कुए खुदवाना, तालाब बनवाना, पुनः बालाबों की सफाई व मरम्मत करवाना तथा ड्यूयुम वेल लगवाना आदि है ।

(२) भूमि सुधार के कार्य (Land Reclamation Work) — इसके अन्तर्गत ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि क्षरण के लिए मेड़ बनवाना तथा यांत्रिक खेती करवाना आदि हैं ।

(३) बीज खाद व उर्वरकों की पूर्ति की योजनाएँ — इसके अन्तर्गत उन्नत बीजों, खाद, उर्वरक आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए आर्थिक सहायता (subsidies) देते हैं । इसके अतिरिक्त ग्रहण कालीन ऋण दिये जाते हैं ।

(४) विविध योजनाएँ (Miscellaneous Schemes) — इसके अन्तर्गत गैर सरकारी सहायक खाद्य पदार्थ जैसे चुकन्दर, कला, गालू तथा अन्य सब्जियों की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है । फसला को बीमारियाँ से बचाने, जंगली जानवरों से बचत करने आदि की योजनाएँ सम्मिलित हैं । ऐसी योजनाएँ भी अपनाई गई हैं जिससे किसानों को अपने खेतों पर उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले ।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ का संशोधित पंचवर्षीय कार्यक्रम — इस प्रकार से ‘अधिक अन्न उपजाओ’ का संशोधित नया पंचवर्षीय कार्यक्रम लागू हुआ । अगस्त १९४६ में भारतीय सरकार के साथ आयुक्त ने कार्यक्रम की व्याख्या विस्तार में की । आयुक्त ने नवीन अधिक अन्न उपजाओ योजना को सरकार द्वारा निश्चित युद्ध स्तर पर चलाने पर जोर दिया और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम व योजनाएँ बनाई । प्रत्येक राज्य (State) में साथ आयुक्त (Food Commissioner) के साथ कैबिनेट की एक समिति होगी और इस समिति का मन्त्री साथ आयुक्त होगा । इस समिति का उत्तरदायित्व नवीन अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम को चलाने का होगा । प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी (District Officer) होगा जिसका कर्तव्य विभिन्न विभागों की क्रियाओं का समन्वय करना होगा । गैर सरकारी संगठन भी होगा जो कि किसानों से व्यक्तिगत रूप में सम्बन्ध स्थापित करेंगे और उनके उत्तरदायित्व को निभाने की सलाह देंगे ।

कृषि नीति की घोषणा में राज्यों (States) को ‘अधिक अन्न उपजाओ’ कार्यक्रम के अन्तर्गत उदार अनुदान (grants in aid) देने की शर्तें भी बताई गईं । बेकार अथवा ऊसर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी की गई । केन्द्रीय सरकार ने स्वयं अपना ‘केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन’

(Central Tractor Organisation) स्थापित कर लिया है और इसके परिणाम भी बहुत सन्तोषजनक रहे हैं।

‘नवीन ग्रहिक यन्त्र उपजायों’ कार्यक्रम लोचपूर्ण था और इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर उद्देश्य तथा विधियाँ में संशोधन कर दिया जाता था। १९५७ में कृषि के श्रवणमूल्यन (devaluation) तथा अन्य समस्याओं के कारण जूट तथा कपास का संकट उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान से आयात लगभग बन्द हो गये। अतः जून १९५७ में खाद्य उत्पादन के साथ साथ जूट तथा कपास के उत्पादन को बढ़ाने की भी घोषणा की गई। कालान्तर में नवीन ग्रहिक यन्त्र उपजायों’ कार्यक्रम के अन्तर्गत समुद्री तथा आन्तरिक मत्स्य उद्योग (fishery) तथा सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ भी सम्मिलित कर ली गईं। खाद्य पदार्थों के स्थानान्तरण (transportation) को सुगम बनाने के लिए एक विशिष्ट ‘पूर्ति तथा गति संगठन’ (Supply and Movements Organisation) (जैसा कि लार्ड वायट प्रॉर ने सुझाव दिया था) स्थापित किया गया। लार्ड वायट प्रॉर ने एक पक्ष भी विस्तारित किया कि अतिवृत्त रूप से किसान का खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उत्तरदायित्व का सम्भारना चाहिए। तदनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जूट उत्पादन प्रतियोगिता तथा पुरस्कार का प्रायोजित किया गया है। इस योजना ने आगे बढ़कर ‘राष्ट्रीय विस्तार सेना’ (N E S) तथा अन्य सहायक योजनाओं का रूप धारण कर लिया।

‘अधिक यन्त्र उपजायों’ कार्यक्रम के परिणाम तथा विवेचना

१९५०-५१ के अन्त में केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय ने ‘अधिक यन्त्र उपजायों’ योजना के परिणामों की विवेचना (review) करवाई। Indian Council of Agricultural Research ने भी इस सम्बन्ध में जाँच की। केन्द्रीय सरकार ने उक्त समस्याओं द्वारा की गई विवेचना के अनुसार ‘अधिक यन्त्र उपजायों’ नीति में निम्न संशोधन किये —

(१) सुनिश्चित वर्षा तथा सिंचाई वाले क्षेत्रों में बीज तथा खाद की योजनाओं का केन्द्रीयकरण।

(२) सिंचाई की छोटी योजनाओं तथा भूमि सुधारों के लिए समिष्ट (compact) क्षेत्रों का चुनाव।

(३) कन्ट्रोल सरकार द्वारा चालित तथा अर्धप्रभुत्वित (financed) नल कुएँ (sub-wells) के निर्माण का विशेष कार्यक्रम।

(४) स्थायी परिव्याम देने वाली योजनाओं पर जोर देना।

(५) राज्य अनुदान (subsidies) की अपेक्षा ऋणों के द्वारा भूमि सुधार-योजनाओं को बढ़ाया देना ।

(६) 'अधिक अन्न उरजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु तथा मछली उद्योग की योजनाओं को सम्मिलित करना ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नीति

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने सरकार देश की खाद्य तथा कृषि नीति में, जो कि अन्न १९४८ में प्रस्तावित जा रही थी, और विस्तार कर दिया । नीति का उद्देश्य सम्पूर्ण देश के लिए पर्याप्त ग्वाचात्र उत्पन्न करना था जो कि न केवल मात्रा में ही अधिक हो, बल्कि गुण (quality) में भी । योजना के प्रारम्भ होने से पूरा देश में खाद्य व अखाद्य फसलों का उत्पादन आवश्यकता से कम होता था । प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य देश के साथ और उरभाग व स्तर को द्वितीय महायुद्ध के समय प्रचलित स्तर पर लाना था । खाद्यान्न की समस्या के अतिरिक्त देश में युद्ध तथा विभाजन के कारण आधारभूत कृषि कच्चे माल का समस्या भी थी । अतः नीति के विस्तृत ढाँचे के अन्तर्गत योजना को देश के खाद्यान्न के तथा कुछ मुख्य अखाद्य फसला जैसे कपास, जूट, गन्ना तथा तिलहन के उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान देना पड़ा ।

योजना के प्रारम्भ में देश में तीस लाख टन खाद्य पदार्थों की कमी थी । उस कमी को दूर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये—

वस्तु	उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	७६ मि० टन	१४
तिलहन	०.४ मि० टन	८
गन्ना	०.७ मि० टन	१३
कपास	१३ मि० गाँठें	४५
पटसन	२१ मि० गाँठें	६४

प्रथम योजना में कृषि और सामुदायिक विकास पर ३५७ करोड़ रुपये तथा सिंचाई और शक्ति पर ६६१ करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे, जो कुल व्यय के क्रमशः १५.१% और २८.१% थे । ये दोनों मिल कर प्रथम योजना के लगभग आधी व्यय का बराबर हो जाते हैं । इस प्रकार कहा जाता है कि प्रथम योजना एक कृषि प्रधान योजना थी । इस योजना में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई ।

योजना की प्रगति—योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य योजना काल के पूर्व ही प्राप्त हो गये। निम्न तालिका में कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का स्पष्ट विवरण दिया गया है :—

वस्तु	इकाई	१९५१-५२	५२-५३	५३-५४	५४-५५	५५-५६
खाद्यान्न	मि० टन	५.१२	५.८३	६.८७	६.५५	६.५०
तिलहन	मि० टन	०.६८	०.४७	०.५३	०.५८	०.५५
गन्ना (गुड़)	मि० टन	०.६१	०.५०	०.६६	०.५५	०.५८
कपास	मि० गॉर्ड	०.३१	०.३२	०.३८	०.४३	०.४२
जूट	मि० गॉर्ड	०.४७	०.४६	०.३१	०.२८	०.६०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—अनुमान है कि वर्तमान उद्योग की मात्रा के आधार पर द्वितीय योजना के अन्त में देश की लगभग ७०५ लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील औद्योगीकरण के कारण अधिक कृषि सम्पन्नी कच्चे माल की भी आवश्यकता हुई। योजना काल में कृषि उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये—

वस्तु (Commodities)	इकाई (Units)	१९५५-५६ में अनुमानित उत्पादन	१९६०-६१ में अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन	६५०	७५०	१५
तिलहन	"	५५	७०	२७
गन्ना (गुड़)	"	५८	७१	२२
कपास	लाख गॉर्ड	४२	५५	३१
पटसन	"	४०	५०	२५

उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्वितीय योजना काल में कृषि तथा खाद्य-आर्थिक विकास पर ५६८ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जो कि कुल व्यय के ११.८% है। इन ५६८ करोड़ रुपये में से ३४१ करोड़ रुपये कृषि कार्यक्रमों पर और शेष २२७ करोड़ रुपये आनुदायिक विकास योजनाओं आदि पर व्यय किये जायेंगे। योजना के प्रकाशित होने ही देश के कुछ अर्थशास्त्रियों ने योजना की आलोचना करते हुए कहा कि देश में कृषि की अपेक्षा उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। उद्योगों पर व्यय की जाने वाली वन-राशि ८३० करोड़ रुपये जो कुल व्यय की १८.५% थी। फलस्वरूप

राष्ट्र परिषद् ने कृषि उत्पादन पर अधिक जोर दिया। जल योजना की उपयुक्तता के सम्बन्ध में वादविवाद अधिक बढ़ने लगा था। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दा में कहा कि "वस्तु स्थिति हमारे सम्मुख है, हमें दो में से एक को चुनना है—कृषि उत्पादन बढ़ाकर योजना को सफल बनाना या योजना को ही छोड़ देना। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है।"

पञ्जररूप योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्यों को पहले से १८ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इसमें से ताद्यात्म्य का लक्ष्य पहले से २५% अधिक है और अलाय अथवा व्यापारिक (cash) फसल का लक्ष्य ३४% अधिक है। सशोधित लक्ष्य प्रारम्भिक लक्ष्यों के साथ साथ निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं—

वस्तु (Commodities)	इकाई Units	१९५२-५६ का उत्पादन योजना के प्रारम्भिक अवधारणा लक्ष्य सशोधित लक्ष्य	वृद्धि का प्रतिशत			
			योजना के अनुसार	सशोधित		
ज्वार	लाख टन	६५०	७१०	८०४	१६	२४.६
तिलहन	"	५५	७०	७६	२७	३७.०
गां (गुड़)	"	५८	७१	७८	२२	३३.६
बराह	लाख गांठ	४२	५५	६५	३१	५५.६
पटसन	"	४०	५०	५५	२३	५८.१

योजनाओं पर व्यय

प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः २४० करोड़ और ३४१ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। इस धन राशि में सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के व्यय सम्मिलित नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली धन राशि तथा उसका प्रतिशत निम्न तालिका से ज्ञात होगा—

विकास के मद	प्रथम योजना		द्वितीय योजना	
	करोड़ रुपये	योग का प्रतिशत	करोड़ रुपये	योग का प्रतिशत
कृषि	१६६	८१.७	१७०	४९.६
पशु पालन	२२	९.२	५६	१६.४
वन और भूमि संरक्षण	१०	४.२	४७	१३.८
मछली	४	१.६	१२	३.५
शोदायन एवं सिपयन तथा सहकारिता	७	२.९	४७	१३.८
अन्य	१	०.४	६	१.६
योग	२४०	१००.०	३४१	१००.०

द्वितीय योजना में कृषि विकास के उद्देश्य—प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीणत्वान करना था। द्वितीय योजना में खाद्यान्न के साथ व्यापारिक (cash) फसलों की वृद्धि तथा सहायक खाद्य पशुओं की वृद्धि पर जोर दिया गया है। योजना में कृषि विकास समग्र की प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

(१) कृषि उत्पादन में १८% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जब कि प्रथम योजना में १५% था।

(२) कृषि उत्पादन में निम्नलिखित।

(३) उच्च नैसर्गिक-क्षेत्र में उन्नति होगा और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित होगा बंस बंस नैसर्गिक फसलों और सहायक खाद्य पशुओं तथा तरकारी, फल, दूध व पदार्थ, मछली मत्स्य और वन्य जन्तु उत्पादन का और अधिक ध्यान देना होगा।

(४) ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में भाग का उपयोग एवं प्रसारण करने के लिए सरकारी (institutional arrangement) के निमाण की और अधिक योजना जायगी, जिससे मूल्य पर निर्भर जनसंख्या के साथ अधिकतम सामाजिक न्याय हो सके।

द्वितीय योजना में कृषि विकास का विशदताएँ प्रमुख विशेषताएँ निम्न लिखित हैं—

(१) भाग के प्रयोग क्षेत्रों की योजना बनाना।

(२) कृषि उत्पादन के दीर्घकालीन व अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना।

(३) उत्पादन लक्ष्यों में सरकारी सहायता, विकास कार्यक्रम तथा भूमि प्रयोग योजनाओं को एक दूसरे से सम्बद्ध करना।

(४) उपयुक्त मूल्य नाति का निर्धारण करना।


राज्य - किसानों में जो नाराएँ आदि हैं उनसे योजना का पुनर्निर्माण दो बार किया जा चुका है। सन् १९५८ के खाद्य संकट के पुनर्निर्माण के समय खाद्य उत्पादन के लक्ष्य में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार १०० लाख टन की जगह अब ११५ लाख टन का वृद्धि की जायगी।

योजनाओं की सफलता

राज्य के प्रथम दस वर्षों में कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक प्रगति रही है ऐसा कि हम विद्वाने पृष्ठी में देख सकते हैं। कृषि उत्पादन का सूचकांक भी उपर्युक्त रूप में बढ़ा ही चला गया है। अग्रतालिना में १९५०-५१ से १९६०-६१ तक का कृषि उत्पादन की वृद्धि दिखाई गई है—

कृषि उपज का सूचनाक (१९४६-५० = १००)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५८-५९	१९६०-६१
सभी जिनस फसलें	६५.६	११६.९	१३२.०	१३५.०
फसलें	६०.५	११५.३	१३०.०	१३१.०
अन्य फसलें	१०५.६	१२०.१	१३६.०	१४३.०



चित्र १०—प्रथम व द्वितीय योजना में खाद्य उत्पादन

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति

५ जुलाई १९६० को योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रकाशित की है, जिसके अनुसार देश के विकास में १०,२०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इनमें से ६२०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा ४०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में लगेंगे। योजना में कृषि को प्रथम स्थान दिया गया है। खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता और उद्योगों तथा निर्यात के लिए कच्चे माल की पैदावार बढ़ाना तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। अतः कृषि और सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में १०२५ करोड़ रुपये तथा सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि जनता अपनी ओर से भी इन कार्यों पर ८०० करोड़ रुपये लगावेगी। खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत वृद्धि की जायगी अर्थात् खाद्यान्न का उत्पादन ७५ करोड़ टन से बढ़

कर १० करोड़ ५० लाख टन हो जायगा। प्रमुख फसलों के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

घरेलू व्यवहार की वस्तुएँ	वार्षिक उत्पादन	
	१९६०-६१ (अनुमानित)	१९६५-६६ (लक्ष्य)
खाद्यान्न (लाख टना में)	७५०	१०००-१०५०
विलहून (" " ")	७२	९२-९५
गन्ना (गुड़ के रूप में) (ला० ट० में)	७२	९०-९२
कपास	५४	७२
पटसन (लाख गाँठों में)	५५	६५

राष्ट्रिय योजना के अन्तर्गत बढ़ाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि प्रति दिन प्रति व्यक्ति १५ ग्राम अनाज और ३ ग्राम दाल, राने को मिल सके और इसके अतिरिक्त भी कुछ अनाज बच जाय। कपास की पैदावार का जो लक्ष्य है उससे प्रति वर्ष अतिरिक्त १०२ गज के हिसाब से कपड़ा मिल सकेगा और निर्यात के लिए भी कुछ बचेगा।

इसके अतिरिक्त फल, शाक, दूध, मछली, मांस, अण्डा, नारियल, सुगाणे, काजू, कालोमिर्च, तम्बाकू, चमड़ा और लकड़ी आदि की भी पैदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जायगी।

तृतीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई का क्षेत्रफल ९ करोड़ एकड़ हो जायगा, जब कि दूसरी योजना के अन्तर्गत यह ७ करोड़ एकड़ होगा।

प्रश्न

- 1 Write a short note on the 'State and Agriculture' (Agra, 1957)
- 2 State the role which the State should play in the agricultural development of India (Agra, 1955)
- 3 Describe the attempts made so far to meet the long term needs of agriculture. To what extent have these been successful in achieving their objective? (Punjab, 1958)

अध्याय १६

सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा

(Community Development Projects and National Extension Service)

भारत ग्रामों का एक देश है। कुल जनसंख्या का ८२.७% भाग ५,५८,०८६ ग्रामों में रहता है और शेष १७.३% नगरों में। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि 'भारत ग्रामों में बसा है।' ग्रामों का बहुमुखी विकास देश की मूल समृद्धि के लिए उचित ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ग्रामोत्थान की कल्पना से विहीन राष्ट्रीय विकास की किसी भी योजना का चित्र अधूरा ही रहेगा। भारत का ग्राम्य जीवन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से अत्यन्त पिछड़ा हुआ तथा नेराश्यपूर्ण है। निर्धनता, पूर्ण व आंशिक बेकारी, निरक्षरता, ग्रन्थ निश्वास तथा रूढ़िवादिता आदि भारतीय ग्राम्य-जीवन की प्रमुख विशेषताएँ हैं। एक प्रगतिशील मजबूतकारी राज्य में इन दोषों को दूर कर मुरी तथा सम्पन्न समाज की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है। आज यह सर्वमान्य है कि भारत की समृद्धि ग्राम्य जीवने की उन्नति में है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने ग्रामोत्थान का बीड़ा उठाया और प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ प्रारम्भ कीं। निःसन्देह ये योजनाएँ साधारण भारतीय कृषक के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का उद्देश्य है कि "जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और उसे जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुँचाने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारतीय ग्रामों के सात करोड़ परिवारों में उच्च जीवन स्तर बनाने की इच्छा उत्पन्न हो।"

परिभाषा एवं अर्थ

सामुदायिक योजनाओं को शब्दों की परिधि के अन्तर्गत बाँधना एक दुर्लभ

कार्य है यद्यपि ग्रामतौर पर इसका अर्थ अभी समझते हैं। विभिन्न देशों में इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से लगाया जाता है। कुछ लोग इसे 'भौतिक प्रगति का चेतक' कहते हैं जब कि अन्य लोग इसका अर्थ 'आन्दोलन' तथा 'प्रसारण के पक्ष' (aspect of administration) से लगाते हैं। सामुदायिक विचार शब्द की उत्पत्ति सम्भवतः सामूहिक शिक्षा (mass education) शब्द से हुई है। सामूहिक शिक्षा का प्रयोग सर्व प्रथम सन् १९४४ में अफ्रीका में हुआ था, जब कि वहाँ 'Mass Education in African Society' नामक रिपोर्ट सलाहकार शिक्षा समिति द्वारा प्रकाशित की गई थी। सामूहिक शिक्षा का तात्पर्य केवल शिक्षालय के पक्ष के अर्थों में ही नहीं बल्कि सामूहिक राष्ट्रसत्ता योजनाओं (mass literacy campaign), पत्रिका, पोस्टर, इदर्शन, गस्ती पत्रों, समाचार पत्रों तथा रेडियो वार्तालाप के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से था।

निम्नलिखित परिभाषाएँ

(१) "सामुदायिक विकास किसी समुदाय के लोगों के सक्रिय सहयोग तथा पहल (initiative) पर आधारित एक मूल आन्दोलन है जिसका उद्देश्य समुदाय के लोगों के रहन सहन को उल्टा उठाना है।"*

(२) "सामुदायिक विकास शब्द अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग में आ गया है और ऐसी विधियों की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा जन समुदाय के प्रयत्न स्वतः राजकीय अधिकारियों के प्रयत्नों से मिश्रित होकर समुदाय की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं को सुधारते हैं तथा इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित करते हैं, जिनसे वे पूर्णतया राष्ट्रीय सहायक हो सके।"*

योजना आयोग (प्रथम पंचवर्षीय योजना) के अनुसार, "सामुदायिक योजनाएँ ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में बाधा पलट करने की योजनाएँ हैं और ग्राम विकास सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है।"

* "Community development is a movement and designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community."

(The Ashbridge Conference of Social Development 1954)

** "The term community development has come into international usage to denote the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural condition of the community to integrate the communities into the life of the nation and to involve them to contribute fully to national progress."

The 20th REPORT TO ECOSOC of the United Nations Administrative Committee on Co-ordination, 1956

सामुदायिक विकास योजनाओं का महत्व

सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक उच्च ग्रादोलन है। इस कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय धन के असमान वितरण पर शान्त रूप से ग्राममय दिना जा रहा है और ग्रामीर और गरीब के बीच की खाई को पाटा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सभ के टेक्निक्ल को-ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन (T C A) ने उपसचालक श्री लाशार्न (Lo'shbough) के शब्दों में 'यह एक गहन विनास की समस्या के लिए संगठित तथा नियोजित पहुँच है।' इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशाल ग्रामीण समुदाय को वान्तविक स्वतंत्रता का आभास कराने का सदेश है। हमारा देश की ग्रामीण जनता को नयीन योग्यता तथा नवीन जीवन की राहें प्राप्त होंगी और पूर्ण एन समृद्धिशाली जीवन को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। वास्तव में इस कार्यक्रम का उद्देश्य अत तक ऐसी व्यवस्था को बनाना है जिससे सविधान में निहित लक्ष्य 'कल्याणकारी राज्य' को प्राप्त करना है। नया उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी क्रान्ति को प्रारम्भ करना है जिससे लोगों के दृष्टि क्षेत्र तथा विधियों में शान्तमय परिवर्तन हो जाय। श्री नेहरू ने ठीक ही कहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसी क्रान्ति को लावेगा जिसमें अन्नमर्गत कोई उथल-पुथल, कोई रक्तपात अथवा अराजकता न होगी। यह क्रान्ति सहकारिता के द्वारा होगी।*

सामुदायिक विकास मन्त्री श्री एस० के० डे ने इनका महत्व बताते हुए कहा था कि "सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्योग है जिसका परिपालन एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना एक ऐसे जंगल के समान नहै जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृद्ध तथा वनस्पतियों भी हों।" प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू ने इसके महत्ता की व्याख्या करते हुए कहा है कि "समस्त भारत में मानव क्रियाश्री के ये केन्द्र ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं जो गहन अन्धकार में प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फैलता रहेगा, जब तक समस्त भारत भूमि आलोकित न हो उठे।" राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी आशा प्रकट करते हुए कहा है कि "ये योजनाएँ ऐसे छोटे-मीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल इक्षु में परिणित हो जायगा।"

ऐतिहासिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारम्भ सन् १९४४ से होता है जब कि मध्य प्रदेश में सेवाश्रम नामक स्थान पर, उम्पड़ में सर्वोदय केन्द्र तथा मद्रास में स्त्रिका

*Community development programme would usher in a revolution that would not see any upheaval any bloodshed or chaos. It would be a revolution through co-operation — Sri Netru

विकास योजना (Fisca Development Scheme) के अंतर्गत तथा उत्तर प्रदेश में इटावा, वैजानाद तथा गोरखपुर के Pilot Projects में महान ग्रामीण विकास सम्बंधी प्रयोग (experiments) किये गये। इन प्रयोगों के फल बहुत ही प्रेरणात्मक थे। फलतः राष्ट्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

स्वतंत्रता के पश्चात्

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत की विशाल ग्रामीण जनसंख्या का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है, महात्मा गांधी के जन दिवस २ अक्टूबर, सन् १९५२ को शुरू हुए ५५ योजना कार्यक्रमों में आरम्भ किया गया था। प्रत्येक योजना कार्यक्रम में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में पैसे हुए लगभग २ लाख की जनसंख्या के लगभग ३०० गाँव आते हैं। यह कार्यक्रम 'ग्रामीण सहायता स्वयं करने' का कार्यक्रम है जिसका आयाजन तथा क्रियान्वयन स्वयं ग्रामीणों को करना है। सरकार की ओर से कानून प्राविधिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों, सहकारी समितियों, और विनाय मण्डलों जैसे लोक संगठनों को सामूहिक चिन्तन तथा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसकी गतिविधियों में उत्तम उपचार साधना की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं में सुधार करना, उत्तम आवास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करना, नारी तथा बाल कल्याण-कार्य करना और दुग्ध तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना सम्मिलित है।

यह कार्यक्रम खास के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामान्यतः १५० वर्गमील में पैसे तथा ६०७० हजार की जनसंख्या से युक्त १०० गाँव आते हैं। कुछ ही समय पूर्व तक यह कार्यक्रम तीन अलग अलग चरणों में किया जाता रहा।

अप्रैल, १९५८ में इस पद्धति का स्थान पर दो चरणों में कार्य करना आरम्भ किया गया। पाँच वर्ष भगपुर विनाय किये जाने का बाद प्रत्येक चरण के दूसरे चरण का कार्यवाह आरम्भ होता है। दूसरे चरण का विकास कार्य अगले पांच वर्षों तक कुछ कम समय के साथ किया जाता है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६५० कस्बों की जनसंख्या के ३,०२,६४७ गाँवों से युक्त २,४०५ परगना आरंभ हुए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की इस परिचालित पद्धति का प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप अक्टूबर, १९६३ तक सम्पूर्ण देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगा।

सामुदायिक विकास योजनाओं के शुभारम्भ के ठीक एक वर्ष पश्चात् २ अक्टूबर १९५३ को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' (National Extension Service) का संचालन हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के भी उद्देश्य सामुदायिक योजनाओं की भाँति ही है, अन्तर केवल कार्यक्रमों के पैमाने का है।

सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं में अन्तर—
 चूँकि दोनों योजनाएँ एक-दूसरे की पूरक, सहसम्बन्धित तथा सहगामी हैं अतः ये केन्द्रीय तथा राजकीय दोनों ही स्तरों पर एक ही संस्था के अन्तर्गत हैं। योजना आयोग के लिप्टी चेयरमैन श्री वी० टी० कृष्णामाचारी ने दोनों योजनाओं का सम्बन्ध इस प्रकार व्यक्त किया है :—

“राष्ट्रीय प्रसार सेवा एक स्थायी संगठन है और सम्पूर्ण देश को आच्छादित कर लेगा। इसके अन्तर्गत आधारभूत संगठन सरकारी तथा गैर सरकारी तथा विकासार्थ न्यूनतम अर्थ व्यवस्था का प्रावधान है। अधिक धन की पूर्ति केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के निजी साधनों के द्वारा की जायगी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा एउ जिनम सतोपजनक परिणाम रहे हैं और जिनमे अधिकतम जन सहयोग प्राप्त हुआ है, गहन विकास के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इनको सामुदायिक योजनाएँ (Community Projects) कहते हैं। इन योजनाओं में विकास कार्यक्रम अधिक व्यापक होता है।”

योजना आयोग के शब्दों में “सामुदायिक विकास एक प्रणाली है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक प्रविधि (process) है, जिससे ग्रामीण निर्माण के लिए सफल और सर्वाङ्गीण प्रयत्न किया जा रहा है। यह 'सेवा योजना' ग्रामीण निर्माण की सभी चालू योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक और बहुमुखी है। निम्न स्तर से देहाता के उत्थान के लिए यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी योजना है।”

अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की क्रियाओं की इफ़ाई एक समान (uniform) है, जिसको 'विकास एड' (Development Block) कहते हैं। इस एड के अन्तर्गत औसतन १०० ग्राम आते हैं, जिनका क्षेत्रफल १२५ से १७० वर्ग मील तथा ६०,००० से ७०,००० तक की जनसंख्या आती है। परन्तु राष्ट्रीय प्रसार एड उतनी गहनता से विकसित नहीं किये जाते जितना कि सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्रों को किया जाता है। समय समय पर राज्यीय विरास सेवा एडों का पर्यवेक्षण किया जाता है और इनमें से सबसे अधिक विकसित एडों को चुन लिया जाता है। इन चुने हुए एडों को ही सामुदायिक विकास एड (C D Blocks) कहते हैं।

कार्यान्वयन का समय (Timing of Operations)

एक सामाजिक विकास योजना के पूरे होने के समय की अवधि ३ १ है। इस अवधि का ५ अंशमात्रा (5 parts) में विभाजित किया गया है —

(१) विचार निर्माण (Conception)—इस अवस्था की अवधि तीन माह होती है। इस अवधि के अन्तगत प्रत्येक विकास योजना (D P) की स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात् उसकी प्रारम्भिक विकास रूपरेखा बनाई जाती है।

(२) कार्यारम्भ (Instatation)—इस अवस्था की अवधि ६ माह होती है। इस अवधि के अन्तगत प्रत्येक विकास योजना (D P) में कार्य प्रारम्भ हो जाता है।

(३) कार्यान्वयन (Operation)—इस अवस्था के लिए ८ माह का समय है। इस अवधि में पूरा कार्य शीघ्र से समाप्त होता है।

(४) संघनन (Consolidation)—इस अवस्था की अवधि ६ माह होती है। इस अवधि के अन्तगत समन्वयित तथा अभिकारिका द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा किया जाता है तथा उस क्षेत्र में प्रशासन को स्थापित करना जाता है।

(५) परिष्करण (Finalisation)—इस अवधि की अवधि ३ माह है। इस क्षेत्र में प्रशासन में स्थापित करने आ जाता है तथा कर्मियों और राजस्व की निर्देशक तथा अभिकारिका क्षेत्र में प्रशासन में स्थानीय अभिकारिका को सौंप कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं।

सांख्यिक विकास योजना के २ भाग का कार्यक्रम। तीन चरण (phases) में विभाजित किया गया है—

(१) विस्तृत विकास अवस्था (Extensive development stage),

(२) गहन विकास अवस्था (Intensive development stage), तथा

(३) गहन उत्तर विकास अवस्था (Post intensive development stage)

श्री बलरत्न मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो कि नवम्बर १९५७ को प्रकाशित हुई, में प्रत्येक विभाजन में चार-पांच शब्दों में विवरण दिया है। समिति ने विकास योजना के ५ अंशों में अंशमात्रा (stages) में विभाजित करने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी कहा कि विकास योजना के अन्तगत प्रत्येक विकास योजना के अन्तगत समस्त क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को अभिकारिका द्वारा

इन सिफारिशों के अनुसार सामान्य विचार प्रसारण (N D C) द्वारा जनवरी अप्रैल और मई १९५८ में कुल १२५८ विकास योजनाएं प्रकाशित की गईं। नवंबर योजना, १९५७ अप्रैल, १९५८ में लागू हो गई है, के अन्तगत विचार

प्रसार सेवा (N E S) खंडों और सामुदायिक विकास योजना (C D P) खंडों में कोई अन्तर नहीं है और न अग्र गहन-उत्तर विकास अवस्था (post intensive development stage) ही है। कार्यक्रम को पाच पाँच वर्ष की दो अवस्थाओं में क्रियान्वित किया जायगा और उन पर क्रमशः १२ लाख रुपये और ५ लाख रुपये व्यय किए जायेंगे। पूर्ण विस्तार (coverage) अक्टूबर १९६३ तक हो जावेगा।

विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of the Programme)

विशेषताएँ

- (१) ग्रामों का सर्वाङ्गीण विकास,
- (२) कृषि की उन्नति,
- (३) जन सहयोग, भ्रमदान, द्रव्यदान और स्वयं सेवा, तथा
- (४) ग्राम सेवक।

कार्यक्रम

कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न क्रियाएँ आती हैं —

(१) कृषि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में

- (अ) उपलब्ध ऊसर एवं बेकार भूमि को उपजाऊ बनाना
- (ब) सिंचाई के लिए नहरों, नलकूपों, कुयों, तालाबों तथा भील आदि के द्वारा पानी को व्यवस्था करना
- (क) उन्नतिशील, कृषि सम्बन्धी प्रविधियाँ, मीना, औजारों, विपणन तथा साधन सम्बन्धी सुविधाएँ, भूमि अनुसंधान, खाद, तथा पशु चिकित्सा एवं गर्भाधान केन्द्रों आदि की व्यवस्था करना
- (द) प्रान्तरिक मज़दूरी उद्योग, फल तथा तरकारी की खेती तथा श्रद्धारोपण आदि का विकास करना तथा
- (ध) प्रमुख ग्रामीण योजनाओं को चलाना।

(२) सहकारी समितियाँ

नवीन सहकारी समितियों को स्थापित करना तथा पुराने समितियों को सुदृढ़ बनाना, जिससे क्षेत्र का प्रत्येक सदस्य इसके अन्तर्गत आ जाए।

(३) रोजगार

(अ) सहकारिता व आधार पर नियोजित वितरण, व्यापार, सहायक तथा मंगलकारी सेवाओं के द्वारा रोजगार को बढ़ावा देना

- (ब) कुटीर, माध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

(४) सवाद्वाहन एवं यातायात

- (अ) कच्ची तथा पक्की सड़कों की व्यवस्था करना,
- (ब) मोटर यातायात को बढ़ाना देना,
- (स) पशु यातायात का विचार करना।

(५) शिक्षा

(अ) प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शैक्षणिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क व्यवस्था करना,

(ब) पुनर्शालना की व्यवस्था करना,

(स) व्यवसाय सम्बन्धी तथा प्राथमिक शिक्षा (technical) पर विशेष जोर देना।

) स्वास्थ्य

(अ) स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना;

(ब) बीमारी, प्रसूतिका तथा दाइयों की सेवाओं की व्यवस्था करना।

(७) प्रशिक्षण

(अ) वर्तमान कार्यालयों के स्तर को उँचा करने के लिए 'रिफ्रेशर्स कोर्स' (Refresher Courses) की व्यवस्था करना, तथा

(ब) निम्न योजनाओं (D P) के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना।

(८) आवास व्यवस्था

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मजदूरी के लिए उन्नति प्रविधियों (techniques) तथा डिजाइनों की व्यवस्था करना।

(९) सामाजिक कल्याण

(अ) जनता की योग्यता तथा संस्कृति (culture) का प्रयोग करके तथा दृश्य एवं श्रवणीय प्रणाली (Audio-Visual aids) की सहायता से सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था करना, तथा

(ब) स्थानीय खेलों, मैलों, उद्यानों तथा प्रदर्शनियों का सङ्गठन के आधार पर सङ्गठन करना।

उद्देश्य

योजना आयोग के डिप्टी चेरमैन श्री० पी० टी० कृष्णामाचारी ने सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं के निम्न चार उद्देश्य उल्लेख किये हैं—

(१) ग्रामीण जनता को अर्थ बँकरी से निरपेक्ष मुक्त एवं पूर्ण रोजगार दिलाना।

(२) वैज्ञानिक योग्यता का प्रयोग करके ग्रामीण जनता को कृषि के निम्न उत्पादन से उच्चतर पूर्ण उत्पादन की ओर ले जाना।

(३) ग्रामीण परिवार को साधु योग्य (creditworthy) ऋणा के सहकारिता के सिद्धान्तों को अधिकतम प्रसारित करना ।

(४) सार्वजनिक हितकारी कर्तृता जैसे ग्रामीण सड़कें, तालाब, कुँआ, स्कूलों, मनोरंजन केंद्रा आदि के लिए सामूहिक प्रयत्न को बढ़ावा देना ।

संक्षेप में इन योजनाओं का उद्देश्य हमारे ग्रामीण भाइयों को तीन प्रकार के अधिकार देना है —

(अ) जीवित रहने का अधिकार,

(ब) जीविक कमाने का अधिकार, तथा

(स) अर्जित धन का पाने का अधिकार।

स्मरण रहे कि सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हमारे ग्रामीण भाइयों का अधिक भोजन, कपड़ा, आराध, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्बन्धी अधिक सुविधाएँ प्राप्त हों। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो, उनमें श्रेष्ठतर जीवन निर्वाह की भावना का विकास हो तथा उनकी दृढ़ता को इस प्रकार निवसित किया जाय जिससे वे चीजाँ को स्वयं अपने हित में धरना सकें। उक्त योजनाओं को लोक योजना (People's programme) कहते हैं। यह योजना जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए है। हाँ! इसमें सरकार भाग ग्रन्थ लेता है परन्तु यह केवल पहल तथा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से।

योजनाओं का प्रशासन

सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रशासन कन्द्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न स्थायाँ एव समितियाँ के द्वारा होता है। इसका सर्वाधिक चित्रण निम्न चार्ट में दर्शाया गया है —



राज्य स्तर




जिला स्तर



खण्ड स्तर



ग्राम स्तर



केन्द्रीय स्तर पर—शीर्ष पर योजनाओं के प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय समिति होती है जिसके सदस्य योजना आयोग के सदस्य साथ ही कृषि मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के मंत्रीगण होते हैं। इस समिति का चेयरमैन प्रधान मंत्री होता है। केन्द्रीय समिति का कार्य मुख्य नीतियाँ बनाना तथा सहायक निरीक्षण करना होता है। २० सितम्बर १९६६ तक केन्द्रीय समिति के अन्तर्गत 'सामुदायिक योजना प्रशासन' (Community Projects Administration) होता था। २० सितम्बर १९५६ से सामुदायिक योजनाओं के लिए एक पृथक् मंत्रालय (सामुदायिक विकास मंत्रालय) बना दिया गया है। इसके मंत्री श्री० एस० के० डे हैं। पृथक् मंत्रालय हो जाने पर भी 'सामुदायिक योजना प्रशासन' बनाये रखा गया है जिससे प्रशासन में कोई भ्रम न पड़े।

राज्य स्तर पर—विकास कार्यक्रम को वास्तव में चलाने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य स्तर पर एक राज्य विकास समिति होती है। इस समिति का चेयरमैन मुख्य मंत्री व इसके सदस्य विकास विभागों के मंत्रीगण होते हैं। विकास आयुक्त (Development Commissioner) राज्य के सभी विकास विभागों की क्रियाओं का समन्वय करता है।

जिला स्तर पर—जिले के स्तर पर एक जिला नियोजन अधिकाारी विकास समिति होती है। इसका चेयरमैन कलेक्टर होता है। कुछ राज्यों में जिला नियोजन अधिकारी होते हैं। कलेक्टर या जिला नियोजन अधिकारी ही मुख्य प्रशासक होते हैं। कलेक्टर की सहायता के लिए सब विकास अधिकारी (Block Development Officers) होते हैं।

खण्ड स्तर पर—खण्ड स्तर पर एक सब विकास अधिकारी (B D O) होता है जो अपने खण्ड के सम्पूर्ण विकास कार्य प्रोग्राम को संचालित करता है। इसकी सहायता के लिए कृषि, सहकारिता, पशुपालन, वृद्धि उद्योग आदि के विशेषज्ञ होते हैं।

ग्राम स्तर पर—अन्त में ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर कार्यकर्ता (Village level Worker) अथवा ग्राम सेवक होता है जो कि बहुउद्देशीय मनुष्य की भाँति कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास खण्डों के ७ ग्राम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के लगभग १० ग्राम होते हैं। विभिन्न तांत्रिक विशेषज्ञ उद्योग निर्देशन तथा सहायता करते हैं। वह व्यक्ति राष्ट्रीय ग्राम-विकास के प्रशासन की बन्धी का अन्तिम प्रशासन अधिकारी होता है।

उपरोक्त संगठन के अनुसार यद्यपि सामान्य प्रशासन होता है परन्तु राज्यों में स्थानीय दशाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार इस संगठन में सुसज्जता तथा स्विचिंग लाने के लिए उपयुक्त परिवर्तन कर दिया जाता है। यही नहीं इस कार्यक्रम के परियालन में गैर सरकारी सहयोग का भी स्वागत किया जाता है।

योजना की अर्थ-व्यवस्था

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए आवश्यक आर्थिक साधनों की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व केंद्रीय तथा राज्य सरकारों पर है। सरकार के ब्रह्माण्ड जनता से भी आर्थिक साधन प्राप्त किये जाते हैं। प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए कार्यक्रम यह निश्चित करता है कि वहां न लोगों से एक निश्चित मात्रा में एकत्रित करा जाय, अथवा और वस्तुओं को मिलना चाहिए। जनता का अशुभान एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक विभाग से दूसरे विकास क्षेत्र में भी न भिन्न होता है।

इन विकास योजनाओं के लिए जहां राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करता है वहां अनानुगत (non recurring) व्ययों का ७५% केंद्रीय सरकार और २५% राज्य सरकार देती है तथा अनुगत (recurring) व्ययों का ५०% केंद्रीय सरकार और ५०% राज्य सरकार देती है। मूल्य पूर्णतया केंद्रीय सरकार का देना होता है परंतु इस मूल्य या पुनर्मुगलान पूर्णतया न्याय सहित होता है।

विदेशी सहायता

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय सरकार को, समस्त राज्य अमेरिका से आर्थिक सहायता सम्बन्धित अन्तर्गत तथा Ford Foundation से आर्थिक सहायता मिलती है। सन् १९५७ से अन्त तक समस्त राज्य अमेरिका से इस सम्बन्ध में १४ २७ करोड़ डॉलर की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना—जैसा कि अग्रिम कहा जा चुका है कि सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्घाटन महात्मा गांधी के जन्म दिवस २ अक्टूबर १९५२ को राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस तिथि को ५५ विकास क्षेत्रों में एक साथ नियुक्त कर भी भाति कार्य प्रारम्भ किया गया। सन् १९५३ ५४ में अतिरिक्त विकास खर्चों को चुना गया और शने शने प्रति वर्ष इनकी सहायता में वृद्धि होती गई। प्रारम्भ से लेकर योजना के अन्त तक प्रत्येक अवस्था पर लिये गये विकास व्ययों का औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि से शत होगा।

वर्ष	निर्धारित खंडों की संख्या	खंडों की संख्या जिन पर कार्य प्रारंभ किया गया	खंडों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (मिलियन)
सामुदायिक विकास				
१९५२-५३	१६७ ^१	१६७	२७,३८८	१६.४
१९५३-५४	५३	५३	८,६८२	४.४
१९५५-५६	१५२	१५२	२०,८१७	१२
राष्ट्रीय प्रसार योग				
१९५३-५४	११२ ^२	११२	१५,३३६	८.६
१९५४-५५	२४५	२४५	३४,७०४	१७.४
१९५५-५६	२५६	२५६	३३,२२०	१८.५
	१७२		१७,२००	११.३
योग	११६०	६८८	१,५७,३४७	८८.८

विकास कार्यक्रमों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लगभग १० करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विभाग के लिए व्यय किये जाने थे। प्रथम योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं पर कुल ४६.०२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रथम योजना काल में किये गये व्यय का ऋणीय इस प्रकार है :-

	करोड़ रुपये
१. कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र	४.२६
२. शिक्षा	७.३४
३. स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता	४.५२
४. शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा	४.६०
५. सवादावाहन	६.६४
६. ग्रामीण कला, दस्तकारी तथा उद्योग	१.७८
७. राज्य तथा प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स	६.६२
८. आवास (प्रोजेक्ट कर्मचारी एवं ग्रामीण)	१.३६
९. आयात किये गये सामान की लागत	४.३०
१०. विविध	२.६०
	<u>योग ४६.०२</u>

^१ Considered equivalent to 247 Blocks

^२ 88 Blocks of 1953-54 and 98 and Blocks of 1954-55 are converted.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—सितम्बर १९५६ में 'राष्ट्रीय विकास परिषद' ने निश्चय किया कि द्वितीय योजना काल में सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का जाल ब्रिद्ध जाना चाहिए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंड का कम से कम ४०% भाग समुदायिक विकास खंड में परिणत हो जाना चाहिए। द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का अन्तर्गत ३,८०० अनिश्चित विस्तार खंड को लिया जाना था और इनमें से १,२०० खंड को समुदायिक विकास खंड में परिणत किया जाना था। विस्तृत व्यौरा इस प्रकार है —

वर्ष	रा० प्र० सेवा खंड	सा० वि० खंडों में परिवर्तन
१९५६ ५०	२००	
१९५७ ५८	६५०	२००
१९५८ ५९	७५०	२६०
१९५९ ६०	९००	३००
१९६० ६१	१०००	३६०
योग	३,८००	१,१२०

उपरोक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए योजना में २०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में से १२ करोड़ रुपये केन्द्रीय स्तर पर तथा १८८ करोड़ रुपये राज्य स्तर पर व्यय किये जायेंगे।

योजना की प्रगति

३० सितम्बर, १९५८ तक २५७३ विस्तार खंडों की प्रगति सम्बन्धी प्रस्तुत शॉकड योजना की सफलता को दर्शाते हैं —

कृषि

(अ) उत्तम बीजों का वितरण	१,५७,६८,००० मन
(ब) रासायनिक उर्वरकों का वितरण	३,००,३९,००० मन
(स) उत्तम औजारों का वितरण	११,७६,०००
(द) कृषि सम्बन्धी विद्ये गये प्रदर्शन	४८,५१,०००
(व) कम्पोस्ट गड्डे तोड़े गये	५०,१५,०००
(र) हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	४०,१५,००० एकड़

पशुपालन

(अ) दिये गये उत्तम पशु	४५,६००
(२) दी गई उत्तम चिड़ियाँ	६२७
(३) जानवर उधिया किये गये (Animals castrated)	४,२८१
(द) जानवर प्रयुक्त किये गये (Animals treated)	३०,०४२

सामाजिक सेवा

(अ) प्रौढ़ साक्षरता मन्द	८७
(२) साक्षर बनाये गये प्रौढ़	२,६६८
(३) वाचनालय खोले गये	४५१
(द) सामुदायिक केन्द्र प्रारम्भ किये गये	१०३
(५) युवक एवं कृषक क्लब	८४७

महिला समितियाँ

(अ) संख्या	१६,१००
(२) ग्राम शिबिर	२०,५६२
(३) प्रशिक्षित ग्रामबासी	१०,१४,०००

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

(अ) ग्रामीण शौचालय	५,०७,०००
(२) नालियाँ बनाई गईं	१,८६,१५,००० गज
(३) कुँए बनाये गये	१,२६,०००
(द) पुनर्निर्मित कुँए	१,६५,०००

यातायात

(अ) कच्ची सड़के बनाई गईं	७८,६००
(२) वर्तमान कच्ची सड़के सुधारी गईं	६१,४००
(३) पुलियाँ बनाई गईं	५१,१००

सहकारिता

(अ) सहकारी समितियाँ	१,१७,०००
(२) सहकारी समितियाँ में सदस्य	८७,८८,०००

सामान्य

(अ) सरकारी भय	
---------------	--

(२) जनता का अशुदान

६,५६८ लाख रु०

(४) जनता का अशुदान का प्रतिशत

६४

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अन्तर्गत देश भर में विस्तार करना शुरू करने का निश्चय लिया गया।

दूसरी योजना का अन्तर्गत विस्तार कार्यक्रम का अन्तर्गत विस्तार सर्वोत्तम तथा गांवों में लगभग ३१ हजार ग्राम सचिव और लगभग २८ हजार विकास अधिकारी द्वारा, पशुपालन तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन सामुदायिक विकास योजनाओं के नये मूलसूत्रों से स्पष्ट है कि हम सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सकें और जनता का बहुत कम सहयोग प्राप्त कर सकें हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ग्रामीणों को लाभ

सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) के रिपोर्ट, १९५६-५७ में कहा गया है कि इस वर्ष देश के गांवों में लगभग १० करोड़ ६० लाख व्यक्ति बानी ६१% जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने लगी।

१९५२ में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ होने के बाद में ३० सितम्बर, १९५६ तक जनता ने श्रम, धन तथा सामग्री के रूप में ७८७८ लाख रुपये दिये। सरकार ने इस कार्यक्रम पर १ अरब ५ करोड़ ६७ लाख रुपये खर्च किये। इसमें से १०,७०६ लाख रुपये दूसरे पंचवर्षीय योजना के पहले ३३ महीने में व्यय किये गये। इस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सबसे स्पष्टतया बड़ी पंचायत राज योजना का लागू होना है। इसमें पंचायत समितियों और विद्यालयों तथा परिवार कल्याण से धारण सामुदायिक विकास कार्य की योजना और अमल का साथ निम्मेदारी ग्रामस्थ जनता के हाथ में सौंपी जा रही है। राजस्थान में पंचायत राज कानून लागू हो गया है और अन्य राज्यों में इस प्रकार के कानून शीघ्र ही बन जायेंगे।

इस वर्ष गांवों में १ लाख २ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। ग्राम सहायकों की शिक्षा को आनन्द बनाने के लिए लगभग ५,८०० ग्राम-सहायकों को भारत-दूरदर्शन की सुविधा दी गई। इसी प्रकार देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के विकास परियोजनाओं से लगभग २० हजार विज्ञान विश्व-दृष्टि प्रदर्शनी देखने लाये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में खेती का पहला स्थान दिया गया है। इसलिए खेती और सामुदायिक विकास के लिए सामूहिक क्षेत्रों में १,०२५ करोड़ रुपये तथा सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा अनुमान है कि निजी क्षेत्र की ओर से इन कार्यों पर ८०० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे।

सन् १९६३ तक ये योजनाएँ सम्पूर्ण देश म इस प्रकार फैल जायँगी—

1	विकास खंड (Development Blocks)	प्रसार पूर्व खंड (Pre Extension Blocks)
१९६५ तक आवंटित रकम	२५५२	३४७
अक्टूबर १९५९	१४५	१९८
अप्रैल १९६०	२०२	२५१
अक्टूबर १९६०	१९८	२५२
कुलीय योजना म	१९००	—

प्रश्न

1 What are the main features of Community Development Projects launched in the country? Examine their usefulness as an instrument of rural reconstruction. (Bombay 1953)

2 What are community projects? How far have they succeeded in your state? (Punjab, 1955)

3 Write short notes on —

Community Development Projects

National Extension Service

(Punjab, 1958 Delhi, 1955)



भूदान-यज्ञ की महिमा

(The Miracle of Bhoodan Yajna)

भूदान देश की सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक क्रान्ति का एक शान्तिपूर्ण तथा अनूठा प्रवास है। इससे न केवल भारत के भूमिहीन किसानों की समस्या हल हो सकेगी बल्कि भारतवासियों के जीवन में एक नये प्रकाश का उदय होगा। इस नवीन योजना ने न केवल भारत के लोगों को बल्कि ससार के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत में चलाने गये इस अहिंसात्मक आन्दोलन की प्रशंसा आज ससत ससार में हो रही है। यह एक ऐसी क्रान्ति है जो भारत जैसे महान् एक गौरवपूर्ण देश की प्राचीन सम्भवा एवं परम्परा की पुष्टि करती है। भूदान एक ऐसा हृदयस्पर्शी तथा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम है जिसने देशवासियों को मानवता का एक नया सन्देश दिया है। आज विनोय जी का यह महान् कार्यक्रम भारत में अति लोकप्रिय हो रहा है। उनके शब्दों में “यह काम साधारण दान का काम नहीं भूदान का है। अगर हम किसी को एक रोज़ भी पाना मिले तो वह बहुत पुराना मिलता है। अगर एक रोज़ के अन्नदान का इतना मूल्य है तो एक एकड़ जमीन का—जितने कि एक आदमी धी-सन्धी-बि-दुगों तस हो सकती है, कितना मूल्य होगा—इसलिए दरिद्र-नारायण के वास्ते सभी से कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए।”

भूदान एक नई क्रान्ति—वैसे तो ससार के अन्य देशों में भी समय-समय पर क्रान्ति होती आई है परन्तु भारत में भूदान द्वारा होने वाली क्रान्ति सबसे मिन है। इस, चीन तथा अन्य देशों में हिंसा के चल पर होने वाली क्रान्ति द्वारा देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाये जा सके परन्तु जो क्रान्ति इस समय भारत में हो रही है उसका आधार प्रेम तथा अहिंसा है। भारत में वर्तमान समय में जो सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ हैं, उनका निवारण ऐसा माग अपनाकर भी हो सकता है जिन्हें ससार के अन्य देशों ने अपनाया है। परन्तु क्या यह मार्ग भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त होगा ? यदि हम भारत में सामाजिक एवं आर्थिक समानता लानी है, और यदि धनी एवं निर्बन्धा के अन्तर को मिटाना है तो उम्हरे लिए एक नये रास्ते को अपनाना होगा। यह रास्ता चीन-सा है ? यह रास्ता प्रेम का है। यह प्रेम का मार्ग

वही है जिसे हमारे राष्ट्रपिता बापू ने अपनाया था। विनोबा जी के शब्दों में "भगवान सबको समान मानना चाहते हैं यह उनका प्रेम है—द्वेष नहीं। मे जो काम करता हूँ वह भगवान का काम है। मैं ज़बों का ग्रहण कर देना चाहता हूँ और छोटी-बड़ी ज़ेब उतारना चाहता हूँ। उदा. से जमीन लेकर भूमिहीन गरीबों को आजीविका के लिए देना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि ज़बों के साथ बरी शत्रुता है मैं तो उनकी सम्मान-बुद्धि करना चाहता हूँ, उतक पास से जमीन लेकर उह गरीबों का पवित्र प्रेम दिलाना चाहता हूँ।'

भूदान यज्ञ का अर्थ—भारत में प्राचीन काल से यज्ञ का महत्व चला आ रहा है। कदाचित्त ही ऐसा कोई व्यास हो जो इसका अर्थ व महत्व से परिचित न हो। यज्ञ, पूजा अथवा इश्वर स्तुति का एक रूप है। भारत में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ होते आये हैं—अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसी प्रकार हम गीता में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे द्रव्य-यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ ज्ञान-यज्ञ, इत्यादि। परन्तु भूदान यज्ञ भी ऐसा ही एक यज्ञ है, यद्यपि इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। वरन् फिर भी वर्तमान समय में एक महान् आन्दोलन होने के कारण हम सभी इसका नाम से भली भाँति परिचित हैं। आज हमारे देश में भूमिहीन किसानों की एक भारी संख्या है। जो खेती करना जानते हैं और उनकी खेती करने की इच्छा होने लगे भी इन भूमिहीन दरिद्रों के पास भूमि नहीं है और जिन्हें अपनी जीविका के लिए दूसरों के खेत जोतने पड़ते हैं जिससे प्राप्त होने वाली मजदूरी उनकी जीविका का साधन है। भूमिदान ऐसे ही लोगों के लिए एक अन्तर्मुक्ति एवं आनन्द का साधन लाता है और भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि इन निर्धनों में बाँट दी जायेगी। विनोबा जी ने भूदान का प्रयाग अन्तर्मुक्ति के लिए किया है। उनके अनुसार जब कभी कोई सावजनिय यज्ञ प्रारम्भ किया जाता है तो उसमें हर एक को भाग लेना पड़ता है। इस भूदान यज्ञ में भी हर एक का हिस्सा होना चाहिए। कारण इसका उद्देश्य यह है कि सच्ची अन्तर्मुक्ति हो जाये। इसलिए जिनके पास थोड़ी ही जमीन हो थोड़ी ही द।

विनोबा जी द्वारा यज्ञ के तीन महान् स्वरूप एवं उद्देश्य बताये गये हैं। जो हैं—सत्सृष्टि, शुद्धि करण एवं समन्वय। भूदान द्वारा यज्ञ के इन तीनों महान् उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए सत्सृष्टि में महान्, शान्तिपूर्ण क्रान्तिकारी आन्दोलन का नाम भूदान यज्ञ रखा गया है। भूदान से देश में बेकारी, गरीबी, भूख की समस्याएँ एवं प्राचीन कृषि उद्योगों के विनाश तथा ऐस लागे के हाथों में भूमि चले जाने से जो स्वयं रोती नहीं जानते, इन कारणों से जो क्षति हुई है भूदान इस क्षति को पूरा करने का एक सफल साधन है। त्याग, प्रेम एवं समान सेवा की पवित्र भावनाओं का जन्म देकर भूदान यज्ञ दान देने वाले व्यक्ति का चित्त शुद्ध करने का एक प्रयास है। भूदान

एक ऐसी महानतम संगठन का प्रयास है जिसके द्वारा समाज में समानता एवं त्याग की भावना लाई जा सकेगी।

भूदान का उद्देश्य—जैसा कि विदित है भूदान का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि ऐसे लोगों से जिनके पास भूमि अधिक मात्रा में है उनके भूमि लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी जाने परल भूदान यज्ञ एक महान प्रयोग है जिसका उद्देश्य भारत में एक नर्ग-रहित, शोषणहीन सर्वोच्च समाज की स्थापना करना है। जल भूमि हीन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना ही इस यज्ञ का उद्देश्य नहीं है। भूदान यज्ञ सम्पूर्ण देश में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, एवं नैतिक परिवर्तनों का एक शान्तिपूर्ण परन्तु क्रान्तिकारी आन्दोलन है। जिसे जो न भूदान-यज्ञ का उद्देश्यों की विवेचना करने समर्थ उसका सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वे हैं :-

(१) गरीबों का नाश।

(२) भूमि व मालिकों के हृदय में प्रेम भाव का विकास करना और उद्धृत फलस्वरूप देश का नैतिक वातावरण उन्नत करना।

(३) एक ओर भूमि स्वामिनी और दूसरी ओर सर्वहारा भूमिहीन गरीबों—इन दोनों के बीच जो श्रेणीगत विद्वेष विभाजक पड़ता है वह भूदान-यज्ञ के द्वारा दूर होगा, परस्पर प्रेम और सहानुभूति का बन्धन बंध होगा। परियामस्वरूप समाज शक्तिशाली बनेगा।

(४) यज्ञ, दान, और तप—इन तीनों के अपूर्ण दर्शन के आधार पर जो भारतीय सभ्यता वैतन दुःख थी उसका पुनरुत्थान और उत्पत्ति होगी। मनुष्य का धर्म एवं निश्चय बढेगा।

(५) देश में शान्ति स्थापित होगी।

(६) देश में शान्ति स्थापित होने से विश्व शान्ति स्थापना में बहुत सहायता मिलेगी।

(७) भूदान-यज्ञ के द्वारा विभिन्न राजनैतिक दल परस्पर निवृत्त आयेंगे। और एक साथ मिलन एवं मित्रता राम करने का मुय्यनसर पावेंगे। इसके फलस्वरूप देश सभी ओर से शक्ति प्राप्त करेगा।

भूदान-यज्ञ का मूल तत्त्व (Essence of Bhoodan)

समाज में एक शान्तिपूर्ण स्थिति लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके [अनुकूल विचार प्रचारित करें। विचार परिवर्तन ही शान्ति का रहस्य है। भूदान समाज में एक ऐसी विचारधारा कायम करता है जिसके द्वारा समाज में शोषण तथा आर्थिक

और सामाजिक विपमता के अन्त करने में सहायता मिलेगी जो व्यक्ति भूमि का दान करता है उसके हृदय में परिवर्तन आता है। लक्ष्य परिवर्तन के पश्चात् उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है इस प्रकार अन्य लोग जो भूमि दान के लक्ष्य तथा उसकी महिमा से प्रभावित होकर इस दान में भाग लेंगे तो उन समुदाय के जीवन में और अन्त में सर्वांगीण समाज में यह विचारधारा प्रतिष्ठित हो जाती है। जिस प्रकार चोरी को समाज में दृष्टा नही दृष्टि से देखा जाता है वैसे ही यदि अधिभूत सभ्रह करने को भी हम एक असामाजिक तथा अनैतिक कार्य समझ लें तो ऐसा करने वाला के प्रति समाज में यही भावना जाग्रत हो जायेगी जैसा कि इस समय किसी चोर के लिए। वास्तव में अधिक धन सभ्रह करना चोरी जैसा ही पाप है यह धर्म विचार हमें ग्रहण करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में यह विचार करे कि सत्कार में सत्र कुछ ईश्वर का है और सत्कार की प्रत्येक वस्तु का ईश्वर ही एक मात्र स्वामी है। जो हमारे मन में ऐसा विचार आ जायेगा तो हम सत्र कुछ परमात्मा को अर्पित कर देंगे और जो कुछ ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होगा उसे हम ईश्वर का प्रसाद समझ कर सन्तोषपूर्वक ग्रहण करेंगे। इस प्रकार के विचार रखने वाला व्यक्ति समाज का शोषण नहीं कर सकता। उसे किसी के धन की तनिक भी अभिलाषा न होगी फिर वह क्यों और किसके लिए धन सभ्रह करेगा। विनोबा जी के शब्दों में "असभ्रह और अपरिग्रह फल स्रष्टियों और साधु के लिए आचरणीय है ऐसा ही अन्त तक माना गया है किन्तु यह साधारण लोगों का भी, गृहस्था का भी जीवन का मूल आधार होना चाहिए ऐसा न होने से शोषण में अन्त नहीं होगा। इस धर्म विचार को सामाजिक निष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा।

"म न्वाय और प्रेम दोना को पन्न करना चाहता हूँ, इन्से मुं-चन्द्र कहेंगे कि दोनो ही ईश्वर के दो नेत्र हैं। दोना अक्षुब्ध के एक साथ मिलने से ही सम्पूर्ण तेज प्रकट होगा।" विनोबा जी के इन शब्दों में भूदान-यज्ञ का मूल तत्व स्पष्ट है।

भूदान आन्दोलन का क्षेत्र (Scope of Bhoodan Movement)

भूदान आन्दोलन में अबतक यही लक्ष्य रहा है कि कुछ लोगों से जमीन लेकर निर्धन भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी जाये। किन्तु भूदान एक शान्तिपूर्ण दंग से सम्मानना द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक गति में एक साधन भी है। अतः इसका क्षेत्र उदात्त है। इसके अन्तर्गत भूमिदान, सम्पत्ति दान, जीवनदान, धर्म दान जैसी अनेक चीजें सम्मिलित हैं। ऐसा कि स्पष्ट है अज्ञान भूमि दान दंग ही देश की सत्र सत्र भूमिहीन किसानों के जीवन की भी सम्मान सम्पन्न हल नहीं की जा सकती। भूमि दान यह अनेक लिए एक जीवनोत्थान का साधन तो अत्यन्त प्राप्ति कर लेता है परन्तु किसी व्यक्ति अन्त समाज में अन्त एव सर्वोत्तम

विकास के लिए केवल भूमि दान का मात्र ही पर्याप्त नहीं। ग्राम दान द्वारा समस्त ग्रामीण भूमि को गांव के निवासियों में वितरित कर दी जायेगी। सर्वोदय के सिद्धान्त पर ग्रामदान द्वारा ग्रामीण जीवन का रूप ही बदल जायेगा।

सम्पत्ति दान द्वारा धनी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग निर्धनों में बाँट देंगे। इससे भूमि हीन कृषकों के पास भूमि प्राप्त करने के पश्चात् रोटी के लिए आवश्यक यंत्र तथा सुविधाओं को प्राप्त करने की क्षमता को आयेगी ही साथ में सम्पत्ति के उचित वितरण तथा गरीबों और अमीरों के बीच रहने वाली दूरी को दूर करने का महत्व भी समझ में आ जायेगा।

निम्न तालिका में हम दिसम्बर सन् १९५७ तक हुई सम्पत्ति दान की प्रगति प्रदर्शित कर रहे हैं।

	प्रान्त	सम्पत्ति दान (रुपये)	सम्पत्ति दाता (संख्या)
१	असम	३५१७	१२४
२	आंध्र प्रदेश	५७१७३	६६८
३	उत्तर प्रदेश	४१२०६	१६८१
४	उत्तर प्रदेश	६६१३६	२४१८
५	बंगाल	६५६८	५०८
६	दिल्ली	१८६६६	३८
७	पंजाब हिमाचल	६२०८०	१६०५
८	मगाल	३८७४६	१७४८
९	मध्य प्रदेश	१४६०३५	१०११
१०	गुजरात	७५६१६	१०३८
११	महाराष्ट्र	८२१८२	८५४५
१२	बिहार	१७०११०	३४००४
१३	मद्रास	३४५३८७	—
१४	मध्य प्रदेश	१६६५२	१२८७
१५	मगल	१६७८१	३७६
१६	राजस्थान	८१५०८	३७१५
कुल योग		१२७३८६५	६००६६

सम्पत्तिदान के पश्चात् श्रमदान का उदय हुआ है जिसका महत्त्व आर्थिक हितों के साथ-साथ उन्नत अर्थ भी का सम्भीर है। उन को व्यक्ति इतना मननल हस्ता है कि वह इस बात नहीं कि दूसरा को कुछ देकर, अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग

से प्रत्येक को मिलने वाली भूमि के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। अतः ऐसी स्थिति में उनका उत्पादन कम हो जायेगा। विनोबा जी ने इस सम्बन्ध में उठने वाली आशंका को दूर करते हुए कहा है, “निन्तु भाइयों! आन् हृदन के टुकड़े टुकड़े हो गये हैं यह क्या आत्मीको अच्छा लग रहा है? आन् सन् क हृदय सखड सखड हो ग्य हैं। यदि हृदय के टुकड़े जुड जायेंगे तो जमीन के टुकड़े भी सहज ही जुड जायेंगे। गरीबों को जन् जमीन दी जा चुकगी तब उन्हें खूनासिता की शिक्षा देना विशेष अर्थ साध्य नहा होगा..
यदि हृदय जुड जायें तो क्या जमीन को जोड सखना कठिन होगा? किसे पहले जोड़ना होगा यह तो बुद्धि की बात है।”

भूदान का आलोचनात्मक अध्ययन—भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में अधिक जानकारी न होने के कारण कुछ व्यक्तियों ने आन्दोलन की वास्तविक प्रगति पर सन्देह प्रकट किया है। इन आलोचकों का कहना है कि प्रायः भूदान में लोग ऐसी जमीन दान कर रूप में देते हैं जो पजर अथवा खेती के लिए अयोग्य होने के कारण उनके लिए अनुपयोगी है। कभी कभी भूदान की जमीन को भी दान में दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जमीन पाने वाले को भूमि से क्या लाभ होगा? कुछ व्यक्तियों ने भूदान यज्ञ की इसलिये भी आलोचना की है कि इसके भूमि का अनावश्यक खटीकरण होता है तथा खेती में सुधार एवं उन्नत विधियों का प्रयोग करने में प्रोत्साहन देने के बजाय खेती के पिछड़े हुए अथवा हानिकारक तरीकों को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आलोचकों ने भूदान की प्रगति पर भी सन्देह प्रकट किया है। उनके विचार से भारत एक विशाल देश है जिसकी भूमि समस्या अत्यन्त जटिल है जिसे मुलभूतना भूदान का काम नहीं है। भूदान द्वारा हम इतनी भूमि कदापि नहीं प्राप्त कर सकते जो कि देश की सम्पूर्ण भूमिहीन निर्धन किसानों की समस्या को मुलभूतने के लिए पर्याप्त हो। इतनी जटिल एवं विशाल समस्या कावल गांधी-गांधी के लोगों से भीतर के द्वारा मांगी हुई भूमि से यह समस्या कदापि हल नहा हो सकती। यदि इस तरह भारत की भूमि समस्या का हल किया गया तो पत्रान्दियाँ लग जायगी। परन्तु यदि हम आलोचकों की इन बातों का एवं उनका मन में उठे इन सन्देहों को भली भाँति सोच तो स्वयं हम इस बात का अनुभव होगा कि ये आलोचनाएँ क्रियात्मक हैं अथवा उनकी शक्यताएँ निराधार हैं।

यह कहना कदापि सत्य नहीं है कि भूदान में जो भी भूमि प्राप्त हुई है वह पजर होने या अन्य किसी कारण से खेती के लिए अनुपयोग्य है। विनोबा जी ने अपने अथक परिश्रम द्वारा अन्त तक लगभग ४४ लाख एकड़ भूमि का दान प्राप्त किया है जिसकी अधिकांश भूमि ऐसी है जिस पर खेती करके भूमिहीन निर्धनों के जीवन में नये सुख एवं आनन्द का अन्वेषण हुआ है। उच्च भूमि यदि दान में ही है तो इस कारण हम भूदान आन्दोलन के प्रति सन्देह नहा करना चाहिये। तब तब भूमि का अनावश्यक भी समस्या

का हल है यह सदेह भी पूर्णतया निराधार है जैसा कि विनोग जी ने कहा है कि "बन हृदय मिल जायेगे तो भूमि के टुकड़े में भी कोई कठिनाई न होगी। इस कारण यदि भूमि का थोड़ा बहुत उपलब्ध भी हुआ है तो भूमि वितरण न पश्चात् लोगों में यह शरिता की भावना को जाग्रत कर सहजगी दृष्टि द्वारा इस समस्या को हल करने में कुरें कठिनाई न होगी। और फिर तथाकथम पठित भूमि को एक बड़े जोत में परिवर्तन करने के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने से यह समस्या हल होने मुश्किल नहीं दीखती। जिन लोगों ने भूदान की प्रगति पर सन्देह किया है उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे निराशा न हों। भारत में इस समय जिस तेजी के साथ भूदान आन्दोलन की प्रगति हो रही है उससे समस्या के रफल निवारण में विलुप्त सन्देह नहीं रहनी चाहिये।

आज भारत के समस्त केवल भूमि हीन किसानों की ही समस्या नहीं है सर्व सम्पूर्ण देश में नैतिकता एवं चरित्र निर्माण की समस्या है। भूदान यह ना सन्धे का फल यही नहीं कि देश की भूमिहीन एवं निर्धन जनता को एक नये सुखी जीवन का संदेश मिल रहा है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है। आन्दोलन की सन्धे बढ़ी देन यह है कि आज सम्पूर्ण देश में प्रेम, सद्भावना एवं शान्तिपूर्ण प्रान्ति का एक मजद वातावरण गन्प हो गया है ऐसे वातावरण में भूमिहीनों की एक समस्या क्या भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा नैतिक समस्याओं का हल नहीं आसानी से हो जायेगा। आवश्यकता थी पृष्ठभूमि की, वातावरण की और विचार परिवर्तन की, जो वह काम भूदान यह ने कर दिया लाया। आज पूज्य गांधी जी द्वारा निर्देशित संधादन के सिद्धान्त का जितना महत्त्व लोगों की समझ में आ रहा है उतना शायद इससे पहले कभी नहीं समझा गया था। आज देश में एक अनूठी शान्तिपूर्ण प्रान्ति सजग हो उठी है।

भूदान आन्दोलन की प्रगति—सन् १९५१ में आचार्य विनोग जी द्वारा चलाये गये भूदान में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस प्रगति ने देश को क्या सारे सकार को चरित्र कर दिया है हमारे देश में जून १९५८ तक दान में प्राप्त होने वाली कुल भूमि लगभग ४४ लाख एकड़ थी तथा आम दान में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण प्रान्ति की संख्या ४५७० थी। सारे आर्थिक भूमि लगभग २१ लाख १४ हजार केवल विहार राज्य में ही प्राप्त हुई। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश का नगर आता है। जिसमें ५८८ लाख एकड़ भूमि का दान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् राजस्थान और उड़ीषा का नाम उल्लेखनीय है जहाँ ४१५ लाख एकड़ भूमि का दान प्राप्त हुआ है। भूमि वितरण का कार्य अभी जहाँ से नहीं चला रहा है। अब अब तक कुल भूमि का केवल १८ प्रतिशत भाग अर्थात् ७ लाख ८२ हजार एकड़ भूमि ही को भूमिहीन किसानों में वितरित किया जा सका है। भूदान आन्दोलन एवं विद्या प्रायोजन है इसके द्वारा लगभग एक करोड़ भूमिहीन किसानों के लिए ५ करोड़ एकड़ भूमि दान प्राप्त करने

का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक भूमिहीन किसान को उसके तथा उसका परिवार के जीवन विवाह के लिए ५ एकड़ भूमि उपलब्ध प्राप्त हो। निम्न तालिका में हम सन् १९५८ तक भारत के विभिन्न प्रान्ता में भूदान आन्दोलन की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं —

भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण

राज्य अथवा प्रदेश	दान में प्राप्त भूमि (एकड़)	वितरित की गई भूमि (एकड़)
असम	२३,१६६	२२५
आन्ध्र प्रदेश	२,४१,६५०	८३,०६०
उड़ीसा	४,२४,६३५	१,११,७८५
उत्तर प्रदेश	५,८७,६३०	७७,७५८
केरल	२६,०२१	२,१२६
दिल्ली	३६६	१५७
पंजाब	१६,६२६	५,६५३
पश्चिमी बंगाल	१२,६८१	३४६३
मध्य प्रदेश		
(१) गुजरात	४७,४८६	११,५२७
(२) महाराष्ट्र	६४,३६०	१०,५६१
(३) विदर्भ	८६,७७८	४५,०००
(४) मध्य प्रदेश	३१,२३७	८,१८५
बिहार	२१,१३,६३८	२,८९,२८६
मद्रास	७०,८२३	२,३४६
मध्य प्रदेश	१,७८,८१६	६२,४५०
मैसूर	१६,६७३	२,५२७
राजस्थान	४,२६,४८८	६६,३६२
हिमाचल प्रदेश	१,५६८	२१
योग	४४,००,६०५	७,८२,५२५

भूदान आन्दोलन की देन

(Contribution of Bhoodan Movement)

भारत में आचार्य विनोय जा द्वारा चलाये गये भूदान यश से देश को अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक लाभ हुए हैं। वास्तव में यह शान्तिपूर्ण भ्रान्तिकारी आन्दोलन सर्वथा भारत की राष्ट्रति सन्धता तथा परम्परा के सर्वथा अनुकूल है। जिस प्रकार प्राचीन समय से हमारा देश आध्यात्मिक तथा नैतिक चला में सशर ना नेतृत्व

करता चला आ रहा है उसी प्रकार आज विनोद जी के निर्देशन में भारत को अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने का आसुर मिल रहा है। भूदान यज्ञ ने जिस प्रकार भारत के आर्थिक, सामाजिक एव नेतक परिवर्तन का बीजा उठाया है, उसार के विचारों एव नेतारों को इरुछे आश्चर्य होना सामाजिक ही है। अतः हम भूदान द्वारा प्राप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एव नैतिक लाभों की विवेचना करेंगे।

आर्थिक लाभ—भूदान का सार पहला लाभ यह हुआ है कि उमने इस ओर जनता का ध्यान आकर्षित कराया है कि भूमि भी प्रकृति की अन्य स्वतंत्र देनी (free gifts of nature) म स एव है। अतः जिस प्रकार वायु, प्रकाश तथा जल पर पशु का आभार नहा है उसी प्रकार जमीन भी उसी होनी चाहिये। भूमि व्यक्तिगत अधकार की वस्तु (private property) नहीं है। भूदान ने आर्थिक क्षेत्र म आर्थिक शक्ति के केंद्रियकरण (concentration of economic power)

विस्तृत आवाज उठाकर धन के समान वितरण तथा आर्थिक निपमता की ओर आकर्षक प्रयत्न करने का महत्व दर्शाया है। देश की भूमि तथा भूमिहीनों की जटिल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर के भूदान ने सहकारी कृषि तथा कृषि के सुधारों म महत्वपूर्ण योग दिया है। ग्राम म चुनाव म उस हुए निर्धन तथा भूमिहीनों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधार की आवश्यकता पर जल देकर भूदान ने फिर इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि भारत के कृषि प्रधान देश म उसकी कृषि की उत्पत्ति कृषिों की आर्थिक एव सामाजिक समृद्धि पर हा निर्भर करती है (The prosperity of agriculture depends upon the prosperity of the agriculturist)

सामाजिक लाभ—सामाजिक क्षेत्र म भी भूदान आन्दोलन का महत्वपूर्ण योग है। इसका द्वारा ग्रामसंस्था म सम्भावना, प्रेम, मद्दव्यवहार तथा भाई-भारे की भावना जाग्रत हुई है, प्रत्येक अपनी ही प्रति म सतुष्ट न रहकर दूसरों की उत्पत्ति म भी सहायक हों, इसका पाठ फिर से भूदान ने पढ़ाया है। सम्पूर्ण ग्राम म प्रेम की हृद् भावना का जन्म देकर ग्रामसंस्था को एक परिवार के रूप म रहने की प्रेरणा दी। ग्रामदान का उद्देश ही सारे गांव को एक परिवार म परिवर्तित कर देना है।

सांस्कृतिक लाभ—सांस्कृतिक दृष्टि से भी भूदान आन्दोलन का महत्व कम नहीं है। ग्रामसंस्था म प्रेमपूर्वक सामूहिक जीवन की प्रेरणा देकर भूदान ने भारत के ग्रामों को स्वर्ग बना दिया है। समय समय पर गांव म आकर्षित होने वाले खेल-बूद, संगीत, प्रार्थना तथा प्रवचना के आकर्षण हाने से देशसंस्था के हृदयों म भारत के प्राचीन सस्कृति के अक्षुर पुन पृष्ठ उठे हैं। भूमि आविर्भूत परचात् भारत के ग्रामों म चारों तरफ सुख शान्ति की वर्षा हाने लगी है जिससे उनका सांस्कृतिक जीवन ताहलहा उद्य है।

नैतिक लाभ—भूदान आन्दोलन से भारत के नैतिक जीवन में क्रान्ति आ गई है। शान्तिपूर्ण तथा अहिंसा द्वारा भूदान यज्ञ ने भारतवासियों के हृदय में नैतिकता की कृति कर दी है। प्रेम, त्याग एवं समाज सेवा की भावना जगाकर भूदान ने देश में नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने में बड़ा योग दिया है। धन सग्रह के निवृद्ध तथा अरणी आश्रयकता से अधिक किसी वस्तु को न रखने का पाठ हमें भूदान ही ने दिया है। चोरी, डकैती, मारपीट तथा हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा भूदान का प्रमुख नैतिक परिणाम है।

उपसंहार—भूदान सम्बन्धी उपरोक्त अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि यदि आधुनिक भारत में कोई समझे महत्वपूर्ण एवं स्वतन्त्रात्मक कार्य हो रहा है तो वह है भूदान आन्दोलन जिसका उद्देश्य भारत की विशाल भूमिहीन, निर्धन जनसंख्या के जीवन में आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति लाना है। इस क्षेत्र में वास्तव में काफी प्रगति भी हुई है जैसा कि इस अध्याय में स्थान-स्थान पर दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है। परन्तु हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या भूदान यज्ञ द्वारा हम भारत की कृषि तथा भूमिहीनों की समस्या हल कर सकेगे? देश में जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिससे भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण एक ओर तो भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है दूसरी ओर कृषि की अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। इस स्थिति में भारत की समस्त आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के लिये हमें भूदान पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस समय भारत में लगभग एक करोड़ भूमिहीन निर्धन किसान हैं। तो क्या भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती न जायेगी? इसलिए इस कारण जहाँ एक ओर इस समस्या के हल के लिये हम भूदान आन्दोलन की ओर निहार सकते हैं वहाँ दूसरी ओर हमें अन्य व्यवस्था का भी ख्याल लेना होगा। भूदान का महत्व केरल देश की आशीष समृद्धि तथा भूमिहीन किसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमें तो भूदान द्वारा उत्पन्न ऐसे वातावरण की सहायता प्राप्त है जिसमें ग्रामोत्थान तथा ग्रामीण जनता की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति की अनेक योजनाएँ सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा सकती हैं। प्रधान मंत्री श्री नेहरू के शब्दों में—“इस आन्दोलन के द्वारा एक ऐसा अतृप्त मनाधिकारिक वातावरण समाज में होता जा रहा है जिसने हमारी भावी समस्याओं को बहुत कुछ सरल बना दिया है।”

प्रश्न

1. Assess the economic significance of the 'Bhoodan Movement' and indicate how it is going to help the landless labourers of the country. (Patna, 1944)

2. "The Bhoodan approach is unsuitable in the context of land policy appropriate to a plan of economic development." Comment (Bombay, 1955)

खण्ड ५

सहकारिता

१. भारत में सहकारिता आन्दोलन—

अध्याय १८

सहकारिता आन्दोलन

(Co operative Movement)

संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण न लगा हुआ है। परन्तु क्या वह अपनी समस्त आवश्यकताओं तथा तथ्यों को पूरा करने को सामर्थ्य रखता है? उसके स्वार्थ पूर्ण इस जीवन में दो कठिनाइयाँ आती हैं। पहली कठिनाई स्वयं उसकी शक्ति, समय तथा साधनों का समित होने से उत्पन्न होती है। दूसरी कठिनाई यह आती है जब उसके सामने पारस्परिक निर्भरता लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति सहकारी जीवन को मानव प्रकृति का सर्वथा प्रतिरुद्ध समझता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सहकारिता ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने शीघ्र साधनों एवं सामर्थ्य के कारण उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयाँ पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः सहकारिता व्यक्तिगत दुर्बलताओं पर विजयी होने और समाज का निर्भर, शक्तिहीन एवं असहाय व्यक्तियों के लिए शक्ति का एक अपार स्रोत है। सहकारिता पूर्ण मानव जीवन और सम्यक्ता के उच्चतम विकास के लिए आवश्यकतामयी है। अतः पारस्परिक सहयोग एवं साहचर्य का मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करना अनिवार्य है। प्रसिद्ध विद्वान् एल्टन मेयो (Elton Mayo) के शब्दों में "Civilized society can destroy itself if fails to understand intelligently and to control the aids and deterrents to co operation"।

सहकारिता का अर्थ

(Meaning of Co-operation)

सहकारिता का अर्थ मिलकर काम करना है। अतः जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो सहकारिता के अर्थ का

* Hence co operation is a method of conquering individual weaknesses and a source of profound strength to weaker strengthless and helpless members of society —Dr J N Nigam, *Economists Bulletin* 1954

कुछ निम्न परिभाषायां से सहकारिता का अर्थ स्पष्ट हो जावेगा। उदाहरण के लिए प्रो० सेलिगमैन (Prof Seligman) ने सहकारिता की परिभाषा करने हुए कहा है कि "सहकारिता का परिभाषित अर्थ निरक्षण और उत्पादन में प्रतियोगिता का परित्याग कर समस्त प्रकार के मन्वत्वा से दूर करना है।"^१

सर हारिस प्लकेट के अनुसार "संगठन द्वारा प्रभावशील बनाया गया स्वयं लम्बन" ही सहकारिता कहलाती है।^२ स.पी. एल० एस० गार्डन (L. S. Garden) और सी० ओ० ब्रियन (C. O. Brien) ने सहकारिता की परिभाषा करने हुए कहा है कि "यह प्राग्नि संगठन एक विशिष्ट रूप है जिससे अन्तर्गत लोग निश्चित व्यावसायिक नियमों के अनुसार निश्चित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सहकारिता का आधार व्यापार और नीतिज्ञान का यह सम्बन्ध है जो हमारी वर्तमान औद्योगिक प्रणाली की आवश्यक न्यायिक ईमानदारी से श्रेष्ठतर है।"^३

सहकारिता के मूल लक्षण

रिट्रकलैण्ड (Strickland) के अनुसार किसी सहकारी संगठन की दो प्रमुख विशेषताएँ होंगी हैं—स्वेच्छापूर्ण सदस्यता एवं जनतामित्र संगठन। परन्तु विभिन्न विद्वानों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई सहकारिता की उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से सहकारिता के कुछ मूल लक्षणों का ज्ञान होता है जो इस प्रकार हैं—

१ 'Co operation in its technical sense means abandonment of competition in distribution and production and elimination of middlemen of all kinds'—*Seligman*

२ 'Self help made effective by organisation'—*Sir Horace Plunkett*

३ It is a special form of economic organisation in which the people work together for definite business purposes under certain definite rules. The root of the co operative idea is a relation between business and ethics which is greater than the necessary commercial honesty of our present industrial system

सहकारिता की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएँ —

Co operation is a form of organisation wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of the economic interests of themselves.—*H. Calvert*

'Co operation brings in mutual help with a view to end in a common competence'—*Mirerib*

"Co operation is a resultant system of economy. It is a synthesis combining the desirable qualities of the laissez faire economy and the planned economy. In so far as it is possible, the undesirable features inherent in the two older systems are not transmitted to the new system of co operation"—*H. H. Bakken and M. A. Schars*

- (१) सहकारिता सामान्य आर्थिक हित की प्राप्ति का अमूल्य साधन है।
- (२) स्वेच्छापूर्ण सदस्यता।
- (३) प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
- (४) लोकतन्त्रात्मक प्रणव एवं व्यवस्था।
- (५) इसमें प्रतिस्पर्धा (competition) का कोई स्थान नहीं होता है। पारस्परिक सहयोग इसका आदर्श है।
- (६) नैतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका आर्थिक पक्ष।
- (७) सहकारिता का शिक्षात्मक प्रभाव (educative effect) इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है।

सहकारिता का महत्त्व

(Importance of Co operation)

सहकारिता हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन को सुखी एवं समृद्धिशील बनाने का सहकारिता एक सफल उपाय है। सहकारिता एक ऐसी प्रणाली है जिसके अन्तर्गत स्वयं तथा निजी सम्पत्ति की भावना को त्याग कर व्यक्ति पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना द्वारा अन्य लोगों के साथ मिल जुल कर कार्य करने अपनी तथा समाज की उत्पत्ति करता है। सहकारिता के सिद्धांतों से सहमत होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके द्वारा सुले रहते हैं। स्वेच्छा एवं समानता के सिद्धान्त पर आधारित मानने का यह सहकारी संगठन आर्थिक लोकतन्त्र (economic democracy) का एक सुंदर उदाहरण है। सहकारिता पूँजीवाद की निरपेक्षताओं से मुक्त है। इसके द्वारा समाज के अन्दर एक निर्धन व्यक्तियों का मध्यस्था एवं पूजापतिया द्वारा किये जाने वाले शासन से रक्षा हाता है। सहकारिता गरीब, शक्तिहीन तथा साधनहीन व्यक्तियों को भी आत्मविश्वास तथा सम्मेलन जैसे महान् भावनाओं को जागृत कर, उन्हें अपने परापर एक हाकर अपनी रक्षा करने आप करने की प्रेरणा देती है। छोटे छोटे तथा सीमित साधन वाले उत्पादकों एवं व्यवसायियों के लिए जैसे सहकारिता देनी देनी तुल्य है। पारस्परिक सहयोग एवं मिल-जुल कर कार्य करने से इनमें सहयोग की भावना जागृत होती है जो विभिन्न उत्पादकों के द्वारा की जाने वाली प्रतिपोगिता को चुनौती देती है।

भारत में सहकारिता की आवश्यकता

(Need of Co operation in India)

भारत में सहकारिता का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। एक निर्धन एवं विशाल जनसंख्या वाले देश में उच्च आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक प्रगति के लिए सहकारी आन्दोलन अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे शान्तिप्रिय,

अहिंसावादी तथा सहअस्तित्व न सिद्धान्त पर चलने वाले राष्ट्र के लिए देश की शांतिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रान्ति लाने के लिए सहकारिता से उत्तम और कोई माध्यम ही नहीं हो सकता। देश की जनसंख्या में निरन्तर प्रगति के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि की अनेक समस्याएँ जैसे—रेती योग्य भूमि का विभाजन तथा भूमिहीन कृषिकों की समस्याएँ इत्यादि जैसी समस्याओं को मुलभाने के लिए हम सहकारिता की ही शरण लेनी होगी।

एक अर्धविकसित राष्ट्र के लिए देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा कृषि व्ययसाय में लगी हुई जनशक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहकारिता प्रणाली अपनाई जाती है। इसी कारण भारत में सहकारिता का एक विशेष महत्त्व है। कारण यह है कि हमारे देश में अधिकांश जनता खेती में लगी हुई है। कृषि व्ययसाय में लगी इस जनसंख्या का अधिकांश भाग छोटे छोटे किसानों का तथा ऐसे खेतिहर मजदूरों का है जो रेती कच्चा जानते हैं परन्तु भूमि न होने के कारण दूसरा न रोता पर महन्त मजदूरी करके अपनी ज़रिका कमाने हैं। सहकारिता के आधार पर इनके भूमि प्रदान कर तथा अब शिष्ट भूमिहीन किसानों के घरलू उद्योगों एवं व्यवसायों में लगाकर उनकी बहुत सी समस्याओं का हल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को समय समय पर आवश्यक सुख दिलाने का काम सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित जाने से साहूकार द्वारा लिये गये अनुचित व्याज की दर पर ऋण की समस्या दूर का जा सकती है। हमारे देश में ग्रामीण ऋणप्रस्तता, चरबन्दी तथा कृषि निपणन जैसे अनेक क्षेत्रों में सहकारिता ने महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। इसी प्रकार छोटे छोटे उत्पादकों एवं कारीगरों को अच्छे निम्न का कच्चा माल दिलाकर, उन्हें समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाकर सहकारी आन्दोलन ने उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ा सक्रिय भाग लिया है। सहकारिता हमारे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रणाली है जिसके द्वारा भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक समस्याएँ सुगमता से हल की जा सकती हैं।

सहकारिता आन्दोलन का उदय

(Rise of Co operative Movement)

सबसे पहले सहकारिता आन्दोलन का उदय जर्मनी में हुआ था। इगलैंड के, औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव ससार के विभिन्न राष्ट्रों पर पड़ा। जर्मनी में श्रमिकों एवं छोटे छोटे कारीगरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से उनकी अग्रस्था बड़ी शोचनीय हो गयी थी। कम वेतन, काम की लम्बी अवधि, एवं प्रतिकूल कार्य की दशाओं के कारण मजदूरों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ा। इन समस्याओं को हल करने के लिए जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन का भीगणेश हुआ था।

डेनमार्क के किसानों की अवस्था कुछ कम खराब न था, उन्हें अपने खेती सम्पत्ति अनेक राशियों के लिए समय-समय पर मृग्य की आवश्यकता होती थी जिसके लिए वे बाह्यरूप एवं महानता की शरण में जाते थे। भारी व्याज के कारण बहुत महान साधन सादे किसानों का अपने चंगुल में फास लत था। मजदूर एवं किसानों के विभिन्न प्रकार के शोषण कायमाने उही सहकारिता आन्दोलन के जन्म काल आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हुई था। अतः जर्मनी के शुल्जे डेलिज़ (Schulze Dellitzsch) तथा रैफिसेन (Raiffeisen) नामक व्यक्तियों ने अपने देश में सहकारिता आन्दोलन का नाम रखी। सहकारिता के इन अग्रदूत (pioneers) ने—उत्पन्न ने ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शुल्जे डेलिज़ ने शहरों में—सहकारी सार्वजनिक विभागों की स्थापना की जिसकी अग्रणी संस्था ने सहकारिता आन्दोलन को नई लक्ष्य दिशा दिया है। सद्यः के विभिन्न देशों में सहकारिता का जन्म तथा विकास सम्पत्ति अत्यन्त उच्च ही स्तर पर है। अतः हम नाच कुछ प्रमुख देशों में सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेंगे जो इस प्रकार है—

इंग्लैंड—इंग्लैंड में सहकारिता आन्दोलन के प्रारम्भ में रोबर्ट ओवेन (Sir Robert Owen) का है जिन्होंने देश में सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रसारण में महत्वपूर्ण योग दिया। सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में इंग्लैंड की प्रमुख देन उसका उद्योगिक भण्डार (consumers' stores) है। सन् १८४४ में चार्ल्स हावर्थ (Charles Howarth) के नेतृत्व में 'रोकडेल पायनियर्स' (Rochdale Pioneers) ने उद्योगिक भण्डार (consumer's stores) की स्थापना की जो निम्नलिखित उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर उद्योगिक विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करना था।

फ्रान्स—सहकारिता के क्षेत्र में जो कार्य इंग्लैंड में रोबर्ट ओवेन द्वारा किया गया था फ्रांस में सम्भवतः वही नाम चार्ल्स फोरियर (Charles Fourier) ने किया था। फ्रान्स में होने वाली क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का फोरियर तीव्र आलोचक था। उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अति प्रिय थी। उसने एक ऐसी आदर्श बस्ती की रूपरेखा तैयार की थी जिसमें लोग सहकारिता के सिद्धान्तों पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तथा उद्योगिक क्षेत्र में अपने बाल परिवारों के सुख एवं शान्ति के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। पारम्परिक प्रतिबन्धिता न होने के कारण लोगों में आपसी मतभेद तथा द्वेष की भावना न होगी। सहकारिता के क्षेत्र में चार्ल्स फोरियर की समय प्रयुक्त देन सम्बद्ध सहकारिता (Integral Co-operation) थी।

इटली (Italy)—औद्योगिकरण से पूर्व इटली की अर्थ व्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की आर्थिक दशा उड़ी मार्मिक थी। उनका

जीवन कठिनाई एव सधर्म का एक दृढान्त था। कृषि की पद्धति पिछड़ी एव दोषपूर्ण होने के कारण किसानों की दशा गिरावटी जा रही थी। निर्धन किसानों को अपनी आवश्यकता के लिये भारी ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। ब्याज की यह दर ५० से लेकर ६० प्रतिशत तक थी। ऐसी अग्रस्था में इटली में लुज्जाटो (Luzzatti) तथा डॉ. वोल्लेनबर्ग (Dr. Wollerborg) ने देशवासियों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी सार्व समितियों तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की परन्तु फासिज्म (Fascism) के आगमन के पश्चात् देश का सहकारी आन्दोलन फासिज्म के नवीन सिद्धान्तों पर सगृहित किया गया।

रूस (Russia)—रूस के सहकारिता आन्दोलन का अध्ययन विशेष महत्व का है। देशव्यापी क्रान्ति में सहकारिता आन्दोलन देशवासियों के जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूस में सहकारिता के सिद्धांतों पर चलाई जाने वाली ग्रामीण ऋण समिति, (Rural Loan Society) १८६५ में स्थापित की गई थी। प्राचीन सहकारी समितियाँ में मजदूर एव कारीगर सघ (Labour Cartels), कृषि समितियाँ, उपभोक्ता समितियाँ, सार्व एव ऋण समितियाँ एव सहकारी सघ (Co-operative Unions) विशेष उल्लेखनीय हैं। सन् १९१७ में होने वाली क्रान्ति के पश्चात् सहकारिता आन्दोलन का पुनर्संगठन हुआ और सहकारी उपभोक्ता समितियों पर विशेष महत्व दिया गया जिनके द्वारा देशवासियों में उपभोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने का कार्य किया जाता था। वर्तमान समय में रूस के ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।

रेफिसन तथा शुल्जेडेलिज प्रणाली—रेफिसन तथा (Raiffeisen and Schulze Delitzsch System) शुल्जे डेलिज नामक दो व्यक्तियों ने जर्मनी में सहकारी समितियों की स्थापना की थी। रेफिसन ने अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शुल्जेडेलिज ने अपने देश के शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना करके सार्व के समस्त दो प्रकार की सहकारी समितियों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी सिद्धांत रखे। इन्हीं सिद्धान्तों पर अन्य देशों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। अतः सहकारी समितियों के वही दो प्रमुख प्रकार जाने जाते हैं। रेफिसन तथा शुल्जेडेलिज पद्धति पर स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियों में पर्याप्त अंतर है। अगले पृष्ठ पर हम इन दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे —

रेफिसन तथा शुल्जे डेलिज समितियों की तुलना

	रेफिसन	शुल्जे डेलिज
क्षेत्र (Area)	(१) इस प्रकार की समितियाँ प्राणीय क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं।	(१) यह समितियाँ शहरी क्षेत्रों में ही रहती हैं।
कार्य क्षेत्र (Area of operation)	(२) समिति का कार्य क्षेत्र समिति होता है।	(२) समिति का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है।
दायित्व (Liability)	(३) समिति के सदस्यों का दायित्व असीमित (Unlimited Liability) होता है। इस कारण समिति का हानि होने पर किसी भी सदस्य से पूरी रकम वसूल की जा सकती है।	(३) इनका दायित्व सीमित (Limited Liability) होता है। अर्थात् हानि होने पर सदस्य अपने हिस्से तक का ही देनदार होता है।
अंश पूँजी (Share capital)	(४) इस समिति में अंश पूँजी का अर्थ अल्प मात्रा में होता है। अंश छोटे मूल्य में ही होते हैं।	(४) अंश पूँजी का अर्थ अधिक महत्व होता है और अंशों का मूल्य प्रायः अधिक होता है।
ऋण का उद्देश्य (Object of loan)	(५) यह समिति केवल अपने सदस्यों का ही ऋण देता है। और यह दीर्घकालीन ऋण देना उपाय काया में लिए ही देती है।	(५) ऐसी समितियाँ सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी उत्पादक अथवा अनुत्पादक किसी भी कार्य के लिये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं।
रक्षित कोष (Reserve fund)	(६) संकट के समय में भी अपना कार्य मुक्त रूप से चलाने के लिए यह समिति रक्षित कोष रखती है। इस कारण लाभ सदस्यों में न वितरित होकर रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है।	(६) यह समिति प्रति वर्ष अपने सदस्यों में लाभ बाँट देती है और लाभ का बहुत छोटा भाग ही रक्षित कोष में जमा किया जाता है।
पदाधिकारी (Office bearers)	(७) ऐसी समितियाँ में पदाधिकारी अवैतनिक होते हैं।	(७) इन समितियों में पदाधिकारियों को वेतन मिलता है।
उद्देश्य (Object)	(८) ऐसी समिति सदस्यों के आर्थिक एवं नैतिक दानों के प्रसार की उन्नति करने में उद्देश्य से कार्य करती हैं। इस कारण समितियाँ उनका ऐसा कार्य करती हैं जिन्होंने सदस्यों का चरित्र निर्माण एवं नैतिक सुधार होता है, जैसे शिक्षा प्रसार आदि।	(८) यह समिति व्यापारिक दृष्टि को ध्यान में रखकर चलायी जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक उन्नति ही करना है, अतः वे नैतिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान नहीं देती हैं।

सहकारी समितियों का वर्गीकरण

जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन के जन्म के पश्चात् सभ्य देशों में सहकारिता का विकास बड़ी तेजी से हुआ। और मानव के आर्थिक जीवन के प्रार्थः सभी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, उत्पादन एवं उपभोग, यही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इसे हुए व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता के सिद्धान्तों का उपलब्धतापूर्वक उपयोग किया जाने लगा और समय समय पर विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की सहकारी समितियों स्थापित की जाने लगीं। इस कारण सहकारी समितियों के वर्गीकरण का कार्य बड़ा जटिल हो गया। विभिन्न देशों में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से सहकारी समितियों का वर्गीकरण किया है। इंग्लैंड में केवल सहकारी उपभोक्ता समितियों की ही प्रधानता थी और इसी कारण इंग्लैंड उपभोक्ता समितियों (Consumers' Co-operatives) के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर रूस में अनेक प्रकार की सहकारी समितियों कार्य कर रही हैं। जैसे सहकारी उपभोक्ता समितियों, सहकारी रहनिर्माण समितियों, उत्पादकों की सहकारिता, इत्यादि। अतः सहकारी समितियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अध्ययन करने से सहकारी समितियों के उद्देश्य एवं कार्य का सही अनुमान लग जाता है। नीचे हम विभिन्न प्रकार से किये गये वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।

रोम की अन्तरराष्ट्रीय कृषि संस्था (International Institute of Agriculture at Rome) द्वारा सहकारी समितियों का वर्गीकरण :—

सख समिति, उत्पादन समिति, क्रय समिति, विक्रय समिति, धीमा समिति तथा अन्य समितियाँ।

प्रो० सी० आर० फे (Prof. C. R Fay) के अनुसार वर्गीकरण :—

- (१) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)
- (२) सहकारी कृषि समिति (Co-operative Agricultural Society)
- (३) सहकारी कारीगर समिति (Co-operative Workers' Society)
- (४) सहकारी मठार (Co-operative Stores)

प्रो० नाश (Prof Nash) का वर्गीकरण :—

- (१) साधन समितियाँ (Resources societies)
- (२) उत्पादन समितियाँ (Producers' societies)
- (३) उपभोक्ता समितियाँ (Consumers' societies)
- (४) रह समितियाँ (Housing societies)
- (५) साधारण समितियाँ (General societies)

भारत में सहकारिता

(Co-operative Movement in India)

भारत में सहकारिता का विकास—जब कि सगर ७ अन्य देशों में सहकारिता के क्षेत्र का उदय बहुत समय पूर्व ही हो गया था, भारत में म २० वां सदी के आरम्भ में ही सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश हो गया। यद्यपि सहकारिता भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में समुक्त कुटुम्ब प्रणाली, पञ्चायत, जति प्रथा आदि अनेक ऐसी संस्थाएँ का गहन पूर्ण रूपांतरण या तिनमें पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की भावना विद्यमान है, तथापि एक आन्दोलन के रूप में हमारा देश म १९०० में सन् १९०० ही हुआ जब “सहकारी राज्य समिति” की स्थापना हुई। इससे तो एक वृत्ति प्रधान दृष्टि होने के कारण भारत के किसानों के समस्त अनेक वृत्ति सम्बन्धी समस्याएँ आती गईं किन्तु १९ वां शताब्दी के अन्तिम भाग में हमारा आम जनता और किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक दशा की दलीयता बढ़ गई। किसानों को खेती सम्बन्धी अनेक आवश्यक कार्यों के लिए श्रम का आश्रय देना पड़ती थी। उनको कोई आश्रय न होने के फलस्वरूप गाँव के महाजन और महाजन ही उनके लिए श्रम का एकमात्र आश्रय थे जिनसे भारी ब्याज पर किसानों को ऋण मिलता था।

इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश के किसान एवं ग्रामीण श्रमजनों को हाँसे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जस्टिस रानडे (Justice Ranade) तथा सर विलियम वेड्डरबर्न (Sir W. Wedderburn) जैसे महानुभावों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया किन्तुने भारत की ग्रामीण श्रम की समस्या को हल करने के उद्देश्य में ग्रामीण चेतना में ऐम तथा की स्थापना करने का मुभाव दिया किन्तु किसानों की आर्थिकता के समय उचित ब्याज पर श्रम की मुविधा प्राप्त हो सकी। परन्तु भारत सरकार इस मुभाव को वास्तविक करने में असमर्थ रही। फलस्वरूप देश के किसान तथा ग्रामीण निवासियों की समस्या को वैसा ही बनी रही। तथा १९ वां शताब्दी में भारत की ग्रामीण श्रम की स्थिति का सर्वप्रमुख लक्षण आम निवासियों की चिन्ताओं का निर्धनता है जिसके कारण किसान श्रम करने से किसान श्रम की बढ़िया म पुरानी का नुकसान होता है। दुःख की बात यह है कि यह श्रम सदैव उत्पादक कार्यों तथा रक्षा में मुभार किय जाने ही के लिए नहीं दिये जाते बल्कि अनेक बार निवन विमान को धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों का पूरा करने के लिए भी अनुत्पादक श्रम लेने का आश्रय देता पड़ती है। सन् १९०० में पूना में होने वाले दया का संरक्षण की भावना के किसानों की श्रमजनों के फलस्वरूप उत्तरी गिड़गाँव में आर्थिक एवं सामाजिक दशा ही था किन्तु इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। परिणामस्वरूप १९०३ में पूना

सुधार श्रृण्य अधिनियम (Land Improvements Loans Act 1883) पास किया गया। सन् १८८२ म सर फ्रेडरिक निकलसन (Sir Frederick Nicholson) ने भूमि तथा कृषि बैंक (Land and Agricultural Banks) द्वारा ग्रामीण श्रृण्य की समस्या क हल करने की समझौताओं के सम्बन्ध म मद्रास सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट का उल्लेख था "रेफिसन का ढुंढा" (Find Refuse) जिसका अर्थ है कि ग्रामीण श्रृण्य की समस्या क लिए रेफिसन पद्धति क आधार पर ग्रामीण साज सहकारी समितियाँ की स्थापना की जाय। परन्तु निकलसन की रिपोर्ट म निहित सुझाव मद्रास सरकार का प्रभावित न कर सक। उत्तर प्रदेश म समस्या के अध्ययन क लिए सरकार ने मिस्टर डूपरेक्स (Mr Dupereux) नामक अधिकारी को नियुक्त किया था जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Peoples' Banks for Northern India' लिखकर पुन साज समितियाँ की स्थापना द्वारा ग्रामीण श्रृण्य की समस्या हल करने का सुझाव दिया। इसी समय एडवर्ड मैक्लेगन (Edward Meclagan) ने भी सहकारी साज समितियाँ की आवश्यकता पर जोर दिया। इन विद्वानों एवं विशेषज्ञों क अध्ययन तथा सुझावों क द्वारा देश म सहकारिता आन्दोलन क लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। १९०१ म भारत सरकार ने कृषि बैंक क संगठन सम्बन्धी समस्याओं क अध्ययन क लिए एक समिति नियुक्त की। सन् १९०४ का सहकारी साज समिति अधिनियम (Co operative Credit Societies Act of 1904) इसी समिति की रिपोर्ट का परिणाम है। अत हमारे देश म सहकारिता आन्दोलन का शुभारम्भ २५ मार्च १९०४ को होता है।

उपरोक्त अधिनियम क अन्तर्गत समस्त देश म ग्रामीण साज समितियों की स्थापना का कार्य तेजा से आरम्भ हुआ। इस ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं सीमित साधन वाले व्यक्तियों तथा बारीगारों म मितव्ययता, स्वावलम्बन तथा सहकारिता की भावना जागृत करना था। अत देश क ग्रामीण क्षेत्रों म छोटी छोटी साज समितियों की स्थापना की गई। इस ऐक्ट द्वारा जर्मनी का रेफिसन पद्धति क आधार पर अधिमित दायित्व वाली ग्रामीण सामूहिक तथा शुचिबलित पद्धति पर शहरी समितियों का संगठन किया गया। १९११-१२ तक भारत म लगभग ८ हजार समितियाँ स्थापित हो गई थीं जिनकी कार्यशाला पूजा तथा सदस्यों की संख्या क्रमश ३३६ फराड तथा ४ लाख थी। आन्दोलन क संगठन और १९०४ क अधिनियम क अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली सहकारी सामाजिक क नियंत्रण एवं कार्य संचालन की दृष्टि से प्रांतीय सरकारों को विशेष अधिकारी की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी। यह अधिकारी रजिस्ट्रार (Registrar of Co operative Societies) कहलाता था। परन्तु १९०४ के सहकारी सामूहिक अधिनियम म अनेक दोष होने क कारण सहकारिता आन्दोलन की प्रगति न हो सकी। दोष इस प्रकार थे—

(१) अधिनियम के अन्तर्गत कजल साख समितियाँ वा स्थानों की ही व्यवस्था है अतः अन्य वाया जैसे वितरण पूर्ण आदि क कार्यों क उद्देश्य से स्थापित की जाने वाला सहकार्य सामाजिकों को मान्यता मान्यता प्राप्त न वा ।

(२) इन प्राथमिक साख समितियाँ क देस भाल एव निरीक्षण क लिये १९०५ के अधिनियम क अन्तर्गत कोई ऐसी मन्दाय सस्था स्थापित नहा की गई थी जो इस कार्य को कर सस्ता ।

(३) समितियाँ वा वगानरण उहा अवैज्ञानिक एव अनुविधानक वा । समितियाँ को “ग्रामाय” और “शहरी” समितियाँ म विभाजित करने से भी कठिनाई उत्पन्न होता थी ।

(४) ग्रामाय समितियाँ क लाभ को सदस्या म बाँटे जाने पर प्रतिबंध लगा देने से १९०४ क अधिनियम ने सहकारिता आन्दोलन की प्रगति म बाधा स्थित क ।

उत्तरोक्त दोषों क कारण एक नये अधिनियम की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे सहकार्य आन्दोलन में आने वाली कठिनाइयाँ को दूर किया जा सके और साथ ही उसकी प्रगति क लिये उचित वातावरण उत्पन्न हो सक । इसी कारण १९१२ म दूसरा “सहकारी समिति अधिनियम” पास किया गया । इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न थीं —

(१) साख समितियाँ क अतिरिक्त अन्य कार्यों, जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, बचत, आदि क लिए स्थापित होने वाली समितियाँ को भा वैधानिक मान्यता दे दी गई ।

(२) इस अधिनियम क अन्तर्गत सहकारी समितियाँ की देसभाल निरीक्षण एव वित्तीय सहायता क लिए निम्न तान प्रकार क मन्दाय सस्थाओं की व्यवस्था की गई —

(१) प्राथमिक समिति क सख (Union)

(२) मन्दाय बैंक (Central Bank)

(३) प्रान्तीय बैंक (Provincial Bank)

(४) समितियाँ म वगानरण अ नये प्रकार क किया गया । ग्रामाय तथा शहरी समितियाँ क स्थान पर परिमित एव अपरिमित दायित्व वाला समितियाँ स्थापित क जाने लगा ।

(५) इस अधिनियम क एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसक द्वारा अयोजित दायित्व वाला समितियाँ लाभ क २५ प्रतिशत भाग की रकित को म जमा कर शेष भाग को सदस्या क लाभ क रूप म बाँट सस्ता थी और शिक्षात्मक कार्यों क लिए भी समितियाँ अपने लाभ क दस प्रतिशत भाग को अलग रख सकती थी ।

सहकारी आन्दोलन क प्रारम्भिक काल म आने वाली अनेक कठिनाइयाँ तथा बाधायाँ को १९१२ क अधिनियम द्वारा दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों का फलस्वरूप भारत म सहकारी आन्दोलन म पदाप्त प्रगति हुई। परन्तु ग्राम भी देश म आन्दोलन क मार्ग म अनेक बाधायाँ क कारण होने वाली प्रगति अत्यन्त एतापनक नहीं रही जा सकती। सरकार ने आन्दोलन क विनाश सम्बन्धी समस्यायाँ क अध्ययन क लिए सर एडवर्ड मैक्लेगन (Sir Edward Melegan) की अध्यक्षता म एक समिति नियुक्त की जिसने आन्दोलन की प्रगति क लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। जैसे—

(१) आन्दोलन को मुद्दह स्तर पर लाने क पश्चात् ही नई-नई समितियाँ को खोलने का प्रयत्न किया जाय।

(२) सहकारी आन्दोलन म सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और जनता स्वयं आन्दोलन की प्रगति म सक्रिय भाग ले। इसके लिए यह आवश्यक है कि सहकारी आन्दोलन के सिद्धान्तों का सदा विकास हो।

(३) समिति द्वारा दिये गये श्रृंखला का दुरुपयोग न हो। इस कारण श्रृंखला देने से पूर्व प्रार्थी की आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।

(४) सहायक सम्बन्धी कार्यों क लिए समिति द्वारा श्रृंखला न दिया जाय।

(५) समिति क कुशलतापूर्वक कार्य के लिए समय समय पर उसकी जांच पड़ताल होते रहना आवश्यक है।

(६) जहाँ तक संभव हो श्रृंखला ऊपर से थोड़े समय के लिए ही दिये जायें।

Meclegan Committee क उपरोक्त सुझावों पर अभी सरकार पूर्णरूप से विचार भी न कर पाई थी कि प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और सरकार का ध्यान युद्ध सम्बन्धी कार्यों म उन्मिलित हो गया। १९१६ क माटैग्यू चेल्सफोर्ड सुधार (Mortagu Chelmsford Reforms) क कारण सहकारी आन्दोलन म काफी दबाव ली जिसके कारण सहकारी आन्दोलन म काफी प्रगति हुई। १९२६ ३० म समितियाँ की संख्या लगभग ६४,००० थी जिनम ३९८ लाख सदस्य थे और निम्नी कार्यशील पेंजी लगभग ७५ करोड़ रुपये थी।

परन्तु सहकारी आन्दोलन म निरन्तर होने वाली प्रगति म एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। देश म सन् १९२६ से १९३३ तक जैसी आर्थिक स्थिति रही उससे सहकारी आन्दोलन की प्रगति म बाधा आ गई। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी क कारण कृषि पदायों क मूल्य में भारी कमी हो गई। किसानों की आय कम हो जाने क कारण वे अपने पुराने श्रृंखला का भुगतान करने में असमर्थ हो गये। अतः सहकारी समितियों के कार्य में बड़ी कठिनाई उपस्थित होने लगी। इस कारण यह आवश्यक समझा जाने

लगा कि आन्दोलन का पुनर्संगठन किया जाये जिससे सहकारिता का विकास में उपस्थित कठिनाइयों को दूर कर उसकी प्रगति में प्रोत्साहन मिल सके।

१९३५ में 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' (Reserve Bank of India) की स्थापना हो गई जिसमें कृषि सात विभाग (Rural Credit department) को छोले जाने से सहकारिता आन्दोलन को अनेक प्रकार से सहायता मिली। १९३७ ई० में प्रांतीय स्वायत्त शासन (Provincial Autonomy) का स्थापित होने से प्रांत सरकारों ने सहकारिता आन्दोलन का विकास के लिये भारी प्रयत्न किए और आन्दोलन की निगड़ी अन्त व्यक्त स्थिति सुधरने लगी।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं का मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने लगी। कृषि पदार्थों के मूल्य भी उठ गये जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उनमें अपने पुराने श्रृंखलाओं को चुकाने की फिर से सामर्थ्य आ गई। परिणामस्वरूप आन्दोलन का नीची शक्ति एवं शक्ति प्राप्त होने से निरन्तर सहकारिता का विकास होता गया। महायुद्ध के समय के सबसे बड़ी कठिनाई लोगों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्राप्त करने में होती थी। इस कारण इस काल में सहकारी आन्दोलन का जिस क्षेत्र में विशेष प्रगति की, वह थी उपभोक्ताओं की सहकारिता (Consumers Co operation)। इस कारण उपभोक्ता सहकारिता समितियाँ का बहुत विलार हुआ।

सरकार ने १२ सितम्बर १९४४ को प्रो० टी० आर० गैडगिल (Prof D R Gadgil) की अध्यक्षता में एक कृषि वित्त उपसमिति (Agricultural Finance Sub committee) का स्थापना की जिसका मुख्य कार्य शृणु सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर सुधारों को प्रस्तुत करना था। १८ जनवरी १९४५ का रजिस्ट्रारों का १४वाँ सम्मेलन बुलाया गया जिसने देश के सहकारिता आन्दोलन को संगठित करने की दृष्टि से सरकार से एक समिति नियुक्त करने की ज़रूरत सिफारिश की। फलस्वरूप श्री आर० जी० सरैया (Shri R G Saraya) की अध्यक्षता में एक सहकारी प्रायोजन समिति (Co operative Planning Committee) की नियुक्ति की गई जिसने देश में सहकारी आन्दोलन की प्रगति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इस समिति ने प्राथमिक समितियों को ज़रूरत शृणु प्रदान करने के कार्य के अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय कार्यों का समर्थन करने का सुझाव दिया। समिति के विचार में भारत के लिये बहुउद्देश्यीय समितियों अधिक उपयोगी होगी। सरैया कमेटी तथा गैडगिल कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रारों का १५वाँ सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इन समितियों के सुधारों के अतिरिक्त देश के सहकारी आन्दोलन संबंधी अन्य विषयों पर भी विचार किया गया।

१५ अगस्त १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। देश के विभाजन से आन्दोलन के क्षेत्र में अनेक नई समस्याएँ प्रस्तुत हुईं। भारी सख्ता म शरणार्थियों को बसाने के लिये भी सहकारी आन्दोलन को शरण लेनी पड़ी। राष्ट्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राष्ट्रपिता गाँधी ने ग्रामोत्थान-एव-कृषि सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिये सहकारिता के महत्व पर जोर दिया।

निम्न तालिका में हम १९४७ से प्रथम पंचवर्षीय-योजना के पूर्व तक होने वाली सहकारी आन्दोलन की प्रगति को स्पष्ट कर रहे हैं—

वर्ष	समितियों की संख्या(हजारों में)	प्रारम्भिक समितियों की सदस्य सं० (लाखों में)	समस्त प्रकार की समितियों की कार्यशील पूँजी (करोड़ रुपयों में)
१९४७-४८	१४६.७७	१०४.७	१७१.०६
१९४८-४९	१६३.८८	१२७.०७	२१६.४६
१९४९-५०	१७८.०६	११२.६१	२३३.१०

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारी आन्दोलन

(Cooperation in Planned Economy)

एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सहकारिता आन्दोलन का क्या स्थान है? यह एक बड़ा रोचक प्रश्न है। जैसा कि स्पष्ट है कि सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देश में जिम्मेदार लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना हो। एक स्वतन्त्र देश के निवासियों में ही व्यक्तिगत प्रयास एव उतरदायित्व की भावना पैदा जा सकती है जिसका होना सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भारत में भी स्वतन्त्रता के पूर्व देश के सहकारी आन्दोलन की स्थिति अत्यन्त सन्तोषजनक नहीं बनी जा सकती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के अधिक प्रयत्नों से सहकारिता के क्षेत्र में जो प्रगति हुई वास्तव में वह बड़ी सराहनीय है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नियोजित अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के प्रयत्न होने लगे। आर्थिक नियोजन में सहकारिता का क्या स्थान है? यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो हमारे देश की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य आधार ही सहकारिता है परन्तु फिर भी एक नियोजित अर्थ व्यवस्था तथा सहकारिता में पारस्परिक मतभेद ध्यान रखने योग्य है। सहकारिता में किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। यह एक स्वेच्छापूर्वक सदस्यता के आधार पर कार्य करने की प्रणाली है। उन

सभी व्यक्तियों के लिए सहकारिता के द्वार खुल रहते हैं जो सहकारिता के सिद्धान्तों के प्रचार पर कार्य करने के इच्छु हैं। यह ऐसी निर्मल एवं शक्तिहीनों का संगठन है जिसके द्वारा वह अपने सामान्य हितों का प्राप्ति कर सकते हैं। अतः प्रत्येक का सामान्य हित का दृष्टि में स्वयं हुए कार्य करने का पूरा स्वतंत्रता होती है। सहकारिता व्यक्तियों में अनेक नानक एवं सामाजिक गुण जग—सच्चाई, स्वायत्तमन, इमानदारी, सम्मानना, सहस्य एवं पारस्परिक सहयोग के विकास में सहायता देती है। परन्तु आर्थिक निराशा के अन्तर्गत एक कन्दाय असा द्वारा देश के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। बिना कन्दाय निराशा एवं निर्देशन के राई योजना सफल नहीं हो सकती। इस कारण एक निराशा प्रथम व्याख्या में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वच्छादुर्ग आर्थिक कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पराना फूट नहीं रहता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता की प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य सन् १९५१ में प्रारम्भ हुआ। १९५६ में यह योजना समाप्त हो गई। इस अवधि में देश में सहकारी आन्दोलन में काफी प्रगति हुई। प्रथम योजना में इस क्षेत्र में होने वाला मुख्य प्रयत्न कार्य था रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त "ग्रामीण आन्दोलन आयोग" द्वारा "सर्वज्ञान समिति" (All India Rural Credit Survey Comm.) के द्वारा किया गया देश में सहकारी आन्दोलन की प्रगति का सर्वेक्षण। इस समिति ने अपना रिपोर्ट सन् १९६४ में प्रकाशित की। सन् १९५६-५७ ई० के अन्त में भारत में सत्र प्रकार की करल २,६४,७६६ सहकारी समितियाँ थीं जिनमें लगभग १,९०,००,००० सदस्य थे। १९५१-५२ में सहकारी समितियों का संख्या करल १,२५,६५० थी। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश में सहकारी आन्दोलन में काफी प्रगति थी। प्रथम योजना काल में स्थापित होने वाली समितियाँ भी अधिकांश समितियाँ प्राथमिक समितियाँ (primary societies) थीं जो किसानों का करल छोटा रकम के कर्ज हो देने का कार्य करती थीं। इस कारण किसानों का मिलने वाले ऋण का करल ६ प्रतिशत भाग ही इन समितियों द्वारा प्राप्त होता था और अरुण आन्दोलन के ७० प्रतिशत भाग के लिए ग्राम में किसानों का सामान्य समिति एवं सहकारी समिति द्वारा प्राप्त होता है।

प्राथमिक आर्थिक विकास समिति के मुख्य सुझाव

(Main Recommendations of the All India Rural Survey Committee)

समिति ने सामान्य आर्थिक की समस्या के अन्तर्गत से जो निष्कर्ष निकाला उनका उद्देश्य यह है कि देश में सहकारी आन्दोलन की प्रगति में मुख्य कारण सरकार

का सहकारी समितियों के साथ पर्याप्त सहयोग न करना है। अतः सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुख्य मुद्दाएँ यह हैं —

(१) विभिन्न स्तर पर स्थापित सहकारी संस्थाओं में सरकार को एक प्रमुख सभेदार के रूप में कार्य करना चाहिये।

(२) राज्य, निपण्डन एवं अन्य समितियों में पूर्ण सहयोग होना चाहिये।

(३) प्राथमिक समितियों का दायित्व सीमित हो और उनका आकार काफी बड़ा हो।

(४) राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय गोदाम निर्माता की सहायता में बहुत से गोदामों का निर्माण करा लेना चाहिये।

(५) सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएँ हों।

(६) इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial bank of India) को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State bank of India) में परिवर्तित कर दिया जाये।

भारत सरकार ने समिति के अधिनाश सुझावों को मान लिया तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। सहकारी समितियों को निम्नीय सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट में आवश्यक संशोधन किया गया। फरवरी १९५६ में एक राष्ट्रीय कृषि खात कोष (National Agricultural Credit Fund) की स्थापना की गई। १ जुलाई १९५५ को इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' न अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया जिसकी ६०० नई शाखाओं का प्राथमिक क्षेत्रों में खोलने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रगति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश भर में १०,४०० नई आकार वाली सहकारी समितियाँ तथा १८०० प्राथमिक निपण्डन समितियाँ (primary marketing societies) के खोलने का लक्ष्य रखा गया। १९५७-५८ तक २६२५ नई समितियाँ तथा ४७६ विपण्डन समितियाँ कार्य कर रही थीं। इस अवधि में १९५० गोदामों का निर्माण भी हो चुका था। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भारत में एक समाजवादी ढंग के समाज (socialist pattern of society) की रचना करना है जिसमें सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान होना अनिवार्य है। यही कारण है कि प्राथमिक सम्बंधी समस्त योजनाओं का लक्ष्य बन रहा है कि भारत में सहकारी ग्राम प्रबंध (co-operative village management) का स्वप्न साकार हो।

निम्न तालिका में दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में सहकारिता के विकास का कार्यक्रम स्पष्ट किया गया है।


		लक्ष्य
सात सम्बन्धी (Credit)	बड़े आकार वाली समितियाँ (Large sized societies)	१०४००
	अल्पकालीन सात (Short term credit)	१५० करोड़
	मध्यकालीन सात (Medium term credit)	५० करोड़
	दीर्घ कालीन सात (Long term credit)	२५ करोड़
विक्रय एवं परि निर्माण सम्बन्धी (Marketing and Processing)	प्राथमिक विक्री समितियाँ Primary marketing societies)	१८००
	सहकारी चीनी फैक्ट्रियाँ (Co operative sugar factories)	३५
	सहकारी कपास त्रिनिय फैक्ट्रियाँ (Co operative cotton gins)	४८
	अन्य (Others)	११८
माल गोदाम एवं भण्डार सम्बन्धी (Ware houses and Storage)	केंद्रीय तथा राज्य निगमों के माल गोदाम (Warehouses of Central and State Corporations)	३१०
	विक्री समितियों के गोदाम (Godowns of marketing societies)	१५००
	बड़े आकार वाली समितियों के गोदाम (Godowns of larger sized societies)	६०००

जुलाई १९५६ में मसूरी में होने वाले राज्य मन्त्रियों के द्वितीय सम्मेलन में विक्रय तथा परिनिर्माण समितियों के क्षेत्र में और विस्तार किया गया। फलस्वरूप विक्रय समितियों की संख्या अगस्त १९०८, चीनी मिला की ६० तथा काटन त्रिनिय फैक्ट्रियों की संख्या १०० कर दी गई। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १९६०-६१ तक १०,४०० बड़े आकार वाली समितियों की स्थापना का कार्य पूरा हो जायगा।

भारत में सहकारी आन्दोलन का सगठन

भारत में सहकारी आन्दोलन को सगठन को समझने के लिए देश में सहकारी समितियों के वर्गीकरण का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। अग्र पृष्ठ पर दिये गये रेखाचित्र में हम सहकारी समितियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

सहकारी समितियाँ
(Co-operative societies)



जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है भारत में सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनका द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार भारत में सहकारी आन्दोलन के दो पक्ष (aspects) हैं। पहला तो साख सम्बन्धी सहकारिता, जिसके अन्तर्गत साख अथवा ऋण देने का कार्य सम्पन्न होता है। दूसरे, गैर साख सम्बन्धी सहकारिता, जिसके अन्तर्गत साख अथवा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्य किये जाते हैं। इस उद्देश्य से विभिन्न समितियों की स्थापना की जाती है। इन समितियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहले तो वह सहकारी समितियाँ जिनके सदस्य मुख्यतया खेती सम्बन्धी व्यवसाय में संलग्न होते हैं। ऐसी समितियों को हम 'कृषि समिति' (Agricultural societies) कहते हैं। दूसरे प्रकार की समितियों के सदस्य अन्य आर्थिक कार्यों द्वारा अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। ऐसी समितियाँ को गैर कृषि समितियाँ (Non agricultural societies) कहते हैं। इस प्रकार समस्त सहकारी समितियाँ निम्न प्रकार की होती हैं—

- (१) कृषि साख समितियाँ (Agricultural credit societies)
- (२) कृषि गैर साख समितियाँ (Agricultural non credit societies)
- (३) गैर कृषि साख समितियाँ (Non agricultural credit societies)
- (४) गैर कृषि गैर साख समितियाँ (Non agricultural non credit societies)

प्राथमिक समितियाँ

(Primary societies)

कृषि समितियाँ (Agricultural societies)—कृषि समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—(अ) कृषि सापस समितियाँ, (ब) कृषि गैर सापस समितियाँ।

कृषि सापस समिति—हमारे देश में सहकारी आन्दोलन का जन्म किसानों को आपस-पसना व समान उचित भाज पर ग्रहण देने के लिये प्रारम्भ किया गया था। इसी कारण प्रारम्भिक काल में ही भारत में सहकारी का आन मुख्यतः सापस समितियों में ही कन्द्रित रहा। यद्यपि गत कुछ वर्षों में आन्दोलन ने अन्य समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया। परन्तु अब भी भारत का सहकारी आन्दोलन एक सापस प्रमाण आन्दोलन कहा जा सकता है।

निर्माण—प्राथमिक कृषि सापस समिति का स्थापना (constitution) के लिये कम से कम १० और अधिक से अधिक १०० सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऐसी समिति स्थापना करने प्रायः एक मास तक में ही भीमित गम्भी है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक गाँव में रहने वाले व्यक्तियों में परस्पर सम्पर्क व साथ-साथ समिति के कार्यों के नियन्त्रण में भी सम्मति होती है। समिति की स्थापना के पश्चात् सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) द्वारा समिति का पञ्जीकरण (registration) करा जाना चाहिये। ऐसी समितियों का दाखिल असीमित होता है। इसका मुख्य नाम यह होता है कि प्रत्येक सदस्य समिति के कार्यों में रुचि लेता है। इस पारस्परिक नियन्त्रण व फलस्वरूप समिति के कार्यों में कुशलता आ जाती है।

पूँजी—समिति कार्यशील पूँजी (working capital) दो स्रोतों से प्राप्त करती है—आन्तरिक साधन, विचम समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया प्रवेश शुल्क (entrance fee), हिस्सा पूँजी (share capital) तथा उनके द्वारा जमा की गई धन राशि अर्थात् जमा पूँजी, (deposits) सम्मिलित हान हैं। समिति की पूँजी का दूसरा स्रोत जहाँ सापस है—जिनका सरकार—केंद्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय तहसील द्वारा प्राप्त पूँजी सम्मिलित है। जहाँ तक हिस्सा पूँजी का सम्बन्ध है, इनका महत्व बहुत महत्त्व, पञ्जाब और उत्तरप्रदेश जैसे प्रांतों में अधिक है जहाँ सहकारी समितियों के लिये हिस्सा पूँजी एक प्रमुख स्रोत है। अन्य प्रांतों में हिस्सा पूँजी पर इतनी अधिक रुचि नहीं दिखा जाता जिससे निर्धन एवं सीमित साधन वाले व्यक्ति भी सहकारी समितियों की सदस्यता से वंचित न रह जायें। जो कि सहकारी आन्दोलन की भावना के सर्वांग प्रतिकूल होगा।

ऐसी समितियों में रजिस्टर कॅंप का महत्व अधिक होता है। सहकारी अधिनियम

के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति एक उचित कोष बनाती है जिसमें अपने लाभ का कम से कम २५ प्रतिशत भाग जमा करना पड़ता है।

ऋण तथा व्याज (Loan and interest)—प्राथमिक साख समितियाँ जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने सदस्यों को ऋण दे सकती हैं वे हैं—

- (१) उत्पादक कार्यों के लिए।
- (२) अनुत्पादक कार्यों के लिए।
- (३) पुराने ऋण को चुकता करने के लिए।

सदस्य खेती तथा कृषि भूमि में सुधार करने, अनेक सहकारी नकदों के भुगतान इत्यादि कार्यों के लिए उत्पादक ऋण लेने की आवश्यकता का अनुभव करता है। अनुत्पादक कार्यों के लिए, लिये जाने वाले ऋण अनेक सामाजिक रीति रिवाज, शादी, विवाह, आदि के लिए लिये जाते हैं। पुराने ऋण के भुगतान के लिये प्राप्त ऋण मुख्यतः भूमिगत बैंकों ही से प्राप्त होते हैं परन्तु प्राथमिक सहकारी समितियों भी इस प्रकार के ऋण देने का कार्य करती हैं। सदस्यों द्वारा लिये गये ऋण तीन प्रकार की श्रेणियों में होते हैं—

- (१) अल्पमालीन,
- (२) मध्यमालीन,
- (३) दीर्घमालीन।

जहाँ तक सम्भव हो समितियों द्वारा ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए तथा अल्प समय के लिए ही दिये जाने चाहिए। परन्तु ग्रामीण जनता को साहूकार क कठोर पक्षों से मुक्त कराने के लिए समय-समय पर उनके अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए भी ऋण देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा करने पर ही उनके आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन में वास्तविक सुधार की प्रारम्भ की जा सकती है। समिति द्वारा दिये गये ऋण की फिटनी मान्य हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्राथमिक सहकारी साख समिति की कार्य प्रणाली का सबसे उदा योग्य यह है कि उनकी कार्यवाहक पूँजी कम होने के कारण वह सदस्यों को बड़ी थोड़ी मात्रा में ही ऋण दे सकने की क्षमता रखती है। सहकारिता के उद्देश्य को पूरा करने तथा साख से वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि समिति द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा इतनी अपर्याप्त हो किनसे निष्ठान को अपनी आवश्यकता के लिए साहूकार या मुहान ताकना पड़े। सदस्यों को ऋण देने समय उसकी साख प्राप्त करने की योग्यता (credit-worthiness) की भली भाँति जानकारी कर लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही ऋण देना चाहिए।

ऋण लौटाने के सम्बन्ध में समितियों को सखी से कार्यवाही करनी चाहिए।

कारण, समिति के सफलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए श्रेष्ठ वा टाक समुप पर गुणवान करना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि साख समितियों का प्रबंध लोकरन्त्रीय ढंग से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का एक पाठ देने का अधिकार होता है। समिति के कार्यकर्ता तथा अधिनारियों को वतन नहीं दिया जाता। प्रत्येक समिति में एक सभाध्यक्ष समिति हाती है, जिसमें सब सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य होता है समिति की कार्य सम्बन्धी नाति निर्धारित करना। एक वैतनिक मंत्री की भी नियुक्ति जाती है, जो समिति के अनेक दैनिक कार्यों को करता है। साधारण समिति के अतिरिक्त एक प्रधान समिति अथवा कार्यकारिणी समिति भी होती है जिसकी सदस्य संख्या ५ से ६ तक होती है। साधारण समिति की वार्षिक सभा में कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन होता है। यही समिति साख समिति के प्रधान का कार्य करती है।

लाभ का वितरण—बैठ तो लाभ के वेंटपारे के सम्बन्ध में प्रत्येक राय में एक से नियमां की व्यवस्था नहीं है। फिर भी १९१२ के सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति को प्रत्येक राय अपने विशुद्ध लाभ का कम से कम एक चौथाई भाग रक्षित कोष में जमा कर देना पड़ता है। यदि रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त हो जाय तो शेष का १० प्रतिशत भाग धर्मार्थ एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में व्यय किया जा सकता है। लाभ के शेष भाग का समिति अपने सदस्यों में लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है।

सहकारी समितियों का सहकारिता के अन्तर्गत पर चलाने तथा ठीक से काम करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है, कि समय-समय पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा उनका निरीक्षण एवं लेखा पराक्षण (audit) होता रहे जिससे उनके कार्य प्रणाली में त्रय हुए दोषों एवं त्रुटियों की त्रार समिति का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

प्रगति—निम्न तालिका में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रगति का विवरण दिया जाता है —

	१९५१-५२	१९५६-५७
प्राथमिक साख सहकारी साख समितियाँ इन समितियों की सदस्यता	१,०७,९२५ ४७,७६,८१६	१,६१,५१० ६९,१६,८१६

सार्य प्रणाली में साख—भाग के ग्रामीण ज्ञान में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों द्वारा ही किसान का अर्थ

अखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वोच्च समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसान के कुल ऋण का करीब तीन प्रमुख भाग ही इन समितियों द्वारा प्राप्त हो सका है जिससे भी इनका कार्य प्रणाली के पुनर्गठन की महान् आवश्यकता स्पष्ट होती है अतः उच्च समिति (Sri A D Gorwala Committee) ने भी इन समितियों के पुनर्गठन के लिए उच्च सुझाव दिए हैं।

इस सम्बन्ध में सख महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समितियों के स्थान पर बड़े आकार वाली समितियाँ बनाई जाएँ जो नई गांवों को अपनी समग्रता द्वारा लाभ पहुंचायें। इनमें सदस्यों की संख्या तथा हिस्सा पूंजी में भी पर्याप्त वृद्धि करा दी जाय तथा साख और गैर साख समितियों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया जाय। सरकार ने समिति के सुझाव को मानकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नई आकार वाली १०,४०० समितियों को संगठित करने का लक्ष्य रखा है। आशा है ग्राम्य साख सर्वोच्च समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आकार पर संगठित यह नई आकार वाली समितियाँ भारत के ग्रामीण जीवन में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी तथा किसानों के उद्देश्यों के लिए उनका संगठन किया जा रहा है उन्हें पूरा करने में व सफल होंगी।

कृषि गैर-साख समिति

(Agricultural Non credit Society)

जैसा कि बताया जा चुका है भारत में सहकारिता का जन्म मुख्यतया किसानों को साख सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया गया। इस कारण हमारा देश कृषि गैर-साख समितियों के क्षेत्र में काफी पीछे है। उद्योग के अन्य देशों में गैर-साख समितियों की स्थापना पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। इंग्लैण्ड, रूस, जर्मनी तथा देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की गैर-साख-समितियाँ कार्य करती हैं। एक कृषि प्रधान देश का आर्थिक सम्पन्नता तथा अति कृषि के विकास पर निर्भर करती हैं। अतः किसानों का करीब साख सम्बन्धी मुनिभाएँ पहुंचाने ही उनकी दशा को सुधारना सम्भव नहीं है। हम तो उनके सम्पूर्ण जीवन में सहकारिता का प्रकाश लाना हैं। इस कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके समस्त कार्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों पर संगठित किया गया। अनेक प्रकार के मध्यस्थों तथा खादूनों से उन्हें मुक्त करवा कर हाँ उनकी आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार हो सकता है। अनेकों के सुझावों का साथ जीवन सहकारिता के आधार पर संगठित है। इंग्लैण्ड के भी किसानों को साख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहकारी समितियों से लाभ पहुंचता है जिनके द्वारा किसानों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वस्तु प्राप्त होती है तथा अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी मिलता है।

भारत में कृषि गैर-साख समितियों की मन्द प्रगति का मुख्य कारण यही रहा है

कि हमारे अधिकांश देशवासी निरक्षरता के कारण उनका महत्व नहीं समझते। परन्तु विगत कुछ वर्षों से सहकारिता के इस क्षेत्र की ओर भी उन्नति होना प्रारम्भ हो गई है। और ग्राम प्रामाण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की कृषि और सहकारी साज-समितियों का स्थापना करके किसानों को कृषि सम्बन्धी अनेक सुविधाएँ जैसे अच्छे प्रकार के बीज बढ़िया ढाढ़ प्राप्त हो जाते हैं, और अपनी फसल के लिये उचित मूल्य भी मिल जाता है। आजकल हमारे देश में ग्रामाण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की गैर साज समितियों की स्थापना हो गई है। जैसे सिंचाई समिति, चक्रवन्दी समिति, ग्राम सुधार समिति, कृषि-पूर्ति समिति, पशुपालन समिति, दुग्ध समिति, उच्चम कृषि समिति इत्यादि। इसके अतिरिक्त ग्रामों में सहकारी बीमा समितियों की भी स्थापना हो गई है जिनके अन्तर्गत पशु तथा फसल का बीमा कराया जाता है। सवार के अनेक क्षेत्रों में सहकारी फसल बीमा समितियाँ ने उल्लेखनीय प्रगति की है परन्तु हमारा देश अभी इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। सहकारी बीमा विशेषतया पशुओं का ही होता है। फसलों आदि का बीमा अभी अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है। अब हम इन विभिन्न प्रकार की समितियों का विवरण नीचे दे रहे हैं।

सिंचाई समिति

(Irrigation Society)

कृषि के लिये सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। भारत में खेती मुख्यतया वर्षा या मानसून पर निर्भर करती है परन्तु अनिश्चित तथा अपर्याप्त एवं वर्षा के समय पर न होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। सहकारी सिंचाई समितियों द्वारा किसानों को सिंचाई सम्बन्धी सुविधा प्रदान की जाती है जिसके लिए ये समितियाँ सदस्यों के लिए कुएँ खोदने, नलकूप लगाने तथा राध बनाने में सहायता देती हैं। गाँव का प्रत्येक किसान सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन समितियों का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार की समितियाँ अधिराज पंजाब, नगाल, चम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। सन् १९५३ से ५४ के अन्त तक भारत में कुल ६३७ सिंचाई समितियाँ थी जिनमें से उत्तर प्रदेश में ४३४, चम्बई में २८७ तथा पंजाब में १५६ सहकारी सिंचाई समितियाँ थी।

सहकारी चक्रवन्दी समिति

(Co operative Consolidation of Holdings Society)

भारत में खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में बँटे हुए तथा नितरे हुए होने के कारण खेती की उपज बहुत कम होती है। सहकारिता के आधार पर चक्रवन्दी का कार्य किया जा रहा है परन्तु सहकारी चक्रवन्दी समितियाँ ने देश में कोई विशेष

प्रगति नहीं की। किसानों को अपनी भूमि में अत्यधिक लगान होने से यह सहकारी समितियों को चकवन्दी के कार्य के लिए भी अपनी भूमि को देने के लिये तैयार नहीं होना। इस कारण चकवन्दी समितियों के कार्य में बड़ी अड़चन होती है। कुछ प्रान्तों में चकवन्दी सम्बन्धी कानून के पास हो जाने से चकवन्दी के कार्यों में कुछ प्रगति हुई है। सर्वप्रथम १९२० में पंजाब में सहकारिता द्वारा चकवन्दी का कार्य प्रारम्भ किया गया था। परन्तु कुछ कारणों से सहकारिता द्वारा चकवन्दी के क्षेत्र में अग्रदूत होने के कारण भी वहाँ इसमें कोई प्रगति न हो सकी। १९४५-४६ में वहाँ लगभग २००० सहकारी चकवन्दी समितियाँ थीं। देश के विभाजन के बाद इनकी संख्या केवल १५७३ रह गई। उत्तर प्रदेश में १९४७-४८ में लगभग ३५९ समितियाँ थीं जबकि मद्रास में उस समय इनकी संख्या केवल २२ थी।

ग्राम सुधार समिति

(Better Living Society)

भारत के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में अभी कोई वास्तविक सुधार हो सकता है और सहकारिता आन्दोलन में सफलता भी अभी मिल सकती है जब उसका सम्पूर्ण जीवन ही सहकारिता के सिद्धान्तों पर निर्धारित हो। इस कारण सहकारी समितियों को केवल साव्य एवं कृषि सम्बन्धी अनेक मुद्दियों को प्रदान करने तक ही अपने कार्य को सीमित नहीं करना चाहिये, परन्तु उसका जीवन भी समस्त समस्याओं को करने के लिये विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों की स्थापना कर लेनी चाहिये। हमारा निम्नान केवल आर्थिक समस्याओं में ही अग्रत नहीं है बल्कि अनेक ऐसी सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में फँस होने के कारण उसकी दशा निराशा की जा रही है। विवाह, जनेऊ, गौना, मृत्यु आदि ऐसे व्यवहारों पर किसानों के लिये अपनी हैसियत से अर्थिक खर्च कर देना तो नित्यक साधारण ही बात है जिसके लिये गाँव में बड़े बड़ों तक उन्हें अपना ऋण चुकाना पड़ता है। अशिक्षा एवं नस्ल-परिभ्रम के परिणामस्वरूप मनोरंजन या कोई गान न होना के कारण प्रायः उन्हें अनेक नशीली वस्तुओं, गाँव, शराब, अफीम आदि के प्रयोग से आदत पड़ जाती है जिस पर अतिशय धन खर्च होने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। इस कारण प्रारम्भिक जीवन में सुधार करने तथा किसानों के रहन-सहन को अत्यन्त ज्ञान के लिये ग्राम सुधार समितियों की आवश्यकता उत्पन्न होती है जो किसानों में उन्नत धार्मिक एवं सामाजिक व्यवहारों पर नित्यव्ययतापूर्वक खर्च करने की आवश्यकता का महत्व बताती है। इस प्रकार की समितियाँ बम्बई, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं। उड़ीसा, बिहार और दिल्ली में भी ऐसे समितियों की कार्यवाही है।

कृषि पूर्ति समिति

(Agricultural Supply Society)

भारतीय कृषि व पिछड़े होने का एक कारण यह है कि हमारे किसान अच्छे बीज, बढ़िया खाद तथा मुफ़्त हुए खेती के औजारों का प्रयोग नहीं करते। कारण यह है कि या तो उनकी उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती या ऐसी संस्थाएँ या अभाव होता है जिनसे वे इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। इस कारण उन्हें उन्नत बीज, कृषि औजार तथा खाद दिलाने का कार्य विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। जैसे बहुदेशीय समितियाँ विपणन तथा सार्व समितियाँ इत्यादि कृषि सम्बन्धी आवश्यक सामग्री पूर्ति के उद्देश्य से स्थापित सहकारी समितियाँ मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे बीजों की पूर्ति के लिए बीज भण्डार (Seed Stores) की स्थापना की गई है। १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे १००० बीज भण्डार थे।

पशुपालन समिति

(Cattle breeding Society)

खेती की प्रगति के लिए स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल के पशुओं का होना अनिवार्य है। वेसे तो भारत में पशु सम्पत्ति (Cattle Wealth) अपार है। परन्तु उनके कम जोर एवं अस्वस्थ होने के कारण उनकी वास्तविक आर्थिक उपयोगिता बहुत कम है। इस कारण उनकी नस्ल में सुधार करना और उन्हें स्वस्थ दशा में रखना एक राष्ट्रीय महत्व की बात है। विदेशों की भाँति भारत में भी पशुओं की नस्ल में सुधार करने का कार्य सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है जिसके लिये भारत के विभिन्न प्रदेशों में सहकारी पशुपालन समितियों की स्थापना की गई है। इन समितियों का मुख्य कार्य अच्छे प्रकार की नस्ल के पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है। यह समितियाँ पशुओं के लिये चारे का प्रबंध करती हैं और नस्ल सुधारने के कार्य के अनिश्चित सदस्यों की पशुपालन सम्बन्धी उपयोगी बातें बता कर पशुओं को स्वस्थ रखने की दशा में उनका मार्ग प्रदर्शन करती हैं। इस प्रकार की समितियों की भारी संख्या पंजाब में है जहाँ पर पशु अभिजनन समितियों द्वारा नस्ल सुधार का कार्य सम्पन्न होता है।

दुग्ध समिति

(Co operative Dairy and Milk Society)

प्राचीन काल से ही दुग्ध भारतीयों का सर्वाधिक प्रिय भोजन रहा है। हमारे श्रमि, मुनि फल और दूध पर ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया करते

ये। परन्तु दुसरी बात है कि इस समय भारत में दूध का उत्पादन बहुत कम है। फलस्वरूप भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग सकारक अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है जबकि एक सन्तुलित खुराक (Balanced diet) के लिए १० औंस दूध की आवश्यकता होती है। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति का उपभोग केवल ५ औंस है। शुरूवात मुख्य कारण देश में दूध का उत्पादन कम होना है। सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। यह समितियाँ निकटवर्ती गावों से दूध एकत्र करके उसे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। ऐसी समितियाँ मद्रास, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल में बड़ा उपयोगी कार्य कर रही हैं। यहाँ भारी जनसंख्या होने के कारण नागरिक जनसंख्या को दूध रसवाही कठिनाई से मुक्त करने का श्रेय इन्हीं समितियों को है। सन् १९५३-५४ में भारत में ऐसी कुल १४७३ समितियाँ थीं जिन्होंने उस वर्ष लगभग २ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का दूध बेचा।

उत्तम कृषि समितियाँ

(Better Farming Societies)

ऐसी समितियाँ का मुख्य कार्य होती सम्बन्धी उन्नतशील तरीकों का प्रचार करना है। यह समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देती हैं, उन्नत कृषि औजार और अच्छी प्लांट प्रयोग की प्रशिक्षण देती हैं। इस कारण ये समितियाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिये ऐसी उन्नतशील तरीकों का सम्बन्ध में जानकारी कराने का कार्य करती हैं। ऐसी समितियों का वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़ा महत्व है। ऐसे तो इन समितियों की अधिक संख्या पञ्जाब में ही है परन्तु मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी ये समितियाँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

सहकारी विपणन समिति

(Co-operative Marketing Society)

यदि कृषकों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। कारण यह है कि कृषकों को अपनी फसल बेचने के लिये अनेक प्रकार के मध्यस्थों का सामना करना पड़ता है जो उनकी आप्र का एक बड़ा भाग हड़प कर लेते हैं। इन मध्यस्थों से मुक्ति दिलाने तथा अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिये उन्हें सहकारिता की सहायता लेनी पड़ती है। यह कार्य सहकारी विपणन समिति द्वारा संभाला जा सकता है। इन समितियों ने मद्रास, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिये बड़ा उपयोगी कार्य किया है। सन् १९५४ में भारत में लगभग ६२४० प्रारम्भिक विपणन समितियाँ थीं, जिनके द्वारा

५० करोड़ से अधिक का प्रय विन्य विधा गया । द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना म लगभग १८०० सहकारी प्रारम्भिक ढरूपन समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

सहकारी बीमा समितियाँ

(Co operative Insurance Society)

सहकारिता के क्षेत्र म बीमा का कार्य किसानों के लिए दो प्रकार से उपयोगी हो सकता है । पहला तो अपने पशुओं का बीमा कराकर दूसरे अपनी फसल का बीमा कराकर । जैसे तो बीमा का इसलिये बड़ा महत्व है कि यदि फसल खराब होने के कारण कुछ किसानों को हानि पहुँचती है तो यह हानि समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा बट जाय जिसे केवल कुछ ही लोगों को आर्थिक पटिनाई का सामना करना पड़े । परन्तु सहकारिता के आधार पर बीमा की योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है । कारण यह कि सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित बीमा योजनाओं म प्रत्येक सदस्य को पूर्ण अधिकार होगा तथा योजना का संचालन लोकतन्त्र शीष ढङ्ग पर किया जायगा । सहकारिता द्वारा पशु बीमा की योजना को कार्यान्वित करने म अनेक पटिनाइयाँ आती हैं । इस कारण भारत म क्या सकार के अन्य देशों म भी सहकारी पशु बीमा की योजना को अधिक रफलता नहा मिली । जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि अनेक देशों म यह योजना प्रारम्भ की गई, अनेक पटिनाइयाँ के कारण इसका कार्य र दोषजनक न हो सका । परन्तु भारत जैसे कृषि प्रधान देश म जहा कृषकों की दशा ऐसी नहा है कि वे बार बार खती के लिए आवश्यक पशुओं को खपद करें, प्राकृतिक क्षति को पूरा करने का कार्य सहकारी पशु बीमा समिति द्वारा किये जाने से उह बड़ी सहायता मिल सकेगी ।

उपज बीमा (crop insurance) का भी हमारे देश म कुछ कम महत्व नहीं है । जहा किसानों को अनेक प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, टिड्डियाँ का आना, वर्षा न होना इत्यादि के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पडती है वहा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तथा अनेक प्राकृतिक प्रकोपों से उरबी रक्षा करने के उद्देश्य से उपज बीमा का कार्य बड़ा महत्व रखता है । इन सहकारी उपज बीमा समितियों का मुख्य कार्य यह होगा कि वह किसान के समक्ष आने वाले अनेक जोखिमों को रहन कर प्राकृतिक प्रकोपों के कारण होने वाली क्षति को पूरा कर । अतः बीमा रोकथाम (Prevention) का एक सफल साधन है परन्तु भारत म सहकारी उपज बीमा का अभी सन्तोषजनक विकास नहा हुआ है । अधिष्ठित होने के कारण अधिकांश भारतीय जनता अपनी फसल का बीमा करने का महत्व नहा समझती ।

गैर-कृषि समितियाँ

(Non-Agricultural Societies)

कृषि समितियों की भाँति गैर-कृषि समितियाँ भी दो प्रकार की होती हैं—(१) गैर-कृषि साख समितियाँ, (२) गैर कृषि गैर साख समितियाँ ।

गैर-कृषि साख समितियाँ

(Non-Agricultural Credit society)

अब तब हमने कृषि सम्बन्धी अनेक प्रकार की समितियों का अध्ययन किया है। अब हम नगरवासियों तथा शहरों में रहने वाला नौ विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियों का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार ग्रामीण जनता को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए साहूकार एवं महाजनों से उँचे व्याज की दर पर ऋण लेना पड़ता है और जिनकी सहायता के लिए कृषि साख समितियाँ की स्थापना की गई है, उसी प्रकार शहरों में भी ऐसी ही समितियों के स्थापना की आवश्यकता है। नगरों में यह समितियाँ 'शूल्जबेलेज़' के सिद्धान्तों पर सगठित की जाती हैं। इस कारण इन समितियाँ नौ सदस्य संख्या बड़ी होती हैं। इन समितियों का दायित्व सीमित होता है और कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। भारत में यह समितियाँ बम्बई, मद्रास तथा पगल में अधिक पाई जाती हैं। इन समितियों के मुख्य कार्य होते हैं—(१) सदस्यों को समय पड़ने पर साख सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना। (२) सदस्यों में नचत तथा मितव्ययिता (Economy and thrift) की भावना को जागृत करना।

इस प्रकार की समितियाँ संसार के अन्य देशों में भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। भारत में यह समितियाँ मुख्यतया बड़े-बड़े शहरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं जहाँ उनके द्वारा कम व्याज पर वित्तीय सहायता प्राप्त होने से सदस्यों को बड़ी सुरिधा होती है। इन समितियाँ नौ नगर बैंक (Urban Bank) तथा बम्बई व मद्रास के जनता बैंक (People's Banks) विशेष उल्लेखनीय हैं। जो बैंक सम्बन्धी अनेक सुविधाएँ देने व साथ-साथ चाँदी सोने के आभूषणों की आर पर सदस्यों को ऋण देने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मिल मजदूरों तथा अन्य कारीगरों की सहायता के लिए भी इस प्रकार की समितियाँ खोली गई हैं। सन् १९५५-५६ में भारत में गैर-कृषि साख समितियों की संख्या लगभग १० हजार थी जिनमें सदस्यता ३०७३ लाख थी। अब तालिका में हम गैर कृषि-साख-समिति की प्रगति दिखा रहे हैं :—

	१९५१-५२	१९५६-५७
गैर-कृषि साख समितियाँ इनकी सदस्य संख्या	७,९६२ २३,३६,३४८	१०,१५० ३२,३८,७२७

गैर-कृषि गैर-साख समितियाँ

(Non-Agricultural Non Credit Societies)

राष्ट्रचर्य की रात हे कि जन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कृषि साख समितियां न ही विशेष सफलता प्राप्त की है तो भारत के नगरों एव शहरी क्षेत्रों में गैर साख की सहकारिता (Non-Credit Cooperation) ने भी सन्तोषजनक प्रगति की है। फलस्वरूप गैर साख समितियां की अधिक मात्रा में स्थापना हुई है। गैर कृषि गैर-साख समितियाँ में ३ प्रमुख प्रकार की समितियाँ अन्वयन योग्य हैं :—

- (१) सहकारी गृह निर्माण समितियाँ,
- (२) औद्योगिक सहकारी समितियाँ, तथा
- (३) सहकारी उद्योग समितियाँ।

(१) सहकारी गृह निर्माण समितियाँ (Co operative Housing Societies)—भारत के असन्तुलित औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े-बड़े शहरों एव विशाल औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हो गई है। जिनके अनियोजित विनाश का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि शहरों तथा बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों में आवास की जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। मिना तथा कारखानों में काम करके वाले अधिकांश श्रमिक गन्दी रस्तियाँ (Slums) तथा चालस (Chawls) में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर्याप्त आवास सम्बन्धी मुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण उनके परिवार के अन्य सदस्य गाँव में ही रहते हैं। इस समस्या में जटिल रूप धारण कर लिया है और अभी समस्या पूरी तरह हल भी न होना पाई थी कि एक और घटना ने उसे और भी जटिल बना दिया। यह घटना थी भारत-विभाजन के परिणामस्वरूप भारी संख्या में आन वाले शरणार्थी। आवास सम्बन्धी इस कठिन समस्या को हल करने के लिए बड़े-बड़े शहरों में सहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना की गई जिनका मुख्य कार्य था अपने सदस्यों के आवास सम्बन्धी मुविधाएँ प्रदान करना तथा गृह-निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की प्राप्ति में सहायता प्राप्त करना। हमारा देश में दो प्रकार की सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं :—

(१) गृह निर्माण समितियाँ, तथा

(२) क्रिषयेदार सहाय्य समितियाँ ।

गृह निर्माण समितियाँ जो सबसे अधिक संख्या में हैं जहाँ संप्रथम १९१५ में पहली गृह निर्माण समिति की स्थापना की गई थी । उत्तर प्रदेश में १९१६ में जो पहली गृह निर्माण समिति स्थापित हुई थी वह प्रदेश के संप्रमुख औद्योगिक केंद्र कानपुर में ही हुई थी । इस प्रकार की समितियों की संख्या दूसरे प्रकार की समितियों की संख्या से अधिक है । इनका मुख्य कार्य गृह निर्माण के इच्छुक सदस्यों को श्रृंखला प्रदान करना है । इससे अतिरिक्त वह सामंतिता भूमि उपेक्षित तथा निर्माण सामग्री के उपेक्षितों के लिए निजीय सहायता प्रदान करती है । क्रिषयेदार सहाय्य समितियाँ जो मुख्य उद्देश्य करने सदस्यों के लिए धन का निर्माण करना अथवा उनके लिए ऋण उपेक्षित हैं । इस प्रकार की समितियों की काम प्रणाली यह है कि मकान पर सहाय्य के का अथवा ऋण सदस्यों का सामूहिक रूप से अतिरिक्त होता है । सदस्य उसमें १५०० की हेतुधित से रहता है और अथवा देन देन का उपेक्षित अथवा ऋण के रूप में मकान के पूरे मूल्य का भुगतान हो जाता है तो मकान पर सदस्य का पूरा अधिकार हो जाता है । इस प्रकार की समितियाँ हमारे देश में अतिरिक्त मद्रास में पाई जाती हैं । सहाय्यता के उद्देश्य पर ही आवास सम्बन्धी जटिल समस्या का हल समझ हो सकता है । आर्थिक वातावरण के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए मकान बनवाने के स्वप्न को साकार रूप देने में सफल नहीं हो सकता । अतः सहाय्य समितियों की स्थापना द्वारा सीमित साधन तथा कम आय वाले व्यक्तियों को भी गृह निर्माण सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं ।

भारत में १९५५-५६ में सहाय्य गृह निर्माण समितियों की कुल संख्या लगभग ३००० थी जिनमें से २२८ प्रांतीय स्तर पर तथा शेष शहरों में कार्य कर रही थी । उत्तर प्रदेश में कुल ३३० समितियाँ थीं ।

(२) औद्योगिक सहाय्य समितियाँ (Industrial Co-operative Societies)—एक अर्थ विकसित देश की आर्थिक प्रगति के लिए उसका औद्योगिक विकास बहुत आवश्यक है । ऐसे ता सकार के अर्थ देशों में विशाल स्तरीय उद्योगों का अधिक महत्त्व है । परन्तु भारत में निर्बल एवं सामित पूर्णता वाले देश के औद्योगिक विकास के लिए हम उन्हें उद्योगों के अतिरिक्त कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । हमारे देश में अथवा उन शक्ति के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सकार की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए । छोटे छोटे उत्पादकों एवं कारीगरों की सहाय्यता के लिए नगरों में सहाय्य समितियाँ का नाम औद्योगिक सहाय्य समिति होता है । ऐसी समितियाँ का प्रत्येक शक्ति के दायरे में होना है तथा सदस्यों का उत्तरदायित्व परि

मित होना है। समिति द्वारा अर्जित लाभों को सदस्यों के लाभार्थ के रूप में बाँट दिया जाता है। परन्तु लाभ का कुछ भाग समिति अपने रक्षित कोष में भी रख लेती है। यह समितियाँ दो प्रकार से अपना कार्य करती हैं।

(१) समिति के कार्य की एक प्रणाली यह होती है कि समस्त उत्पादन सह कारिता के आधार पर किया जाता है। समिति के सम सदस्य उत्पादन में कार्य करते हैं। वे ही कच्चे माल (raw material) तथा आवश्यक योजनारी पदार्थों हैं तथा विभिन्न वस्तुओं की निष्पत्ति का कार्य भी करते हैं।

(२) दूसरी प्रकार की समितिना अपने सदस्यों को आरक्षकता के समान उचित न्याय पर उधार देकर अथवा उनका द्वारा उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त कर उनकी सहायता करती हैं। इन समितियों द्वारा छोटे-छोटे उत्पादकों को कच्चे माल तथा आवश्यक यंत्रों की पुरीक्षण में भी सहायता प्रदान की जाती है।

इन समितियों की सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यह फल कुटीर उद्योग अथवा छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों के क्षेत्र में ही सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सकती हैं। अपने समित साधना तथा विशाल औद्योगिक कुशलता के अभाव के कारण विशाल स्तरीय उद्योगों के क्षेत्र में इन समितियों के संगठन से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। सहकारिता वास्तव में समित साधना वाले व्यक्तियों का शक्ति है।

सहकारी उपभोक्ता समितियाँ

(Co-operative Consumers Societies)

सहकारी उपभोक्ता समितियों का संगठन का सबसे सकल प्रकार राकडेल पाय-नियर्स द्वारा किया गया था। इंग्लैंड, जहाँ उपभोक्ता समितियों का जन्म हुआ था सकारण उपभोक्ताओं की सहकारिता के लिये प्रसिद्ध है। स्वप्रथम १८४४ में सहकारी उपभोक्ता मंडलों की स्थापना की गई। इन सहकारी मंडलों की प्रगति के फलस्वरूप सकारण अन्य देशों में भी सहकारी उपभोक्ता मंडलों की स्थापना की जाने लगी। इन मंडलों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उपयोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं उचित मूल्य पर प्रदान करना है। एक तो इनका द्वारा प्राप्त वस्तुओं की प्रकृति चरित्र होती है, दूसरे धोरे भाग पर समिति द्वारा उपदे जाने के कारण उपभोक्ताओं को यह वस्तुएँ कुछ कम मूल्य पर भी मिल जाती हैं। इनारे देश में भी सहकारी मंडलों का प्रगति की है। सहकारी उपभोक्ता समिति अथवा मंडलों का संचालन भी जनतांत्रिक प्रणाली द्वारा होता है तथा समिति द्वारा अर्जित लाभ सदस्यों में बाँट दिया जाता है। इनारे देश में इन मंडलों की प्रगति विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के काल में हुई, जब लड़ाई के कारण आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

सीमित होने के कारण वस्तुओं की दिल्ली में बोरसजारी तथा मुनाफेलोपि का बोल बाला हो गया था। जन साधारण को अपने उपयोग की वस्तुएँ प्राप्त होने पर अत्यधिक बड़बुदों का सामना करना पड़ता था। इस कारण इन समितियों का विकास में बाधा प्रगति हुई और उनकी सदस्यता में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई। परन्तु महापुद्गल समाप्त होने के बाद ही उनकी संख्या एवं सदस्यता फिर कम होने लगी—इस प्रकार उपभोक्ता समितियों की प्रगति मुख्यतया उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, असम तथा मैसूर प्रदेशों में ही हुई है।

वैसे तो इन उपभोक्ता समितियों में प्रायः सभी प्रान्तों में जोड़ी बहुत प्रगति की है परन्तु मद्रास में सहकारिता भंडारों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मद्रास के ट्रिप्लीकेन स्टोर (Triplicane Store) ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया है। भारत में समस्त प्रान्तों में उपभोक्ता भंडारों में इस स्टोर ने अपने अधिक लोकप्रियता अपने क्षेत्र में प्राप्त की है जिसके कारण इसकी सदस्य संख्या तथा निधि प्रायः देश में सभी भंडारों से अधिक रही है। इस स्टोर की स्थापना सन् १९०५ में हुई थी तब से इसका कार्य में निरन्तर प्रगति होती जा रही है। इस समय इसकी २० से अधिक शाखाएँ कार्य कर रहा हैं जिनमें सदस्यों की उनकी आवश्यकता की प्रायः प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है। जैसे—अनाज, मसाले, तेल, घी, मक्खन और चाय आदि।

भारत में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रगति अधिक नहीं हो पाई। उनकी असन्तोषजनक प्रगति के कई कारण बताये जा सकते हैं—जैसे भंडारों द्वारा अन्य आवश्यकताओं के लिये दूसरे दूकानदारों से वस्तुएँ खरीदना पड़ता था। इससे अतिरिक्त इन समितियों का सदस्यता कमल मध्यमगाव तथा अनिष्टा तक ही सीमित रही जो सीमित राशियों के कारण सहकारी उपभोक्ता समिति का एक भी हिस्सा नहीं खरीद सकते। इसके अतिरिक्त इन भंडारों का कुशलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसे प्रबंधों की आवश्यकता होती है जिनमें पथाप्त व्ययव्ययिक कुशलता हो जिसकी हमारे देश में बहुत कमी है। अनेक कारणों से भारतवर्ष में इन उपभोक्ता भंडारों की संख्या कम होती जा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी उपभोक्ता भंडारों के विकास के लिये निम्न योजना रखी गई है।

उपभोक्ता भंडारों की प्रगति के लिए हम उनसे लोगों को दूर करना होगा तथा उनके विकास के लिए एक योजना बनानी होगी। उपभोक्ता भंडारों की संख्या बहुत कुछ सदस्यों की कुशलता एवं उनके पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा इन उपभोक्ता भंडारों के कुशल संचालन एवं प्रबंध के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जायँ। आरम्भिक काल में इन भंडारों को चलाने के लिए सरकार द्वारा निजी सहायता भी मिलना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त

केन्द्रीय बैंकों से समय समय पर आवश्यक श्रृंखला प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। इन भंडारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इनके द्वारा बेचे गये माल पर विक्री कर की छूट प्रदान कर सकती है।

+

माध्यमिक समितियाँ

(Secondary Societies)

जैसा कि ज्ञात है सन् १९०४ के सहकारी अधिनियम का मुख्य दोष यह था कि इसके अन्तर्गत ऐसी केन्द्रीय संस्थायाँ जैसे सघ, केन्द्रीय बैंक आदि के संगठन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्राथमिक सहकारी समितियाँ की देखभाल की जा सकती तथा उन्हें आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती। इस कारण १९१२ के सहकारी अधिनियम के द्वारा इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया गया। भारत में इस समय ३ प्रकार की माध्यमिक सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं। जिनका मुख्य कार्य है प्राथमिक सहकारी समितियाँ को वित्तीय सहायता देना और उनके कार्य पर नियन्त्रण रखना। इनके द्वारा प्रारम्भिक समितियाँ का पथ प्रदर्शन होता है जिसके फलस्वरूप कार्य कुशलतापूर्वक चलता रहता है यह समितियाँ निम्नलिखित हैं :—

(१) सघ (Union)

(२) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

(३) प्रादेशिक अथवा राज्य सहकारी बैंक (Provincial Bank)

सघ (Union)—सहकारी प्राथमिक समितियाँ ही केवल इन संघों की सदस्य बन सकती हैं। अतः बहुत-सी प्राथमिक समितियाँ क मिल जाने से सघ बन जाता है। इनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। प्रायः ३० से ५० तक प्राथमिक समितियाँ एक सघ बनाने के लिये पर्याप्त हैं। अतः जिले के एक छोटे से क्षेत्र में ही अपना कार्य करती हैं। इनके प्रबन्ध का भार प्राथमिक समितियाँ के प्रतिनिधियों पर भी होता है। इन्हीं संघों द्वारा प्राथमिक समितियाँ और केन्द्रीय बैंकों में सम्बन्ध स्थापित होता है। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं—

(१) गारन्टी अथवा जमानती सघ (Guarantee Union)—इन संघों का मुख्य कार्य प्रारम्भिक सदस्य समितियाँ को केन्द्रीय बैंक से समय समय पर श्रृंखला दिलाना है तथा उनके लौटाने के लिये उत्तरदायी होना है। भारत में ऐसे सघ बम्बई प्रान्त में कार्य कर रहे हैं।

(२) साहकारी सघ (Banking union)—य सघ अधिकतर पञ्जाब में हैं। इन सघों तथा केन्द्रीय बैंक का कार्य बहुत कुछ एक से होने के कारण उनमें समानता है। परन्तु केन्द्रीय बैंकों की अपेक्षा इनका कार्यक्षेत्र काल्पनिक होता है।

(३) निरीक्षक संघ (Supervising Union)—भारत में इस प्रकार के संघ अधिभार मद्रास नगर में ही देखने में आते हैं। इनका मुख्य कार्य अगनी सदस्य समितियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना होता है। अतः ये संघ प्राथमिक समितियों के सलाहकार, निरीक्षक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनसे समय समय पर त्रितीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ पड़ना कर उनके कार्य में सहायता प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

(Central Cooperative Bank)

महत्त्व (Importance)—इन बैंकों का संगठन १९१२ के सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार हुआ है। भारत के सहकारी सार्वभौमिक म इन बैंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भिक सहकारी सार्वभौमिक समितियों की कार्य कुशलता कुछ केन्द्रीय बैंकों पर निर्भर करती है। अगनी आवश्यकता के लिये ये समितियाँ इन्हीं से धन प्राप्त करती हैं। इनका मुख्य अर्थ महत्त्व इस कारण है कि ये समितियों के बीच सार्वभौमिक प्रवाह में सन्तुलन स्थापित करती हैं।

प्रकार (Kinds)—केन्द्रीय बैंक के मुख्य दो प्रकार हैं—

- (१) शुद्ध केन्द्रीय बैंक
- (२) मिश्रित केन्द्रीय बैंक

(१) शुद्ध केन्द्रीय बैंक (Pure Central Bank)—इस प्रकार के बैंक अधिभार उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिलते हैं। इन्हें बैंकिंग संघ (Banking Union) भी कहते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में केन्द्रीय बैंक को आदर्श बैंक माना जाता है। इनके सदस्य केवल प्राथमिक सहकारी समितियाँ ही बन सकती हैं अर्थात् कोई व्यक्ति इनका सदस्य नहीं बन सकता। इनका एक उदाहरण यह है कि अधिक मात्रा में जमा (Deposits) नहीं कर पाते।

मिश्रित केन्द्रीय बैंक—(Mixed Central Bank) प्राथमिक समितियों के अतिरिक्त इन बैंकों की सदस्यता के द्वारा व्यक्तियों के लिये भी खुले रहते हैं। इस कारण इन बैंकों में प्रभावशील एवं अगनी अगनी व्यक्ति सदस्य बनकर बैंक के कार्य संचालन में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं। इन बैंकों में पूर्ण अधिक जमा होती है, जिससे बैंक का काम अधिक कुशलता से चलाया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र (Area of Operation)—बैंक तो इन बैंकों का कार्यक्षेत्र एक जिले तक ही सीमित होना चाहिये। परंतु भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है तबके कारण एक जिले में प्रायः एक से अधिक भी बैंक बन

करते हैं, अतएव आर्थिक दृष्टि से उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं हो पाता। जहाँ तक सम्भव हो, एक खिल म एक ही नन्द्रीय बैंक संगठित किया जान।

इनके कार्य (Functions)—केन्द्रीय बैंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जैसे—

(१) सदस्य समितियाँ या निर्देशन एव निर्देशन।

(२) सदस्य समितियाँ का वित्त प्रदान करना।

(३) अनेक प्रकार के बैंक सम्बन्धी कार्य जैसे चेक, विनिमय पत्र, हुण्डो आदि जमा करना। सदस्या एव अन्य लोगों का पर्याप्त जमानत पर श्रेय देना आदि।

कार्यवाहक पूंजी (Working capital)—केन्द्रीय बैंक अपने लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी चार प्रमुख साधना से प्राप्त करत है जिन्ह निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) निजी कोष—इसमें सदस्या के अथवा राष्ट्रीय रूप सम्मिलित होते हैं।

(२) ऋण द्वारा एकत्रित कोष—इसमें सदस्या का जमा किया हुआ धन तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा लिया गया ऋण प्रमुख है। इनमें से प्रमुख स्रोत सदस्या द्वारा की गई जमा (Deposits) है। जिसका मुख्य कारण है बैंक की सदस्यता व्यक्तियों के लिये खुली होना। इसका फलस्वरूप नगर के व्यक्ति तथा बड़े व्यवसायी इन बैंकों में रुपया जमा करते हैं।

प्रबन्ध (Management) केन्द्रीय बैंक के प्रबन्ध के लिये दो समितियाँ होती हैं—१—साधारण सभा

२—कार्यवाहकी समिति

बैंक का प्रत्येक सदस्य साधारण सभा का सदस्य होता है और प्रत्येक को एक वोट देने का अधिकार होता है। बैंक के कार्य का चलान के लिए यही सभा एक प्रबन्ध समिति का निमाण करती है। इसके संचालक अर्थात्क हेतु है।

ऋण देने की विधि व लाभ का वितरण (Distribution of Profits and Loans)—केन्द्रीय बैंक मुख्यतया अपनी सदस्य समितियों को ही ऋण देता है। यह ऋण दो प्रकार के होते हैं—१. अल्पकालीन और २. मध्यकालीन। परन्तु कभी कभी व्यक्तियों का भी उनसे उधार मिल सकता है। जिसके लिए बैंक का सदस्य होना आवश्यक है। केन्द्रीय बैंक अपने लाभ का २५ प्रतिशत भाग रक्षित कोष में जमा करत है और शेष का सदस्या में लाभांश के रूप में बाँट देता है। इनके द्वारा लिये गये धाब की दर प्रत्येक प्रान्त में भिन्न है। जैसे बिहार में ५% से ७ प्रतिशत तक, उत्तर प्रदेश में ७ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ४ से १२ प्रतिशत।

इनके दोष (Defects)—यद्यपि अपने कार्यों के कारण केन्द्रीय बैंक का

महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी इनके कार्य में कुछ दोष आ गये हैं जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। ये दोष निम्नलिखित हैं :—

(१) भारत में केन्द्रीय बैंकों के पास प्रायः पूँजी के अभाव की समस्या ली रहती है।

(२) इन बैंकों के पास आने वाली जमा का अधिकांश भाग सहकारी समितियों से नहीं बरन् व्यक्तियों से प्राप्त होता है।

(३) इन बैंकों के लिये कुशल कर्मचारियों का अत्यधिक अभाव है।

सन् १९५१-५२ में भारत में केन्द्रीय बैंकों तथा सहकारी सभों की संख्या कुल ५२६ थी। वह १९५६-५७ में घट करके केवल ४५१ ही रह गई। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये जाने के कारण यह आवश्यक है कि हम उनके अनेक दोषों को दूर कर पुनर्गठन करें।

प्रान्तीय बैंक

(Provincial Bank)

महत्त्व—यह प्रान्त के सहकारी बैंकों के शिखर पर होता है। इस कारण इसे सर्वोपरि वा शीर्ष बैंक (Apex Bank) भी कहते हैं। प्रान्तीय बैंकों में सबसे उच्च स्थान होने के कारण प्रान्त के सहकारी आन्दोलन में इन बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फलस्वरूप राज्य में स्थापित विभिन्न प्रकार की सार्व समितियाँ तथा बैंकों के कार्य का नियन्त्रण तथा पथ-प्रदर्शन करना इसका मुख्य उत्तरदायित्व है। इसके द्वारा ही केन्द्रीय बैंकों को वित्त प्राप्त होता है।

वर्तमान स्थिति—भारत में सन् १९५१-५२ में प्रान्तीय सहकारी बैंकों की संख्या कुल १६ थी। १९५६-५७ में यह संख्या बढ़कर २३ हो गई जिनकी आंशिक पूँजी लगभग ६३॥ करोड़ रुपये थी। ३० जून, १९५६ में इनके कुल सदस्यों की संख्या ३६३६४ थी।

रचना एवं कार्य—भारत में ऐसे प्रान्तीय बैंक बहुत कम हैं जिनमें केवल सहकारी संस्थाएँ ही सदस्य हों और व्यक्ति सदस्य न हों। अधिकांश बैंकों की प्रकृति मिश्रित है अर्थात् जिनमें विभिन्न सहकारी संस्थाओं जैसे केन्द्रीय बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अधिकांश संख्या में व्यक्ति भी सदस्य हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त होती है और अन्य अनुमूचित बैंकों में प्रान्तीय बैंकों की भी गणना की जाती है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में यह बैंक बड़े उपयोगी कार्य करने के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हो गये हैं।

इन बैंकों के द्वारा भी अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न होते हैं। इनमें से मुख्य कार्य अप्रलिखित हैं :—

(१) सर्वोपरि बैङ्क होने के कारण प्रान्तीय सहकारी बैङ्क राज्य के सहकारी आन्दोलन का निर्देशन एवं सगठन करते हैं।

(२) ये बैङ्क केन्द्रीय बैङ्कों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें आवश्यकता के समय ऋण प्रदान करते हैं।

(३) ये बैङ्क पूँजी में प्रवाह तथा गतिशीलता लाने का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अर्थात् केन्द्रीय बैङ्कों की पूँजी इनके पास जमा रहने के कारण उसमें से कुछ भाग वे उन केन्द्रीय बैङ्कों को दे देते हैं जिनके पास पूँजी का अभाव होता है।

(४) प्रान्तीय बैङ्क अपने पास धन का पर्याप्त कोष एकत्र रखता है। सामान्य द्रव्य बाजार में अनुकूल परिस्थितियों तथा ब्याज की कम दर होने के समय यह आवश्यक कोष जुटा लेता है जिसे यह केन्द्रीय बैङ्कों तक पहुँचा देता है और प्राथमिक समितियाँ जिसे केन्द्रीय बैङ्क से प्राप्त कर लेती हैं। प्रान्तीय बैङ्क राज्य की अनेक प्रकार की सहकारी क्रियाओं को सगठित करके प्रदेश के सहकारी आन्दोलन के विकास एवं प्रगति में सहायता पहुँचाता है।

कार्यवाहक पूँजी तथा ऋण (Working Capital and Loans)—
केन्द्रीय बैङ्कों की भाँति प्रांतीय सहकारी बैङ्कों की कार्यशील पूँजी भी चार मुख्य साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये चार स्रोत हैं :—

- (१) अश पूँजी
- (२) संचित कोष
- (३) जमा पूँजी
- (४) बैङ्क द्वारा लिये गये ऋण।

▲ • जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, २० जून, १९५६ तक देश के समस्त प्रांतीय बैङ्कों की कुल कार्यवाहक पूँजी ६३-३४ करोड़ रुपया थी। इस पूँजी का अधिकांश भाग (५७-६ प्रतिशत अर्थात् ३६-६७ करोड़ रुपया) सदस्यों तथा गैर सदस्यों द्वारा की गई जमा से प्राप्त होता है।

प्रान्तीय सहकारी बैङ्क मुख्यतया दो प्रकार के ऋण प्रदान करता है :—१. अल्पकालीन २. मध्यकालीन। प्राथमिक सहकारी समितियों, कर्त्रीय सहकारी बैङ्क तथा व्यक्तियों को समय समय पर राज्य सरकारी बैङ्क द्वारा ऋण प्राप्त होता है।

। प्रान्तीय सहकारी बैङ्कों द्वारा प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन एवं बल मिलाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यथासम्भव ये बैङ्क विभिन्न प्रकार की बैंडिंग क्रियाओं की ओर अधिक ध्यान न देकर अपना पूरा ध्यान सहकारी संस्थाओं के सगठन, निर्देशन, मार्ग प्रदर्शन तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने पर केन्द्रित करें। अतः इन बैङ्कों को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने तथा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त

करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति (गारखाला समिति) तथा रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कृषि साख विभाग (Rural Credit Department) ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनके द्वारा काय प्रणाली में पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना है।

दीर्घकालीन साख तथा भूमिबन्धक बैंक

(Long Term Credit and Land Mortgage Bank)

महत्व—भारतीय कृषि की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसकी ऋणप्रणाली का दूर करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे किसानों को अनेक आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रसार के ऋण लेने पड़ते हैं। इस कारण बहुत प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उन्हें मुख्यतया अल्पकालीन ऋण दिलाकर वह समस्या हल नहीं की जा सकती। हम तो उसे ऋण से स्थायी एवं आत्मनिर्भर ऋण दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उस दीर्घकालीन ऋण की समस्या का मुलभाषा जानना अनिवार्य है। अतः ऐसी विधी संस्था का संगठन होना आवश्यक है, जो उन्हें आवश्यकता के समय दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। वैसे तो किसानों के प्रकार के ऋण लेने पड़ते हैं—स अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, तथा दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण प्रायः फसल के लिए आवश्यक चीजें—साध, धान, श्यादि के खरीदने, धानका का देने के लिए मजदूरी तथा पशुओं के लिए चारा आदि उपाने के लिए हाथ लिए जाते हैं। अपने लिए—लगाड़ी, आवश्यक कृषि औजार, बैल आदि के लिए मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता होता है। परंतु दीर्घकालीन ऋण इन सबसे अलग आवश्यक होता है। क्या के उस दीर्घकालीन ऋण रूप में भूमि के खरीदने, पशु ऋणों को चुकाने तथा अपने सतीरने की स्थायी सुधार करने जैसे बुझा खुदवाना, पत्तरी भूमि को रतना योग्य नाना प्रकार के लिए लेने पड़ते हैं—जिनके द्वारा ही कृषि उत्पादन सम्भव हो सकता है। इस कारण देश की कृषि व्यवस्था तथा भारतीय कृषकों की आर्थिक उन्नति बहुत हद तक दीर्घकालीन ऋण की सुविधाओं पर निर्भर करती है।

आवश्यकता (Necessity) —कृषि में विभिन्न प्रकार के स्थायी सुधार करने तथा उपरोक्त काम हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए उचित धन्यता की दर पर दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इस काम को न तो सहकारी समितियाँ ही कर सकती हैं और न व्यापारिक ऋण द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है। सामान्य साधन होने के कारण इनके द्वारा अल्पसे अल्प अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण ही प्राप्त हो सकता है और दूसरे इन संस्थाओं का आगम्य आवश्यक पूँजी खर्चों का जना से ही प्राप्त होने के कारण दीर्घकालीन ऋण के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारतीय किसानों का लक्ष्य अल्पसे अल्प अल्पकालीन ऋण ऐसा होना चाहिए

जिसके ब्याज की दर कम हो और जिसे किसान अपनी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी किराओं में लौटा सके। इस दृष्टि से ऋण देने वाली व्यक्ति सहकारी तथा साहूकार संस्थाएँ सर्वथा अनुपयुक्त हैं। प्राथमिक रूप समितियों तथा श्रामीर महाजन एवं साहूकार अपने सीमित वित्तीय साधनों को लम्बी अवधि के लिए उधार देने के अयोग्य हैं। लाभ की दृष्टि से चलाये जाने वाले व्यापारिक बैंक उँची ब्याज की दर पर ही लम्बी अवधि के ऋण देने के लिए तत्पर होते हैं। उनका उद्देश्य ही अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इसके फलस्वरूप किसानों वा नीची ब्याज की दर पर ऋण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इस कारण दीर्घवालीन ऋण देने का कार्य किसी ऐसी संस्था द्वारा ही किया जाना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त हो अर्थात् ऐसी संस्थाओं में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए :—

(१) उनका संचालन सहकारिता के सिद्धान्तों पर होना चाहिए।

(२) इनके प्रबंध में ऋण लेनदारों को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।

(३) इनके चलाने पर किये गये व्यय में मित्रव्ययिता होनी चाहिये।

(४) इनका संचालन लाभ के लिए न होकर कृषकों की सहायता के लिए होना चाहिये।

ये समस्त विशेषताएँ भूमिबन्धक बैंक में पाई जाती हैं। इन बैंकों का संगठन किसानों को लम्बी अवधि के लिए ऋण देने के लिए होता है। इन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों पर भी चलाया जा सकता है। ऋण लेने वाले इनके प्रबंध में सहयोग देते हैं। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि बन्धक बैंक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है।

परिभाषा (Definition)—किसान तथा भू स्वामी अपनी भूमि को रेहन रखकर जिस संस्था से उचित ब्याज पर लम्बी अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर सकते हैं उसे भूमिबन्धक बैंक कहते हैं।

ऐतिहासिक अध्ययन (Historical Study)

भारत में सर्वप्रथम १९२० में पंजाब के भंग (Jhang) नामक स्थान में भूमिबन्धक बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद सन् १९२५ में मद्रास में दो भूमिबन्धक बैंक खोले गये। तत्पश्चात् बम्बई में भी १९२६ में ३ भूमिबन्धक बैंक का संगठन किया गया। परन्तु भारत में भूमिबन्धक बैंक की प्रगति वा इतिहास १९२६ में प्रारम्भ हुआ, जब मद्रास में एक फेद्रीय भूमिबन्धक बैंक स्थापित हुआ था। जैसे तो १९२५ में ही यहाँ प्राथमिक भूमिबन्धक बैंकों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। भारत में भूमिबन्धक बैंकों के कार्य उपलब्धपूर्वक मद्रास, ब्राह्म प्रदेश,

मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में चल रहे हैं। भारत के कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ अभी भूमिबन्धक बैंकों की स्थापना नहीं हो पाई है जिनके अभाव के फलस्वरूप किसानों को अपने दीर्घकालीन ऋण के लिये बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

यहाँ सन् १९५१-५२ तथा १९५६-५७ में प्राथमिक तथा केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों की स्थिति दिखाई गई है—

	१९५१-५२	१९५६-५७
केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक	६	१२
प्राथमिक भूमिबन्धक बैंक	२४५७६	११६५६१

प्रकार (Kinds)—मुख्यतया तीन प्रकार के भूमिबन्धक बैंक होते हैं जो निम्नांकित हैं—

(१) सहकारी भूमिबन्धक बैंक (Cooperative Land Mortgage Bank)—इस प्रकार के भूमिबन्धक बैंक सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर चलाये जाते हैं। इस कारण यह सीमित साधनों वाले किसानों के लिये अत्यन्त उपयोगी होते हैं। इन बैंकों का मुख्य आधार पारस्परिक सहयोग एवं सघटन और ऋण लेने के लिये सदस्यों द्वारा देहन वाली दुर्लभ भूमि अथवा सम्पत्ति की गारन्टी है।

(२) अर्द्ध सहकारी भूमिबन्धक बैंक (Quasi Cooperative Land Mortgage Bank)—भारत में इसी प्रकार के भूमिबन्धक बैंक अधिक प्रचलित हैं। इन बैंकों या प्रत्यक्ष सहकारिता तथा व्यापार में मिश्रित सिद्धान्तों पर किया जाता है जिसके कारण इनमें दो प्रकार के लक्षण देखने में आते हैं। इनका सघटन सीमित दायित्व के सिद्धान्त पर किया जाता है। इसी कारण बड़ी विशेषता यह है कि उनकी सदस्यता केवल बैंक से उधार लेने वालों तक ही सीमित नहीं होती परन्तु अधिक संख्या में ऋण न लेने वाले व्यक्ति भी इनके सदस्य होते हैं जिसके फलस्वरूप बैंकों को अधिक मात्रा में पूँजी प्राप्त हो जाती है। पूँजी के साथ-साथ पूँजीपतियों एवं व्यक्तियों की सदस्यता के कारण इन बैंकों को व्यापारिक कुशलता तथा व्यापारिक सघटन जैसी अमूल्य गुणों की प्राप्ति होती है। इन बैंकों को सरकार भूमि के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य के लिये विशेष प्राधिकृत अधिकारियों की सेवाएँ प्रदान करती है।

बैंक सदस्यों को ऋण देने के पहले रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। सहकारी के सिद्धान्तों पर चलने तथा केवल लाभार्थ बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देने के लिये यह बैंक दो कार्य करता है—

(१) इसमें हर सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होता है।

(२) इसमें लाभार्थ की दर अधिकतर नीची रखी जाती है।

(३) गैर सहकारी भूमिबन्धक बैंक (Non-Co-operative Land Mortgage Bank)—जैसा कि नाम से विदित है यह बैंक सहकारी के सिद्धान्तों पर नहीं चलाये जाने। व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलाये जाने वाले इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ बनाना है। भारत में कृषि सहकारी आन्दोलन का मुख्य आधार सहकारी ही है। इस कारण इन व्यापारिक भूमिबन्धक बैंकों की देश में अधिक प्रगति नहीं हुई है। परन्तु सभ्य देशों में इस प्रकार के बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

भूमि बन्धक बैंकों के कार्य (Functions)—वैसे तो भारत में भूमि बन्धक बैंक का संगठन तीन विभिन्न प्रकार से हुआ है। जैसे (१) कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ केवल केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक ही कार्य कर रहे हैं और किसानों को इनसे ही ऋण प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्मपूर, कोचीन तथा उड़ीसा। (२) कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की स्थापना नहीं हुई है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा आसाम। (३) कुछ प्रांतों में जैसे बम्बई, मद्रास, मंगूर इत्यादि में प्राथमिक एवं केन्द्रीय दोनों प्रकार के भूमि बन्धक बैंक संगठित किये गये हैं। परन्तु जहाँ तक इनके कार्यों का सम्बन्ध है इनमें बहुत कुछ समानता देखने में आती है। भारत में भूमि बन्धक बैंक मुख्यतया निम्न कार्य करते हैं—

(१) किसानों को कृषि भूमि परीदने के लिये ऋण देना।

(२) अपने पैतृक तथा पुराने ऋणों के भुगतान के लिये ऋण देना।

(३) खेतों की चरबन्दी खाने में किसानों की मदद करना।

(४) गिरवी रखी हुई कृषि भूमि को गेहन से छुड़ाने तथा खेती में सुधार करने के उद्देश्य के लिये ऋण देना।

कार्य विधि—भूमि बन्धक बैंक अपने कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक पूँजी व प्रमुख स्रोतों से प्राप्त करते हैं—हिस्सा पूँजी, रचित वोट, ऋणपत्र तथा इनके द्वारा लिये गये ऋण। सदस्यों को बेचे गये हिस्सों से अधिक मात्रा में पूँजी प्राप्त नहीं होती। इस कारण भूमि बन्धक बैंकों को आरानी कारगराल पूँजी प्राप्त करने के लिये ऋण पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बैंक द्वारा निम्नले गये ऋण पत्रों को सामान्य जनता परीदती है। इसके बदले में उन्हें न्याय मिलता है। जनता के अति

रिक्त भूखण्डों को रिजर्व बैंक भी खरीदता है। सरकार इन भूखण्डों के मूल्य तथा उन पर दिये गये ऋण की गारंटी लेती है। इन बैंकों में सदस्यों द्वारा जमा की गई पूँजी की मात्रा बहुत कम होती है।

इन बैंकों द्वारा दिया गया भूखण्ड प्रायः २० साल की अवधि के लिये होता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में इच्छे अधिक समय के लिये भी दिया जा सकता है। भूखण्ड देने के पूर्व भूमि अधिनियम बैंक निम्न दो बातों की जानकारी प्राप्त करती है—

(१) गिरवी रखी भूमि का मूल्यांकन—क्रिसान इन बैंकों द्वारा दार्जिलाल भूखण्ड प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि देकर कर देता है। परन्तु इस भूमि का मूल्यांकन करना नज़र जटिल कार्य है। मूल्यांकन अधिकारी (Appraising officer) भूमि का मूल्य आकने के पूर्व पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर लेता है।

(२) भूखण्ड भुगतान की क्षमता का अनुमान—भूखण्ड देने से पहले बैंक भूखण्ड लेनदार के भूखण्ड भुगतान करने की क्षमता का पूरा अनुमान लगा लेता है। साधारणतया ऐसी भूमि या आदर पर कोई भूखण्ड नहीं दिया जाता जिसकी उपज का मूल्य भूखण्ड के वार्षिक किस्त तथा ऋण लेने वाले के नाम निगाह के लिए पर्याप्त न हो। इस कारण व्यक्ति के भूखण्ड भुगतान करने की योग्यता या अनुमान लगाना भी एक कठिन कार्य मालूम होता है।

इनकी सफलता की आवश्यक बातें—जैसा कि हम देख चुके हैं भूमि अधिनियम बैंक भारतीय किसानों के लिए एक अत्यन्त उपयोगी संस्था है निम्न द्वारा उन्हें उचित व्याज पर दार्जिलाल भूखण्ड प्राप्त होता है। अतः इन बैंकों की सफलता पर खेती की सफलता निर्भर करती है। भूमि-अधिनियम बैंकों में सफलतापूर्वक अपने कार्य करने के लिए दो प्रमुख बातें या आवश्यकता होती है। (१) इन बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी का कोष हो जिसे वे कम व्याज पर किसानों को दे सकें। इनकी उपयोगिता के कारण इन बैंकों द्वारा उधार दी गई पूँजी की माँग बढ़ना स्वाभाविक ही है। और फिर अपने दार्जिलाल भूखण्ड के लिए किसान के पास भूमि-अधिनियम बैंक ही एकमात्र साधन है।

(२) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा अपने उद्देश्य में सफल होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन बैंकों को ईमानदार कुशल एवं उत्साह कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध हों। भूमि के मूल्यांकन तथा किसान के भूखण्ड बुकला करने की योग्यता जैसे जटिल कार्य करने के लिए एक कुशल प्रशिक्षित और साथ ही ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है।

इनके कार्य में बाधाएँ—वैस तो भूमि अधिनियम बैंक भारतीय किसानों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी कार्य कर रहे हैं। इन्हें लम्बा अवधि के लिए उचित व्याज दर पर भूखण्ड देकर इन बैंकों में भारतीय किसान का नज़र आना चाहिए। परन्तु अनेक

कठिनाइयों एव बाधाओं के कारण भूमि बन्धक बैंक अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कुछ बाधाएँ निम्न हैं —

१. इन बैंकों के पास सीमित मात्रा में पूँजी होने के कारण किसानों को जितने अधिक दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। उसके केवल एक छोटे भाग को ही पूरा करने में यह सफल हो सके हैं।

२. इनके द्वारा कृषि में स्थाई सुधार करने के लिए बहुत कम ऋण दिया जाता है। बैंकों का अधिकांश ऋण किसानों को अपने पुराने ऋण को चुकाने तथा रेहन से अपनी भूमि छुड़ाने के लिए ही दिया जाता है।

३. किसानों को इन बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऋण मिलने में अधिक समय लग जाता है।

४. भारत के विभिन्न प्रदेशों के भूमि बन्धक बैंकों की कार्य विधि में एकरूपता नहीं है।

५. कुछ प्रदेशों में केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक नहीं स्थापित हुए हैं। इनके सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय बैंक होना चाहिए।

सुधार के लिए सुझाव

(Suggestions)

भारत की कृषि व्यवस्था में इन बैंकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इनके सुधार के लिये प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है। अखिल भारतीय साख संघसंघ समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं। प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के विदाय के लिए यह आवश्यक है कि उनका कार्य क्षेत्र ऐसा हो जिससे यह बैंक एक आर्थिक इकाई के रूप में अपना कार्य कर सकें अर्थात् इनका कार्यक्षेत्र न तो बहुत सीमित हो और न विस्तृत। यदि कार्य क्षेत्र सीमित होगा तो बैंक के लिए पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त हो सकेगा और यदि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत होगा तो बैंक अपने कर्जदारों से पर्याप्त सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकेंगे जो इन बैंकों की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जहाँ तक केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक का सम्बन्ध है अखिल भारतीय साख संघसंघ समिति (गोरवाला समिति) का सुझाव है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक-एक केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक की स्थापना की जाये। केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक का अथवा पूँजी का कम से कम ५२ प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को देना चाहिए। इन बैंकों द्वारा भूमि सुधार तथा कृषि विरास के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। ऋण देने में कम से कम बिलम्ब लगाना चाहिए।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (Multi Purpose Co operative Societies)

भारत में सहकारिता आन्दोलन का जन्म मुख्यतया भारतीय कृषकों की सार सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था। इस कारण १९०४ के पहलके समिति अधिनियम के अन्तर्गत बनल ऐसी समितियाँ की स्थापना की व्यवस्था की जिनके द्वारा किसान को दम ब्याज पर अपने लिए भूय मिला सके। इसके फलस्वरूप उसे ग्रामीण साहूकार द्वारा अधिक ब्याज देने के लिये बाध्य न होना पड़े। परन्तु केवल भारत सम्बन्धी सुविधाओं को पहुँचा कर भारत का सहकारी आन्दोलन कृषकों के जीवन से महाजन तथा साहूकार के प्रभार को समाप्त न कर सका। भारतीय किसान के समस्त केवल एक समस्या ही नहीं है। हाँ यह अग्रिम है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सार की है। परन्तु अपने उत्पादन के लिये आवश्यक पूर्ति, भूमि की चकन्दरी तथा कृषि-वस्तुओं की निम्नी जैसी अनेक समस्याओं के लिए भी सहकारिता की इन विभिन्न समस्याओं का हल असम्भव है। सहकारिता ही भारतीय कृषक के सुख एवं समृद्धि का सन्देश ला सकता है। हमारे देश में सहकारी आन्दोलन के अधिक सफल न होने का मुख्य कारण यह है कि प्रारम्भ ही से इसका ध्यान भूय सम्बन्धी कार्यों पर ही केन्द्रित रहा है। १९१६ से भारत के सहकारी आन्दोलन में कुछ परिवर्तन आया है और सहकारिता का आधार पर सार व अतिरिक्त और भी अनेक कार्य सम्पन्न होने लगे हैं, जैसे किसान के लिए आवश्यक बीज, खाद, यंत्रों की पूर्ति करने का कार्य, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निम्नी का कार्य, भूमि की चकन्दरी का कार्य इत्यादि। परन्तु इन समस्त कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ स्थापित की जाने लगी थी। इन समस्याओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि किसान के लिए उनसे सम्बन्ध बनाये रखना एक अत्यन्त जटिल समस्या बन गई। जिसके कारण सहकारिता का आधार पर भी उसकी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संगठित करने का परिणामस्वरूप भी किसान को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कोई वास्तविक लाभ न हो सका।

आवश्यकता (Necessity)—सहकारिता द्वारा किसान को वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए हमें उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अलग अलग सहकारी समितियाँ स्थापित न कर केवल एक ही ऐसी सहकारी समिति हो जो उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सक। इस कारण बहुउद्देशीय समितियों द्वारा उसकी केवल एक ही समस्या हल नहीं होती बल्कि उसकी समस्त आर्थिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। इन समितियों से किसान को समय-समय पर भूय को प्राप्त होता ही है साथ साथ उसे अपनी अनेक आवश्यक वस्तुएँ भी इन्हीं समितियों से प्राप्त होती हैं। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना करने की आवश्यकता दो कारणों से है—आर्थिक कारण तथा मनोबैज्ञानिक कारण।

आर्थिक कारण—बहुउद्देशीय समितियों के स्थापित करने का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक है। किसान की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जैसे सेती के लिए उत्तम बीज, खाद, उर्वर और नार की आवश्यकता होती है, जब फसल तैयार हो जाती है तब उसके सामने अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न वस्तुओं को जुटाना तथा सेती में आवश्यक सुधार करने जैसे विभिन्न आर्थिक समस्याओं के लिए किसान बहुउद्देशीय समितियों की आवश्यकता अनुभव करता है। यह समितियाँ उसे राहत देती हैं उसकी फसल की निरी या कार्य करती हैं तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति में सहायता करती हैं।

मनोवैज्ञानिक कारण—किसानों के लिए बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना करना केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों से भी अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग सहकारी समितियों की स्थापना करने से उसे एक मानसिक क्लेश होता है। प्रत्येक से सम्बन्ध रखना उसके लिए असम्भव है। प्राचीन काल से ही भारतीय किसान अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए केवल एक ही सस्था से सम्पर्क जनाये चला आ रहा है। ग्रीक वह है गाँव का महाजन एव साहूकार। ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी समिति हो जो उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है तो उसे ऐसी समिति से सम्बन्ध जोड़ने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। यह काम बहुउद्देशीय समितियों का स्थापना न एक मनोवैज्ञानिक महत्व है।

बहुउद्देशीय समितियों के कार्य—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना पर बहुत बल दिया है। वास्तव में यदि सहकारिता को भारतीय कृषक की आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक प्रगति द्वारा उसके जीवन का सर्वांगीण विकास करना है तो यह अनिवार्य है कि हमारे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना या कार्य बहुत तेजी से किया जाये। बहुउद्देशीय समितियों द्वारा अनेक कार्य किये जा सकते हैं। इन्हीं कार्यों के पूरा करने से ही भारतीय सहकारिता में नवीन सृष्टि तथा शक्ति का संचार सम्भव हो सकेगा। बहुउद्देशीय समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) किसानों को सार सम्बन्धी सहायता देना।

(२) यह समितियाँ किसानों की कृषि विकास सम्बन्धी उपतिशाल तरीकों को अमानने की प्रेरणा दे सकती हैं।

(३) सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निरी द्वारा यह समितियाँ सदस्यों को आर में शक्ति कर सकती हैं।

(४) बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा किसानों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएँ उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकती हैं।

(५) इनके द्वारा सदस्यों के दैनिक झगड़ों का न्याय (arbitration)

द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जिससे उनका मुकदमेबाजी (litigation) पर होने वाले व्यय में कमी हो जायगी।

(६) इनके द्वारा न्यायदाता का कार्य भी किया जा सकता है।

(७) किसानों द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक अंतरों पर किये गये अर्थ व्यय को रोकने के लिए यह समितियाँ अपनी सम्मति द्वारा ऐसे नियम बनाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकती हैं जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक जीवन सुरक्षित रहता है।

बहुउद्देशीय समितियाँ के गुण—भारतीय किसानों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए ही बनल सकती है। यदि उनका उद्देश्य ही उन्नत करना पयाव नहीं है। यदि उसका जीवन में विभिन्न सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास न किया जायगा तो कम व्याज पर मिलने वाले ऋण से उसमें फिजूल-खर्च तथा अपव्यय की मात्रा बढ़ जायगी। इस कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उच्च सामाजिक गुणों (Social virtues) का विकास के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा उचित उपयोगी कार्य किया जा सकता है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के मुख्य लाभ नीचे दिये जाते हैं—

(१) बहुउद्देशीय समितियों तथा सदस्यों में अधिक घनिष्ठ संबंध होने के कारण यह समितियाँ अपना कार्य अधिक सफलतापूर्वक कर सकती हैं।

(२) विभिन्न कार्यों के करने के फलस्वरूप गाँव के लगभग सभी किसानों की कोई न कोई आवश्यकता इन समितियों द्वारा अवश्य पूरी होगी जिसके कारण सदस्य समितियों में अधिक रुचि एवं निश्वास करने लगेंगे।

(३) बहुउद्देशीय समितियों से सदस्यों में निरन्तर वृद्धि होने से सहकारिता आन्दोलन के विकास एवं प्रगति में सहायता होगी।

(४) इन समितियों द्वारा भारतीय किसानों के जीवन में प्रामाण्य साहूकार तथा महाजन का प्रभाव पूर्यतया समाप्त हो सकता है। अपनी समस्त आवश्यकताओं को बहुउद्देशीय समितियों द्वारा ही पूरा कर लेने के पश्चात् उनका समस्त महाजन की सहायता लेने की समस्या न होगी।

(५) बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना परिमल दायित्व के आधार पर की जायगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों को इसके सदस्य बनने का अवसर मिल सकेगा। इससे भी सहकारिता आन्दोलन विकास में सहायता मिलेगी।

(६) बहुउद्देशीय समितियों भारतीय श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन में प्रगति करके ग्रामीण जीवन के स्वाधीन विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

(७) समितियों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों के संचालन एवं नियन्त्रण में मितव्ययिता होती है।

को हल करके उसका एक अभिनत अंग बन सको है। यह मामोत्थान का एक अत्यन्त सरल एवं उपयोगी साधन है।

रिजर्व बैंक और सहकारी आन्दोलन

(Reserve Bank and Co operative Movement)

रिजर्व बैंक ने भारत के सहकारिता आन्दोलन के विनाश में अनेक प्रकार के अग्रगण्य सहकार्य योर्ग दिया है। इसका मुख्य कार्य प्राचीण साधन को सुविधाएँ पहुँचाकर किसानों की एक नयी आवश्यकता को पूरा करना है। इस विशेष कार्य के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि साधन विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना कर दी है जिसका मुख्य कार्य कृषि साधन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उससे सम्बन्धित धारा को पूरा करना है। कन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बैंक को समय समय पर रिजर्व बैंक से उपायोगी परामर्श करने की भी सुविधाएँ प्राप्त हैं। भारतीय समस्यारो क अध्ययन एवं उनका साधन सम्बन्धी प्रारम्भिकताओं को भली प्रकार समझने के लिए रिजर्व बैंक आरक इण्डिया ने श्री ए० टी० गोस्वाला (Sr. H. D. Gorwala I C S) की अग्रक्रमा में एक अतिरिक्त भारतीय प्रमुख साधन सर्वेक्षण समिति की स्थापना की जिसकी विस्तृत रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में समिति के सहकार्य समितियों में साधन सम्बन्धी कार्यों में होने वाले दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा कृषि साधन समस्याओं के पुनर्वर्द्धन के लिये अत्यन्त उपयोगी सुझाव भी दिये गये हैं।

भारत के सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति का उच्चदायित्व बहुत कुछ पुराने प्रशिक्षित सहकारी कर्मचारियों का अभाव पर है। इसका मुख्य कारण उनका लिए अति कम सम्बन्धी सुविधाओं का न होना ही हो सकता है। इस कारण इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये १९५२ में रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सहकारी संस्थान (Bombay Provincial Co operative Institute) की स्थापना से अतिरिक्त भारतीय प्रशिक्षण योजना (All India Training Scheme) बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने समय समय पर सहकारिता सम्बन्धी उपायोगी प्रकाशनों द्वारा आन्दोलन के विनाश में योग दिया है।

सहकारी आन्दोलन में सफलताएँ—सहकारिता मानव प्रगति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उसका के विभिन्न देशों ने सहकारिता द्वारा अपने देश का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण नयी कल्पना से किया है। इसका द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर समाज के कल्याण के लिए सहकार्य ही सकता है। सहकारिता द्वारा उसमें सहयोग तथा स्वायत्तता की मानवताओं का विकास कर सामाजिक जीवन मीठीपूर्ण तथा सुखमय बन

जाता है। आज जब सगर में प्रगतिशीलता एवं प्रगतिशीलों का बोलबाला है। सहकारिता शक्ति को सहयोग एवं धार्मिक कार्य करने पर प्रेरणा देता है। एक अर्थ-विकसित एवं वृद्धि प्रधान देश की वृद्धि सम्बन्धी अनेक समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता से उत्तम और कोई मार्ग नहीं है। भारत में सहकारी आन्दोलन द्वारा ग्रामवासियों के जीवन में एक नये प्रकाश का उदय हुआ। इसका महत्व केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं है। वरन् अनेक शिक्षात्मक, नैतिक एवं सामाजिक प्रभावों के कारण भारत में सहकारिता एक अत्यन्त उत्तमोत्तम एवं स्वनात्मक आन्दोलन रहा है। इसके इन विभिन्न लाभों की विवेचना नीचे दी जाती है।

आर्थिक प्रभाव—आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता का प्रमुख योग रहा है किसानों को समय-समय पर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उचित मूल्य पर श्रृणु दिला कर सहकारिता ने ही उनकी श्रृणु-प्रसन्नता को दूर कर उन्हें प्रामाण्य महाजन एवं सहकार के निर्दोषी पक्षों से मुक्ति दिलाकर उनका आर्थिक जीवन सुगम बनाया है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। वृद्धि के लिए आवश्यक उत्तम बीज, मृदा उर्वरक तथा उत्तम यंत्रों तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं का प्रदान कर सहकारिता आन्दोलन ने देश में वृद्धि उत्पादन तथा पाषाण समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है।

शिक्षात्मक प्रभाव—सहकारिता के अनेक शिक्षात्मक प्रभावों के कारण देश को सहकारी आन्दोलन से बहुत लाभ हुआ है। सहकारी समितियों के प्रारम्भ में भाग लेने का अवसर प्रदान कर सहकारी आन्दोलन ने ग्रामवासियों में लोकतन्त्रीय ढंग से कार्य करने की शिक्षा दी है। उनके सदस्यों को समय-समय पर अपने मत प्रकट करने का अवसर मिलता है। समिति के कार्यों में भाग लेने के लिए तथा उन पर उनके उपलब्धतापूर्वक संचालन का भार होने के कारण ग्रामवासियों में शिक्षा तथा ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। इसका मुकल यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता में प्रगति होने लगी। उनमें अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित ज्ञान करार सहकारिता ने नागरिक एवं राजनैतिक चेतना उत्पन्न कर दी। कुछ सहकारी समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, पाठशालाओं तथा वाचनालयों की स्थापित करके जनता में शिक्षा का प्रसार कर उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करने में सहायता दी है।

नैतिक प्रभाव—सहकारिता द्वारा देश में नैतिक गुणों के विकास में बड़ी सहायता मिली है। पारस्परिक नियन्त्रण द्वारा ग्रामवासियों के जीवन के अनेक दोष एवं बुराइयों को बड़ी उपलब्धतापूर्वक दूर किया जा सका है जैसे मद्यपान, जुआ खेलना आदि। ग्रामवासियों के जीवन को सुखी एवं अनलिखित बनाने के लिए सबसे बड़ी

आश्चर्यरुता इस बात की है कि इनमें सहयोग, आत्मनिर्भरता तथा स्वतन्त्रता की भावनाओं का विकास हो। सहकारिता द्वारा किसानों में प्रगति के लिए आवश्यक इन गुणों का विकास हो गया है जिससे फलस्वरूप किसानों में निराली की सहायता के स्वयं अपने प्रयत्न एवं पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति मिल गई है।

सामाजिक लाभ—ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता द्वारा मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया है। समिति के सदस्यों में आपसी मेल-जोल तथा सहयोग होने के कारण आपसी झगड़ा में काफी कमी आ गई है। गुरुदेशीय समितियों द्वारा उनमें झगड़ा में मध्यस्थता (arbitration) करने के फलस्वरूप ग्राम वादियों में मुकदमावाजी (litigation) तथा उस पर होने वाले व्यय की मात्रा में भी काफी कमी हो गई है। विवाद शादी जैसे अनेक धार्मिक एवं सामाजिक प्रयत्नों होने वाले क्लब वर्क में कमी होकर उनमें सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार हो रहा है। मिलव्ययिता का यह गुण सहकारिता द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अब भारत में सहकारिता आन्दोलन से ग्रामीण जीवन को अनेक सामाजिक, नैतिक एवं शैक्षिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

सहकारिता आन्दोलन के दोष

सहकारी संस्थाएँ भारत के लिए वास्तव में बड़ा ही उपयोगी कार्य कर रही हैं परन्तु अनेक कारणों से देश में सहकारिता आन्दोलन में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की है। आन्दोलन के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

(१) भारत में सहकारी आन्दोलन का उत्पन्न बड़ा दोष यह है कि हमने ग्रामीण जीवन की समस्याओं के बजाय एक ही पक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत में सहकारिता का जन्म मुख्यतया किसानों को उचित व्याज पर ऋण दिलाने का कार्य करने के लिए हुआ था और इसी पर सर्व अधिक ध्यान दिया जाता रहा है।

(२) किसानों का कृषि साधन समितियाँ तथा भूमि-पट्टा बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त होने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी सम्पन्नता गतिविधि प्रायः सरल स्वभावी तथा अशिक्षित श्रमिकों के समझ में नहीं आती।

(३) ऋण प्राप्त होने में अत्यधिक मिलव्यय होने के कारण वास्तविक को आश्चर्यक विचार सहायता के लिए महाबन्ना तथा छात्रों की शरण लेनी पड़ती है।

(४) सहकारी समितियों द्वारा अधिक ध्यान देने के कारण किसानों को सहकारी साधन समितियों से वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त होता।

(५) सहकारी समितियों के प्रचार के लिए कुशल अनुभवी तथा प्रशिक्षित

सकती है। समय समय पर नियुक्त किये गये विभिन्न कमीशनो तथा समितियों का पक्ष मत रहा है। न भारत का आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। सहकारिता में उन्नत विभिन्न देशों को दूर करके ही हम भारतीय दृष्टि को देश का सुधार कर सामीप्य जीवन में एक नई चेतना एवं शान्तिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने में सफल हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं —

(१) सप्रथम हम सहकारिता के प्रसार एवं प्रगति के लिए उद्योगी वर्ग वरुण तैयार करना है। यह सभी सम्भव होगा। उन देशवासियों में सहकारिता के विद्वान्ता के प्रचार द्वारा उनमें सहकारिता के प्रति रुचि उत्पन्न की जाये तथा सहकारिता की भावना का प्रसार हो।

(२) सहकारिता में सफलता के लिए सहकार्य आन्दोलन का एक जन आन्दोलन के रूप में निश्चित करना होगा। कृषि भी देशव्यापी आन्दोलन एवं व्यापक शान्तिपूर्ण क्रांति के लिए आवश्यक है कि लोगों के हृदय में स्वतः उस आन्दोलन के अमुर प्रसृत हो। भारत में अनाथक सरकारी हस्तक्षेप का दूर करना ही हम आन्दोलन के प्रातः पनरुत्थरण की सशक्तता एवं रुचि उत्पन्न कर सकते हैं।

(३) सहकारी सार समितियों का प्रपन कार्यों को मुक्त रूप से चलाने तथा सामाजिक जनता के साथ सम्बन्ध आनुरूपनाया में अधिक से अधिक पूरा करने के लिए इन समितियों के पास पयात निचीन साधन हों। उनके इस कार्य के लिये रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर धन मिलना है।

(४) अपने सन्दर्भ के समय भी समिति द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किये जाते रहने के लिये तथा उनकी आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक सहकारी समिति के पास पयात रक्षित कोष (reserve fund) होना चाहिये।

(५) सहकारी संस्थाओं द्वारा श्रेष्ठ मिलन में अनाथक विलम्ब नही होना चाहिये। इसके लिये उनकी कार्यशाला में पयात सुधार होना आवश्यक है। शिक्षण के लिये श्रेष्ठ प्राप्ति करने में समय का निराप महत्व है। इस कारण यदि आवश्यकता के समय सहकारी समितियों से श्रेष्ठ प्राप्त होना में विलम्ब होगा तो मनोरु होकर ऊँचे महानर्ता तथा सहकारी की शरण लेना पड़ेगी।

(६) सहकार्य आन्दोलन को सफल बनाने के लिये विभिन्न संस्थाओं से सम्बन्ध समचारियों एवं अधिकारियों को सहकारिता सम्बन्धी प्रागुच्छ देख कर उन्हें इस कार्य के लिये उपयुक्त बनाना आवश्यक है। प्रशिक्षित, सुयोग्य एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा ही सहकारिता के क्षेत्र में सामाजिक प्रगति में आशा की जा सकती है।

(७) प्रातः निवासिता तथा दृष्टि के नाम का सहायक विकास करने के लिये तथा सहकारिता के आसार पर उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये श्रेष्ठ

उद्देशीय समितियों को अधिक से अधिक सत्ता में स्थापना की जानी चाहिये। केवल काल-समितियों को प्रोत्साहन देकर ही हम भारतीय रूपक की दशा मुधारने में असमर्थ रहेंगे।

(८) काल समितियों द्वारा श्रृणु केवल उत्पादक कार्यों के लिये प्रदान किया जाना चाहिये। अनुत्पादक कार्यों के लिये भी श्रृणु दिया जा सकता है परन्तु इसके लिये पर्याप्त चौकसी की आवश्यकता है।

(९) भारत में सहकारिता के विचार का गहरा लहर होना चाहिये कि मान्य जीवन तथा प्रामाण्य अर्थ-व्यवस्था का आधार ही सहकारिता हो। सभी प्रकार के 'सहकारी प्रथम प्रवन्ध' का अन्त कातर हो सकता है।

(१०) सहकारी काल समितियों द्वारा कृषकों को छोटी आधि के लिये ही श्रृणु देने चाहिये। दीर्घकालीन श्रृणु की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत में अधिक से अधिक भूमि श्रृणु बैंकों की स्थापना की जायें। जहाँ केन्द्रीय भूमि-श्रृणु बैंक नहीं है वहाँ उनकी स्थापना की जाय तथा इन बैंकों के निजीय कार्यों में वृद्धि की जाय जिससे अधिक से अधिक लोगों को श्रृणु की सुरक्षा मिल सके।

आन्दोलन की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

(Recent Trends in the Movement)

देश में सहकारिता का एक निश्चित स्थान समझा जाने लगा है। अतः सहकारी आन्दोलन के अनेक दलों को दूर करके देश में सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को जो स्थान प्रदान किया गया है। उससे यह स्पष्ट है कि देश के आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक प्रगति का मुख्य आधार सहकारिता ही होना चाहिये। सहकारिता सिद्धान्तों द्वारा ही हम अपनी कृषि सम्बन्धी अनेक समस्याओं को हल करके देश में वृद्धि-उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा जैसी वर्तमान जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी और देश में औद्योगीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। भारत में सहकारी आन्दोलन की एक नई प्रवृत्ति यह है कि सहकारिता के क्षेत्रों में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप की महान् आवश्यकता समझी जाने लगी है अतः सरकार ने आन्दोलन में अपने लिये केवल एक सहयोगी रलाहकार तथा पञ्च-प्रदर्शन का कार्य लेकर आन्दोलन की प्रगति सम्बन्धी शेष कार्य को जनसाधारण के कंधों पर ही छोड़ जाने का निश्चय किया है। इस कार्य में रिजर्व बैंक के सहयोग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। ग्रामीण जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिये अनुद्देशीय समितियों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। कुछ प्रान्तों में सीमित दायित्व के आधार पर सहकारी समितियों की स्थापना की नवीन प्रवृत्ति देखने में आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त देश के नागरिक क्षेत्रों में भी जनसाधारण की विभिन्न समस्याओं के लिये सहकारिता के

सिद्धान्तों पर समितियों की स्थापना की जा रही है। दिल्ली कुछ वर्षों में आकाश सम्बन्धी जटिल समस्या को हल करने के लिये भारत के विशाल नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में अधिक सरचा में सहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना सहकारिता के विकास का शुभ प्रतीक है। अतः देश में सहकारी आन्दोलन की आधुनिक प्रवृत्तियों से सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

भावी संभावनायें (Future possibilities)—भारत में सहकारी आन्दोलन की महान भावी संभावनायें हैं। भविष्य में सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त विकास होगा। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन तथा वितरणों का कार्य सहकारिता के आधार पर किये जाने की संभावना है। देश में सहकारी आन्दोलन अथवा एक पक्षीय नहीं रह सकता। देशवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता का प्रभुत्व तथा महत्व बढ़ने की आशा है। देश के आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में सहकारिता के सिद्धान्तों के उपयोग द्वारा आन्दोलन की प्रगति की निरुन्धेह आशा की जा सकती है। देश के औद्योगीकरण में विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ कुटीरगत लघु स्तरीय उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अपार जनशक्ति को उपयोगी आर्थिक कार्य दिलाने तथा देश में पैली हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर इन उद्योगों की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लोकतन्त्रीय पद्धति एवं जनतन्त्रात्मक भावनाओं पर आधारित सहकारिता आन्दोलन द्वारा ही देशवासियों में सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना आने की आशा की जा सकती है। भारत में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना होने जा रही है। यही हमारी भावी आर्थिक योजनाओं का भी लक्ष्य रहेगा परन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा जब विभिन्न आर्थिक कार्यों का संगठन सहकारिता के आधार पर ही किया जाये।

प्रश्न

- 1 Explain the organisation and structure of the co-operative movement in India (Rajasthan, 1953, 1956)
- 2 Attempt a lucid essay on the progress of the co-operative movement in India (Agra, 1956)
- 3 Distinguish between 'single purpose' and 'multi purpose' co-operative societies. Discuss the importance of multi-purpose co-operative societies in our economy (Allahabad, 1956)
- 4 "Co operation is an indispensable instrument of planned economic action in a democracy" (Planning Commission) Discuss the above, bringing out clearly the part which co operative movement is expected to play in the economic development of India (Delhi, 1955)
- 5 Account for the slow progress of the co-operative movement in India. Prescribe a plan for its improvement in Indian villages. (Agra, 1952, (Punjab, 1952)

खण्ड ६

श्रमिक समस्याएँ, कल्याण एवं सुरक्षा

१. भारत में औद्योगिक धम
२. धम कल्याण
३. सामाजिक सुरक्षा
४. धम संगठन आन्दोलन
५. धम सन्नियम

भारतवर्ष में औद्योगिक ध्रम

(Industrial Labour in India)

किसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि का आधार उद्योग ध्रम है। यही मानव जीवन की आर्थिक निगमों का मूल, प्रारम्भिक तत्व और पूँजी का जननदाता है। इसीलिए अनेक बार पूँजी को पूँजीभूत या संचित ध्रम कहा गया है। निरस-देह उत्पादन में भूमि के आधिकारिक, ध्रम का केन्द्रीय स्थान है। उत्पादन के अन्य साधन—भूमि और पूँजी—की तुलना में, ध्रम और उनमें कुछ मौलिक अन्तर है। ध्रम उत्पादन का एक सजीव साधन है। उसका सम्बन्ध मानव से है, अतः उसमें मानवीय गुण-दुष्ट और नैतिक तत्वों का समावेश स्वाभाविक है। मानव जाति आज कितनी भी प्रगति कर सके है उसका रहस्य उसके पीछे अन्तर्निहित अर्थव्यवस्था और ध्रम में दिया हुआ है।

आज भारतवर्ष शताब्दियों तक की गृहलाप्यें तोड़ कर प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश की आर्थिक प्रगति की गति, जो कि राजनैतिक परतन्त्रता व उत्पीड़न के कारण मन्द पड़ गई थी, आज दास्य के बन्धन कट जाने पर पुनः समय की गति के साथ अभानित होने लगी है। तीव्र गति से बढ़ती हुई इस भारतीय अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक ध्रम का महत्व भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह विलुप्त सत्य है कि किसी भी देश के आर्थिक जीवन की आधार शिला उद्योग औद्योगिक ध्रम है। यह तथ्य भारतवर्ष के लिए और भी सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि समय के दुरुह एवं दीर्घतम मार्ग पर सुगा से चला आने वाला भारत आज अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर खड़ा हुआ भावी प्रकाश के दर्शन कर रहा है। दूसरे शब्दों में भारत इस समय अपने औद्योगिकीकरण के लिए पूर्ण साहस एवं जागरूकता से प्रयत्नशील है।

भारतवर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें देश के औद्योगिक विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है, की सफल सम्पन्नता के लिए पहले से ही प्रयत्नशील है। परन्तु औद्योगिकीकरण की कोई भी योजना चाहे वह कितनी ही महत्वाकांक्षी एवं सुनियोजित क्यों न हो, बिना औद्योगिक ध्रम की सहायता एवं सहयोग के उसका सफल होना नहीं। इस कठु सत्य की महानता को स्वीकार करते हुए द्वितीय एवं

योजनाओं में श्रमिकों के कल्याण एवं उनकी दशा में समुचित सुधार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। नम एव धर्म कल्याण से सम्बन्धित परियोजना पर द्वितीय योजना में २२ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से केन्द्रीय स्तर पर १८ करोड़ रुपये और राज्य स्तर (State level) पर ४ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) बढ़ती हुई कुशल नम (Efficient labour) की मांग की पूर्ति के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाएँ का प्रबन्ध करना,

(२) 'रोजगार सेवा संगठन' (Employment Service Organisation) की क्रियाओं का विस्तार करना तथा नवीन रोजगार के दफ्तरों की स्थापना करना,

(४) औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास (Housing) की व्यवस्था करना, तथा

(५) औद्योगिक कर्तव्यों की गन्दा बस्तियों का उन्मूलन करना।

भारत में औद्योगिक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति

सम्पत्ति तथा यह विधान एव मजदूरी पर ही निर्भर रहने वाले एक विशेष श्रमिक या मजदूर वर्ग का आगमन भारत वर्ष में १९वीं शताब्दी के मध्य में हुआ जब सरकार ने अकाल निवारण के लिए पक्की बड़ी नहरों, रेलों तथा सड़कों का सार्वजनिक कार्य विभाग (Public Works Department) द्वारा निर्माण करना प्रारम्भ किया। इसके बाद टानों, जाम, नील, कच्चा, रबर आदि के जगानों तथा १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में चूट तथा सूती कपड़े की मिलों के खुलने पर गाँव के कारीगरों तथा किसानों की एक बड़ी संख्या अपनी दरिद्रता, बकारी तथा श्रमशक्तता के कारण नगरों का ओर रोजगार के लिए आकर्षित हुई और एक पृथक् विराप श्रमिक वर्ग का मादुर्भाव हुआ।

संगठित तथा उच्च पैमाने के उद्योगों के धीरे धीरे विकसित होने पर औद्योगिक श्रमिका की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज भारत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ६७ लाख से भी अधिक है जो अधिकतर मिला या कारखाना, टाना, बगानों, रेलों, जहाजों, बन्दरगाहों, डाक एवं तार विभाग तथा ड्रामोज में काम करते हैं। इसका स्मृतीकरण निम्न तालिका से होता है—

कारखाने (Factories) (१९५७)	३४,७९,८६५
खानें (Mines) (१९५८)	६,४९,३६०
बगान (Plantations)	१२,२८,०००
रेलवेज (Railways) (१९५८-५९)	११,४३,९१६

औद्योगिक श्रम की मूल विशेषताएँ

(Basic Characteristics of Industrial Labour)

भारतीय औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास की परिस्थितियाँ का अत्यन्त ही पिछले दृष्टी में कर चुके हैं। आइए, अगले श्रमिक वर्ग की विशेषताएँ का बारे में भी कुछ जान लिया जाय। भारतीय श्रमिक की कुछ अपनी ही विशेषताएँ हैं जो उद्योग देशों के श्रमिकों से पृथक करता है। साधारण रूप से श्रमिक वर्ग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) भ्रमणशील प्रवृत्ति (Migratory Character)

भारतीय श्रमिक वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी भ्रमणशील प्रवृत्ति है। उद्योग घरों में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर गाँवों से आते हैं। शहरों में रहने की वजह से अपने गाँव से स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्याँ, छोटे सम्बन्धियों तथा मित्रों को भूल नहीं जाते हैं। अक्सर प्राप्त होना है कि वे अपने गाँवों को वापस लौट आते हैं। शहर का बस्त, स्वार्थ एवं यतिवादा वातावरण, आमोद प्रमोद का साधनों का अभाव उनको आकर्षित करने में असफल रहता है। इस प्रकार वे भ्रमणशील पक्षी की भाँति गाँव से शहर तथा शहर से गाँव तथा खेती से उद्योग और उद्योग से खेती में काम किया करते हैं। इस दाय के कारण औद्योगिक श्रमिकों का एक पृथक वर्ग संगठित नहीं हो सका है।

(२) एकता का अभाव (Lack of Unity)

भारतीय श्रमिक उद्योगों में काम करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों से आते हैं। ऐसा श्रमिक ही काइ उद्योग होगा जिसमें श्रमिक शहर के पास के स्थानों (Suburbs) से ही आते हों। अधिकतर वे मित्र मित्र जुगों से ही काम करने के लिए आते हैं। फलस्वरूप उनकी बाल-बाल, रहन-सहन, रूढ़ि-रिवाज, सम्प्रदाय तथा धर्म-इत्यादि विभिन्न होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती और वे एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति, आमायता तथा प्रेम भी नहीं रखते। अतः उन लोगों में एकता (Unity) का भी अभाव रहता है।

(३) श्रमिक अनुपस्थितिवाद (Labour Absenteeism)

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है श्रमिकों का अपने निवास स्थानों (गाँवों) की प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। यह श्राप मौसमों (Agricultural Seasons) से जब कि फसल का काम अधिक होता है तथा विशेष उत्सवों पर मिला का काम छोड़ कर अपने गाँव को चले जाते हैं और जब फसल का काम समाप्त हो जाता है अपना वह समय उत्सव त्यौहार आदि समाप्त हो जाते हैं तब वे शहरों को वापस चल आते हैं।

इस प्रकार धमिक अनुराधितवाद (Labour Absentecism) अथवा अनियमित उपस्थिति (Irregular Attendance) भारतीय उद्योगों में बहुत प्रचलित है, जिसका औद्योगिक उत्पादन एवं कार्यक्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

• भारतीय उद्योगों में औसत अनुराधित १२ से १८ प्रतिशत तक होती है।

(४) भाग्यवादिता (Fatalistic Nature)

भारतीय धमिक जा अधिस्तर वर्गों में मिलाने का काम करने के लिए आते हैं वह भाग्यवादी होते हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य की उत्कलता अथवा अशकलता भाग्य की देन समझते हैं। भाग्य पर इन लोगों का इतना विश्वास होता है कि वे कर्म (Duty) करना भी छोड़ देते हैं। श्रम के कष्टों का निवारण करने के लिए वे कोई प्रयत्न नहीं करते। धमिकों का भाग्यवादी होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि उनका अथवा उनके परिवार का सदस्यों का पैतृक उद्योग टूटि है जिसे 'पर्सा का पुआ' Gamble of rain) कहा जाता है। अतः उनकी मानसिक प्रवृत्ति इसी प्रकार की बन जाती है।

(५) अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव (Ignorance & Illiteracy)

भारत में शिक्षा का निम्न अभाव है। अधिक से अधिक १६ या १८ प्रतिशत जनता साक्षर है। तांत्रिक (Technical), यांत्रिक (Mechanical) शिक्षा का तो और भी अभाव है। अतः धमिक अधिस्तर अधिज्ञित एवं अशक्ती होते हैं और वे आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग करने में अक्षम रहते हैं।

(६) अक्षमता (Inefficiency)

औद्योगिक मजदूर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अक्षमता अथवा अक्षमता है। विदेशी औद्योगिक मजदूरों की तुलना में तो भारतीय औद्योगिक मजदूर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 'सर अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) ने औद्योगिक कमिशन के समुक्त अपनी रायों में कहा था कि एक अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर से चौगुना उच्चल होता है। इसी प्रकार सर क्लेमेंट डिम्बलन के अनुसार लक्षारार की मूला मिल में काम करने वाले २६७ मजदूरों की योग्यता के बराबर है। तथा अन्तराष्ट्रीय धम कार्यालय (I. L. O.) के द्वारा की गई जांच से इस कथन की पुष्टि नहीं होती परन्तु फिर भी इसमें सत्यता का अधिक पुष्ट है। इसका विस्तार में अध्ययन अगले शृंखला में किया गया है।

(७) कुशल कारीगरों की कमी

भारतीय धमिकों की एक विशेषता यह भी है कि कुशल कारीगर कम पाये जाते हैं। धमिकों की रूचि उद्योगों में कम होने के कारण तथा तांत्रिक एवं यांत्रिक (Technical and Mechanical) शिक्षा का अभाव होने के कारण, कुशल कारीगरों का

अभाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश के विभाजित हो जाने के कारण भी अधिकांश मुस्लिम कार्यगार पाकिस्तान चले गये। कुछल कार्यगारों के अभाव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सरकार भारतीयों को विदेशों में तांत्रिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रही है।

(घ) निम्न जीवन स्तर (Low Standard of Living)

भारतीय श्रमिकों का जीवन स्तर, विदेशी श्रमिकों की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। ये अपना श्रमिकों द्वारा आवश्यकताओं का पूर्ति भी भली-भाँति नहीं कर पाते हैं। आरामदायक तथा विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति तो दूर मान है। जीवन स्तर गिरा होने के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यक्षमता पर बड़ा बुरा असर पड़ता है।

निम्न तालिका, जो देश के विभिन्न राज्यों (States) की औसत वार्षिक आय को स्पष्ट करती है, यह ज्ञात होता है कि हमारे श्रमिक कितनी कम मजदूरी प्राप्त करते हैं।

२०० रु० प्रति माह से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की आय
(दैनिक कमचाराओं का अतिरिक्त)

राज्य (States)	कुल आय	प्रति श्रमिक औसत वार्षिक आय
आन्ध्र	८४,४११	७८६ ४
आसाम	१७,०५०	१,५२५ ६
बिहार	१,६५,१४५	१,२३५ ६
गुजरात	१०,६६,५२१	१,४८४ ८
मध्य प्रदेश	३३,२५६	६८२ ४
मद्रास	२,२२,५७६	६५० १
उड़ीसा	१४,६२३	६४८ ५
पंजाब	४८,७८६	६६१ ०
उत्तर प्रदेश	२,३२,३०२	१,०१४ १
पश्चिमी बंगाल	४,४६,२८१	१,१४१ ७
दिल्ली	६७,७६६	१,४६६ ६
सभी राज्य	२६,६५,०५५,	१,२१२ ७

यदि हम भारतीय प्रति व्यक्ति आय को अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय से तुलना

करें तो शक होगा कि भारतीय लोगों का मर अन्य देशों की अपेक्षा किना मिरा हुआ है।

विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय

देश	राष्ट्रीय आय	प्रति व्यक्ति आय
	करोड़ रुपये	रुपये
(१) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	१,६३,५५१	६,७३१
(२) कनाडा	१०,७८७	६,७४२
(३) संयुक्त राज (U K)	२१,६५३	१,९८७
(४) जापान	१७,६६०	६,०४६
(५) भारतवर्ष	११,०१०	२८४

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता

(In efficiency of Indian Labour)

श्रमिकों की कुशलता तथा उनके कल्याणकारी कार्यों का किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य सम्पन्न है। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर श्रमिक स्वाभाविक रूप से कार्यशील रहता है। उसकी कार्य क्षमता का मूल्य उसी समय होता है जब उसे दुर्दमनीय श्रमनाशों से बचाने की छुट्टी दी जाती है। दुर्भाग्य से भारतीय श्रमिकों की परिस्थितियों की श्रमनाशों से उभरे दीर्घकाल से एक दिन तक बर्बरित, शोषित व प्रसक्त तथा अग्रहण बना आता है। आज यद्यपि स्थिति में सुधार होता जा रहा है, और भारतीय श्रमिक अनुकूल परिस्थितियों पाने पर अपनी कार्य क्षमता का परिचय देने लगा है, तथापि विश्व के अन्य औद्योगिक देशों के श्रमिकों की अपेक्षा यह अर्थ भी बहुत पिछड़ा हुआ है।

सर अलेक्जेंडर मैक राबर्ट्स ने औद्योगिक कमिशन के सम्मुख अपनी साक्ष्य (Evidence) देते हुए कहा था कि एक अंग्रेज मजदूर भारतीय मजदूर से चौगुना कुशल होता है। इसी प्रकार सर क्लेमेंट सिम्पसन के अनुसार लकाद्यापर की सूची मिल में काम करने वाला एक मजदूर भारतीय २ ६७ मजदूरों की योग्यता के बराबर है। यद्यपि अन्तराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (I.L.O.) के द्वारा की गई जाँच से इस कथन की पुष्टि नहीं होती है परन्तु फिर भी इसमें सत्यता का अधिकार स्पष्ट है।

विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की कुशलता इस प्रकार है—

सूती वस्त्र उद्योग—१९२६ २७ में सूती मिल उद्योग के लिए निम्नलिखित

बोर्ड के अनुसार सूती कपड़े की मिलों में काम करने वाला एक श्रमिक जापान में २४०, योरोप में ५४० से ६०० तक, अमेरिका में ११२० तथा भारत में केवल १८० ही तडुओं (Spindles) की देखभाल करता है। काटन यान्त्रिक एसोसियेशन लि० के अनुसार जापान की मिलों में १८ श्रमिक १००० तडुओं (Spindles) की देखभाल करते हैं, जबकि भारतवर्ष में उतने ही तडुओं की देखभाल ३० से लेकर ३१ श्रमिक करते हैं।

इस सम्बन्ध में श्रीयुक्त एन० एच० टाटा द्वारा दिये गये आँकड़ भी महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार भारतवर्ष में औसतन प्रति १००० तडुओं (Spindles) पर २२ श्रमिक कार्य करते हैं जबकि अमेरिका में ४५ श्रमिक और लकाशायर में ६७ श्रमिक कार्य करते हैं। वही हाल बिनता (Weaving) के सम्बन्ध में भी है। बिनता में एक जुलाहा, योरोप में ४ से ६ तथा अमेरिका में ६, पर भारत में केवल २ करवों (Looms) को ही चलाता है।

उपरोक्त आँकड़ों एवं तथ्यों से हमें भारतीय श्रमिक की अपेक्षात्मक (Relative) क्षमता की भलक मिलती है।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात जानने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ सूती बख्त मिलों में श्रमिकों की कुशलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सूती बख्त उद्योग के एक कार्यवाहक दल (Working party 1952) ने देखा कि दिल्ली की एक मिल में, तथा मद्रास की दो मिलों में एक जुलाहा (Weaver) क्रमशः ४, ६, ८ और अहमदाबाद की एक मिल में १८ तथा मम्बई की एक मिल में ६ करवों (Looms) पर कार्य करता है।

भारत की कुछ मिलों में श्रमिकों की कुशलता अथवा क्षमता में यह वृद्धि उनमें स्वचालित एवं आधुनिक मशीनरी के कारण हुई है, जिससे फलस्वरूप प्रत्येक जुलाहा अधिक काम कर सकता है। इतनी उन्नति होने पर भी कदाचित् भारतीय श्रमिक संयुक्त राज्य (U K), जापान और अमेरिका में श्रमिकों की तुलना में कम कुशल है।

नूट उद्योग—‘रायल कमायन्स’ के समक्ष गवाहों के दिये हुए बयानों से पता चला है कि नूट उद्योग में लगे हुए दो भारतीय श्रमिकों का काम डची या यूरोप के किसी अन्य देश का एक श्रमिक कर सकता है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग—इस उद्योग में भी श्रमिकों की क्षमता अथवा कुशलता की दृष्टि असंतोषजनक है। श्री जे० आर० डी० टाटा के अनुसार १९४१ में लोहा एवं इस्पात का प्रति श्रमिक उत्पादन प्रति मास केवल ३ टन ही था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A) के लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रति श्रमिक औसत उत्पादन ५ टन प्रति मास था।

कोयला खनिज उद्योग—भारतीय 'ज्योलॉजिकल माइनिंग एंड मेटालर्जीकल सोसाइटी' की २८वीं वार्षिक वार्षिक सभामें अभ्युच्च महोदय ने इस गत की श्रौर सञ्चेत क्रिया कि भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति फाली (Sh ft) उत्पादन केवल २७ टन है, चल् कि संयुक्त राज्य (U K) में ६२६, जर्मनी में ६६६ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A) में २१६८ टन है। नियोजन आयाग (Planning Commission) ने बता लगाया है कि कायला खनिज उद्योग में १९४१ में लगे हुए २,१४,२४४ श्रमिका का संख्या बढ़कर १९५१ में ३,४०,००० हो गईं जबकि उसी समय में कोयला क उत्पादन में वृद्धि २५.८६ मिलियन टन से बढ़कर ३४ मिलियन टन ही हुई। इन आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जन श्रमिका की संख्या में ५८% की वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि फल ३२% ही रही।

इसी प्रकार यदि हम देश में समस्त उद्योगों में लग हुए श्रमिका की कार्य क्षमता एवं उत्पादन का विश्लेषण कर सकते तो अधिक लाभकारा होता, परन्तु इन उद्योगों में सम्बन्धित विस्तृत एवं आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न हाने के कारण यह सम्भव नहीं है। तथापि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन उद्योगों का 'प्रति व्यक्ति घन्टा' (Per man hour) उत्पादन अभी पिछले कुछ वर्षों से काफी गिर गया है और कुछ जत्ता में तो ३०% से ५०% तक उत्पादन में अवनति हुई है। इसक विररीत ब्रिटिश और अमेरिकन श्रमिकों की क्षमता में निरन्तर वृद्धि होनी जा रही है।

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण

(Causes for the Inefficiency of Indian Worker)

भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का उत्तरदायित्व पूर्णतया फवल श्रमिकों पर ही नहीं है। यथायत इस चिन्ताजनक अवस्था के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जो कि सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक हैं। सरल अभ्ययन के दृष्टिकोण से हम इन समस्त कारणों का तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

१—उद्योगों से सम्बन्धित आन्तरिक कारणें

(१) कार्य के घण्टे (Hours of Work)

(२) कार्य की दशाएँ (Working Conditions)

(३) कच्चा माल एवं शक्ति (Raw materials and Power)

(४) विश्राम स्थल (Rest Houses)

(५) मशीनों और उपकरणों की प्रकृति (Type of machines and equipment)

(६) निरीक्षण एवं प्रबन्ध (Supervision and management)

(७) मजदूरी देने की रीतियाँ (methods of wage payment)

- (द) अवकाश व छुट्टियाँ (Holidays)
 (६) ऋणग्रस्तता (Indebtedness)
 (१०) गहन-सहन का निम्न स्तर (Low Standard of living)

२—उद्योग से सम्बन्धित बाह्य बातें

- (१) जलवायु की दशाएँ (Climatic Conditions)
 (२) कल्याणकारी राजनार्य (Welfare measures)
 (३) आवास एवं स्वच्छता (Housing and Sanitation)
 (४) शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)
 (५) कारखाने की स्थिति (Layout of Factories)
 (६) श्रमिक सम्बन्ध (Personnel management)
 (७) राज्यनीति (State Policy)

३—विरिध बातें

- (१) धैर्य गुण (Racial qualities)
 (२) श्रमिकों की मनाहृति एवं मनोबैर (Attitude and morale of Workers)
 (३) श्रमिकों की अनुशालना सम्बन्धी उपरोक्त कार्यों में से कुछ प्रमुख कारणों का विस्तार में अध्ययन इस प्रकार है—

(१) कार्य करने के लघु घण्टे (Long Working Hours)

भारतीय कारखानों में श्रमिकों को दिन में लगातार कई घण्टों तक कार्य करना पड़ता है और उन्हें अन्य व कोश अवकाश नहीं दिया जाता। दुर्भाग्यवश भारतीय उद्योग परिवर्तों का यह निश्वास है कि श्रमिकों से चित्तनी अधिक देर तक काम करा लिया जाय, उत्पादन बढ़ता जायगा। भारतीय पूँजीपति व अन्दर अभी उस मानवीय उदारता अथवा आर्थिक वैज्ञानिकता, जिस महादेव ए० इन्लू० एन्डर ने “मानसिक क्रान्ति” (Mental Revolution) की सजा दी है, का उदय नहीं हुआ है, जिससे अनुसार वह सोच सके कि स्वस्थ व कार्य में रूचि रखने वाला श्रमिक अत्यन्त अधिक उत्पादन करता है। दीर्घ घण्टा तक कार्य करने वाला श्रमिक शारीरिक रूप से थक जाता है और उसके शरीर में शैथिल्य आ जाता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए विश्राम स्थानों (Rest houses) की भी कान्ठ व्यवस्था नहीं होती है। फलस्वरूप श्रमिक जल्दी ही थक जाता है और यह क्षमता अथवा कुशलता से कार्य करने में असमर्थ रहता है।

(२) कार्य करने की दशाएँ (Working Conditions)

श्रमिक विन स्थानों में कार्य करते हैं, उनकी व्यवस्था—छाद, रोशनी, ताप-

श्रम, साफ पानी, शौचालयों एवं मूत्रालयों की समुचित व्यवस्था, शिशुशुद्ध, स्नान गृह, इत्यादि की सुविधाएँ— बहुत अर्थात् श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। भारतीय कारखानों के अन्तर्गत कार्य का वातावरण तथा कार्य करने की दशाएँ अफ्रीकी और स्वास्थ्यकर नहीं हैं। और वे श्रमिकों की कार्यक्षमता में किसी प्रकार भी उत्साहवर्द्धक नहीं होतीं। लोक प्रसिद्ध कारखानों के अन्तर्गत अस्वच्छता तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ, नहाने धोने की सुविधाएँ, ठंडे पानी की व्यवस्था, शुद्ध गन्ध तथा प्रकाश इत्यादि के अभाव में श्रमिकों की कार्यक्षमता कम हो जाना स्वाभाविक ही है।

पिछले पचास वर्षों में इन दृष्टि से कारखानों, खानों, नालानों, बन्दरगाहों, जहाजों इत्यादि में कार्य करने की दशाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है। इससे लिए अनेक कानून बनाये गये हैं। परन्तु इन भी उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में हमारे देश में कार्य करने की दशाएँ बहुत ही खराब हैं। एक तो कानून कबल सगटित उद्योगों पर लागू होते हैं, दूसरे उनका प्रायः पूरा तरह पालन भी नहीं होता।

(२) खनिज माल एवं यान्त्रिक साजसज्जा (Raw materials and Mechanical equipment)

भारतीय कारखानों द्वारा प्रयुक्त खनिज माल की विरल बहुत ही पर्याप्त होती है। इसका अतिरिक्त यान्त्रिक साजसज्जा जिस पर श्रमिक कार्य करता है, अत्यन्त पुरानी, अप्रचलित एवं जीर्णशीर्ण होती है। स्वभावतः भारतीय श्रमिक क्षमतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। अतः इसका दोष श्रमिकों पर न मढ़ा जाकर मालिकों पर ही मढ़ा जाना चाहिये।

(४) निरीक्षण एवं प्रबन्ध (Supervision & Management)

औद्योगिक कार्यक्षमता बहुत कुछ उद्योगों के निरीक्षण कर्मचारियों (Supervisory Staff) और वैज्ञानिक प्रबन्ध पर आधारित होती है, जिसका भारतवर्ष में नितान्त अभाव है। श्रमिकों की कार्यक्षमता निश्चय ही वैज्ञानिक प्रबन्ध के अभाव में, अतिसूक्ष्म प्रतिपदन अमेरिकन इंजिनियर डॉ॰ एफ॰ डब्ल्यू॰ टेलर ने १९११ में किया था, के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

भारतवर्ष में अभी पिछले कुछ वर्षों से इस ओर ध्यान दिया गया है और श्रमिकों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी खोली गई हैं। जैसे ग्वाल्हापुर में डा॰ सर जे॰ सी॰ घोष के नेतृत्व में 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी', कलकत्ता यूनीवर्सिटी में प्रो॰ डी॰ के॰ सान्याल के नेतृत्व में 'स्कूल ऑफ सोशियल वर्क एंड बिजनेस मैनेजमेंट' तथा बेंगलूर में प्रो॰ एम॰ एस॰ ठक्कर के नेतृत्व में 'इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट' इत्यादि खोले गये हैं। परन्तु ये सब भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम हैं।

(५) भूमिहीनता की निर्धनता, निम्न जीवन-स्तर एवं ऋणग्रस्तता (Poverty, Low Standard of Living and Indebtedness of Labourers)

भारतीय भूमिहीनों की वार्षिक आय बहुत कम होती है। अथ देशों की अपेक्षा में तो यह और भी कम है। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय केवल २८५ रुपये है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) में ६,७३१ रुपये, कनाडा में ६,७५१ रुपये, संयुक्त राज्य (U.K.) ४,३८७ रुपये तथा फ्रांस में ४,१०६ रुपये हैं।^१

वार्षिक आय निम्न होने के कारण भारतीय भूमिहीनों का जीवन स्तर भी बहुत निम्न है। भूमिहीनों की आय का एक बहुत बड़ा भाग (कुल आय का ६० से ७० प्रतिशत तक) रेगुलर भोजन पर ही व्यय हो जाता है और दुर्भाग्यवश उन्हीं जो भोजन प्राप्त होता है, वह सामान्यतः उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए सर्वथा अपर्याप्त होता है। कारखानों में कठिन एवं दाय घण्टों तक निरन्तर कार्य करने के लिए पौष्टिक एवं सन्तुलित आहार की प्रति आवश्यकता है चाकि उह प्राप्त नहीं हो पाता है। कठोर श्रम शर्तार्थक एवं अनेक भयानक बीमारियों के शिकार बने रहते हैं।

यही नहीं भारतीय भूमिहीन आर्थिक जीवन का एक अन्य खदजनक पहलू उनकी ऋण प्रवृत्ति है। अधिकांश उद्योगों में लगे हुए भूमिहीन, प्रायः कर्जदार का जीवन यापन करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकांश श्रमिकों के दो से लगभग दो तिहाई मजदूर कर्ज के बोझ के तहत दबे हुए हैं, और उन कर्जों की औसत वार्षिक आय उनसे बतन महाने के बराबर है।

इन सब दोषों की जड़ एक मात्र निम्न मजदूरी है। मजदूरी की समानता तथा न्यूनतम घंटा की गारंटी और सहकारी श्रेण्य-व्यवस्था द्वारा मजदूरी की श्रेण्य प्रवृत्तियों को सुकामिला किया जा सकता है।

(६) जलवायु सम्बन्धी दशावधि (Climatic Conditions)

भारतीय प्रतिकूल जलवायु भी भूमिहीनों की शर्तार्थकता के लिए उत्तरदायी है। गम जलवायु में निरन्तर श्रमिक समय तक कर्म कार्य करना सम्भव नहीं। हमारे देश की जलवायु तो बहुत ही गम है। पहाल तथा तराई के प्रदेशों की जलवायु ठीक और भी खराब है। विदेशों की जलवायु ठीक होने के कारण वहाँ के श्रमिक अधिक कुशल हैं।

(७) कल्याणकारी तथा सुरक्षा सुविधाएँ (Welfare and Security Measures)

भूमिहीन कल्याण कार्यों में वृद्धि और विस्तार करना उनकी शर्तार्थकता और अस्थिरता में पथात उन्नति की जा सकती है। परन्तु अभाग्यवश भारतवर्ष में भूमिहीनों को

प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी सुविधाएँ भी अथार्थात हैं, जिनका कुप्रभाव धमिकों की कुशलता अथवा क्षमता पर भी पड़ता है। कल्याणकारी कार्यों से धमिकों का स्वास्थ्य एव शरीर उन्नत होगा और भारतीय विचित्र प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होने वाली पचान तथा नीरसता दूर होगी और धमिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

कल्याणकारी-कार्यों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा भी धमिकों की अवरुधा सुधारने के लिए आवश्यक है। भारत में सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र और विस्तार भी अभी तक अत्यन्त सीमित है।

(८) आवास की दशाएँ (Housing Conditions)

अधिक किस प्रकार के घरों में रहते हैं, इसका उनकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सदाचार से सीधा सम्बन्ध है। जिन स्थानों में घरों की कमी होती है अथवा जहाँ गन्दा वातावरण होता है, वहाँ ऊँची मृत्यु दर तथा अपविचार का बाहुल्य होता है। निवास स्थान अथवा आवास की दृष्टि से भारतीय मजदूरों की दशा बहुत ही दयनीय है। अधिकतर धमिक ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ पर पशुओं का रखना भी उचित न होगा। कानपुर के अहाते, इगली की बस्तियाँ, दक्षिण की चेरियाँ, कोयले की खानों के धोखरे, पर्यटकों के खानों के पत्तों के भोपड़े, बम्बई के चॉल (Chawls), बागानों की बस्तियाँ और बेरकें, धमिकों के रहने योग्य नहीं कही जा सकती।

अतः धमिकों के कल्याण की किसी भी योजना में गन्दी मजदूर बस्तियाँ और उनके स्थान पर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर निवास स्थानों के निर्माण को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सरकार काफ़ी प्रयत्नशील होते हुए भी इस समस्या को पूर्णतया सुलभ नहीं कर सकी है।

(९) शिक्षा एव प्रशिक्षण (Education & Training)

साधारण एव प्राविधिक (Technical) दोनों ही प्रकार की शिक्षा का पभाव धमिकों की कार्यक्षमता पर पड़ता है। भारतवर्ष में अभी तक दोनों ही प्रकार की शिक्षा का निराला अभाव है, यद्यपि राष्ट्रीय सरकार इस ओर काफ़ी प्रयत्नशील है। अधिकारा अशिक्षित होने के कारण भारतीय धमिक स्वभावतः भाग्यवादी होता है। अपने कार्य को उचित दम से, कम से कम समय में तथा कुशलता से करने के लिए प्राविधिक (Technical) प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध इञ्जीनियरों डा० एफ० डब्लू० टेलर तथा एफ० बी० गिलब्रेथ ने धमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, प्राविधिक प्रशिक्षण की ओर बहुत जोर दिया है।

(१०) अन्य कारण (Other Causes)

धमिकों का उपेक्षित व्यवहार (Indifference), मनोबुद्ध, मनोभेद (Morale), नैराश्य एव आशाहीन दृष्टिकोण जो उपरोक्त कारण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है,

उनकी अकार्यक्षमता अथवा अनुशालता के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा भ्रमिक जो अनेक विनाशों से प्रसिद्ध हो, जीवन से हताश हो चुका हो, उससे कुशलता की आशा किस प्रकार की जा सकती है।

यही वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अन्तर्गत बेचारा अर्द्धनग्न एवं अर्द्ध उदरपात्री भारतीय औद्योगिक भ्रमिक निर्धनता की जटिल शृङ्खलाओं में जकड़े हुए, अस्वच्छ एवं अमानवीय दशाओं में रहते हुए तथा प्रतिबुद्ध अवस्थाओं में काय करते करते अन्तः जीवन समाप्त कर देता है। यही सब कारण उसकी अक्षमता के लिए भी मूल रूप से उत्तरदायी हैं।

क्या भारतीय भ्रमिक वास्तव में अकुशल हैं ?

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय भ्रमिक की अकुशलता कुछ विशेष परिस्थितियों का कारण है। यदि इन प्रतिबुद्ध परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया जाए तो वे ही भ्रमिक किसी भी देश के भ्रमिक से मुकाबला कर सकते हैं। यह कहना कि भारतीय भ्रमिकों की कार्यक्षमता उनका राष्ट्रीय, जातीय एवं पेशेवर गुणों के कारण कम है, कुछ अत्यन्त सा प्रतीत होता है। यदि प्राचीन काल से भारतीय सैनिक अपनी उहाड़ी व यश के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार उन्हीं उहाड़ुओं की सन्तान निर्बाह मशीनों के सामने नतमस्तक हो गईं। वास्तव में देखा जाय तो भारतीय भ्रमिक अन्य किसी भी देश के भ्रमिक से कम दक्ष नहीं हैं। उसकी अक्षमता के लिए अथवा तब ही जिम्मेदार है।

इस कथन की पुष्टि 'लैबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी' (Labour Investigation Committee, 1946) जो 'रेगे' समिति के नाम से प्रसिद्ध है, के शब्दों से होती है। समिति के अनुसार भारतीय भ्रमिक, किसी भी देश के भ्रमिक से कम कुशल नहीं हैं। यदि उनको वे सब साधन व सुविधाएँ प्राप्त हो जायँ जो अन्य देश के भ्रमिकों को उहाँ लभ हैं तो भारतीय भ्रमिक, अथवा दशा के भ्रमिकों से भी अधिक कुशल हो सकता है। अमेरिकन ग्रेडी मिशन जो भारतवर्ष में १९४२ में युद्ध उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए आया था, भारतीय भ्रमिकों की कार्यक्षमता से काफी प्रभावित था। ग्रेडी मिशन के अध्यक्ष सर टामस हार्लैंड ने स्वीकार किया है कि भारतीय भ्रमिक भी उतने ही कुशल

*We have come to the conclusion that the alleged inefficiency of Indian labour is largely a myth. Granting more or less identical conditions of work, wages, efficiency of management and of the mechanical equipment of the factory, the efficiency of Indian labour generally is no less than that of workers in most other countries. Not only this but whether mechanical equipment or efficiency of management are factors of any importance the skill of the Indian labourer has been demonstrated to be even superior in some cases to that of his prototype in foreign countries. *Rege Committee*

हैं, जितने कि योरोपियन भ्रमिक। अभी हाल में जिन उद्योगों में ये सुविधाएँ भ्रमिकों को प्रदान की गई हैं, उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई है। सरकार द्वारा भारतीय भ्रमिकों की उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में इस कथन की पुष्टि १९५५ के आँकड़ों से होती है—*

(१) कोयला खनन उद्योग—१९५१-१९५४ तक के वर्षों में उनकी तथा लदाई करनेवालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(२) कागज उद्योग—१९४८-१९५३ में मजदूर की औसत आय में तो वृद्धि हुई, किन्तु उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(३) पटसन वस्त्र उद्योग—१९४८-१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता में २.६% प्रति वर्ष तथा आय में ३.७% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

(४) सूता वस्त्र उद्योग—१९४८-५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता तथा आय में प्रतिवर्ष क्रमशः २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भ्रमिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय भ्रमिकों की कार्यक्षमता विशेष परिस्थितियों के कारण है। कुछ भारतीय उद्योगों जैसे 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी', 'देहली स्लाय मिल्स', 'बाटा रू कम्पनी' इत्यादि में भ्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाती हैं, और फलस्वरूप वहाँ के भ्रमिकों की कार्यक्षमता किसी भी विदेशी भ्रमिक से कम नहीं है।

अतः भारतवर्ष में भ्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनकी दशा व वातावरण में सुधार होना चाहिए। जीवन की सुख-सुविधाओं के समुचित प्रबन्ध, कार्य करने के घंटों में कमी तथा मालिकों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से भ्रमिकों की कुशलता के स्तर में वृद्धि निश्चित है। भ्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि निम्न उपायों द्वारा की जा सकती है—

(१) औद्योगिक नगरों में स्थायी भ्रमिक वर्ग

भारतीय भ्रमिक की अकुशलता का प्रधान कारण औद्योगिक नगरों में स्थायी भ्रमिक वर्ग समुदाय का अभाव है। स्थायी भ्रमिक वर्ग समुदाय को औद्योगिक नगरों में बनाये रखने के लिए निम्न सुविधाओं को प्रदान करना होगा—

(अ) उचित किराये पर भ्रमिक व उसके परिवार के लिए आवास (housing) की व्यवस्था करना।

(ब) नगरों के जीवन की दशाओं में सुधार करना।

(स) बेरोजगारी के विरुद्ध प्रावधान।

(द) श्रमिकों की बीमारी व असमर्थता के समय पयाप्त चिकित्सा का प्रबन्ध।

(२) उचित पारिश्रामिक

श्रमिकों का खतम उनके कामों व कार्य-क्षमता व अनुसार निश्चित कर देना चाहिए। उत्पादन व लागत महंगाई, भत्ता व बोनस इत्यादि सम्बद्ध कर देना चाहिए। एक निश्चित काय को, निश्चित समय में कर लेने पर श्रमिक को पूरा निर्धारित दर में मजदूरी व भत्ता इत्यादि दे देना चाहिए, जिससे श्रमिकों में विश्वास बना रहे।

(३) धीरे धीरे कार्य करने का प्रवृत्ति के विरुद्ध प्राविधान (Provision against go slow Tactics)

यदि श्रमिक जान भूमकर शिथिलता से कार्य करते हैं अथवा काम से धीरे धीरे हटा देना इसका औद्योगिक सम्बन्ध (trade dispute) उत्पन्न करना चाहते हैं और मालिक को इसका पैसला व सीलियेशन मशीनरी से करवा लेना चाहिए।

(४) श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही

यदि कोई श्रमिक अनुश्लेषता से कार्य कर रहा हो अथवा निश्चित मात्रा में उत्पादन न कर रहा हो तो मालिक का यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे श्रमिक को निकाल सके।

(५) निरन्तर प्रचार

श्रमिकों की अनुश्लेषता, उत्तरेदायत्वहानता व अनुशासनहीनता को विरुद्ध सरकार, मालिक तथा श्रमिकों के नेताओं को निरन्तर प्रचार (प्रापगण्डा) करते रहना चाहिए।

(६) प्रशिक्षण एवं शिक्षण

श्रमिकों को प्राशिक्षण एवं शिक्षण—साधारण व तात्त्विक—अनिवार्य रूप से देना चाहिए। श्रमिकों का आधुनिकतम मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में पयाप्त प्राशिक्षण देना चाहिए जिससे वह कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।

(७) मुख्यस्थित प्रबंध

प्रबंधकों का मनोवृत्त एवं कुशलता श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। जहां तक हा संघ 'तैज्ञानिक प्रबंध' का अयनाया जाय जिससे प्रबंधकों का मनोवृत्ति श्रमिकों की आर सहायतृविपूष हो, और श्रमिकों की कार्य करने का दशाया तथा दैनिक जीवन की दशाया में सुधार हो। मालिकों को श्रमिकों व लागत घानष्ट सम्बन्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

(८) श्रमिकों का मनोवृत्ति में परिवर्तन

श्रमिकों की दशा में सुधार विधान (Legislations) के द्वारा अधिक सम्भव नहीं है, बल्कि एक ऐसे वातावरण व निर्माण की आवश्यकता है जिससे श्रमिक अपने का देश का समृद्ध में सह-साभदार (Co partners) समझने लगे। एसा

होने पर वे देश की आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के लिए तन, मन, धन से कार्य करने लगेंगे। सच्चे में श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक रहुंच की आवश्यकता है।

यह तो सर्वमान्य है कि हमारे श्रमिक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कार्य कर सकते हैं और अपने को किसी भी वातावरण के अनुकूल बना सकते हैं। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पिछले कुछ वर्षों में जिन उद्योगों में सुधार कर दिया गया है वहाँ श्रमिकों की कुशलता अपेक्षाकृत काफी बढ़ गई है। बगई की बुछ मिलों में जुलाहे छ छ बरघों (looms) को चलाने लगे हैं और प्रति व्यक्ति का औसत उत्पादन लकाशावर के श्रमिक का ८६% तक अनुकूल वातावरण न होने पर भी हो गया है।

अतः श्रम जांच समिति ने भी कहा था कि "यह विचार करते हुए कि इस देश में कार्य करने के घंटे अधिक हैं, आराम स्थलों (rest houses) का अभाव है, कार्य सिलाने की विधि व प्रशिक्षण का अभाव है, अन्य देशों की तुलना में भोजन व कल्याणकारी सुविधाओं तथा मजदूरी के स्तर में पर्याप्त कमी है, अतः श्रमिकों की कही जाने वाली अकुशलता का दोष उनके प्राकृतिक चातुर्य अथवा योग्यता पर नहीं मढ़ा जा सकता।"^१

प्रश्न

- 1 State precisely what has been done in India in the direction of improving the conditions of life and work of the industrial labour (Punjab, 1954)
- 2 What are the chief characteristics of industrial labour in India? Discuss the causes responsible for its low efficiency

* Considering that in this country hours of work are longer, rest pauses fewer facilities for apprenticeship and training, rare standards of nutrition and welfare amenities far poorer and the level of wages much lower than in other countries, the so called inefficiency cannot be attributed to any lack of native intelligence or aptitude on the part of the workers" Labour Investigation Committee

श्रमिक कल्याण

(Labour Welfare)

श्रमिक कल्याण आधुनिक औद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial democracy) की आधार शिला है, और इसकी सहायता के बिना एक सुन्दर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण भी असम्भव है। इसके द्वारा श्रमिकों का जीवन आनन्दमय और औद्योगिक सुन्दर हो जाते हैं।

श्रमिक कल्याण का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है यद्यपि इसका अर्थ विभिन्न देशों में एक ही समान है। रायल कमीशन के शब्दों में "यह एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही लचीला है। इसका अर्थ एक देश में दूसरे देश की तुलना में उसकी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, औद्योगिक स्थिति तथा श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न लगाया जाता है।"¹

इस प्रकार श्रमिक कल्याण को एक निश्चित परिभाषा का अन्दर में घुसना असम्भव नहीं तो कठिन अर्थ बन जा सकता है क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही लचीला है। फिर भी श्रमिक कल्याण का अर्थ यूनाइटेड स्टेट्स व्यूरो ऑफ लैबर स्टैटिस्टिक्स के शब्दों में "स्वच्छता का आग्रह तथा नैतिक एवं शारीरिक प्रगति के लिए मजदूरी के प्रतिष्ठित पैसा कोई भी अन्य क्रिया ज्ञान, जो कि न तो उद्योग के लिए आवश्यक है और न आवश्यक ही है।"²

वालर समिति के अनुसार "प्रति निम्न रूप में इसके (श्रमिक कल्याण के) अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम एवं सामान्य कल्याण को प्रभावित

1 It is a term which must necessarily be elastic bearing a somewhat different interpretation in one country from another according to the different social customs, the degree of industrialization and the educational development of the workers. *Royal Commission*

2 "Anything for the comfort and improvement, intellectual and social, of the employees, over and above wages paid, which is not a necessity of the industry nor required"

करने वाली सभी बातों का समावेश होता है और शिक्षा, मनोरंजन, वृत्त योजनाओं तथा स्वास्थ्ययुक्त रहों इत्यादि का प्राविधान होता है।¹

1- श्रम जांच समिति (१९४५) ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट में श्रमिक कल्याण को इस प्रकार परिभाषित किया है “श्रमिकों के नैतिक, शारीरिक, नैतिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य, जो वैधानिक कानून तथा मालिकों एवं श्रमिकों के मध्य हुए अनुबन्धित लाभों के अतिरिक्त हो, चाहे वह मालिकों, सरकार अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा किया गया हो, श्रमिक कल्याण कहलाता है।”²

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अपनी दृष्टियों के अन्दर तथा बाहर श्रम तथा रोजगार की सर्वात्म दशाओं की व्यवस्था करने के लिए मालिकों (employers) के स्वतः किये गये प्रयत्न श्रमिक कल्याण को निर्देशित करते हैं। इनमें उन सभी प्रयासों का समावेश होता है जिनका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं मनोबल, उसकी सुरक्षा, उसकी मानसिक तथा नैतिक उन्नति, उसका साधारण कल्याण और उसकी औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती है। इन कार्यों का संगठन मालिकों द्वारा, अथवा सरकार द्वारा, अथवा स्वयं श्रमिकों द्वारा प्रारम्भ व संचालित किया जा सकता है।

श्रमिक कल्याण के दो पक्ष या पहलू होते हैं—

(१) मानवीय (Humanitarian), तथा

(२) आर्थिक (Economic)।

मानवीय पक्ष—यदि श्रमिक कल्याणकारी कार्य मालिकों (employers) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो इसका ध्येय मान्यता तथा दयालुता से प्रेरित लोक सेवा होता है। ऐसे कार्य भारतवर्ष में ‘भारत सेवक समिति’ (Servants of India Society), ‘नगरिक क्रिस्तियान् संघ’ (Y M C A), ‘बॉन्टाय सोशल सर्विस लीग’ (The Bon tay Social Service League), ‘सेवा सदन’ इत्यादि सामाजिक संस्थाएँ करती हैं।

आर्थिक पक्ष—यदि श्रमिक कल्याणकारी कार्य मालिकों या स्वायत्तता (Employers) द्वारा किया जाता है तो उसका ध्येय अधिकतम आर्थिक तथा

1 “In its widest sense it comprises all matters affecting the health, safety comfort and general welfare of the workmen and includes provision for education, recreation, thrift schemes convalescent homes.”
Balfour Committee

2 “Anything done for the intellectual physical moral and economic betterment of the workers, whether by employer, by Government or by other agencies over and above what is laid down by law or what is normally expected as part of the contractual benefits for which the workers may have bargained”
Labour Investigation Committee (1954)

उपयोगिता प्राप्त होवा है। यह 'क्षमता कार्य' होता है जो श्रमिक की शारीरिक शक्त तथा क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अज्ञानी तथा अशिक्षित श्रमिकों में इसके उत्तरदायित्व तथा प्रावधान का भावना उत्पन्न होती है और वे अचूक नागर्भ बनते हैं।

श्रमिक कल्याण के अंग

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है श्रमिक कल्याण कार्यों का दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) आन्तरिक या आन्तरीक अथवा अंदर का (Intra mural)

(२) बाह्य या बाह्यतरीक अथवा बाहर का (Extra-mural)

आन्तरिक कार्य (Intra mural)

इसके अन्तर्गत निम्न कार्य आते हैं—

- (क) वैज्ञानिक मन्त्री पद्धति (Scientific method of recruitment)
- (ख) स्वच्छता, प्रकाश एवं वायु (Sanitation light and ventilation)
- (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण (Industrial training)
- (घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम (Prevention of accident)

बाह्य कार्य (Extra mural)

इसके अन्तर्गत निम्न आवाजन विधे आते हैं—

- (क) श्रमिकों के लिए उच्चान्त शिक्षण,
- (ख) श्रमिकों के लिए आवात व्यवस्था
- (ग) श्रमिकों के लिए चिकित्सा,
- (घ) श्रमिकों के लिए भोजन सम्बन्धी व्यवस्था
- (ङ) श्रमिकों के लिए मानसिक मनोरंजन की व्यवस्था तथा
- (च) श्रमिकों के लिए पावित्र्य फण्ड की व्यवस्था।

श्रम कल्याण का उदय

औद्योगिक क्रान्ति, जिसका जन्म सर्वप्रथम अटलरहवा शतान्दा में इंग्लैंड में हुआ, ने समाज का दो वर्गों—सेवा योजक और सेवासुक्त (Employer and Employed) में विभक्त कर दिया। इन दोनों के बीच की लाईं दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली गई। सेवासुक्त अपने स्वार्थ का धर्मोपरि महत्ता देते थे, परिवारान्तरूप 'सेवासुक्त' अर्थात् श्रमिकों का असन्तोष की भावना फैल गई। श्रमिक अपनी दशा के प्रति उदात्तन थे और समाधान की मांग प्रकट कर रहे थे।

प्रथम महायुद्ध द्वारा उत्पन्न शान्तिकारी परिस्थितियों ने श्रमिकों की समस्या का

श्रीर भी जटिल बना दिया। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति यह सोचने लगा कि श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारना समाज का कर्तव्य है। यही नहीं कुछ साहसी सामाजिक व्यक्तियों ने तो श्रमिकों की दशा सुधारने का बीजा उगाना। धीरे धीरे समस्त जनता की सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ हो गई। फलस्वरूप 'सवायोजनों' की भी विमर्श होकर श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करने पड़े।

इस प्रकार 'श्रम कल्याण कार्य' की भावना की जागृति प्रथम महायुद्ध के पश्चात् से होती है।

परन्तु यहाँ पर यह दृष्टि कर देना कि 'श्रमिक कल्याण' की भावना भारतभर के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है, अनुपपन्न न होगा। प्राचीन भारत में राज्य (state) कल्याणकारी राज्य (welfare state) हाथ धे और निर्धन, अयोग्य एवं ग्रहण्य लम्बाई की सहायतायें आवश्यक कार्यों को करत थे। खुम्बेड में लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य (state) का कर्तव्य होता था। निर्धन, अग्रहण्य, वृद्ध और निशपक्ष से वेतियाँ एव श्रमिकों, तिनकी मृत्यु करने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए हो गई हा, न परिवारों में देखरेख का उत्तरदायित्व राज्य पर होता था।^१ महाभारत में 'शालिपर्ब' में भी निर्धन, अग्रहण्य, वृद्ध एवं विधवा स्त्रियों की सुरक्षा एवं जीवन निवाह के सम्बन्ध में इंगित किया गया है।

श्रम कल्याणकारी कार्यों की महत्ता

ऐसे समय में जब श्रमिक स्वयं कारीगर, निरीक्षक (foreman), पूँजीपति, व्यापारी तथा मूकानदार सभी कुछ था, कल्याणकारी कार्यों की कोई महत्ता न थी। परन्तु आज जब कि श्रमिक केवल मजदूरी कमाने वाले (wage earner) के रूप में रह गया है और उसका सेवामानक उत्पादन के औजारों, कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं का स्वामी बन गया है, 'श्रम कल्याण' का प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गया है।

श्रम कल्याण की महत्ता उसके निम्न लाभों से और भी बढ़ जाती है—

(१) श्रम और पूँजी के सम्बन्धों को सुन्दर बनाना

श्रम और पूँजी औद्योगिक मशीनरी के दो पहियों के समान हैं। उद्योग की सफलता के लिए दोनों में सामञ्जस्य एवं सरलता (smoothness) होना आवश्यक है। श्रम कल्याणकारी कार्य श्रमिकों को सदैव सतुष्ट रखते और उनके अन्दर सहकारिता एवं उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करते, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक मशीनरी निर्बाध रूप से सरलतापूर्वक चलती रहेगी।

^१ खुम्बेड १/११६/१६

(२) उचित सामाजिक व्यवस्था

आजकल प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। भारतवर्ष ने भी समाजवादी दृष्टि की रचना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। यह सब उसी समय सम्भव है जब कि राष्ट्र की आय का लगभग समान वितरण हो और अन्तर्गत में सतृप्त और सतृष्टि की भावना का संचार हो। अतः उद्योगपतियों को अपना स्वार्थ पूर्ण सन्तुष्टि दृष्टिकोण त्यागकर सार्वजनिक कल्याण का निस्तृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। दूसरे शब्दों में उद्योगपतियों को श्रम कल्याणकारी कार्यों को करना होगा जिससे देश का सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके।

(३) स्थायी सन्तुष्टि तथा कुशल श्रमशक्ति

औद्योगिक नगरों में स्थायी सन्तुष्टि तथा कुशल श्रमशक्ति बनाए रखने के लिए श्रमिकों की दैनिक जीवन सम्बन्धी तथा कारखानों के भीतर कार्य करने की दशाओं में सुधार करना होगा। बिना इनमें सुधार किये, जैसा कि अन्वयन कहा जा चुका है, श्रमिकों की कार्यक्षमता नहीं बढ़ सकती। भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की क्षमता तो और भी कम है। अतः श्रम कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था अति आवश्यक है।

(४) उत्पादकता में वृद्धि

देश की सम्पन्नता एवं समृद्धि उसमें उत्पादकों की उत्पादकता (productivity) पर निर्भर होती है। उद्योगों की उत्पादकता श्रमिकों के सहयोग एवं कार्यक्षमता पर आश्रित होती है। श्रमिक उसी समय पूर्ण सहयोग एवं सद्भावना से कार्य करेंगे जब वे समझ लेंगे कि उत्पादनशक्ति और सरकार दोनों ही उसमें दैनिक एवं भावी जीवन को उत्तम बनाने में क्रियाशील हैं।

(५) श्रमिकों की बौद्धिक एवं नैतिक अभिवृद्धि

यह औद्योगिकीकरण से होने वाली सामाजिक धुरादर्या का कम करके श्रमिकों के बौद्धिक एवं नैतिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करता है।

(६) श्रमकल्याण आयोगिक प्रशासन के रूप में

प्रगतिशील देशों में श्रम कल्याण आयोगिक प्रशासन एक प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अतः यह उद्योगपतियों की अनुत्पत्ता, सहृदयता एवं दयालुता का प्रमाण नहीं रहा है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व बन गया है। इससे श्रमिकों के अन्दर एक नवीन स्वाभिमान की भावना जागृत होती है।

उक्त विषयों से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में श्रमिकों के हेतु कल्याणकारी कार्यों की अति आवश्यकता है। इन कार्यों से प्रभावित होकर "टिक्कटाइल लेजर इन्कवायरी कमीटी" ने कहा था कि "कार्यक्षमता का उत्तम स्तर प्राप्त उसी समय हो सकता है जब कि श्रमिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि से सन्तुष्ट हों। इसका तात्पर्य

यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिए शिक्षा, आवास, भोजन तथा वस्त्रादि का उचित प्रबन्ध हो।”

इस दृष्टि से हमारे देश में सरकारी एवं निजी सहस्र के द्वारा कुछ उत्थापन खोली गई हैं। उदाहरणार्थ—

गम्भीर विश्वविद्यालय ने श्रम समस्या एवं कल्याण कार्यों के अध्ययन तथा शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया है। श्री टाटा ने ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज’ (Institute of Social Sciences) की स्थापना की है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा आगरा में क्रमशः ‘जे० ए० इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज’ तथा ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज’ की स्थापना की गई है।

भारतवर्ष में आयोजित श्रम कल्याण कार्य

भारतवर्ष में अभी तक जितना भी श्रम कल्याण कार्य किया गया है, वह तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- १) शैक्षणिक—केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा,
- (२) स्वैच्छापूर्ण—उद्योगपति या नियोजकों द्वारा, तथा
- (३) पारस्परिक—श्रमिक सभा द्वारा।

केंद्रीय सरकार द्वारा कल्याण कार्य

प्रथम महायुद्ध तब, श्रमिकों की अज्ञानता एवं निरक्षरता, स्वार्थी उद्योगपतियों की अनिच्छा, तथा सरकार एवं जनता की उदासीनता के कारण कोई भी श्रम कल्याणकारी कार्य नहीं किया गया।

द्वितीय महायुद्ध में औद्योगिक श्रमिकों की असन्तुष्टि एवं बलाहक कारण श्रम कल्याणकारी कार्य की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अतः द्वितीय महायुद्ध से केंद्रीय सरकार इस ओर ध्यान देने लगी। परन्तु स्वतन्त्रता के पूर्व तक विदेशी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, केवल हितकारी परामर्शदाता परिषदां इत्यादि की नियुक्ति करती रही।

— सन् १९४२ में सरकार ने एक ‘श्रम हितकारी सलाहकार’ और उसकी सहायता के लिए अन्य श्रम हितकारी नियुक्त किये। सन् १९४४ में कोयला खानों के श्रमिकों के लिए एक हितकारी कोष खोला गया, जिसके द्वारा श्रमिकों को ग्रामोद प्रमोद, चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १९४६ में अधक रान श्रमिक हितकारी कोष एकट पास किया गया। १९४७ में कोयला खान श्रमिक हितकारी कोष एकट पास किया गया।

इन एक्ट्स के अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा तथा आवास सम्बन्धी सुविधाएँ अभ्रक एन कोयला खानों के श्रमिकों को प्रदान की जाती हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने तीन एक्ट्स पास किये—

- (१) फैक्ट्रीज एक्ट १९४८,
- (२) प्लांटेशन लेबर एक्ट, १९५१, तथा
- (३) माइन्स एक्ट, १९५२

इन अधिनियमों (एक्ट्स) के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए कैंटीन, क्रेचेस (creches), आराम स्थलों, नहाने घोंघे की सुविधाएँ, चिकित्सा तथा श्रमिकों की वारिशां वा नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। सन् १९५४ में स्थायी श्रम समिति ने श्रम हितनाथ कोष की स्थापना पर जल दिया। सरकार ऐसे कोषों की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

एक 'नेशनल म्यूजियम आफ इण्डस्ट्रियल हेल्थ, सेफ्टी एण्ड वेल्फेयर' का 'सेन्ट्रल लेबर इन्स्टीट्यूट' के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस कार्यवाही दशाया (working conditions) के प्रमाण (standards) निर्धारण करेगा। इन्स्टीट्यूट के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल हाईजीन लैबोरेटरी, एक ट्रेनिंग सेंटर तथा एक लाइनेरा रूम इन्फार्मेशन सेंटर खोले गये हैं।

विभिन्न श्रम कल्याणकारी अधिनियमों (Acts) के अन्तर्गत प्रगति कोयला खान श्रम कल्याण कोष (Coal Mines Labour Welfare Fund)

इस नाम के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए बहुरंग चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाओं का व्यवस्था कर गई है। इसमें अतिरिक्त महिला कल्याण और बाल केंद्रों तथा श्रद्धा शिक्षा केंद्रों आदि की भी व्यवस्था है।

इसके अर्धीन दो कन्द्रीय अस्पतालों, ६ प्रादेशिक अस्पतालों तथा मातृ शिशु कल्याण केंद्रों, दस दवाखानों तथा २ टी० गी० क्लिनिक की व्यवस्था है। मलेरिया विरोधी कार्यवाही तथा जी० सी० जी० टाया आदान भी जारी है। इसी और से श्रद्धा शिक्षा केंद्रों तथा नारी कल्याण केंद्रों की भी व्यवस्था की जाती है।

एक सहायता ऋण योजना के अर्धीन १,७५६ मजाने जमाये गए तथा ३६४ मजानों का निमाण हो रहा है। कोयला-खान मजदूरों का १०,००० मजाने दिये गए तथा २,४६४ मजानों का निमाण आरम्भ किया गया। १९५८ में इस कोष में १,६४,६७,३५९ रुपये प्राप्त हुए और इस निधि में से सामान्य कल्याण कार्यों पर ६०,५६,३५० रुपये तथा आवास पर १,५६,१०,६५० रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

वागान मजदूर आवास योजना—१९५१ के 'वागान मजदूर अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक वागान मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करे। द्वितीय योजना में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सितम्बर १९५८ के अन्त तक राज्य सरकारों ने ३०० मकानों के निर्माण के लिए ५.३ लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। 'इंडियन प्लान्टर्स एसोसिएशन' के ६२ सदस्यों ने सन् १९५८ में ७,२२५ मकानों का निर्माण किया, जिसमें से १०३५ अरब में, १३८६ दोआर के क्षेत्र में तथा ८०४ पश्चिमी बंगाल के तराई के क्षेत्रों में निर्मित किए गए।^१

सरकार के उपक्रमों (Undertaking) में श्रम-हितकारी कोष

इन श्रम हितकारी कोषों का निर्माण १९४६ में ऐच्छित आधार पर किया गया था। इन कोषों का उद्देश्य रेल्वेज और बन्दरगाहों (dockyards) के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी उपक्रमों के कल्याण की मुनिघाएँ प्रदान करना है। प्रान्तरिक एवं स्थानीय, वाननालयाँ एवं पुस्तकालयाँ, रेडियो, शिक्षण तथा मनोरंजन इत्यादि का िमान भी किया जाता है।

रेल्वेज तथा बन्दरगाहों में श्रम कल्याणकारी कार्य

रेल्वेज अपने कर्मचारियों के लिए अस्पतालों व चिकित्सालयों की व्यवस्था करते हैं। कर्मचारियों की शिक्षा व लिए भी उचित प्रयत्न किया गया है। बहुत-सी रेल्वेज ने आन्तरिक व बाल खेलों के लिए संस्थाएँ व क्लबों का निर्माण किया है। कुछ रेल्वेज के द्वारा सस्ते गल्ले की दूरानों भी चलाई जाती हैं।

बन्दरगाहों में भी आधुनिकतम चिकित्सालय हैं। कलकत्ता, विशाखापट्टम तथा कलकत्ता के बन्दरगाहों में सहायकी समितियाँ भी हैं।

राज्य सरकारों द्वारा श्रम कल्याणकारी कार्य

सन् १९३७ तक राज्य सरकारें श्रम कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार पर आश्रित रहा करती थीं। सन् १९३७ में 'प्रोविन्शियल ऑटोनॉमी' प्राप्त हो जाने से प्रान्तों (राज्यों) में काब्रेसी मन्त्रिमंडल स्थापित हुए। काब्रेसी मन्त्रियों ने श्रम कल्याण के लिए योजनाएँ बनाईं। द्वितीय महायुद्ध काल में कुछ कल्याणकारी कार्य हुए। स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर इस दिशा में काफी प्रयत्न किए गये हैं।

राज्यानुसार इनका विवरण इस प्रकार है—

बम्बई राज्य

सर्वे प्रथम बम्बई की सरकार ने १९३६ में बम्बई राज्य में आदर्श केन्द्रों की

स्थापना की। उसी वर्ष इस कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि १,२०,००० रु० थी जो कालान्तर में बढ़ती चली गई। सन् १९५३ में बम्बई की सरकार ने इन क्रियाओं को 'बम्बई लेबर वेलफेयर बोर्ड' को स्थानान्तरित कर दिया। इस समय बोर्ड के अन्तर्गत ५३ श्रम कल्याणकारी केन्द्र हैं।

इन केन्द्रों में सिनेमा प्रदर्शन, ड्रामा, शारीरिक व्यायाम की सुविधाएँ, शिक्षा, तथा प्रशिक्षण, शिशु पालन तथा नर्सरी स्कूल, नशीली वस्तुओं के विरुद्ध आंदोलन, सिलाई गृह व स्त्रियों के लिए क्लबों इत्यादि का प्रबन्ध है।

राज्य सरकार ने कुछ नुने हुए वर्मचारियों के लिए 'ट्रेड यूनियनिज्म' तथा नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में प्रशिक्षण विद्यालय खोले हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वप्रथम १९३७ में लेबर कमिश्नर की अध्यक्षता में श्रम विभाग की स्थापना की और कानपुर में चार श्रम कल्याणकारी केन्द्रों को औद्योगिक श्रमियों के लाभार्थी संगठित किया। इस समय तक ४७ स्थायी श्रमिक कल्याण केन्द्र और २ मौसमी श्रमिक कल्याण केन्द्र राज्य के विभिन्न प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित किए जा चुके हैं।

यह सत्र केन्द्र चार वर्गों—अ, ब, स तथा द में विभक्त किये गये हैं—

'अ' वर्ग के केन्द्रों के अन्तर्गत अंग्रेजी टग के चिकित्सालय, वाचनालय तथा पुस्तकालय, स्त्रियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण, घरेलू तथा ग्राहरी खेल, जिमनेजियम तथा अफाड़े, संगीत तथा रेडियो, प्रस्ता तथा शिशु कल्याण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

'ब', वर्ग के केन्द्रों में भी उपरोक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, परन्तु इनमें होम्योपैथिक टग की चिकित्सा प्रदान की जाती है।

'स' वर्ग के केन्द्रों में पुस्तकालय एवं वाचनालय, घरेलू तथा ग्राहरी खेल तथा रेडियो सेट प्रदान किये जाते हैं।

'द' वर्ग के केन्द्रों के अन्तर्गत केवल ग्राहरी (out-door) खेलों का प्रबन्ध किया जाता है।

सन् १९५७-५८ में सरकार ने इन कार्यों के लिए १२.१६ लाख रुपये की व्यवस्था की थी, जबकि १९३७-३८ में इस काम के लिए केवल १०,००० रुपये बकले गये थे। सरकार ने कानपुर में श्रमियों के लिए तपेदिक (T. B.) के एक अस्पताल की व्यवस्था भी की है।

अन्य राज्यों में श्रम कल्याण

अन्य राज्यों में भी अनेक श्रम कल्याणकारी केंद्र खोले गये हैं। विभिन्न राज्यों में (पुनर्जागरण के पूर्व) केंद्रों की संख्या इस प्रकार थी—

असम	१२
बिहार	३
मध्य प्रदेश	५
पंजाब	७
पश्चिमी बंगाल	२६
हैदराबाद	१
मध्य भारत	३
मैसूर	२
राजस्थान	१२
सौराष्ट्र	२१
द्राघतकोर कोचीन	३
दिल्ली	१
त्रिपुरा	२

सेवा योचका (Employer) द्वारा कार्य

अभावग्रस्त सेवायोजना ग्रहण मिल मालिकों ने श्रमिक कल्याणकारी कार्य की महत्ता का बहुत देर में समझा है। वे बहुत समय तक श्रमिक कल्याणकारी कार्य को अनार्थिक विनियोग समझते रहे। परंतु पिछले २० वर्षों से वे समझने लगे हैं कि धामनी को प्रसन्न रखकर ही उद्योग में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अतएव उन्होंने गत कुछ वर्षों से श्रम कल्याण के लिए मनोरंजन, शिक्षा 'कैम्पेन', भोजनालयों, चिकित्सालयों तथा गल्ले की सस्ती दुकानों का प्रारंभ किया है।

उद्योगपतियों में से कुछ प्रगतिशील उद्योगपतियां जैसे इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन, इण्डियन टी एसोसियेशन, टाटा संस्थान, सिंघानिया संस्थान इत्यादि ने इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य निचे हैं।

उद्योग के अनुसार इनकी क्रियाओं का व्योम इस प्रकार है—

सूती वस्त्र उद्योग

इस उद्योग के श्रमिकों के कल्याण के लिए 'इम्प्रीस ग्रूप ट्राफ मिल्स, नागपुर', 'देहला क्लाइ एण्ड चरल मिल्स, देहला', 'गिरला काटन मिल्स, देहली', 'जियाजी राम काटन मिल्स, ग्वालियर', 'अभिषम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास', 'नगलौर कलन, काटन एण्ड सिल्क मिल्स', तथा 'मदुरा मिल्स कम्पनी', इत्यादि ने प्रशासकीय कार्य निचे

हैं। इन मिलों के द्वारा प्रगृहीतगृहा, शिशु गृहा, घरेलू तथा बाहरी खेलों, सरकारी समितियाँ, शिक्षण नेट्वा, प्राविडेंट फण्ड की योजनायाँ तथा सस्ते आवासगृहा की सुव्यवस्था की गई है।

लगभग सभी मिलों ने सुयोग्य डाक्टरों सहित औद्योगिकता का प्रबंध किया है।

जूट मिल उद्योग

इस उद्योग के क्षेत्र में 'जूट मिल्स एसोसियेशन' ने, जो कि सेनायोजका (employers) का एक संगठन है, अपने सदस्य उद्योगों के श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सुविधाएँ प्रदान की हैं। इस एसोसियेशन ने पांच श्रम कल्याणकारी कन्द्रों का संगठन किया है। इन कन्द्रों के द्वारा घरेलू तथा बाहरी खेलों, मनोरजन सम्बंधी सुविधायाँ तथा प्राइमरी स्कुलों का प्रबंध किया जाता है। इसका अतिरिक्त कुछ कन्द्रों में स्त्री श्रम कल्याणकारी संस्था तथा स्त्री क्लबों का संगठन भी किया जाता है।

व्यक्तिगत मिलों ने भी इस सम्बंध में कुछ कार्य किया है। लगभग सभी मिलों में श्रमिकों की निश्चिन्ता के लिए औद्योगिकता है। कुछ मिलों ने प्रवर्तितगृहा, शिशुगृहा तथा जलपान गृहा की व्यवस्था भी की है।

इस्त्रीनियंत्रण उद्योग

एक क्षेत्र के उन उद्योगों में जहाँ एक हज़ार से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, औद्योगिकता का प्रबंध किया गया है। इन उद्योगों में श्रमिकों तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लगभग सभी उद्योगों में जलपान गृहा भी हैं।

'टाटा लौह एवं स्टाण कम्पनी, जमरोदपुर', में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है। इसमें ४१६ शय्यायाँ (beds) तथा ५१ डॉक्टरों का प्रबंध है। इसका अतिरिक्त जमरोदपुर में २ हाई स्कूल, ११ मिडिल स्कूल, १६ प्राइमरी स्कूल तथा कुछ सत्रि पाठशालायाँ का भी प्रबंध है। यहाँ पर खेल के बड़े बड़े मैदान तथा श्रम मनोरजन स्थल भी हैं।

शक्कर उद्योग

लगभग सभी शक्कर मिलों में औद्योगिकता है। अधिकतर मिलों ने श्रमिकों के मनोरजन के लिए क्लबों व घरेलू तथा बाहरी खेलों का प्रबंध किया है परंतु जलपान गृहा एवं रहनसरी समितियों का प्रबंध केवल कुछ मिलों के द्वारा ही किया गया है।

बागान उद्योग (Plantations)

असम तथा पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों में औद्योगिकता का प्रबंध है। बहुत से बड़े बागानों द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैं। इस उद्योग के श्रमिकों के लिए 'सेन्ट्रल टी बोर्ड' सहायता देता है। काफी तथा रबड़ के बोर्डों ने भी अपने उद्योगों के श्रमिकों के लिए अनुदान देना स्वीकार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त बोलार गोल्ड फील्ड की सोना निखालने वाली कम्पनियों ने तथा एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनियों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

श्रमिक सघों द्वारा कल्याणकारी कार्य

भारतवर्ष में श्रमिक सघों द्वारा श्रम कल्याणकारी कार्य बहुत कुछ सीमित मात्रा में किये गये हैं। इसका दो कारण हैं—एक तो श्रमिक सघ आन्दोलन अभी अपनी शैशव अवस्था में है और दूसरे इन सघों के पास आर्थिक साधन भी बहुत सीमित हैं।

परन्तु फिर भी कुछ श्रमिक सघों जैसे 'टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन, अहमदाबाद', 'मजदूर सभा, बानपुर' 'रिलवे मेन्स यूनियन' तथा कुछ अन्य सघों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये हैं—अहमदाबाद का 'टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन' अपनी कुल आय का ६०% से ७०% तक श्रम हितकारी कार्यों पर व्यय करता है। बानपुर की मजदूर सभा ने श्रमिकों की चिकित्सा के लिए औपचारिक तथा वाचनालय एवं पुस्तकालय खोले हैं।

रिलवे कर्मचारियों के सघों में से कुछ सघों ने सहकारी समितियाँ खोली हैं। इस अतिरिक्त उन्होंने कर्मचारियों की वैधानिक सुरक्षा, मृत्यु तथा अवकाश लाभ, बेरोजगारी तथा बीमारी लाभ तथा जीवन बीमा इत्यादि का सुप्रबन्ध किया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समस्या की गम्भीरता एवं गुंता को देखते हुए, श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो कुछ भी किया गया है, अपूर्ण है। वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाय तो शत होगा कि मिल मालिकों ने इस क्षेत्र में बहुत सीमित कार्य किया है। आशा की जाती है कि वे भविष्य में व्यापक दृष्टिकोण अपना कर, अधिक से अधिक प्रबन्ध करके श्रमिकों को अत्यधिक सुख-सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

प्रश्न

- 1 Write a note on the working conditions in factories in India. What has the government done to improve these in recent years?
(Rajputana, 1952-1956)
- 2 Write a short note on the importance of labour welfare activities for industrial workers in India. What has been done by different agencies in this connection in recent years?
- 3 State briefly the steps which have been taken in India since independence to improve the conditions of life and work of industrial labour.
(Agra, 1960)

अध्याय २१

सामाजिक सुरक्षा

(Social Security)

सामाजिक सुरक्षा कुछ वर्षों तक केवल नारा (slogan) मात्र ही था, परन्तु आज ससार के अधिकांश देशों में यह एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम हो गया है। पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार के राज लोक हितकारी राज्य (welfare state) बनना चाहते हैं और लोक हितकारी कार्यों में सामाजिक सुरक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। प्रारम्भ में सामाजिक सुरक्षा का आयोजन मूलतः श्रौद्योगिक भ्रमजीवियों के लिए किया जाता था, परन्तु आज प्रत्येक राष्ट्र अपने को लोक हितकारी राज्य (welfare state) बहलाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा में केवल श्रमियों को ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करता है, जिससे सम्पूर्ण समाज को लाभ हो सके।

मनुष्य का जीवन अनेक आर्थिक घटनाओं, खतरों एवं जोखिमों से परिपूर्ण है जिससे जीवन अत्यन्त नीरस, कष्टप्रद एवं दुष्पर हो जाता है। सामाजिक सुरक्षा का ध्येय ऐसे जोखिमों, खतरों एवं घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें श्रमिकों की क्षतिपूर्ति, बीमारी तथा स्वास्थ्य बीमा, बेकारी बीमा तथा वृद्धावस्था पेन्शन का समावेश होता है। बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, विधवापन, परिवार के उच्चतम सदस्य की मृत्यु इत्यादि ऐसी घटनाएँ हैं जो मनुष्य की आय को लगभग रुद्ध हो जाती हैं परन्तु व्यय समान रहते हैं या बढ़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में इन घटनाओं का उत्तरदायित्व पीड़ित मनुष्य पर पड़ाने नहीं है बल्कि समाज के ऊपर है। अतः समाज को ही किसी न किसी प्रकार से इन घटनाओं से पीड़ित मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए। एक प्रगतिशील समाज भी यही है जो अपने सदस्यों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत तीन योजनाएँ आती हैं-

- (१) सामाजिक सहायता (Social Assistance)
- (२) सामाजिक बीमा (Social Insurance)
- (३) सहायक कार्य (Ancillary Measures)

(१) सामाजिक सहायता वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ भी चन्दा नहीं देना पड़ता। सरा एच सरकार स्वयं अपने पास से करती है, यदि सरकार पर ऐसा करने के लिए कोई उत्तरदायित्व (Obligation) नहीं होता है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों का समावेश होता है—

(१) बेकारी मुक्ति (Unemployment Relief)

(२) डाक्टरों की सहायता (Medical Assistance)

(३) अयोग्य एवं बूढ़े व्यक्तियों की सहायता (Maintenance of Invalids and Aged)

(४) सामान्य सहायता (General Assistance)

(२) सामाजिक बीमा वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ न कुछ चन्दे के रूप में देना पड़ता है। हा यह अर्थ है कि अधिकतर होने वाला व्यय सरकार और मालिक (employers) दोनों करत हैं। दूसरे शब्दों में 'सामाजिक बीमा' के अन्तर्गत एक 'बीमा कोष' (Insurance Fund) होता है जिसका निर्माण 'त्रिदलीय चन्दे' (Tripartite Contributions) से होता है। 'त्रिदलीय चन्दा' कर्मचारियों, मालिकों व सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक बीमा कर्मचारी, मालिक और सरकार तीनों का सामूहिक प्रयत्न है।

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत निम्न कार्यों का समावेश होता है—

(१) स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)

(२) औद्योगिक अक्षमता के विरुद्ध बीमा (Insurance against Industrial Disability)

(३) बेकारी बीमा (Unemployment Insurance)

(४) प्रसूति बीमा (Maternity Insurance)

(५) वृद्धावस्था पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा बीमा (Old Age Pensions, Provident Funds and Endowment Insurance)

(६) विधवा एवं अनाथों की पेंशन तथा उत्तर जीवियों का बीमा (Widows' and Orphans' Pensions and Survivors' Insurance)

(३) सामाजिक क़ियाएँ (Social Measures)—'सामाजिक बीमा' और 'सामाजिक सहायता' की परियोजनाएँ उस समय तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि 'सहायक क्रियायात्रा' की सहायता न ली जाय। इन क्रियायात्रा का उद्देश्य निम्न जोखिम एवं घटनायात्रा (Incidence) को कम से कम करना है। इन क्रियायात्रा में निम्नलिखित समन्वित हैं—

(१) प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापन (Training and Rehabilitation)

- (२) सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं रोजगारी दफ्तर (Public Works and Employment Exchanges)
- (३) पोषाहार तथा आवास सुधार (Nutrition and Housing Reform)
- ↳ (४) बीमारियों तथा महामारियों की रोकथाम (Prevention of Diseases and Epidemics)
- (५) दुर्घटनाओं की रोकथाम (Prevention of Accidents)
- (६) रोजगार तथा मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी विधान (Legislation regarding Employment and Wage Fixation)

सामाजिक सुरक्षा की परिभाषाएँ

श्री जी० डी० एच० कोल के अनुसार "सामाजिक सुरक्षा का विचार विलुप्त रूप में यह है कि राज्य (State) अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम भौतिक कल्याण प्रदान करने का भार लेता है जिससे उनके जीवन की सभी मुख्य आकस्मिक घटनाएँ सुरक्षित हो जायँ।"^१

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा इस प्रकार की है "यह वह सुरक्षा है जो समाज किसी उद्युक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों की रक्षा उन जोखिमों के विरुद्ध करता है जिससे वे प्रभावित हो सकते हैं। ये जोखिम आवश्यक रूप से वे हैं जिनके विरुद्ध अल्प आय वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।"^२

सर विलियम बेवरिज ने अपनी सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा के विलुप्त विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि "पुनर्निर्माण के पांच देत्वों में से श्रमाव (wart) सबसे एक देत्व है और जो कुछ अर्थों में आसानी से दूर किया जा सकता है।"^३

सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा योजना की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती हैं—

(१) इसके अन्तर्गत कुछ लाभ (benefits) जैसे विक्रिता लाभ, बीमारी लाभ इत्यादि तथा बलात बेरोजगारी (involuntary unemployment) के हो जाने पर आय की गारन्टी करना।

१ The idea of social security, put broadly, is that the state shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the contingencies of life' —G D H Cole

२ 'Want is only one of the five giants on the road of reconstruction and in some ways the easiest to attack' —Sir William Beveridge

(२) इसके अन्तर्गत वैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए अर्थात् ऐसी योजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन को कुछ वैधानिक अधिकार तथा उत्तरदायित्व होने चाहिए।

(३) योजना को चलाने के लिए समुचित प्रशासन मशीनरी (administrative machinery) होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (Scope of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अन्तर्गत 'गर्म से मरने' तक की घटनाओं के निवृत्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। गर्म म बच्चे को प्रसूत करने की सुविधाएँ और गर्म के जहर आने पर उसने पालन पोषण एवं भोजन की सुविधा होनी चाहिए, इसके बाद शिक्षण की सुविधा, फिर काम आदि की। इसमें उस समय की सुरक्षा भी सम्मिलित होती है जहाँ मनुष्य काम पर न लगा हो अथवा वह बेरोजगार हो विश्रान्त हो। इसके अतिरिक्त उचित काम करने की प्रमाप्ति दशाओं की सुरक्षा, जैसे आय की सुरक्षा, बेरोजगारी के समय आय की सुरक्षा, आमोद प्रसोद की सुरक्षा, आमोदति की सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा, घटना, असमर्थता एवं मृत्यु हो जाने के परिवार की सुरक्षा आदि भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं।

भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में जितना कहा जाय कम है। भारतवर्ष सम्पूर्ण देश के नागरिक तथा विशेष रूप से औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता को अस्वीकार कर ही नहीं सकता है। और न सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को भारतवर्ष की निर्धनता के आधार पर टुट्टाया ही जा सकता है। लार्ड विलियम वेररिज के शब्दा में "एक दृष्टिकोण से जितने ही आप निर्धन हैं, उतना ही अधिक आपको उसी (सामाजिक सुरक्षा) आवश्यकता होगी, और आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने में।"

भारतवर्ष में समुक्त परिवार पद्धति जाती व्यवस्था द्वारा सहायता तथा जातीय अनुदान के समाप्त हो जाने से सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय श्रमिकों के दैनिकीय स्वास्थ्य, अज्ञानता, उर्चा एवं मालाओं की ऊँची जम एवं मृत्यु दर, अपर्याप्त पोषाहार (mal nutrition) तथा अनेक बीमारियाँ एवं महामारियाँ (epidemics) इत्यादि के कारण सामाजिक सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है।

सामाजिक सुरक्षा का विकास

सामाजिक बीमा यों तो बहुत प्राचीन इतिहास रखता है और वह प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान था। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग अपनी

जनता को अनाल, बाढ़ तथा अन्य दैवी प्रकोपों के समय अनुदान, छूट तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता दिया करते थे। भारतवर्ष में ऋग्वेद तथा महाभारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रमाण मिलता है, किन्तु इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा असमान, अव्यवस्थित, अनिश्चित एवं अपमानजनक थी। दान पाने वाला लज्जा और सकोच का अनुभव करता था। अतः सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में यह आरश्यक समझा गया कि समाज के द्वारा प्रदान की गई सहायता सम्मानपूर्वक और विश्वसनीय हो। "भगेर दिये कुछ प्राप्त किया जा रहा है" ऐसा आत्मघाती भाव सहायता पाने वाले के मन में नहीं आना चाहिए। परन्तु यह सब दान के रूप में किया जाता था जो कर्मचारियों के स्वाभिमान के विरुद्ध था। परन्तु वर्तमान रूप में इसका विकास सर्वप्रथम जर्मनी में १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ जिसमें श्रमियों के लिए बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापे तथा दुर्बलता इत्यादि के विरुद्ध अनिवार्य बीमा की व्यवस्था की गई। सम्राट विलियम प्रथम ने १८८३ में चिकित्सा हितलाभ और १८८४ में श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा का श्रीगणेश किया। जर्मनी के इस कार्य की सफलता देखकर अन्य देशों ने भी इस दिशा की ओर कदम उठाये। सन् १९२४ में कुछ फ्रांसीसी श्रमशास्त्रियों ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में कहा कि ये योजनाएँ मनुष्य के व्यक्तित्व एवं उसकी दूरदर्शिता के लिए घातक हैं। अमेरिका में भी प्रेसीडेंट ट्रूमैन के समय सामाजिक सुरक्षा विरोधी प्रचार में ७० लाख वोटों की रकम बहा दी गई। किन्तु इन विरोधों के बावजूद भी सामाजिक सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हो चुका है। I. L. O. के प्रयत्न से अनेक ऐसे प्रस्ताव पास किये जा चुके हैं जिनमें सदस्य देशों को अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कार्यान्वित करने के आदेश दिये गये हैं।

फलस्वरूप इस प्रकार की योजनाएँ डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा रूस आदि देशों में इसी शताब्दी में विकसित हुईं। ग्रेट ब्रिटेन में १८६७ में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९०६ में बुढ़ापा पेन्शन अधिनियम, १९११ में स्वास्थ्य बीमा अधिनियम, १९२० में बेकारी बीमा अधिनियम, १९२५ में विधवा-अनाथ सहायता इत्यादि सम्बन्धी अधिनियम बनाये गये। इनके अतिरिक्त यहाँ पर शिक्षा, अस्पताल, प्रकृति लाभ तथा बच्चों की समृद्धि के लिए भी सहायता दी जाती है। परन्तु सामाजिक सुरक्षा की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रेट-ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में उठाया गया जब व्यापक सामाजिक योजना 'बेवरिज योजना' (Beveridge Plan) के नाम से चालू की गई जिसमें शिशु पालने से लेकर शव-संस्कार तक (from cradle to grave) की आर्थिक सहायता का सम्पूर्ण जनता के लिए व्यवधान है।

सन् १९४५ में ग्रेट ब्रिटेन में लेबर पार्टी (Labour Party) के उच्चा में

आ जाने के कारण अनेक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम पास किये गये जैसे १९४५ में 'फिमिली एलाउन्स ऐक्ट', १९४६ में 'नेशनल इन्श्योरेंस (इएस्टिब्लिश्मेंट) ऐक्ट', तथा 'नेशनल इन्श्योरेंस ऐक्ट', 'नेशनल हेल्थ सर्विस ऐक्ट', तथा १९४८ में 'नेशनल असिस्टेन्स ऐक्ट' तथा 'चिल्ड्रेन्स ऐक्ट' पास किये गये।

अमेरिका में यद्यपि सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम देर से उठाये गये, परन्तु फिर भी पिछले कुछ वर्षों में वहाँ की सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मन् १९३५ में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, १९४४ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम (Public Health Service Act), १९४६ में रोजगार अधिनियम (Employment Act), १९५० में सामाजिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम (Social Security Amendment Act) तथा १९५१ में अनेक सामाजिक सुरक्षा कानून बनाये गये।

रूस में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में विशेष प्रगति हुई है। रूस की सरकार के द्वारा बेकारी की सुरक्षा के अतिरिक्त बहुत सा धन सामाजिक बीमा योजनाओं पर व्यय किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर प्रति वर्ष लगभग २१४००० मिलियन रूबल (Roubles) इन योजनाओं पर व्यय किया जाता है। वहाँ के प्रत्येक कर्मचारी को सामाजिक बीमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यवसाय को देना पड़ने वाली मजदूरी तथा घेतन का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक बीमा को देना नियमतः अनिवार्य है। इस कोष से नियन्त्रण अर्थिक सघों द्वारा होता है। 'सोपि यव ट्रेड यूनियन्स' की केन्द्रीय समिति सामाजिक सुरक्षा के कार्यों की देखभाल करती है। सामाजिक बीमा कोष का धन अस्थायी असमर्थता (temporary disablement), मातृत्व लाभ (maternity benefit) वृद्धावस्था लाभ, निःशुल्क चिकित्सा, पौष्टिक भोजन (dietic nourishment) तथा शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय किया जाता है।

इस प्रकार आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फ्रान्स, डेनमार्क, जापान, मिस्र इत्यादि देशों में भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ चल रही हैं। विभिन्न देशों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वर्तमान स्थिति नीचे इस प्रकार है।

✓ भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा—विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति देखते हुए हमारा देश में बहुत कम प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण यही था कि भारतवर्ष औद्योगिक प्रगति में काफी पिछड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाय तो हमारे देश में औद्योगिक प्रगति प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हुई। फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की प्रगति प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ही सम्भव हो सकी। परन्तु फिर भी समय-समय पर विभिन्न समितियाँ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती रहीं। अन्वै-दृष्टात्

जाँच समिति (१९२८ २९), शाही आयोग (१९३१), वानपुर श्रम जाँच समिति (१९४०) इत्यादि ने सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयत्न किये, किन्तु विदेशी शासन की उदासीनता के कारण कोई विशेष प्रगति इस ओर नहीं हुई ।

† इस दिशा में सर्वप्रथम दो महत्वपूर्ण अधिनियम (Acts) 'श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Workmen's Compensation Acts) १९२३ में तथा 'प्रसूति लाभ अधिनियम' (Maternity Benefit Act) कुछ राज्यों में पास किये गये । 'प्रसूति लाभ अधिनियम' सर्वप्रथम इम्बई में १९२९ में पास किया गया । बाद में यह अन्य राज्यों में पास किया गया जैसे १९३७ में उत्तर प्रदेश में, १९४४ में असम में, और १९४५ में बिहार में । इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की नींव १९२३ में रखी गई जबकि श्रमिकों की क्षतिपूर्ति का अधिनियम पास किया गया ।

द्वितीय महायुद्ध तक श्रमिकों की क्षतिपूर्ति, प्रसूति लाभ तथा कुछ मालिकों की खेन्ड्या पर आधारित बीमारी लाभ योजनाओं में अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा का और कोई स्वरूप भारत में नहीं था । पर वास्तव में इन दोनों में से एक ने भी सामाजिक बीमा के सिद्धान्त को चालू नहीं किया था । ये केवल सामाजिक सहायता के उपाय थे जिनके अन्दर इस प्रकार के भुगतानों का उत्तरदायित्व एकमात्र मालिकों पर ही था । परन्तु फिर भी भारतमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (I L O.) के आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेता रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की प्रथम सभा जो १९१९ में हुई थी, से लेकर १९४७ तक ८० सभाएँ हुईं और ८० प्रस्ताव भी पास हुए । इनमें से भारत ने १५ प्रस्तावों को मान लिया है ।

१९४४ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की २६वीं सभा फिल्लाडेलफिया में हुई, जिसमें श्रम सघ ने सामाजिक सुरक्षा का एक कार्यक्रम अनायास तथा सब देशों से उसे अपनाने के लिए सिफारिश की । इस योजना के अन्तर्गत निम्न जोड़ियों के विस्तृत प्राविधान (provision) किया गया था—

- (१) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)
- (२) प्रसूति लाभ (Maternity Benefit)
- (३) अयोग्यता लाभ (Invalidity Benefit)
- (४) बुढ़ावस्था लाभ (Old Age Benefit)
- (५) उपार्जक सदस्य की मृत्यु लाभ (Death of Bread-winner Benefit)
- (६) बेकारी लाभ (Unemployment Benefit)
- (७) आकस्मिक व्यय (Emergency Expenses)
- (८) रोजगार सम्बन्धी हानि (Employment Injuries)

भारतवर्ष में 'शाही श्रम आयोग' (Royal Commission on Labour)

१९३०-३१ तथा १९४०, १९४१ एवं १९४२ में श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में कुछ उद्योगों में अनिवार्य शीमारी योजना का आयोजन किया था।

मार्च सन् १९४३ में भारतीय श्रम विभाग ने श्रमिकों के हेतु एक अनिवार्य स्वास्थ्य शीमा योजना बनाने के लिए प्रोफेसर श्री० पी० अदरकर को नियुक्त किया। प्रो० अदरकर ने सरकार के आदेश पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शीमा की व्यापक योजना तैयार की और १५ अगस्त १९४४ का अपनी रिपोर्ट में कपड़ा, इजीनियरिंग, खनिज तथा धातुओं के स्थायी कारखानों में उसे अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की।

अदरकर योजना की जाँच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (I L O) के दो विशेषज्ञ—श्री मोरीस्टेन और खुनाथरान—ने १९४५ में की और उसे स्वीकार किया तथा सिफारिश की कि उसमें प्रवृत्तिका सुविधा तथा काम करने समय क्षतिपूर्ति को भी सम्मिलित कर सभी स्थायी कारखानों पर लागू कर दिया जाय।

भारत सरकार के श्रम विभाग की सामाजिक सुरक्षा शाखा ने १९४५ में तीन योजनाएँ बनाई—

- (१) प्रो० अदरकर की स्वास्थ्य शीमा योजना को स्थानापन्न करने के लिए पैकरी श्रमिकों के लिए शीमारी दुर्घटना योजना,
- (२) श्रमिकों की सम्मिलित योजना, तथा
- (३) भारतीय एवं विदेशी जहाजा पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीमारी इद्दारस्था के विरुद्ध न्याय योजना।

६ नवम्बर, १९४६ को इन सुझावों के आधार पर एन दिल् पेश किया गया। अक्टूबर १९४७ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 'एशियन रीजनल कांफ्रेंस' की अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसमें भी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिफारिश का गह। तत्कालीन भारत के उद्योग मन्त्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ३१ अक्टूबर १९४७ को कांफ्रेंस में भाषण देते हुए कहा था कि 'किलाबलपिया चार्टर' अमरम पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि "हम उस (चार्टर का) अमरम नहीं होने देंगे क्योंकि उसका अमरमलता से सामाजिक प्रगति के विकास सम्बन्धी सपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बालाजिक प्रयत्न समाप्त हो जायगा।" उन्होंने यह भी कहा था कि "निस्ती भी स्थान की निर्बनता कहीं पर भी समृद्धि नहीं होने देगी।"

फलस्वरूप विलूत स्वास्थ्य शीमा योजना को १९ अप्रैल १९४८ को कर्मचारी राज्य शीमा योजना अधिनियम के रूप में संसद् ने स्वीकृत किया तथा १९५१ में इसमें संशोधन किया गया। इस पश्चात् सन् १९४८ में 'कोल माइन्स प्राविडेंट फंड एक्ट' पास किया गया, जिसका संशोधन १९५१ में किया गया।

इस प्रकार सक्षेप में प्रारम्भ से अब तक इस दिशा में निम्न अधिनियम पास किये गये हैं—

- (१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३,
- (२) कोयला खान प्रावीण्डेंट फण्ड तथा बोनस स्कीम अधिनियम, १९४८,
- (३) प्रवृत्ति लाभ अधिनियम (राज्यों में),
- (४) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८,
- (५) बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१,
- (६) कर्मचारी प्रावीण्डेंट फण्ड एक्ट, १९५२, तथा
- (७) छुट्टी और निरासन क्षतिपूर्ति अधिनियम ।

इन अधिनियमों का विस्तार में अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है ।

श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम

‘श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३’ के अंतर्गत बड़ी बड़ी मिला में काम करने वाले श्रमिकों को काम के समय म लगने वाली चोट तथा बीमारी के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की अदायगी की व्यवस्था की गई है । इस अधिनियम के अन्तर्गत ४००) मासिक तक की आय वाले कर्मचारी आते हैं । यह अधिनियम आन जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सारे भारतवर्ष में लागू होता है । परन्तु जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारम्भ हो गई है, वहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता ।

इस प्रकार के अधिनियम की माँग सर्वप्रथम सन् १८४४ में बम्बई में हुई थी । फलतः कुछ प्रगतिशील मालिकों ने क्षतिपूर्ति की योजनाओं को चालू भी किया था । सन् १८८५ की घातक दुर्घटनाओं के अधिनियम के अनुसार ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाने पर मालिकों पर मुनदमा चलाया जा सकता था । परन्तु यह कमी लागू न हो सपा । मजदूरों की अज्ञानता तथा अनुभवहीनता पर इन दुर्घटनाओं के उत्तरदायित्व को मढ़ कर मालिक अपने दायित्व को ढालने का उपाय कर लेता था । इस दोष को दूर करने के लिए सरकार ने १९२३ में एक प्रशस्त क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया, जो १ जुलाई १९२४ से लागू हुआ । इस अधिनियम को और अधिक प्रशस्त बनाने के लिए सरकार ने इसमें १९५६ में पुन सशोधन किया है । सशोधित अधिनियम (१९५६) का विवेचन भी यहाँ पर किया गया है ।

श्रमिकों की क्षतिपूर्ति (सशोधन) अधिनियम, १९५६

केन्द्रीय सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार मजदूरों का सुआववा (सशोधन) अधिनियम, १९५६, १ जून से लागू कर दिया गया है ।

पहले मुआमला देने के लिए वयस्कों और नाराजियों में भी भेद किया जाता था, वह इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। आजकल अस्थायी रूप से अशक्त मजदूरों को ७ दिन के प्रतीक्षा समय में मुआमला नहीं दिया जाता। अब वह समय घटा कर ३ दिन कर दिया गया है।

अगर मुआमला देने में एक महीने से ज्यादा की देर हो तो मजदूरों के मुआमला कमिश्नर यह निर्देश दे सकते हैं कि नाराजा मुआमले पर ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित रकम चुकारा जाय। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि मजदूर चाहें तो वे पैकिटिया अथवा काएनाना के इसपेक्टर को अपनी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए कह सकते हैं। अगर मुआमला देने के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है, और इस बीच या मुआमला देने से पहले कोई मानिक अपनी पूँजी किसी और को दे देता है तो मुआमला की राशि उस पूँजी में से ही काट ली जायेगी।

मुआमला देने के लिए खोटों और बीमारियों की जो सूची बनाई हुई है, उसे भी इस अधिनियम में और बढ़ा दिया गया है।

वामागी एवं स्वास्थ्य बीमा

(Sickness & Health Insurance)

बीमारी एवं स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने विशेष रूप से दो कन्वन्शन और एक डिक्लारेटिव स्वीकार की है। इनमें से भारत में किसी भी कन्वन्शन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। वामान में 'वर्गचारी राज्य बीमा अधिनियम १९८८' ही इस दिशा में यहाँ पहला प्रयत्न है।

१९२७ के प्रथम कन्वन्शन ने बीमारी की समस्या को पहली बार उच्च रूप में हमारे सम्मुख पेश किया था। तब से लेकर अभी तक इस सम्बन्ध में हमारे देश में निरन्तर चर्चा होती रही है, परन्तु दुर्भाग्यवश इस ओर हमारी कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। मम्बई, पूना, मद्रास इत्यादि में राज्य सरकारों ने इस ओर कुछ प्रयास किये हैं, परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल सकी। सन् १९३१ में शाही श्रम आयोग ने जोरदार शर्तों में डिक्लारेटिव की थी कि देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में बीमारी बीमा के अभाव में श्रमिकों की कठिनाइयों की शीघ्रविशोध जाँच होनी चाहिए तथा उसके लिए एक योजना बनानी चाहिये, परन्तु प्रान्तीय (राज्याय) सरकारों की उदासीनता के कारण भारत सरकार इस ओर कुछ भी नहीं कर सकी।

जैसा कि अन्वय कहा जा चुका है सन् १९४३ में भारत सरकार ने बी० पी० अद्वारका को भारत के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करने का काम सौंपा। १९४४ में उन्होंने 'औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा पर एक रिपोर्ट' प्रस्तुत की। १९४४ में विदेशीय श्रम-सम्मेलन और १९४५ में स्थायी श्रम समिति द्वारा इस पर विचार हुआ।

अन्त में १९४८ में 'वर्गचारी राज्य बीमा योजना' में स्वीकृत योजना को अपनाया गया। इस 'योजना' में, वाल्व में देखा जाय तो, सम्पूर्ण सरक्षित जोखिमों में से बीमारी ही प्रमुख है।

↑

मातृत्व-लाभ-अधिनियम

हमारे देश में मातृत्व लाभ की अदायगी के विषय में १९२४ तक कोई व्यवस्था न थी। यद्यपि देश में बच्चों तथा माताओं की मृत्यु दर काफी ऊँची थी। १९१९ में अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम संगठन के ड्राफ्ट कन्वेंशन के अपनाये जाने पर इसकी महत्ता समझी गई। सन् १९२४ में श्री एन० एम० जोशी ने विधान सभा में शिशु जन्म के कुछ समय पूर्व तथा बाद कारखानों व पानों में स्त्रियों के रोजगार को रोकने के लिए, मातृत्व लाभ की अदायगी की व्यवस्था के लिए तथा शिशु जन्म से छ सप्ताह पूर्व व बाद में उन्हें अरकाश देने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। इस बिल में यह मुझाव रखा गया था कि प्रान्तीय (राज्य) सरकारों को चाहिए कि मालिका में चन्दा द्वारा मातृत्व लाभ देने के लिए एक मातृत्व लाभ कोष (fund) का निर्माण करें। परन्तु अभाग्यवश उक्त बिल विधान सभा ने रद्द कर दिया।

बहुत काल तक इस ओर कोई ध्यान न दिया गया। अन्त में व्यक्तिगत राज्य सरकारों ने ही इस दिशा में कुछ कदम उठाये। सर्वप्रथम १९२९ में बम्बई में मातृत्व लाभ अधिनियम पास हुआ तथा १९३४ में इसमें संशोधन हुआ। बम्बई का अनुकरण करके मध्य प्रदेश ने १९३० में, मद्रास ने १९३४ में, उत्तर प्रदेश ने १९३८ में, व बंगाल ने १९३८ में, पंजाब ने १९४३ में, आसाम ने १९४४ में और बिहार ने १९४५ में उक्त अधिनियम को अपनाया तथा पास किया।

↑ इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना में काम करने वाली स्त्रियों को उनके शिशु-जनन के कुछ सप्ताह पूर्व तथा कुछ सप्ताह पश्चात् तक अरकाश मिल जाता है और इस अरकाश के समय उनको लगभग आधा वेतन भी मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है। सन् १९४१ में केन्द्रीय सरकार ने पाना में काम करने वाली स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार का नियम बना दिया है। मातृत्व लाभ के अदायगी का नियमन ३ केन्द्रीय अधिनियमों के अनुसार होता है।

↑ यू० पी० मातृत्व-लाभ अधिनियम १९३८—इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(१) अधिनियम का क्षेत्र—यह अधिनियम उन सब कारखानों में, जिनमें कि १० या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, लागू होता है।

(२) योग्यता काल—मातृत्व छुट्टी से छ महीने पहले इसका योग्यता काल है।

(३) काम से अनिवार्य मुक्ति—प्रसव के चार सप्ताह पहले और चार सप्ताह बाद छुट्टी लेना अनिवार्य है।

(४) गर्भवती स्त्री को प्राप्त नकद लाभ की दर—ग्राठ आने प्रतिदिन अथवा औसत दैनिक आय से जो भी राशि अधिक हो, वह गर्भवती स्त्री को अवकाश काल में प्राप्त होती है।

(५) अतिरिक्त लाभ

(अ) प्रसव काल में यदि माता डाक्टर की सहायता वा उपभोग करे तो ५ रुपये के बीमा देने की व्यवस्था,

(ब) शिशुग्रह चालू करने पर वहाँ स्त्री परिचारिका की नियुक्ति, बच्चे वाली के लिए अतिरिक्त आराम के लिए लघु अन्नराश और स्वास्थ्य निरीक्षणों की

(स) गर्भपात की दशा में गर्भपात के दिन से सवेतन तीन सप्ताह की छुट्टी, और

(द) मालिक द्वारा मातृत्व लाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर को निवाले जाने की दशा में १०० रुपये अथवा उसकी औसत आय से १८० गुना रकम में से, जो भी अधिक हो, देने की भी अतिरिक्त व्यवस्था है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(Employees State Insurance Scheme)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् की दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सामाजिक सुरक्षा की समस्या को उभराने में विशेष योग दिया। प्रथम घटना १९४७ के अन्त में होने वाली प्रारम्भिक 'एशियन प्रादेशिक श्रम सम्मेलन' द्वारा सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में एक विलुप्त प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तथा द्वितीय भारतीय संसद द्वारा 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' को अधिनियम के रूप में १९४८ अगस्त १९४८ को पास किया जाना। यह योजना सम्पूर्ण एशिया में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके अनुसार भारतीय श्रम कानून के क्षेत्र में एक नये अध्याय का प्रारम्भ होता है। ६ अक्टूबर १९४८ को 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (E. S. I. Corporation) का उद्घाटन आदरणीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कर कमला द्वारा सम्पन्न हुआ।

प्रारम्भ में इस योजना को कुछ स्थायी पेंटरियों में लागू करने का विचार किया गया जिसके अन्तर्गत २५ लाख श्रमिक आते थे। परन्तु दुर्भाग्यवश मालिकों तथा

श्रमिकों के विरोध के कारण यह योजना अगले तीन वर्ष तक चुने हुए औद्योगिक केन्द्रों में भी लागू न की जा सकेगी। इतनी बड़ी योजना को सारे देश में एकदम चालू करना उचित न था, अतः इसको केवल औद्योगिक केन्द्र कानपुर तथा दिल्ली में ही प्रारम्भ किया गया और २४ फरवरी १९५२ को कानपुर में इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू के वर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

यह विधान सत्र स्थायी सरकारी तथा गैर सरकारी फैक्टरियों पर लागू होता है जिसमें मिजली द्वारा उत्पादन कार्य होता है, तथा जिनमें २० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जो ४०० प्रति मास या इससे कम वेतन पाने वाले हैं चाहे वे क्लर्क हों या श्रमिक। ठेके पर काम करने वाले श्रमिक भी यदि वे ठेकेदार की दुकान पर या उसके निरीक्षण में कार्य करते हों, इसमें शामिल निये जा सकते हैं तथा सरकार इसे सामयिक उद्योगों और अन्य वर्ग के श्रमिकों पर लागू कर सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रबन्ध

Y कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शासन प्रबन्ध करने के लिए तीन संस्थाओं की स्थापना की गई है—

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E. S. I. Corporation)

(२) निगम की स्थायी समिति (Standing Committee of the Corporation)

(३) चिकित्सा लाभ परिषद (Medical Benefit Council)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

इसके अन्तर्गत ३१ सदस्य होते हैं जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, मालिकों, कर्मचारियों, डाक्टरों तथा संसद (Parliament) के सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन इस प्रकार होता है—

(१) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (इसमें चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन क्रमशः भ्रम मन्त्री तथा स्वास्थ्य मंत्री होने हैं)

७

(२) 'अ' राज्यों के प्रतिनिधि

६

(३) 'स' राज्यों के प्रतिनिधि

१

(४) कर्मचारियों के प्रतिनिधि

५

(५) मालिकों के प्रतिनिधि

५

(६) डाक्टरों के प्रतिनिधि

२

(७) केन्द्रीय विधानसभा के प्रतिनिधि

२

कार्पोरेशन की स्थायी समिति

यह कार्पोरेशन के साधारण प्रशासन तथा निर्देशन का कार्यभार संभालती है। इसके अन्तर्गत १३ सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन कार्पोरेशन के सदस्यों में से होता है। प्रशासन सम्बन्धी दायित्व वास्तव में कार्पोरेशन के प्रमुख सचालक (Director General) पर होता है। प्रमुख सचालक की सहायता के लिए मुख्य अधिकारी (Principal officer) होते हैं।

चिकित्सा लाभ परिपद

इसमें २६ सदस्य होते हैं जो चिकित्सा सम्बन्धी नियमों पर कार्पोरेशन को सलाह देते हैं।

योजना को समुचित ढंग से चलाने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Offices) कानपुर, दिल्ली, मम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता—स्थापित किये गए हैं। इन कार्यालयों का दायित्व है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में योजना को सफलपूर्वक चलायें। प्रत्येक स्थान पर सहायक प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बोर्ड (Regional Board) तथा स्थानीय समितियाँ (Local Committees) भी स्थापित की गई हैं जिनमें श्रमिकों, मालिकों, राज्य सरकारों तथा कार्पोरेशन के प्रतिनिधि होते हैं।

श्रमिकों व भगइयों का पैसला करने के लिए अधिनियम (Act) में राज्य सरकारों को अपने राज्यों में कर्मचारी बीमा न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार दिया है।

वित्तीय साधन (Financial Resources)

योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन का प्रमुख मालिकों तथा कर्मचारियों द्वारा अशदानों, सरकार द्वारा अनुदानों तथा स्थानीय सरकारों, व्यक्तियों व संस्थानों से प्राप्त दानों, चन्दा या अन्य आर्थिक सहायताओं से प्राप्त किया जाता है। केवल उन्हीं क्षेत्रों के कर्मचारी जहाँ योजना चालू की गई है और जिन्होंने बीमा करा लिया है, योजना के लिए कोष में अशदान देते हैं। कार्पोरेशन के शासकीय व्यय के ३ भाग के बराबर धनराशि केन्द्रीय सरकार प्रथम ५ वर्षों तक वार्षिक अनुदान के रूप में देगी। राज्य सरकारें भी श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए दवाइयों व उपचारात्मक तथा बीमारी की देखभाल की व्यवस्था के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देगी जो लागत का ३ भाग होगा।

मालिकों तथा कर्मचारियों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका के अनुसार, साप्ताहिक अशदान देना होता है। मालिक कर्मचारियों का अशदान उनके वेतन से काट लेते हैं।

क्रम संख्या	कर्मचारियों का वर्ग	कर्मचारियों का अशदान	मालिकों का अशदान	कुल अशदान
(१)	१) से कम औसत दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	६०.०० पै०	६०.०० पै०	६०.०० पै०
(२)	१) से १।।) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी		०.४४	०.४४
(३)	१।।) से २) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.१२	०.४४	०.५६
(४)	२) से ३) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.२५	०.५०	०.७५
(५)	३) तथा ४) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.३७	०.७६	१.१३
(६)	४) तथा ६) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.५०	१.००	१.५०
(७)	६) तथा ८) के बीच दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.६६	१.३७	२.०६
(८)	८) तथा अधिक दैनिक वेतन वाले कर्मचारी	०.६४	१.८७	२.५१
		१.२५	२.५०	३.७५

सर्वप्रथम यह योजना प्रयोगात्मक रूप (experimental basis) में दिल्ली और कानपुर में चालू होने वाली थी। पर मालिकों (employers) ने विरोध किया कि केवल उन्हीं को अशदान देना होगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के नियोजकगण उससे मुक्त रहेंगे। इससे उनको हानि होगी। अतः १९५१ में इस विधान में संशोधन हुआ और देश भर के सत्र मालिकों से अशदान लेना तय पाया। यह निश्चय हुआ कि कानपुर और दिल्ली के मालिकगण (employers) अपनी कुल मजदूरी बिल का १३% तथा अन्य स्थानों के मालिकगण ३% देगे।

योजना के अन्तर्गत लाभ

इस योजना के अन्तर्गत जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है, श्रमिकों को पाँच प्रकार के लाभ प्राप्त हैं, और ये लाभ हैं—

- (१) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit)
- (२) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)
- (३) प्रसूति लाभ (Maternity Benefit)
- (४) अयोग्यता लाभ (Disablement Benefit)
- (५) आश्रितों का लाभ (Dependents Benefit)

(१) चिकित्सा लाभ—बीमा कराए हुए कर्मचारी को ही चिकित्सा लाभ प्राप्त है, पर ऐसे व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए भी, जिन कारणोंसे तथा राज्य सरकार इस योग्य हो इस लाभ की व्यवस्था की जा सकती है। इस चिकित्सा लाभ में औषधियाँ, अस्पताल में भरती, देखभाल तथा घर पर डाक्टर की सेवाओं की सहायता दीम्बर कर्मचारी या जच्चा को मुफ्त दी जाती है।

दिल्ली तथा वानपुर में पूरे समय के लिए डाक्टरों की सेवायें अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर घर भी वे जाते हैं। औषधियाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। दूर स्थित स्थानों के लिए गतिशील चिकित्सालयों का भी प्रयत्न है। इस लाभ को पाने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम ६ मास तक अग्रदान देना होता है। वही अगले ६ मासों में उसे लाभ मिलता है। कर्मचारी के अग्रदान की न्यूनतम संख्या १२ होनी चाहिये।

(२) बीमारी लाभ—बीमा कराए हुए कर्मचारी को बीमारी में लगातार १६५ ों की अवधि में अधिकतम ८ सप्ताह तक नगद बीमारी लाभ मिल सकता है। लाभ दर उसकी औसत मजदूरी के $\frac{1}{2}$ भाग के लगभग होता है। ६ मास तक इसके लिए भी न्यूनतम अग्रदान आवश्यक है। दशा मुफ्त पर कारणोंसे को लाभ की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

(३) प्रसूति लाभ—स्त्री कर्मचारियों को १२ सप्ताह के लिए नगद प्रसूति लाभ १२ अने प्रतिदिन की दर से या बीमारी लाभ की दर से, दोनों में जो भी अधिक हो, दिया जाता है। जच्चा होने के ६ सप्ताह से अधिक पहले यह चालू नहीं किया जा सकता है। इस लिए भी न्यूनतम अग्रदान की संख्या १२ निश्चित की गई है।

(४) अयोग्यता लाभ—वाम करने के समय में चोट लग जाने के कारण अयोग्यता के लिए बीमा कराए हुए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलती है। अस्थायी अयोग्यता के लिए अयोग्यता की अवधि तक एक वर्ष पूर्व की औसत मजदूरी के लगभग प्राये तन नगद सहायता मिलती है।

इसे पूर्ण दर करते हैं। स्थायी अयोग्यता के लिए, 'कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Workers Compensation Act) में दी जाने वाली एक मुश्त (Lump sum) रकम के बजाय, कर्मचारी को जीवन भर पेंशन मिलती है। जो उनके उन्मार्जन शक्ति में हानि के अनुपात के अनुसार होती है।*

(५) आश्रिता का लाभ—बीमा कराये हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में निम्न प्रकार के लाभ की राशि का वितरण किया जाता है—

(अ) कर्मचारी की विधवा को उसके जीवन भर, या दूसरी शादी के समय तक

*साप्ताहिक मजदूरी के $\frac{1}{2}$ की दर से।

पूर्ण दर के ३ भाग के बराबर रकम दी जाती है। और यदि दो या उससे अधिक विधवाएँ हों तो इस रकम को उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है।

(ब) प्रत्येक असल (real) या दत्तक (adopted) पुत्र की पूर्ण दर के ३ भाग के बराबर की रकम उसकी १५ वर्ष की आयु तक या उसकी शिक्षा जारी रहने पर १८ वर्ष की आयु तक दी जाती है।

(स) प्रत्येक असल अनिवाहित पुत्री को पूर्ण दर के ३ भाग के बराबर रकम उसकी १५ वर्ष की आयु तक या उसकी शादी तक (दोनों में से जो पहले हो) या यदि उसकी शिक्षा जारी हो तो १८ वर्ष की आयु तक दी जाती है।

यदि किसी समय यह लाभ पूर्ण दर से अधिक होगा तो आश्रितों में से प्रत्येक का भाग अनुपातिक अंश में बदल दिया जायगा, जिससे देय उनकी पूरी रकम दर पर अयोग्यता लाभ की रकम से अधिक न होगी। यदि इन आश्रितों में से किसी का पता न चले तो आश्रितों का लाभ माता पिता या पितामह पितामही को उनके जीवन मर, तथा अन्य आश्रितों को सीमित काल तक दिया जा सकता है। पर मुगलान की दर कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालयों द्वारा निर्धारित होगी। उत्तराधी भन्नों के निम्नकार के लिए 'कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालयों' तथा विशिष्ट ट्रिब्यूनलों (Special Tribunals) की स्थापना का भी विधान में आयोजन है। दिल्ली तथा कानपुर में ऐसे न्यायालयों की स्थापना हो चुकी है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की क्रियाओं का विवरण

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सर्वप्रथम कानपुर व दिल्ली में लागू किया गया था। इसका उद्घाटन समारोह देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पर कमला द्वारा २४ फरवरी १९५२ को कानपुर में सम्पन्न हुआ। उस समय इस योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कानपुर और दिल्ली में क्रमशः ८०,००० और ४०,००० थी। शनैः शनैः यह योजना देश के अनेक क्षेत्रों में लागू कर दी गई है और ऐसा अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह योजना देश के उन सव क्षेत्रों में लागू हो जायगी जहाँ पर औद्योगिक श्रमिकों की संख्या १५.० से अधिक है। डाक्टरों को प्रति व्यक्ति के अनुसार फीस देने का सम्झौता हो जाने के कारण अहमदाबाद में भी योजना शुरू कर दी गई है। यहाँ योजना शुरू करने से षेढ़ लाख कर्मचारियों तथा लगभग ४३ लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।

आरम्भ से लेकर अब तक इस योजना की प्रगति इस प्रकार है—

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति

राज्य	क्षेत्र	चालू होने की तिथि
दिल्ली पञ्जाब	दिल्ली राज्य पञ्जाब क्षेत्र—अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, जालन्धर, अन्दुल्लापुर, बगाधरी तथा बटाला	२४ २ ५२
उत्तर प्रदेश	थानपुर	१७ ५ ५३
मध्य प्रदेश	आगम, लखनऊ तथा लखनपुर	२४ २ ५२
१५	ग्यालियर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम तथा वरहनपुर	१५ १ ५६
बम्बई	जयपुर, जोधपुर, श्रीगानेर, लखेरी पाली (मारवाड़) तथा मलिवारा	२३ १ ५५
	विशाल बम्बई (Greater Bombay)	२६ ५ ६
	नागपुर	२ १२ ५६
पश्चिमी बङ्गाल	अकोला तथा हिंमनघाट	३ १० ५४
आन्ध्र	कलकत्ता शहर तथा हावड़ा जिला	१६ ७ ५४
	हैदराबाद, सिकन्दराबाद	२७ ५ ५६
मद्रास	विजयवाड़ा, निशापट्टनम, निन्तीवल्सा, गुन्तर नैलीपली, महलगिरी, तथा श्लैरू	१४ ८ ५६
	कोयम्बटूर	६ १० ५५
	मद्रास शहर	२३ १ ५५
केरल	मदुराई, अम्बासामुद्रम तथा तूताकोरीन	२० ११-५५
मैसूर	एलीपी, मिलयन, निचूर, इनीकुलम अलवायी बगलौर	२७ १० ५६
		१६ ६ ५६
		२६ ७ ५८

कर्मचारी बीमा योजना की १६५८ ५६ की रिपोर्ट

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की १६५८ ५६ की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएँ इस वर्ष से उनके परिवारों को भी मिलनी शुरू हो गयीं। सन्ते पहले ये निर्णय मैसूर राज्य में किये। उसका बाद अन्य राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया और इस तरह इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, पञ्जाब और राजस्थान, इन सात राज्यों में २ लाख २६ हजार परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ दी जाने लगीं। इस निर्णय से कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन लोगों को लाभ पहुँचा, उनकी संख्या ६ लाख ३३ हजार है।

१६५८ ५६ में ७८,००० अतिरिक्त कर्मचारियों को योजना में शामिल

किया गया और इस तरह वर्ष के अंत तक योजना से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग १४ लाख १४ हजार तक पहुँच गई। इस वर्ष १२ राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली के ७६ केन्द्रों में योजना चल रही थी, जब कि पिछले वर्ष के अंत तक दिल्ली तथा १० राज्यों में योजना के कुल ६० केन्द्र थे। डॉक्टरों को प्रति व्यक्ति के अनुसार फीस देने का समझौता हो जाने के कारण ग्रहमदावाद में भी योजना शुरू कर दी गई। यहाँ योजना शुरू करने से डेढ़ लाख कर्मचारियों तथा लगभग चार लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।

१९५८-५९ में मालिकों से अशदान के रूप में २ करोड़ ६० लाख २४ हजार ८१ रुपये और कर्मचारियों से ३ करोड़ ८१ लाख ११ हजार ६५० रुपये प्राप्त हुए। पिछले वर्ष मालिकों से २ करोड़ ८३ लाख ४१ हजार ३२८ रुपये और कर्मचारियों से ३ करोड़ ५२ लाख ३५ हजार ६५४ रुपये प्राप्त हुए थे।

मार्च सन् १९५९ के अंत तक इस योजना के अन्तर्गत १२ राज्यों के ७६ केन्द्रों में १४.१४ लाख मजदूर आ चुके थे।

भविष्य के लिए प्रावधान कोष

(Provident Fund Scheme)

कर्मचारियों की वृद्धावस्था में जब वे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं मुल सविधा पहुँचाने के लिए सरकार का ध्यान इस दिशा में कुछ प्रावधान करने के लिए आकर्षित किया गया। सरकार ने इस चीज की आवश्यकता को अनुभव किया और सर्वप्रथम सन् १९४८ में 'कोल माइन्स प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट' पास किया। इस एक्ट के अनुसार उगल और बिहार के श्रमिकों को मई १९४७ से तथा उड़ीसा और मध्यप्रदेश के श्रमिकों को अक्टूबर १९४७ से लाभ प्राप्त होने लगा। यही योजना बाद में असम, विप्य प्रदेश, हैदराबाद तथा राजस्थान में लागू कर दी गई।

'कोल माइन्स प्राविडेन्ट फण्ड' योजना की सफलता को देखकर अन्य उद्योगों में श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मार्च १९५२ में 'एम्प्लॉईज प्राविडेन्ट फंड एक्ट' पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार यह योजना १ नवम्बर १९५२ से छ. उद्योगों—सीमेंट, सिगरेट, इञ्जीनियरिंग, लौह एवं स्पात, कागज तथा वस्त्र—में लागू की गई है। यह योजना उन कारखानों में लागू होगी, जहाँ ५० या ५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हों तथा इन कारखानों का निर्माण हुए ३ वर्ष से अधिक हो गये हों। मई १९५८ तक इस एक्ट के अन्तर्गत केवल निजी उद्योग ही आते थे।

श्रमिकों को प्राविडेन्ट फंड उनकी १ वर्ष की नौकरी पूरी होते ही बनने लगता है। इस योजना से लाभ केवल वे ही श्रमिक उठा सकते हैं, जिनकी आधारभूत (basic) आय ३००) माह से अधिक न हो। नियोजित अपना व श्रमिकों का चन्दा

जमा करते हैं। श्रमिक तथा नियोजित श्रमिकों के वेतन का पृथक् पृथक् ६३% देते हैं। यदि श्रमिक चाहें तो अपने वेतन का ८३% भी जमा कर सकते हैं। श्रमिक को मालिक द्वारा जमा किये गये भाग का आधा तथा २० वर्ष बाद पूरा भाग लेने का अधिकार है।

योजना का प्रारम्भ

इस योजना का प्रारम्भ केंद्रीय प्रशासकीय मण्डल द्वारा होता है। इस मण्डल में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। योजना को कार्यान्वित करने के लिए २० क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं। प्रत्येक क्षेत्र का एक क्षेत्रीय कमिश्नर होता है। यह कमिश्नर केंद्रीय प्रशासकीय कमिश्नर के अधीन होता है। क्षेत्रीय कमिश्नर की सहायता के लिए निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं।

प्रॉवीडेंट फंड्स (एमेडमेंट) एक्ट १९५८

प्रॉवीडेंट फंड्स एक्ट १९५२ प्रारम्भ में केवल ६ अनुसूचित उद्योगों में ही होता था। मई १९५८ में इस एक्ट में संशोधन हो जाने के कारण यह एक्ट १८ मई १९५८ से सरकार के स्वामित्व वाले अथवा किसी स्थानीय सरकार (local authority) के स्वामित्व वाले अनुसूचित उद्योगों पर भी लागू हो गया है, यदि इन उद्योगों में ५० या ५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हों तथा इन उद्योगों की स्थापना हुए ३ वर्ष से अधिक हो गये हों। इसमें अतिरिक्त यह एक्ट समाचार-पत्रों के संस्थानों (News Paper Establishment) में भी, जहाँ कि २० या २० से अधिक लोग काम करते हों पर भी लागू कर दिया गया है।

यह एक्ट १९५२ के प्रारम्भ में केवल छ. अनुसूचित उद्योगों पर ही लागू होता था परन्तु उपरोक्त संशोधन के अनुसार यह ३० जून १९५६ को ३८ नये उद्योगों में लागू था, जिसके अन्तर्गत ६८१५ कारखानों के २४६ लाख श्रमिक लाभान्वित हो रहे थे।

संशोधित योजना के अनुसार श्रमिक अपने वेतन का ८३% तक जमा कर सकते हैं, यद्यपि मालिकों का चन्दा ६३% ही रहेगा। विस्तार का क्रम प्रारम्भ जाय है। कालान्तर में बड़े प्रतिष्ठानों में भी शुरुवात लागू किया जायगा। शीघ्र ही इसके अन्तर्गत व्यावसायिक रुग्ण जैसे कार्यालय, बैंक, बीमा कम्पनी, सिनेमा, होटल तथा बड़ी-बड़ी दुकानें सभी आ जायेंगे।

कोयला खान मजदूरों को प्रॉवीडेंट फंड लाभ

कोयला खान मजदूरों की प्रॉवीडेंट फंड योजना की रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५७-५८ में असम, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान के ३ लाख ४२ हजार कोयला खान मजदूरों को इस योजना से लाभ पहुँचा है।

१९५७-५८ में कोयला खान प्रावीडेन्ट फण्ड में ३ करोड़ ४० लाख रुपये से भी अधिक धन जमा हुआ।

१९५७-५८ में अपवाश प्राप्त करने वाले मजदूरों को तथा मजदूरों के नामजदों को फण्ड में से २० लाख ४० हजार रुपये दिया गया।

उत्तर-प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन

दिसम्बर, १९५७ से उत्तर प्रदेश सरकार एक वृद्धावस्था पेन्शन योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत उन ७० वर्ष से ऊपर के वृद्धों को मासिक पेन्शन दी जाती है जिनकी आय का न तो कोई जरिया हो और न उनकी देख-भाल करने वाले रिश्तेदार ही हों।

अध्ययन मण्डल—वी० डे० मेनन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध अध्ययन मण्डल ने निम्न सिफारिशें की हैं।—

(i) वर्तमान अमिक प्रावीडेन्ट फण्ड योजनाओं को एक दैधनिक पेन्शन योजना में परिवर्तित किया जाय।

(ii) अमिक राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले नवद लाभों में वृद्धि की जाय।

(iii) अमिक राज्य बीमा योजना तथा अमिक प्रावीडेन्ट फण्ड योजना को मिला कर दोनों का प्रशासनिक उत्तरदायित्व सहायक के लिए केवल एक केन्द्रीय सस्था की स्थापना की जाय।

(iv) बेरोजगारी लाभ चालू किये जायें।

आलोचनात्मक अध्ययन—उपरोक्त सुविधाओं में निम्नलिखित दोष हैं।—

(i) चित्तिला का बहुत ही अपर्याप्त प्रबन्ध है।

(ii) ये लाभ केवल कुछ स्थानों के विशेष प्रकार के अमिकों को ही मिलते हैं।

(iii) वृद्धावस्था पेन्शन तथा बेरोजगारी लाभ की कोई व्यवस्था नहीं है। १५ करोड़ मजदूरों में से केवल १५ लाख ही अभी तक अमिक राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आ पाये हैं।

(iv) सभी योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धि मजदूरों को बाहर रखा गया है। उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया है?

उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा को देश में शीघ्रानिशीघ्र लाने का प्रयत्न कर रही है। सरकार का यह भगीरथ प्रयत्न वास्तव में सराहनीय है क्योंकि एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कि सर्वप्रथम इतने

सूक्ष्म स्तर पर १६ और कार्य विद्या गया है। अनुभवहीनता तथा असहकारिता के कारण इस योजना को पूर्ण सफलता से कार्यान्वित करने में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा है और योजना में वास्तव में कुछ दोष भी आ गये हैं। जितने लाभ प्रदान किये जाते हैं वे देश की आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत कम हैं। परन्तु इन्होंने इन लोगों को अधीर एवं असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि योजना को सफल बनाने के लिए यथासम्भव योग-दान देना चाहिए। भूतपूर्व भ्रम मंत्री श्री एन. डी. देसाई (१९५४) ने एक बार ७ अक्टूबर १९५४ को अपने भाषण में कहा था कि, "सामाजिक सुरक्षा का पथ लम्बा और दुर्लभ हो सकता है कि तु आर्थिक एवं सामाजिक संघर्षों को रोकने और एक सतुष्ट एवं सम्पन्न राज्य की स्थापना के लिए यही एक पथ है।" वास्तव में यह कथन किन्हीं अर्थों में सत्य प्रतीत होता है।

प्रश्न

1 To what extent is 'social security guaranteed to industrial and agricultural workers in India? How would you proceed to extend its scope. (Agro, 1954)

2 Write short notes on

- 1 Maternity Benefits
- 2 Health Insurance in India
- 3 Workmen's Compensation Act
- 4 Provident Fund Act



अध्याय २२

श्रमिक-संघ आन्दोलन

(Trade Union Movement)

आर्थिक उन्नति और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए विश्व का विशाल जन समुदाय जो संघर्ष कर रहा है वह मानव इतिहास में सम्भवतः सबसे अधिक फलदायक प्रयत्न सिद्ध होगा। इस संघर्ष का एक पहलू ऐसा भी है, जिसे अभी व्यापक रूप से मायता नहीं दी गई है, और वह है—इसमें श्रमिक संघों का महत्वपूर्ण योग। समस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्यायों सुधारने के लिए श्रमिक संघों का अधिकाधिक मुँह ताक रहे हैं।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिक संघों का है। उदाहरणार्थ प्रेसीडेंट एनक्रूमा और उनकी 'कॉन्वेंशन पीपुल्स पार्टी' ने सन् १९५४ में घाना में घरेलू राजनैतिक कारण तथा कम्युनिज्म के प्रभाव से उसकी रक्षा करने के लिए मजदूर आन्दोलन का सफलतापूर्वक सहयोग प्राप्त किया। जॉन टेटेगा का जीवन इस बात का साक्ष्य है कि विश्व के अनेक उदीयमान राष्ट्रों के मामलों में श्रमिक संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनेक राज्यों में तो श्रमिक संघ राजनैतिक सत्ता को संभाले हुए हैं।

• वर्तमान युग में सर्व साधारण 'मजदूर संघ' अथवा 'श्रमिक संघ' से भली भाँति परिचित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यद्यपि ये संस्थाएँ बहुत प्राचीन नहीं हैं परन्तु फिर भी इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ गया है।

श्रम संगठन आन्दोलन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनका विकास मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में जटिलता (complexity) आ जाने के कारण हुआ है। श्रम संगठनों का निर्माण समाज के व्यक्तियों के समूहों द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक जीवन को विपरीत समूहों के विभिन्न हितों (opposing groups with diverse interest) के विह्वल, सुप्रसन्न बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। मशीन युग का मादुर्याव, बड़े-बड़े कारखानों, शीघ्र तथा उन्नत यातायात तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तृत हो जाने के कारण, कर्मचारी, नियोक्ता (employer) तथा व्यापारी के लिए व्यक्तिगत रूप में आर्थिक जीवन की समस्याओं का सामना करना बहुत कठिन हो

गया। इन समस्याओं का उचित रूप से मुकाबला करने तथा उन्हें सुलभाने के उद्देश से उसे ऐसे व्यक्तियों का संयोजन करना पड़ा जिनके सम्मुख इसी प्रकार की समस्याएँ होती थीं। इस उद्देश्य से निर्मित 'संयोजन' को "श्रम संगठन" (trade unions) कहते हैं।

श्रम संगठन का अर्थ साधारण रूप से श्रमिकों या कर्मचारियों के परिपदों (associations) से लगाया जाता है परन्तु वास्तव में इस (trade union) के अन्तर्गत अन्य सभी वर्ग (classes) के कर्मचारी, मालिकगण (employer) स्वतन्त्र कर्मचारी तथा व्यापारी गण भी आते हैं।

श्रम संगठन की परिभाषा

सिडनी तथा वेब्ले महोदय के अनुसार श्रम संगठन "एक श्रमजीवियों की स्थायी परिपद (association) है जो उनका श्रमिक जीवन की क्रियाओं को बनाये रखने तथा सुधारने का उद्देश्य रखता है।" * यह परिभाषा अपूर्ण एवं बहुत पुरानी है क्योंकि श्रम संगठन के अन्तर्गत केवल 'मजदूर' (wage earners) 'बतल पाने वाले' (salary earners) तथा 'शुल्क पाने वाले' (fee earners) ही नहीं आते बल्कि समाज के कर्मचारिगण आते हैं। इससे अतिरिक्त इन संगठनों (Unions) का ध्येय केवल कार्य करने की दशाओं को बनाये रखना या सुधारना ही नहीं बल्कि जीवन को सुलभ बनाने की अन्य क्रियाओं की ओर ध्यान देना भी है।

श्री 'शिवरनिक' (Shivernik) के शब्दा में "श्रम संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य ध्येय कर्मचारियों तथा मालिकों के आपसी सम्बन्धों का नियमन करना है।" † यह परिभाषा यद्यपि पहली परिभाषा से उत्तम है परन्तु फिर भी पूर्ण रूप से श्रम संगठन के कार्यों का समावेश नहीं करती है। राज्य (states) तथा श्रम संगठनों के सम्बन्ध भी आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण हाते जा रहे हैं।

तीसरी परिभाषा 'ब्रिटिश ट्रेड यूनियन्स एक्ट १९१३' में दी है। इसके अनुसार श्रम संगठन 'के संयोजन हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा मालिकों, या कर्मचारियों और कर्मचारियों या मालिकों तथा मालिकों के मध्य सम्बन्धों का नियमन (regulation) करना, किसी व्यापार या व्यवसाय पर नियंत्रण सम्बन्धी शक्तें लागाना,

* 'A continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives' — Sidney and Webb, History of Trade Unionism

† 'An organisation the chief aim of which is the regulation of mutual relations between the workers and the employers' — Shivernik

तथा सदस्यों के लाभों की व्यवस्था करना है।^१ यह परिभाषा उल्लेख दोनों परिभाषाओं से उन्नत होते हुए भी आधुनिक श्रम सगठनों के सम्पूर्ण कार्यों को दर्शाने में असफल है। अतः श्रम सगठन की आधुनिक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है।

“एक श्रम सगठन मजदूरों, वैतन तथा शुल्क प्रातकर्ताओं का एक स्थायी स्वतः (voluntary) परिषद (association) है जिसने उद्देश्य (अ) श्रमिकों तथा मालिकों के सम्बन्ध को सुदृढ़ रखना, उनको (आमकों) नौकरी तथा अन्य लाभों को दिलाना, (ब) आपसी मामला में दोनों समूहों (group) तथा राज्य के मध्य सम्बन्धों को नियमित (Regulate) करना, तथा (स) कर्मचारियों को उत्पादकों के लाभ तथा प्रबन्ध में भाग दिलाना है।”

उल्लेख परिभाषाओं से स्पष्ट है कि श्रम सगठनों का मुख्य ध्येय श्रमिकों का सङ्गठन कर सामूहिक रूप से सौदा करने तथा रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न करना है, श्रमिकों और मिल मालिकों में मिल-जुल का अन्धका सम्बन्ध उत्पन्न करना और औद्योगिक शक्ति स्थापित करना है, तथा अपने सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति करना, प्रचार करना उनका अधिकारों को रक्षा करना, श्रम सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन तथा मजदूरों के नैतिक सुधार करना है। श्रमिक सङ्घ मजदूरों का शिक्षित बनाते हैं। उनमें सगठन तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न करते हैं जिसे श्रम नियम बनाने में सुविधा हो जाती है।

श्रम संगठनों के कार्य तथा उद्देश्य

प्रारम्भ में श्रम सगठनों का निर्माण मुद्दात्मक (Defensive) आधार पर हुआ था। ये सगठन मालिकों द्वारा निर्धारित कठिन कार्य करने की दशाओं, कम मजदूरी, अधिक काम करने के घंटों इत्यादि के विरुद्ध श्रमिकों की रक्षा करते थे। परन्तु शनैः शनैः उनके कार्यों में विकास हुआ और आजकल वे राजनैतिक पार्टियों के रूप में आकर देश की बागडोर सम्हालते हैं। उदाहरणार्थ इंग्लैंड में १९४५ में श्री क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने गवर्नमेन्ट बनाई थी।

श्रम सङ्गठन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) श्रमिकों को नौकरी सुरक्षित बनी रहने का विराम दिलाना

श्रम सङ्गठनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है कि वे अपने सदस्यों को उनकी

*Those combinations whose principal objectives are the regulation of relations between workmen and masters, or between workmen and workmen, or between masters and masters, for the imposing of restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and also the provision of benefits for members.”

नौकरी या रोजगार (employment) सुरक्षित बनी रहने का विश्वास दिलावें। सगठनों का जीवन अस्तित्व (Existence) ही उनके इस उद्देश्य की सफलता पर निर्भर करता है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वे हड़ताल (strike) बगैरह करते हैं। यदि वे अपनी इस चाल में असफल हो जायें तो भविष्य में कोई भी मजदूर इसका सदा नहीं बनेगा। प्रेक्ट यूनियन्स, (Craft Unions), जनरल यूनियन्स (General Unions) तथा बाद में हड़तालियल यूनियन्स सभी इस समस्या पर ध्यान देते हैं।

(२) सदस्यों को उचित वेतन दिलाना तथा उसकी वृद्धि करना

श्रम सङ्गठनों का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य यह है कि वे अपने सदस्यों के वेतन को दिलावें, उसमें वृद्धि करें तथा उसको बचावे रखें। श्रम सङ्गठन इस उद्देश्य की पूर्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से करते हैं। व्यक्तिगत रूप से तात्पर्य है जब श्रमिक श्रम मालिक के बीच उनकी मजदूरी, कार्य करने की शर्तें तथा अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में सीधा सम्पर्क होता है। इसके विपरीत यदि यह सम्पर्क नहीं होता है तो सभी सदस्य अपने सगठन (union) की अध्यक्षता में सामूहिक रूप से सम्पर्क करने के लिए अपने मालिक को विवश कर देते हैं। ऐसा अधिकतर वे हड़तालों के माध्यम से करते हैं।

(३) सदस्यों की कार्यक्षमता को बढ़ाना

श्रम सगठनों का तृतीय उद्देश्य अपने सदस्यों की काम करने की दशाओं में सुधार करके उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि करना है। कार्य करने की दशाओं में सुधार से तात्पर्य कार्य करने के घंटों (working hours) को कम करना, कारखाने के अन्दर सफाई इत्यादि करना, मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं के विपरीत सुरक्षात्मक कार्य करना तथा सवेदन बुद्धियाँ दिलाने का प्रयास करना आदि से है।

(४) सदस्यों की धैर्यात्मक कार्यवाही करने के लिए आर्थिक सहायता देना।

(५) सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक उन्नति करना।

(६) सदस्यों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उनके हेतु चिकित्सा सन्धन्धी, शिक्षा सन्धन्धी, वाचनालय तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(७) सदस्यों में एकता की भावना का निर्माण करना।

(८) सदस्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।

(९) सदस्यों एवं मालिकों (Employers) के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने रखना जिससे आपसी कलह कम से कम हो।

(१०) ऐसे सदस्यों की सहायता करना जो अपनी जीविका को बीमारी, दुर्घटना, वृद्धापस्था तथा अन्य किसी कारण से खो देते हैं।

श्रमिक सघ आन्दोलन का भारतपर्य में इतिहास

वर्तमान 'श्रमिक सघों' का उद्गम भारतपर्य में १९१८ में 'मद्रास टेक्स्टाइल लेबर यूनियन' (Madras Textile Labour Union) के निर्माण से हुआ। परन्तु इसके पूर्व भी यत्र तत्र श्रमिकों को संगठित करने के प्रयास किये गये थे। सन् १८७५ में श्री सोराबजी शाहपुर जी बंगाली ने सर्व प्रथम सरकार का ध्यान औद्योगिक श्रमिकों (जिसमें बच्चे व स्त्रियाँ भी सम्मिलित थीं) की सोचनीय दशा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। सन् १८८५ में श्री नारायण मेघश्री लोखण्डे ने फ़ैक्ट्री आयोग को एक स्मृति पत्र देने के लिए बम्बई में श्रमिकों को संगठित किया। सन् १८९० में श्री लोखण्डे तथा उनके साथियों ने गवर्नर जनरल को एक पेट्रीशन प्रस्तुत किया जिसमें श्रमिकों को पचास मुरदा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। इसी वर्ष श्री लोखण्डे ने बम्बई ₹ १०००० मिल मजदूरों को संगठित किया और सामूहिक रूप से 'बाम्बे मिल आनर्स एसोसियेशन' से सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने के लिए माँग की। यह माँग सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई। इस विजय के फलस्वरूप 'बाम्बे मिल हैंड्स एसोसियेशन' (Bombay Mill hands Association) का निर्माण श्री लोखण्डे के नेतृत्व में हुआ। श्री लोखण्डे ने "देश बन्धु पत्रिका" (Journal) का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया। यह संगठन देश का प्रथम संगठन होते हुए भी सुदृढ़ नहीं था। इसका न तो कोई निश्चित संविधान (constitution) था और न चन्दा देने वाले सदस्यों की सूचना ही निश्चित थी।

तब १८९७ में इण्डियन कम्पनीय एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड "दी अमीलगमेन्ट सोसायटी ऑफ रेलवे सर्वेन्ट्स" (रेल कर्मचारियों की सम्मिलित समिति) का निर्माण हुआ। उसके बाद "दी कलकत्ता मिण्टर्स यूनियन" (१९०५), "दी बाम्बे पोस्टल यूनियन" १९०७ तथा बम्बई की "दी कामगर हितसर्पक सभा" (१९१०) में बनाई गईं। इसके अतिरिक्त बंगाल में "दी मोहम्मदन एसोसियेशन" तथा "इण्डियन लेबर यूनियन" बने थे। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा श्रमिकों की दशाओं में सुधार कराने के लिए ही इन सब संस्थाओं का निर्माण हुआ था। ये अधिकांशतया भाई-चारे की भावना से प्रेरित थीं तथा इनका संगठन ढीला था।

श्रम सघ आन्दोलन वास्तव में हमारे देश में महायुद्ध के बाद ही शुरू हुआ। इस युद्ध से श्रमिका में वर्गीय जायति हुई। युद्ध की तथा युद्धोत्तरात तंत्रों से मूल्यों तथा जीवन की लागत में वृद्धि तथा उपयोगिता को भारी भारी लाभ हुए, पर श्रमिकों की आय में काफी वृद्धि नहीं हुई। इसके कारण १९१८-२२ में मजदूरी बढ़ाने के लिए कई हड़तालें हुईं। अतः विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में एक नयी सख्या में श्रम या ब्यापार सघों का निर्माण हुआ। देश में आम आर्थिक संकट, कांग्रेस का अछड़योग तथा

श्रीयोगिक श्रम संगठन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मनोनीत प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने के लिए एक केन्द्रीय श्रम संगठन की आवश्यकता से श्रम संघों के निर्माण में प्रोत्साहन मिला तथा युद्धोत्तरकाल में १९२० के बाद से उनके संघीकरण (Federation) को प्रेरणा मिली। इससे श्रम संघ आन्दोलन को भारत में बल मिला।

उपनिवेशों में भारतीय श्रम के साथ भेद भाव तथा रूसी क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी तथा साम्यवादी विचारों के प्रचार द्वारा श्रम तथा राजनैतिक नेताओं ने श्रमिका में एक नई जागृति तथा चुनौती की भावना पैदा कर दी थी। पूरे संसार में श्रमिकों में नये विचारों, नये भावों तथा नई उमंगों व लहरों के कारण खलबली उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार की सामाजिक जागृति, राजनैतिक हलचल तथा क्रान्तिकारी विचारों से श्रोत प्रोत्साहित यातावरण में श्रमिक वर्ग पुरानी सामाजिक हुराइयों एवं नई आर्थिक श्रोतों में और अधिक रहने के लिए प्रस्तुत नहीं था।

उत्प्रेरक तथा के परिणामस्वरूप आन्दोलन द्रुत गति से देश में वर्तमान काल में बढ़ा। पहला श्रम संघ (श्रीयोगिक) मद्रास में जुलाई १९१८ में बरतन मिल के श्रमिकों ने बनाया और १९१९ में इसका सदस्य ४ हो गई, जिनके २०,००० सदस्य थे। मद्रास के नेतृत्व का बम्बई ने अनुकरण किया, जहाँ १९१७-१९ में श्रीयोगिक अस्तित्व के कारण कई संघ बनाये गये। पर इनमें से अधिकांश फेडरल "हड़ताल समितियाँ" थीं न कि व्यापार या श्रम संघ। इनके संगठन में बल नहीं था, फलस्वरूप ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाते थे तथा आपस में एकता नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने की आवश्यकता से एकीकरण को प्रेरणा मिली और आन्दोलन गतिशील बना।

स्थानीय संघों का संगठन कर उनका प्रसंगीकरण किया गया और उसके बाद प्रांतीय संघों का निर्माण हुआ। एकीकरण के आन्दोलन के फलस्वरूप १९२० में एक अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस (A I T U C) का जन्म हुआ और उसके बाद से इसकी वार्षिक बैठक होती रही है। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साथ व्यापार संघों का जन्म से ही सम्बन्ध स्थापित हो गया है। १९२० में ही महात्मा गांधी द्वारा अहिंसक विद्रोह में सतत जातने वालों का संघ तथा युनियनों के संघ बनाये गये और १९२१ तक लगभग २० व्यापार संघ हो गये थे।

इसी बीच १९२० में बर्किंगहम मिलों में मजदूरी बढ़ाने के वास्ते श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए बहकाने के कारण मद्रास श्रम संघ के विरुद्ध मद्रास के उच्च न्यायालय द्वारा विरोधाज्ञा (Injunction) जारी हुई। इससे श्रम नेताओं को यह संकेत मिला कि श्रम संघों की रक्षा तथा रजिस्ट्री के लिए सज्जिम स्वीकृत करना परमावश्यक था। श्री एन० एम० जोशी के ५ वर्षों के अनवरत तथा श्रमिक प्रयत्न के बाद १९२६ में व्यापार संघ विधान (Trade Union Act) स्वीकृत हुआ।

सन् १९२६ में इससे नागपुर के अधिवेशन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फूट हो गई और तीन दला का निर्माण हुआ—कम्युनिस्ट, नरमदल (लिबरल) तथा श्रेय। “श्रम पर शाही आयाग का बाधक नहीं किया जायगा” इसी प्रश्न पर मतभेद हो गया। अस्तु श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन तथा गरम दला के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण हुआ और थोड़े से सघ इन दाना में से किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हुए। गरमदल तथा वाम पक्षियों (विराधियों) का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसके कारण १९३१ में फिर फूट हुई जब देशरायके तथा रानादिये के नेतृत्व में गरम तथा उग्र वाम पक्ष ने अखिल भारतीय लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A. I. R. T. U. C.) का निर्माण किया। कम्युनिस्टों तथा आग उगलने वाले विराधियों की कार्यवाहियाँ व फलस्वरूप ३१ नैतृत्व करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई तथा प्रसिद्ध मेरठ पञ्चयन मुकदमा चला। जाँच की नियरसन अदालत ने अम्बई में १९२६ का कथना मिला में हड़ताल कराने तथा उसे जारी रखने का ‘गिरनी कामगार यूनियन’ पर आरोप लगाया गया। पारस्परिक फूट तथा इन विषयकारी कार्यवाहियों व कारण श्रम सघ एकता समिति १९३१ में बनी और ‘प्लेट पार्म एकता’ प्राप्त हुई।

सन् १९३५ में दो मुख्य विरोधी दलों, अर्थात् कांग्रेस तथा फेडरेशन की एक संयुक्त समिति बनाई गई जिसके प्रस्तावों के फलस्वरूप अप्रैल १९३६ में एकता प्राप्त हुई तथा १९४० में फेडरेशन कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया गया। इस एकता प्राप्ति का श्रेय श्री बी० बी० गिरि को था। इस अस्थाया समझौते में १९४६ में संशोधन हुआ।

किंतु सितम्बर १९४० में अम्बई के अधिवेशन में युद्ध प्रश्न के साथ तटस्थता के प्रश्न पर एक बार फिर फूट हुई और श्री एम० एन० राय तथा जमुनादास मेहता के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन फेडरेशन का निर्माण हुआ। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में खुला। कलकत्ता के नाविकों के सघ (Seamen's Union) ने कांग्रेस से अपने को विलग कर दिया। इसके अतिरिक्त १९३७ में महात्मा गान्धी की देखरेख में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाहर हिन्दुस्तान मजदूर सभा सघ श्रमिका को संगठित कर रहा था। १९४२ से कतिपय चोगी के यूनियन कांग्रेस नेताओं की देख रेख तथा पर्यवेक्षण में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A. I. N. T. U. C.) श्रमिकों के दुर्तों के कारणों का प्रतिकार बिना हड़तालों के, बातचीत, मेल मिलाप, मध्यस्थता तथा निपटारा व शान्ति पूर्ण ढंग से करना चाहती है।

उसके बाद दिसम्बर १९४८ में कांग्रेस से विच्छेद होने पर सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी दल ने हिन्दू मजदूर सभा का सूत्रपात किया। इस फूट ने भारत

में श्रमिक सघनाद (trade unionism) को और भी निर्रल बना दिया है। अभी हाल में इन दोनों दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I N. T. U C) तथा एक दूसरे प्रतिनिधि स्वरूप पर संदेह प्रकट किया था। १९४६ में मुख्य श्रम कमिश्नर की जाँच से यह प्रकट हुआ था कि श्रम की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, परन्तु हाल में सरकार ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A I N T. U C) को भारत में श्रमिकों की सबसे अधिक प्रतिनिधि संस्था घोषित किया है। १९४६ के पहले समाह में श्री के० टी० शाह तथा श्री एम० के० बोस के नेतृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U T U C) बनाई गई।

भारतवर्ष में श्रमिक सघों की वर्तमान स्थिति

निम्न तालिका देश के प्रमुख श्रम सघों से सम्बद्ध (affiliated) सघों व सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। (अगल पृष्ठ में देखिये)।

भारतवर्ष में कुल रजिस्टर्ड श्रम-सघों तथा उनके सदस्यों की संख्या सन्

१९४७-५८ तक इस प्रकार थी:

	केन्द्रीय श्रम सघ		राजकीय श्रम-सघ	
	१९४६-५७	१९५७-५८	१९४६-५७	१९५७-५८
(१) रजिस्टर्ड सघों की संख्या	१७३	२२३	८,१८०	९,८२२
(२) रजिस्टर्ड होने वाले सघों की संख्या ...	१०२	१३६	४,२९७	५,३८४
(३) रजिस्टर्ड होने वाले सघों के सदस्यों की संख्या	१,८७,२९५	३,४३,१६९	२१,८९,४६७	२६,७२,८८३

पर इन संस्थाओं के पैसले तथा निर्णय दोनों दलों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते थे और इनके निर्णय की शैली व क्रम अनिर्वाच्यक थे। अतः इस विधान में श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए १९३५ में संशोधन किये गये; इसे १९३४ में स्वीकृत बना दिया गया तथा १९३८ में पुनः संशोधन हुआ। नये विधान में श्रमिक हड़ताल की परिभाषा में परिवर्तन हुआ, जनोपयोगी सेवाओं की सूची में आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में पूर्ण करनेवाली संस्थाओं को सम्मिलित किया गया तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा समझौता शर्तों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

प्रमुख अम संघों की संख्या एव सदस्यता*

विभिन्न सगठन	सम्बद्ध संघों की संख्या			सदस्यता		
	१९५६	१९५७	१९५८	१९५६	१९५७	१९५८
(१) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (I.N.T.U.C.)	६१७	६७२	७२७	६,७१,७४०	६,३४,३८५	६,१०,२२१
(२) हिन्दू मजदूर सभा	११६	११८	१५१	२०३७६८	२३३६६०	१६२६४२
(३) आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (A.I.T.U.C.)	५५८	—	८०७	४२२८५१	—	५३७५६७
(४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U.T.U.C.)	२३७	—	१८२	१५६१०६	—	८२,००१
योग	१५३१	—	१८६७	१७५७४६८	—	१७२२७३१

अम संघ अधिनियम १९२६

अम सघ अधिनियम १९२६ में पास हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत अम-संघों के रजिस्ट्रेशन का प्राविधान किया गया, परन्तु यह अनिवार्य न था। अर्थात् रजिस्ट्री कराना अम-संघों की इच्छा पर है। यदि किसी अम सघ की प्रबन्धक समिति के ५०% सदस्य उसके आधीन इकाइयों में नियोजित (employed) हों, तो कोई ७ या अधिक सदस्य रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक रजिस्टर्ड अम सघ को अपना नाम तथा उद्देश्य घोषित करना होता है, सदस्यों की सूची रखनी होती है, अपने कोषों का नियमित वार्षिक आडिट या अन्वेषण कराना पड़ता है। इस अन्वेषण का विवरण, नियमों की एक प्रति, पदाधिकारियों तथा प्रबन्धक समिति के सदस्यों की सूची इत्यादि अम सघों के रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है।

इस अधिनियम में १९२८ तथा १९४२ में कुछ परिवर्तन किये गये थे।

श्रम-संघ अधिनियम १९४७

श्रम संघ अधिनियम १९२६ में श्रम संघों की नियोजकों (employers) द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। अतः श्रम संघ अधिनियम में, १९४७ में विशेष संशोधन करके, श्रम संघों को नियोजकों द्वारा मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में आयोगन किया गया है। इसका अनुसार किन्हीं श्रम अदालत की आज्ञा पर एक रजिस्ट्रार प्रतिनिधि श्रम संघ का नियोजकों द्वारा मान्यता अनिवार्य कर दी गई है।

प्रारम्भ में श्रम संघों में रजिस्ट्रेशन के प्रति अल्प व उदासीनता थी और वे वार्षिक विवरण अर्पित करने व सूची आदि देने से हिचकिचाते थे। ऐसी मान्यता प्राप्त श्रम-संघ की प्रत्येक समिति नियोजकों के साथ नियोजन (employment) की शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है तथा बर्कशापो में सूचनाएँ देना सकती हैं।

इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार राज्य की सरकारों पर ही है जिसके वे रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करती हैं।

इस अधिनियम के दोषों का दूर करने के लिए भारतीय संसद में १९५० में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य पूर्व के अधिनियमों को टीक, टोक व शुद्ध करना था। पर पुनरा संसद में यह विधेयक स्वीकृत नहीं हो सका। १९५२ में भारतीय श्रम सम्मेलन में उचित विधायक बनाने पर विचार किया गया था। इसके अनुसार संघों के रजिस्ट्रारों की जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति सदस्यों की सूची, पन्ने की रकम व नियम, सदस्यों के पृथक् करने का दस्तावेज, उन पर अनुशासन, बाहरी लोगों की सहायता का नियमन व नियंत्रण, पन्नीयन को रद्द करने की शक्तियाँ, संघों की उद्योगपतियों द्वारा अनिवार्य मान्यता तथा श्रम न्यायालयों द्वारा उनकी मान्यता की शर्तों, नियोजन के दस्तावेजों पर मान्य संघ की प्रत्येक समिति द्वारा उद्योगपतियों से पैदा करने के अधिकार तथा उद्योगपतियों पर उम्माना करने की दस्तावेज आदि की व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस के अतिरिक्त श्रम संघ श्रम दलों ने इसकी तीव्र आलोचना तथा धार निरोध किया था।

श्रम संघ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना

श्रम संघों के दोषों को दूर करने के लिए धर्मिका के प्रतिनिधिक प्रणाली (सन् १९५५) ने कुछ सुझाव दिये हैं जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जायेंगे —

(१) श्रम-संघ में महिलाओं की सम्मिलित न होने देना।

(२) श्रम संघों का आवश्यक शर्तों के पूर्ण करने पर वैधानिक मान्यता देना।

(३) अम सधों के कार्यकर्त्ताओं की उत्पीडन (victimization) से रक्षा

करना, तथा

(४) अम-सधों की व्यक्तिगत साधनों द्वारा उन्नति कराना ।

†

प्रश्न

1. Survey briefly the development of trade union movement in India. What are the main obstacles to its healthy growth

(Patna, 1955, Rajasthan, 1953)

2. What are the basic functions of a trade union? Do you think our trade unions have discharged their functions satisfactorily?

(Agra, 1954)

‡

अध्याय २३

श्रम सन्धियम

(Labour Legislation)

उद्योगों और उद्यमों काय करने की दशाओं पर पिछली सदी के लगभग अन्त तक राजकीय नियन्त्रण नहीं था और फैक्टरी विधान व श्रमभार में नियोजक या मालिक मजदूरों का और निरक्षर श्रमियों और बच्चों का शोषण करने में स्वतंत्र थे। फैक्टरियों में काम करने की दशाएँ अमानुषिक तथा असंतोषजनक थीं, बच्चों का रोजगार की उम्र का कोई नियम नहीं था, साप्ताहिक या वार्षिक छुट्टियाँ नहीं थीं और जिना घरे हुए मशीनों की दुष्प्रभाव या श्रमभार से फैक्टरी में श्रमिकों का स्वास्थ्य कोई प्रबंध नहीं था। बर्षों औद्योगीकरण की दृष्टि से भारत ने देर में भाग लिया तो भी भारतीय उद्योगपतियों ने फैक्टरियों की सुरक्षा को दूर करने व लिए पश्चिम देशों के अनुभव से कोई लाभ नहीं उठाया। श्रमिकों का स्वास्थ्य तथा शक्ति पर गंदा प्रभाव तथा धनी शक्तियों का उदात्त प्रभाव पड़ रहा था।

आधुनिक उद्योग धर्मों की अग्रणीय सुरक्षा से कुछ भारतीय उद्योगपतियों कार्यकर्ताओं तथा मानववादिता का हृदय पिघल गया और फैक्टरी में श्रमिकों की दयनीय शरणाग्रता में सुधार करने के लिए उन्होंने आन्दोलन प्रारम्भ किया। श्रमिकों के प्रति उनकी सहानुभूति जाग्रत हुई। इसका फल उनी बर्षों की मिला व विचार पर लक्षणापर के उद्योगपतियों में फैला पड़ा। उनका विचार था कि फैक्टरी विधान के श्रमभार में भागीय वाजार में भारतीय उद्योगपति को उनका साथ प्रतिसादा करने में लाभ था। अतः उन्होंने भारतीय शक्ति मिला पर फैक्टरी कानून लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। अस्तु १८७५ में कर्नाट सरकार ने एक फैक्टरी श्रमभार की नियुक्ति की बिसयों सिफारिशों के फलस्वरूप १८८१ में पहला फैक्टरी एक्ट बना। फिर भी महाबुद्धि तब श्रमिक सन्धियम का वाद महत्त्व नहीं था। उसके बाद देश के बढ़ते हुए औद्योगीकरण, श्रमिक वर्गों में वर्गाय जाग्रति की वृद्धि तथा उनको अपनी शक्ति के महत्त्व का ज्ञान, भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संध तथा उसने प्रस्तावों के प्रति उत्तरदायित्व की स्वीकृति तथा कांग्रेस श्रमिकों के श्रमभार के कारण श्रमिकों हाल में एक बड़ी समस्या में श्रम सन्धियम बनाये गये।

फैक्टरी अधिनियम (Factory Acts)

१८८१ का अधिनियम

फरवरी सन् १८८१ में प्रथम भारतीय फैक्टरी ऐक्ट पास हुआ, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(१) यह नियम उन फैक्टरियों पर लागू था जिनमें कम से कम १०० व्यक्ति नौकर थे तथा शक्ति का उपयोग किया जाता था।

(२) इसने अनुसार ७ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को नौकर नहीं रक्खा जा सकता था, तथा ७ और १२ वर्षों के बच्चों से १ घण्टे प्रति दिन विराम के साथ ६ घण्टे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। माह में कुल ४ छुट्टियाँ दी जा सकती थीं।

अन्तु इसमें बच्चों की सीमित रकम की व्यवस्था थी पर बयस्क (adult) स्त्री, पुरुषों को कोई लाभ नहीं हुआ।

१८६१ का अधिनियम

स्त्री-श्रमिकों के नियमन के अभाव और बच्चे मजदूरों की रक्षा के लिए ऐक्ट के अर्थपूर्ण प्राविधानों के कारण १८८१ के विधान में संशोधन की माँग हुई। उधर लकाशापर के सूती मिल मालिकों ने और बट्टिन नियमन के लिए भारत सचिव पर दबाव डाला। अन्तर्द फैक्टरी आयोग (१८८४) तथा फैक्टरी श्रम आयोग (१८६०) की सिफारिशों पर १८६१ में दूसरा फैक्टरी ऐक्ट पास हुआ जिसकी मुख्य विशेषताएँ यह थीं—

(१) यह ऐक्ट उन फैक्टरियों पर लागू किया गया जिसमें कम से कम ५० व्यक्ति काम करते थे तथा शक्ति का प्रयोग होता था।

(२) इसके अनुसार ६ साल से कम आयु वाले बच्चों को नौकर नहीं रखा जा सकता था तथा ६ और १४ वर्ष के बीच वाले बच्चों के काम के घण्टे ७ कर दिये गये।

(३) स्त्रियों के लिए प्रति दिन ११ घण्टे विराम के साथ काम के अधिकतम घण्टे ११ निश्चित किये गये थे तथा ८ रात से लेकर ५ बजे सपेरे तक उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता था।

(४) पुरुष मजदूरों के लिए १ सप्ताहिक छुट्टी एवं ३ घण्टे आराम की व्यवस्था की गई।

इन मुख्य प्राविधानों के अतिरिक्त और अधिक हवादार तथा साफ-सुथरी फैक्टरियों की और उनमें भीड़ रोक्ने की भी व्यवस्था करनी थी।

१९११ का अधिनियम

फैक्टरिया में मजदूरों के लग जाने तथा प्लेग के कारण काम के घंटों में काफी वृद्धि हो गई थी और स्वदेशी आन्दोलन की तेजी ने फैक्टरियों में काम करने की परिस्थितियों को और भी बिगाड़ दिया। ललाशापरने फिर दमन डाला और उमाचरिपनों तथा कुछ प्रगतिशील मिलमालिकों ने काम के घंटों में कमी तथा काम की दशाओं में सुधार करने की माँग की। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने १९०६ में 'प्रिन्सिपलस समिति' तथा १९०७ में एक फैक्टरी अधिनियम को फैक्टरियों में काम की दशाओं की जाँच करने के लिए नियुक्त किया। इन्होंने १९०८ में अपनी रिपोर्ट में पहले के फैक्टरी नियमों को रद्द करने की सिफारिश की क्योंकि इनका उल्लंघन किया गया था।

इनकी सिफारिशों पर १९११ का फैक्टरी विधान स्वीकृत हुआ जिसमें पहली बार बयस्क पुरुषों के काम के घंटों को निश्चित किया गया। इसकी मुख्य धारणा निम्न है—

(१) फैक्टरी अधिनियम ने पुरुषों के काम के घंटों में कमी तथा स्त्रियों के काम के घंटों को ११ से बढ़ाकर १२ कर देने की सिफारिश की थी, पर स्त्रियों के काम के घंटे ११ ही रहे, हालाँकि अधिकतम स्वीकृत घंटा तब काम करने वालों के लिए ११ घंटे के विधाम में कभी बर टो गई थी।

(२) टेक्सटाइल (कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों) में प्रति दिन काम के घंटे पुरुषों के लिए १२ थे।

(३) स्त्रियों के लिए काम के घंटे ६ निश्चित किये गये।

(४) यह विधान ४ महीने से कम के लिए काम करने वाली अस्थायी (मौसमी) फैक्टरियों पर भी लागू किया गया।

(५) स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए और व्यापक प्राविधानों की व्यवस्था की गई तथा आयु प्रमाण रखना अनिवार्य कर दिया गया।

१९२२ का नियम

१९२० में जर्जर मिल मालिकों के सच ने वायसरॉय को भारत में सत्र बनाने वाले फैक्टरियों में काम के घंटों को १२ की अपेक्षा १० पर ही विधिबद्ध सीमित कर देने के लिए एक 'स्मारक' पेश किया। अतः १९११ के विधान को संशोधित किया गया और १९२२ में एक संशोधित फैक्टरी एक्ट स्वीकृत हुआ। इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

(१) यह ऐक्ट २० व्यक्तियों को नीकर रखने तथा शक्ति प्रयोग करने वाले सत्र संस्थानों पर लागू किया गया।

(२) १२ वष क नाचे नी आरु घाले ँच्चों को, और एक दिन म दो फैक्ट रिया में काम लगाने से रोक लगा दी गई ।

(३) १२ और १५ वष क बीच घाले ँच्चों क लिए ४ घण्टे क काम के बाद १ 1/४ घण्टे के विश्राम क साथ काम क घण्टे ६ निश्चित किये गये ।

(४) बयस्सों क लिए काम क घण्टे प्रतिदिन ११ तथा ६ दिनां क प्रत्येक सप्ताह क लिए ६० नियत किये गये ।

(५) बिया और ँच्चों को ७ नों शाम से प्रात ५ 1/२ नों तक काम पर लगाने से मना कर दिया गया ।

(६) प्रात्तीय मरमारां को १० व्यक्तियों को काम पर लगाने वाली सस्थाओं पर चाहे व शाक्त का प्रयोग कस्ती हा या नहा, इस नियम को लागू करने, तथा खुली हवा व कृत्रिम उतावां द्वारा ठंक् करने क स्तरां या प्रमाणां क निश्चित करने का अधिनार भी उनमें दिया गया ।

(७) प्रत्येक ६ घण्टे काम क बाद एक घण्टे का विश्राम या ५ घण्टे लगातार काम करने क बाद अधिका क अस्तुरोध पर दो आवे आवे घण्टे क विश्राम की व्यवस्था की गई ।

(८) नियत समय से अधिक काम (overtime work) के लिए साधारण मजदूरी की रकम से कम १ 1/२ गुनी मजदूरी नियत की गई ।

१६२३, १६२६ और १६३१ क सशानन विधानां द्वारा बनल छोटे सुधार तथा शासन सम्बंधी पारवतन किये गये ।

१६३४ का नियम

अत वष क फैक्टरी विधानां की सुन्नां तथा मन्तूर नेतायां और सामाजिक सुधारना द्वारा भारत म श्रम सन्धियम को प्रगतिशील देशां क स्तर पर लाने क लिए आंदोलन क कारण १६२६ म 'भारत म श्रम पर शाही आयाग (Royal Commission on Labour in India) की नियुक्ति हुई । फैक्टरियां म नियोजन (नौकरी) तथा काम की दशायां म सुधार क लिए इस आयोग ने नवी महत्त्वपूर्ण सिफारिशों कीं जिनम स आभकारा की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति क फलस्वरूप फैक्टरी विधान को बिल्कुल नये ढंग स तैयार कर एक संगठित फैक्टरी एक्ट १६३४ म स्वीकृत हुआ जो १ जनवरी १६३५ से लागू हुआ । इसरी मुर्य जातें इस प्रकार हैं —

(१) इस विधान ने स्थायी तथा सामयिक फैक्टरियां में विभेद किया ।

(२) १५ और १७ बगों के बीच की आयु के युवकां का एक तृतीय बर्ग रनाया गया ।

(३) सामयिक फैक्टरियों में प्रति दिन काम के ११ घण्टे तथा प्रति सप्ताह ६०

(४) सुरक्षा—श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मशीनों के घेर या गार्ड, नद मशीना पर प्रकृत लगाने तथा भारी वजन व मशीना के उठाने के लिए क्रैनों, लिफ्टा, हाथस्टों इत्यादि की समुचित व प्रचुर व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्री तथा बच्चों को उतरनाक मशीनों से दूर रखना चाहिए। आग, भयानक घुआ, विस्फोटक या शीत करने वाली धूल, गैस रत्नादि के विरुद्ध श्रमिकों की रक्षा के लिए सावधानीपूर्ण उपायों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है।

(५) श्रमहितकारी कार्य—श्रमिकों के हितार्थ स्वानुशासित, कपडा धोने का सुविधाएँ, श्मन के कमरा, प्रथम चिकित्सा के सामाना, विश्राम आश्रमा कपड़ रखने तथा भागे कपड़ सुखाने की सुविधाएँ, माल पापणशालाया (Creches) या बच्चों की देखभाल की व्यवस्थाया का समुचित आयोजन होना चाहिए। ५०० या इससे अधिक श्रमिकों से काम करने वाली प्रत्येक फैक्टरी या श्रमहितकारी अधिकारिया को नियुक्त करना आवश्यक है तथा २५० से अधिक श्रमिकों से काम करने वाली फैक्टरीया में कैटरीना या भोजन के कमरा की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

(६) काम के घण्टे तथा छुट्टियाँ—काम करने के दैनिक घण्टे ६ तथा साप्ताहिक ४८ तथा अधिकतम समय का फैलाव (spread over) १०३ घण्टे नियत किये गये हैं। ५ घण्टे के अनंतर या लगातार काम के बाद प्रत्येक श्रमिक को कम से कम आधे घण्टे का विश्राम आवश्यक देना चाहिए। दानक तथा निमाही निपत्र समय से अधिक काम की सीमाएँ निधारित कर दी गइ है और उसमें लिए भुगतान मन्तूरियाँ की साधारण दरों की दुगुनी राशि पर निश्चित किया गया है। त्रियाँ तथा बच्चों को ७ बजे शाम के बाद और ६ बजे प्रात के पूरा काम में नहा लगाया जा सकता, पर राज्य सरकारों को त्रियाप दशाओं में इन कामाया में हेर फेर करने का अधिकार प्राप्त है। सप्ताह में एक दिने की छुट्टी भी अनिवार्य कर दी गई है। बच्चों के काम के घण्टे ४३ से अधिक नहीं हो सकते। प्रत्येक श्रमिक को पूरे १२ मास अनन्तर या लगातार एक फैक्टरी में काम करने पर आगामी १२ मासों की अवधि में मजदूरी तथा महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम (कम से कम) १० दिन की अवधि तक छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी की अवधि की गणना पहले के १२ मासों में उत्तर द्वारा प्रत्येक २० दिनों के काम करने पर १ दिन की दर पर की जायगी तथा बच्चों को काम के प्रत्येक १५ दिनों के लिए १ दिन की दर पर कम से कम १४ दिनों की छुट्टी मिलेगी।

(७) आयु तथा योग्यता का प्रमाण—१४ वर्षों से कम आयु वाले बच्चों को किसी फैक्टरी में नौकर नहा रखा जा सकता। १४ वर्ष पूरा कर लेने वाले बच्चों तथा १८ वर्ष से कम आयु वाले युवकों को १८ वर्ष पूरा कर लेने पर अपनी आयु तथा योग्यता का एक प्रमाणपत्र किरियल सर्विस से लेकर फैक्टरी संचालक को देने पर ही काम में लगाया जा सकता है। यह प्रमाणपत्र प्रति वर्ष देना पड़ता है।

(८) बीमारी की सूचना—अधिनियम की अनुसूची या परिशिष्ट में उल्लिखित रोगों में किसी एक रोग से श्रमिक को प्रसित होने पर फैक्टरी संचालन को एक विशेष प्रपत्र तथा सीमित समय में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है तथा ऐसे श्रमिक व किसी डॉक्टर द्वारा जांच की लिखित रिपोर्ट फैक्टरियों व प्रमुख निरीक्षक को भेजना पड़ता है।

(९) जुर्माना—ऐक्ट व प्राविधाना का भंग करने पर जुर्माना की व्यवस्था की गई है। यदि श्रमिक जानबूझ कर मशीना को खराब करता है तो चारपास का दण्ड दिया जा सकता है और यदि धूनदानों के अतिरिक्त वह अन्य स्थानों में धूंकता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है।

बागान श्रम नियम (Plantation Labour Laws)

भारत में संगठित उद्योग का प्रथम स्वरूप बागान था। श्रम की समस्याएँ तथा बागान मालिकों और श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों के नियमन के लिए १९०१ में अखिल श्रम तथा प्रवास नियम पास किया गया था। इसके अनुसार अखिल के बागान मालिकों के लिए लाइसेन्सदार ठेकदारों द्वारा मजदूरों की भरती होती थी। इन ठेकों में दासता निहित रहती थी अतः स्वाभिमानी भारतीयों द्वारा इसकी तीव्र आलोचना तथा विरोध हुआ। अस्तु १९०८ तथा १९१५ में इसमें संशोधन हुआ और लाइसेन्सदार ठेकदारों द्वारा भरती का पद्धत को रद्द कर दिया गया।

१९१५ के विधान ने कुलीमिरी की प्रथा को खत्म किया पर यह तभी प्रभावी हुआ जब १९२६ और १९२७ में कामकाज के ठेका भंग विधान (Breach of Contract Act) का रद्द कर दिया गया। ठेकदारों द्वारा भरती के स्थान पर श्रम बोर्ड (Labour Board) के अधिकारियों द्वारा भरती होने लगी। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने बागान के श्रमिकों की दशाओं की पूरी जांच-पड़ताल १९२६-२८ में की तथा १९२९ में श्रम पर शारीर आयोग ने भी ऐसा ही किया। इस आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने १९३२ में 'बागान जिला प्रवासी श्रम विधान' पास किया जो १ अक्टूबर १९३३ से लागू किया गया। इसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं—

(१) पहले के बागान विधान का उद्देश्य बागान मालिकों के हितों की रक्षा तथा कुलियों की भरती करने में उन्हें अधिक सहायता देना था पर इस नये विधान का उद्देश्य अखिल बागान मालिकों को प्रवास करने वाले श्रमिकों की भरती पर नियंत्रण करना तथा बागानों तक श्रमिकों के पहुँचने की व्यवस्था में उचित सहायता देना था।

(२) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधीन प्रांतीय सरकारों की प्रमुखियों के भेजने में सहायता पर, या उनकी भरती तथा भजने दोनों पर नियंत्रण करने का अधिकार था। अनुचित रोक-धामों से प्रवास को रोकने का भी उद्देश्य था। अधिष्ठित श्रम

कर्ताओं द्वारा ही निर्देशित मार्गों से अरुम रगस्टों को भेजना था तथा मार्ग में उनके भोजन, विभ्राम, दवा, डाक्टरों द्वारा सेवा इत्यादि का पर्याप्त प्रबन्ध करना आवश्यक था।

(३) सोलह वर्ष से कम आयु के लड़कों को बिना उनके माता पिता या सरतक के साथ और विराहित स्त्रियों को बिना उनके पतियों की आज्ञा के अरुम प्रवास के लिए नहीं भेजा जा सकता था।

(४) प्रत्येक सहायता प्राप्त प्रवासी को प्रथम तीन वर्ष की नीसरी के नाद मालिक के लखें पर अथवा पहुँचने के एक वर्ष के अन्दर भी ग्रीमारी के कारण, उसकी शक्ति के अनुकूल काम की अनुम्युक्तता या अन्य पर्याप्त कारणों से नियन्त्रक द्वारा मालिक के पक्षों से वापस लौटने का अधिकार था।

एानों के सन्निवम

एानों में काम की दशाओं को नियमन करने के लिए भारतीय एानों का पहला विधान १९०१ में बनाया गया, जिसमें काम के घण्टों का नियमन नहीं था, केवल सुरक्षा तथा निरीक्षण के लिए प्राविधान था। वार्षिगटन बान्नेस की सिफारिशों के कारण १९२३ में इस विधान का संशुधन किया गया और वह १ जुलाई १९२४ से लागू किया गया। इसी प्रमुप बानें निम्न प्रकार थी—

(१) इस विधान में पहले पहल काम के घण्टों की सीमा निर्धारित की गई, जो ६ दिन के प्रति सप्ताह में भूमि पर काम करने वालों के लिए ६० घण्टे तथा भूमि के भीतर काम करने वालों के लिए ५४ घण्टे थी।

(२) १३ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भूमि के भीतर काम पर लगाने से शुरु दिया गया।

१९२३ के विधान में भूमि के भीतर श्रौला के रोजगार पर कोई रोक काम नहीं लगायी गई थी। अतः भूमि के भीतर काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या की ४५% स्त्रियाँ थीं। लोक समिति के इरादे विरुद्ध होने तथा आन्दोलन के कारण भारतीय सरकार ने १९२३ के ऐक्ट के अन्तर्गत १९२६ में कुछ नियमों को पाठ कर भूमि के भीतर कुछ एानों में श्रौला को काम पर लगाने की मनाही कर दी थी। पर बन्नाल, निहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश की कोयले की एानों तथा पञ्जाब की नमक की एानों में श्रौलों का नियोजन प्रति वर्ष धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी कर, १ जुलाई १९३६ से बन्द होने को था। वे भूमि के ऊपर तथा खुले मैदान में एानों में काम कर सकती थीं।

शाही धम आयोग की सिफारिशों तथा १९३१ की अन्तर्राष्ट्रीय धम बान्नेस द्वारा कोयले की एानों में काम के घण्टों पर मसविदा बनवेंशन (Draft Conven-

लेजर वेलफेयर एण्ड एक्ट' १९४६ न द्वारा एक श्रम हितकारी बोध की स्थापना की गई जिसे श्रमिक के निर्यातों पर मूल्यानुसार अधिकतम ६३% का निर्यात कर लगा कर निर्माण किया गया।

— इन अधिनियमों का विस्तारपूर्वक अध्ययन श्रम कल्याण वाले अध्याय में किया गया है।

पारिश्रमिक (मजदूरी) का भुगतान नियम १९३६

मजदूरों की मजदूरी देने में देर तथा गड़ी आना-सूनी की जाती थी जिसके कारण उन्हें अनेक बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती थी तथा अपने पत्नों के लिए उन्हें पत्नी ऊँची ब्याज दरों पर श्रम उधार लेना पड़ता था। मशीनों तथा सामान की क्षति के लिए तथा काम में टूट या गैरहाजिरी और बुरे आचरण के लिए, तथा भस्ती करने वालों की दस्तूरी के लिए, कटौती और आर्थिक दण्ड देना पड़ता था। प्रत्येक उद्योग व औद्योगिक केन्द्र में भुगतान की अवधि भी भिन्न भिन्न थी। अतः मजदूरी भुगतान को नियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए भारत सरकार ने १९३६ में इस विधान को पास किया जो २८ मार्च १९३७ से लागू हुआ।

यह पैक्टोरिया तथा रला पर प्रारम्भ किया गया था पर प्रान्तीय सरकारों को अधिकृत किया गया था कि वे इसे ट्रामों, माटर जकों, डाका, हाथों तथा जेटिनों, स्टोमों, पानों तथा पत्थर की खानों, तेल के खोनों, जगानों, कारखानों तथा उरादन, निर्माण, यातायात व निजी सम्पत्ति अथवा सस्थाओं पर भी लागू कर सकें। औद्योगिक २० या उससे अधिक व्यक्तियों को काम में लगाने वाले रेल के ठेकेदारों, फोने की खानों, बागानों, मोटर जकों आदि में काम कराने वालों पर भी यह अधिनियम लागू किया गया है। मद्रास, बुरंग, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्यों में यह अधिनियम लागू है। -

२०० रुपया प्रति मास से कम वेतन वालों पर यह लागू होता है और पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम अवधि एक मास निश्चित की गई है। कम वेतन (गोनस इत्यादि जो द्रव्य के रूप में आते जाते हैं) नगद रूपों या नोटों में ही चुराया जाना चाहिए। १००० से कम मजदूरी वाले कारखानों या सस्थाओं में वेतन अवधि के अन्तिम दिन के बाद ७वें दिन की समाप्ति से पहले तथा १००० से अधिक मजदूर वालों में १० दिन के अन्दर ही मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए। निश्चल दिये गये मजदूरों का वेतन उनका काम से हटाये जाने के २ दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए। विधि द्वारा मुद्रा में दिये जाने वाले वेतन का वितरण छुट्टी के दिन नहीं किया जा सकता है। भ्रान्त, भिन्नी, पानी, औषधि की सुविधाएँ, भत्ता, पेयन प्रारिबेन्ट एण्ड में मालिकों का अशदान वेतन में शामिल नहीं किया जायेगा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

श्रमिकों के जीवन स्तर को उँचा उठाने तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रगतिशील देशों में श्रमिकों के एक विशेष न्यूनतम जीवन स्तर के लिए न्यूनतम मजदूरियों के विधान बनाये गये हैं। यद्यपि १९२८ में जेडेल के ड्राफ्ट फ्रॉन्टेशन ने न्यूनतम मजदूरियों के स्तरों को विधान द्वारा निर्धारित करने की व्यवस्था के लिए एक साधन को उपनाने का निश्चय किया था, तथा १९३१ में श्रम पर शाही आयोग ने भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरियों को निर्धारित करने के प्रयत्न के लिए डिफारिश की थी, फिर भी हमारे देश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक विधिवत न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था विभाजन तक नहीं की गई थी।

अतः १९४८ में भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी विधान बनाने के अन्तर्गत राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को इस विधान के दो वर्षों के अन्दर ही श्रमिकों की अति दयनीय दशा जाने उद्योगों में मजदूरियों के न्यूनतम दरों को नियंत्रित करने के लिए अधिकार दिया।

उद्योग ऐसे हैं जहाँ मजदूरों का शोषण होता है, तथा अधिक काम होता है, वेतन बहुत कम है तथा व्यावसायिक खर्च नहीं है। उदाहरणार्थ, ऊन, दूरी तथा शाल के कारखाने, चाय, आटा तथा दात की मिल, तम्बाकू बनाने तथा रीझी के कारखाने, तेल मिलें, नागान, सड़क या भवन बनाने के कार्य, लाल तथा अमरल के कारखाने, चमड़ा बनाने तथा बनाने के कारखाने, फर्श ढाड़ने तथा पीसने का काम, नगरपालिका तथा बिजली परियोजनाओं में नौसारीया तथा कृषि। सेती में तीन वर्षों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाने का भी।

१९५० में एक संशोधन द्वारा सभी उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की शक्ति ३ वर्ष की दी गई थी पर कृषि सम्बन्धी दृष्टि के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न दशाओं के कारण यह उचित समझा गया कि कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पहले उनमें गाँवों के श्रमिकों की स्थिति को पूरी तौर पर जाँच लिया जाय। १९४८ से १९५१ तक यह जाँच पूरी न हो पाई। अतः सरकार ने सेती की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की शक्ति मार्च १९५३ तक बढ़ा दी थी। यदि किसी उद्योग में १००० से कम श्रमिक हैं तो राज्य सरकार उसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकती।

प्रश्न

1. Describe the landmarks in the history of factory legislation in India during the past forty years. Discuss their influence on the efficiency of labour. (Agra 1953)

2. Discuss the extent to which minimum wages have been fixed in India. How are minimum wages determined? (Banaras, 1954)

खण्ड ७

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक नियोजन

- १ भारत की राष्ट्रीय आय
- २ भारत में आर्थिक आयोजन

अध्याय २४

भारत की राष्ट्रीय आय

(National Income of India)

कोई देश केवल इसलिये एक धनी तथा सम्यक् राष्ट्र नहीं कहला सकता कि उस देश में प्राकृतिक साधन तथा प्रकृति की अन्य स्वतंत्र देनी अपार मात्रा में उपलब्ध है। किसी देश का आर्थिक उत्थान एवम् समृद्धि प्राकृतिक साधनों के उचित एवं आर्थिक पोषण पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारा देश साधनों की दृष्टि से धनी होते हुए भी निर्धन है। देश की इस अपार प्राकृतिक सम्पत्ति के भंडार का यदि भ्रम तथा पूँजी को लगाकर उपयोग किया जाये तो किसी निश्चित समय में उस देश में वस्तु तथा सेवाओं की एक बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध हो सकती है। इसी को हम देश की 'राष्ट्रीय आय' (National Income) कहते हैं। राष्ट्रीय आय का आँकन प्रायः एक वर्ष के लिए होता है। इस दृष्टि से किसी देश में एक वर्ष के भीतर वस्तुओं तथा सेवाओं का जो कुल भी उत्पन्न होता है, वर्तमान मूल्य पर यदि उसका आँकन कर लिया जाये तो देश की राष्ट्रीय आय का ज्ञान हो जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये जाने वाले आर्थिक कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय तथा देश के सभी उत्पादक कार्यों तथा सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है।

राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of National Income)

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व उसके अर्थ से अग्रगत होना अत्यन्त आवश्यक है। साधारणतया राष्ट्रीय आय में हम किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये आर्थिक कार्यों तथा स्वयं देश में होने वाले उत्पादन कार्यों के परिणाम को ही सम्मिलित करते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मत भिन्न है। प्रत्येक अर्थशास्त्री ने किसी विशेष दृष्टि से ही राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय सम्बन्धी तीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते समय भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाये हैं जैसे मार्शल तथा पीगू

ने राष्ट्रीय लाभांश की व्याख्या उत्पादन की दृष्टि से (Production approach) की है जिसका अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पन्न की हुई वस्तुओं तथा सेवाओं का एक प्रवाह है। इसके विपरीत प्रो० इर्विंग फिशर (Prof Irving Fisher) ने उपभोग की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की व्याख्या की है। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय आय केवल वर्ष भर में अन्तिम रूप से उपभोगियों तक पहुँचने वाली सेवाओं तथा वस्तु के भंडार को ही प्रदर्शित करती है।

परिभाषाएँ

प्रो० अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा—प्रो० मार्शल के शब्दों में—“किसी देश के भ्रम और पूँजी उत्पन्न प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए वस्तुओं और सेवाओं (भौतिक एवं अमीतिक) का एक शुद्ध योग प्रति वर्ष उत्पन्न करते हैं। यही देश का वास्तविक शुद्ध 'वार्षिक आय', 'रेव-यू' अथवा 'राष्ट्रीय लाभांश' है।”¹

प्रो० ए० सी० पीगू (A C Pigou) की परिभाषा—प्रो० पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दी है जिस प्रकार आर्थिक कल्याण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में नापा जा सकता है “उसी प्रकार राष्ट्रीय लाभांश समाज की आय का वह भाग है जो मुद्रा में नापा जा सकता है। हाँ इसमें विदेश से प्राप्त हुई आय अग्रगण्य सम्मिलित कर लेनी चाहिये।”²

ब्रिटेन के प्रमुख आधुनिक अर्थशास्त्री कार्लिन बलार्क के अनुसार—किसी समय की राष्ट्रीय आय का अन्तर्गत माल तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष मूल्य शामिल है जो उस दौरान में उपभोग के लिये उपलब्ध है तथा जिसका विक्रय मूल्य चालू दर पर जोड़ा गया हो। इसके अन्तर्गत पूँजी पर होने वाले वे आंतरिक मूल्य भी हैं जो नये पूँजीगत माल के लिए वास्तविक कीमत का अनुसार लगाये गये हों। इसमें से उपस्थित पूँजी का मूल्य ह्रास आदि घटाना होता है तथा शुद्ध ह्रास की जोड़ना अथवा स्टॉक में से शुद्ध निकलने वाले माल को घटाना होता है। (दोनों की चालू कीमत पर)। राज्य तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा लाभ लक्ष्यरहित योग्य (टाक

1 'The labour and capital of the country, acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities material—immaterial including services of all kinds This is the true net annual income or revenue of the country, or the national dividend' Alfred Marshall—*Principles of the Economics*, P 323

2 "National Income is that part of objective income of the community, including of course, income derived from abroad, which can be measured in money." Prof A C Pigou—*Economics of welfare*

तथा नगरपालिका ट्राम सर्जिस आदि) चार्ज (दियों) के अनुसार जोड़ी जाती है। जहाँ विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर लगाया जाता है जैसे माल पर सीमा शुल्क तथा शुल्क एव अमोद प्रमोद कर। ये सब वित्री मूल्य में शामिल नहीं किये जाते।*

† डा० वी० के० आर० वी० राव का मत— उपरोक्त परिभाषाओं व अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव (Dr V K. R V. Rao) जिन्हें राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन के लिये स्थािति प्राप्त है, ने राष्ट्रीय आय की एक बड़ी उपयोगी परिभाषा दी है, "राष्ट्रीय आय में किसी निश्चित समय में वस्तुओं तथा सेवाओं का द्रव्यमूल्य सम्मिलित होना है जिसमें से उस समय होने वाले आयात का मूल्य घटा दिया जाता है तथा वित्री योग्य वस्तु तथा सेवाओं का मूल्यांकन चालू मूल्य के आधार पर होता है और निम्नलिखित मदों को घटा दिया जाता है :—

(१) उस समय से स्टॉक (stock) में होने वाली कमी का द्रव्य मूल्य।

(२) उत्पादन कार्य में उपयुक्त वस्तुओं तथा सेवाओं का द्रव्य मूल्य।

(३) वर्तमान षुँजी को सुरक्षित (intact) रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का द्रव्य मूल्य।

(४) सरकार को अमत्वद्ध करों (indirect taxes) द्वारा होने वाली आय।

(५) व्यापार का अनुकूल सन्तुलन (favourable balance of trade) जिसमें भंडार भी सम्मिलित है।

(६) देश के विदेशी कर्जों (foreign indebtedness) में होने वाली वृद्धि तथा व्यक्तिगत अथवा सरकारी सम्पत्ति में होने वाली विशुद्ध हास (net decrease) की मात्रा।"

▲ राष्ट्रीय आय की विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषाओं से कुछ प्रमुख लक्षणों का ज्ञान होता है जो अगले पृष्ठ पर अंकित हैं।

*"The National Income for any period consists of the money-value of the goods and services becoming available for consumption during that period reckoned at their current selling value, plus additions to capital reckoned at the prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation, obsolescence of existing capital goods, and adding the net accretion of, or deducting the net drawings upon stocks also reckoned at current prices. Services provided on a non profit making basis by the state and local authorities (e.g. postal services and municipal tramway services) are included on the basis of charges made. Where taxation is levied upon particular commodities or the entertainment tax, such taxes are not included in the selling value." Mr. Colin Clark—

"The National Income" p 1-2,

(१) राष्ट्रीय आय देश में हुए समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की मात्रा प्रदर्शित करती है।

(२) इसमें वस्तु तथा सेवाएँ दोनों सम्मिलित हैं।

(३) राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रायः एक वर्ष के लिए होता है।

(४) कुल राष्ट्रीय आय निकालने के लिये उसके उत्पादन में किये गये व्यय तथा निम्नवट (depreciation) को निकाल देना चाहिये।

(५) उस समय देश में होने वाले आयात (imports) तथा विदेशों से मिले गये ऋण को भी घटा देना चाहिये।

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण—राष्ट्रीय आय के अध्ययन का बड़ा महत्व होता है। किसी देश का राष्ट्रीय आय से उस देश की आर्थिक स्थिति का वास्तविक रूप ज्ञात हो जाता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उस देश के निवासियों का आर्थिक जीवन सुखी एवं सम्पन्न हो जाता है। साधारण तौर पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि के फलस्वरूप किसी देश के सम्बन्ध में हम निष्कर्ष लगा सकते हैं कि उस देश की आर्थिक प्रगति हो रहा है। परन्तु इस साधारण तर्क का कभी दुरुपयोग भी हो सकता है। इस कारण हमें अन्य बातों द्वारा इसकी जाँच कर लेनी चाहिये। उदाहरण के लिए यदि देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि लोगों से बेगार (forced labour) करवा कर प्राप्त हुई है तो ऐसी दशा में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होना अशुभव है। इसी प्रकार यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होने से यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, परन्तु इसका न्यायोचित वितरण न हो रहा हो, अर्थात् आय का अविशुद्ध भाग होने लगे तो देश की आर्थिक स्थिति में राष्ट्रीय आय की वृद्धि से देश के आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का महत्व

(Importance of National Income Statistics)

राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का विश्लेषण अर्थशास्त्र में विशेष महत्व का है जिनका अध्ययन निम्न उद्देश्यों में किया जाता है :—

(१) देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए—किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है। इनके आधार पर हम उस देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा भागों प्रवृत्तियों से मली भाँति अवगत हो जाते हैं। देश में होने वाले उत्पादन कार्य तथा आर्थिक विकास की योजनाओं की जानकारी

के अतिरिक्त उस देश की श्रृणुमस्तना अथवा व्यापार की दशा का भी ज्ञान हो जाता है।

(२) जीवन स्तर की जानकारी के लिए—देशवासियों के जीवन स्तर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय (per capita income) का सहारा लेना पड़ता है।

(३) राष्ट्रों की आर्थिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन—यदि हमें दो देशों की आर्थिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो उसने लिए भी हमें उन देशों की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सहायता लेनी पड़ेगी। अन्य साधनों के अभाव में देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से मदद कर और कोई माध्यम नहीं।

(४) देश के व्यावसायिक वितरण का पता लगाने के लिए—किसी देश की राष्ट्रीय आय के अनेक स्रोत होते हैं। अर्थात् देश में विभिन्न व्यवसायों में लगी हुई जनसंख्या के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय आय प्रभावित होती है। इसी कारण राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हमें जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का ज्ञान होता है।

(५) देश के आर्थिक प्रयत्नों के पथ प्रदर्शन के लिए—देश की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से देश का कई प्रकार से पथ प्रदर्शन होता है। यदि कई साल के राष्ट्रीय आँकड़े एकत्रित कर लिये जायें तो उनका अध्ययन से हमें इस बात का समुचित ज्ञान हो सकता है कि आर्थिक प्रगति के मार्ग पर हमारा देश किस अवस्था पर है अर्थात् देश की आर्थिक दशा पहले से मुबरी है अथवा उसमें पतन हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी वर्ष देश की राष्ट्रीय आय में कमी हुई है तो हमें उस वर्ष देश की आर्थिक जलवायु (economic climate) का पता चलता है। जैसा कि निर्दिष्ट है राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालने वाले अनेक तथ्य हैं जिनके परिणामस्वरूप किसी वर्ष देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है अथवा घट सकती है जैसे देश में आंतरिक शान्ति व सुरक्षा, जनसाधारण के स्वास्थ्य की दशा इत्यादि।

(६) आर्थिक बाधाओं का ज्ञान होता है—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हमें देश के आर्थिक अभावों तथा विकास के मार्ग पर आने वाली बाधाओं का भी ज्ञान होता है जिनके फलस्वरूप किसी वर्ष राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती हो अथवा राष्ट्रीय आय की अस-नियोजन प्रगति हो रही हो।

(७) आर्थिक नियोजन के लिए—एक अविकसित राष्ट्र में उसकी आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए उसकी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का विशेष महत्व है। आर्थिक विकास के लिए निर्मित विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार प्राथमिकता का निर्धारण हो। योजना का क्या आकार हो। तथा देश के विकास के लिए राष्ट्र के पास

आर्थिक साधन क्या हैं ? इन सबका ज्ञान राष्ट्रीय योजना की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है जो राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के समुचित ज्ञान पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय आय एवं औद्योगीकरण

(National Income and Industrialization)

राष्ट्रीय आय का देश के औद्योगीकरण से भी सम्बन्ध है। कुछ लोगों का विचार है कि देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राष्ट्र का औद्योगीकरण अनिवार्य है। अर्थात् बिना औद्योगीकरण के कोई देश अपने नागरिकों के रहन-सहन का दर्जा ऊपर नहीं उठा सकता। परन्तु यह कथन सदैव सत्य नहीं, यह अवश्य है कि औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से देशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता मिलती है परन्तु आधुनिक काल में ससार में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ औद्योगीकरण के बिना लोगों का रहन-सहन का दर्जा काफी ऊँचा है जिसके कारण उपरोक्त कथन पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अर्जेन्टाइना, यूरुगुय (Uruguay), आयरलैंड तथा फिनलैंड कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनका औद्योगीकरण न होने हुए भी उनकी प्रति व्यक्ति आय रुस (U. S. S. R.), जापान, इटली जैसे औद्योगिक देशों से अधिक है। इस प्रकार यदि सीरिया (Syria) के निवासियों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ईरान या सऊदी अरबिया (Saudi Arabia) के लोगों से अधिक है तो इसका कारण यह नहीं कि इन देशों की अपेक्षा सीरिया का औद्योगीकरण अधिक हुआ है।¹ इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश का औद्योगीकरण ही देश के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने का एकमात्र साधन नहीं है।

राष्ट्रीय आय की गणना करने की रीति

(Method of Calculation of National Income)

किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये कई रीतियाँ प्रयोग में आती हैं। जैसे :—

- (१) आय प्रणाली अथवा आय रीति (Income Method)
- (२) उत्पादन गणना रीति (Census of Production Method)
- (३) मिश्रित पद्धति (Combination of Both)

आय प्रणाली—देश की राष्ट्रीय आय को आँकने की आय पद्धति के अन्तर्गत उस देश में विभिन्न व्यवसायों में लगी कुल जनसंख्या द्वारा प्राप्त की हुई आय जानने

1 D. Krishna—“Power, Planning and Welfare”, p. 9.

की आवश्यकता होती है। इस कारण इस रीति को अपनाने के लिए आय कर के आंकड़ों की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों की श्रौंसत आय निर्धारित कर ली जाती है परन्तु इस प्रणाली द्वारा देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारण में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं जैसे—

(१) यह रीति कम उर्दी देशों में अर्नाई जा सकती है जहाँ अधिकांश जनता आय कर देती है। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग आय कर देता हो यह रीति अपनाना उच्युक्त नहीं।

(२) इन रीति के अनुसार देश की एक भारी संख्या की आय, जो आय कर की सीमा से कम है, अनुमान नहीं लग पाता। इस कारण भारत जैसे निर्धन राष्ट्र में यह पद्धति अपनाना कठिन होगा।

(३) आय रीति को अपनाने में एक आर कठिनाई, देश की वृषि द्वारा होने वाली आय का अनुचित अनुमान न होने के कारण, उत्पन्न होती है। इस कारण भारत जैसे वृषि प्रधान देश में इस पद्धति द्वारा देश की राष्ट्रीय आय का वास्तविक शान नहीं हो सकता।

उत्पादन गणना रीति—उत्पादन गणना रीति द्वारा भी राष्ट्रीय आय निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हमें देश की प्रत्येक उत्पादन की इकाई (Unit of Production) द्वारा वर्ष में किये गये कुल उत्पादन की जानकारी करनी होती है। फिर इस समस्त उत्पादन तथा विभिन्न सेवाओं का प्रचलित दर के आधार पर मूल्यांकन कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं का दोहरा मूल्यांकन न हो जाये अर्थात् यदि किसी वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया है तो उस वस्तु के लिए की गई सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ना चाहिये। परन्तु इस रीति को अपनाने के लिए देश में होने वाले समस्त उत्पादन तथा की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े उपलब्ध हो। भारत जैसे देश में जहाँ आवश्यक आँकड़े पर्याप्त मात्रा में प्राय नहीं हैं इस रीति को अपनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

मिश्रित पद्धति—इस पद्धति में आय रीति तथा उत्पादन गणना रीति का मिश्रित प्रयोग होता है। देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त दो प्रमुख पद्धतियों में आने वाली कठिनाइयों के कारण एक नई रीति का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अग्रगण्य का श्रेष्ठ भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन के विशेषज्ञ डा० वी० के० आर० वी० राव (Dr. V. K. R. V. R.) को है जिन्होंने देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए प्रणालियों का बड़ी सकलतापूर्वक सम्मिधय रिया है। डा० राव

पद्धति को अपनाने के दो प्रमुख कारण ये : प्रथम भारत में आयकर देने वालों की संख्या नगण्य (एक प्रतिशत से भी कम) होने के कारण आय रीति का उपयोग असम्भवजनक था। द्वितीय उत्पादन सम्बन्धी पद्धति आँकड़ा के अभाव में देश की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपयुक्त नहीं थी।

इस पद्धति के अन्तर्गत डा० राव ने सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों का तो प्रयोग किया ही है, साथ साथ स्वयं जाँच तथा सर्वेक्षण द्वारा भी ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में आय का अनुमान लगाया है जिससे सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

उपर्युक्त रीतियों का तुलनात्मक महत्त्व—राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए किस रीति का प्रयोग किया जाय ? यह बहुत कुछ देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रगति तथा प्रशासकीय क्षमता पर निर्भर करता है। विकसित तथा कभी देशों में जहाँ

प्रत्येक व्यक्ति आय कर देते हैं तथा जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं, उनमें आय रीति अपना उत्पादन गणना रीति का प्रयोग ही सर्वथा उपयुक्त होगा। परन्तु भारत की स्थिति भिन्न होने के कारण मिश्रित पद्धति का अपनाना अधिक उचित है। इसने द्वारा ही राष्ट्रीय आय की सही गणना की जा सकती है अतः भारत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीति यही होगी।

भारत में राष्ट्रीय आय के पूर्व अनुमान

(Earlier estimates of national income in India)

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सम्बन्धी कार्य विभिन्न अधिकारियों तथा सामाजिक निभृतियों द्वारा किये गये हैं। अतः इस क्षेत्र में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अनुमान ज्ञानने योग्य हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में भारत के प्रसिद्ध नेता तथा समाजसुधारक दादलामाई नौरोजी का कार्य विशेष महत्त्व का है। उन्होंने सर्वप्रथम १८६८ में यह अनुमान लगाया कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २० रु० थी। इससे परन्तु सन् १८८२, १९०० तथा इसके पश्चात् किये गये अनुमानों को हम अग्र तालिका में प्रदर्शित करते हैं—

नाम	वर्ष	प्रति व्यक्ति आय		
		₹	आ०	पाई
दादा भाई नौरोजी	१८६८	२०	०	०
लार्ड फ्रीमर तथा बारबर	१८८२	२७	०	०
विलियम डिंगी	१८९८-९९	१७	८	५
लार्ड कर्जन	१९००	२०	०	०
एफ० जी० एटकिन्सन	१८७५	३०	८	०
एफ० जी० एटकिन्सन	१८९५	३९	८	०
वाडिया तथा जोशी	१९१३-१४	४४	५	६
शाह तथा खन्नाटा	१९००-१४	३६	०	०
किडले सिराज	१९२१	१०७	०	०
" "	१९२२	११६	०	०
साइमन कमीशन रिपोर्ट	१९२९	११६	०	०
डा० वी० के० आर० वी० राव	१९२५-२९	७६	०	०
" "	१९३१-३२	६५	०	०
" "	१९४२-४३	११४	०	०
		१२५		

उपरोक्त तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जो अनुमान प्रदर्शित किये गये हैं उनमें काफी अन्तर है। एक ओर जब कि १८६८ में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत की प्रति व्यक्ति आय २० ₹ आंकी गई थी उसके बाद १९०१ में डिंगी के अनुसार यह केवल १८ ₹ से कुछ अधिक ही थी जब कि इसने एक वर्ष पूर्व १९०० में लार्ड कर्जन ने भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३० ₹ बनाई थी। इस प्रकार एक साल के अन्तर में दोनों अनुमानों में लगभग ११ ₹ ७ आ० १ पा० का अन्तर है। राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों तथा अधिकारियों द्वारा जो अनुमान लगाये गये हैं उनमें पारस्परिक भिन्नता के अनेक कारण हैं जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य स्तर में निरन्तर परिवर्तन होना तथा राष्ट्रीय आय के अनुमान स्तरों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना।

राष्ट्रीय आय की गणना का सामाजिक महत्त्व

(Social Importance of National Income Estimates)

राष्ट्रीय आय की गणना का किसी देश के लिए बड़ा सामाजिक महत्त्व है। किसी देश में राष्ट्रीय आय तथा उसके वितरण के स्वरूप द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यदि सामाजिक आय का वितरण न्यायोचित न किया गया हो तो वह देश में निर्धनता एवं लाचारी का कारण बन जाती है। प्रथम महायुद्ध के पहले जैसा कि सर लियोचिओजा मनी (Sir Leochiozza Mo-

ने इंग्लैंड के सम्बन्ध में अनुमान लगाते समय कहा था कि इस देश की कुल राष्ट्रीय आय का आधा भाग १२ प्रतिशत जनता द्वारा उपभोग किया जाता है तथा राष्ट्रीय आय का एक तिहाई हिस्सा देश की जनसंख्या के तीसरे भाग द्वारा हड़प कर लिया जाता है।^१ परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण देश के लिए सदैव हितकर होता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण का वास्तविक महत्व है। परन्तु किसी समय पूँजी के समय पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ने से देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप देशवासियों के उपभोग स्तर (level of consumption) में परिवर्तन हो जायेगा।

भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन का जन्म सामाजिक कार्यों से हुआ। विदेशी शासन काल में भारतवासियों को अनेक सामाजिक, आर्थिक, राज-कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देशवासियों का जीवन अत्यन्त निम्न या देश में सर्वत्र निर्धनता एवं गरीबी के कारण तत्कालीन विचारकों तथा विद्वानों को इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाय जिससे शासन का ध्यान भारत की दयनीय आर्थिक अवस्था तथा राष्ट्रीय पतन तथा धन के असमान वितरण की ओर आकर्षित किया जा सके।

राष्ट्रीय आय समिति

(National Income Committee)

डॉ० वी० के० आर० वी० राय द्वारा सन् १९४२-४७ में किये गये राष्ट्रीय अनुमान के पश्चात् भारतवर्ष में राष्ट्रिय आय की गणना के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। परन्तु देश की समतन्त्रता के पश्चात् इस बात की ओर राष्ट्रीय सरकार का ध्यान जाना सामाजिक ही था। भारत सरकार ने देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने तथा इससे सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त १९४६ में 'राष्ट्रीय आय समिति' की स्थापना की जिसने सदस्य प्रो० पी० सी० महालनोबिस (Prof. P. C Mahalonobis), प्रो० डी० आर० गडगिल (Prof. D R Gadgil) तथा डॉ० राय थे। इस समिति ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों जैसे प्रो० साइमन कुजनेट्स (Prof Simon Kuznets) की सहायता से भारत की राष्ट्रीय आय का १९४८-४९ के सम्बन्ध में पहला वैज्ञानिक आधार पर किया गया अनुमान प्रस्तुत किया। समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जो सन् १९५४ में प्रकाशित हुई भारत की १९४८-४९ की कुल राष्ट्रीय आय १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर

है। राष्ट्रीय आय सम्बन्धी इस भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक विशेषज्ञ ने अलग-अलग रीति तथा दृष्टिकोण अपना कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है।

भारत में राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने में जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं वे निम्न हैं :—

(१) भारत की राष्ट्रीय आय आँकड़ों में आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पादन सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक आँकड़ों का अत्यधिक अभाव है। जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है उससे देश की राष्ट्रीय आय का वास्तविक रूप प्रस्तुत नहीं होता।

(२) देश की राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि द्वारा प्राप्त होता है परन्तु कृषि उत्पादन तथा कृषि में लगी हुई जनसंख्या की आय व्यय तथा उनके द्वारा की गई बचत का समुचित ज्ञान न होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में बड़ी कठिनाई होती है।

(३) भारत का अधिकांश भाग ऐसा है जहाँ मुद्रा का चलन अति सीमित मात्रा में होता है। फलस्वरूप उत्पादन के अधिकांश भाग का मूल्यमूल्यांकन नहीं हो सकता। उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा उदात्त स्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाता है जिससे कारण उसका मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बड़ा जटिल कार्य हो जाता है।

(४) राष्ट्रीय आय के अनुमान में देश का आकार भी कठिनाई का एक प्रमुख कारण है। एक विशाल तथा अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत जैसे देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में बड़े परिश्रम तथा व्यय की आवश्यकता होती है। अतः राष्ट्रीय आय का अनुमान एक कठिन समस्या है।

(५) हमारे देश के उत्पादन का अधिकांश भाग असंगठित दशा में होने के कारण राष्ट्रीय आय गणना सम्बन्धी कार्य में अत्यधिक अशुविधा होती है। उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित करने तथा उनके सम्बन्ध में आवश्यक निष्कर्ष निकालना जटिल कार्य हो जाता है।

(६) भारत एक ऐसा देश है जिसकी अधिकांश जनता अमी अशिक्षित है। अतः अपनी अज्ञानता के कारण राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए वह आवश्यक सहयोग प्रदान करने में अक्षम रहती है। अन्य देशों में जहाँ जनसंख्या शिक्षित है, वह राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जीवन का महत्व समझती है तथा जिसके लिए हर प्रकार की सहायता देने को तत्पर रहती है।

(७) भारतीय अर्थ व्यवस्था की आधाराशिला प्राचीन काल से उसने अर्थ

एन घरेलू उद्योग रहे हैं। विभिन्न कारणों से विभिन्न घरेलू उद्योग धंधों के विनाश हो जाने के पश्चात् भी भारत में इस समय अतिरिक्त सख्या में लोग अपनी जीविका इस प्रकार के अनेक घरेलू उद्योगों से प्राप्त करते हैं जिनमें लगे हुए व्यक्तियों की आय, उद्योग व्यय, तथा आय बाता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में भूमि पर अत्यधिक भार पड़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा शहर के समय बहुत बड़ी सख्या में लोग शहरों तथा नगरों में जीविका के लिए आते हैं ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति कई प्रकार के व्यवसायों से अपनी आय प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यवसाय के आधार पर एकनिष्ठ क्रिये गये आँकड़ों द्वारा आँकी गई राष्ट्रीय आय सतोपजनक नहीं कही जा सकती।

उपर्युक्त कठिनाइयों से स्पष्ट है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना एक बड़ा ही कठिन तथा व्यपशालित कार्य है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के लिए बड़े महत्व का विषय है। राष्ट्रीय आय की गणना हो जाने के पश्चात् मनचाह (arbitrary) निष्कर्षों का स्थान नहीं रहता। किसी देश का अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में यह जानने के लिए कि उसमें मुद्रा क्षेत्र (money sector) का कितना विस्तार हुआ है तथा देशवासियों के विभिन्न समुदाय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भार का सहन करने की कितनी सामर्थ्य है। इसकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय आय की गणना अनेक कठिनाई तथा बाधाओं के होने हुए भी एक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण कार्य है।

भारत की राष्ट्रीय आय की अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से तुलना (India's National Income compared with National Income of other Countries)

भारत की राष्ट्रीय आय का अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से तुलनात्मक अध्ययन के लिए अगले शृंखला पर एक तालिका प्रस्तुत की जा रही है जिसमें संसार के कुछ प्रमुख देशों की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई है।

वृद्ध प्रमुख देशों की राष्ट्रीय आय

देश	१९५०		१९५५	
	कुल आय (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	कुल आय (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
भारत	६५३००	२६५	६६५००	२५२
ऑस्ट्रेलिया	३२०५६	३६०६	४५२००५	५६५१
कनाडा	६०६३१	४३५२	६६१५५	६१६७
सीलोन	३८४०	५४८	५१७०२	७५५
फ्रांस	६६२८५	२३०६	१६६२४३	३६३६
पश्चिम जर्मनी	८१०००	१६८८	१४३४००	२६८३
इटली	५२३००	१११३	८००००	१६८३
जापान	४४५००	५३६	८६६००	१०१०
संयुक्त राज्य	१४१६८०	२८३३	२०३०१३	३६८१
संयुक्त राज्य अमेरिका	११४२८५७	७५६८	१५४२८५७	६३५१

उपरोक्त तालिका में भारत की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का सार के अन्य देशों की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अध्ययन से भारत की आर्थिक प्रगति तथा अन्य देशों की अपेक्षा भारतवासियों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। जैसा कि स्पष्ट है भारत की राष्ट्रीय आय उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित उन देशों से कम है। तालिका से इस बात का भी ज्ञान होता है कि राष्ट्रीय आय की दृष्टि से सार के राष्ट्रों में बड़ा अन्तर है। अमेरिका जैसे धनी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से लगभग ३७ गुना अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की लगभग २२ गुना तथा सीलोन की लगभग ३ गुना अधिक है। इस कारण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए हमें अपने देश के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए काफी प्रयास करना होगा। अधिक उत्पादन द्वारा ही देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है तथा कुल राष्ट्रीय आय तथा देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना में राष्ट्रीय आय की कठिनाइयाँ

(Difficulties in the International Comparison of Nations' Income)

यद्यपि राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक अध्ययन का बड़ा महत्व है परन्तु इसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलना में बड़ी कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई

समस्त देशों की राष्ट्रीय मुद्रा (national currency) के एक सामान्य मुद्रा (common currency) में परिवर्तन करने से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब एक विकसित देश की राष्ट्रीय आय की तुलना एक अविकसित देश की राष्ट्रीय आय से की जाती है तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। एक धनी और निर्धन देश के आर्थिक जीवन में विजता होने के कारण ही मुख्यतया ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। एक अविकसित देश में परिवार का बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया जाता है। इस कारण परिवार व सदस्यों द्वारा की गई सेवाओं तथा कुल उत्पादन में उनके द्वारा लिये गये उपभोग की मात्रा विकसित राष्ट्र की तुलना में अधिक होती है। धनी देशों के लोगों को अपनी अधिमात्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण इन देशों की राष्ट्रीय आय में सेवाओं द्वारा उत्पन्न आय का अधिक महत्व है जब कि निर्धन देश के लोगों को दूसरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती।

राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के स्रोत

(Sources of National Income)

किसी देश में राष्ट्रीय आय के अनेक स्रोत होने हैं जिनके द्वारा देश अपनी राष्ट्रीय आय की प्राप्ति करता है। वर्ष भर में उत्पादन के इन समस्त स्रोतों में होने वाले कुल उत्पादन का मूल्य चालू मूल्यों के आधार पर निकाल लिया जाता है। हमारे देश में भी कृषि, रान, निर्माण तथा व्यापार इत्यादि से राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। निम्न तालिका में हम देश में मुख्य प्रकार की उत्पादन क्रियाओं द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का प्रदर्शन करते हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के विभिन्न साधनों का तुलनात्मक महत्व क्या है।

भारत की राष्ट्रीय आय का औद्योगिक वितरण

(प्रतिशत)

राष्ट्रीय आय के साधन	प्रतिशत			
	१९५३ ५४	१९५४ ५५	१९५५ ५६	१९५६ ५७
कृषि	४९.७	४८.९	४७.९	४७.८
खनिज, निर्माणकार्य तथा छोटे उद्योग	१६.४	१६.५	१६.८	१६.७
व्यापार, यातायात इत्यादि	१८.२	१८.६	१८.८	१८.९
अन्य साधन	१५.७	१६.०	१६.५	१६.५

उपरोक्त तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय के जो प्रमुख साधन प्रदर्शित किये गये हैं उसके अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन कृषि तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग ही हैं और इसकी तुलना में अन्य साधनों द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय बहुत कम है। सन् १९५६-५७ की राष्ट्रीय आय का ४७.८ प्रतिशत भाग कृषि द्वारा प्राप्त हुआ है जब कि उद्योग तथा व्यापार द्वारा क्रमशः १६.७, १८.६ प्रतिशत ही आय प्राप्त हुई है। यह व्यापारिक ही है कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन हो। परन्तु देश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि-शीलता औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। इस कारण हमें आगामी कुछ वर्षों में देश के औद्योगीकरण पर अधिक बल देना होगा। संसार के विशाल तथा विकसित राष्ट्रों की आर्थिक सम्पन्नता का रहस्य भी मुख्यतया यही है कि उन देशों में कुल जन-संख्या का बहुत छोटा भाग कृषि पर आश्रित होने के कारण राष्ट्रीय आय का बहुत ही सीमित भाग कृषि द्वारा प्राप्त होता है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

संसार के प्रमुख देशों में कृषि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय—१९५५
(कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत) P Khanna

देश	कृषि तथा कृषि सम्बन्धी उद्योगों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय
भारत	४३.७
कनाडा	१०.०
जापान	२१.८
संयुक्त राज्य	४.६
संयुक्त राज्य अमेरिका	४.९

प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (Per Capita Real Income)

राष्ट्रीय आय समिति के अनुमानों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए सन् १९४८-४९ में उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय २४६.९ रु० थी जब कि १९५६-५७ की अनुमानित राष्ट्रीय आय १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर २८४ रु० हो गई। परन्तु वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ देशवासियों के आर्थिक जीवन में

कोई विशेष सुधार होता दिखाई नहीं देता है। यदि एक ओर प्रति व्यक्ति द्राव्यिक आय (money income) बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर वास्तविक आय में होने वाली प्रगति बड़ी असन्तोषजनक है। सन् १९५०-५१ को आधार वर्ष मान कर भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:—

वर्ष	प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (आधार वर्ष = १९५०-५१)
१९५०-५१	१००
१९५१-५२	१०१.५
१९५२-५३	१०४.२
१९५३-५४	१०६.२
१९५४-५५	१०६.२
१९५५-५६	१११.१
१९५६-५७	११४.६

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय (National Income During India's Five Year Plans)

राष्ट्रीय आयोजना आयोग ने भारत की आगामी कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुमान लगाये हैं। यदि देश में उत्पादन की वृद्धि के लिए बराबर प्रयत्न होता रहे तो देश की १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय लगभग २१ वर्ष के भीतर अर्थात् १९७१-७२ तक दुगुनी हो जाने की सम्भावना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश की राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। परन्तु राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश की कुल राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ हो गई थी जिससे ११ प्रतिशत के स्थान पर देश की राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् देश की राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाने का अनुमान योजना आयोग द्वारा लगाया गया है। अग्रे तालिका में हम भारत की आगामी वर्षों में होने वाली राष्ट्रीय आय की प्रगति का चित्र प्रस्तुत करते हैं।

देश की राष्ट्रीय आय की प्रगति (१९५१—१९७६)^१

काल	पंचवर्षीय योजना	राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०)	जनसंख्या (करोड़)
१९५१-५६	प्रथम	१०८००	३८५
१९५६-६१	दूसरी	१३५८०	४०८
१९६१-६६	तीसरी	१७२६०	४३५
१९६६-७१	चौथी	२१६८०	४६५
१९७१-७६	पाँचवीं	२७२७०	५००

जनसंख्या सम्बन्धी उपरोक्त विवेचन से इस बात का आभास होता है कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति अभी सतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के उत्पादन में निरन्तर प्रगति होती रहे, तभी देशवासियों के लिए पर्याप्त वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

प्रश्न

- 1 Write a short note on 'National Income of India'
(Agra 1960, 1955)
- 2 What do you understand by National Income? What is the National Income of India?
(Agra, 1957)
- 3 Describe the methods of calculating National Dividend in India. Discuss the merits and demerits of each method' (Punjab, 1955)

आर्थिक आयोजन

(Economic Planning)

आर्थिक आयोजन का अर्थ

आयोजन का अर्थ है प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों के साथ दुर्लभ साधनों का सजग सामंजस्य स्थापित करना। इसके अन्तर्गत, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम बटन करके उन्हें अधिकतम वाञ्छनीय दिशाओं में प्रवाहित करना पड़ता है। 'नेशनल प्लानिंग कमिशन' के अनुसार प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत आयोजन का अर्थ "राष्ट्रवादी विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्र का प्रतिनिधिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित उपभोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार एवं श्राय वितरण के प्राविधिक (technical) समन्वय को कहते हैं। इस प्रकार के आयोजन को न केवल आर्थिक एवं उच्चतर जीवन-स्तर के दृष्टिकोण से देखना है, बल्कि इसमें अन्तर्गत जीवन के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय पक्ष का भी समावेश होना चाहिए।"^१

इस प्रकार आयोजन का अर्थ आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्यपूर्ण निर्देशन है। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और निर्देश कुशल केन्द्रीय अधिकारी के द्वारा दिये जाने चाहिए।

संसार के प्रायः सभी विचारों के लोग आज इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसी भी देश की निर्भरता की समस्या और आर्थिक विकास की प्रगति को तीव्र करने के

१ Planning under democratic system may be defined as the technical co-ordination by the disinterested experts of consumption, production, investment, trade and income distribution in accordance with social objectives set by bodies representative of the nation. Such planning is not only to be considered from the point of view of economics and the raising of standard of living but must include cultural and spiritual values and the human side of life.—National Planning Commission

लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक आयोजन अपनाना अति आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध साधनों का तीव्र स्तर पर योजनाबद्ध उपयोग है, जिससे देश के उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा जनता के सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके। आज से ४० वर्ष पूर्व 'आर्थिक आयोजन' कुछ आर्थिक विवेचकों के एक काल्पनिक रूपन के अतिरिक्त और कुछ न था। यहाँ तक कि सन् १९३० तक अनेक अर्थशास्त्री आयोजित अर्थ-व्यवस्था को एक हास्यास्पद वस्तु ही समझते थे। किन्तु द्वितीय महायुद्ध तक आर्थिक आयोजन लगभग सभी राष्ट्रों की आर्थिक नीति का एक आवश्यक अंग बन गया।

संसार में मोपियत रूस ही ऐसा देश था जिसने अपने आर्थिक विकास के लिए सर्वप्रथम 'आर्थिक आयोजन' का सहारा लिया। अग्रेल सन् १९१८ में बोल्शेविक रूस के प्रधान श्री लेनिन ने 'एकाडेमी ऑफ साइन्सेज' को रूस की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था तथा विशेषरूप से उद्योगों का पुनर्गठन करने के लिए एक योजना (plan) की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा। लेनिन के इस प्रस्ताव के फलस्वरूप २१ फरवरी सन् १९२० में 'स्टेट कमेटी फॉर दी इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ रश्या' (GOELRO) का निर्माण हुआ, जिसने दिसम्बर सन् १९२० में देश के २०० सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सहायता से २६,५०० मिलियन रूबल (रूसी मुद्रा) की लागत से एक योजना तैयार की। इस योजना का नाम Plan for the Electrification of the U S S R था। इस योजना के अनुसार रूस को 'समाजवादी अर्थ व्यवस्था' (Socialist Economy) की नींव पड़ी।

यह योजना पूर्णतया सफल रही। इसकी सफलता से प्रभावित होकर कॉमरेड स्टालिन ने देश (रूस) के अन्नसंकट के सम्बन्ध में घोषित किया कि 'आयोजन के कार्य तथा महत्ता को कम करना भूल होगी।' और उन्होंने देश के भावी विकास के लिए तीन पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं। इन योजनाओं में क्रमशः ६४,६०० मिलियन १,३३,४०० मिलियन तथा १,६२,००० मिलियन रूबल व्यय करने का अनुमान लगाया गया था। सीमाव्यवस्था ये तीनों योजनाएँ पूर्णतया सफल रहीं और उनकी सफलता के फलस्वरूप रूस का सर्वाङ्गीण विकास हुआ, जैसा कि अग्र तालिका से स्पष्ट है—

†

	इकाई (Unit)	१९१३	१९४०	१९४० के उत्पादन का १९१३ से अनु० (१९१३=१)
(१) राष्ट्रीय आय	ह० मि० रूपल	२१०	१२८३	६०
(२) सब उद्योगों का सकल (Gross) उत्पादन	"	१६२	१३८५	८५
(३) उत्पादन के साधनों का उत्पादन	"	५४	८४८	१५५
(४) उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	"	१०८	५३७	५०
(५) कच्चा लोहा (Pig Iron)	मिलि० टन	४२	१५०	३६
(६) इस्पात (Steel)	"	४२	१८३	४४
(७) कोयला	"	२६०	१६६०	५७
(८) तेल	"	६०	३१०	३४
(९) विद्युत शक्ति	ह० मि० कि०	१६	४८३	२६०
(१०) मशीन निर्माण तथा धातु कार्य	ह० मि० रूपल	१५	५०२	३३०
(११) निर्यात अतिरिक्त (Sur plus) अनाज	मिलियन टन	२१६	३८३	१८
(१२) रई (Raw cotton)	"	०७४	२७	३६

उपरोक्त तीनों पंचवर्षीय योजनाओं का आधार लेनिन तथा स्टेलिन द्वारा अपनाया हुआ सिद्धान्त—देश का समाजवादी औद्योगीकरण—था।

प्रोफेसर मारिस डॉन ने ठीक ही कहा—इसमें सदेह है कि पहले कमी भी, ससार के इतने विशाल भू-पट्ट पर, इस प्रकार के गहन परिवर्तन, इतने अल्प समय में हुए हो जितना कि सोवियत रूस में हुआ।

रूस ने सिद्ध कर दिया कि (१) कोई भी देश विकास में इसलिए नहीं पिछड़ा कि वह गरीब था या वहाँ बचत और पूँजी निर्माण कम होता था। देश के पिछड़ने के कारण आर्थिक संगठन की कमजोरी और लापरवाही होती है। (२) कृषि प्रधान देशों में औद्योगीकरण से खेती का उत्पादन अम के अभाव के कारण कम नहीं होता क्योंकि इन देशों के ग्रामीण क्षेत्र पर आवश्यकता से बहुत अधिक आबादी रहती है। (३) विदेशी पूँजी की अत्यधिक सहायता लिये बिना भी विकास हो सकता है। (४) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का केन्द्रीय निर्देशन तथा संचालन, कम से कम समय में आर्थिक प्रगति सम्भव बना देगा। (५) न्याज तथा लाभ बिना भी विशाल पूँजी तथा विनियोग किया जा सकता है। (६) मूल्य निर्धारण पर लागत, माँग तथा पूर्ति का अभाव, हटाया जा सकता है। (७) औद्योगिक मंदी आवश्यक नहीं है।

अमेरिका की राष्ट्रीय प्रगति के जो आँकड़े हमें मुलभ हैं उनसे पता चलता है कि पिछले ७५ वर्षों में हर २० वर्ष बाद अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पादन बढ़कर दुगुना

हो गया है। इस प्रकार सन् १९८० की तुलना में इस समय अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पादन १३ गुना अधिक है। यह सब आर्थिक आयोजन की ही देन है।

प्रारम्भ में राष्ट्र आर्थिक आयोजन अपनाते में हिचकिचाते थे, क्योंकि इन योजनाओं से 'समाजवाद की गंध' (Socialist flavour) आती थी। परन्तु रुस की योजनाओं की आश्चर्यजनक सफलता एवं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी (economic depression) ने विभिन्न देशों को आर्थिक आयोजन अपनाने के लिए विवश कर दिया। वाशिंगटन एव जोशी के शब्दों में, 'सोवियत रुस की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं के उपरान्त आयोजन आर्थिक ररावियों के लिए रामबाण औपधि समझी जाने लगी है। यहाँ तक कि पूँजीपति और व्यापारी वर्ग जो आयोजन के शत्रु और स्वतन्त्र व्यापार के पुजारी माने जाते हैं, वे भी आयोजन के पक्के अनुयायी बन गये हैं।' इस प्रकार अनियन्त्रित पूँजीवाद की आर्थिक कमजोरियाँ, युद्ध में अपनाया गया आर्थिक आयोजन, वर्तमान युद्धजनित भीषण बर्बादी, आर्थिक आयोजन पर अर्थशास्त्रियों की स्वीकृति, समस्त बड़े राष्ट्रों को आयोजन में बढ़ती हुई दिलचस्पी, आयोजन की ओर बढ़ती हुई दिलचस्पी के लिए उत्तरदायी हैं।

आज ससार के लगभग सभी राष्ट्र किसी न किसी प्रकार के आयोजन के पक्ष में हैं। अविक्सित राष्ट्रों के लिए तो आर्थिक आयोजन 'जीवन सजीवनी' हो गया है।

भारतवर्ष में आर्थिक आयोजन

(Economic Planning in India)

यों तो भारतवर्ष में समय समय पर कुछ महान् विभूतियों ने अपनी दूरदर्शिता एवं उदारता के कारण जनता एवं सरकार का ध्यान तत्कालीन भारतीय दरिद्रता, पिछड़ी हुई अवस्था एवं ग्रन्थ गम्भीर समस्याओं की ओर अपनी विदुषी लेखनी द्वारा आकृष्ट किया है। यत्र-तत्र कुछ प्रयास भी किये गये। परन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये जिनको हम 'आर्थिक नियोजन' की संज्ञा दे सकें। इसके दो कारण रहे हैं—एक तो जनता की उदासीनता तथा दूसरे नियोजन से आने वाली 'समाजवादी गंध' (Socialist flavour) जो कि तत्कालीन सरकार को बिल्कुल पसन्द न थी।

सर्वप्रथम देश के माननीय जस्टिस रानाडे ने सन् १९६२ में जनता से भारतीय राजनैतिक अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक, वास्तविक एवं सापेक्षिक अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया। इसके द्वारा देश के नेताओं एवं नागरिकों का ध्यान स्वतः भारत की तत्कालीन प्रमुख गम्भीर समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ।

देश के वयोवृद्ध अध्ये डा० एम० विश्वेश्वरैया, जो कि सुप्रसिद्ध इजीनियर, प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं उद्योगपति हैं, ने १९२० में 'भारत के लिए आयोजित अर्थ

व्यवस्था' (Reconstructing India) नामक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने अपनी पुस्तक में आर्थिक जीवन के क्रमबद्ध तथा योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पर बल दिया और समस्त भारत के आयोजित विकास के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इस प्रकार आयोजन के क्षेत्र में अग्रगणी अथवा अग्रगण्य (pioneer) होने का श्रेय श्री मिशनेरवरैवा को ही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् १९३८ में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय आयाजन समिति' (National Planning Committee) नियुक्त की थी। १९३९ से १९४५ तक युद्धजनित परिस्थितियों के कारण उसका कार्य प्रगति न कर सका। युद्ध की समाप्ति पर समिति ने इस विषय पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की।

सुदोत्तर पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने १९४४ में एक 'याचना तथा विकास विभाग' स्थापित किया। उसी वर्ष प्रांतीय सरकारों का भी सुदोत्तर विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा गया।

द्वितीय महायुद्ध-काल में अनेक गैर सरकारी याचनाएँ भी तैयार की गईं, उनमें से प्रमुख ये थीं —

(१) बम्बई के अधशास्त्रियों एवं उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई 'बम्बई योजना' (Bombay Plan)

(२) श्री एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत 'लोक याचना' (People's Plan) तथा

(३) श्री आम्बेदाकर द्वारा तैयार की गई 'गांधीवादी योजना' (Gandhian Plan)।

परंतु दुभाग्यवश ये योजनाएँ सफल न हो सकीं क्योंकि इनके पास कोई वैधानिक सत्ता नहीं थी।

सन् १९४७ में देश के स्वतंत्र हो जाने के परिचात् पुनः आर्थिक नियोजन की श्रम ध्यान दिया गया। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के परिचात् आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता कोई महत्व नहीं रखती है। फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश की आर्थिक दशा सुधारने और देशवासियों का जीवनस्तर ऊँचा उठाने का बीड़ा उठाया। श्री श्रीमन्ना, रायण, सदस्य, ज्ञानिग कमीशन, के शब्दा में 'भारत लोकतन्त्रीय व्यवस्था के भीतर आर्थिक आयोजन के महान् प्रयोग पर उतर पड़ा है। हमारे प्रयत्नों में तनिक भी त्रिहार होने से न सिर्फ हमारी आर्थिक प्रगति धीमी होगी बल्कि स्वयं लोकतन्त्र भी खतरे में पड़ जायगा। पंडित नेहरू ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि 'इस समय अगर तनिक

भी देर की गयी तो उसका मतलब यह होगा कि बाद में चलकर और भी ज्यादा भार उठाने पड़ेंगे ।'

फलस्वरूप मार्च सन् १९५० में देश व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 'नेशनल डार्निंग कमीशन' की स्थापना हुई, जिससे वह हमारे साधनों का लेखा जोखा तैयार करे, और ऐसी योजना बनाये कि अधिक से अधिक अक्षरदार तथा संतुलित ढंग से उनका उपयोग किया जा सके ।

जुलाई १९५१ में योजना का मसविदा 'अधिक से-अधिक सार्वजनिक आलोचना और निवार' के लिए प्रकाशित कर दिया गया । यह मसविदा केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा जनमत के प्रतिनिधियों की सलाह से तैयार किया गया था । 'कमीशन' को इसके फलस्वरूप जो सुझाव प्राप्त हुए, उनकी रोशनी में मसविदे का सुधार किया गया । दिसम्बर १९५२ में भारतीय संसद के सामने प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने अंतिम रूप में प्रस्तुत की गई, और उसे १६ दिसम्बर सन् १९५२ को संसद की स्वीकृति प्राप्त हुई । ३१ दिसम्बर सन् १९५२ को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम एक सन्देश ब्राडकास्ट किया । उन्होंने कहा कि 'जनता के विभिन्न हिस्सों में अधिक से अधिक मतैक्य का यह प्रतिनिधित्व करती है । नवीन भारत के निर्माण के इस महान् प्रयास में हम सब साझेदार बनें ।'

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विकास कार्य आरम्भ करना था, जिससे लोगों के रहने सहने का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें । योजना का उद्देश्य केवल साधनों का हा विकास करना नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना और लोगों की आवश्यकता तथा मावनाओं के अनुरूप एक समाज की रचना करना भी था ।

सन् १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना एक दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया है । प्रथम योजना काल (१९५१-५६) में राष्ट्रीय आय को ६० अरब रुपये से बढ़ाकर १ खरब रुपये करने का लक्ष्य रखा गया । बचत की दर में वृद्धि करके १९५५-५६ तक इसे ६३ प्रतिशत, १९६०-६१ तक ११ प्रतिशत तथा १९६७-६८ तक २० प्रतिशत कर देने का विचार किया गया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य में उन्नततर विकास की जैसा कि 'भारत शा', सार्वजनिक क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम में प्रस्तावित ध्येय के लिये प्रारम्भ में २,०६६ करोड़ रुपये रखे गये थे जो बाद को बढ़ाकर २,३५६ करोड़ रुपये कर दिये गये ।

प्रथम योजना काल में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के साथ साथ वृद्धि के

विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। परिवहन (transport) तथा संचार साधनों के विकास को भी प्राथमिकता मिली। औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी सहायकों पर छोड़ दिया गया।

व्यय

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मुख्य मर्दों पर हुआ वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दिया गया है :

मुख्य मर्दों पर वास्तविक व्यय (प्रथम योजना)

	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	२६६	१४.८
सिंचाई तथा विद्युत	५८५	२६.१
उद्योग और खनन	१००	०.५०
परिवहन तथा संचार साधन	५३२	२६.४
ग्राम संचार	४२३	२१.०
विशेष	७८	३.७
योग	२०१३	१००.०

२०१३ करोड़ रुपये के आँकड़े जो उपर्युक्त तालिका में दिये गये हैं, पाँचों वर्षों के लिए सशोधित प्रकथना पर आधारित हैं। पुनर्विचार किये जाने के क्रमस्वरूप अत्र वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

योजना के आर्थिक साधन

प्रथम योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये १६६० करोड़ रुपये की व्यवस्था निम्न साधनों के द्वारा की गई थी :

(करोड़ रुपयों में)

साधन	घनराशि
(१) रेवेन्यू एकाउन्ट से प्राप्त किये गये साधन (रेलवे के असाधान सहित)	७५२
(२) बनता से प्राप्त ऋण	२०५
(३) अल्प बचत तथा अशोध्य ऋण (Unfunded Debt)	३०४
(४) पूँजीगत लेखों पर अन्य विविध प्राप्तिर्षाँ	६१
(५) वाह्य सहायता	१८८
(६) घाटे की व्यवस्था से प्राप्त साधन	४२०
योग	१,६६०

योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी नींव तैयार करना था जिस पर एक प्रगतिशील तथा विविधतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। योजना के निर्माण के समय हमारे नवोदित स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्र के सम्मुख अनेक महत्वपूर्ण समस्याएँ थीं जैसे खाद्य और कच्चे माल की कमी तथा मुद्रा स्थिति का निरन्तर दबाव। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि योजना का मूल उद्देश्य भविष्य में शीघ्र उन्नति के लिए भूमिका तैयार करना है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया कि समुचित और व्यापक आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हो।

हर्ष का विषय है कि प्रथम योजना को आशावाँत सफलता प्राप्त हुई। प्रथम योजना के लघुकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों की भरपूर पूर्ति हुई। देश के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। मुद्रा स्थिति बेहतर प्रभाव लगभग समाप्त हो गये। योजना के अन्त में सामान्य मूल्य स्तर प्रारम्भ की अपेक्षा १५% कम था। राष्ट्रीय आय में १८%, कृषि उत्पादन में ३०%, विद्युत-शक्ति में ८४%, पँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में ७०%, औद्योगिक तथा उपभोगीय पदार्थों में ३४% तथा औद्योगिक उत्पादन में कुल मिला कर ३०% वृद्धि हुई। अनेक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कारखाने खोले गये। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों ही योजना के निर्धारित लक्ष्यों से कहीं आगे निकल गये। निनियोग की दर में भी प्रगति हुई। योजना के प्रारम्भ में निनियोग की दर राष्ट्रीय आय की ५% थी जो कि योजना के अन्त तक ७% हो गई। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति का द्वितीय योजना के साथ दी गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ को मसद में प्रस्तुत की गई। इसके मुख्य उद्देश्य हैं :-

- (१) राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि;
- (२) विशेषकर मूलभूत (बुनियादी) तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ *हताश्रितों के औद्योगिकीकरण*;
- (३) रोजगार के अधिक अवसरों की सुविधा; तथा
- (४) आय और धन में पाई जाने वाली असमानता में कमी तथा धन का समान वितरण।

व्यय तथा आवंटन

द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों पर ४८०० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जब कि प्रथम योजना में कुल २३६५ करोड़ रुपये के व्यय का रखा गया था और वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये का हुआ। इसमें स्थानीय विकास कार्यों को कार्यान्वित करने में जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्मिलित नहीं है। विकास के मुख्य मदों का व्यय-विभाजन निम्न तालिका में दिखाया गया है :

योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास शीर्षकों के अनुसार व्यय-विभाजन

	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		प्रथम योजना पर द्वितीय योजना की प्रतिशत वृद्धि
	कुल व्यवस्था (करोड़ रुपये)	प्रतिशत	कुल व्यवस्था (करोड़ रुपये)	प्रतिशत	
कृषि तथा सामुदायिक विकास	३५७	१५.१	५६८	११.८	५६.१
संचार तथा विद्युत	६६१	२८.१	६१३	१६.०	३८.१
उद्योग तथा खनन	१७६	७.६	८६०	१८.५	३६७.२
परिवहन तथा संचार साधन	५५७	२३.६	१३८५	२८.६	१४८.७
समाज सेवाएँ	५३३	२२.६	६४५	१६.७	७७.३
निविध	६६	३.०	६६	१.१	४३.५
योग	२,३५६	१००.०	४,८००	१००.०	

४,८०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से २,५५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार तथा २,२४४ करोड़ रुपये राज्य सरकारों वहन करेंगी। कुल व्यय में से ३,८०० करोड़ रुपये का उपयोग विनियोग के लिए तथा १,००० करोड़ रुपये का उपयोग चालू विकास व्यय के लिए किया जावगा।

निजी क्षेत्र में विनियोग

द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपये का विनियोग इस प्रकार होने की सम्भावना है :

संगठित उद्योग तथा खनन	५७५
बागान, विद्युत तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर)	१२५
निर्माण कार्य	१,०००
कृषि और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	३००
स्टॉक	४००
	<u>२,४००</u>


द्वितीय योजना में उद्योगों का स्थान

निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपये के विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इनमें से ७२० करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए (खनन, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, बागानों और छोटे पैमाने के उद्योगों को छोड़ कर), ५७० करोड़ रुपये नये विनियोगों के लिए तथा १५० करोड़ रुपये आपूर्तिकरण के लिए उपयोग में लाये जाने का विचार है। ६६५ करोड़ रुपये की शेष राशि के विच्छेद निजी क्षेत्र के विनाय साधन ६२० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय साधनों के स्रोत (द्वितीय योजना)

(करोड़ रुपये में)

	१९५१-५६	१९५६-६१
(१) औद्योगिक वित्त निगम (I. F. C.), राजकीय वित्त निगमों (S. F. C) और औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम से ऋण	१८	४०
(२) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण	२६	२०
(३) विदेशी पूंजी	४२-४५	१००
(४) नये निर्गमित (New Issues)	४०	७०
(५) आन्तरिक स्रोत (नये विनियोग आदि)	१५०	३००
(६) अन्य स्रोत (Other Sources)	६१-६४	८०
योग	३४०	६२०



चित्र १२

सरकारी क्षेत्र के लिए विच्रीय साधन

योजना के अन्तर्गत इस सार्वजनिक क्षेत्रों में ४,८०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, उनकी पूर्ति करने वाले विच्रीय साधन अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :—

द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय साधन	धनराशि	धनराशि
चालू राजस्व की आय में से बचत	...	८००
१९५५-५६ के करों की दर पर नए करों से अतिरिक्त आय	२५०	
जनता से ऋण	४५०	१,२००
खुले बाजार से ऋण	७००	
अल्प बचतें	५००	
बजट के अन्य सूत्रों से आय		४००
रेलों से प्राप्त आय	१५०	
प्राविडेंट फंड तथा अन्य जमा खातों से	२५०	
विदेशी सहायता		८००
हीनार्थ अर्थ प्रवन्धन द्वारा		१,२००
कमी जो पूरी की जायगी		४००
योग		४,८००

योजना आयोग द्वारा पुनर्विचार (Reappraisal)

प्रथम तीन वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण योजना आयोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रावश्यक संशोधन करने पड़े हैं। योजना आयोग के पुनर्विचार के अनुसार वर्तमान योजना पर सार्वजनिक क्षेत्र में ८८० करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में ५७५ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। खनिज विकास के लिए ११० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सिंचाई तथा शक्ति के लिए ४२० करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यदि इस व्यय का आवा अर्थात् २१० करोड़ रुपये अनुमानतः शक्ति (power) के लिए मान लिया जाय तो द्वितीय योजना में उद्योग एवं शक्ति पर होने वाला कुल व्यय लगभग १,७७५ करोड़ रुपये (८८० + ५७५ + ११० + २१०) होगा।

जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है, बड़े उद्योगों पर होने वाला सार्वजनिक व्यय संकटित उद्योगों पर होने वाले निजी व्यय का अधिकांश भारी उद्योग के लिए निर्धारित है। द्वितीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर होने वाले मूल (original) सकल व्यय—१०६५ करोड़ रुपये—का ८०% भारी उद्योगों और शेष २०% उपरोक्त वस्तु उद्योगों पर होना है। अतः लोगों का कथन है कि इस

योजना में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की अपेक्षाकृत उपेक्षा की गई है। परन्तु वर्तमान स्थितियाँ को देखते हुए, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सन्तुलित भुगतान की समस्या के निराकरण के लिए उत्पादक वस्तु (producer goods) उद्योगों पर बल देना उचित है। साथ ही साथ मुद्रास्फीतिवन्ध (Inflationary) भयानक प्रभावों को दूर करने के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना एक कृषि प्रधान योजना थी जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक उद्योग प्रधान योजना है। यद्यपि द्वितीय योजना में औद्योगीकरण को कन्द्र बिन्दु माना गया है तब भी कृषि एवं सामुदायिक विकास योजनाओं की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रथम योजना का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास के लिए नींव डालना था और द्वितीय योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। द्वितीय योजना काल में कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग २२ गज तक बढ़ा दिया जायगा तथा पजली का उपभोग दुगुना कर दिया जायगा। सिंचित क्षेत्र में ३१%, विद्युत शक्ति में १०३% तथा लायात्र में १५% वृद्धि हो जायगी। समाजवादी समाज की व्यवस्था करने निर्धन तथा धनवान के अन्तर को कम किया जायगा, प्रादेशिक असमानताओं को कम करके विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास किया जायगा तथा राष्ट्र का स्वाधीन विकास किया जायगा। उत्पादन तथा विकास के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं

मद	प्रथम योजना प्रतिशत (करोड़ ६० में)	द्वितीय योजना प्रतिशत (करोड़ रुपये में)		
१ कृषि और सामुदायिक विकास	३५७	१५१	५६८	११८
कृषि	२४१	१०२	३४१	७१
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाएँ	६०	३८	२००	४१
अन्य कार्य (ग्राम पंचायत व स्थानीय विकास)	३६	११	५७	०६
२ सिंचाई एवं विद्युत	३६१	२८१	६१३	१६०
सिंचाई	२८४	१६३	३८१	७६१
विद्युत	५६०	१११	४२७	८६
बाढ़ नियन्त्रण, अन्य योजनाएँ, जाँच पड़ताल आदि	१७	०७	१०५	२२

आर्थिक आयोजन

४६५

३ उद्योग और लानें	१७६	७६	८६०	१८५
बड़े और मँभले उद्योग	१४८	६३	६१०	१२६
खनिज विकास	१	—	७३	१५
† मान तथा छोटे उद्योग	३०	१३	२००	४१
४ परिवहन एवं संचार	५५७	२३६	१,३८५	२८६
रेलवे	२६८	११४	६००	१८८
सड़कें	१३०	५५	२६६	५६
सड़क परिवहन	१३	०५	१७	०४
उन्दरगाहें	३४	१५	४५	०६
जहाजरानी	२६	११	४८	१०
अन्तर्देशीय जल परिवहन	—	—	३	०३
नागरिक वायु परिवहन	२४	१०	४३	०६
अन्य परिवहन	३	०१	७	०१
डाक तथा तार	५०	१२	६३	१३
अन्य संचार	५	००	४	०१
प्रसारण	५	०२	६	०२
५ समाज सेनाएँ	५५३	१२६	६४५	१६७
शिक्षा	१६४	७०	३०७	६४
स्वास्थ्य	१४०	५६	२७४	५७
आवास	४६	२१	१००	२५
पिछड़ी जातियों	३०	१३	६१	१६
समाज कल्याण	५	०२	२६	०६
श्रम व श्रम कल्याण	७	०३	२६	०६
पुनःसंस्थानन	७	०३	२६	०६
शिक्षितों की वेकारी सम्बन्धी योजनाएँ	—	—	५	०१
६ विविध	३६	३०	६६	२१

योग	२३५६	१०००	४,८००	१०००
-----	------	------	-------	------

उपरोक्त लक्ष्यों को निर्धारित करने के कुछ समय पश्चात् तो यह अनुभव किया गया कि कृषि उत्पादन के लक्ष्य देश की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में असफल रहेंगे। अतः कृषि उत्पादन के लक्ष्य का संशोधन किया गया यद्यपि आर्थिक साधनों

का आवंटन पूर्ववत् ही रहा। कृषि उत्पादन के संशोधित लक्ष्य तथा उनकी मूल लक्ष्यों पर प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दी गई है :

	उत्पादन का मूल लक्ष्य	दोहराये गये लक्ष्य	द्वितीय योजना में वृद्धि का प्रतिशत (मूल)	द्वितीय योजना में वृद्धि का प्रतिशत (दोहराये गये)
खाद्यान्न (लाख टन), रई (लाख गाँठें)	७५०	८०५	१५	२३ ८
जूट (लाख गाँठें)	५५	६५	१९	५४ ८
गन्ना (गुड़, लाख टन)	५०	५५	१५	३७ ५
गन्ना (गुड़, लाख टन)	७९	७८	२२	३४ ५
तिलहन (लाख टन)	७०	७६	२७	३८ २
अन्य फसलें	—	—	६	२२ ४
सभी वस्तुएँ	—	—	१७	२७ ९

योजना की प्रगति

द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कुल ३६६० करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है। विभिन्न प्रमुख विकास की मदी पर विभिन्न वर्षों में किये गये व्यय का अनुमान निम्न तालिका से होगा :

	१९५६-५७	१९५७-५८	(दोहराया हुआ अनु- मान १९५८-५९)	प्रथम चार वर्षों का योग (१९५६-६०)
कृषि एवं सामुदायिक विकास	६७	८७	१२३	४९६
सिंचाई एवं विद्युत	१५५	१५८	१७९	६६६
लघु एवं ग्रामीण उद्योग	२८	३३	४९	१४९
उद्योग एवं खनिज पदार्थ	७५	१६४	२५७	७९५
यातायात एवं सदेश वाहन	२१६	२७०	२६४	१,०६९
सामाजिक सेवाएँ	८६	१०८	१५८	५६६
अन्य	१३	१३	२०	७९
योग	६४९	८६३	१,०६४	३,६६०

तृतीय पंचवर्षीय योजना

विकास की ओर हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप जनसंख्या के एक विशाल समुदाय, लगभग ४० करोड़ व्यक्तियों के जीवन में चुपचाप धीरे-धीरे बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। हमारे जीवन और विचार का क्रम भी बदल गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना एक कृषि

प्रधान योजना थी, इसका उद्देश्य देश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आगे आने वाली वृहत् योजनाओं का प्रारम्भ मात्र ही कही जा सकती है। और वास्तविकता तो यह है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम दस वर्ष आयोजन की शुरुआत (proamble) बनाने में ही प्रगति चतुर्दक हुई है। इन वर्षों से यह शक्त हुआ कि भारत किस द्रुत गति से पूर्व औद्योगिक युग से निकल कर औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है। जब समस्त संसार की विचारधारा औद्योगीकरण के फलस्वरूप परिवर्तित होती जा रही है और जब कि पश्चिम आज अणु युग नहीं स्पुतनिक युग की धारा अग्रपर हो रहा है, तब भारत किस प्रकार पीछे रह सकता है। इस समय देश के औद्योगीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में १०,२०० (६२०० + ४०००) करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, के अन्तर्गत देश के औद्योगीकरण पर अत्यधिक धन दिया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

(१) अगले ५ साल में राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और हिसाब से देश के विकास में रुकना लगाना जिससे आगे भी वृद्धि का यही क्रम जारी रहे।

(२) अनाज की पैदावार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कच्चे माल की उपज को इतना बढ़ाना कि उससे हमारे उद्योगों की जरूरतें भी पूरी हों और निर्यात भी हो।

(३) इस्पात, बिजली, तेल, ईंधन आदि सुविधादी उद्योगों को बढ़ाना और मशीन बनाने के कारखाने स्थापित करना जिससे १० वर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीन आने देश में ही बनाई जा सकें।

(४) देश के जन या जनशक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को अधिक रोजगार देना, तथा

(५) धन और आय की विषमता को घटाना और सभ्यता का अधिक व्यापक वितरण करना।

योजना में प्रस्तावित व्यय

ऊपर जिन सद्वर्षों का उल्लेख किया गया है, उनको पूरा करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में १०,२०० करोड़ रुपये की कुल पूँजी लगाने का विचार है। इसमें से ६२०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और ४००० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में लगाने जायेंगे। सरकारी क्षेत्र में कुल वर्ष ७२५० करोड़ रुपये होगा। २०० करोड़ रुपये का राशि सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में सरदील करने की सम्मानना है, जिससे निजी क्षेत्र में पूँजी का निर्माण हो सके। अर्थात् वित्त सारिणी में तीसरी योजना के कुल व्यय और पूँजी की दूसरी योजना से तुलना की गई है —

(करोड़ रुपये में)

योजना का व्यय	वास्तु व्यय	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल पूंजी
दूसरी योजना	४,६००	६५०	३,६५०	६७,५००
तीसरी योजना	१,०५०	६००	५००	१,०००

१—सरकारी क्षेत्र से १०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में दिये जायेंगे, वे इसमें शामिल नहीं हैं।

तीसरी योजना में टन पूंजी लगाई जायगी, जिन पर दूसरी योजना में लगई गई है, पर तु सरकारी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, बिजली और कुछ सामाजिक सेवाओं पर अधिक जोर दिया जायगा। दूसरी और तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय किस प्रकार बाँटा गया यह निम्नसारणी में दिया गया है —

(करोड़ रुपये में)

	व्यय		प्रतिशत	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
(१) कृषि और छोटी सिंचाई योजनाएँ	३२०	६५५	६६	८६
(२) सामुदायिक विकास और सहकारिता	५१०	४००	४६	५५
(३) नदी और मध्यम सिंचाई योजनाएँ	४५०	६५०	६८	६०
(४) योग (१ २ ३)	६८०	१,६५५	२२३	२२१
(५) बिजली	४१०	६२५	८६	११८
(६) ग्राम और लघु उद्योग	१८०	२५०	३६	३४
(७) उद्योग और सैनिक	८८०	१,५००	१६१	२०७
(८) परिवहन और संचार	१,५६०	१,५५०	२८१	२००
(९) योग (५ ८)	२,७६०	४,१२५	६००	५६६

(१०) सामाजिक सेवाएँ	८६०	१,२५०	१८७	
(११) उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए जमा माल	—	२००	—	२८
(१२) कुल योग	४,६००	७,२५०	१०००	१०००

सरकारी क्षेत्र में खर्च किये जाने वाले कुल ७,२५० करोड़ रुपये में से ३६०० करोड़ रुपये केन्द्र और ३६५० करोड़ रुपये राज्य खर्च करेंगे। केन्द्र द्वारा राज्यों को २५०० करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुमान है।

धन जुटाने की योजना

सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना में जा खर्च होगा, उसके लिए धन जुटाने की योजना निम्नलिखित सारिणी में दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
(१) वर्तमान करों के आधार पर बचत राजस्व से बचने वाला धन	१००	३५०
(२) वर्तमान आधार पर देनों से मिलने वाला धन	१५००	१५०
(३) वर्तमान आधार पर सरकारी उद्योगों से मिलने वाला धन		४४०
(४) सार्वजनिक श्रृंखला	८००	८५०
(५) अल्प बचत	३८०	५५०
(६) भविष्य निधि आदि से मिलने वाला धन	२१३	५१०
(७) अतिरिक्त कर और सरकारी उद्योगों के लाभ में से मिलने वाला धन	१,०००	१,६५०
(८) विदेशी सहायता जिसकी बचत में व्यवस्था की गई है	६८२	२२००
(९) घाटे को अर्थ व्यवस्था	१,१७५	५००
योग	४,६००	७,२५०

• यात्रियों के किराये और माल भाड़े में हुई बढ़ती मिलाकर।

—तृतीय पंचवर्षीय योजना के स्मरणीय तथ्य—

- * तीसरी योजना में देश के विकास में १०,२०० करोड़ रु० लगाये जायेंगे।
- * ६,२०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और ४००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में।
- * सार्वजनिक क्षेत्र की योजना की लागत ७,२५० करोड़ रुपये होगी।
- * राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- * अनाज की पैदावार १०-१०।१ करोड़ टन कर दी जायगी।
- * १ करोड़ टन इस्पात के टोके बनाने की कार्यक्षमता पैदा की जायगी।
- * निजली बनाने की क्षमता ४८ लाख किलोवाट से बढ़ा कर १ करोड़ १८ लाख किलोवाट कर दी जायगी।
- * १ करोड़ ३५ लाख आदिमियों के लिए नये काम की व्यवस्था की जायगी।
- * देश के सब गाँवों में सामुदायिक विकास योजना और सहकारिता का काम चालू कर दिया जायगा।
- * ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के उम्र के बच्चा को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायगी।
- * सब गाँवों में पीने के पानी, रेल और मुख्य मार्ग तक सड़कें और पाठशाला भवन बनाये जायेंगे, जो पंचायत और पुस्तकालय का भी काम देंगे।

प्रश्न

- 1 Write a brief essay on Economic Planning in India, covering not more than four pages of your answer book. (Panjab, 1955)
- 2 Give in brief the main features of the Second Five Year Plan for India. (Agra, 1957)

खण्ड ८

यातायात-साधन एवं समस्याएँ

- १ रेल यातायात
- २ सड़क यातायात
- ३ जल यातायात
- ४ वायु यातायात

अध्याय २६

भारत में यातायात

(Transport in India)

महत्व

यातायात तथा सगदवाहन के साधन किसी भी देश की सभ्यता के मापदण्ड (barometer) होते हैं। वास्तव में देखा जाय तो यातायात के साधनों के मानवीय विकास व इतिहास में इतना महत्वपूर्ण पाठ्य अंश किया है कि इनके द्वारा हमारा सम्पूर्ण जीवन ही एकदम बदल गया है। दैनिक जीवन में इनका महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि आज हम यातायात विहीन जीवन की कल्पना एक क्षण के लिए भी नहीं कर सकते हैं। व्यापार व उद्योग क्षेत्र एकदम चौपट हो जायेंगे, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ दुर्लभ हो जायेंगी, उच्च जीवन स्तर एक स्वप्न मात्र बन जायगा। आधुनिक सभ्य समाज पार्श्विक बन जायगा और अकर्मण्यता, अकुशलता, बेरोजगारी तथा दुर्लभता का साम्राज्य सर्वत्र छा जायगा। अतः विपलिंग ने ठीक ही कहा है कि “यातायात ही सभ्यता है।” डा० अल्फ्रेड मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि “यदि कृषि और उद्योग राष्ट्रिय आकार के शरीर एवं अक्षियों हैं, तो संचार के साधन इनके स्नायु हैं।”

प्रो० सैलिंगमैन के अनुसार वह देश समस्त सुख सुविधाओं से सम्पन्न है जिसकी विकास योजना में निम्न बात सम्मिलित होती है :-

- (१) मनुष्य और सामग्री यातायात,
- (२) निचली का समस्त राज्य में फैलाना, तथा
- (४) एक मनुष्य के विचार दूसरे मनुष्य तक पहुँचाना।

उपरोक्त तीनों प्रकार के उद्देश्य उसी समय पूरे हो सकते हैं जब कि देश में सभी प्रकार के यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हो।

मनुष्य सदैव से अग्नी चतुर्दिक् प्रगति के लिए प्रकृति के साथ जो सघर्ष करता रहा है उसी सघर्ष को हम मानव की आर्थिक उत्थान्ति कहते हैं। इस उत्थान्ति में यातायात साधनों का भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इन साधनों के द्वारा ही मनुष्य दो प्राकृतिक स्थानों की दूरी कम करने में सफल हो सका है।

निश्चल समतल मैदान यातायात की उन्नति को प्रभावित करते हैं और यद्यपि यातायात का प्रभाव मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सभी पहलुओं पर पड़ता है। व्यापार एवं वाणिज्य पर यातायात का प्रभाव तो और भी महत्वपूर्ण होता है। डॉ० मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि “हमारे युग का प्रधान लक्ष्य निर्माता उद्योगों की उन्नति नहीं बल्कि यातायात उद्योगों की उन्नति है।”

उद्गम

यातायात का उद्गम मनुष्य के विकास का भाँति अशक्य है। इसका प्रारम्भिक इतिहास पौराणिक कथाओं (legends) से आरम्भित है। यातायात के प्रारम्भिक इतिहास तथा विकास का निर्देशन करने के लिए अग्रा तक कोई अभिवारपूर्ण सबूत प्राप्त नहीं हुआ। अतः इससे प्रारम्भिक विकास के सम्बन्ध में अनुमान ही लगाया जा सकता है। काल की गति के अनुसार यातायात के साधन ही सम्पन्न परिवर्तित होते रहे हैं। अति प्राचीन काल में मनुष्य गण्य ही अपनी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जान था। शारीरिक संरचना के अनुसार मनुष्य और स्त्री में मात्र वाहन की विभक्ति थी। स्त्री अपने सिर पर सामान लाद कर चलता था और मनुष्य अपने हाथों को लेकर चलता था। आवागमन स्थल मार्ग अथवा पगडोटियों पर ही होता था। यद्यपि शरीर को भाँटा टाने वाले पशुओं का भी प्रयोग मनुष्य द्वारा किया गया और सम्पत्ति एवं व्यापार का उद्गम के साथ साथ पट्टेदार रातों रातों का प्रयोग भी किया जाने लगा। आग्नेयवक्त्र आधिकार का जन्म हुआ है। तदनुसार भाषा और मन्त्रों के माध्यम से आग्नेयवक्त्रों का उत्थान के लिए मन्त्रों और चीन्हा उडकरी के निर्माण का आग्नेयवक्त्र पढ़ा और पवना उडकरी ज्ञान की थी।

सम्पत्ति और ज्ञान के विकास ने यातायात के साधनों को और परिमार्जित किया। यात्रा के यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। माटर और रेल गाड़ियों के उद्गम के ज्ञान से ज्ञान, समय, दूरी तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए जल और वायु यातायात का भी आधिकार किया गया।

यातायात के प्रकार

(Kinds of Transportation)

मनुष्य यातायात से लेकर आधुनिक वायु यातायात तक मध्य अनेक विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन उद्गमोत्पन्न हो चुके हैं अर्थात्काल में इनका उद्गम विचार किया गया है :—

(स) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्

- (१०) सन् १९४५ से १९४७ तक (स्वतन्त्रता के पूर्व);
- (११) सन् १९४७ से १९५१ तक (स्वतन्त्रता के पश्चात्);
- (१२) सन् १९५१ से १९५६ तक (प्रथम पंचवर्षीय योजना);
- (१३) सन् १९५६ से १९६१ तक (द्वितीय पंचवर्षीय योजना);
- (१४) सन् १९६१ से १९६६ तक (तृतीय पंचवर्षीय योजना) ।

विचार काल १८३२-१८४६ तक)

भारतमें रेल निर्माण करने का विचार सन् १८३२ में अमृतित दुआ बब कि कावेरेपट्टन से लेकर कन्नूर तक लगभग ५० मील लम्बी रेलवे लाइन गिड़ाने का विचार किया गया था। इसी वर्ष यह भी निश्चय किया गया कि एक रेलवे लाइन मद्रास से लेकर बंगलौर तक बनाई जाय। इन योजनाओं का अतिरिक्त अनेक अन्य योजनाएँ रेल निर्माण के सम्बन्ध में बनाई गई परन्तु अभाग्यवश सन् १८५३ तक ये योजनाएँ कबल दफ्तरी रूप में विचारण करती रहीं। सन् १८३२-१८५३ के काल की 'होरोस बॉल' (Horace Ball) ने 'रेल निर्माण का विचार काल' की संज्ञा प्रदान की है।

पुरानी गारटी प्रथा (१८४६-१८६६ तक)

७ मई सन् १८४३ को तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने भारत में रेलों का निर्माण का आवश्यकता पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। रेलों के निर्माण के लिए E. I. R. तथा G. I. P. रेलवे कम्पनियों से १७ अगस्त १८४६ को प्रारम्भिक समझौते किये गये और गारटी प्रथा का रीकार किया गया। इस प्रथा की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं:—

(१) रेलवे लाइन तथा स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक भूमि सरकार द्वारा मुफ्त दी जायगी।

(२) समझौते की अवधि ६६ वर्ष होगी।

(३) लगाई गई पूँजी पर ब्याज की दर ४½ से ५% तक होगी और इसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जायगी।

(४) रेलवे लाइन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहेगा।

(५) सरकार को यह अधिकार होगा कि २५ या ५० वर्ष के बाद उचित क्षति-पूर्ति देकर किसी रेलवे लाइन को खरीद सकती है।

(६) कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय सरकार को रेलवे वापस दे सकती है और अपनी सम्पूर्ण पूँजी वसूल कर सकती है।

(७) अतिरिक्त लाभ का ३ भाग कम्पनी सरकार को देगी।

(८) विदेशी विनिमय की दर १ शिलिंग १० पेंस रहेगी।

गारंटी-प्रथा के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य की कड़ी आलोचना की गई। दिन का अत्यधिक अग्रव्यय किया गया क्योंकि रेलवे कम्पनियों को ब्याज की गारंटी मिल चुकी थी। स्वभावतः प्लानबद्धता की ओर कोई ध्यान न दिया गया। भारत सरकार को इस काल के अन्तर्गत रेलों से १२ करोड़ रुपये की आय हुई परन्तु ब्याज आदि के रूप में २५३ करोड़ रुपये देने पड़े। इतना अधिक ब्याज देने पर भी रेलवे कम्पनियों की कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।

इस अवधि में कुल ४२५५ मील रेलवे लाइन का निर्माण किया गया।

(३) सरकार द्वारा रेलों का निर्माण (१८६६-१८८१)

गारंटी प्रथा के दोषपूर्ण साबित हो जाने पर यह सोचा गया कि रेलों के निर्माण तथा संचालन का कार्य भारत सरकार अपने हाथ में लेगी। रेलों के बनाने के लिए ४ करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करना निश्चय किया गया। इस काल में सरकार द्वारा निजी कम्पनियों की तुलना में कहीं नीची लागत पर रेल मार्गों का निर्माण किया गया। छोटी लाइन का प्रचलन भी इसी काल में प्रारम्भ हुआ। देश में समय समय पर पड़ने वाले अफ़ालों को रोकने के लिए तथा अफ़गानिस्तान से होने वाली लड़ाई में समर्थ होन के विचार से रेलों के निर्माण की गति तेज करना आवश्यक समझा गया। अतः पुनः सरकार को निजी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। सन् १८८१-८२ में रेलों की कुल लम्बाई ६८७५ मील थी। इस काल में सरकार की रेल निर्माण में १५ करोड़ रुपये की हानि उठाना पड़ी।

(४) नई गारंटी प्रथा (१८८१-१९००)

इस काल को 'मिश्रित साहस का काल' भी कहते हैं। सरकार ने एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत सरकार ने केवल अनुत्पादक रेलों का निर्माण अपने हाथ में रखा और उत्पादक अथवा लाभदायक रेलों का निर्माण निजी कम्पनियों को सौंप दिया। नई गारंटी प्रथा की शर्तें सरकार के पक्ष में अधिक अनुकूल थीं। सन्-१९०० में रेलों की कुल लम्बाई २४,७५२ मील थी।

(५) प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१९००-१९१४)

प्रारम्भ से १९०० तक रेल उपक्रम सरकार के लिए एक घाटे का उपक्रम था। सन् १९०१ में रेलों के संचालन तथा प्रशासन की जांच करने के लिए महादय रामस राबर्टसन की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अनेक सुझाव दिये जिसमें से केवल एक माना गया। इससे अनुसार सन् १९०५ में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई जिसको कि रेलों का सम्पूर्ण प्रशासन सौंप दिया गया।

सन् १९०७ ई० में सर जेम्स मैने की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की गई जिसने मुभाज व अनुसार सन् १९०८ में रेलवे बोर्ड का पुनर्संरूपण किया गया और उसने अधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिये गये।

सन् १९१४-१५ में रेलों की कुल लम्बाई ३४,६५६ मील हो गई और कुल लागत ४९५.०९ करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी थी।

(६) प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१९२०)

सन् १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से रेलों के विस्तार को काफी रूढ़ि पहुँची। एक ओर तो रेलों का निर्माण लगभग रुक गया और दूसरी ओर उन पर बहुत अधिक भार पड़ा। फलतः उनका अत्याधिक हास हुआ और आगमन की अनुविधाएँ होने के कारण उनकी मरम्मत आदि भी ठीक से न हो सकी।

सन् १९२० तक रेलों का लम्बाई २६,०३५ मील तक पहुँच गई थी और पूँजी का व्यय ५६६.३८ करोड़ रुपये हो गया था।

(७) युद्धोत्तर काल (१९२०-१९२५)

सन् १९२० में सर विलियम एकरथ की अध्यक्षता में एक नई समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया, जैसे—

- (१) भारत में रेलों का प्रसार परफार द्वारा हुआ चाहिए।
- (२) सरकार के सामान्य वित्त (General Finance) से रेल वित्त को अलग कर देना चाहिए।
- (३) रेलों के विषय का नीति पर विचार करने के लिए रेलवे रेट्स ट्रान्जुल स्थापित किया जाय।
- (४) सलाहकार समितियों में जनता के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।
- (५) निजी कर्मचारियों के ठेक, उनका अधि-क समाप्त होने ही, समाप्त कर दिये जायें।
- (६) रेलवे कर्मचारियों में भारतीयों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए।
- (७) रॉलिंग स्टॉक की मरम्मत और ब्यवस्था के लिए सख्त कोष और विचारक केंद्र स्थापित किये जायें।

उपरोक्त सिफारिशों को सरकार ने मान लिया और तदनुसार कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया। अधिकार रेलों का प्रत्यक्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और सन् १९२४ में रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया। सन् १९२५ में रेलों की लम्बाई ३८२७० मील और पूँजीगत लागत ७३३.३७ करोड़ रुपये थी।

(८) आर्थिक मन्त्री का समय (१९२५ से १९३८ तक)

इस काल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन् १९२६ में दो समितियाँ प्रथम सर आर्थर डिकेन्सन तथा सर रोबेन की अध्यक्षता में नियुक्त की गईं। इन दोनों समितियों ने उद्दे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये जिनको सरकार ने अधिकांश में स्वीकार कर लिया। सन् १९२६-३० में रेलों की लम्बाई ४१,७२४ मील और पूँजागत लागत ८५६ ७५ करोड़ रुपये थी। सन् १९३० से अचछाद अथवा मदी का प्रयोग बढ़ा जिसने भारतीय रेलों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। रेलवे की आय वर्ष प्रति वर्ष घटती चली गई। बजट को संतुलित करने के लिए घबित कोष और हास कोष से रुक्या निकाला गया। रेलों ने सामान्य बजट को अपना अंश देना मन्द कर दिया। इस काल में हास कोष से कुल ३१ १४ करोड़ रुपये निकाल कर व्यय किये गये और सामान्य कोष को दिया जाने वाला ३० ७४ करोड़ रुक्या रेलवे पर उधार हो गया।

इस काल में ११०० मील लम्बी रेलवे लाइन निह्लाई गईं सन् १९३५ में भारत के बर्मा से अलग हो जाने से लगभग २००० मील लम्बा रेल मार्ग बर्मा में चला गया। सन् १९३६ ४० म रेलों की लम्बाई ४१,५५६ मील और पूँजीगत लागत ८५२ ५६ करोड़ रुपये थी।

(९) द्वितीय महायुद्ध काल (१९३६-१९४५ तक)

द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारतीय रेलों को अनेक प्रकार के सङ्घटनों का सामना करना पड़ा। परन्तु इस काल में पिछले विश्वयुद्ध की अपेक्षा भारतीय रेलें अच्छी दशा में थीं। युद्ध द्विद्ध जाने के कारण रेलों पर ट्रेनिक अधिक बढ़ गया क्योंकि नैतिक तथा अमेनिक दानों ही प्रकार के यातायात में काफी वृद्धि हुई। रेलें इतना अधिक ट्रेनिक का भार उठाने में निरकुल असमर्थ थीं। ट्रेनिक बढ़ जाने से रेलों की आय में वृद्धि हुई, जिससे उन्होंने अपने पुगने अलग सुझाव दिये और सागाय विच में भी अपना अंश देना प्रारम्भ कर दिया। इस काल में रेलों की आय में १००% से भी अधिक वृद्धि हुई और रेलों ने मानाव कोष को १५८ करोड़ रुपये की धनराशि दी।

(१०) स्वतन्त्रता के पूर्ण (१९४५-१९५७ तक)

सन् १९४५ में युद्ध के समाप्त होने ही विदेशी व्यापार की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और रेलों को अपना संपत्ति का नवीनीकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् १९४६ में एक सुधारक कोष (Betterment Fund) की स्थापना की गई। अभी अधिक काल अपनी मोन हुआ था कि १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत अपनी निर दायता की बेडिया से मुक्त हुआ। स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन भी हो गया जिसने रेलवे के सम्पूर्ण एक गम्भीर समस्या प्रस्तुत कर दी। विभाजन का रेलों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन आगे किया गया है।

(१८) स्वतन्त्रता के परभाव (१९४७-१९५१)

सन् १९५७ में देश का विभाजन हो जाने के कारण लाहौर का सरगम पैकिस्तानाना क्षेत्र से हिन्दू भारत का और और भारतीय क्षेत्र से लाहौर मुसलमान पाकिस्तान चले गये। इस आयागमन का प्रभाव भारतीय रेलों पर बहुत बड़ा, और रेलों ने इस बड़ी कुशलता से निभाया। देश के विभाजन के साथ साथ रेलों का भी विभाजन हुआ। इससे साथ-साथ भूमिगत स्टाक तथा बकसाना आदि का भी बँटाव हुआ। विभाजन के परिणामस्वरूप निम्न स्थिति हुई —

देश	इन्जन	सामान के डिब्बे	मात्रा के डिब्बे	रकम (ला.)
भारत	७,२४८	२०,१६९	२,१०,०६६	३०,०१७ १/२
पाकिस्तान	१,३३८	४,९८०	४०,००१	६६५७ ८८

यहाँ नहीं कमचाराई का भी आयाग प्रभाव हुआ। पाकिस्तान में काम करने वाले १,९६,००० रेलवे कर्मचारियों में भारत आग का इन्डिया प्रगट का परभाव इनमें से केवल १,८०,००० कमचाराई ही आया गये। भारतीय से ८३,००० रेलवे कर्मचारियों पाकिस्तान चले गये।

प्रथम पाँच वर्षीय योजना (१९५१-१९५६)

प्रथम पाँच वर्षीय योजना काल में रेलों के विकास के लिए ४०० करोड़ रुपये व्यय करने का व्यवस्था की गई। इस कुल अंश में से २५० करोड़ रुपये का अंश राशि रकम में केवल सन्धि बन और विकास पर व्यय का अंश का व्यवस्था था और १५० करोड़ रुपये रकम में प्रतिगमन तथा सामान्यता के चालू आयोजन के लिए रखा गया। युद्ध काल में उपहा गइ रेलों का पुनर्नाया था। इससे आंतरिक सुरक्षा श्रेणियों के आगमन के आरम्भ के लिए १५ करोड़ रुपये अलग रखे गये। नई लाहौरों का खर्च के लिए २० करोड़ रुपये सुरक्षा किये गये।

योजना काल में रेलों के पुनर्स्थापन तथा विस्तार पर ४२६.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

द्वितीय पाँच वर्षीय योजना (१९५६-१९६१)

द्वितीय योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय किये जाने वाले ४८०० करोड़ रुपयों में से ६०० करोड़ रुपये रेलों के निमित्त आयागन किये गये हैं। १५० करोड़ रुपये रेलों के अंश प्रदान करेंगे। इससे अतिरिक्त २२५ करोड़ रुपये रकम का अंश में लिये जायेंगे। ३५ करोड़ रुपये विशाखापटनम् बन्दरगाह का स्थानान्तरित कर

दिये गये हैं। शेष ११२१५ करोड़ रुपये प्रमुख मदों पर इस प्रकार व्यय किये जायेंगे :—

द्वितीय योजना में रेलों पर व्यय

मदें (Terms)	करोड़ रुपये
रेलिंग स्टॉक	३८०
मालगोदामा सहित लाइनों की क्षमता का विस्तार	१८६
लाइनों की मरम्मत	१००
विद्युतीकरण	८०
नवीन निर्माण कार्य	६६
कारखाना, प्लांट तथा मशीनरी	६५
कर्मचारी कल्याण तथा उनसे लिए आवास	५०
पुल निर्माण (गंगा पुल सहित)	३३
सिग्नलिंग तथा सुरक्षा कार्य	२५
यात्रा में को सुगम सुविधाएँ	१५
रेलों का सड़क यातायात में भाग अन्य कार्य, स्टोर डिपॉजिट इत्यादि }	१२१५
योग	११२५५

योजना काल में ६ नये रेलवे वर्कशाप और एक छोटी लाइन से डिब्बे बनाने वाली फैक्टरी स्थापित की जायगी। 'चित्ररजन लोकोमोटिव वर्कशाप' का विस्तार किया जायगा। इन कार्यों के लिए ६५ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। चित्ररजन लोकोमोटिव की उत्पादन शक्ति का लक्ष्य ३०० इकाय प्रति वर्ष और कोच इन्डिया फैक्टरी का लक्ष्य ३५० डिब्बे रखा गया है। टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी (TELCO) छोटी लाइन के १०० इकाय तैयार किया करेगी। योजना के अन्तर्गत सरकारी गाड़ी के डिब्बों का उत्पादन १२६० से बढ़ कर १८०० प्रति वर्ष और मानगाड़ी के डिब्बों का उत्पादन १३५२६ से बढ़कर २५००० तक हो जाने की आशा है।

रेलों की वर्तमान अवस्था

भारतीय रेलवे वर्तमान समय में सबसे बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इस समय भारतीय रेलों की लम्बाई ३५,०८१ मील है जो कि एशिया में सबसे अधिक है और सभार में इसका चौथा नम्बर है। सन् १९५६ में प्रति दिन भारतय रेलों ने औसतन

४० लाख यात्रियों को तथा ३७ लाख टन सामान को टोपा। सन् १९५८-५९ के अंत में रेलों में लगी हुई कुल पूँजी १३६३ करोड़ रुपये थी तथा कुल आय ३६२ करोड़ रुपये थी। रेलों में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या ११,५३,६१८ थी और मजदूरी तथा वेतन के रूप में बाँटी गई कुल धनराशि १८३ करोड़ रुपये थी। †

रेलों के प्रारम्भ (१६ अप्रैल १८५३) से लेकर इस समय तक इनकी आयातित प्रगति हुई है। भारतीय रेलों का जीवन अभी एक शताब्दी से तनिक ही अधिक है। परन्तु समय की अपेक्षा में प्रगति कहीं अधिक हुई है। निम्न आँकड़े इस कथन की पुष्टि करते हैं —^१

भारतीय रेलों की प्रगति

लाख रुपयों में

वर्ष	मील लाइन	नगी हुई पूँजी	कुल आय	चालू व्यय	शुद्ध आय
१८५३	२०	३८	०.६०	०.५१	०.४६
१८६३	२५०७	५३००	२२०	१३३	८७
१८७३	५६६७	६१७३	७२३	३७८	३४५
१८८३	१०४४७	१४८३१	१६३६	७६७	८४२
१८९३	१८०५६	२३२१८	२४०८	११३५	१२७३
१९०३	२६६५६	३४१११	३६०१	१७११	१८९०
१९१३-१४	३४६५६	४६५०६	६३५६	३२६३	३०६६
१९२३-२४	३८०३६	७१७६३	१०७८०	६८५५	३६३५
१९३३-३४	४२६५३	८८४४१	६६५८	६६५६	३००४
१९४३-४४	४०५१२	८५८५४	१६६३२	११४११	८५२१
३. १९४७-४८	३३६८५	७४२२०	१८३६६	१६३६४	१६७५
१९५०-५१	३४०७६	८३८१८	२६४६२	२१४३६	५०२३
१९५५-५६	३४७३६	६७५५०	३१७५१	२६१०७	५७३४
१९५८-५९	३५०८१	१,३६,२८६	३६२३३	३२४५७	६७७६

रेलो का क्षेत्रिक सामूहीकरण

(Zonal Regrouping of Railways)

भारतगण में रेलों के सामूहीकरण के हेतु समय समय पर विभिन्न समितियों द्वारा सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। सन् १९२०-२१ में एकनर्थ समिति ने यह सुझाव दिया था कि सम्पूर्ण भारतीय रेलों को तीन क्षेत्रों—पूर्वा, दक्षिणी और पश्चिमी—में

1 India 1960, p 349

2 Burma Railways separated in 1937

3 Following Partition on August 15, 1947

संगठित कर दिया जाय। इस प्रश्न पर सन् १९३६ में वेजबुड समिति ने भी विचार किया था। इस समिति ने भी सुझाव दिया कि समस्त रेलों को ८ समूहों में संगठित कर दिया जाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह प्रश्न फिर उठाया गया और सन् १९४८-४९ में कुँजह समिति को इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को यह सलाह दी कि देश के सम्मुख अनेक गम्भीर समस्याएँ होने के कारण रेलों के सामूहीकरण को आगामी पाँच वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाय परन्तु यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया और जून १९५० में रेलवे बोर्ड ने ३४,००० मील लम्बी रेलों को ६ समूहों में संगठित करने की योजना तैयार की। कालान्तर में इस योजना में संशोधन किया गया और दो समूह और बनाये गये।

सामूहीकरण के सिद्धान्त

रेलों के सामूहीकरण के सम्बन्ध में निम्न तीन सिद्धान्तों को अपनाया गया है —

(१) यथासम्भव प्रत्येक रेलवे प्रशासन एक सम्पूर्ण और सम्बद्ध क्षेत्र को यातायात सेवाएँ प्रदान करे।

(२) प्रत्येक क्षेत्र इतना बड़ा हो कि उसमें मुख्यालय (H Q) स्थापित किया जा सके और वहाँ प्रशिक्षण, अनुसंधान और तांत्रिक सुधारों के लिए उच्चतम सुविधाएँ उपलब्ध हों।


(३) सामूहीकरण इस प्रकार से किया जाय जिससे रेलवे सेवा और व्यवस्था में कम से कम विस्थापन हो और रेलवे सेवाओं की कार्यक्षमता में बाधा न पड़े।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा गया है कि यथासम्भव प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक एवं औद्योगिक आवश्यकता भी पूरी हो सके।

भारतीय रेलों का वर्तमान सामूहिकरण
रेलवे क्षेत्र (Railway Zones)*

क्रम संख्या	क्षेत्र (Zone)	निर्माण की तिथि	जो रेलें शामिल हैं	मुख्य कार्यालय	३१ ३ १९६० की रेल पथ की लम्बाई (मील/कि०)
१	दक्षिणी	१४ ४ १९५१	मद्रास एण्ड सदर्न मरहट्टा रेलवे, साउथ इण्डियन एण्ड मीनूर रेलवे	मद्रास	६,१००
२	बन्दाय	५ ११ १९५१	बी० आई० पी० रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, सिंदिया रेलवे और धौलपुर रेलवे	बम्बई	५,२९६
३	पश्चिमी	५ ११ १९५१	बी० पी० एण्ड सी० आई० रेलवे, सीराट्ट कच्छ रेलवे	बम्बई	६,०१३
४	उत्तरी	१४ ४ १९५२	राजस्थान रेलवे तथा जयपुर रेलवे इंस्टर्न पंजाब रेलवे, बोधपुर बीकानेर रेलवे, और इ० आई० रेलवे व तीन अपर दिवीजन	दिल्ली	६,३३६
५	उत्तर पूर्वी	१४ ४ १९५२	असम एण्ड तिरहुत रेलवे, असम रेलवे, और बी०	गोरखपुर	३,०६०
६	उत्तर पृ्व सीमा (North East Frontier)	१५ १ १९५८	पी० एण्ड सी० आई० रेलवे का फतेहगढ़ जिला	पण्डु	१,७३८
७	पूर्वी	१-८ १९५५	ईस्ट इण्डियन रेलवे (तीन अपर दिवीजनों को छाड़ कर)	कलकत्ता	१,००१
८	दक्षिण पूर्वी	१ ८ १९५५	बंगाल नागपुर रेलवे	कलकत्ता	३,४९४

रेलों के सामूहिकरण से निस्संदेह अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं जैसे सीधी गाड़ियों का चयन सरल हो गया है, रेलों के प्रशासन में कार्यक्षमता आ गई है। इसके अति-



चित्र १३—रेलवे क्षेत्र

रिक्त आर्थिक व्यवस्था, कियया भाड़ा, माल की खरीद, मजदूरी का स्तर आदि महत्वपूर्ण बातों में समान नीति अपनायी जाने लगी है और रेलों की कार्यशील पूँजी का सुन्दर उपयोग होने लगा है। परन्तु आलोचकों का कहना है कि रेलों के सामूहिकरण से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और रेलों के खर्चों में भी वृद्धि हो गई है। रेलों का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उनकी देख-रेख करना कठिन हो गया है। आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि सबसे बड़ा रेल समूह उत्तरीय रेलवे का है जिसके रेल मार्ग की लम्बाई ६३६८.४० मील है और सबसे छोटा क्षेत्र उत्तर पूर्वा शीमांत रेलवे का है जिसके रेल मार्ग की लम्बाई १७३८ मील है। सामूहिकरण की योजना में बताया गया था कि प्रत्येक

क्षेत्र की लम्बाई लगभग ५,००० मील होगी परन्तु कुछ क्षेत्र तो ६,००० मील से भी बड़े हो गये हैं। ऐसी दशा में शासन प्रबन्ध कैसे उत्तम हो सकता है। इस योजना में अत्यधिक केन्द्रीकरण टालमटोल तथा लाल पत्रिशाही के दोष भी दृष्टिगोचर हुए लगे हैं।

उपरोक्त दोषों के होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय रेलों के हित में सामूहिकरण की योजना एक अचूक औपधि सिद्ध हुई है।

रेलों का प्रशासन

(Administration of Railways)

श्री टामस राबर्टसन के मुझार के अनुसार सन् १९०५ में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। यही रेलवे बोर्ड आज भी भारतीय रेलों के सम्पूर्ण नियंत्रण तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन जो कि केन्द्रीय रेलवे मन्त्रालय का मुख्य सचिव होता है, वित्तीय आयुक्त (Financial Commissioner) तथा ३ सदस्य होते हैं जो कि स्टाफ, यातायात तथा इंजीनियरिंग के अधिकारी होते हैं। इन सदस्यों की स्थिति (status) केन्द्रीय रेल मन्त्रालय के सचिवों के बराबर होती है।

जनता तथा रेलवे प्रशासन में निरंतर तथा निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की गई हैं —

- (१) प्रादेशिक रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ,
 - (२) क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ, (प्रत्येक रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय में),
 - (३) राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद् केन्द्रीय स्तर पर।
- एक जनवरी १९५८ से प्रत्येक रेलवे विभाग के लिए विभागिय सलाहकार समितियाँ (D C C) स्थापित की गई हैं।

रेल वित्त व्यवस्था

(Railway Finances)

रेलों की वित्त व्यवस्था में प्रारम्भ से ही अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सम्बन्ध में हम यहाँ पर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।

सन् १९२४-२५ के पूर्व रेल वित्त व्यवस्था और सरकार की वित्त व्यवस्था एक में ही मिली हुई थी। इससे रेलों को काफी हानि उठानी पड़ी। रेलों में स्थायी सुधार करने के लिए आवश्यक था कि सरकारी (सामान्य) वित्त और रेल वित्त को अलग अलग कर दिया जाय। एकवर्ष समिति (१९२०) के मुझार पर सन् १९२४-२५ में एक समझौते (convention) के द्वारा रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नांकित थीं :—

(१) रेलों प्रति वर्ष रेलवे बजट में से सामान्य बजट को व्यापारिक रेलों पर लगी हुई पूँजी पर १% तथा निश्चित रकम चुकाने के पश्चात् जो आधिक्य (surplus) बचेगा उसका ३ भाग देगी।

(२) सामरिक रेलों (strategic lines) पर हानि होने की दशा में उनमें लगी हुई पूँजी पर न्याय और हानि सरकार को मिलने वाली निश्चित रकम में से काट ली जाया करेगी।

(३) सरकार को उपरोक्त निश्चित रकम चुकाने के पश्चात् यदि कुछ आधिक्य शेष बचता है तो वह रक्षित कोष (reserve fund) में जमा कर दिया जायेगा। यदि यह रकम किसी वर्ष ३ करोड़ रुपये से अधिक हो तो अधिक भाग का ३ भाग सरकार को दिया जायेगा और ३ भाग रक्षित कोष में जमा होगा।

(४) प्रति वर्ष एक निश्चित रकम—रेलों में लगी हुई पूँजी के $\frac{1}{8}$ भाग के बराबर—हास कोष (depreciation fund) में जमा की जायेगी।

रेलवे समझौता (Convention) १९४६—सन् १९४६ में उपरोक्त समझौते की व्यापक रूप से परीक्षा की गई और इसके स्थान पर दि. २२.१२.१९४६ में एक संशोधित समझौता किया गया। इस समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(१) रेल विक्त सामान्य विक्त से अलग ही रखा जाय और रेलों में लगी हुई पूँजी पर ४% लाभ का विश्वास दिलाया जाय।

(२) प्रतिवर्ष हास कोष (depreciation-fund) में कम से कम १५ करोड़ रुपये जमा किया जाय।

(३) एक 'रेलवे विकास कोष' (Railway Development Fund) स्थापित किया जाय। पूर्व स्थापित 'रेलवे सुधार कोष' (Railway Betterment Fund) को इस कोष (Development Fund) में इस शर्त पर मिला दिया जाय कि आगामी पाँच वर्षों में प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये यात्रियों को मुक्त सुविधाओं पर अग्रयन खर्च किया जायगा।

(४) 'रेलवे रक्षित कोष' (Railway Reserve Fund) का नाम बदल कर 'राजस्व रक्षित कोष' (Revenue Reserve Fund) रखा जाय और इसकी रकम का प्रयोग सरकार को वार्षिक निश्चित रकम चुकाने में तथा रेलवे बजट का घाटा पूरा करने में किया जाय।

संशोधित प्रस्ताव १९५४—उपरोक्त प्रस्ताव २० मार्च १९५५ को समाप्त हो गया। एक दूसरा प्रस्ताव (१ अप्रैल १९५५ से ३१ मार्च १९६० तक के लिए) वास्तव में किया गया। इसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :—

(१) सामान्य विक्त को दिया जाने वाला अर्थ (लगी हुई पूँजी पर) ४% पूर्ववत् दिया जाता रहेगा।

(२) हास कोप में अन् ४५ करोड़ रुपये वार्षिक जमा किये जायेंगे ।

(३) अलाभकर (unproductive) रेलों का निर्माण पूँजीगत व्यय में सम्मिलित किया जाय ।

(४) 'रेलवे विकास कोष' में से प्रति वर्ष कम से कम ३ करोड़ रुपये यात्रियों के सुविधाओं के हेतु व्यय किये जायें ।

(५) नवनिर्मित रेलों की लागत पूँजी पर ५ वर्ष तक लामारा न लिया जाए। यह स्थगित धन राशि ५ वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष से जोड़ कर चुकाई जायगी ।

निम्नलिखित तालिका में सन् १९५५-५६ से रेलों की वित्तीय स्थिति को बतलाया गया है :—

वर्ष	(करोड़ रुपया में)			
	कुल आय	कुल व्यय	बचत	सामान्य वित्त की आवश्यकता
१९५५-५६	३१६ २९	२५८ २२	५० ३४	३६ १२
१९५६-५७	३५० ००	२८५ ३६	२६ ६५	३७ ६९
१९५७-५८	३६८ ५०	३०३ २८	११ ४३	४३ ७९
१९५८-५९	३९० २१	३३० ८८	५९ ३२	५० ३९
१९५९-६०	४२२ ०३	३५१ ७७	६९ २६	५४ ५१
१९६०-६१ (बजट)	४६४ ५०	३८८ ८०	७५ ७०	५७ २७

प्रश्न

- Write a short note on Indian Railways since 1945
(Rajputana, 1951)
- Describe the importance and the present position of the Railways in India with reference to the need for rehabilitation and adequate equipment as stressed by the First Five Year Plan
(Patna, 1951)
- Examine the necessity and importance of Rail road Co ordination in India. Discuss the working of State Transport in U P from the above point of view
(Agra, 1955; Punjab, 1955)
- 'Road transport is becoming more popular and causing loss to railway revenues.
Comment on the above statement and give suggestions for rail road co ordination
(Agra, 1960)

सड़क यातायात

(Road Transport)

महत्व

एक अमरीकी सुप्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि "यदि आप यह जानना चाहते हैं कि समान की क्या अवस्था है, आप विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालयों में जाकर जान सकते हैं और कुछ धार्मिक स्थानों तथा गिरजाघरों में जाकर भी जाना जा सकता है परन्तु श्वना ही शान वहाँ की सड़कों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है।"^१ इस प्रकार सड़कों को किसी देश की आर्थिक व सांस्कृतिक प्रगति का मापदण्ड समझा जाता है। किसी देश की सड़कों की गुणवत्ता या चारण्यता मनुष्य के शरीर की घमनियों से की जाती है। जिस प्रकार घमनियों मनुष्य के शरीर को स्वस्थ एवं चैतन्य रखती हैं उसी प्रकार सड़कें भी मनुष्य एवं वस्तुओं के यातायात के द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था को स्वस्थ एवं चैतन्य रखती हैं। रस्किन ने तो यहाँ तक कहा है कि 'राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति अच्छी सड़कों के निर्माण में ही निहित है।'^२ --

सड़क यातायात का महत्व यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक है। सड़क यातायात का महत्व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामरिक सभी दृष्टिकोणों से सराहनीय है। यही कारण है कि आज सभार के प्रत्येक देश में 'सड़कें और अधिक सड़कें' (Roads & More Roads) का नारा लगाया जा रहा है।

भारत में सड़क यातायात का प्रादुर्भाव

भारत वर्ष में सड़कों का निर्माण ऐसे काल में भी होता था जो कि हमारी स्मरण शक्ति के परे है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से शत होता है कि

१ "If you wish to know whether society is stagnant, you may learn something by going into universities and libraries, something also by the work that is being done in cathedrals and churches, but quite as much by looking at the roads" — *An American writer*

२ "All social progress resolves itself into the making of good roads" — *Ruskin*

भारतवर्ष में ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भी सड़कों का निर्माण बड़ी कुशलता से होता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मौर्यकाल की विस्तृत सड़कों का उल्लेख मिलता है। मगध में भी सड़कों के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। उस समय सड़कों को महापथ के नाम से पुकारा जाता था। विदेशी यात्रियों, जिसमें से मेगस्थनीज और पाहियानु उल्लेखनीय हैं, ने भी अपने सस्मरणों में लिखा है कि उत्तर भ्रमण के समय में भारत वर्ष में बहुत अच्छी सड़कें पाई जाती थीं।

मुगल शासकों के समय में भी भारतवर्ष में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गईं। इन शासकों में मुहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर तथा औरंगजेब प्रमुख हैं। ब्रिटिश शासन काल में सड़कों को और विशेष ध्यान दिया गया, परन्तु उन्होंने भी मुस्लिम शासकों की भाँति केवल सामरिक एवं शासकीय महत्व की दृष्टि से ही सड़कों को ध्यान दिया। इस काल में सड़कों के प्रारम्भिक निर्माण का श्रेय तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलाहौजी को प्राप्त है। सन् १६२० में स्वर्गाय डा० एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में एक 'सड़क विकास समिति' स्थापित की गई। इस समिति ने अपना रिपोर्ट (१६२८) में सरकार को यह सुझाव दिया कि सड़क विकास का भार प्रांतीय सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक शक्ति पर रहे। केन्द्रीय सरकार को इसमें अपना योग देना चाहिए। समिति ने और भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन सुझावों के अनुसार सन् १६३० में केन्द्रीय मंडय मंत्रालय तथा सन् १६३५ में यातायात सलाहकार आउन्सिल की स्थापना हुई।


सन् १६३४ में सरकार ने सड़कों सम्बन्धी उपलब्ध तांत्रिक ज्ञान तथा अनुभव एकत्रित करने के लिए 'भारतीय सड़क कांग्रेस' नामक एक अर्ध सरकारी संस्था की स्थापना किया। इस संस्था में वे सब सड़क सम्बन्धी इंजीनियर तथा ऐसे व्यक्ति जो सड़कों के निर्माण कार्य में रुचि रखते हैं, सदस्य बन सकते हैं। इस समय इस संस्था के सदस्यों की संख्या १२५० तक लगभग है। इसने अनेक उपमितियाँ नियुक्त की हैं जो सड़कों पर पुल बनाने, मिट्टी की शक्ति पर जांच करने और सड़कों की जांच करने में सहायता करती हैं।

द्वितीय महायुद्ध ने सड़कों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया और फलतः सड़कों का विकास भी अच्छा हुआ। सामरिक दृष्टिकोण से सरहदों पर पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया।

नागपुर योजना

सन् १९४३ में देश के प्रमुख सड़क इंजीनियरों का अधिवेशन नागपुर में हुआ गया। इस अधिवेशन का उद्देश्य मागी सड़क विस्तार एवं विकास के साधनों तथा पद्धति के सम्बन्ध में योजना बनाना था। इस अधिवेशन में एक १० वर्षीय

य प्रामीण सड़कें स्थानीय सरकारों के अधीन हैं। ३१ मार्च सन् १९५० तक इस योजना के अन्तर्गत सड़क विकास पर २७.११ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे।



चित्र १४—भारत की प्रमुख सड़कें

प्रथम पंचवर्षीय योजना

योजना के प्रारम्भ में सड़क विकास के लिए ६७६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह धन राशि बाद में बढ़ा कर १३१३ करोड़ रुपये कर दी गई। इसमें से २८ करोड़ रुपये राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए और शेष राजकीय सड़कों पर व्यय किये जाने थे। योजना के अन्त तक केन्द्रीय सड़क कोष के अनुदान से मिला कर कुल व्यय लगभग १५५ करोड़ रुपये हुआ है।

योजना के अन्तर्गत १०,००० मील पक्की और २०,००० मील कच्ची सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जो योजना के अन्त तक लगभग पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त १०,००० मील पुरानी सड़कों की मरम्मत भी की जा चुकी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सड़क विकास के लिए केन्द्रीय और रा

स्तर पर २४६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त २५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क कोष से अनुदान के रूप में लेकर व्यय किये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धन राशि ८७५ करोड़ रुपये है। इसमें से प्रोजेक्शन काल में ५५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। राज्य सरकारों द्वारा सड़क योजना पर १६४ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

द्वितीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय सड़कों १२,६०० मील से बढ़ कर १३,८०० मील हो जायगी और पक्की सड़कें १,०७,००० मील से बढ़ कर १,२५,००० मील हो जायगी। राष्ट्रीय सड़कों में वृद्धि ७% होगी जब कि पक्की सड़कों में १७%।

नागपुर योजना के काल से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़कों का विकास इस प्रकार हुआ है—

	पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें
नागपुर योजना के लक्ष्य	१,२३,०००	२,०८,०००
अप्रैल १, १९५१	६८,०००	१,५१,०००
मार्च ३१, १९५६	१,२२,०००	१,६८,०००
मार्च ३१, १९५८	१,३३,६१०	१,२३,६६६
मार्च ३१, १९६१ (अनुमानित)	१,४४,०००	२,३५,०००

बीसवर्षीय योजना

द्वितीय योजना के पश्चात् भारतीय सड़कों के और अधिक विकास के लिए 'सड़क कांसेस' ने एक २० वर्षीय योजना बनाई है। इसके प्रमुख लक्ष्य निम्न लिखित हैं —

- (१) विकसित तथा कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव विकसित तथा पक्की सड़क से ४ मील की दूरी पर तथा कच्ची सड़क १३ मील की दूरी से अधिक दूर न हो।
- (२) अर्ध विकसित क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से ८ मील की दूरी पर तथा किसी अन्य सड़क से ३ मील की दूरी से अधिक न हो।
- (३) एक अविकसित तथा असेतिहर क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से १२ मील की दूरी पर और किसी अन्य सड़क से ५ मील की दूरी से अधिक न हो।

इन लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने पर देश में प्रति १०० वर्ग मील में औसत ५२

मील सड़क होगी जब कि वर्तमान समय में प्रति १०० वर्ग मील में २८ मील औसत सड़क है।

मोटर यातायात

↓

भारतीय सड़क यातायात को दो भागों में विभाजित किया जाता है—एक तो शहरी यातायात और दूसरा ग्रामीण यातायात। शहरी यातायात के अन्तर्गत मोटर कार, ट्रक, बस, ट्राम, टैक्सी, मोटर, रिक्शा, साइकिल रिकशा तथा साइकिल आदि आते हैं। इससे विपरीत ग्रामीण यातायात में बैलगाड़ी, इस्का, ठेला, ऊँट गाड़ी तथा घोड़ा गाड़ी आदि आते हैं। मोटर यातायात आज शहरी यातायात का एक सर्वाधिक साधन बन गया है। अतः इसने विकास में एक विहंगम दृष्टि डालना भी अनुचित न होगा।

मोटर यातायात का इतिहास अप्रत्याशित नहीं है। लगभग ५० वर्ष पूर्व (सन् १९१३ तक) भारतभर में केवल ४,००० मोटर गाड़ियाँ थीं। प्रथम महायुद्ध में देश की सुरक्षा के लिए विदेशों से एक बड़ा संख्या में मोटरगाड़ियाँ आयात की गईं। इनकी समाप्ति के पश्चात् ये गाड़ियाँ शहरी यातायात के रूप में प्रयोग में लाने लगीं। सन् १९२६-२७ में विस्फोटक मन्दी के समय भारत में मोटर यातायात की वृद्धि तेजा से हुई। ट्रकों पर माल लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा मोटरों द्वारा सभारियों एक शहर से दूसरे शहर ल जाई जाने लगीं। फलतः सन् १९३० के पश्चात् ये मोटर और रेल यातायात में तीव्र प्रतिस्पर्धा देने लगे। जिससे रेलों का बड़ी हानि हुई। इस प्रतिस्पर्धा का दूर करने के लिए देश में सन् १९३० में 'मोटरगाड़ी अधिनियम' पास किया गया।

सन् १९३८ में द्वितीय महायुद्ध भी प्रारम्भ हो गया। मोटर यातायात को विकास के लिए एक सुनहला अवसर मिला परन्तु आयात के प्रतिस्पर्धा के कारण तथा पेट्रोल की कमी के कारण आशातीत प्रगति न हो सकी। युद्ध समाप्त होने ही आयात नियन्त्रण ढील हुए और मोटरगाड़ियों का संख्या पुनः बढ़ने लगी। सन् १९८८ में मोटर गाड़ियों की कुल संख्या ९,७७,७३३ थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मोटर यातायात को एक और खुला रास्ता मिला। सड़कों में सुधार हो जाने के कारण तथा योजनाओं के प्रारम्भ हो जाने से मोटरों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली गई। सन् १९८७ से सन् १९५८ तक मोटरगाड़ियों की संख्या में जो वृद्धि हुई वह अगले पृष्ठ पर दी गई है।

वर्ष	मोटरगाड़ियों की संख्या
१९४०	२,११,९४९
१९४१	३,०६,३१३
१९४६	४,२२,०४१
१९५०	४,५७,७३७
१९५८	४,९९,२०३

रेल सड़क स्पर्धा एवं सामंजस्य

स्थल यातायात के दो प्रमुख साधनों—रेल और सड़क—में प्रतिस्पर्धा ने अपना घर कर लिया है जिसने कारण दोनों ही साधनों को हानि हॉती रही है। यह प्रतिस्पर्धा भारत-रप के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ससार के अन्य सभ-वेशो जैसे दगलैण्ड और अमेरिका में भी यह समस्या पाई जाती है।

भारतवर्ष में रेल और मोटर यातायात में प्रतिस्पर्धा का उदय प्रथम महायुद्ध के पश्चात् से होता है। सन् १९२० के पश्चात् से यह समस्या स्पष्ट रूप से दृष्टियोंकर होती है। मोटर यातायात ने अपने किगयो को रेलों की अपेक्षा बहुत कम कर दिया है फलतः ट्रेफिक मोटरा की ओर आकर्षित हुआ, रेलों को हानि सहनी पड़ी। सन् १९२७ में डा० जयकर समिति के सुझाव के अनुसार एक सड़क विकास कोष स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य पेट्रोल पर प्रति गैलन दो आना टैक्स लगाकर सड़क विकास के लिए धन संचित करना था। इससे सड़क में सुधार हुआ।

सन् १९२९ ३० में विश्वव्यापी मंदी के कारण मोटरा की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। मोटरों और ट्रकों की संख्या बढ़ जाने के कारण व्यापारियों को और भी सुविधाएँ प्राप्त हुईं। फलतः सवारियों और माल का ट्रेफिक इनकी ओर आकर्षित हुआ और रेलों को प्रति वर्ष २ करोड़ रुपये की हानि होने लगी। सन् १९३२ में रेल मोटर प्रतिस्पर्धा की बढ़ती हुई समस्या का अध्ययन करने के लिए एक मिचैल कर्कनेस समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सुझाव प्रस्तुत किये। जिनमें से केन्द्रीय सलाहकार सहायदाहन मंडल (Central Advisory Board of Communications) का स्थापित किया जाना मुख्य था।

इस मंडल का काम प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए एक समन्वय की योजना तैयार करना था। अप्रैल सन् १९३३ में सरकार ने एक रेल सड़क यातायात सम्मेलन आयोजित किया जिसमें रेलवे, सड़क यातायात और राब्वी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने यातायात के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करने का सुझाव

दिया। सन् १९३६ में वेजुड्ड समिति ने भी इस समस्या पर विचार किया और सुझाव दिया कि निजी मोटर चालकों को लाइसेंस दिये जाएँ, सरकारी (रेलो द्वारा) बसें चलाई जायें। रेल यात्रियों को अधिक सुविधाएँ दी जायें, भाड़ा कम किया जाय तथा रेलों, अधिकारियों को व्यापारियों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

सन् १९३६ में सड़क यातायात पर नियन्त्रण रखने के लिए मोटरगाड़ी अधिनियम पास किया गया। भारत में मोटर यातायात को नियंत्रित करने में यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सन् १९४६ और सन् १९५६ में संशोधन भी किये गये हैं। सन् १९४८ में इस दूषित प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए सरकार ने अपना अंतिम हथियार—राष्ट्रीयकरण भी अपनाया। इसके अनुसार देश में प्रतिस्पर्धा बहुत कम रह गई है। प्रतिस्पर्धा को और कम करने के लिए सरकार ने सन् १९५० में 'सड़क यातायात निगम अधिनियम' भी पास किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों में राज्य सरकारों, रेलों और निजी चालकों की सार्वभौमिकता से वैधानिक सड़क यातायात निगम (कारपोरेशन) बनाये दिये हैं। ये निगम इस प्रतिस्पर्धा को दूर कर सकेंगे ऐसी आशा की जाती है।

अप्रैल १९५६ को सड़क यातायात पुनर्गठन समिति जिसने अध्यक्ष श्री एम० आर० महानी थे, ने अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त किया है कि भारत में सड़कों की अपेक्षा रेलों पर अब भी अधिक जोर दिया जाता है। समय समय पर सड़क यातायात पर प्रतिबन्ध ही प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु रेल और सड़क यातायात में वैधानिक दृग से समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। समिति ने सुझाव दिया है कि सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जाय, उसके लिए अधिक पत्र राशि स्वीकार की जाय, उन पर केवल एक ही टैक्स लगाया जाय तथा डीजल तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयत्न किया जाय।

सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण

रेल और सड़क यातायात में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा के दुष्परिणामों को रोकने के लिए सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण एक समझौता और भी समझा गया। विभिन्न राज्यों जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा मद्रास आदि ने अपने राज्यों में सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करके अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। राष्ट्रीयकरण को जनता का एकमेव मत प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में भी लोगों ने काफी तर्क प्रस्तुत किये हैं। आर्ये, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में विपक्ष में दिये गये तर्कों को भी सक्षेप में देत लिया जाय।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(१) राष्ट्रीयकरण के द्वारा यात्रियों को मोटर यातायात की सस्ती और सर्वोत्तम सेवाएँ प्राप्त हुआ करेंगी।

(२) मोटर के किराए की दर समान एव निश्चित होगी।

(३) मोटर यातायात से होने वाली आय सरकारी खजाने में जमा होगी।

(४) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप देश के उन भागों में भी यातायात की सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी जहाँ कि ट्रैफिक अर्थात् होता है।

(५) मोटर यातायात के निजी चालकों द्वारा की जाने वाली अनेक अवाञ्छित क्रियाएँ बन्द हो जाएँगी।

(६) सड़क निर्माण तथा उसका उपयोग एक ही सत्ता (सरकार) के हाथ में आ जायगा।

(७) कर्मचारियों की सेवाएँ निश्चित तथा स्थायी हो जाएँगी।

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

(१) प्रतिस्पर्धा के समाप्त हो जाने के कारण सड़क यातायात में उचित विकास न हो सकेगा।

(२) सरकार और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे।

(३) निजी चालकों द्वारा जनता को दी जाने वाली अनेक सुविधाएँ जैसे बीच में मोटर रोक देना आदि समाप्त हो जाएँगी।

(४) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकार को मोटर मालिकों को एक मोटी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी।

(५) पूँजीगत व्यय बढ़ जायेंगे।

(६) सरकार की आय में कमी हो जायगी।

(७) राष्ट्रीयकरण मोटर मालिकों के प्रति एक अन्याय होगा क्योंकि उनके खून पसीने से सींची गई रोजी सरकार द्वारा छीन ली जायगी।

(८) राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा सड़क यातायात का नियमन अधिक श्रेयस्कर है।

उपरोक्त विरोधाभास होते हुए भी सरकार ने राष्ट्रीयकरण की नीति को ही अपनाते का निश्चय किया। सन् १९४८ में 'सड़क यातायात निगम अधिनियम' पास किया गया जिसके अनुसार राज्य सरकारों को सड़क यातायात पर नियंत्रण रखने तथा उसे स्वयं संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यहाँ यह बताना भी अनुचित न होगा कि प्रारम्भ में सड़क यातायात को राष्ट्रीयकृत करने का विचार नहीं था परन्तु परिस्थितिवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा।

सरकार ने एक त्रिपक्षीय (Tripartite) योजना बनाई जिसके अनुसार राष्ट्रीयकरण से प्रभावित होने वाले तीनों पक्ष अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा निजी मोटर मालिकों को समुक्त पूँजी कम्पनियों विभिन्न राज्यों में बनाने का विचार था। प्रस्तावित अर्ध पूँजी का ३०% से ३३% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा, ३०% से ३५% भाग राज्य सरकारों द्वारा तथा शेष भाग निजी मोटर मालिकों द्वारा दिया जाना था।

पहले तो इस योजना का सभी ने स्वागत किया परन्तु कालान्तर में मोटर मालिकों ने इस योजना में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। फलतः यह योजना असफल हो गई और केन्द्रीय सरकार को १९४८ में 'सड़क यातायात निगम अधिनियम' पास करना पड़ा। इस समय भारत के अधिकांश राज्यों—असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, राजस्थान, कच्छ, सीराट्ट, हैदराबाद, मैसूर, केरल आदि—ने सड़क यातायात को राष्ट्रीयकरण कर दिया है। विभिन्न राज्यों में प्रयत्न व्यय तथा भिन्न भिन्न है।

प्रश्न

- 1 How far can the State help in the development of road transport in India? (Agrs, 1937)
- 2 Write a short note on Indian Road Transport'. (Agrs, 1937)

†



अध्याय २८

जल यातायात

(Water Transport)

भारत एक प्राचीन देश है। इसके तीन ओर सागर हैं। उत्तर में इसका प्रद्वीप हिमालय है और हजारों जल धाराएँ तथा महान नदियाँ जिन्होंने यहाँ के सामाजिक विकास में विशेष योग दिया है, इस भूमि को सींचती हैं। इन जल मार्गों द्वारा ही देश के विभिन्न नगरों के बीच सम्पर्क स्थापित होना सम्भव हो पाता था।

भारतीय जल यातायात के क्षेत्र में सर्वत्र अग्रगण्य रहे हैं। भारत में जहाज निर्माण की कला उतनी ही पुरानी है जितनी उसकी संस्कृति। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने सामुद्रिक उद्योग के द्वारा संसार की अन्य संस्कृतियों से सम्बन्ध स्थापित रखा और अन्य राष्ट्रों तथा जातियों को सम्पन्न बनाया। निःसन्देह इस जल उद्योग के श्रेय हमारी संस्कृति मूल रूप से निष्पत्त्य रहती।

भारतीय जहाज उद्योग की मनोरञ्जक कहानी दोहराने के लिए हमें पुरातत्व-विज्ञान, कला, साहित्य, तथा मुद्रा-विज्ञान की ओर ध्यान देना होगा। जल तथा जहाज उद्योग के प्रथम प्रमाण चिह्न मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेषों से मिलते हैं, जो ५००० वर्ष पुराने हैं। सर्वप्रथम साहसी लोग इन्हीं के खोलखले तनों में ही अपार जल राशियों पर अपनी साहसपूर्ण यात्रा को निकल पड़े थे। आज उनके उत्तराधिकारियों ने संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए तैरने वाले नगरों का—'जल उपा' जैसे लकड़ी और इस्पात के विशाल जहाजों का निर्माण कर लिया है।

वैदिक साहित्य में हमारे जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद संहिता की एक श्रुति से यह ज्ञान होता है कि ये नौकाएँ जल पर भारी प्रकार से चलती थीं, "इनकी कड़ियाँ चौड़ी होती थीं, यह आरामदेह, लम्बी-चौड़ी तथा सुसज्जित टंग से सुसज्जित होती थीं, उनकी पनवारें मजबूत तथा पनाचट त्रुटिहीन होती थी।"

'संज्ञा-श्लोकिया' नामक पाली पुस्तक के अनुसार जिस जहाज में विजय तथा उसके अनुगामी बंगाल से भेजे गये थे, उसमें ७०० यात्रियों के लिए स्थान था। 'श्ल' जातक में एक ऐसे जहाज का उल्लेख है जो ८०० . . . क' (८०)

लम्बा, ६०० स्क्विट चौड़ा तथा २० पैदम (१ पैदम = ६') गहरा था और उसके तीन पाल थे। इससे यह किन्दा होता है कि बौद्ध काल में जहाज निर्माण की कला का काफी विकास हुआ था।

मौर्य काल

यूनानी साहित्य में पाये गये कई उल्लेखों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ३२५ ई० पूर्व के आसपास भी जहाज निर्माण भारत में एक प्रमुख उद्योग था। एरिथन ने जहाज निर्माण केन्द्रों का, ३० पतवार वाले सुद पोतों का तथा यातायात नौकाओं का जिक्र किया है।

आम्र में दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ईसवी की जहाज अन्वित मुद्राएँ पाई गई हैं। इन जहाजों का मस्तक उनके दाहिने हाथ को होता था, उनके सिरों पर एक गोलाकार हाती थी। इसके नीचे उनका पतवार बाहर को निकले हुए होते थे, जो सीधे शहतीरों के आकार के होने से और जिनके सिरों की चम्मचनुमा आकृति होती थी। जहाज का शक सीधा होता था और उन पर दो गोलाकार चीजें हाती थी, जिनमें से दो मस्तक निकले हुए होते थे—इनमें से प्रत्येक के ऊपरी भाग पर एक आना शहतीर लगा होता था।

इसके पश्चात् साँची के स्तूप तथा अजन्ता की गुफाओं के गुण में हम पाते हैं कि भारतीय जहाज और अधिक मजबूत, बड़े तथा टिकाऊ हो गये थे।

‘युक्तिचल्यतरु’ प्राचीन भारत की जहाज निर्माण कला पर एक प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अन्वय ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ हमें विभिन्न प्रकार के जहाजों के आकार, रूप तथा उनके उपयोगों के बारे में दिलचस्प बातें बताता है। आकार के दृष्टिकोण से दो प्रमुख प्रकार के जहाज हुआ करते थे—

- (१) ‘सामान्य’ जो देश के अन्दरूनी यातायात के काम में लाये जाते थे, तथा
- (२) ‘विशेष’ जो विदेशी यातायात के लिए थे।

पन्द्रहवीं शताब्दी में निकालो काँटी नामक इतालियन यात्री भारत में आया था। उसने कहा है कि भारतीय योरुप में बनने वाले तत्कालीन जहाजों से बड़े जहाज बनाते थे। मुगलों के काल में भी, देश के विभिन्न भागों में जहाज उद्योग ने बहुत उन्नति की। तत्कालीन साहित्य में उस काल में बंगाल में बनाये गये जहाजों का अत्यन्त मनोरम वर्णन है। सागौन, गम्भारी, शियाल, काथल आदि की लकड़ियों के मजबूत तख्तों को लोहे की मेखों से जोड़ कर जहाज में माल रखने की जगह बनाई जाती थी। इसके बाद घातु की चादरें तथा चटारें की किराई लगाई जाती थीं। इसके बाद लकड़ी के तख्तों का ‘डेक’ बनाया जाता था और फिर मुख्य ‘केबिन’ एक अलङ्कृत प्रसोष्ट होता था जिसमें कौकियों की मालाओं तथा बन्दनवार की सजावट हाती थी। मुगल चित्रकला में भी कई प्रकार के जहाजों के अनेक उदाहरण चित्रित हैं।

भारतीय जल यातायात को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) आन्तरिक जल यातायात, और

(२) सामुद्रिक जल यातायात ।

† आन्तरिक जल यातायात को पुनश्च दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(अ) नदी यातायात, और

(ब) नहर यातायात ।

नदी यातायात

(River Transport)

मैगस्थनीज ने अपने भ्रमण सम्बन्ध में लिखा है कि उसने भारतवर्ष में नाव के द्वारा भ्रमण किया था । १४वीं शताब्दी तक जल यातायात भारतवर्ष में अरबी चरम सीमा पर पहुँच चुका था । सर्वप्रथम सन् १८४२ में भारतवर्ष में स्टीमर चलाये गये जो कलकत्ता और आगरा के बीच चला करते थे । ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में नदी यातायात पूर्यरूपेण सन् १८५५ से आरम्भ हुआ ।

भारतीय नदियों की दो विशेषताएँ हैं :—

(१) उत्तरी भारत की नदियाँ साल भर तक जलपूर्ण रहती हैं और अच्छे जल मार्ग के रूप में हैं ।

(२) दक्षिण भारत की नदियाँ अच्छा जलमार्ग प्रदान नहीं करती, क्योंकि एक तो वे ऊँचा नीची तथा पठारी भूमि पर बहती हैं, दूसरे बरसात के दिनों में उनमें बाढ़ आ जाती है और गर्मियों में वे सूख जाती हैं ।

भारतवर्ष में वर्ष पश्चात् जलपूर्ण जलमार्गों की कुल लम्बाई ४१,००० मील है जिसमें से नदियों का लम्बाई २६,००० मील और नहरों की लम्बाई २६,००० मील है । इसमें से जल यातायात के योग्य जलमार्ग की लम्बाई ५,००० मील है । इसमें से प्रमुख जलमार्ग गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी और कृष्णा तथा उनकी नहरें, फल राज्य, मद्रास और आन्ध्र राज्यों में बर्कियम नहर, उड़ीसा में पश्चिमी तटीय नहरें तथा महानदी नहरें हैं । इस समय १,५५७ मील लम्बी नदियाँ मशीन द्वारा चालित जहाजों के द्वारा तथा ३५८७ मील लम्बी नदियाँ बड़ी देशी नावों द्वारा जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं ।*

उपरोक्त सचित्र विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आन्तरिक जल यातायात बड़ी विछड़ी दशा में है । परन्तु यह समझना कि यह दशा सदैव से ऐसी ही रहा है, एक

बड़ी भारी भूल होगी। सन् १८७६ ७७ में कलकत्ता में १८०००, हुगली में १,२५००० और पटना में ६०,००० सामान ले जाने वाली नावें (cargo boats) थीं। परन्तु सन् १८५३ से रेल यातायात का प्रादुर्भाव हो जाने के कारण आन्तरिक जल यातायात को बड़ी ठेस पहुँची। शनैः शनैः जल यातायात का पतन होता चला गया। परन्तु ही, रेल उड़क प्रतियोगिता की भाँति रेल और जल यातायात में कभी प्रतियोगिता नहीं हुई। इन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग रहे हैं।

जल यातायात की प्रगति में बाधक दो मुख्य कारण थे—

(१) भारत में आन्तरिक जल यातायात भिन्न भिन्न राज्यों के अधीन रखा गया। अतः जल यातायात और जलमार्ग के लिए कोई एकमूर्तीय तथा समन्वित योजना न बनाई जा सकी।

(२) विदेशी सरकार ने अपने ध्यान को रेल यातायात के विकास तक ही केन्द्रित रखा, क्योंकि इसमें उसका हित था। रेल और जल यातायात के समन्वय की ओर किंचित भी ध्यान नहीं दिया गया।

जल यातायात के विकास के लिए किये गये प्रयत्न

जल यातायात के विकास की ओर प्रयत्न विदेशी सरकार द्वारा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही किये गये। क्योंकि युद्धकाल में यातायात (traffic) इतना अधिक बढ़ गया कि रेल यातायात और उड़क यातायात इसका बहन करने में असमर्थ थे। फलतः सरकार का ध्यान जल यातायात की ओर आकृष्ट हुआ। सन् १९४५ में जल यातायात को आयोजित ढंग पर विकसित करने के लिए एक 'केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौचालन आयोग' (Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission) नियुक्त किया। सन् १९५० में भारतीय जलमार्गों के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए, 'इकोनामिक कमिशन फॉर एशिया एण्ड दी पार ईस्ट' (E. C. A. F. E.) की ओर से जल यातायात के विशेषज्ञ श्री ऑटो पॉपर (Otto Popper) भारत भेजे गये। इन्होंने जल यातायात के विकास के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

नदियों में नौचालन की समस्या का अध्ययन करने के लिए पूना में एक 'नदी अनुसन्धान संस्था' भी स्थापित की गई है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल यातायात को सस्ता बनाने के लिए इंग्लैंड में प्रयोगात्मक जाँच जारी है।

अभी हाल ही में 'आन्तरिक जल यातायात समिति' (Inland Water Transport Committee 1959) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया है कि एक 'केन्द्रीय तांत्रिक समन्वय' एक 'प्रशिक्षण संस्था' नदी घाटी योजनाओं में नौचालन की सुविधाएँ तथा देशी नान सहकारिताओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

योजनाओं के अन्तर्गत

आन्तरिक जलमार्गों के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'गंगा ब्रह्मपुत्र धौले' स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जलमार्गों के विकास के लिए ३ करोड़ रुपये का आभोजन किया गया है जिसमें से १ करोड़ १५ लाख रुपये बकिंघम नहर और ४३ लाख रुपये पश्चिमी तटीय नहरों के विकास पर खर्च किये जायेंगे।^१ तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

सामुद्रिक यातायात

(Marine Transport)

प्राचीन भारत में सामुद्रिक यातायात के गौरवपूर्ण इतिहास को हम विछले कृत्यों में देख चुके हैं। भारतीय लोग अहाज-निर्माण में इतने कुशल थे कि १८वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए भारतीय बार्ड में अहाज बनाये जाते थे। सन् १७३६ और सन् १८६३ के बीच अंग्रेजों ने बम्बई में लगभग ३०० छोटे-बड़े अहाज बनवाये। १८वीं शताब्दी के अन्त तक १७,००० टन के ३५,००० अहाज बनाये गये। इसके बाद २० साल में २२७ अहाज बनाये गये जिनका कुल टनेज १,०५,६६३ था।^२

भारतीय अहाजगानी उद्योग का पतन २०वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका प्रमुख कारण विदेशी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति थी। महात्मा गांधी के शब्दों में 'अंग्रेजी शिपिंग को उन्नति देने के लिए भारतीय शिपिंग को नष्ट हो जाता पड़ा।' प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से अधिक अहाजों की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः विदेशी सरकार को अहाजगानी उद्योग के विकास की ओर ध्यान देना पड़ा। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने लकड़ी के अहाजों के बनाने के लिए प्रेरणा दी।

द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) काल में प्रत्येक देश को और अधिक अहाजों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अमेरिका ने नार्वे, फ्रान्स और चीन को सहायता दी, इंग्लैंड ने भी अपने लिए अमेरिका में अहाज बनवाये। भारत के साथ एकदम उपेक्षा का व्यवहार किया गया। यही नहीं, सरकार ने रेल और समुद्री यातायात में समन्वय स्थापित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप रेल और सामुद्रिक यातायात के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रही।

सामुद्रिक यातायात के विकास के लिए न तो भारतीय लोगों ने ही कोई प्रयत्न किया और न विदेशी सरकार ने ही कोई प्रोत्साहन दिया। इनके विपरीत अब कभी

१ Second Five Year Plan, p. 487.

२ R. K. Mukerjee, History of Indian Shipping.

भारतीय कम्पनियों ने अपने बहाज चलाने का प्रयत्न किया तो उन्हें विदेशी कम्पनियों से कठोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। विदेशी कम्पनियाँ भारतीय कम्पनियों से दो प्रकार से अनार्थिक प्रतियोगिता करती थीं। प्रथम, माफ़ायुद्ध (Ratewar) करके और द्वितीय, विलम्बित इटोती पथा (Deferred Rebate System) प्रस्थापित कर। भारतीय कम्पनियाँ विदेशी कम्पनियों की घातक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला न कर सकीं और शनैः-शनैः उनका पतन होता गया।

सुधार के लिए प्रयत्न

भारतीय बहाजबराती उद्योग के विकास के लिए आराज सर्वप्रथम सन् १९२२ में स्वर्गीय सर लल्लू माई सामलदास ने उठाई थी। उन्होंने राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा था कि भारतीय कम्पनियों की अग्रा भाड़ा (rate) तय करने का अधिकार मिलना चाहिये। परन्तु कुछ न किया गया। जब सरकार पर बहुत असर डाला गया तब सरकार ने फरवरी सन् १९२३ में श्री हेडलम की अध्यक्षता में एक सामुद्रिक व्यापार समिति (Maritime Marine Committee) नियुक्त की। इस समिति में अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये, परन्तु उन सुझावों में से केवल एक सुझाव, भारतीय लोगों को विमानों का, स्वीकार किया गया और इस कार्य (प्रशिक्षण) के लिए सन् १९२७ में 'इन्फ्लिन्ट' नियत किया गया।

सन् १९२८ में तटीय व्यापार को भारतीयों के लिए सुदृष्टित कराने के उद्देश्य से श्री एस० एन० हाजी ने केन्द्रीय सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में यह माँग का गई थी कि शिपिंग कम्पनियों के प्रबन्ध में अधिकांश (७५%) प्रबन्धक भारतीय होने चाहिये। सरकार ने इस प्रस्ताव को एक 'सेलेक्ट कमेटी' को विचार करने के लिए दे दिया। सन् १९३७ में सर अन्दुल हलीम गज्जनी ने केन्द्रीय सभा में एक और प्रस्ताव पेश किया, परन्तु उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया।

सन् १९४१ में विशाखापट्टनम में एक शिपयार्ड बनाने के लिए सिंधिया स्टोन नेवीगेशन कम्पनी को प्रोत्साहन दिया गया। इसके पश्चात् सन् १९४५ में श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में Post-war Reconstruction Policy Sub-Committee नियुक्त की गई। इस समिति ने अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव सन् १९४७ में प्रस्तुत किये। इन सुझावों को पूरा करने के लिए सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन स्थापित किये हैं। जनवरी सन् १९५१ में एक 'भारतीय तटीय सम्मेलन' हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि अब तटीय व्यापार शत प्रतिशत भारतीय लोगों के हाथ में रहेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

सन् १९५७ में 'शिपिंग पालिसी समिति' ने आगामी पाँच या सात वर्षों में २० लाख टन जी० आर० टी० का लक्ष प्राप्त करने का सुझाव दिया था। प्रथम

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सफलता तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को निम्न तालिका में दिया जाता है :-

शिपिंग की सफलता

(प्रौढ रजिस्टर्ड टनों में)

जहाजों के प्रकार (Type of Vessels)	प्रथम योजना के पूर्व	प्रथम योजना के अन्त में	द्वितीय योजना के अन्त में
तटीय तथा निकटवर्ती सामुद्रिक (Over-seas)	२,१७,२०२ १,७३,५०५	३,१२,२०२ २,८३,५०५	४,१२,२०२ ४,०४,५२५
ट्रैम्प (Tramps)	—	—	६०,०००
टैंकर (Tankers)	—	५,०००	२३,०००
सालवेज टग (Salvage Tugs)	—	—	१०००
योग	३,१७,७०७	६,००,७०७	८,०९,७०७

दिसम्बर १९५६ के अन्त में, ७ ३६ लाख जी० आर० टी० की क्षमता के १५७ जहाज थे जिसमें से २ ७४ लाख जी० आर० टी० की क्षमता के ८६ तटीय व्यापार के जहाज तथा ४ ६५ लाख जी० आर० टी० की क्षमता के ६० वैदेशिक व्यापार के जहाज थे ।*

शिपिंग उद्योग के विकास के लिए प्रथम और द्वितीय योजनाओं में क्रमशः २६३ करोड़ रुपये तथा ४५ करोड़ रुपये का आभोजन किया था। प्रथम योजना में १८७१ करोड़ रुपये ही व्यय किये गये।

तृतीय योजना

अगस्त १९५६ को राष्ट्रीय शिपिंग मंडल ने सुझाव दिया कि तृतीय योजना के लिए १६,२८,००० टनेज का लक्ष्य निर्धारित किया जाय। शिपिंग मंडल ने यह भी प्रस्तावित किया है कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १४२ करोड़ रुपये व्यय किए जायें।

प्रश्न

- 1 Discuss the importance of water transport in India How can this type of transport be further developed and made more beneficial for the country? (Agra, 1917)
- 2 Explain the difficulties of Indian coastal shipping and show how they can be met? (Agra, 1917)
- 3 Write a short note on the shortage of sea ports in India (Agra, 1960)

वायु यातायात

(Air Transport)

प्रारम्भिक इतिहास—भारत में वायु यातायात दूसरे यातायात के साधनों की अपेक्षा एक नव निश्चित स्थिति है। यहाँ वायु यातायात का प्रारम्भ सर्वप्रथम बम्बई के गवर्नर सर जार्ज लायड ने बम्बई और कराची के बीच वायु यातायात सेवा की शुरुआत करके किया था। इसी वर्ष सर्वप्रथम वायुयान द्वारा इलाहाबाद से नैनी बकश तक डाक भेजी गई किन्तु वायु यातायात का वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध के बाद ही हो सका।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्—सन् १९२६ में एक वायु यातायात बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने देश में वायु यातायात के विकास के लिए हजारों अड़ों के बजटों एवं नागरिक वायु उड्डयन विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना करने के सुझाव दिये। फलस्वरूप सन् १९२७ में एक नागरिक वायु उड्डयन विभाग बना और सन् १९२८ में अनेक स्थानों पर वायुयान क्लबों की शिक्षा के लिए फ्लाइट क्लबों व हवाई जहाज उतारने के लिए 'हवाई अड्डों' की स्थापना की गई। ३० मार्च १९२९ को 'इम्पीरियल एअरवेज' के द्वारा लन्दन और कराची के बीच वायु-यातायात का प्रारम्भ हुआ। सन् १९३० में यह मार्ग दिल्ली तक बढ़ा दिया गया तथा कराची व देहली के बीच डाक ले जाने के लिए एक समझौता किया गया जो १ वर्ष पश्चात् समाप्त हो गया। १९३१ में यह कार्य देहली के फ्लाइट क्लब के सुपुर्द किया गया जिसने १ वर्ष तक इसे नियमित रूप से किया।

प्रथम भारतीय प्रयत्न—सन् १९३५ में टाटा एन्ड लिमिटेड ने 'टाटा एअरवेज कम्पनी' की स्थापना की जिसने सप्ताह में एक बार कराची से मद्रास तक वायुयान द्वारा यात्रियों को लाने व ले जाने का कार्य प्रारम्भ किया। यह वायुयान बम्बई व अहमदाबाद में टहरते थे। सन् १९३४ में टाटा के वायुयान हैदराबाद में भी रुकने लगे और सन् १९३५ में बम्बई त्रिवेन्द्रम व बम्बई दिल्ली मार्ग पर भी वायुयान चलने लगे। सन् १९३६ में टाटा एअरवेज ने अपने मार्ग को कोलम्बो तक बढ़ा लिया। भारत सरकार ने अपनी डाक भेजने का कार्य भी टाटा एअरवेज को दिया

विद्यार्थी यात्र से इसकी स्थिति काफी दृढ़ हो गई और अगला कार्य सफलतापूर्वक करती रही।

सन् १९३३ में भारत सरकार, प्रिटेन की सरकार व ब्रिटिश एअरवेज ने मिल-कर एक नई कम्पनी 'इण्डिया ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड' की स्थापना की जिससे इन्वैण्ड से कराची तक आने वाले जहाज रगून तक जा सके और वहाँ से 'किन्टास एम्पाइर एअरवेज' द्वारा सिंगापुर होने हुए आस्ट्रेलिया जा सके—

सन् १९३३ में एक दूसरी कम्पनी 'इण्डियन नेशनल एअरवेज' की भी स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में था। इसने कराची और लाहौर के बीच वायु-यातायात सेवा प्रदान करने का प्रयत्न किया।

सन् १९३६ में एक तीसरी कम्पनी 'एअर सुप्रिसेज आफ इण्डिया' लिमिटेड की स्थापना हुई। इसने नई काठियावाड़ मार्ग पर अपनी वायु यातायात सेवाएँ प्रदान की और यंत्र ही काफी उन्नति पर भारत के वायु यातायात का ७०% भाग अपने अधिकार में कर लिया। किन्तु आर्थिक हानि व सरकार की सहायता के अभाव में सन् १९४० में इसे बन्द हो जाना पड़ा।

साध्याज्य हवाई डाक योजना १९३८ (Empire Air Mail Scheme, 1938)—सन् १९३८ में साम्राज्य हवाई डाक योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत साम्राज्य के सभी देशों की डाक गयुवानों द्वारा भेजने का निश्चय किया गया। भारत की डाक इम्पीरियन एअरवेज द्वारा कराची में भारत सरकार को देने और भारतीय वायुगानों द्वारा इससे वांटने का निश्चय किया गया। इस कार्य के लिए टाटा एअरवेज लिमिटेड व इण्डियन नेशनल एअरवेज लिमिटेड के साथ १५ वर्ष के समझौते किये गये जिनकी शर्तें ये थी—

(१) टाटा एअरवेज कराची-बम्बई मार्ग पर डाक ले जाने का कार्य करे जिसके लिए सरकार द्वारा १५ लाख रुपये देने का समझौता हुआ। टाटा कम्पनी ने इस धनराशि के बदले ५,००,००० लाख पीएड डाक ले जाने का आश्वासन दिया। इससे अधिक मात्रा में डाक ले जाने पर १ रुपये प्रति पीएड और देने को कहा गया।

(२) इण्डियन नेशनल एअरवेज को कराची से लाहौर तक डाक ले जाने का कार्य सौंपा गया जिसके लिए सरकार द्वारा उसे १,३०,००० पीएड डाक ले जाने पर ३.२५ लाख रुपये देने का समझौता था। इससे अतिरिक्त उक्त वादाद से अधिक डाक टोल पर इसे भी १/२ प्रति पीएड अतिरिक्त शुल्क मिलने का समझौता था।

उक्त योजना से भारतीय वायु यातायात को प्रोत्साहन मिला। इसने अन्तर्गत टाटा एअर लाइन्स ने ४३ लाख रुपये प्रतिफल कमाया व इण्डियन नेशनल एअरवेज ने ३१ लाख रुपये प्रति वर्ष प्रतिफल कमाया।

द्वितीय युद्धकाल—युद्धकाल भारत में वायु यातायात विकास के लिए सर्वांगीण अवसर रहा। १९४२ में जापान के युद्ध में प्रविष्ट होने के कारण भारतीय वायु यातायात को सामरिक महत्व मिल गया। फलतः सरकार द्वारा यातायात कम्पनियों को अपने मार्ग विवक्षित करने के लिए प्रत्येक उपलब्ध व सम्भव सहायता दी गई। उस समय पश्चात् टाटा एअरवेज व इण्डियन नेशनल एअरवेज को युद्ध यातायात आदेशक (War Transport Command) के अन्तर्गत कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। कम्पनी के यात्री वायुयानों की पूरी क्षमता का विनाश, चाहे वे मरी हो अथवा पाली, सरकार द्वारा दिया जाता था। इस प्रकार युद्धकाल उत्तर २ कम्पनियों के विकास के लिए सर्वांगीण अवसर रहा। इस काल तक इन कम्पनियों की आर्थिक दशा अति अशुभ हो गई थी, इन्हें पट्टे पर प्राप्त किये गये आधुनिक वायुयानों के संचालन का अधिक प्राथमिक ज्ञान हो चुका था एवं सरकारी क्षेत्र में इन्हें अशुभ स्थिति प्राप्त हो चुकी थी। टाटा एअरवेज व इण्डियन नेशनल एअरवेज के जहाज १६ मार्गों पर चलते थे। १९४५ में यात्रियों की संख्या १९३८ की तुलना में ८ गुनी हो गई थी तथा टोए गये माल की मात्रा दुगुनी।

युद्धोपरान्त वायु यातायात नीति (Post war Policy)—युद्धोपरान्त वायु यातायात विभाग योजना के रूप में सरकार ने वायु यातायात के विनाश नियन्त्रण पर सुझाव देने के लिए एक समिति Post war Reconstruction Policy Sub Committee on Post and Aviation नियुक्त की जिसने वायु यातायात के विकास के लिए अपने सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत किए—

- (१) वायु यातायात सेवाओं के विकास व संचालन का कार्य निजी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाय।
- (२) प्रत्येक कम्पनी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अक्टूबर १९४६ में स्थापित हुई 'Air Transport Licensing Board' नामक संस्था से लाइसेंस प्राप्त करे।
- (३) भारत में सम्पूर्ण वायु मार्गों पर वायु यातायात सेवाओं का संचालन केवल चार कम्पनियों द्वारा किया जाय।
- (४) कम्पनियाँ अपनी निजी पूँजी लगावें और हानि लाभ की स्वयं उत्तरदायी हों।
- (५) कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार वायु यातायात की कम्पनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(६) विशेष परिस्थितियों में सरकार वायु यातायात के संचालन में भाग ले एवं इस उद्देश्य के लिए कम्पनी के बोर्ड में अपना एक संचालक (Director) नियुक्त करे।

युद्ध के पश्चात् वायु यातायात का एकदम उड़ी तेजी से विकास हुआ। युद्ध की परिस्थितियों ने व्यापारिक सहस्र (Commercial Enterprise) में एक और ऐसे विश्वास को पैदा किया कि 'वायु यातायात' की कम्पनियां भारी लाभ कमा सकती हैं और दूसरी ओर 'डबोटा' आदि वायुयानों को उरते मूल्य पर निजी के लिए खुले बाजार में प्रस्तुत किया जिसके कारण अनेक नवीन वायु यातायात कम्पनियों की स्थापना हुई। १९४६ के अंत तक वायु यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड ११ कम्पनियों को आन्तरिक मार्गों पर अपनी सेवाओं का संचालन करने के लिए लाइसेंस दे चुका था।

भारत ने १९४८ में एअर इण्डिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात में भाग लेना प्रारम्भ किया। इस कम्पनी के अन्तर्गत भारत सरकार व टाटा कम्पनी का समुक्त स्वामित्व था। इसके बोर्ड में सरकार ने एक विशेष संचालक की नियुक्ति की थी जिसे यातायात नीति सम्बन्धी मामलों में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। कम्पनी को आर्थिक सहायता के रूप में, सरकार ने प्रथम पाँच वर्षों तक होने वाली प्रत्येक आर्थिक हानि को पूरा करने का आश्वासन दिया था। पर हानि पूर्ति के लिए दी गई राशि का रूप शून्य ही था क्योंकि कम्पनी को अपने लाभ कमजोर की स्थिति में ऐसी सम्पूर्ण राशि को लौटाने का दायित्व था। १० वर्षों तक पश्चिमी मार्गों पर कम्पनी को अपनी सेवाओं को संचालित करने का एकमात्र अधिकार था।

१९४८ से 'एअर इण्डिया इंटरनेशनल' ने उम्रई और लन्दन के बीच अपनी वायु सेवा को सप्ताह में ३ बार के क्रम से प्रारम्भ किया। इस सेवा के लिए कम्पनी अपने ४ सीटों वाले आधुनिकतम 'लान्डीड कास्टेलेशन' (Lockheed Constellation) वायुयान का प्रयोग करती थी। १९५० से इसी कम्पनी ने अपनी, पूर्वी अफ्रीका, उम्रई, अदन, नैरोबी वायु सेवाओं को भी महीने में २ बार के क्रम से प्रारम्भ किया।

१९४६ से, 'भारत एअरवेज लिमिटेड' ने अपने स्वर्डमास्टर जहाजों की सहायता से कलकत्ता, बँरस, हावाड़ा, टोचियो के बीच वायुयान सेवा प्रारम्भ की। संकटमय राजनैतिक वातावरण के कारण काफी समय तक इस कम्पनी की वायु यातायात सेवा कलकत्ता और बँरस के बीच सप्ताह में एक बार तक ही चलती रही किन्तु बाद में यह सिंगापुर तक बढ़ा दी गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी वायु यातायात की कम्पनियाँ बराबर प्रगति करती रहीं और उन्होंने अधिक से अधिक लाभ कमाया। इसी समय कलकत्ता व अमरताला के बीच वायु यातायात के लिए 'कलिंग

एअरवेज' की तथा अन्ने मार्गा पर 'डालमिया लैन एअरवेज', 'जूफटर एअरवेज' तथा 'एअर सर्विसेज आफ इण्डिया' की स्थापना हुई।

रात की वायु डाक योजना (Night Air Mail Service)—नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) का इतिहास में हम दूरवा विनाश का वर्ष १९४२ में 'रात की वायु डाक योजना' के संस्थापन के रूप में पाते हैं। इस योजना के अनुसार फारक्ता, मम्बई, दिल्ली और मद्रास से एच एन जहाज रात में डाक लेक चलते थे, और नागपुर में मिलते थे तथा वापस में डाक की अदला-बदली करते मुम्बई तक अपने-अपने स्थानों तक लौट आते थे। जनवरी १९४६ में सरकार ने 'रात की वायु डाक' होने का कार्य 'इण्डियन ओवरसीज एअर लाइन्स' को सौंपा, किन्तु ५ महीने के अन्दर ही यह आर्थिक हानि के कारण विरहित हो गई। इस परन्तु 'डेक्कन एअरवेज व इण्डियन नेशनल एअरवेज' को यह कार्य दिया गया, परन्तु वर्षों के प्रारम्भ होने से १९४६ में यह योजना समाप्त कर दी गई। वर्षों के समाप्त होने पर पुनः यह कार्य प्रारम्भ किया गया और एन गैर एच (Non-schedule Operator) कम्पनी 'हिमालयन एवीएशन' को यह कार्य प्रारम्भ में अस्थाई लाइसेंस के अन्तर्गत अक्टूबर १९४६ तक के लिए सौंपा गया किन्तु बाद में लाइसेंस का अन्तिम जनवरी १९५१ तक बढ़ा दी गई। इसका कारण दूरी यातायात की कम्पनियाँ का अल्प अस्तित्व का भावना ने जन्म लिया और उन्होंने इस विरोध में अपने विचार (Air Transport Enquiry Committee) का समक्ष रखा। कम्पनी ने विरोध की चालाकियों पर विचार करते हुए 'हिमालयन एवीएशन' का लाइसेंस को जनवरी १९५१ में खत्म कर देने की सिफारिश की।

१९५१ में यह कार्य पुनः 'डेक्कन एअरवेज' को सौंपा गया जो सन् १९५३ तक इस कार्य की सफलतापूर्वक करती रही। सन् १९५३ में वायु यातायात के राष्ट्रीयकरण से रात्रि-वायु-डाक ले जाने का कार्य 'इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन' द्वारा किया जा रहा है जिसका चार जहाज मम्बई, फारक्ता, मद्रास और दिल्ली से चलकर नागपुर में मिलते हैं और नागपुर से यह जहाज यात्रियों और डाक को लेकर वापस हो जाते हैं।

सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के वायुयानों ने रात्रि डाक-वायु योजना का अन्तर्गत ४३४२६ यात्रियों, ३२५७४५ पौण्ड सामान और ४२,१६६०६ पौण्ड डाक को टोया। इस तरह औसतन दैनिक हिसाब ११६ यात्री, ८६५५ पौण्ड सामान और ११५५३ पौण्ड डाक रही। १९५८ में ४७६८१ यात्रियों ने यात्रा की थी, ३०,३२२२४ पौण्ड सामान तथा ४०७४४४८ पौण्ड डाक टोया गई थी और इस प्रकार इस वर्ष औसतन दैनिक हिसाब १३१ यात्री, ८३००७ पौण्ड सामान व १११६३ पौण्ड डाक रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रात्रि डाक योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले वायुयानों से यात्रा करने वालों,

की सख्या में बराबर कमी ही चलती रही है यद्यपि कारपोरेशन इसकी वृद्धि करने में सदैव प्रयत्नशील रहा है ।*

वायु-यातायात जाँच समिति

स्थापना के पूर्व परिस्थितियाँ—युद्धोपरान्त भारत में वायु यातायात का विकास बहुत ही अनियमित रहा । एक ओर तो दिन पर दिन नई नई कम्पनियों की स्थापना हो रही थी और दूसरी ओर सीमित कार्यक्रम में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण स्थापित कम्पनियों के लिए भी अपना अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो रहा था । एयर ट्रान्सपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड भी लाइसेंस देने के मामले में कोई मुनिश्चित नीति का पालन न कर रहा था, फलतः नवम्बर १९४६ में सचिव मन्त्रालय ने वायु यातायात की दशा सुधारने के सुझाव देने के लिए एक कमेटी बरिस्टिस राजाव्यक्त की अध्यक्षता में नियुक्त की ।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १५ सितम्बर १९५० को सरकार को प्रस्तुत करते हुए भारत में वायु यातायात के ऊपर इस प्रकार वक्तव्य रखा कि “देश में वायु यातायात उद्योग की आर्थिक दशा असन्तोषप्रद है और इसका मुख्य कारण यातायात कम्पनियों का आवश्यकता से अधिक होना है ।”

सुझाव—कमेटी ने वायु यातायात के पुनर्संगठन व विकास के लिए अपने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये —

कम्पनियों का पुनर्संगठन व सख्या में कमी—कमेटी के मतानुसार देश में उपलब्ध वायु यातायात की दृष्टि से केवल चार कम्पनियों की ही आवश्यकता थी जब कि उस समय १० सूचीबद्ध व ११ असूचीबद्ध कम्पनियाँ कार्य कर रही थीं । फलतः इसने सुझाव दिया कि सबको मिलाकर केवल चार कम्पनियाँ बनाई जायँ, परन्तु एयर सर्विसेज आर्क इण्डिया व डेक्कन एयरवेज को छोड़कर कोई कम्पनी स्वेच्छा से एकीकरण नहीं चाहती थी । इसने अनिश्चित ६ कम्पनियों को १० वर्ष के लिए लाइसेंस दिये गये थे और इससे पूर्व अपने कार्य समाप्त न करना चाहती थी । फलतः केवल एक यही उपाय है कि गैर सूचीबद्ध कम्पनियों को समाप्त कर दिया जाय व उनके भाग ६ कम्पनियों को दे दिये जायँ ।

(२) भाडा निर्धारण—इस कमेटी ने वायु सेवाओं के संचालन व्ययों की भी जाँच की और यह सुझाव दिया कि यात्रियों के भाडे इस प्रकार निर्धारित किये जायँ कि कम्पनी को अपनी पूँजीगत स्थाई सम्पत्ति पर १०% लाभ प्राप्त हो सके । इस कमेटी ने भाडे की श्रेणी इस प्रकार निर्धारित की :—

पहली श्रेणी में मुख्य मार्गों पर भाडे की दर, २३ आने से ८३ आने प्रति मील, दूसरी श्रेणी में करानो व लाहौर तक २३ आने से ४३ आने प्रति मील तथा तीसरी

श्रेणी में रंगून, ढाका तथा चटगाँव, देहली, श्रीनगर, जम्मू, मद्रई तथा काठियावाड़ के मार्गों पर ४३ आने से ५३ आने प्रति मील रखने का सुझाव दिया गया।

माल का भाड़ा हर मार्ग पर यात्रियों के भाड़े से सम्बन्धित होने का सुझाव रखा गया और ऐसा भी प्रस्ताव रखा गया कि अधिक से अधिक प्रति पौण्ड मासिक मित्वा यात्रियों के खर्चों का ३ प्रतिशत हो।

दाऊ ले जाने का खर्च या माल के खर्चों से १२३% अधिक रखने का सुझाव रखा गया।

(३) सरकारी सहायता—समिति ने सुझाव दिया कि वायु यातायात का उत्पत्ति के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रयत्न होना चाहिए। पण्डित राजलाल “विद्युत् प्रया” जिसके अन्तर्गत पत्रों पर ६ आने प्रति मील की छूट दी जाती थी, को समिति ने आर्थिक सहायता का उचित रूप न समझा क्योंकि इस अन्तर्गत एक ता हर एक कम्पनी को चाहें वह इसकी आवश्यकता में हो अथवा न हो, इसका लाभ मिलता था और दूसरे कम्पनियों को उनकी आवश्यकताओं के लिए सहायता न मिल पाता थी और यह विचार रखा कि कम्पनी विशेष को, उसका धन तथा रत्नों की जांच कर सहायता इस प्रकार देना चाहिए कि पूँजीगत समिति पर उसे ८ प्रतिशत लाभ हो सके जिससे ३३% आयकर व १३ प्रतिशत रिटर्न के लिए निम्नलिखित कर अंशों को ३३% का लाभार्थ मिल सके।

वायु कम्पनियों को सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि, लाइसेंसों को देकर जाँच कर लेने पर प्रत्येक रुप के प्रारम्भ में ही निश्चित कर देना चाहिए जिसे प्रत्येक कम्पनी को यह ज्ञात हो सके कि उसको कितनी सहायता मिलेगी। इस सहायता की राशि को शिमी भी हालत में घटाया जायगा न जाय और यदि कम्पनी को कोई बचत होती है तो उस पर कम्पनी का अधिकार रहे और यदि कोई हानि हो तो कम्पनी उसका लिए उत्तरदायी हो। समिति के विचार में ये सब उपाय कम्पनी विशेष को अपने रत्नों में मितव्ययिता लाने के लिए प्रयत्नशील करने की दिशा में आवश्यक कदम थे।


अन्य आर्थिक सहायता से समिति के विचार में वायु यातायात कम्पनियों को १ जनवरी १९५३ तक आन्वनिर्भर हो जाना चाहिए था और ऐसी दशा में इसके पश्चात् सरकारी सहायता को खत्म करने का भी सुझाव था।

(४) लाभ का वितरण—कम्पनी के लाभों में से समिति के विचार में सर्वप्रथम कम्पनी की हानिपूर्ति की जाना था, फिर निश्चित प्रतिशत संचित कोष में हस्तान्तरित होना था और शेष में से लाभार्थ की व्यवस्था का किया जाना था, जो किसी भी हालत में ३३% से अधिक न हो। यदि लाभार्थ की रकम देने के पश्चात् कुछ धनराशि बचती है तो उसे एक विशेष निधि में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए जो विकास तथा नवीनीकरण के काम में आ सके।

समिति के सुझावों के अनुसार कम्पनी अपने लाभ कमाने की अवस्था में भी उस समय तक ५% से अधिक लाभांश घोषित न कर सकती थी जब तक कि उसने १ जनवरी १९५३ के बाद सरकार से प्राप्त सहायता के बराबर धनराशि अपने विशेष सन्धि कोष में हस्तान्तरित न कर दी हो।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण

सन् १९५३ में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण हो गया। १ अगस्त १९५३ को वायु निगम अधिनियम (Air Corporations Act, 1953) पास हुआ। इसी महत्वपूर्ण विधि को सन्ति नेहरू द्वारा निगमों का उद्घाटन किया गया। पूर्व कम्पनियों को आवश्यक क्षतिपूर्ति दी गई।



चित्र १५ भारत में प्रमुख वायु मार्ग योजनाओं के अन्तर्गत वायु यातायात प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वायु यातायात २३ ३७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें से

७८ करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके। प्रस्तावित धनराशि का आवंटन इस प्रकार किया गया था कि कुल धन का ७०% निर्माण कार्य पर और शेष तांत्रिक एवं सज्जा की विभिन्न भर्दा पर व्यय किया जाय। इस योजना में निर्माण कार्य पर ही अधिक व्यय किया गया और अनेक हवाई अड्डे, (मंगलौर, जोरहट, कमलपुर, बलासोर, निलोनियाँ, शाला, पाण्डिनाट, उत्तरी लखीमपुर, चण्डीगढ़, कापला और उदयपुर) बनाये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात के विकास के लिए २०५१ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। इसमें से १६ करोड़ रुपये 'इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन' के लिए तथा शेष 'एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' के लिए आवंटित किये गये। इस योजना के अन्तर्गत नवधान हवाई अड्डे बनाने और कुछ पुराने हवाई अड्डों के नवीनीकरण की योजना है। साथ ही हवाई प्रशिक्षण, अनुसंधान और यात्रियों की सुख सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जायगा। वायु यातायात की वर्तमान स्थिति

सन् १९५६ में सूचित तथा अनुसूचित लाइनों (Services) पर भारतीय वायु यानों ने ८८ लाख यात्रियाँ तथा १,६७६ पौंड सामान को ढोया। सन् १९५७ से सन् १९५६ तक सूचित तथा अनुसूचित लाइनों पर वायु यातायात की निम्न प्रगति हुई—

वर्ष	मील उड़ान (हजारों में)		ढोये गये यात्री (हजारों में)		ढोई गई वस्तुएँ (हजार पौंड में)	
	सूचित	अनुसूचित	सूचित	अनुसूचित	सूचित	अनुसूचित
१९६७	६,३६२	४०,५१	२५५	६२	५६,५८	२६,६१
१९५१	१,६४,६८	६६,१४	४४६	६६	८,७६,६५	२२,१६,२४
१९५६	२,३४,८१	५७,३३	५५६	११४	६,६२,३१	६,७०,६६
१९५७	२,३४,६६	५४,५८	६१५	१२६	८,५६,६१	८,८७,०३
१९५८	२,४४,७८	४६,६७	६६६	६६	६,३६,४०	८,४२,०१
१९५९	२,४६,१३	५३,४६	७२२	६२	७,३६,२०	७,६०,०५

प्रश्न

1. Discuss the advantages and limitations of air transport. Describe the present position of air transport in India. (Allahabad 1956)
2. Write a short note on 'Air Transport'. (Agra, 1956)

1 India, 1960, p 366

2 Estimated

खण्ड ६

भारतीय प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक वित्त

१. औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन

२. कुटीर एवं लघु उद्योग

३. प्रमुख संगठित उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग

जूट उद्योग

लोह एवं इस्पात उद्योग

कोयला उद्योग

चीनी उद्योग

सीमेंट उद्योग

बाह्य साधन

- (४) व्यापारिक बैंक;
- (५) देशी बैंक;
- (६) सार्वजनिक निक्षेप (Public Deposits);
- (७) प्रबन्ध अभिकर्ता;
- (८) विशिष्ट संस्थाएँ; तथा
- (९) विदेशी पूँजी ।

अगस्त सन् १९५९ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने १००१ चुनी हुई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पूँजी प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े प्रकाशित किये हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की यह योजना सन् १९५७ के सम्बन्ध में है। इसके पूर्व अक्टूबर सन् १९५८ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने १९५५ और १९५६ के सम्बन्ध में आँकड़े प्रकाशित किये थे। वर्तमान आँकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सन् १९५७ में भारत में उद्योगों के अर्थ प्रबन्ध में आंतरिक साधनों की अपेक्षा बाह्य साधनों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। आलोच्य वर्ष में उद्योगों द्वारा प्राप्त कुल पूँजी का ७२.४% बाह्य साधनों से तथा शेष २७.६% आन्तरिक साधनों से प्राप्त हुआ।

सन् १९५७ में कुल २३५२ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त हुई थी जिसमें से बाह्य साधनों का अंश १७०२ करोड़ रुपये था। बाह्य साधनों में भी बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण का अंश सबसे अधिक था। यह अंश ४८२ करोड़ रुपये अथवा कुल धन का २०.५% था। वन्धक (Mortgages) द्वारा प्राप्त धन का भी कम महत्व नहीं था। १९५६ की तुलना में यह लगभग दुगुना हो गया था। १९५७ में इस साधन द्वारा ४५.२ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल धन के १.९२% के बराबर थे। इस साधन के अन्तर्गत ३७ करोड़ रुपये के विश्व बैंक से प्राप्त ऋण भी सम्मिलित थे। व्यापारिक तथा अन्य देनदारियों ३६८ करोड़ रुपये की थी जो कुल धन के १७% के बराबर थीं।

आन्तरिक साधनों के द्वारा ६४.६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल धन के केवल २७.६% के बराबर थे। इस साधन द्वारा प्राप्त धन की मात्रा इस वर्ष पिछले २ वर्षों की अपेक्षा में काफी घट गई। १९५५ तथा ५६ में ७५० कम्पनियों ने इस साधन द्वारा कुल धन का क्रमशः ६५% तथा ३७% धन प्राप्त किया था। आन्तरिक साधनों के अन्तर्गत हास कोष (Depreciation Reserves) सबसे प्रमुख साधन था। इसके द्वारा ४६.२ करोड़ रुपये अथवा कुल धन का १९.६% भाग प्राप्त हुआ जब कि १९५६ में यह प्रतिशत केवल १५ था। मुक्त-कोष (Free Reserves) तथा अतिरिक्त (Surplus) का अंश २० करोड़ रुपये अथवा कुल धन का ८.५% था जो कि १९५६ में १७.५% था। इस प्रकार इस वर्ष इस साधन द्वारा प्राप्त धन में कमी हुई।

१९५६ तथा १९५७ के दोनों वर्षों में कुल ४६२ करोड़ रुपये की अर्थ-व्यवस्था हुई जिसमें से बाह्य साधनों का अंश ६७ ५ प्रतिशत था। बैंकों से प्राप्त ऋण का अंश-दान भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह कुल धन का लगभग २५% था। इसके पश्चात् व्यापारिक देनदारियों (Trade Dues) तथा वचकों (Mortgages) का स्थान आता है जिनसे क्रमशः १६.६% तथा १३.८% पूँजी प्राप्त हुई। पूँजी बाजार कोषों का अंश १०% था। १९५१-५५ में उद्योगों को कुल धन का ६०% आन्तरिक साधनों से तथा शेष ४०% बाह्य साधनों से प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचन का स्पष्टीकरण निम्न तालिका से होता है—

चुनी हुई १००१ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पूँजी प्राप्त करने के साधन १९५६-५७^२

धन प्राप्त करने के साधन	१९५६	१९५७ (करोड़ रुपयों में)	कुल योग
(१) शुद्धता पूँजी	२१ ८७	२७ ४६	४९ ३६
(२) ऋण	६४ ७०	१०२ ३२	१६७ ०२
(अ) बैंकों से	६४ ७५	४८ २२	११२ ९७
(ब) औद्योगिक विच्छिन्न निगमों से	२ ६२	३ ३६	६ ९८
(द) अन्य बन्धकों से	२२ ६४	४५ २५	६७ ८९
(य) ऋण पत्रों से	-१ २४	-० ८७	-२ ११
(र) अन्य ऋण	५ ६३	६ ३३	११ ९६
(३) हाथ कोष ^३	३८ ३५	४६ १६	८४ ५१
(४) कर कोष	११ ६४	-१ २०	१० ४४
(५) पूँजी कोष	६ ६८	१ ६६	८ ३४
(६) सामान्य तथा अन्य कोष	३८ १२	१७ ६६	५५ ७८
(७) व्यापारिक तथा अन्य चालू दायित्व	४३ १५	३६ ८३	८० ९८
(८) विविध स्थायी दायित्व	१ ६६	० ५८	२ २४
कुल योग	२५६ ४७	२३५ १६	४९१ ६३

^१ ५५० कम्पनियों के सम्बन्ध में।

^२ R. B. of India Bulletin, August, 1959 p. 172.

^३ कोष का अर्थ Reserve से है।

१९५७ में पूँजी प्राप्त करने व साधना का उद्योगवार अव्ययन करने पर शत होता है कि चीनी तथा काचला उद्योग का छोड़कर शेष सभी उद्योगों में अधिकांश पूँजा बाह्य साधनों से प्राप्त की गई। गुआ पब्ल उद्योग तथा चाय उद्योगों में पूँजी प्राप्त करने व प्रमुख साधन बैंक द्वारा श्रृण्य थे। लौह एवं स्थात उद्योग के लिए भी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये श्रृण्य महत्वपूर्ण थे। धीमेत और कायन उद्योगों को भी १८५६ की अपेक्षा इस वर्ष तक से श्रृण्य अधिक प्राप्त हुए। इससे निपरीत गूट उद्योग में व १९५७ में बैंक द्वारा प्राप्त श्रृण्य बहुत कम थे।

लौह एवं स्थात उद्योग में बैंक द्वारा श्रृण्य महत्वपूर्ण रहे। नवोन पूँजी का निर्गमन प्रायः लौह एवं स्थात, सामट, इञ्जिनियरिंग तथा रसायन उद्योगों में काफी अपनाया गया।

पूँजी प्राप्त करने के निमित्त साधना का विस्तार में अभ्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

ग्रान्तरिक साधन

1) अशपत्रा तथा श्रृण्यपत्रा द्वारा पूँजी प्राप्त करना

श्रीशायिक पूँजा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन अशपत्रा का निर्गमन है। अधिक से अधिक पूँजा प्राप्त करने व लिए तथा प्रत्येक रुबि के निनियोजा का सुविधा प्रदान करने के निमित्त निमित्त प्रकार व अशपत्रों का निर्गमन किया जाता है। व १९५६ के पूर्व भारतवर्ष में प्रमदल प्रायः तान प्रफा के अंशों (साधारण, पूर्वाधिकार तथा स्थगित) का निर्गमन करते थे, परंतु नवान कम्पनी अधिनियम १९५६ के अनुसार कवल दो प्रकार के अशपत्र प्राधिकार (Preferential) तथा सामान्य (Equity) ही निर्गमित किये जा सकते हैं।

सम्पूर्ण अशपत्रा में साधारण अशपत्रों का ही प्रमुख स्थान होता है। यदि साधारण अशपत्रा का श्रीयोगिक वित्त व्यवस्था की आधारशिला कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगा। साधारण अशपत्रों की प्रमुखता उनके कुछ लाभों के कारण है।

१९५७ में १००१ कम्पनियों द्वारा निर्गमित किये गये अंश तथा श्रृण्यपत्र १९५६ की अपेक्षा में अधिक थे। १९५६ में इनके निर्गमन से २३८ करोड़ ६० लाख हुए थे परंतु १९५७ में इनके २८८ करोड़ ८० लाख प्राप्त हुए। १९५७ के कुल नये निर्गमनों (Issues) में साधारण अशपत्र का सबसे अधिक भाग था। इस वर्ष (१९५७) साधारण अंशों द्वारा कुल पूँजा का ८४.७% प्राप्त हुआ, जब कि पिछले वर्ष (१९५६) यह प्रतिशत ७५.७ था यह वृद्धि पूर्वाधिकार अशपत्रों की लागत पर हुई है। १९५७ में पूर्वाधिकार अशपत्रों से कुल पूँजी का केवल ११.८% प्राप्त हुआ, जब कि १९५६ में यह प्रतिशत १८.७ था। श्रृण्यपत्र शेष भन के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात् ३.५% १९५७ में और ५.७% १९५६ में।

श्रमपत्रों पर दी जाने वाली न्याज की दर ६ और ७ प्रतिशत के मध्य रही, जब कि पूर्वाधिकार अश्रमपत्रों पर दिये जाने वाले लाभार्थ की दर ५ और ६ प्रतिशत (अधिकार कर मुक्त) के मध्य रही।

(२) धारित लाभ अथवा आय का पृष्ठ विनियोग

कम्पनियाँ अधिकतर अपनी आय का एक अंश बचाकर संचय कोष में रख लेती हैं, जिसका प्रयोग वे कम्पनी की भावी विकास-योजनाओं में करती हैं। कम्पनी की इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था को 'आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था' (Internal Financing) कहते हैं। इसी पद्धति को तांत्रिक रूप से 'आय का पृष्ठ विनियोग' (Ploughing Back of Earned Profits) कहते हैं।

आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था अथवा आय के पृष्ठ विनियोग का महत्व औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन में विशेष स्थान रखता है। यह पद्धति कम्पनी की आर्थिक सुदृढ़ता को दृष्टि से बहुत हितकर है, क्योंकि बाह्य श्रुतियों से विकास योजना की पूर्ति करना प्रायः हानिकारक होता है। श्रुतियों के न्याज से कम्पनी पर आर्थिक भार बढ़ता है और यदि उन श्रुतियों का भुगतान एकाएक माँगा गया तो कम्पनियों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। अतः जहाँ तक हो सके कम्पनियों को इसी पद्धति को अपनाना चाहिए।

इसकी महत्ता को योजना आयोग ने भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की योजना बनाते समय स्वीकार किया था। प्रथम योजना के निजी क्षेत्र पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय (६१३ करोड़ रुपये) में से २०० करोड़ ६० (लगभग १२.६%) कम्पनी की बचतों (Savings) से प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था। इस पद्धति का महत्व सभार के अन्य औद्योगिक देशों में भी कम नहीं है। इंग्लैंड में १९१४ तक अधिकतर औद्योगिक कम्पनियाँ अपनी पूँजी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था से ही प्राप्त करती थीं। अमेरिका में इसका महत्व और भी अधिक है। उदाहरणार्थ अमेरिका में 'फोर्ड मोटर कम्पनी' प्रारम्भ में २८ हजार डालर के विनियोग से स्थापित की गई थी, परन्तु इसकी पूँजी इस समय १ अरब डालर से भी अधिक है। यह सम्पूर्ण पूँजी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के द्वारा ही एकत्र की गई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की खोज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से आन्तरिक साधनों का महत्व कम हो गया है। १९५७ में आन्तरिक साधनों द्वारा ६४.९ करोड़ रुपये प्राप्त किये गये जो कुल प्राप्त धन के २७.६% थे। १९५६ तथा १९५५ में यह प्रतिशत क्रमशः ३७ तथा ५६ था।

(३) हास कोष

औद्योगिक कम्पनियाँ आन्तरिक व्यवस्था की सुदृढ़ बनाये रखने के लिए हास कोष की व्यवस्था करती हैं। इस कोष में नये मशीनों एवं सप्लायों की मरम्मत तथा

पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाती है। हास कोष की व्यवस्था के अनुसार कम्पनी को किसी एक वर्ष में अत्यधिक आर्थिक साधन नहीं जुटाने पड़ते। दूसरे शब्दों में विकास एवं पुनरोद्धार का कार्य सामान्य गति से चलता रहता है।

‘रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया’ की पोज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हास कोष द्वारा अर्थ प्रबन्धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। उदाहरणार्थ १९५७ में इस स्रोत के द्वारा ४६२ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कि कुल धन का १६.६% था। इसके विपरीत १९५६ में यह प्रतिशत केवल १५ था। उद्योगवार अध्ययन करने पर शत होता है कि हास कोष द्वारा अर्थ प्रबन्धन सूती वस्त्र, लौह एवं इस्पात, इञ्जीनियरिंग (अलौह घातुएँ) चीनी, सीमेंट, खनिज तेल, जहाज निर्माण, कागज तथा विद्युत उद्योग में अधिक मंचलित था।

बाह्य साधन

जैसा कि हम ऊपर देखा चुके हैं कि सन् १९५७ में भारतवर्ष में उद्योगों के अर्थ में बाह्य साधनों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा। आलोच्य वर्ष में कुल २३५२ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त हुई थी जिसमें बाह्य साधनों का अंश १७०२ करोड़ रुपये था। यह कुल प्राप्त धन का ७२.४% था। बाह्य साधनों के अन्तर्गत अनेक उप साधन आते हैं जिनका सन्निवेश इस प्रकार है—

(४) व्यापारिक बैंक

भारतीय उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का कोई विशेष महत्व नहीं है। व्यापारिक बैंक केवल व्यापारिक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण सुविधाएँ देते हैं तथा दीर्घ कालीन औद्योगिक ऋण देना व्यापार की दृष्टि से अनुचित समझते हैं। बैंक समिति (१९५२) ने भी अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि व्यापारिक बैंक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उचित मात्रा में नहीं देते हैं। जो कुछ भी अल्पकालीन ऋण इनके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं वे भी कुछ विशेष शर्तों पर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक तो वे बिना प्रतिभूति (Security) के ऋण नहीं देते हैं और दूसरे कम से कम ३०% अन्तर अपने पक्ष में रखते हैं।

रिजर्व बैंक की खोज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋण का महत्व बढ़ने लगा है। सन् १९५७ में इस साधन के द्वारा ४८२ करोड़ रुपये (कुल धन का २०.५%) प्राप्त हुए थे। १९५६ और १९५७ दोनों वर्षों में इस साधन के द्वारा कुल प्राप्त पूँजी का २५% भाग प्राप्त हुआ।

उद्योगवार अध्ययन करने से शत होता है कि पूँजी प्राप्त करने के साधनों में व्यापारिक बैंकों का स्थान कुछ विशिष्ट उद्योगों जैसे, सूती वस्त्र, चाय बागान, लौह एवं इस्पात, सीमेंट तथा कागज में अत्यन्तनीय रहा।

(५) देशी बैंक

आधुनिक टग की बड़ी-बड़ी बैंकों के होते हुए भी हमारी प्राचीन बैंकिंग पद्धति अब भी काफी प्रचलित है और औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में कोयले, तेल, चमड़े, तथा चावल की मिश्रों ने देशी बैंकों से बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त की है। सकट के समय में कुछ अन्य कम्पनियों ने भी जो कि अत्यन्त धन के अभाव में थीं, देशी बैंकों से ऋण प्राप्त किये हैं। कभी कभी इन बैंकों से ऋण इसलिए मा लिए गये हैं जिससे वैधानिक उपचार, जोखिम, तथा विशासन इत्यादि करने का भय न करना पड़े।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् देशी बैंकों का महत्त्व बहुत कम हो गया है, परन्तु छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इनकी महत्ता लगभग यथावत् है। सहकारी समितियों तथा आधुनिक बैंकिंग के प्रसार के कारण इनका भविष्य अधिक उज्वल नहीं रहा है।

(६) सार्वजनिक निक्षेप (Public Deposits)

सार्वजनिक निक्षेपों का स्थान औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन में कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रथा बम्बई और अहमदाबाद की सूती मिलों में काफी प्रचलित है। अहमदाबाद में इसका महत्त्व और भी अधिक है। बम्बई और अहमदाबाद के नागरिकों की यह आदत है कि वे अपने धन को बैंकों में जमा करने की अपेक्षा मिल मालिकों के पास जमा करना अधिक पसन्द करते हैं। इस प्रकार इन प्रदेशों के औद्योगिक सार्थ अपनी कार्यशील पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक निक्षेपों से प्राप्त करते हैं।

भारतीय बैंकिंग जाँच समिति (१९३१) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सार्वजनिक निक्षेप की प्रथा बम्बई की अपेक्षा अहमदाबाद में अधिक प्रचलित है। पिछले कुछ वर्षों से अहमदाबाद में दीर्घकालीन निक्षेप जो ५ वर्ष से ७ वर्ष के लिए प्राप्त किए जाते हैं, अधिक प्रचलित हो गये हैं और अधिक से अधिक मिलों का दीर्घकालीन अर्थ प्रबन्धन इन्हीं निक्षेपों के द्वारा होता है। विभिन्न मिलों में निक्षेपों पर न्याय की दर विभिन्न होती है। साधारणतया यह दर ४१% से ६१% होती है।

(६) प्रबन्ध-अभिकर्ता—औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्किन्ल-कमिथन (१९४९ ५०) ने प्राविबन्ध-अभिकर्ताओं का महत्त्व स्वीकार करते हुए लिखा है कि “औद्योगीकरण के प्रारम्भिक दिनों में जब कि न तो साहस और न पूँजी ही प्राप्त थे प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने दोनों ही को प्रदान किया।”

प्रमुख अभिकर्ता लोग नवीन व वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता देने हैं—*

- (१) निजी साधना से,
- (२) जन निक्षेपों (Public-Deposits) को स्वीकार करके,
- (३) ऋण व अग्रिम की गारन्टी देकर,
- (४) विनियोजन (Investing) कम्पनी का कार्य करने,
- (५) धन का अन्तर्विनियोग करके,
- (६) कम्पनियों में आर्थिक सम्पत्ति स्थापित करके,
- (७) विदेशी पूंजीगतियों से समझौते स्थापित करके ।

(७) राज्य तथा अर्थ प्रबन्धन (The State and the Industrial Finance)

जर्मनी, जापान, अमेरिका तथा यूरोप में सरकार ने औद्योगिक वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतवर्ष में सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की किसी प्रकार भी सहायता न की क्योंकि 'स्वतन्त्र व्यापारिक नीति' (Laissez faire) को भली भाँति अपनाया जा रहा था। इसका मुख्य कारण इंग्लैंड की स्वार्थपूर्ण नीति थी। इंग्लैंड ने सदैव से यही प्रयत्न किया है कि भारत केवल कच्चे माल का निर्यातकर्ता तथा निर्मित माल के आयातकर्ता न रह सके जिससे इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल प्राप्त होता रहे और उससे द्वारा निर्मित माल की खपत होती रहे। भारत की औद्योगिक नीति भा ऐसा बनाई गई थी जिससे अंग्रेजी उद्योग धर्मों की ही उत्पत्ति हो। इस प्रकार अन्य देश अपने उद्योग-धर्मों की उत्पत्ति करते रहे और भारतीय सरकार सन् १९१४ तक कोई कदम न उठा सकी।

१९१४ में विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। १९१६ के औद्योगिक कमीशन ने सुझाव दिया कि सरकार को औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन में एक निश्चित भाग लेना चाहिए। औद्योगिक कमीशन के सुझाव का प्रांतीय सरकारों ने स्वीकार करते हुए कुछ अधिनियम बनाये। सर्वप्रथम १९२२ में मद्रास सरकार ने अधिनियम बनाया और तत्पश्चात् बम्बई, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी अधिनियम बनाये। इन अधिनियमों के अनुसार औद्योगिक व्यवसायों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई परन्तु फल सन्तोषजनक न रहे।

१९२६ में नियुक्त केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने प्रांतीय औद्योगिक निगम (Provincial Industrial Corporations) को उद्योगों को आर्थिक सहायता

अस्तित्व अर्थपर्यन्त के लिए देखिये 'भारतीय उद्योगों का संगठन एवं प्रबन्ध'—प्रो० अष्टाना एव डा० निगम।

देने के हेतु स्थापित करने की सिफारिश की। परन्तु अभागवश भारतीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध तक कोई कदम न उठाया।

द्वितीय महायुद्धोत्तरात औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन की समस्या अधोलिखित कारणों से और अधिक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर हो गई—

- (१) युद्धकालीन उद्योगों का शान्तिकालीन दशा में परिवर्तन,
- (२) उद्योगों में निर्योजित मशीनरी तथा प्लान्ट का नवीनीकरण,
- (३) वर्तमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार एवं अभिनवीकरण, तथा
- (४) योजनात्मक ढंग से नवीन औद्योगिक इकाइया की स्थापना।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया और उस समय से अब तक उद्योग धन्दा का सहायता देने के लिए अधोलिखित सरघारों स्थापित हो चुकी हैं—

- (१) औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)
 - (२) राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation)
 - (३) औद्योगिक साह्य तथा विनियोग निगम (Industrial Credit & Investment Corporation Private Ltd)
 - (४) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (National Industrial Development Corporation Private Ltd)
 - (५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation Private Ltd)
 - (६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)
 - (७) पुन अर्थ प्रबन्धन निगम (Refinance Corporation)
- इन सब निगमों का सविस्तार अध्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

(१) औद्योगिक वित्त निगम

(Industrial Finance Corporation of India)

भारतीय औद्योगिक साधों (Concerns) को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साह्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १ जुलाई १९४८ को की गई। इसका समावेश (Industrial Finance Corporation Act १९५३ (XV of १९५३)) में है।

निगम की स्थापना की पृष्ठभूमि

सन् १९४५ में भारतीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के लेख में यह इंगित किया था कि औद्योगिक विनियोग निगम (Industrial Investment

Corporation) की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। बाद में इस पर विचार विमर्श हेतु वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से परामर्श मांगा। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक विधेयक तैयार किया जिसमें औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साज सुविधाएँ प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना के लिए सुझाव दिया। यह विनियम विधान सभा में १९४६ के वज्र अधिवेशन में सर आरची रोल्ड्स रॉलैंड्स (Sir Archibald Rowlands) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला था, परन्तु अन्य विधान सभ्यों की अतिक्रमता के कारण यह सम्भव न हो सका। बाद में श्री आर० के० सन्मुखम् चेट्टी ने कुछ संशोधन करके इसको प्रस्तुत किया। परिणामतः २७ मार्च १९४८ को गवर्नर जनरल की सम्मति भी प्राप्त हो गई और यह अधिनियम (Act) के रूप में १ जुलाई १९४८ से औद्योगिक वित्त निगम के अन्दर चलने में आ गया।

निगम के आर्थिक साधन

(अ) पूँजी—औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से की गई जा कि ५ हजार रुपये २० हजार अंशों में विभाजित है। इस समय ५ करोड़ रुपये के मूल्य के अंश १० हजार अंशों का निर्गमन किया गया है और शेष अंशों का निर्गमन समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। अंशों की मूल राशि तथा २३% लाभांश की गारंटी केन्द्रीय सरकार ने दी है।

निर्गमित अंशों का क्रय केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनियों, विनियोग करने वाले ट्रस्टों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों द्वारा किया गया है। प्रारम्भ में इन संस्थाओं को एक निश्चित अनुपात में अंशों का आवंटन (Allotment) किया गया था, परन्तु कालान्तर में इस अनुपात संख्या में कुछ परिवर्तन हो गया है। इसका स्पष्टीकरण अग्रे तालिका के आधार पर किया जा सकता है—

३० जून १९५६ की स्थिति का व्यौरा

क्रमांक	संस्थाएँ	पूर्व निर्धारित अर्थों की संख्या	नये किये गये अर्थों की संख्या	धन राशि (रुपये)
(१)	केन्द्रीय सरकार	२,०००	२,०००	१,००,००,०००
(२)	रिजर्व बैंक आक इण्डिया	२,०००	२,०५४	१,०२,७०,०००
(३)	अनुसूचित बैंक	२,५००	२,४०५	१,२०,२५,०००
(४)	बीमा कम्पनीज, विनियोग ट्रस्ट तथा अन्य वित्त संस्थाएँ	२,५००	२,५६८	१,२६,६०,०००
(५)	सहकारी संस्थाएँ	१,०००	९४३	४७,१५,०००
	योग	१०,०००	१०,०००	५,००,००,०००

निगम के अर्थों के पुनर्भुगतान की तथा २½% वार्षिक लामाश की गारंटी केन्द्रीय सरकार के द्वारा दी गई है। अधिकतम लामाश देने की दर ५% निर्धारित की गई है, परन्तु इस दर से लामाश टसी अवस्था में दिया जा सकता है जब कि कारपोरेशन का संचित कोष (Reserve Fund) चुकता पूँजी के बराबर हो गया हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी के अन्तर्गत दी गई धन राशि चुका दी गई हो। कालांतर में जब कि संचित कोष चुकता पूँजी के बराबर हो जाय, और ५% लामाश देने के पश्चात् भी यदि कुछ अतिरिक्त बचता है तो वह केन्द्रीय सरकार को दे दिया जायगा।

(घ) ऋण पत्र पूँजी (Debenture Capital) — कारपोरेशन ऋणपत्रों का निर्माण करके तथा बन्धों (Bonds) का विक्रय करके कार्यशील पूँजी प्राप्त कर सकता है। परन्तु ऋण पत्रों, बन्धों (Bonds) तथा अन्य इसी प्रकार से प्राप्त की हुई पूँजी, कारपोरेशन की चुकता पूँजी तथा संचित कोष (Reserve Fund) के पाँच गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(स) रिजर्व बैंक से ऋण — धारा २७ (३) (अ) के अन्तर्गत कारपोरेशन केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के विरुद्ध रिजर्व बैंक से ६० दिन की अवधि के लिए धन उधार ले सकती है। धारा २१ (३) (ब) के अन्तर्गत कारपोरेशन अपने ऋणपत्रों की प्रतिभूति के आधार पर अधिक से अधिक ३ करोड़ रुपये का धन १८ माह की अवधि के लिए उधार ले सकता है।

(द) जमा (Deposits) — कारपोरेशन जनता से कम से कम ५ वर्ष के लिए तथा अधिक से अधिक १० करोड़ रुपये की धनराशि तक जमा (Deposits) स्वीकार कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा में ऋण— १९५२ के संशोधित अधिनियम (Amendment Act) के अनुसार कारपोरेशन विश्व बैंक (I B R. D) से विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है, और भारतीय सरकार ऐसे ऋणों पर गारन्टी देगी। १९५२ में विश्व बैंक से ८ मि० डालर के ऋण लेने का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु इसे बाद में वापस ले लिया गया।

(र) केन्द्रीय सरकार से ऋण— १९५२ के संशोधित अधिनियम की धारा २१ (४) के अनुसार निगम केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने का अधिकारी है। १९५६ तक कारपोरेशन ने इस प्रकार का कोई भी ऋण नहीं लिया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय योजना काल में निगम को १५ करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की है।

कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष सचय कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, तथा रिजर्व बैंक के अर्शों पर प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लामाश उस समय तक जमा किये जावेंगे, जब तक कि इसकी राशि ५० लाख रुपये न हो जाय।

का प्रबन्ध (Administration of the Corporation)

औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम संशोधित अधिनियम (I F. C Amendment Act) १९५५ के अंतर्गत १८ दिसम्बर १९५५ से निगम के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस विधि से पूर्व अधिनियम की धारा १० के अनुसार निगम का प्रबन्ध एक संचालक समिति (Board of Directors) द्वारा होता था जिसकी सहायता के लिए एक शासकीय समिति (Executive Committee) भी थी। इसके अतिरिक्त एक प्रबन्ध संचालक भी होता था, जिसे निगम की ओर से प्रबन्ध सम्बन्धी पूर्ण अधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त होती थीं।

अब औद्योगिक अर्थ निगम (I F C) का प्रबन्ध एक पूर्णकालीन वृत्ति पाने वाले (Full Time Stipendiary) चेयरमैन के द्वारा होता है जिसकी सहायता के लिए एक 'जनरल मैनेजर' भी होता है। नवीन 'चेयरमैन' तथा 'जनरल मैनेजर' की नियुक्ति 'आनरेरी चेयरमैन' तथा प्रबन्ध संचालक के स्थान पर की गई है। नवीन वृत्ति पाने वाले चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार निगम की संचालक समिति की सलाह से तीन वर्ष के लिए करती है।

निगम के कार्य (Functions of the Corporation)

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ (I. F. C Act 1948) की धारा २३ के अनुसार निगम अधोलिखित कार्य कर सकता है—

(१) औद्योगिक समस्याओं के ऋणों पर जिसे उद्देश्य सार्वजनिक बाजार से लिया है और जिसके भुगतान की अवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष है, गारन्टी दे सकता है।

(२) औद्योगिक सरथाओं द्वारा निर्गमित स्टॉक, अश पत्र (Shares), बन्ध (Bonds) या ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, यदि इन प्रतिभूतियों (Securities) का विद्रव्य सात वर्ष के अन्दर जनता को कर दिया जाता है।

(३) औद्योगिक सरथाओं को अधिक से अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिए ऋण अथवा अग्रिम (Advance) देना तथा उनके द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों, जिनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक नहीं है, क्रय करना।

नियेध कार्य

निगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है—

(१) अधिनियम की शर्तों के विरुद्ध जमा (Deposits) स्वीकार करना।

(२) किसी भी सीमित दायित्व वाली कम्पनी के अशों अथवा स्टॉक को प्रत्यक्ष रूप से क्रय करना।

(३) ७ वर्षों की अवधि से अधिक के पत्रों अथवा ऋण पत्रों का अभिगोपन करना।

(४) १ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देना।

निगम की कार्य-विधि

औद्योगिक वित्त निगम किसी भी उद्योग को ऋण देने से पहले, ऋण लेने वाली कम्पनी से निर्मित किये जाने वाले माल की प्रवृत्ति, कारखाने की स्थिति का स्थापन (Location), भूमि पर अधिकार, भजन, विद्युत शक्ति की उपलब्धता, टेक्नीकल स्टॉफ, बाजार की स्थिति, उत्पादन की अनुमानित लागत, मशीनों की किंमतें, दी जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, सहायता लेने का उद्देश्य तथा लाभ कमाने व ऋण चुकाने की क्षमता इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त कर लेता है।

इसके बाद निगम के अधिकारियों द्वारा ऋण लेने वाली कम्पनी का निरीक्षण कराया जाता है। पदाधिकारी निगम को कम्पनी की लेखा पुस्तकों (Accounts Books), सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति, प्रबन्ध की कार्यक्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा निर्मित माल के बाजार की स्थिति के बारे में सूचना देते हैं। औद्योगिक कम्पनियाँ अपने कुशल तांत्रिक पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्यालाप करने के लिए भेज सकती हैं।

निगम ऋण लेने वाली कम्पनियों से सामयिक (periodical) रिपोर्ट लेता है। इसके अतिरिक्त वह उन कम्पनियों का समय समय पर निरीक्षण भी इस उद्देश्य से करता रहता है जिससे वह ऋणों के सदुपयोग करने, वस्तुओं के निर्माण की लागत को कम करने, तथा उनकी किंमत में सुधार करने की चेष्टा करते रहे। विभिन्न भारतीय सरकार के मन्त्रालयों (Ministries) तथा

साइंटिफिक एण्ड इंजिनियरिंग रिसर्च' के सहयोग, सलाह तथा सहायता से कार्य करेगा।

श्रृण्य देते समय निम्न बातों (considerations) को ध्यान में रखता है—

- (१) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व;
- (२) उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की देश में माँग,
- (३) तांत्रिक व्यक्तियों एवं कच्चे माल की उपलब्धता;
- (४) प्रत्यक्ष की योग्यता;
- (५) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति,
- (६) निर्मित वस्तुओं के गुण (quality); तथा
- (७) प्रस्तावित योजना की सम्भावना तथा लागत।

निगम द्वारा की गई किन्याओं का व्योरा

३० जून, १९५८ को निगम ने अपनी १०वीं वर्षगांठ पूरी की। इस बीच निगम ने विभिन्न सार्थों से ६२३ आवेदन पत्र प्राप्त किये जो कि १२४ करोड़ रुपये की धनराशि के लिए थे। इन आवेदन पत्रों में से २८१ आवेदन पत्र जो कि ६३ करोड़ रुपये की धन राशि के लिए थे, स्वीकृत कर लिये गये और २१६ आवेदन पत्र जो कि २४५ करोड़ रुपये के लिए थे, अस्वीकृत कर दिये गये।

३० जून १९५८ तक निगम में ६२६ करोड़ रुपये के कुल श्रृण्य १८५ करोड़ रुपयों को स्वीकृत किये और बिनमें से कुल ३४८४ करोड़ रुपये वास्तव में वितरित कर दिये गये। इसका स्पष्टीकरण निम्न तालिका से होता है—

(करोड़ रुपयों में)

	श्रृण्य की कुल स्वीकृत धन राशि	वास्तव में दी गई धन राशि
३० जून	१९४६	१२३३
"	१९५०	३४१
"	१९५१	५७६
"	१९५२	७५७
"	१९५३	१००७
"	१९५४	१२८६
"	१९५५	१४५३
"	१९५६	१६७३
"	१९५७	२६५१
"	१९५८	३४८४

ब्याज की दर

निगम (I. F. C.) की स्थापना की तिथि से फरवरी १९५२ तक निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर ५.३% रही। मूलधन (Principal) की कित्त तथै ब्याज की राशि निश्चित तिथि (Due Date) पर प्राप्त हो जाने पर ३% की छूट (Rebate) भी दी जाती है। इस प्रकार शुद्ध (Net) ब्याज की दर ५ प्रतिशत ही थी। ऋणों द्वारा प्राप्त धन की लागत बढ़ जाने के कारण निगम को १९५२ और १९५३ में ब्याज की दर क्रमशः ६% तथा ६.३% करनी पड़ी, परन्तु छूट की दर यथावत् अर्थात् ३ प्रतिशत ही रही। धन एकत्रित करने की लागत में पुनर्वृद्धि हो जाने के कारण २३ अप्रैल १९५७ से ब्याज की दर ७% कर दी गई। छूट की दर पूर्ववत् ही रही। १९५७ से अब तक ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लाभ

१९५७-५८ (३० जून १९५८) में निगम (Corporation) को १.५५ करोड़ रुपये का कुल लाभ (Gross Profit) हुआ जब कि पिछले वर्ष केवल ४३.०६ लाख रुपये का ही कुल लाभ हुआ। १९५७-५८ में प्रशासन सम्बन्धी व्यय कुल लाभ का ६ प्रतिशत था। इस वर्ष शुद्ध लाभ (Net Profit) २८.२० लाख रुपये हुआ जो कि पिछले सब वर्षों से अधिक था।

१९५८-५९ में औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I. F. C.) के द्वारा दिये गये ऋण एवं ऋणियों (Loans & Advances) में पिछले वर्ष की अपेक्षा में ४६१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जून १९५८ में अदत्त (Outstanding) धन राशि ३३.३५ करोड़ रुपये थी। निगम ने पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के अधिप्राप्त के लिए स्थगित भुगतानों (Deferred Payments) से सम्बन्धित पाँच योजनाओं के लिए गारन्टी दी, और १.६० करोड़ रुपये के परिवर्तनशील ऋणपत्र निर्गमन का अभिगोपन दो अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ किया। इसके अतिरिक्त एक ३७.५ लाख रु० सचयी भुगतान योग्य पूर्वाधिकारी अशपत्र निर्गमन का भी अभिगोपन किया। निगम ने नवम्बर १९५८ में ४.३८ करोड़ रुपये के '४.३ प्रतिशत बाँड्स १९६८' का निर्गमन करके अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि की। इस प्रकार जून १९५९ तक कुल अदत्त (Outstanding) बाँड्स १६.७५ करोड़ रुपये के थे। इसी वर्ष भारत सरकार ने P. L. 480 Funds में से निगम को १० करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये। औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम की आलोचनाएँ

जिस समय लोक सभा में औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (सर्शाधन) विधेयक १९५२ तथा औद्योगिक एवं राज्य अर्थ प्रबन्धन निगमों (सशोधन) विधेयक १९५५ पर बहस हो रही थी, उक्त निगम की कठोर आलोचना की गई। लोक सभा के सदस्यों

तथा अन्य लोगों ने जो आलोचनाएँ कीं और दोग लगाये उनका सक्षिप्त ज्योत इस प्रकार है—

(१) निगम प्रमस्त्रलों को श्रृण देते समय पक्षपाल व मेद-भाज की भावना रखता है, अर्थात् निगम केवल उन्हीं संस्थाओं को श्रृण स्वीकृत करता या जिसमें उसके सचालक या अन्य पदाधिकारी हित रखते हैं।

(२) निगम पूर्णतया सरकार के स्वामित्व एवं नियन्त्रण में न होने के कारण एक बड़े व्यवसाय के रैकेट (Big Business Racket) की भाँति कार्य कर रहा है जिससे वृद्ध व्यापारिक महारथियों की चतुरता सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को अपने अधिकार में ले सकती है।

(३) निगम उन प्रान्तों या क्षेत्रों में, जो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, औद्योगिक उद्योग घन्धे स्थापित करने में असफल रहा है।

(४) निगम ने सुस्थापित बड़े पैमाने के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया है और लघु तथा मध्य स्तर के उद्योगों की उपेक्षा की है। इससे देश की आर्थिक दक्षिणता बाधा पहुँची है।

(५) निगम ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों को श्रृण दिये हैं जो पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। निगम ने आधारभूत तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को बहुत कम सहायता दी है जब कि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को पर्याप्त सहायता दी है।

(६) निगम श्रृण लेने वाली कम्पनियों के द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की देखरेख करने में असफल रहा है जिससे वस्तुओं के उत्पादन तथा स्थापन शक्ति (Installed Capacity) में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(७) निगम कम्पनियों को सामान्य पूँजी नहीं प्रदान करता और उनको अर्ब संस्थाओं का मुँह ताकना पड़ता है।

(८) निगम न ऐसी कम्पनियों को भी श्रृण दिया है जो खून लाभ कमा रही थीं तथा अपनी ख्याति के कारण मुद्रा बाजार से श्रृण प्राप्त कर सकती थीं।

(९) यह भी कहा गया है कि निगम अपने स्थापन व्यय (Establishment Expenses) तथा अन्य व्ययों में मितव्ययिता नहीं कर सका है।

इन दोषों तथा आलोचनाओं के आधार पर निगम की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय सरकार ने दिसम्बर, १९५२ में एक समिति श्रीमती सुचेत कुपलानी, एम० पी० की अध्यक्षता में नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य श्री वी० वी० गांधी, श्री श्रीनारायण मेहता, श्री पा० नारियलनाला, श्री आर० सुब्बानारायण राव, तथा श्री जी० कामु थे। इस समिति को निम्न बातों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देनी थी—

(१) लोक सभा में औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (सशोधन) विधेयक पर बहस के समय निगम के द्वारा-दिये गये श्रृणों पर लगाये गये दोष (पक्षपात) की छान-बीन करना ।

(२) यह पता लगाना कि श्रृण देते समय साधारण रूप से उचित सावधानी रखी जाती है अथवा नहीं ।

(३) निगम की श्रृण देने की नीति को इस विचार से देखना कि वह निगम के अधिनियम के उद्देश्यों तथा सरकार द्वारा निर्गमित आदेशों का पालन करती है अथवा नहीं ।

(४) निगम की क्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना ।

समिति के सुझाव

श्रीमती मुचेता कृपलानी समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ मई, १९५३ को प्रस्तुत की । इस समिति ने बहुत से साधारण सुझाव दिये तथा 'सोदेपुर ग्लास वर्क्स (Sodepur Glass Works) को दिये गये श्रृण के बारे में भी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट दी ।*

जहाँ तक प्रथम दोष का सम्बन्ध है समिति की राय में यह आधार रहित है । समिति ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि ऐसे उद्योगों, जिनमें निगम के संचालक या अल्पज्ञ तनिक भी हित रखते थे, उनको श्रृण सुगमता वा शीघ्रता से मिल गया है । समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि निगम श्रृण देते समय मुस्थापित व ख्यातिप्राप्त उद्योगों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता देता है । समिति ने किस आधार पर ऐसा निर्णय दिया, रिपोर्ट में नहीं बताया गया है फिर भी भारतीय सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट की विवेचना करते हुए कहा है कि "समिति ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी है, सही तथ्यों पर आधारित है ।"

ऑफ समिति के सुझाव

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त ऑफ कमेटी ने निम्नी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम की क्रियाओं का पर्यवेक्षण भी किया । समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न दोष व सुझाव प्रेषित किये—

(१) श्रृणों की स्वीकृति में विलम्ब—समिति ने देखा कि १३० निगम द्वारा स्वीकृत भागों में से २६ एक महीने में, २६ दो महीने में और २४ दो महीने में स्वीकृत किये गये । विलम्ब का कारण आवेदन पत्रों में वैधानिक उपचारों की कमी थी ।

इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि मुख्य शहरों में वैधानिक परामर्शदाताओं का दल रखा जाय ।

* विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए 'भारतीय उद्योगों का संगठन एवं प्रबन्ध—अज्ञाना एवं निगम ।

(२) ऋण देने की शर्तें—निगम की ऋण देने की शर्तें बहुत ही अनाकस्मिक हैं। उदाहरणार्थ निगम ५०% का मार्जिन रखने के अतिरिक्त उस कम्पनी के प्रबन्ध अधिकारियों की प्रत्याभूति पर भी जोर देते हैं। समिति ने मुझाव दिया कि निगम को ऋण देने वाली कम्पनी की गृहदृढता के आधार पर ऋण देना चाहिए, प्रबन्ध अधिकारियों की प्रत्याभूति पर नहीं।

(३) अधिक व्याज दर—निगम ऋण लेने वाली कम्पनियों से जो व्याज लेता है वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। यह व्याज की ऊँची दर नवनिर्मित औद्योगिक कम्पनियों के विकास में बाधा डाल सकती है। समिति के विचार में निगम को नवनिर्मित कम्पनियों के प्रारम्भिक काल में नीची दर से व्याज लगाना चाहिए और बाद में कम्पनी की लाभोपार्जन शक्ति बढ़ने पर व्याज की दर बढ़ाई जा सकती है।

(२) राज्य अर्थ-प्रवर्धन निगम

(State Financial Corporation)

औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन निगम की स्थापना के समय केन्द्रीय सरकार ने समिति के लिए पृथक अर्थ प्रवर्धन निगम स्थापित करने का विचार किया था। औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन निगम (I F C) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी समितियों की अर्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। छोटे पैमाने तथा मध्यम वर्ग के उद्योग उसका क्षेत्र व अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसने अतिरिक्त केवल एक निगम छोटे पैमाने तथा मध्य वर्ग के उद्योगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। अतः केन्द्रीय लोक सभा ने २८ सितम्बर १९५१ को राज्य अर्थ प्रवर्धन क़ीय अधिनियम (State Financial Act) पास किया जिसके अनुसार राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में अर्थ प्रवर्धन निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त गया। 'मैट्रस इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड' जिसकी स्थापना इस अधिनियम (S F C Act) के पास होने से पहले हुई थी, भी उड़ी अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है।

राज्य अर्थ प्रवर्धनीय निगम (S F C) अधिनियम की बहुत सी शर्तें औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन निगम अधिनियम १९४८ से मिलती जुलती हैं। परन्तु राज्य अर्थ प्रवर्धनीय अधिनियम, औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन निगम से तीन बातों में भिन्न है—

(१) औद्योगिक अर्थ (Industrial Concern) की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया है और अब उसमें अन्तर्गत प्राइवेट लि० कम्पनियों, साझेदारियों तथा स्वामित्वधारी अर्थ (Proprietary Concerns) भी आते हैं।

(२) राज्य अर्थ प्रवर्धन निगम के अर्थों को जनता तथा बैंक भी खरीद सकती हैं जो अनुचित नहीं हैं।

(३) राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम (S. F. C.) अधिक से अधिक २० वर्षों के लिए ही ऋण तथा अग्रिमों (Loans and Advances) को दे सकता है अथवा उनके लिए गारंटी दे सकता है जब कि औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I. F. C.) २५ वर्ष के लिए उपरोक्त कार्य कर सकता है।

निगम के आर्थिक साधन

(अ) पूँजी—राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की पूँजी सम्बन्धित आवश्यकताएँ राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जायँगी। केन्द्रीय सरकार ने इन निगमों की पूँजी की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाएँ निर्धारित कर दी हैं। न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपया तथा अधिकतम सीमा ५ करोड़ रुपया है। जनता भी निगम की अथ पूँजी का २५% भाग क्रय कर सकती है, शेष पूँजी का क्रय राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके विभिन्न विनियोज्य संस्थाओं के अनुपात को निर्धारण करती है।

— राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर मूलधन के पुनर्मुंगतान तथा वार्षिक लाभांश की गारन्टी देती है। लाभांश की दर राज्य सरकार द्वारा गारन्टीड दर से अधिक उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि निगम का संचित कोष, चुकता पूँजी के बराबर न हो जाय और जब तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये धन का पुनर्मुंगतान न हो गया हो। परन्तु किसी भी दशा में लाभांश की दर ५% से अधिक नहीं हो सकती।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट १९३४ को ३० अप्रैल १९६० में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक, स्टेट फ़ाररान्च कारपोरेशन को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूति (Security) पर ऋण अथवा अग्रिम १८ मास तक की अवधि के लिए दे सकती है। स्वीडृत की गई ऋण अथवा अग्रिम की कुल धन राशि किसी भी समय निगम की चुकता पूँजी के ६०% से अधिक नहीं होगी।*

(ब) बन्ध तथा ऋणपत्र (Bonds & Debentures)—अपने आर्थिक साधनों के लिए निगम (S. F. C.) बन्ध एवं ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकता है। परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये हुए ऋण की राशि तथा अन्य आकस्मिक दायित्वों से प्राप्त धन राशि, चुकता पूँजी तथा संचित कोष के ५ गुने से अधिक नहीं हो सकती है। इन निर्गमित बन्धों एवं ऋण-पत्रों के मूलधन तथा न्याज के मुंगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से गारन्टी देती।

* Source :— R. B. of India Bulletin, June 1960, p. 822.

(स) जमा की स्वीकृति (Acceptances of Deposits)—निगम बनता से जमा भी स्वीकार कर सकता है। जमा कम से कम ५ वर्ष की अवधि के होने चाहिए। ऐसी जमा की कुल राशि निगम की चुकता पूंजी से अधिक न होनी चाहिए।

निगम का प्रबन्ध

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालकों की सभा, जिसमें १० सदस्य होते हैं, के द्वारा होता है। सचालकों का चुनाव निम्न प्रकार होता है —

(१) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	३
(२) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत	१
(३) औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम द्वारा मनोनीत	१
(४) राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित प्रबन्ध सचालक	१
(५) अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्वाचित	१
(६) सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाचित	१
(७) अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा निर्वाचित	१
(८) अन्य अशुधारियों द्वारा निर्वाचित	१
	कुल योग
	<u>१०</u>

सचालक गणों को उद्योग व्यापार तथा जन हित को सामने रखते हुए व्यापारिक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। निगम के नीति सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार के निर्णय मान्य होते हैं। राज्य सरकार सभा को भंग कर सकती है, यदि सभा उसके आदेशों का पालन करने में असफल रहती है।

निगम के कार्य

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है —

(१) औद्योगिक संस्थाओं के निर्गमित अर्थों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करना। ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए होना चाहिए।

(२) औद्योगिक संस्थाओं को अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए ऋण देना अथवा उनके द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का क्रय करना।

(३) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा स्वतन्त्र बाजार (Open Market) से अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त ऋणों का अभिगोपन करना।

(४) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा स्क घो (Stocks), अर्थ (Shares) बन्धों (Bonds) अथवा ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, यदि विक्रय ७ वर्ष में बनता को कर देना है।

निगम के निषिद्ध कार्य

(१) अधिक से अधिक उद्योगों की सहायता करने के विचार से निगम किसी

एक औद्योगिक सार्थ को अपनी लुक्ता पूँजी के १०% भाग अथवा १० लाख रु० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं दे सकता।

(२) निगम किसी भी औद्योगिक सार्थ के अग्रे अथवा स्कन्धों (Stocks) को प्रत्यक्ष रूप से क्रय नहीं कर सकता।

(३) निगम जनता से ५ वर्ष से कम अवधि की जमा (Deposits) स्वीकार नहीं कर सकता है।

(४) निगम अपने अग्रे की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकता।

(५) निगम अपनी लुक्ता पूँजी से अधिक राशि की जमा (Deposits) स्वीकार नहीं कर सकता है।

निगम की क्रियाओं का विवरण

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५१ के पास होने के समय से लेकर मार्च १९५८ तक विभिन्न राज्यों में तेरह निगम स्थापित हो चुके हैं। मैसूर सरकार ने भी इस प्रकार के निगम को स्थापित करने का निर्णय कर लिया है। इस समय तक स्थापित निगमों की निर्मित पूँजी में रिजर्व बैंक का भाग १०% से लेकर २०% तक रहा है। केन्द्रीय सरकार ने तीन राज्य सरकारों—असम, मैसूर तथा केरल को कुछ आर्थिक सहायता ऋणों के रूप में दी है जिससे वे राज्य सरकारें अपने निगमों के अग्रे को खरीद सकें। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए १९५५-५६ के बजट में १ करोड़ रुपये का प्राविधान किया था।

अभी तक जितने भी निगम स्थापित किये गये हैं वे सब अपनी शैशवावस्था में हैं और अनेक असुविधाओं एवं बाधाओं का सामना कर रहे हैं। ये अभी इस अवस्था में नहीं हैं जिससे वे उद्योगों को सहायता समुचित रूप से पहुँचा सकें। इसके अतिरिक्त वे आवेदन-पत्रों को किसी न किसी कारण से अस्वीकृत कर देने हैं और जो भी आवेदन-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं उन पर ऋण स्वीकार करने में बहुत विलम्ब होता है, इससे ऋण लेने वाले उद्योगों को बहुत असुविधा एवं कठिनाई होती है।

ऐसा कहा जाता है कि निगम अधिकतर अपेक्षाकृत बड़ी औद्योगिक सार्थों को ऋण देते हैं। इस प्रकार लघु उद्योगों, जिनको गहायता पहुँचाने के उद्देश्य से ही इन निगमों की स्थापना हुई है, बिना सहायता के रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में राज्य सरकारें निगमों की क्रियाओं में हस्तक्षेप करती हैं और कुछ उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता भी देती हैं। उदाहरणार्थ राज्य अनुदान उद्योग अधिनियमों (State Aid To Industries Act) के अन्तर्गत राज्य सरकारें लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि लघु उद्योग कारपोरेशन से ऋण न लेकर राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेते हैं। हैदराबाद राज्य सरकार वित्तीय

निगम' इस कथन की पुष्टि करता है। इस निगम के पास १९५५-५६ में पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम आवेदन-पत्र आये और इसका मुख्य कारण यही था कि वहाँ का 'स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड' लघु उद्योगों को अधिक सुविधाजनक शर्तों पर ऋण देता था। आन्ध्र निगम को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा।

१९५६-५७ में १० राज्य अर्थ प्रबन्धन निगमों को ३५.७ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जब कि १९५५-५६ में यह लाभ कुल २५ लाख रुपये ही था। आय कर (Income Tax) के लिए प्राविधान कर देने के पश्चात् निगमों के पास लाभार्थ बंटने के लिए पर्याप्त शेष न रहा। परिणामस्वरूप इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी राज्य सरकारों से सहायता माँगी। १९५६-५७ में यह सहायता २०.३ लाख रुपये थी जब कि १९५५-५६ में इसकी राशि १६.६ लाख रुपये थी। मार्च १९५७ तक निगमों को दी गई कुल सहायता ५५.१ लाख रुपये थी।

१९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा में राजकीय अर्थ प्रबन्धन निगमों का अधिमा (Advances) म २२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मसूर राज्य में भी एक

न की स्थापना हो जाने से निगमों की कुल संख्या १३ हो गई है। तीन निगमों का निर्गमन कर २५० करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि को प्राप्त किया। ५५ में निगम (Corporations) द्वारा राज्य सरकारों की ओर से लघु उद्योगों को सरकारी सियापती आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अभिकर्ता (Agents) नियुक्त किये गये हैं। इस समय यह अभिकर्ता प्रणाली उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बम्बई तथा पंजाब में प्रचलित है। बिहार सरकार भी इसी व्यवस्था को अपनाते जा रही है।

राजकीय अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५१ की धारा ३७ 'अ' के अनुसार रिजर्व बैंक ने अभी तक ६ निगमों का निरीक्षण कर लिया है।

विभिन्न राज्यों में अर्थ-प्रबन्धन निगम

पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम

पंजाब की सरकार ने १ फरवरी १९५३ को पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना की। इस निगम का प्रधान कार्यालय जालन्धर में है। इसकी अधिष्ठित पूँजी ३ करोड़ रुपये है और निर्गमित पूँजी १ करोड़ रुपया है जिसका ऋण इस प्रकार है—

(१) पंजाब सरकार	३० लाख रुपये
(२) रिजर्व बैंक	२० " "
(३) अनुमूर्च्छित बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ	३० " "
(४) जनता	२० " "

इस निगम का उद्देश्य लघु एवं माध्यमिक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना है। पंजाब सरकार ने पूँजी की वारसी तथा ३% लाभार्थ की गारन्टी दी है। इसके

प्रबन्धन एवं कार्यों के सम्बन्ध में राज्य श्रीयोगिक अर्थ प्रबन्धन निगम अधिनियम १९५१ लागू होगा। इस निगम के प्रबन्ध सचालक श्री एन० डी० नागिया हैं।

निगम प्रथम २ लाख रुपये पर ६% ब्याज और २ लाख रुपये से अधिक पर ६.३% ब्याज लेता है। मूलधन तथा ब्याज का निश्चित तिथियों पर भुगतान देने पर १.३% की छूट दी जाती है।

पंजाब निगम ने अरना कार्यक्षेत्र बढ़ा रखा है क्योंकि दिल्ली में कोई पृथक् निगम नहीं है। इस प्रकार पंजाब अर्थ प्रबन्धन निगम पंजाब और दिल्ली दोनों में कार्य करता है। पेंज् राज्य के पंजाब में सम्मिलित हो जाने से पंजाब राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ गया है।

बम्बई राज्य में अर्थ प्रबन्धन निगम

बम्बई राज्य में बम्बई के उच्च मंत्री श्री जीवराज मेहता की घोषणानुसार राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना ३० नवम्बर १९५३ को हो गई है। इसकी अधिष्ठित पूँजी ५ करोड़ रुपये है। इस पूँजी का मूल्य राज्य सरकार, संयुक्त स्न्ध बैंको, बीमा कम्पनियां, सहकारी बैंका, विनियोग प्रत्यास (Investment Trust) तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं ने किया है।

बम्बई राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का प्रमुख कार्यालय बम्बई में है।

उद्देश्य

बम्बई राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम का उद्देश्य मी अन्य राज्य निगमों की भाँति राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

कार्य

(१) श्रीयोगिक इकाइयों के ऋणपत्र जारी करना तथा उन्हें ऋण देना।

(२) श्रीयोगिक इकाइयों द्वारा 'स्टॉक एक्सचेंज' में लिये गये ऋण की गारन्टी देना।

(३) श्रीयोगिक इकाइयों के ऋणपत्र, बन्ध एवं स्क्न्धों (Stocks) के निर्माण का अभियोग्य करना।

(४) श्रीयोगिक इकाइयों को कम से कम १०,०००) तथा अधिकतम ५ लाख रुपये का ऋण देना।

ऋण देने की शर्तें

(१) स्थायी सम्पत्ति के शुद्ध मूल्य के ५% राशि तक ऐसी सम्पत्ति की प्रथम वैधानिक प्राप्ति पर ऋण दिया जा सकेगा।

(२) ऋण अधिकतम १० से १२ वर्ष तक के लिए दिया जायगा जिसका भुग

तान किस्तों में होगा। इन किस्तों की राशि एवं श्रृण की अवधि प्रत्येक उद्योग की योग्यता एवं उसकी स्थिति के अनुसार निश्चित होगी।

(३) ब्याज की दर ६% प्रति वर्ष होगी।

(४) श्रृण के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर श्रृण की स्वीकृति देने के पूर्व निम्न बातों के आधार पर विचार होगा—

(अ) उद्योग की आर्थिक स्थिति;

(ब) प्रतिभूतियों की पर्याप्तता;

(घ) लाभार्जन शक्ति;

(द) ब्याज तथा प्रभागों में मूलधन के भुगतान करने की योग्यता;

(ध) तात्त्विक विशेषज्ञों एवं प्रबन्धक व्यक्तियों की योग्यता एवं अनुभव,

(र) आधुनीकरण, विस्तार एवं विकास योजना की तात्त्विक सुदृढ़ता,

(ल) सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार; तथा

(व) श्रृण लेने वाले उद्योग की साख योग्यता।

१. प्रदेशीय अर्थ-प्रबन्धन निगम

२५ अगस्त १९५४ को उत्तरप्रदेशीय अर्थ-प्रबन्धन निगम की स्थापना हुई है। इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में है। इसकी अधिकृत पूँजी ३ करोड़ रुपये है। आरम्भ में केवल ५० लाख रुपये के ५०,००० अंशों का निर्गमन किया गया है। इन अंशों का क्रय निम्न सस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है—

(१) राज्य सरकार	३६%
(२) अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनी आदि	३६%
(३) रिजर्व बैंक	१५%
(४) अन्य सस्थाएँ	१०%

उद्देश्य

निगम का मुख्य उद्देश्य लघु तथा माध्यमिक उद्योगों को आर्थिक सहायता देना है।

श्रृण देने की शर्तें

यह निगम पञ्जाब राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम की शर्तों के आधार पर बन्ध तथा श्रृणपत्र बेचने का अधिकारी है। सचालक मण्डल को यह निश्चय करने का अधिकार होगा कि किन उद्योगों को सहायता मिलनी चाहिये। सचालक मण्डल ही श्रृण की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करेगा। श्रृण नवीन तथा पुरानी दोनों ही बन्धनियों को दिये जायेंगे। निगम द्वारा दिये गये श्रृण पर ब्याज ६% की दर से

लिया जायेगा और निश्चित समय पर श्रृण की किल्लों तथा ब्याज के भुगतान करने पर १३% की छूट दी जायगी।

प्रबन्ध

निगम का प्रबन्ध एक सञ्चालक सभा के द्वारा होगा। इसका प्रथम प्रबन्ध सञ्चालक रिजर्व बैंक की राय के अनुसार नियुक्त किया जायगा। निगम की कार्यक्षमता बढ़ाने व लिए परामर्शदाता समितियाँ (*Advisory Committees*) नियुक्त की जायेंगी।

राज्य निगमों की कठिनाइयाँ

निगम को पिछले वर्षों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) भाग लेने वाली कम्पनियों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये कम्पनियाँ सर्वमान्य सिद्धान्तों के आधार पर अपना लेखा नहीं बनाती हैं। पिछले पाँच या छ वर्षों के अप्रभावित तथा अनअनेक्षित (*Non Audited*) खातों का विश्लेषण करना होता है।

(२) भाग लेनेवाली कम्पनियाँ अधिकतर अपनी उत्पादन शक्ति, वास्तविक उत्पादन, तथा अनुमानित उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना नहीं देती हैं। अतः निगम ऐसी कम्पनियों को श्रृण देने में सकोच करता है।

(३) बहुत सी एकल स्वामित्वधारी तथा सामेदायी के व्यवसाय श्रृण लेने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे सके क्योंकि उनके स्वामित्व तथा स्थायी सम्पत्ति के मूल्यांकन में गड़बड़ी होती थी।

(४) छोटे व्यवसाय की सफलता अधिकतर उनके स्वामियों के व्यक्तित्व पर आश्रित होती है। यदि उनसे स्वामियों में परिवर्तन हो जाता है तो व्यवसाय की सफलता भी सन्देह में पड़ जाती है। निगम को श्रृण देने समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है।

(५) श्रृण लेने वाली कम्पनियाँ निगम की सीमाओं व नातुक परिस्थिति को नहीं समझती और वे अपने हित की पूर्ति के लिए जोर देती हैं। वास्तव में देखा जाय तो मॉर्गेंज बैंकिंग (*Mortgage Banking*) में बहुत ही सारधानी व देखरेख की जरूरत पड़ती है।

(६) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक उद्योग की उन्नति के लिए जो उच्चोत्तर बल दिया जा रहा है वह भी किसी सीमा तक इन निगमों के क्षेत्र को सीमित करता है। सरकार की इस नीति के कारण निगम लघु स्तर व उद्योगों को अधिक सहायता नहीं दे पाते हैं। उदाहरणार्थ सरकार ने प्राथमिक तेल खेले के कोल्टुओं को विकसित करने के उद्देश्य से लघु स्तर की आपल मिलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(७) निगम के सामने श्रेष्ठ लेनेवाली कम्पनियों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना भी एक समस्या है। इस कार्य के लिए तांत्रिक कुशल व्यक्ति चाहिये जिनका वितान्त अभाव है।

राज्य अर्थ प्रबन्धन निगम (मंशोधन) अधिनियम सन् १९५६

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण राज्य निगमों को अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया और ३० अगस्त सन् १९५३ को राज्य अर्थ-प्रबन्धन निगम (मंशोधन) अधिनियम पार हो गया है। इसके निम्न उद्देश्य थे—

(१) विद्युत् क्षेत्रों में अनुमति की गई कठिनाइयों को दूर करना।

(२) जो राज्य विद्युत् निगम की स्थापना करने में अग्रगण्य हैं उनके हितों के लिए सशुभ अर्थ प्रबन्धन निगम की स्थापना करना।

(३) जिन लघु तथा कुटीर उद्योगों के पास प्रत्याभूति (Guarantee) देने के लिए उचित प्रतिभूतियाँ नहीं हैं उनको राज्य सरकार, अनुमूचित बैंक अथवा सहायक बैंक की प्रत्याभूति (Guarantee) पर श्रेष्ठ देना।

(३) औद्योगिक मार्ग एवं वित्तियोग निगम

(Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd)

निजी क्षेत्र के उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 'औद्योगिक मार्ग एवं वित्तियोग निगम' की स्थापना ५ जनवरी १९५५ को की गई है। यह निगम विद्युत् रूप से निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में प्रबन्ध में है। यह निजी क्षेत्र के उद्योगों की आर्थिक सहायता, उनको श्रेष्ठ देकर, श्रेष्ठ की गारन्टी देकर तथा अर्थों का प्रमोशन करने करता है।

१९५३ में भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के मण्डल (Three Men Mission) ने हर्गलैंड के 'औद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त निगम' (I. & C Corporation) के आधार पर उपरोक्त निगम को स्थापित करने का निश्चय किया था। क्योंकि भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन निगम (I. F. C.) अर्थ सरकारी होने के कारण उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी कुशलता से न कर सका जितना इच्छा करना चाहिये था। फरवरी १९५४ में विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि तथा अमेरिका के वित्त निगमों के दो प्रतिनिधि भारत में आये। निगम की स्थापना के लिये से भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा बम्बई, प्रयाग, कलकत्ता तथा दिल्ली के उद्योगपतियों की सलाह से 'स्टीयरिंग कमेटी' (Steering Committee) नियुक्त की गई। इस समिति में ५ सदस्य थे जिनमें से २ सदस्य सशुभ राज्य अमेरिका

(U. S. A.) तथा संयुक्त राज्य (U. K.), विदेशी विनियोजकों तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए गये। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप निगम का रजिस्ट्रेशन जनवरी १९५५ में भारतीय प्रमचदल अधिनियम (Indian Companies Act) के अन्तर्गत हुआ। इसका प्रमुख कार्यालय बम्बई में है।

पूंजी का ढाँचा

निगम की अधिकृत पूंजी २५ करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये के ५ लाख साधारण अंशों तथा सौ सौ रुपये के २० लाख अवर्गीय अंशों में (Unclassified Shares) में विभाजित है। निगम की चुकता पूंजी ५ करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये वाले ५ लाख साधारण अंशों में विभाजित है। अंशों का निर्गमन सम मूल्य (Par-value) पर किया गया है और उनके धारियों को प्रति अंश पर एक मत (वोट) देने का अधिकार है। निर्गमित पूंजी का ऋण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार किया गया है—

१) भारतीय बैंक, बीमा कंपनियाँ तथा विनियोजक वर्ग आदि	३३ करोड़ ६०
२) ब्रिटिश ईस्टर्न एक्सचेंज बैंक तथा अन्य औद्योगिक संगठन आदि	१ " "
३) अमेरिका विनियोजक गण	५० लाख ६०
	योग
	<u>५ करोड़ रुपये</u>

अमेरिकन विनियोजकों में 'रीकौलर ब्रदर्स' 'वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रीकल इन्टरनेशनल कम्पनी' तथा 'मेसर्स आलिन मैथीसन केमिकल कार्पोरेशन' सम्मिलित हैं।

भारत सरकार ने निगम को ७३ करोड़ रुपये का ऋण किना ब्याज के दिया है जिसका भुगतान १५ वार्षिक किस्तों में शून्य देने की तिथि के १५ वर्ष परचात होगा। विश्व बैंक (I B R. D.) ने भी निगम को समय समय पर विविध ऋणों में १० मिली दालर के बराबर ऋण देना स्वीकार किया है। ऋण के मूलधन, ब्याज तथा अन्य व्ययों की गारंटी भारतीय सरकार ने मार्च, १९५५ में दी है। ऋण की अवधि ५ वर्ष तथा ब्याज की दर ४३% है। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकृत हो जाने के कारण भारतीय सरकार के स्वामित्व व अधिकार में पूंजी का लगभग १८% भाग आ गया है। परन्तु सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहती है।

उद्देश्य (Objects)

निगम की स्थापना भारतीय निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से हुई है जो निम्न प्रकार से दी जायगी—

- (१) निजी उद्योग के निर्माण, विस्तार तथा आधुनिकता में सहायता देना।

(२) ऐसे उद्योगों के आन्तरिक तथा बाह्य निजी पूँजी के विनियोग तथा यह भागिता को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना ।

(३) औद्योगिक विनियोगों में निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना तथा विनियोग बाजार के क्षेत्र को विस्तृत करना ।

उत्प्रेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु सहायता निम्न रूप में दी जायगी—

(अ) उद्योगों को दीर्घकालीन या मध्यकालीन श्रृंखला देकर अथवा उनके सामान्य अंश (Equity Shares) का मूल्य बढ़ाकर,

(ब) अंश एवं प्रतिभूतियों (Securities) के नवीन निर्गमन को प्रोत्साहित करके अथवा उनका अभिगोपन करके,

(स) अन्य व्यक्तिगत विनियोग स्रोतों से प्राप्त श्रृंखलाओं की गारन्टी देकर;

(द) चक्रित विनियोगों (Revolving Investments) द्वारा पुनः विनियोग के लिए पूँजी उपलब्ध कराने, तथा

(ए) भारतीय उद्योगों को प्रबन्धकीय, तांत्रिक तथा प्रशासकीय सलाह देकर और उन्हें प्रबन्धकीय, तांत्रिक एवं प्रशासकीय सेवाएँ (Services) प्राप्त करने में सहायता

निगम द्वारा अतिरिक्त पूँजी प्राप्त कराने के साधन

निगम के पारंपरिक अन्तर्नियम व क्लॉज १३ के अनुसार निगम अग्रणीय अंशों का साधारण सभा की स्वीकृति से अथवा संचालक गणों द्वारा साधारण सभा में स्वीकृत नियमों के अनुसार निर्गमित कर सकता है ।

निगम बाहर से श्रृंखला ले सकता है यदि उधार लिया हुआ धन निम्नराशि के विद्युत से अधिक नहीं हो—

(१) सुरक्षित पूँजी (Unimpaired Capital),

(२) भारतीय सरकार से लिया गया अदत्त अधिम (Outstanding Advance),

(३) निगम की अतिरिक्त राशि (Surplus) तथा संचित कोष ।

निगम का प्रबन्ध

औद्योगिक सात्व एवं विनियोग निगम (I C I C) का प्रबन्ध एक संचालक समिति के हाथ में होगा जिसमें ११ सदस्य होंगे । इनमें ७ भारतीय, २ ब्रिटिश, एक अमरीकी और एक वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय की ओर से होगा । प्रारम्भिक संचालकगण 'स्टीयरिंग समिति' के ही सदस्य हैं । इस निगम के जनरल मैनेजर 'मैक ऑन इग्लिएट' के मुख्य कोषाध्यक्ष श्री पी० एस० बी० (Mr P S. Beale) हैं । इन महोदय की नियुक्ति का अनुमोदन भारतीय, ब्रिटिश तथा अमरीकी

सभी विनियोजकों ने किया है। निगम के चेयरमैन डाक्टर रामस्वामी मुदालियर तथा सदस्य सर्वश्री ए० डी० भोक्त, धनश्याम दास बिडला, कस्तूर भाई लालभाई आदि हैं।

निगम के प्रति भारतीय सरकार के अधिकार

निगम तथा भारतीय सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार सरकार को निम्न अधिकार प्राप्त हैं—

(१) सरकार निगम की समाप्ति के लिए आवेदन पत्र दे सकती है यदि वह (निगम) अपना पुनर्भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है अथवा उसकी पूंजी एक निश्चित मात्रा से कम हो जाती है।

(२) सरकार निगम की संचालक सभा में उस समय तक के लिए संचालक नियुक्त कर सकती है जब तक सरकार द्वारा निगम को दिये गये ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है।

(३) सरकार निगम के व्यक्तिगत लाभ को रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर सकती है।

निगम की क्रियाओं का व्यौरा

यद्यपि 'औद्योगिक गज एन विनियोग निगम' (I C I C) की स्थापना ५ जनवरी १९५५ को ही हो गई थी, परन्तु इसने अपना कार्य १ मार्च १९५५ से ही प्रारम्भ किया। सन् १९५५ से सन् १९५६ के अन्त तक स्वीकृत की गई प्रथम सहायता ५६ कम्पनियों के लिए २० ४० करोड़ रुपये थी। यही धनराशि पिछले वर्ष ४४ कम्पनियों के लिए ११ ६५ करोड़ रुपये थी। ५६ कम्पनियों, जिनको कि वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, उनमें से २७ कम्पनियाँ नई थीं।

निगम की कुल आय १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ४१ लाख रुपये, ५४ लाख रुपये तथा ५७ लाख रुपये थी। १९५६ में भी कुल आय पिछले वर्ष की भाँति ५७ लाख रुपये ही हुई। सस्थापन (Establishment) तथा अन्य व्ययों (७ २६ लाख रुपये) तथा करों (Taxes) के लिए प्रावधान (२२ ४३ लाख रुपये) करने के पश्चात् निगम को शुद्ध लाभ (Net Profit) २८ २३ लाख रुपये का हुआ जो कि पिछले वर्ष (२५ २२ लाख रुपये) का अपेक्षा में ३ ०१ लाख रुपये अधिक था।

(४) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

(National Industrial Development Corporation)

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (N I D C) की स्थापना २० अक्टूबर

₹६५४ को १ करोड़ रुपये की चुकता पूँजी (जो कि पूर्णतया भारत सरकार के द्वारा दी गई है) से की गई है। यह निगम एक राजकीय संस्था है और इसका पूर्ण स्वामित्व और नियन्त्रण सरकार के हाथ में है। देश में शीघ्रतिश्रीम औद्योगीकरण करने के उद्देश्य की पूर्ति ही इस निगम की स्थापना का मुख्य कारण है। उद्योगोत्थान क्षेत्र में निजी साहस (private enterprise) योजनी-सी ही बाध सहायता से सम्पूर्ण देश की आनश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। परन्तु जहाँ तक आधारभूत उद्योगों (basic industries) तथा मुख्य उद्योगों (key industries) की स्थापना एवं विकास का प्रश्न है निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं। इसके लिए सरकार को स्वयं प्रबन्ध करना पड़ेगा।

इस निगम की स्थापना की बात सर्वप्रथम तत्कालीन व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने सोची थी और अक्टूबर १९५२ में योजना आयोग के डिप्टी चैयरमैन श्री बी० टी० कृष्णामाचारी ने राष्ट्रीय विकास समिति (National Development Council) की बैठक में घोषणा की थी कि पंचवर्षीय योजना में एक अंग के रूप में एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जावगी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अन्य निगमों की भाँति उद्योगों का अर्थ-प्रबन्धन न करके, उनके विकास एवं स्थापना के साधनों को जुटाना होगा। निजी साहस को यद्यपि ऐसा करने में अधिक सकलता मिलने की आशा नहीं है परन्तु वह अपने विनियोगों, अनुभव एवं योग्यता (experience and knowledge) के द्वारा सहायता पहुँचा सकता है। यह निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति में निजी साहस के उपरोक्त सहयोग को सर्वप्रकार स्वीकार करेगा और उसका सदुपयोग करेगा।

पूँजी एवं आर्थिक साधन

विकास निगम की स्थापना से पूर्व उसकी अंश पूँजी ₹५० करोड़ रुपये रखने का विचार था परन्तु अब इसकी स्थापना केवल १ करोड़ रुपये की पूँजी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों के साथ की गई है। निगम को अपने आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए अग्रे एव ऋण पत्रों के निर्गमन करने का अधिकार है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, बैंकों, कम्पनियों तथा व्यक्तियों से अनुदान (Grants), ऋण (Loans), अग्रिम (Advances) या निक्षेप (Deposits) स्वीकार कर सकता है।

निगम की वित्तीय आनश्यकताओं की पूर्ति सरकार दो प्रकार से करेगी—

(१) औद्योगिक परियोजनाओं (Industrial Projects) के अल्पतम, अनुसंधान तथा औद्योगिक निर्माण के निर्णय तथा आनश्यक तांत्रिक एवं प्रबन्धकीय कर्मचारियों के दल (A Corps of Technical and Managerial Staff) को तैयार करने के लिए वार्षिक अनुदान (grants) देकर, तथा

(२) प्रस्तावित परियोजनाओं (projects) के निर्माण के समय आवश्यक ऋण देकर ।

उद्देश्य

विकास निगम मुख्यतया एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य उद्योगों की स्थापना एवं विकास करना है, न कि लाभोपार्जन करना । यह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) का ही विस्तार करेगा, बल्कि निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए इस निगम की पूर्व स्थापना परमावश्यक समझी गई थी, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश की सुरक्षा एवं उन्नति के हेतु देश के शांतिशांति औद्योगीकरण पर विशेष जोर दिया गया है जो कि औद्योगिक विकास निगम जैसी दीर्घकालीन स्थायी संस्था की स्थापना के बिना सम्भव नहीं था । इस निगम को स्थापित करने का दूरवा कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय सरकार द्वारा घोषित मिश्रित आर्थिक नीति (mixed economy) की पूर्ति होती थी । सरकार नवीन उद्योगों का निर्माण करके निजी व्यक्तियों को बेच देगी और उस धन से फिर नवान उद्योगों का निर्माण करेगी ।

अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति निगम निम्न सुविधाएँ प्रदान करके करेगा—

(१) उद्योगों को आवश्यक मशीनरी तथा प्लान्ट प्रदान करना तथा आधारभूत उद्योगों का प्रवर्तन एवं निर्माण करना ।

(२) देश के औद्योगिक विकास में सहायक वर्तमान निजी उद्योगों को तांत्रिक एवं इन्जीनियरिंग सेवाएँ प्रदान करना तथा यदि आवश्यक हो तो पूँजी देना ।

(३) निजी साहस (private enterprise) को सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तांत्रिक, इन्जीनियरिंग, आर्थिक अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना ।

(४) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अध्ययन करना, उनकी तांत्रिक, इन्जीनियरिंग, आर्थिक अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना ।

इस उद्देश्य से निगम के बोर्ड ने २३ अक्टूबर १९५४ को हुई अपनी पहली बैठक में उद्योगों की आपूर्ति (provision) सूची तैयार की, जिसका अध्ययन करके निगम को यह ज्ञात हो जाय कि नवीन औद्योगिक विकास किस सीमा तक आवश्यक है और वर्तमान उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ाना चाहिए । निगम के बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया कि देश के शीघ्र औद्योगीकरण के लिए सुन्वयित तांत्रिक सहायता के प्राविधान (provision) की आवश्यकता है । अतः उसमें योग्य सलाह देने वाले इन्जीनियरों की संस्था (competent firm of consulting engineers) स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

जुने हुए उद्योग जिनकी शक्यायी सूची तैयार की गई है, इस प्रकार हैं—

- (१) मिथ लौह, मैंगनीज और पैरोफेनोम,
- (२) अलमूनियम,
- (३) ताँबा, चस्ता तथा अलौह घातुएँ
- (४) डीजल इन्जिन, इन्जिन और जेनरेटर,
- (५) भारी रसायन,
- (६) खाद और उर्वरक,
- (७) कोयला और कोलवार,
- (८) मेथानोल एवं फॉर्मोल्डीहाइड,
- (९) कार्बन ब्लेक,
- (१०) कागज, अपशिष्टी कागज आदि बनाने के लिए लकड़ी की छुट्टी,
- (११) इन्जिन टयारियाँ, विटामिन्स एवं हार्मोन्स,
- (१२) एक्सरे तथा डाक्टरी सामान आदि,
- (१३) हाईबोर्ड, कन्सुलेशन बोर्ड आदि,
- (१४) कुछ उद्योगों जैसे चूट, फरास, चूना, चीनी, कागज, सीमेंट, रासायनिक, धुपार्ड, खान, आदि के लिए आरक्षक मशीनरी तथा खाद्यी का निर्माण करना ।

आर्थिक सहायता देने के प्ररूप

विकास निगम किसी भी प्रकार के औद्योगिक व्यवसाय को आर्थिक सहायता दे सकता है, चाहे वह सरकार के नियंत्रण अधिन स्थापित्व में हो, वैधानिक सभा (statutory body) हो, कम्पना हो, फर्म हो या एकाकी व्यवसाय हो । उद्योगों को सहायता पूँजी, साध, मशीनरी, साजसज्जा (equipment) या अन्य किसी भी रूप में दी जा सकती है । निगम उद्योगों को आर्थिक सहायता विभिन्न रूपों में दे सकता है । उदाहरणार्थ यह उद्योगों को ऋण व अधिम (loans and advances) स्वीकार कर सकता है, उनसे धरो व ऋण पत्रा का क्रय व अधिमोपन कर सकता है तथा उनके ऋणों और अधिम पर गारंटी दे सकता है ।

निगम के अधिकार

विकास निगम को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं जिससे वह अपने सम्बन्धित उद्योगों पर नियंत्रण रख सके । वह किसी भी उद्योग में अपने संचालक नियुक्त करके उसका प्रबन्ध, नियंत्रण तथा निराकरण कर सकता है । वह किसी भी सार्थ में साझेदार या अन्य किसी भागी के रूप में सम्मिलित रूप से कार्य कर सकता है । वह किसी ऐसी सार्थ का प्रयत्न तथा निर्माण भी कर सकता है जिसका उद्देश्य अन्य सार्थों को स्थापित करना अथवा उनका संचालन करना होता है ।

प्रबन्ध (Management)

विकास निगम का प्रबन्ध एक संचालक समिति (Board of Directors) के द्वारा होता है। इस समिति में कम से कम १५ सदस्य और अधिक से अधिक २५ सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य उद्योगपति, वैज्ञानिक तथा इंजीनियर्स होने हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत (nominate) किये जाने हैं। इस प्रकार निगम का संचालन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सम्मिश्रण से होता है। वर्तमान संचालन समिति के २० सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार ने इस प्रकार की है।^१

उद्योगपति	१०
अधिकारी (Officials)	५
इंजीनियर्स	४
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (चेयरमैन)	१
	२०

निगम की क्रियाएँ

औद्योगिक विकास निगम की संचालक सभा की प्रथम बैठक सितम्बर १९५५ में हुई। इस बैठक में कुछ औद्योगिक विकास की योजनाएँ स्वीकृत की गईं तथा उन योजनाओं का पर्यवेक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया। निगम ने भारतीय जूट उद्योग के पुनर्र्गठन तथा आधुनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने का निश्चय भी कर लिया। इसने एक समिति, जिसने सदस्य अधिकतर उद्योगों से सम्बन्धित थे, की स्थापना की और निश्चय किया कि इस समिति की सिफारिशों के आचार पर स्वीकृत मिलों को केवल ४३% न्याज पर दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा।

जूट उद्योग की सात मिलों को आधुनीकरण के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने १ ३६ करोड़ रुपये का ऋण दे दिया है और ८ अन्य मिलों के लिए १ ५८ करोड़ रुपये का ऋण निगम के विचाराधीन है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उपरोक्त ऋणों के द्वारा तथा जूट उद्योग के आन्तरिक साधनों के द्वारा सम्पूर्ण जूट उद्योग की लगभग आधी पुरानी मशीनों का आधुनीकरण हो जायगा।^२

निगम ने कुछ अन्य उद्योगों की स्थापना करने का भी निश्चय किया है। ये उद्योग स्टील फास्फैटिक फोर्टेन, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, एयर कम्प्रेसर्स (Air Compressors), कागज की लुग्दी, कार्बन इत्यादि हैं।

निगम के संचालकों ने २३ मार्च १९५६ को दिल्ली में हुई बैठक में सरकार ने

^१ *Modern Review*, November, 1954

^२ *Indian Finance*, August 2, 1958, p. 175.

सम्पूर्ण ऊर्ध्व महत्वपूर्ण सुभाष रणे। इन सुभाषों में से एक सुभाष 'सिन्थेटिक रबर प्लांट' (Synthetic Rubber Plant) के सम्बन्ध में भी था। निगम ने भारतीय सरकार के सामने तीन योजनाओं के पर्यवेक्षण कराने का सुभाष रना। ये योजनाएँ निम्न चीजों व निर्माण से सम्बन्धित थीं—

(अ) औद्योगिक मशीनरी तथा प्लांट,

(ब) एल्युमिनीयम, तथा

(स) एलीमिन्टल फास्फोरस (elemental phosphorus)

निगम ने यह भी निश्चय किया है कि 'स्ट्रक्चरल कम मशीनशाप' (structural cum-machine shop) भिलाई में तथा 'स्ट्रक्चरल शाप' दुर्गापुर में स्थापित किए जायेंगे। निगम ने सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनीकरण करने के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता की समझौता पर विचार किया। सन्नालक समा की एक समिति वस्त्र उद्योग से प्राप्त अग्रणी आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए स्थापित की गई। यह समिति 'टेकस्टाइल कमिश्नर' के कार्यालय के पर्यवेक्षण दल की सहायता से कार्य करेगी।

८ पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम

द्वितीय पंचवर्षीय योजना व अन्तर्गत निगम की क्रियाओं के लिए ५५ करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि का एक भाग (लगभग २० या २५ करोड़ रु०) सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग के आधुनीकरण की योजनाओं को सफल बनाने में खर्च किया जायगा। शेष धनराशि नवीन आधारभूत तथा मुख्य उद्योगों के निर्माण तथा प्रवर्धन में खर्च की जायगी।

(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Industries Corporation Private Ltd)

भारतीय सरकार ने परन्तु सन् १९५५ में लघु उद्योगों की उत्थिति, संरक्षण, आर्थिक तथा अन्य सहायता के लिए 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम' की स्थापना की है। यह निगम केवल उन्हीं उद्योगों को आर्थिक सहायता देगा जिसमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हों और शक्ति (power) का प्रयोग होता हो और शक्ति का प्रयोग न होने पर १०० व्यक्ति कार्य करने हों। इन उद्योगों की पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक न होनी चाहिये। निगम की स्थापना लघु उद्योगों पर अन्तर्राष्ट्रीय निरोपणों के दल 'वोर्ड फाउण्डेशन' की सिफारिश पर हुई है।

निगम की पूँजी

निगम की स्थापना २० लाख रुपये की अधिः।।। से निजी सीमित कम्पनी

के रूप में हुई है। इसे केन्द्रीय सरकार से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। निगम का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

निगम के उद्देश्य

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के आदेशों को देश के लघु उद्योगों को दिलाना।

(२) ऐसे उद्योगों को आर्थिक, तांत्रिक तथा शिल्पिक सहायता पहुँचाना जिसे दिये गये आदेश निश्चित प्रमाण (standard) तथा नमूने (specification) के अनुसार हों।

(३) लघु तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में सामञ्जस्य लाना, जिसे लघु उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक व पूरक के रूप में कार्य कर सकें और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जावे।

निगम की क्रियाएँ

निगम ने राज्य सरकारों की सिफारिश पर 'डाइरेक्टर-जनरल ऑफ सप्लाइज ऐण्ड डिस्ट्रीब्यूशन' की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने द्वारा रजिस्टर्ड लघु उद्योगों को आदेश दिये हैं। प्रारम्भ में २०० वस्तुओं से अधिक के आदेश कुटीर तथा उद्योगों के लिए सुरक्षित (Reserve) कर लिये हैं। १९५५-५६ में निगम ने लघु उद्योगों के लिए ४,६८,५६५) ६० के आदेश प्राप्त किये। इन आदेशों की पूर्ति मई, १९५६ से प्रारम्भ होनी थी।

निगम ने तीन 'मोबिले विक्रम गाड़ियाँ' (Mobile Sales Vans) दिल्ली क्षेत्र की ३०० वस्तुओं का बिक्रय करने के लिए चालू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त आगरा के लघु उद्योगों द्वारा निर्मित जूतों का विक्रय करने के लिए आगरा में एक 'व्हाल-सेल डुपॉट' (Whole-sale Depot) खोली गई है। अलाहाबाद के तालों तथा बुर्जा के बर्तनों को बेचने के उद्देश्य से एक दूसरी दुकान खोलने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

निगम ने सीमित आर्थिक साधनों वाले उद्योगों को मशीन तथा राजसज्जा (equipment) पट्टेद्वारे में सहायता देने के उद्देश्य से मशीन इत्यादि को किरायेद्वारे (hire-purchase) पद्धति पर सप्लाइ करने की योजना लागू कर दी है।

निगम की क्रियाओं को और विस्तृत करने के लिए चार और शाखाएँ बम्बई, १ कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में खोली जाएँगी। सब राज्यों में कार्यक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से 'उद्योग सेवा संस्थाओं' की संख्या ४ से बढ़ा कर २० कर दी जाएगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों पर बृत्त व्यय इस प्रकार किया गया है :—

सन् १९५१-५६

हाथ कर्षा	११.१ करोड़ रुपये
खादी	७.४ " "
ग्राम उद्योग	४.१ " " "
लघु उद्योग	५.३ " " "
हस्त शिल्प	१.० " " "
शिल्प एवं सिरीकल्चर	१.३ " " "
योग	३०.२ करोड़ रुपये

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिए २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका आगमन विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार होगा—

(१) हाथ कर्षा	५६.५ करोड़ रुपये
(२) खादी	१६.७ " "
(३) ग्राम उद्योग	३८.८ " "
(४) दस्तकारियाँ	६.० " "
(५) लघु उद्योग	५५.० " "
(६) अन्य उद्योग	६.० " "
(७) सामान्य योजनाएँ, प्रशासन, शोध आदि	१५.० " "
	<u>२००.० करोड़ रुपये</u>

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपये कुटीर, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के हेतु आवंटित किये गये हैं।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation)

निजी व्यवसाय (private enterprise) को विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जुलाई, सन् १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I. F. C.) का स्थापना की गई। यह सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है और इसे अनेक देश की सरकारों का सहयोग प्राप्त है। इसका सम्बन्ध विश्व बैंक (I. B. R. D) से होने हुए भी इसका वैधानिक अस्तित्व पृथक् है। इस निगम के सदस्य केवल वे ही

देश हो सकते हैं जो विश्व बैंक के सदस्य हैं। इस समय तक ३२ देश इसके सदस्य हो चुके हैं।

पूँजी

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) की अधिकृत पूँजी १०० मिलियन डालर है, जिसमें १० अगस्त १९५६ तक ७८४ मिलियन डालर ३२ सदस्य देशों द्वारा क्रय की जा चुकी है। भारतवर्ष ने ४४३ मिलियन डालर पूँजी का क्रय किया है और क्रय करने वाले बड़े देशों में इसका चौथा स्थान है।

प्रमुख देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F. C) द्वारा क्रय की गई पूँजी का न्यीरा निम्न तालिका में दिया गया है—

देशों का नाम	धन राशि (हजार डालरों में)
संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A)	१५,१६८
इंग्लैंड	१४,१००
फ्रांस	५,८१५
भारतवर्ष	४,४३०
जर्मनी	३,६५५
कनाडा	३,६००
घागन	२,७६६
आस्ट्रेलिया	२,२१५
पाकिस्तान	१,१०८
स्वीडन	१,१०८

औद्योगिक वित्त निगम (I F. C) को अरन अशो (shares) एवं स्क्वो (stocks) को बेचकर आर्थिक साधन बढ़ाने का अधिकार है परन्तु प्रारम्भिक वर्षों में उसका (I F C) ऐसा करने का विचार नहीं है। अतः उसके विनिधायन करने के आर्थिक साधन इस समय केवल चुकटा पूँजी तक ही सीमित हैं।

निगम के उद्देश्य (Objectives of Corporation)

निगम का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति, उत्पादनशील निजी व्यवसायों को बढ़ावा देकर करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति वह (I. F. C.) निम्न प्रकार से करेगा—

(१) जहाँ निजी पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो या उचित शर्तों (terms) पर प्राप्त न हो रही हो, उस अवस्था में यह निगम निजी व्यवसायों में स्वयं विनियोग करके,

(२) विनियोग सम्बन्धी सुअवसरों (opportunities), निजी पूँजी (देशी)

तथा विदेशी तथा कुचल प्रबंध को एकत्रित करने यह निगम निवारण गृह (cleaning house) की तरह कार्य करे, तथा

(३) देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के उत्पादनशील विनियोग को प्रोत्साहित करके ।

निगम का प्रवन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) के सभी देश सदस्य हो सकते हैं जो विश्व बैंक (I B R D) के सदस्य हैं । निगम के डायरेक्टर विश्व बैंक व एनर्जी स्यूटिबल डायरेक्टर, जो कम से कम एक ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) की सदस्य है, निगम व डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे । विश्व बैंक का अध्यक्ष (President) निगम (I F C) की सचालक सभा (Board of Directors) का (Ex Officio) चेयरमैन होता है ।

निगम का अध्यक्ष भी हाना है जिसकी नियुक्ति चेयरमैन की सिफारिश पर सचालक सभा द्वारा की जाती है ।

विनियोग प्रस्ताव की योग्यता

(१) निगम केवल उन विनियोग प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनका उद्देश्य उत्पादनशील निजी व्यवसायों की स्थापना, विस्तार एवं उन्नति करना है और जो उस देश की, जिसमें निजी व्यवसाय स्थापित है, आर्थिक उन्नति में सहायता करेंगे ।

(२) निगम केवल उदात्त व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा जो कि सदस्य देशों अथवा सदस्य देशों व आश्रित प्रदेशों (Territories) में स्थित होंगे । प्रारम्भिक वर्षों में निगम केवल उदात्त सदस्य देशों अथवा उनके आश्रित उपनिवेशों में विनियोग करेगा चाहता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से कम विकसित हैं ।

(३) निगम आर्थिक सहायता निजी विनियोजकों के साथ दिया करेगा अर्थात् निगम भी उन्ही समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जबकि निजी पूँजी का विनियोग हो रहा हो । निगम को पूर्णतया यह विश्वास हो जाना चाहिये कि नवीन व्यवसाय में निजी विनियोजक अर्थात् आर्थिक साधनों का विनियोग अधिक से अधिक कर रहे हैं और शेर बननादि अन्य निजी साधनों से उपलब्ध नहीं हो रही है उस अवस्था में निगम स्वयं विनियोग करेगा ।

(४) निगम अपनी सिफारिशों के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसे विनियोग प्रस्तावों पर विचार करेगा जहाँ—

(अ) किसी भी व्यवसाय में नवीन विनियोग कम से कम ५ लाख डॉलर (अमरिक्न) या उतक बराबर हो, तथा

(ब) निगम से माँगी हुई सहायता कम से कम १ लाख डालर (अमेरिकन) या उसके बराबर हो ।

निगम ने अभी तक किसी एक विनियोग की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है । उसकी साधारण नीति कुछ विशालकाय व्यवसायों में अधिक मात्रा के विनियोग न करने अधिक से अधिक व्यवसायों में कम मात्रा वाले विनियोग करना है ।

(५) श्रौचोगिक, द्वाय सम्बन्धी, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य निजी व्यवसाय निगम (I F. C.) से आर्थिक सहायता पाने के योग्य हैं, यदि वे प्रकृति में उत्पादनशील हैं । परन्तु निगम अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में केवल उन उद्योगों में विनियोग करेगा जो विशिष्ट रूप में श्रौचोगिक हैं । यह एड निर्माण, चिकित्सालयों, शिक्षालयों, या इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों जो सामाजिक प्रकृति के हैं, तथा सार्वजनिक हित कार्यों जैसे विद्युत शक्ति, यातायात, मिर्चाई, पुनर्निर्माण इत्यादि जो कि विश्व बैंक (I B. R. D.) से अधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं, में विनियोग नहीं करेगा । यह ऐसी क्रियाओं में भी भाग नहीं लेगा जिनका उद्देश्य पुनर्मुंगतान (refunding) या पुनः अर्थ प्रबन्ध (re financing) है ।

(६) निगम (I F. C.) केवल निजी व्यवसायों को ही आर्थिक सहायता देगा । यह ऐसे व्यवसायों में विनियोग नहीं करेगा जो किसी सरकार (government) के स्वामित्व में हैं या सरकार द्वारा चालित (operated) या प्रबन्धित (managed) हैं । आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रारूप व विधियाँ

निगम (I. F. C.) किसी भी रूप में, जिसे वह उचित समझे विनियोग कर सकता है, परन्तु वह अर्थों व स्क्वों (stocks) के रूप में विनियोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है । इस अपवाद (exception) के कारण निगम के विनियोग ऋण (loans) के रूप में हो सकते हैं परन्तु इन ऋणों के अन्तर्गत लौकिक स्थायी ऋण वाले ऋण (conventional fixed interest loans) नहीं आते हैं । चूँकि निगम अपने विनियोगों को बेचकर निरंतर अपने धन (funds) को एक दूसरे को हस्तान्तरित करने का विचार रखता है, अतः वह प्रत्येक विनियोग के समय इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखता है कि केवल उन्हीं प्रतिभूतियों (securities) का ऋण किया जाय ता निजी विनियोगियों को अत्यधिक दिया जाय ।

व्याज की दर

१ निगम (I. F. C.) अपने विनियोगों (investments) के लिए किसी सामान्य (uniform) व्याज की दर का पालन नहीं करता है । व्याज की दर प्रत्येक विनियोग की अवस्था में, जोखिम की मात्रा, लाभों में भाग लेने के अधिकार, विनियोग का परिवर्तन (conversion) कराने के अधिकार तथा अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

विनियोगों की अवधि तथा भुगतान विधि

निगम (I F C) द्वारा दिये ऋणों की अवधि ५ वर्ष से १५ वर्ष तक होती है। ऋणों के भुगतान (amortisation) तथा निश्चित विधि से पूर्व भुगतान (pre payment) की विधि निगम (I. F. C.) द्वारा प्रत्येक दश में उच्चैः परिस्थितियों के अनुसार निश्चित की जाती है।

प्रतिभूति (Security)

निगम ऋणों को प्रतिभूति के आधार पर या बिना प्रतिभूति के स्वीकृत कर सकता है। यदि प्रतिभूति ली जाती है तो उसके प्रारूप (form) का निर्धारण, ऋण लेने वाले व्यवसाय (enterprise) की स्थिति, विनियोग करने की शर्तों तथा ऋण देय के नियमों (laws) के आधार पर किया जाता है।

ऋण देने की शर्तें

निगम किसी व्यवसाय की स्वीकृत धनराशि को तो एक मूठ (jump-sum) में या निश्चित किस्तों (instalments) में दे सकता है। व्यवसाय की निगम द्वारा स्वीकृत धन राशि का प्रयोग व्यवसाय सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए, स्वतन्त्रतापूर्वक करने का पूर्ण अधिकार होता है।

विनियोग की जाने वाला चलन मुद्रा

प्रारम्भिक काल में निगम (I F C) केवल अपनी चुकता पूँजी में से ही ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। निगम की पूँजी अमेरिकन डॉलरों में है। अतः ऋण मा केवल अमेरिकन डॉलरों में ही दिये जायेंगे। निगम (I. F. C.) का ऐसा विचार है कि इस मुद्रा (U S Dollars) से सभी सदस्य देशों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। परन्तु यदि किसी सदस्य देश के द्वारा आर्थिक सहायता अमेरिकन डॉलरों के अतिरिक्त अन्य किसी मुद्रा में माँगी जाती है तो निगम (I F. C.) उही मुद्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा, यदि उसे ऐसा करने में कोई विरोध हानि नहीं उठानी पड़ती है।

निगम के अधिकार

(१) निगम (I F C) ऋण लेने वाले व्यवसाय (enterprise) के प्रबन्ध (management) का निरीक्षण कर सकता है। साधारण रूप से निगम यह आशा करता है कि व्यवसाय (enterprise) अपने व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिए बुद्धि एवं धैर्य प्रबन्धकों को नियुक्त करेगा। कुछ विरोध परिस्थितियों में निगम व्यवसाय (enterprise) की प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर सकता है। यदि व्यवसाय (enterprise) अपने प्रबन्ध में कुछ

महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है तो उसे इस सम्बन्ध में निगम का परामर्श लेना होगा। विशेष परिस्थितियों में निगम (I. F. C.) को व्यवसाय (enterprise) की संचालक सभा में संचालक नियुक्त करने का अधिकार भी है।

(२) निगम को व्यवसाय द्वारा क्त किये गये पूँजीगत सामान (capital goods) तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में पृष्ठताल करने का अधिकार है। ऐसा निगम इसलिए करता है जिससे अपने दिये गये धन के सदुपयोग के सम्बन्ध में विश्वास बना रहे।

(३) निगम श्रृष्ट लेने वाले व्यवसाय (enterprise) को उसकी लेखा पुस्तकों का अवेक्षण, स्वतन्त्र पब्लिक एकाउन्टेन्ट से कराने के लिए आदेश दे सकता है, तथा व्यवसाय की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण अपने प्रतिनिधियों द्वारा कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह (निगम) व्यवसाय से उसके आर्थिक विट्टे (B/S) तथा हानि एव लाभ खाते (P. & L. A/c) की प्रतिलिपि एव अन्य सामयिक रिपोर्ट माँग सकता है।

(४) निगम (I. F. C.) अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यवसाय (enterprise) के प्लान्ट, षारखाने तथा अन्य भवनों का निरीक्षण कर सकता है।

निगम का सरकार से सम्बन्ध

निगम (I. F. C.) अपने विनियोगों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी सरकार की गारन्टी नहीं चाहता है और श्रृष्ट देते समय भी, यदि कोई वैधानिक प्रविन्धन न हो तो सरकार की अनुमति भी नहीं लेता है। निगम उस देश के व्यवसायों (enterprise) को जहाँ की सरकार को कोई आरति है, उन्हें श्रृष्ट नहीं देगा।

(७) पुन. ऋण-प्रबन्धन निगम (Refinancing Corporation)

५ जून, १९५८ को पुनः अर्थ प्रबन्धन निगम (Refinancing Corporation) की स्थापना श्रीवैशेषिक व्यवसायों को मध्यकालीन सात सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह निगम एक स्वतन्त्र अर्द्ध सरकारी सभा (Autonomous Semi Government Agency) है और निजी उद्योगवित्तियों को तीन से सात वर्ष के लिए श्रृष्ट देती है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों के कर्जा उधार देने के साधनों में वृद्धि करना है जिससे वे निजी क्षेत्र में मध्यम वर्ग की श्रीवैशेषिक इकाइयों को श्रृष्ट देने की सुविधा दे सके। अर्थात् यह निगम इन उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से उधार नहीं देगा परन्तु बैंकों को उधार देने में सहायता पहुँचायेगा। सदस्य बैंक मध्यवर्गीय श्रीवैशेषिक इकाइयों को अधिक से अधिक ५० लाख कर्जा तक तीन से सात वर्ष की अवधि के

लिए ही उधार दे सकते हैं। इस निगम से केवल ऐसी ही औद्योगिक संस्थाएँ ऋण प्राप्त कर सकती हैं जिनकी सुरक्षा और संचित पूँजी २३ करोड़ से अधिक न हो। ऋण प्रथम उत्पादन वृद्धि के लिए ऐसे ही उद्योगों को मिलेगा जो द्वितीय योजना तथा उसके बाद की योजनाओं में सम्मिलित होंगे।

पूँजी का ढाँचा

निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रुपये तथा निर्गमित पूँजी १२३ करोड़ रुपये है। निर्गमित पूँजी १२५० अंशपत्रों (प्रति अंश १ लाख रुपये) में विभाजित है जिसमें से १०% आवेदन पत्र और १०% आउटम पर देना आवश्यक है। इस पूँजी का क्रय निम्न संस्थाओं द्वारा किया गया है—

(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	५० करोड़ रुपये
(२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	२५ " "
(३) राज्य जीवन बीमा निगम (L. I. C. of India)	२५ " "
(४) अन्य बैंक	२५ " "
योग	<u>१२५ करोड़ रुपये</u>

अन्य बैंक के अन्तर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ कन्नडा, नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, युनाइटेड कमर्शियल बैंक, लॉयड्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, चार्टर्ड बैंक, इण्डियन बैंक, युनाइटेड बैंक, मरकेन्टायल बैंक ऑफ इण्डिया, डेना बैंक (Dena Bank), तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सम्मिलित हैं।

अगस्त १९५६ में भारत-अमेरिका के बीच 'भारत अमेरिकी इति' सम्बन्धीय वस्तुओं का समझौता (India U. S Agricultural Commodities Agreement) द्वारा या जिसका अनुसार भारत-अमेरिका को अपने निजी व्यवसाय वाली संस्थाओं को पुनः उधार (re-lending) देने के लिए ५५ मि० डालर या २६ करोड़ रुपये का कोष रखा गया था। यह रकम इस निगम को दे दी गई है। २६ जुलाई १९५८ को भारतीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त मन्त्री (Joint Secretary) एन० सी० सेन गुप्ता तथा अमेरिका के टेकनीकल कांफिडेंस मिशन (T. C. M.) के संचालक श्री हावर्ड होस्टन (Howard Houston) के मध्य हुए समझौते के अनुसार यह ५५ मि० डालर का ऋण अमेरिका को भारत-अमेरिका मुद्रा (रुपये) में ३० वर्ष के अन्दर ब्याज सहित वापस कर देगा।

भारत सरकार समय-समय पर निगम को न्याय पर ऋण देकर सहायता करेगी और उस कोष में उचित समय पर ऋण के पुनर्मुग्तान का पत्र व्यव करेगी। इस

प्रकार से प्रारम्भ में निगम के पास कुल १८५ करोड़ रुपये (१२५ करोड़ ६० + २६ करोड़ ६०) की पूँजी होगी जिसमें से १५ अनुसूचित बैंकों में से प्रत्येक का कोटा (Quota) निश्चित होगा और उसी सीमा के अतर्गत निगम से उस बैंक को पुनः अर्थ-प्रबन्ध की सुविधाएँ मिलेंगी ।

निगम का प्रबन्ध

पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम का प्रबन्ध एक सचालक समिति के द्वारा होगा । इस समिति के सात सदस्य होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का गवर्नर उसका चेयरमैन होगा । शेष छः सदस्य इस प्रकार होंगे—

- (१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का डिप्टी गवर्नर
- (२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का चेयरमैन
- (३) जीवन श्रमा निगम (L. I. C) का चेयरमैन
- (४) अन्य बैंकों के तीन प्रतिनिधि ।

पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम (Refinance Corp) पूर्व स्थापित औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) की क्रियाओं में सहायता पहुँचाता है । वास्तव में आधारभूत तथा मध्यमगीय उद्योगों को अपनी जीर्ण मशीनों तथा साजसज्जाओं (equipments) के परिवर्तन के लिए तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती थी जिसकी पूर्ति अब पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम से होने लगेगी । इस प्रकार इस निगम का औद्योगिक क्षेत्र में विशेष महत्त्व है ।

निगम की क्रियाओं का व्यौरा

पुनः अर्थ-प्रबन्धन निगम (Refinance Corporation) ने सितम्बर १९५८ से आवेदन-पत्रों को प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया है । निगम के वर्तमान वित्तीय साधन ७५० करोड़ रुपये हैं, जिसमें २५० करोड़ रुपये की चुकता पूँजी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ५ करोड़ रुपये का श्रृणु सम्मिलित है ।

कारपोरेशन के प्रारम्भ (जून, १९५८) से लेकर दिसम्बर १९५९ के अन्त तक कारपोरेशन के पास २० प्रार्थनापत्र ४२१ करोड़ रुपये के श्रृणु के लिए आये । इनमें से १६ प्रार्थनापत्र ४०३ करोड़ रुपये के श्रृणु के लिए स्वीकृत किये गये । जिन उद्योगों को श्रृणु स्वीकृत किये गये वे क्रमशः पैरोमैग्नीज, सतो बन्न उद्योग, एलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग, तैलाय तथा उर्वरक चीनी, रॉमेन्ट, भारी रसायन आदि हैं ।

कारपोरेशन ने सदस्य बैंकों को दिये गये श्रृणु पर पिछले वर्ष की भाँति न्याय की दर ५ प्रतिशत ही ली । सरकार द्वारा २६ करोड़ रुपये के स्वीकृत श्रृणु में से पिछले साल केवल ५ करोड़ रुपये ही निकाले गये । इस वर्ष कुछ नहीं निकाला गया ।

१९५६ में कारपोरेशन की आय २६ ५७ लाख रुपये थी जब कि पिछले वर्ष यह आय केवल १४ ०६ लाख रुपये थी। सत्र सत्रों को निकालने के बाद शुद्ध लाभ २००२ लाख रुपये का हुआ। †

प्रश्न

1. Is the supply of capital for new industrial concerns in India inadequate at the present time? Give the factors responsible for such inadequacy (Agra 1960)

2. Why is there a shortage of industrial finance in India? What steps are being taken to remove this shortage? (Agra 1960)

3. What are the sources of finance for industries in India? What has been done by the Government in recent times to increase facilities for industrial finance in India? (Patna, 1960)



अध्याय ३१

कुटीर एवं लघु उद्योग

(Cottage And Small Scale Industries)

भारतवर्ष में प्राचीन उद्योगों का पतन तो हो गया किन्तु वे पूर्णतः नष्ट नहीं हुए और न हो ही सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था की वे आधारशिला हैं। गांधी जी के शब्दों में “भारत की मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।” आज भी जब कि देश ने औद्योगीकरण की विशाल योजनाएँ बना ली हैं, कुटीर उद्योगों की महत्ता में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है, बल्कि किसी सीमा तक इनका महत्व और बढ़ गया है। देश में जनसंख्या की अति वृद्धि, कृषकों का वर्ष में अधिकांश बेकार रहना, व्यवसायों के अनुसार देश में जाति व्यवस्था का सगटन, पैतृक व्यवसाय करने में लोगों की अभिरुचि, कलात्मक वस्तुओं के प्रति लोगों का अनुराग, स्वदेशी आन्दोलन तथा राज्य की नीति इत्यादि अनेक ऐसे कारण हैं जिन्होंने देश में कुटीर-उद्योगों को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है।

कुटीर-उद्योगों का आर्थिक महत्व

भारतवर्ष की वर्तमान गम्भीर समस्याओं का अयत्न करने से ही कुटीर-उद्योगों के आर्थिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि ससार के उद्योग प्रधान देशों जैसे अमेरिका, इङ्ग्लैण्ड, जापान, रूस और जर्मनी में भी जहाँ कि औद्योगीकरण अपने विचार की चरम सीमा पर पहुँच चुका है और उत्पादन अत्यन्त विशाल स्तर पर होता है, वहाँ भी कुटीर उद्योग किये न किसी रूप में जीवित हैं। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के व्यापार में ६२.५ प्रतिशत छोटे पैमाने का व्यापार है, जिसमें देश के ४५ प्रतिशत धाम करने वाले लोग लगे हैं।^१ इङ्ग्लैण्ड में ऐसे उद्योगों से जनता को २६% रोजगार मिलता है और इन उद्योगों में सम्पूर्ण उत्पादन का १६% उत्पादन होता है। सुदूर पूर्व जर्मनी में २२% प्रतिशत उत्पादन इन उद्योगों से होता था। जापान में तो ५० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या लघु उद्योगों में लगी हुई है। इन उद्योगों का महत्व निम्न टिप्पणियों से और भी अधिक बढ़ जाता है—

१ Fiscal Commission Report, 1949-50, p 101.

(१) अक्षय्य व्यवस्था की जीर्णोद्धार के साधन—इन उद्योगों से भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार या जीविका प्राप्त होती है। इस उद्योग में जूते हुए व्यक्तियों की संख्या २ करोड़ से भी अधिक है जब कि कारखानों (factories) में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल १६,७७,००० है। दश व अथ उद्योगों में लगे लोगों की संख्या भी क्रमशः ५,६६,०००, १२,२८,०००, ६,५७,०००, २,४३,०००, १,७१,००० तथा ५,७०,००० ही है जो कि हस्तकरवा उद्योग के श्रमिकों के बराबर है।^१

(२) बेकारी की समस्या का हल—कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। कारखानों में तो जनसंख्या का एक प्रतिशत भाग ही रोजगार पर खर्चा है। भावी विकास का अनुमान करते हुए अधिक से अधिक इतने ही व्यक्ति और रोजगार पायेंगे। फिर भी बेकारी की समस्या का समाधान नहीं संभव है। परंतु यदि देश भर में कुटीर उद्योग फैला दिये जायें तो यह समस्या बहुत कुछ सुलभ हो सकती है। गांधी जी का शब्द 'भारत का मोक्ष उरु कुटीर उद्योगों में निहित है' से भी इस कथन की पुष्टि होती है।

(३) भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुकूल—ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका महत्व इसलिए भी है कि ये निगम के लिए अतिरिक्त (extra) आय के साधन बन सकते हैं। उसी वजह से अथवा अर्थ बेकारी के कारण पाँच महीनों में काम प्रदान कर सकते हैं। कृषि उद्योग से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण कुटीर-उद्योगों का महत्व इस बात में भी है कि वे लोगों, जो कि प्रधानतया कृषि पर निर्भर हैं, के जीवन के प्रारम्भिक चरण सहन के दाय और आश्रय के सम्पर्क में रहते हैं।

(४) आर्थिक विषमता का निवारण—कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से वर्तमान पैली हुए देश की आर्थिक विषमता (economic inequality) कम की जा सकती है। उच्च पमान के उद्योगों के कारण एक ओर भयंकर दरिद्रता और दूसरी ओर भोग विलास और अपरिमित धन देखने में आता है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रसार से धन का वितरण में समानता लाई जा सकती है, क्योंकि बेकारी दूर होने से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन मिलेगा और किसी व्यक्ति विशेष का अधिक धन सहे करने का अवसर न रहेगा। शोषण की सम्भावना भी न रहेगी।

(५) उद्योगों का विप्रेत वितरण—एक ओर तो वे कृषि से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और दूसरी ओर वे उच्च पमान के उद्योगों से विरक्त भी नहीं हैं। तीव्रगति से

बढ़ती हुई समाजवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। उद्योगों के केन्द्रीकरण से अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जैसे आवास की समस्या, यातायात सङ्कुलन (traffic congestion), नैतिक पतन, अस्वस्थ वातावरण इत्यादि। कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना से ये सब समस्याएँ दूर हो जायँगी।

(६) उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्व—उत्पादन के दृष्टिकोण से भी इन उद्योगों का महत्व कम नहीं है। 'केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन' (Central Statistical Organisation) के अनुमान के अनुसार १९५६-५७ में लघु उद्योगों का उत्पादन ६७० करोड़ रुपये था जब कि बड़े उद्योगों का उत्पादन केवल ८६० करोड़ रुपये का था। प्राथमिक उत्पादन का प्रश्न आज भी देश के सामने है। उत्पादन के इस महान् कार्य में कुटीर-उद्योग भी सहयोग दे सकते हैं।

(७) बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में—कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक बन सकते हैं जैसा कि जापान में होता है। विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न स्थानों में बनाकर किसी एक कारखाने में जोड़कर पूरी वस्तु तैयार करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(८) समाजवादी समाज की रचना में सहायता—१९५४ से भारतीय सरकार ने समाजवादी समाज की रचना करने का निश्चय कर लिया है। सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में कुटीर एवं लघु उद्योग एक बहुत बड़ी सीमा तक सहायक हो सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग तो पूँजीवाद को जन्म देते हैं, क्योंकि इन उद्योगों से कुछ होने गिने व्यक्तियों के हाथ में पन का सञ्चय हो जाता है, जिससे अनेक अवाञ्छनीय समस्याओं को जन्म मिलता है। जैसा कि हम अल्पतः भी देख चुके हैं कि कुटीर एवं लघु उद्योगों से ये सब दोग दूर हो जाते हैं और समाजवाद को जन्म मिलता है।

(९) सामरिक (Strategic) महत्व—युद्धकाल में इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ द्वितीय महायुद्ध में कुटीर एवं लघु उद्योग का कार्य सराहनीय रहा। उत्तर प्रदेश के शीशामगं ने फीज के लिए काँच का सामान बनाया, आगरा के सगलगंशा ने फीज के लिए परिचय पट्टन बनाये, मट्टली के जाल बनाने वाला ने फीज के लिए शू से छिड़ाने वाले जाल बनाये तथा रिलीना बनाने वालों ने फीजी टोन बनाये।

¹ (१०) पुनर्वासन दृष्टि से महत्व—राजनैतिक कारणों में विस्थापितों की विकट समस्या उद्भिद्य हो जाती है, जैसा कि भारत में विभाजन के फलस्वरूप हुआ। उन्हें रोजगार देने तथा समान रूप से देश में बसाने के लिए ये उद्योग बहुत उपयुक्त हैं। सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि छोटे उद्योगों पर जितना रक्षक किया

जाना है उतने ही खर्चों से बड़े उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक इनमें लोगों को काम मिलता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज भारत के कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धों का महत्व त्रयीयोगीकरण में इतना है जितना सम्भवतः पहले नहीं था। बम्बई योजना अनुसार "त्रयीयोगिक संगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें न केवल उद्योगों के छोटे पैमाने एवं कुटीर-धन्धा की समुचित योजना होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे रोजगार का साधन माने हैं, बल्कि पूँजी की विशेषतः प्रारम्भिक स्थिति में ग्रामीण पूँजी की आवश्यकता कम करने के लिए भी आवश्यक हैं। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि आधारभूत उद्योगों में छोटी-छोटी इकाइयाँ के लिए कम खर्च है, परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एवं महत्व अधिक है। इस क्षेत्र में उनका कार्य अधिकतर बड़ी इकाइयों के लिए सहायक होगा।"

श्री गैडगिल के शब्दों में "आधारभूत एवं छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों के विकास से ही आर्थिक नियमता का अन्त होगा।"

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों का महत्व स्वीकार करते हुए कहा गया है कि "ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुटीर धन्धा का प्रमुख स्थान है। ... यदि कृषि को वैज्ञानिक करना है तो सम्पूर्ण देश के अतिरिक्त श्रमिकों को जो कुल खर्चा बँटवै है, काम देने का साधन खोजना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल मानवीय एवं आर्थिक समस्याओं को सुलभाना होगा, इसलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कुटीर धन्धों की आवश्यकता एवं महत्व सबसे अधिक है, जिस पर जोर देना होगा।"

प्रसन्नता भी बात है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर इस तथ्य को मज़ी भौति समझ लिया गया है, और सरकार ने इस दिशा में उचित कदम भी उठाए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के पुनर्स्थापन एवं विकास के लिए २३.२ करोड़ रुपये तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत २०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में लघु एवं मध्यमगीय उद्योग धन्धों पर ६०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

कुटीर एवं लघु उद्योगों का अर्थ

(Meaning of Cottage and Small Scale Industries)

कुटीर एवं लघु उद्योगों को विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अतः इनका अर्थ भी विभिन्न लगाया जाता है। कुछ लोगों के

लिए कुटीर उद्योगों का अर्थ ऐसे ग्रामीण उद्योगों से है जो कि कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। ग्राम लोग उनका अर्थ ऐसे किसी भी उद्योग से लगाते हैं जो छोटे स्तर पर कृषक के घर या कुटीर में किये जाते हैं और जिसमें परिवार के सभी सदस्य लगे हों। बुद्धि लोग ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं जहाँ शक्ति एव मशीनों का प्रयोग नहीं होता।

इसके विपरीत लघु स्तर के उद्योगों का अर्थ ऐसे औद्योगिक संस्थानों (establishments) अथवा साधों (concerns) से है, जिनका संगठन सीमित अथवा असीमित उत्तरदायित्व (liability) का आधार पर हुआ हो, और जिसमें कारीगर अथवा मजदूरों को पूंजीपतियों द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा वे स्वयं अपने लाभ के लिए ही कार्य करते हों, परन्तु ऐसे कर्मचारियों की संख्या ५० से अधिक न होनी चाहिए।

कुटीर एव लघु उद्योगों के इन विभिन्न अर्थों एव विवेचनाओं से गलतफहमी का प्रकार का भ्रम उठता है जिससे इन उद्योगों के सही अर्थ और महत्व का निरलेपन करने में अड़चन पड़ती है। ऐसी अवस्था में कुटीर उद्योगों की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना असंगत न होगा।

परिभाषाएँ

(Definitions)

(१) केन्द्रीय अधिकोपण जाँच समिति

“वे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाते हैं, और जिनसे कृषकों को सहायक कार्य मिलते हैं, को ग्रामीण एव घरेलू उद्योग कह सकते हैं।”

(२) वन्दई आर्थिक एव औद्योगिक सर्वेक्षण समिति

“कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं होता और जहाँ उत्पादन साधारणतया कारीगर के निवासस्थान अथवा कभी-कभी ऐसे छोटे कारखानों में जहाँ नौ से अधिक व्यक्ति कार्य न करते हो।”

(३) राष्ट्रीय नियोजन समिति १९३८

“लघु उद्योग अथवा कुटीर-उद्योग ऐसे उपक्रम (enterprise) अथवा कार्यों की श्रमिकों को कहते हैं जो अपनी कला (Craft) में दक्ष श्रमिकों द्वारा की जाती है अथवा अपने ही जोरिम पर वह स्वयं निर्मित वस्तुओं का विक्रय करता है। वह अपने ही यह म, अपने ही औजारों, अपने माल एव धन से काम करता है और अक्सर से अक्सर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता ले लेता है। श्रमिक अधिकतर अ-हाथ, अपने चातुर्व्यय का प्रयोग करके, परम्परागत कार्यविधियों से काम करता है।”

आधुनिक शक्तिचालित मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अपने उद्योग में मितव्ययता एवं कुशलता लाने की दृष्टि से वे पशु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसका अंतिम उद्देश्य ऐसे सर्मापनर्ती शानार क लिए वस्तुओं का निर्माण करना है जिसमें उसे वस्तुओं की माँग एवं गुण का पूरा ज्ञान रहता है।”

(४) भारतीय औद्योगिक समिति

“कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो कि श्रमिकों के घर पर चलाये जाते हैं, जहाँ कि उत्पादन का स्तर छोटा हो और जहाँ कि न्यूनतम सगठन हो, जिससे कि वे नियमा नुसार क्वल स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति में ही समर्थ हों।”

(५) उत्तर प्रदेश औद्योगिक सगठन समिति

“य उद्योग जहाँ साधारणतया कारीगरों के घर में काम किया जाता है और कभी कभी ऐसे छोटे कारखानों में जिसे साहसी प्रवृत्ति के छोटे उद्योगपति चलाते हैं, और इसमें शक्तिचालित मशीनरी का प्रयोग होता है।”

(६) श्री सी० डी० देशमुख (भूतपूर्व के द्वीय वित्त मंत्री)

“कुटीर उद्योगों का तात्पर्य उद्योगकारों के घरों में सगठित उत्पादन के अतिरिक्त समस्त प्रकार के उत्पादन से होता है। जो इन पर आश्रित होते हैं वे अपने ही प्रयत्न एवं चातुर्य पर निर्भर रहकर अपने ही घरों में साधारण औजारों से कार्य करते हैं।”

कुटीर उद्योगों के प्रमुख लक्षण

उपरोक्त परिभाषाओं से कुटीर-उद्योगों के निम्न प्रमुख लक्षण ज्ञात होते हैं —

(१) कुटीर उद्योग बिना किराये के श्रम (hired labour) की सहायता के कारीगरों के घरों पर ही चलाय जाते हैं।

(२) वे उद्योग पूर्णरूपेण कारीगर एवं उनका परिवार के सदस्यों, जो उनमें सलग्न हैं, पर आश्रित होते हैं।

(३) इनमें कारीगर एवं उनका परिवार के सदस्यों को केवल अल्पमालीन काम मिलता है।

(४) ये उद्योग सहायक उद्योगों के रूप में केवल कारीगरों (श्रमिकों) को उनका अवसर के समय में उनकी अल्प आय में वृद्धि की दृष्टि से चलाये जाते हैं। कृषि उनका प्रमुख उद्योग होने के कारण यह उनका एकमात्र व्यवसाय नहीं हो सकता।

(५) कुटीर-उद्योग असगठित हैं और सम्पूर्ण देश में फैले हुए हैं। इन उद्योगों के स्थापन एवं वितरण में जाति पति (caste) का प्रमुख स्थान है।

(६) अपने अनुचित साधनों के कारण कृषकों में कुटीर उद्योग बहुत प्रचलित होते हैं क्योंकि इनमें अधिक पूँजी के विनियोग की आवश्यकता नहीं होती।

(७) वे उद्योग मुख्यतया कारीगरों के व्यक्तिगत चातुर्य एव कौशल पर आश्रित होने हैं जो ग्रथिकाश न विसृग् (hereditary) होते हैं। इन उद्योगों की वस्तुओं न प्रमुख आकर्षण उनका कलात्मक गुण तथा कारीगरी एव कुशलता का एक जीविन उद्गाहरण होना है।

(८) इन उद्योगों में प्रयुक्त प्रविधि (technique) एव उपकरण (tools) अति साधारण होते हैं।

कुटीर एव लघु उद्योगों का वर्गीकरण

डॉ० पी० कै० आर० वी० राय ने कुटीर-उद्योगों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है —

(१) वे उद्योग जो कि उड़े पैमाने के उद्योगों में सहायक होने हैं,

(२) वे उद्योग जो कि विभिन्न प्रकार के मरम्मत के कार्य करते हैं, जैसे— मोटरों तथा मशीनों के कारताने, छोटे मोटे इञ्जीनियरिंग के कार्य इत्यादि,

(३) वे उद्योग जो कि पक्के माल उपन्न करने में लगे हुए हैं, जैसे पीतल, ताँबा तथा सिलवर के नर्तन बनाना, चाँदी-सोने के तार रचाना, फर्नीचर बनाना आदि।

डॉ० राय ने उद्योगों के वर्गीकरण के अतिरिक्त कुटीर उद्योगों का निम्नलिखित वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर भी किया है—

(१) वे उद्योग जो सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों से सम्बन्धित हैं, जैसे कर्ताई, रंगाई, बुनाई व छमई आदि।

(२) धातुओं सम्बन्धी उद्योग, जैसे पीतल, ताँबा, व सिलवर के नर्तन बनाना तथा लुहारी के कार्य।

(३) लकड़ी सम्बन्धी उद्योग, जैसे गाड़ी, सन्दूक, फर्नीचर तथा लकड़ी के तिलौने आदि बनाना।


(४) चमड़े से सम्बन्धित उद्योग, जैसे चमड़ा पराना, जूता, चप्पल तथा चमड़े के थैले इत्यादि बनाना।

(५) मिट्टी सम्बन्धी उद्योग, जैसे तिलौने, चीनी के बर्तन, ईंट, चूना, गपरेल इत्यादि बनाना।

(६) खाद्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, जैसे दूध, घी, मक्खन, मिस्टुट, अचार, तेल, गुड़ व पाइसादी इत्यादि बनाना, चारल कटना, आटा पीसना तथा विभिन्न मिठाइयों इत्यादि बनाना।

(७) अन्य उद्योग, जैसे चूड़ियाँ, धीड़ी, सातुन, मुगन्धित इत्र व तेल, स्याही, चटाई, टोकरियाँ इत्यादि बनाना।

राजस्व आयोग (Fiscal Commission) ने कुटीर एव लघु-उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है—



ग्रामीण कुटीर उद्योग—ये दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन। अल्पकालीन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं जो कृषि व्यवसाय में सहायक होते हैं, जैसे हस्तकला उद्योग (handloom weaving), रेशम के कोंड़े पालना (sericulture), टोकरी बनाना, ग्राटा पीसना, बीड़ी बनाना आदि। पूर्णकालीन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णकालीन रोजगार प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी के जर्तन बनाना, लोहारगरी का काम, तेल निकालना, मूड़ईगरी का काम, हस्तकला उद्योग आदि।

शहरी कुटीर उद्योग—य उद्योग भी दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन। शहरी उद्योगों में अधिकतर पूर्णकालीन उद्योग होते हैं जो कि लोगों की आजीविका के स्थानीय साधन माने जाते हैं, जैसे चीने व चाँदी के तार बनाना, लकड़ी व ग्राहरी के फिलौने बनाना, धातु की वस्तुएँ बनाना, रेशमी कपड़े बनाना तथा छाया, एवं रँगई का काम करना इत्यादि।

शहरी लघु-स्तरीय उद्योग—ये उद्योग भी दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन। अल्पकालीन शहरी लघु उद्योग में अल्पकालीन (seasonal) उद्योग आते हैं, जिनमें श्रमियों को अल्पकालीन (part time) रोजगार मिलता है। जैसे ईंट बनाना, मिट्टी के जर्तन बनाना इत्यादि। पूर्णकालीन शहरी लघु उद्योगों के अन्तर्गत शहर के स्थानीय (perennial) कारखाने आते हैं, जैसे होल्डर के कारखाने, इन्जीनियरिंग उद्योग, छापेखाने व चमड़े के कारखाने आदि।

ग्रामीण लघु-स्तरीय उद्योग—ये उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं—अल्पकालीन तथा पूर्णकालीन। अल्पकालीन लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के वे सत्र मौसमी उद्योग आते हैं, जिनका सम्बन्ध खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं

के सुधार से होता है, उदाहरणार्थ चावल की मिलें, खडसारी के कारखाने तथा गुड़ बनाना इत्यादि। पूर्णकालीन ग्रामीण लघु स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत बहुत सीमित उद्योग आते हैं, जैसे छोटे मोटे औजार बनाना, जूते बनाना, कालीन बनाना इत्यादि।

► योजना आयोग (Planning Commission) ने लघु उद्योगों को तीन भागों में विभक्त किया है :—

- (१) वे लघु उद्योग-धंधे जो मुविधानुक हैं और बड़े पैमाने के धंधों के कारण उन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता; जैसे ताले, मोमरत्नियाँ, घटन तथा जूतों का उत्पादन आदि।
- (२) वे लघु उद्योग धन्धे जो बड़े पैमाने के धन्धों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे साइकिल के धंधे के लिए साइकिल के हिस्सों का उत्पादन, बिजली की चीजें, छुरी-चाँटे आदि वस्तुओं का उत्पादन।
- (३) ऐसे लघु उद्योग धंधे जो बड़े पैमाने के धन्धे के साथ बाकायदा प्रतियोगिता में आते हैं; जैसे हाथ बरथा-उद्योग।

प्राचीन भारत में कुटीर उद्योग-धन्धे

अति प्राचीन काल से भारतवर्ष कुटीर उद्योगों का गढ़ रहा है। विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य इस कथन की पुष्टि करते हैं और भारतवर्ष की सम्पूर्ण सभ्यता में इस सम्बन्ध में प्रधानता (supremacy) को दर्शाते हैं। भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रशंसा प्राचीन रोम एव मिश्र जैसे सभ्य देशों में भी की जाती थी। आर्य भारतीय कुटीर उद्योग के कुछ सुनहले ऐतिहासिक पत्रों को पलट कर देखें।

‘नील घाटी में जब प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण हुआ तब ग्रीस व इटली जो शौरवीय सभ्यता एव सस्कृति के जन्मदाता बड़े जाते हैं, जङ्गली जीवन बिता रहे थे। उस समय भारत समृद्धि एव सस्कृति के विकास पर पहुँचा हुआ था। परिश्रमी और अप्यग्रहायो भारतीयों ने अपने विशाल देश को उद्योगों की निस्तृत भूमि के रूप में परिणत कर दिया था। धन धान्य के हरियाले मैदानों से भारत भूमि लहलहा रही थी और कुशल कारीगर भूमि के अत्यन्त साधारण पदार्थों से अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण करते थे।’

ये हैं वे वाक्य जो प्रसिद्ध विद्वान थार्नटन ने अपने प्राचीन भारत सम्बन्धी ग्रन्थ में उल्लिखित किये हैं। यही तर्क नहीं, ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहासकार हीरोडोटस ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखता है कि ‘भागीय एव ऐसे उन के वस्त्र पहनते हैं जो मेद-वक्रियों के शरीर पर नहीं होती अर्थात् वेद-रीधों के रूप में उगाई जाती है।’

भारत के प्राचीन साहित्य में भी कवियों के उल्लेख के सहस्रों उदाहरण मिलने

हैं। ऋग्वेद को ईश्वरकृत ग्रन्थ न मानने वाले विद्वान भी इस बात में एकमत हैं कि वह सभार के पुरावालय की सर्वप्रथम पुस्तक है। उसकी रचना के बारे में विद्वानों का मत है कि वह ईसा से १०,००० वर्ष पूर्व तो अवश्य ही लिखी गई होगी, जब कि भारतीय विद्वान इससे कई गुना अधिक पुराना मानते हैं। 4

ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि विलाप करने हुए कहता है कि 'मैं धार्मिक कर्तव्यों का न ताना जानता हूँ और न धाना।' ऋग्वेद में कपड़ा सोने वाली सुई को 'सूत्री' एवं 'अरविशी', कैंची को 'शुर्ज', ताने वाली लकड़ी को 'मयूरा', दरजी को 'विन' और बुनकर को 'वायित्री', 'वाम' और 'सिरी' नामों से उल्लिखित किया गया है। 'हिरण्य द्रापी' नामक एक चमकने वाले मुनहले वस्त्र तथा 'प्रावार' घनिष्ठों की बारीक धोती का भी उदाहरण मिलता है।

निवाह संस्कार में वस्त्र परिवर्तन के समय बोले जाने वाले ऋग्वेद के एक मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि 'हम वह कपड़ा पहनें जो देवियों ने अपने हाथ से बना और बुना है।' अथर्ववेद में भी ऐसा ही लिखा है कि 'सुहागरात के दिन घर अपने नव-वधू के हाथ का ही कता-बुना वस्त्र पहनता था।' यजुर्वेद के एक मन्त्र से उन बातों और बुनने की प्रविधि (technique) का प्रमाण मिलता है।

सुश्रुत संहिता में चारों ओर से सीने (छिन्वेत सूत्रेण सूत्रेण) का वर्णन है। वैदिक साहित्य में पगड़ी को 'उष्णीय', जूरी के काम वाले लहंगे को 'नीवि' तथा निवाह के समय के बस्त्रों को 'वाधूय', वस्त्र के नाँचे लगने वाली भालर या गोटे को 'नूर' कहा गया है।

महाभारत में मोती के भालर से टँके वस्त्र को 'मणिकीर' लिखा गया है। बौद्ध, पाली, जैन आदि साहित्य में भी भारत की कलात्मक बुनावट का निरण मिलता है। इस काल की एक पुस्तक में वाराणसी के 'कीपेंकर' वस्त्र का उल्लेख है जिसका मूल्य प्रायः १ लाख रुपये होता था। इसी वस्त्र के बारे में वाइविल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी 'शन्नु' शब्द का प्रयोग हुआ है।

गुजराती महाकवि कलिदास ने निवाह काल में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों को 'हस चिह्नित ध्रुवल' कहा है। महाकवि वाण ने बहुमूल्य वस्त्रों की कलात्मक बुनावट का विस्तृत निरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने राज्यधरी के निवाह के लिए तैयार किये हुए वस्त्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'रेशम, रई, ऊन, सँर के केंचुली के समान महान, स्वाँस से उड़ जाने वाले, स्वर्ण से भी अनुमेय और इन्द्र-धनुष के रंग वाले कपड़ों से घर भर गया।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'सूत्राध्यक्ष' नामक एक बड़े कर्मचारी कार्यकर्ताओं का विल्लत विवेचन है। शुक्रनीति में भी 'वस्त्रय' नाम के कर्मचारी का उल्लेख है जिनका

काम ऊन, रेशम आदि के कपड़ों की माँग, उनकी उपज तथा अन्य विस्तृत जानकारियाँ रखना और व्यवस्था करना था।

ढाँके की मलमल तो इतिहास प्रसिद्ध वस्तु है, जिसके बारे में अँगूठी के छेद में से २० गज लम्बा और एक गज चौड़ा धान को निकालना, आठ तह लपेटे लकड़ी को भी औरगलेज का डाटना तथा ७५ गज मलमल का पीने दो रस्ती बजन तक का होना सर्वसिद्ध है। महोदय ब्रुकनेनन के शब्दों में “ढाँके की मलमल जिसे ‘बुनी हवा’ (Woven wind) कहते थे, ४०० से अधिक वाउन्ट्स की बनती थी तथा एक पूर्ण निश्चित युग्म के लिए बड़ी साड़ी एक अँगूठी के अन्दर से निकाली जा सकती थी।”^१ फ्रांस में भारतीय मलमल के अनेक बिक्रिपूर्ण नाम लिख्यत हैं जैसे ‘बुनी हवा’ (Woven Air) तथा ‘रसती पहाड़’ (Raining Water)। मुगल दरबारी कवियों की रचनाओं में कपड़े के जाले, बहता पानी, शम्भन या ओस की बूँद से समानता पाते हैं।

एक प्राचीनी कलाविद का मत है कि ३० कुबिट्स लम्बाई का साफा हाथ पर लेने से अनुभव ही न हुआ। १५ गज मलमल का बजन कुल १०० ग्रेन देखाकर भेरी आस फटी रह गई। अफ्रीका के इतिहास में उल्लेख है कि भारतीय बकों के मूल्य में वस्त्र का बजन से चौगुना सोना दिया जाता था।

यहाँ तक नहीं, इतिहास का मत है कि ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भी भारतीय मलमल को मिश्र के ममीज़ (Egyptian Mummies) के आवरण के लिए बुना जाता था। रोम में भारतीय कपड़े की खपत होती थी तथा यूनानियों को ढाँके की मलमल ‘गनेटिका’ का नाम से ज्ञात थी।

डैनियल डेफो के मतानुसार इंग्लैंड के हर घर में भारतीय वस्त्र का प्रवेश हो गया था। भारत के छोट के कपड़े हर एक महिला के पेटीकोट के लिए प्रयुक्त होने लगे थे। स्वयं महारानी भी कैलिको (कालीस्ट) के कपड़े पहन कर प्रसन्न होती थीं। पदों, गदियों और कुर्शियों के गिलाफों आदि के लिए भारतीय वस्त्र ही प्रयुक्त होने लगे थे। डा० राधर्टमन ने तो यहाँ तक लिखा है कि वस्त्रोद्योग के कारण भारत में सोना और चाँदी दूसरे देशों से डुला चला आया था।

प्राचीन भारतीय कारीगरों की प्राविधिक (technical) योग्यताएँ एवं कुशलता प्रोफेसर वेबर का कहना है कि “भारतीय सदैव से बहुत महीन कपड़ा बुनने, रंगों को मिलाने, सगलराशी व लोहा काटने की कुशलता से लिए जगत प्रसिद्ध रहे हैं।”^२ योरोपीय सभ्यता के आदि विकासशील देश यूनान (Greece) के निवासी

^१ ब्रुकनेनन, पृ० १६४

^२ In Industrial Commission Report

हेरोडोटस (Herodotus), मेगस्थनीज (Megasthene) तथा प्लिनी (Pliny) जैसे विद्वानों ने भारतीय वस्त्रों की मुक्तकट से प्रशंसा की है।

प्राचीन युग में प्रचलित कुछ प्रमुख कुटीर-उद्योग इस प्रकार थे :—

(१) दाना और मछलीपट्टम के आसपास सूती कनाई और बुनाई के उद्योग
(२) पारसीर का ऊनी वस्त्र उद्योग जहाँ कि दुबाले और बाँगे बनाने जाते हैं;

(३) आगरा, मिर्जापुर, मुल्तान, लाहौर इत्यादि का रानीचा उद्योग,
(४) मुर्शिदाबाद, नगलौर, मर्णापुर इत्यादि का किल्न कताई एवं मिलाई उद्योग, तथा

(५) लखनऊ का जूरी उद्योग, इत्यादि, इत्यादि।

इन उद्योगों की प्रशंसा सारे सभार में की जाती थी।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की अवनति के कारण

कुटीर एवं लघु उद्योगों की अवनति के अनेक कारण थे। कुछ प्रमुख कारणों का लक्ष्य निम्नलिखित इस प्रकार है—

(१) राजाओं एवं नवाबों का अन्त—प्राचीन भारतीय शासक लोग इन उद्योगों द्वारा रानी वस्तुओं को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देते थे ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ साथ प्राचीन भारतीय शासकों का लोप होना गया जिसके परिणामस्वरूप कुटीर एवं लघु उद्योगों का आर्थिक, प्रोत्साहन, संरक्षण एवं रक्षण के प्रधान स्रोत भी समाप्त हो गये।

(२) विदेशी सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति—अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की विशेष्यायी धारण बर्ती हुई थी। १८१७ में डा० रामर्टसन ने लिखा था कि 'भारत में चीना-बाँदी दूसरे देशों से हुआ चला आता है। पूर्वी का कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत से कपड़ा की माँग न करने हों।' १७०२ में भारत से १०,५६,७२५ पौंड मूल्य का वस्त्र बजल इंग्लैंड भेजा गया था। पर ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत की वस्त्र उद्योग कम्पनी उन्नति आरम्भ लगी। हर तरह से कुटीर उद्योगों को नरनाद दिया जाने लगा। १८१३ के कार्टर वाक्सल व अन्तर्गत इंग्लैंड का वस्त्र भारतीयों के गले मढ़ा जाने लगा। मिस्टर रीड ने एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, 'कम्पनी को इंग्लैंड का रना कपड़ा भारत में जनदस्ती बेचना चाहिए और उसके बदले में भारत की एक भी चीज को नहीं लेना चाहिए।'।

यहाँ तक नहीं, भारतीयों को भी विदेशी वस्तुओं को प्रयोग में लाने के लिए

विक्रय किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने वालों को 'भारत सरकार द्वारा द्रोही' घोषित किया गया।

(३) पारचात्य सभ्यता का प्रचार—भारतवर्ष में विदेशी शासन के प्रारम्भ हो जाने से देशवासियों की रुचि एवं पैशन में परिवर्तन हो गया, जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग कम हो गई और एक समय चलने चलने वाले उद्योगों पर कुटाराघात हो गया।

(४) मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—देशी तथा विदेशी मशीनों द्वारा निर्मित माल की प्रतियोगिता का कारण कुटीर उद्योगों में अनेक समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं और अन्त में इनका पतन हो गया। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएँ सस्ती, प्रमाणित एवं सुदौल होती हैं। जनता स्वभावतः इन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाती है।

(५) यातायात के साधनों में सुधार एवं विकास—यातायात के साधनों में विकास हो जाने का कारण विदेशी माल देश के कोने कोने में जाने लगा। गाँव के थरैलू धंधे भी नगरों की दस्तकारी की भाँति नष्ट होने लगे। प्रायः यातायात एवं सड़क वाहन के साधनों की उन्नति होने से प्रत्येक देश की आर्थिक दशा सुधरती है, परन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष की दशा निगड़ती चली गई। इसका कारण यह था कि इस देश में इन साधनों का विकास देश की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। रेल, तार, डाक, सड़कें, जहाज सड़क निर्माण और उनके संचालन की नीति एक ही थी—अंग्रेजी व्यापारिक माल की वृद्धि और तैयार माल को इस देश में सपाना।

(६) प्राचीन आत्मनिर्भरता का अन्त—विदेशी शासन का पूर्ण हमारी प्राचीन अर्थ-व्यवस्था (economy) की विशेषता आत्मनिर्भरता (self-sufficiency) थी, अर्थात् वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करत थे। परन्तु अब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। फलस्वरूप प्राचीन कुटीर एवं लघु उद्योग धंधे नष्ट हो गए।

इस प्रकार भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों का विनाश हो गया, विदेशी व्यापार बढ़ गया और भारतीय कलाकारों की उत्कृष्टता की गतें ऐतिहासिक कहानियाँ ही बनकर रह गईं। भारतीय अपनी अति आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति के लिए भी विदेशों का मुहताज हो गये। यह है कुटीर एवं लघु उद्योगों का विनाश की यह ददनाक पहचानी जो भारतीयों का हृदय में रुद्ध पैदा करता रहेगी।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ

वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुटीर एवं लघु स्तर के उद्योग अपने गौरवपूर्ण

अतीत को लो लुप्त है। कुछ दलकारियों को निरुत्तल समाप्त हो गइ है और उक्त मृत्प्राय अरुस्था में है। इन उद्योगों क सामने कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं, जिनका दूर करना इनको जीवित रखने क लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथा गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर उन सभी समस्याओं का अध्ययन व हल आवश्यक है जो कि इन उद्योगों का प्रगति में बाधक हैं। प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं —

- (१) वित्त (finance) की समस्या,
- (२) कच्चे माल की समस्या,
- (३) निर्यात (marketing) की समस्या,
- (४) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (training and research) की समस्या

- (५) दारुपूर्य उत्पादन प्रणाली,
- (६) प्रमापीकरण (standardisation) का अभाव,
- (७) मिलाई द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रतियोगिता,
- (८) सुरक्षा (protection) का अभाव,
- (९) पयात शक्ति (power) का अभाव, तथा
- (१०) अन्य समस्याएँ।

(१) वित्त की समस्या—कुटीर एवं लघु-उद्योगों क लिए वित्त अथवा पूँजी एक अत्यन्त आवश्यक व अल्पिन समस्या है। साधारण कारीगर इतना निर्धन एवं दरिद्र हैं कि वह अपने उद्योग क लिए न तो औजार ही खरीद सकता है और न कच्चा माल हाँ। मध्यम एवं इस्ट इन्डिया कम्पनी क प्राथमिक काल में मयूरतो, महाजनई और साहूकारों न कारीगरों का पयात शरण किया था। वही प्रथा आज भी अरिवाय में प्रचलित है। कारीगरों की पूँजी में कोई सात (credit) नहीं होती और न अभी उन्होंने सहकारी श्रमण-समितियों का ही पर्याप्त समझन किया है। इस अतिरिक्त लघु उद्योगों क पास संयुक्त सन्ध प्रमडला (J S Cos) की मॉडि पूँजी प्राप्त करने क साधन भी अत्यन्त नहीं होते, क्योंकि इनक द्वारा निर्मित (issued) अणु-पत्रों को काड प्रय ही नहीं करता है।

इस प्रकार आर्थिक सहायता क अभाव में देश में लघु उद्योगों को नहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से कारीगर तो पूँजी क अभाव में अपने वरु परम्परागत उद्योगों को छोड़कर कारखानों में मजदूर बनने क लिए विवश हो गये हैं। ऐसी स्थिति में आनश्यन है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों क अथान एवं विकास क लिए वित्त की समस्या को हल किया जाव।

(२) कच्चे माल की समस्या—जब से देश में कड़े पैमाने के उद्योगों का अथानता दी जाने लगी है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो

गया है, क्योंकि सर्वप्रथम कच्चा माल उड़े पैमाने क उद्योगों का दिया जाता है और यदि कुछ शेष रह जाता है तो वह इन उद्योगों का दिया जाता है। कच्चे माल की समस्या निम्न तीन कारणों से और भा जटिल हो जाता है। प्रथम, ता कच्चा माल कम व अर्थात् मात्रा म मिलता है, द्वितीय, उतरी किम्ब (quality) भी निम्नतर होती है, तृतीय, कारीगरों को प्राय कच्चे माल क लिए अधिक मूल्य भी देना पड़ता है क्योंकि इनका खरीद छोड़ी मात्रा म होती है। इसक अतिरिक्त कारीगरों क वाद् संगठन नहीं है, अत उननी सामूहिक क्रय शक्ति भी कम होती है।

इस समस्या का एक मात्र हल यह है कि कारीगरों को सहकारिता क आधार पर संगठित करके उनकी सामूहिक क्रय शक्ति (collective purchasing power) का उदाया जाय। इसम सरकार प्रसुत रूप से सहायक हा करती है।

(३) विपणन (Marketing) की समस्या—विपणन क द्वार उद हो जाने क कारण कुटीर एव लघु उद्योगों को प्राथमिकत क्षति उगनी पड़ी है। कारीगरों को अपनी कोई सस्था नहीं, जो तैयार माल को बचने म सहायक हो सन। उसे बाजार का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। साधनहीन होने क कारण उसे विदश होकर अनुचित मूल्य पर अपना माल बेचना पड़ता है। मध्यस्थ जैसे अडलिया, दलाल इत्यादि उसका और शोषण करत हैं। उहुभा उसे अपना माल महाजन क हाथ बेचना पड़ता है, जो मनमाने दाम लगाता है।

इस दयनीय दशा को सुधारने के लिए यही कदा जा सकता है कि इन उद्योगों को अपने माल की विराम में सुधार करना चाहिए, सहकारी सधों की स्थापना करनी चाहिए, उत्पादन-व्यय म मितव्ययता करना चाहिए, साथ ही रज्य व जनता का चाहिए कि कुटीर-उद्योगों को सरक्षण प्रदान करें। योजना आयोग (Planning Commission) क मतानुसार सरकार को चाहिए कि अपने लिए 'स्टोर' की खरीद करके तथा आयात को समान्त करके इन उद्योगों को प्रोत्साहित कर और उत्पादन प्राविधि (technique of production) में सुधार कर।

(४) प्रशिक्षण एव अनुसन्धान—कुटीर एव लघु उद्योगों की पिछड़ी हुई अरस्था का प्रमुख कारण प्रशिक्षण एव अनुसंधान का अभाव है। प्रशिक्षण एव अनुसंधान क अभाव में ये उद्योग निला की प्रतिस्पर्धा (competition) क विरुद्ध टहर नहीं पात। अनुसंधान द्वारा ऐसे श्रोतारों का आन्तरिक विराम जाता है जो सल, सैल और देश क अनुकूल हा, उत्पादन म वृद्धि हा और निम्न म सुधार हा।

उररोक दोनों को दूर करने क लिए कारीगरों का प्राविण एव औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था अयन आवश्यक है। विभिन्न रज्य में अनुसंधानशाखाया (Research Laboratories) की व्यवस्था हाना चाहिए।

(५) दोपपूर्ण उत्पादन प्रणाली—भारतनर्प में कुटीर एवं लघु उद्योगों में अधिकांश कारीगर उत्पादन की प्राचीनतम विधियों का ही अनुसरण करते हैं। विश्व की प्रगति व साथ-साथ उत्पादन की प्रविधि (technique) में निरन्तर में बड़े-बड़े परिवर्तन एवं क्रान्तियाँ हो गई हैं, परन्तु भारतवर्ष में इस दृष्टि से बहुत कम प्रगति हुई है। फलस्वरूप लोग उनके निर्मित पदार्थों का उपयोग करना कम पसन्द करते हैं। कारीगरों की कार्यक्षमता (efficiency) भी बहुत कम होनी है। उत्पादन की मात्रा भी कम होनी है। परिणामस्वरूप ये पदार्थ कारखानों द्वारा निर्मित पदार्थों के सामने टिक नहीं पाते हैं।

ऐसी अनरथा में इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जापान, फ्रान्स, स्वीडन एवं डेनमार्क तथा स्विट्ज़रलैंड इत्यादि देशों में प्रचलित पद्धतियों का अध्ययन करके अपने देश के धर्मा में उनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से शिक्षण, प्रदर्शन, यात्राओं, छात्रवृत्तियों, अनुसन्धानों तथा प्रदर्शनीयों इत्यादि को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस कार्य में कारीगरों की सहकार्य-संस्थाओं तथा सरकार, दोनों का प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

(६) प्रमाणीकरण (standardisation) की समस्या—वस्तुओं की किस्म एवं मात्रा का प्रमाणीकरण (Standardisation) न होने की अवस्था में उनका बाजार विस्तृत नहीं हो पाता। देश की सहकारी समितियों को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये और प्रमापित (standardised) वस्तुएँ बनाने वाले निरोपकों से कारीगरों को परिचित कराना चाहिए। सरकार भी इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकती है। जापान तथा स्विट्ज़रलैंड व दृग पर भारत में भी सहकारी समितियाँ द्वारा नियुक्त निपुण निरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कुटीर-उद्योग के क्षेत्र में होना चाहिए।

(७) मिला द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—मिल की मनी हुई वस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। अतः वे सस्ती, प्रमापित व प्रचुरता में होती हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा मनी वस्तुएँ उनके सामने टकर नहीं पाती।

सरकार को चाहिए कि कुटीर एवं लघु उद्योगों को जीवित रखने के लिए दोनों प्रकार के उद्योगों का निर्माण अथवा उत्पादन-क्षेत्र निर्धारित कर दे। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये जिससे इन दोनों प्रकार के उद्योगों—कुटीर तथा मिल—में सहकारी सम्पर्क स्थापित हो सके।

(८) संरक्षण (Protection)—भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को न केवल आन्तरिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है बल्कि ग्राह्य (विदेशी) प्रतियोगिता का भी। विदेशों के उद्योग धन्ये इतने उन्नत हो चुके हैं कि उनका मुकामला कुटीर-उद्योगों द्वारा करना सम्भव नहीं।

सरकार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सरक्षण प्रदान करना चाहिए और आयात की गई वस्तुओं पर इतना आयात उप कर (import duty) लगाना चाहिए जिससे वे देश की वस्तुओं की अवेक्षा में पहुँची पड़ें।

१- (६) पर्याप्त शक्ति का अभाव—वैज्ञानिक आविष्कारों की देनस्वरूप निजली का सर्वत्र प्रयोग होने लगा है। कुटीर एवं लघु उद्योग भी कोई अपवाद नहीं। परन्तु इन्हें पर्याप्त निजली उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि इसकी लागत वे चुमा नहीं पाते।

नियुक्त शक्ति की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह कुटीर उद्योगों को पर्याप्त निजली सस्ती दर पर प्रदान करे।

(१०) अन्य समस्याएँ—उत्पुक्त प्रमुख कठिनाइयों के अनिश्चित कुछ अन्य ऐसी भी समस्याएँ हैं जो या तो इन उद्योगों के पतन का कारण हैं अथवा उनकी निर्माण प्रगति में बाधक हैं, जैसे स्थानीय कर, रेल माफ़ा (Railway freight), चुगी, समाज का हेय दृष्टिकोण इत्यादि। सरकार व जनता को इन समस्याओं का भी निवारण करना चाहिये।

सरकार द्वारा प्रयत्न

(Government Measures)

कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए विदेशी सरकार ने भी कुछ प्रयत्न किये हैं, परन्तु यदि उस विकास को विकास कहा जाय तो 'विनास' शब्द का अर्थ ही बदल जाय। सन् १९१४ में व्यावसायिक विकास की एक संस्था स्थापित की गई थी। परन्तु संस्थाओं को स्थापित करने से ही विकास कार्य यदि सम्भव हो जाय तो फिर कहना ही क्या? इन उद्योगों के विनास का तो फेंकल हींग रचा गया, परन्तु वास्तव में तो विनास कार्य की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। इंग्लैंड को बच्चे गाल की आय शक्यता थी और भी आवश्यकता बाजार की। अतः उसने इसी के अनुकूल अरनी नीति भी बना ली थी।

स्वदेशी आन्दोलन की चिनगायी ज्वाला के रूप में परिणत हुई और कुटीर उद्योग ने बल पाया। विदेशी बन्धा की होनी जलाई गई और स्वदेशी बन्धा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। विदेशी सरकार को कुछ भय हुआ और उसने पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष पाँच करोड़ तक यह उद्योगों के विकास के लिए खर्च करने का प्राश्नासन दिया। सन् १९३४ में प्राचीन उद्योग संस्था की स्थापना की गई, परन्तु उसका कुछ अन्त ही गया। सन् १९३५ में प्रत्येक प्रान्त (राज्य) में उद्योग विभाग की स्थापना की गई। इसने अनिश्चित इसी वर्ष 'अप्रिल भारतीय प्रामोद्योग मण्डल' की स्थापना कांग्रेस के तत्वावधान में हुई। सन् १९३६ में 'राष्ट्रीय योजना समिति' ने भी

भारतीय कुटीर उद्योगों के उत्थान के सपनों पर विचार किया। युद्धोपगत योजनाओं में देश में 'बुल्डोस्टर रिपोर्ट' का भी महत्व है, जिसने उद्योगों के विकास के लिए एक नवीन शिक्षा योजना देश के समक्ष रखी।

स्वतन्त्रता के उपरान्त

१५ अगस्त, सन १९४७ को जब हम स्वतन्त्र हुए, तब तब अर्थकार की चादर हमारे मानस पटल से उतर चुकी थी। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को समझा।

(१) लघु उद्योगों के विकास में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना सरकार ने दिसम्बर १९४७ में आरम्भ किया जब नई दिल्ली में भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९४८ में एक 'कुटीर उद्योग बोर्ड' और एक 'कुटीर उद्योग डायरेक्टर' की स्थापना की। १९५२ के अन्त में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों के लिए विशेष बोर्डों की स्थापना हान पर 'कुटीर उद्योग डायरेक्टर' का नाम बदल कर 'लघु उद्योग डायरेक्टर' रखा गया और लघु उद्योगों के विकास का काम सौंपा गया।

१९४८ में भारत सरकार ने एक 'शिष्टमण्डल' जापान भेजा। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास में वहां किये गये उपायों का अध्ययन करना और भारतीय श्रम स्थाओं के उपयुक्त कुछ छोटी मोटी मशीनों को खरीदना था। इस शिष्ट मंडल ने कुछ जापानी विशेषज्ञ भर्ती किये और अनेक प्रकार की मशीनें खरीदीं। अरब की सराय तथा हरदुआगञ्ज आदि स्थानों पर इन मशीनों के प्रयोग किये गये। बहुत-सी मशीनें भारतीय श्रमस्थानों के अनुकूल सिद्ध नहीं हुईं। कुछ राज्य सरकारों ने भी जापान को 'शिष्ट मंडल' भेजे परन्तु उसका भी वही परिणाम हुआ।

(२) कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था—राज्य सरकारों ने कारीगरों को प्रशिक्षण देने का काम आरम्भ किया और वेकार व्यक्तियों को तरह-तरह की वस्तुएँ बनाना सिखाया। बम्बई, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जैसे बड़े राज्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ रोचक परीक्षण किये और शिक्षण मालाएँ, प्रदर्शन केन्द्र और शिक्षण दल, शिक्षण सह-उत्पादन कन्द्र और उम्मेदवार शिक्षार्थी प्रणाली आदि चालू कीं। कुछ राज्यों ने छोटे उद्योगों के उत्पादकों को अपनी अपनी कुछ आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए ऊँचे दामों पर खरीदने का निश्चय किया। इसी हेतु केंद्रीय सरकार ने ४ लघु-उद्योग शालाएँ तथा उसकी ४ शाखाएँ खोलने का प्रयत्न किया है। ये क्रमशः बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नै, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होंगी।

(३) पर्यवेक्षण (Survey) की व्यवस्था—लघु उद्योगों के विषय में आँकड़े

सम्बन्धी जानकारी का भारी अभान था। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ लघु उद्योगों की स्थिति का पर्यवेक्षण कराने का प्रयत्न किया। भारत सरकार ने भी १९५० में नमूने के तौर पर अलीगढ़ जेन का पर्यवेक्षण कराया। एक दो राज्यों में परीक्षात्मक और प्रवेष्टा शालाएँ खोली गयीं जिससे लघु उद्योगों में काम आने वाले औजारों और निर्माण प्रणालियाँ म सुधार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक नवीनतम योजना बनाई है जिससे अनुसार 'इटागा प्रोजेक्ट' के अनुकरण पर कुटीर उद्योगों के लिए भी एक 'पाइलेट प्रोजेक्ट' की स्थापना की जा रही है। यह योजना भारत में अपने प्रकार की सर्वप्रथम पर्यवेक्षण योजना है।

(४) विपणन की व्यवस्था—कुटीर उद्योगों के द्वारा निर्मित पदार्थों के विपणन व वितरण के लिए भी राज्य की ओर से प्रयत्न किये जा रहे हैं। सहकारी विपणन (Marketing) समितियाँ की स्थापना इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। इस कार्य के लिए केंद्रीय सरकार ने अप्रैल सन् १९५६ में 'केंद्रीय कुटीर उद्योग इम्पोर्टिंग' की स्थापना की है। यह देशी एव विदेशी माँग द्वारा कुटीर उद्योगों का माल के विक्रय में सहायता देकर प्रोत्साहन देता है। इस 'इम्पोर्टिंग' ने कुटीर उत्पादन के विज्ञापन के लिए संयुक्त राज्य, लक्का, अफगानिस्तान, जापान, न्यूजीलैंड आदि देशों में प्रदर्शनों का आयोजन किया जिससे यहाँ की माँग से लाभ हो सके।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, कश्मीर, असम, पंजाब तथा बम्बई राज्यों में भी इसी प्रकार के 'इम्पोर्टिंग' खोले गये हैं, जो देश की विभिन्न प्रदर्शनों में माल के विज्ञापन के हेतु दुबान रखते हैं। इस प्रकार के इम्पोर्टिंग प्रत्येक प्रदेश में खोले जाने चाहिए।

इसके अनतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों अपने उपयोग के लिए इन उद्योगों का माल खरीदती हैं।

(५) ऋण की व्यवस्था—सन् १९५६ ५० के वित्तीय वर्ष से भारत सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान तथा ऋण देकर राज्य सरकारों की सहायता करनी आरम्भ कर दी है। राजकीय अर्थ प्रगल्भ विधान के अन्तर्गत कुछ राज्यों में अर्थ प्रगल्भ बनाये गये हैं। राज्य सरकारों कुटीर उद्योगों को कुछ आर्थिक सहायता 'राज्यीय औद्योगिक सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत देती हैं, परन्तु यह अस्थायी है।

इस कार्य के लिए केंद्रीय बैंकिंग ब्रांच समिति के अनुसार सफ़ाई सार्व समिति का स्थापना की जानी चाहिये, जो समितियों के लिये कुटीर उद्योगों को ही सार्व मुक्ति देने का कार्य करें तथा अपने सदस्यों को सम्झौतों पर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मुक्ति दें। इसी हेतु नवम्बर १९५४ में लघु उद्योग निगम (Corporation)

(२) सम्पत्ति रहन रखकर श्रृणु देने की प्रणाली चलाई जाए।

(३) जॉर्जिंग वाली पूँजी के लिए सरकार पर्याप्त धन अलग निधारित कर दे।

(४) आधुनिक मशीनारी और उपकरणों (equipments) को खरीदने के लिए क्लिप्स द्वारा श्रदा होन माल श्रृणु की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(५) लघु उद्योगों के श्रृणु सम्बन्धी आनंदन-पत्रा पर कार्रवाई करने के लिए एफ उद्युक्त समग्र तन्माल स्थापित किया जाए।

इन सब सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और ७ जून १९५४ को इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। २ नवम्बर १९५४ को विनास कमिशनर की अध्यक्षता में 'लघु-उद्योग बोर्ड' की स्थापना हुई। इस बोर्ड का विचार में अन्वयन प्रणाली पृथक् म किया गया है।

लघु उद्योगों के विकास की सुविधाएँ

लघु उद्योग धर्म विरहित ढंग से चलत-भूलते हैं, अतः उनकी उत्पत्ति का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों पर है। पर राज्य सरकारों के साधन सीमित हैं, अतः कन्ट्र इनको सँभालने के लिए धन की सहायता देता है और देशव्यापी नीति बनाता है।

सरकार लघु उद्योगों को हर काम में सहायता देती है। यह उद्योगों की योजना करने से लेकर माल नान के लिए मशीनरी और शिल्प सम्बन्धी सलाह देने, कारीगरों को काम सिखाने, मशीनों खरीदने और पूँजी ढ़ाने के लिए सहायता देने, कारखाने के लिए जगह दिलाने और माल विक्राने तक हर काम में मदद देती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गए कामों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

नवम्बर १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक 'विकास आयुक्त' (Development Commissioner) की नियुक्ति की। यह आयुक्त (Commissioner) 'लघु उद्योग बोर्ड' का एक सदस्य भी होगा है। इस आयुक्त की ओर से कई प्रकार का सामान तैयार करने के छोटे उद्योग मालिकों को आमंत्रण भेजा जाता है। विद्युत् तीन बरों में इस प्रकार के ३६० नमूने की योजनाएँ बना कर दी गई हैं। इस प्रकारिके माल बनाने के तरीकों में सुधार करने के मार में जानकारों देने वाले कई 'बुलटिन' भी निकाले गये हैं।

इसके अतिरिक्त लघु-उद्योगों के विकास के लिए अन्य समग्र इस प्रकार हैं :

(१) रीजनल स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट्स—ये संस्थाएँ देश के चार केन्द्रों—दिल्ली, मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता—में स्थापित की गईं। इन संस्थाओं का काम छोटे उद्योगों की इकाइयों को उत्पादन में सुधार, विपणन तथा प्रौद्योगिकी प्रविधि (technique) में सलाह प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त वे औद्योगिक इकाइयों को मशीनरी, श्रृणु तथा फल्ला माल भी प्रदान करते हैं। संस्थाओं के अनुसार इन संस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

की स्थापना की गई है, जो इन उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक समस्याओं को हल करेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने जुटीर उद्योगों को उनके विकास के लिए प्रान्तीय सहकारी बैंकों के माध्यम से २% ब्याज पर १५ मास की अवधि तक आर्थिक सुविधाएँ देने का विशेष प्रायोजन किया है, परन्तु इस कार्य के लिए औद्योगिक सङ्गठितियों की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे जुटीर उद्योगों की आर्थिक, बल्बे माल की तथा निर्मित माल की विक्री की समस्याएँ हल होकर उनकी नींव सुदृढ़ हो सके।

(६) राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन की स्थापना—राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन की संयुक्त स्वयं प्रमोटल (J S Co) के रूप में ४ फरवरी सन् १९५५ को रजिस्ट्री की गई। इसकी सम्पूर्ण पूंजी सरकार ने लगाई है।

इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उत्पत्ति करना, उनको संरक्षण, आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता देना है। यह कारपोरेशन फल ऐसे लघु-उद्योगों को सहायता देगा जो शक्ति का प्रयोग करते हैं एवं जिनमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हैं अथवा जो शक्ति का प्रयोग न करते हैं, परन्तु उनमें १०० से अधिक व्यक्ति काम न करते हैं तथा उनकी पूंजी ५ लाख रुपये से अधिक न हो।

इसके निम्न कार्य हैं—

(१) सरकारी आदेशों का समुचित हिस्सा लघु-उद्योगों को दिलाना।

(२) जिन उद्योगों को ऐसे आदेश मिले हैं उनका आदेशों की पूर्ति के लिए आवश्यक आर्थिक एवं शिल्पिक सहायता देना।

(३) संगठित एवं लघु उद्योगों में सामंजस्य लाना, जिससे लघु उद्योग संगठित उद्योगों की पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

(४) लघु उद्योगों के बैंकों अथवा अन्य संस्थाओं से मिलने वाले श्रेणियों की जमानत देना तथा अभिगोपन (underwrite) करना।^१

(५) फोर्ड फाउण्डेशन योजना—सन् १९५३-५४ में भारत सरकार ने लघु उद्योगों की उत्पत्ति के लिए फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से विदेशी निरापत्ता का एक दल नियुक्त किया। ये निरापत्ता अमेरिका तथा स्वीडन का था। इस दल ने भारत के लघु उद्योगों के कर्जों का दौरा किया।

लघु उद्योगों की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दल ने निम्न सिफारिशें कीं—

(१) व्यापारी तथा सहकारी बैंकों और राज्य वित्त कारपोरेशनों को लघु-उद्योगों के लिए श्रेण्य देना चाहिए।

^१ इसका विवेचन अगले पृष्ठा में भी किया गया है।

(अ) वापारिक खनाया वाली सस्थाण तथा

(२) प्राविधिक (technical) खनाया वाली सस्थाएँ ।

सहायता फन्डा म सामूहिक रूप म दलाइ और कलइ करने की व्यर्था है । उत्पादन की विभिन्न क्रियाया न बारे म सस्थाया न कमचारी कारखाने वाला को व्यापक हारिक रूप म समभात हैं । य नमचार ऐसा भोग्यो को लेकर भिन्न भिन्न स्थानों वा दौरा करत हैं, जिनम अख्द औरजार गार मशानें लगी हाती हैं । इन मशाना की उप यामिता और हास काम लेना सिफान ह । राय सरकारा द्वारा नियुक्त अपसरों को भी इन सस्थाया म शिक्षा दी जाती है ।

(२) नशनल स्माल इण्डस्ट्रीन कारपोरेशन—इसकी स्थापना परमरी १९५५ म १० लाख रुपये की पूजी से प्राइवट लिमिटेड फर्मनी क रूप म कन्द्रीय सरकार द्वारा हुइ है । बाद म इसकी पूजी को बढ़ाकर ५० लाख रुपये कर दिया गया है । सम्पूर्ण पूजी कन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गइ ह ।

कारपोरेशन के कार्य

(१) हर राय क पिछड़ इलाका और जिला म लघु उद्योगा की स्थापना

॥ ।

(२) सरकारी आन्तरा (Orders) को लघु उद्योगा की इकाइया को दिलवाना ।

(३) ऐसी इकाइया का प्राप्त किये गय आन्तरा की पूर्ति क लिए आवश्यक श्रम तथा प्राविधिक (Technical) सहायता प्रदान करना ।

(५) इन उद्योगा द्वारा निर्मित वस्तुआ को विपणन (marketing) सम्बन्धा सुविधाए प्रदान करना तथा उनम अनुसन्धान करना ।

(६) क्रय विक्रय (hire purchase) योजना क अन्तगत मशीनें प्रदान करना ।

(७) विदेशा बाजारों म इन उद्योगा द्वारा निर्मित माल का प्रचार करना ।

(८) औद्योगिक और 'ननी म दो औद्योगिक बस्तिया (Industrial Estates) को बनवाना तथा उनका प्रचार करना ।

() औद्योगिक प्रसार सेवा (Industrial Extension Service)

छोट उद्योगा का मुफ्त प्राविधिक (technical), व्यावसायिक तथा प्रबन्धकीय सलाह देने के उद्देश्य से कन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक प्रसार सेवा की स्थापना की ह । उसकी सहायता क लिए सरकार ने चार 'कन्द्रीय लघु उद्योग सेवा सस्थाया' तथा १५ प्रमुख एवं शाखा सस्थाया और ६० प्रसार फन्डा (extension centres) की स्थापना वा है जो छोटी इकाइया (units) को उन्नत तात्रिक विधि आधुनिकता मशीने तथा उपकरण तथा स्थानीय कर्म माल क प्रयोग क सम्बन्ध म सलाह देते हैं ।

इसमें १४६ औद्योगिक प्रकार सेवा केन्द्र हैं। तृतीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या १,००० से अधिक हो जायगी।

(४) औद्योगिक बस्तियाँ (Industrial Estates)

योजना और संख्ये हुए कर्मचारियों के श्राव कारखाने की तीसरी जरूरत होती है जगह की। छोटे उद्योगों को शहरों की भीड़ भाड़ से अलग अछ्द्रा स्थान देने के लिए देश भर में औद्योगिक बस्तियाँ बनाई जा रही हैं। इन बस्तियों की स्थापना जनवरी १९५५ में 'स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड' की सिफारिश पर की गई है। प्रारम्भ में १० करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी, परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह धन-राशि बढ़ाकर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है। द्वितीय योजना के अन्त तक ६० औद्योगिक बस्तियाँ बन जायँगी जिनमें ७०० छोटे कारखाने होंगे।

इन औद्योगिक बस्तियों का मुख्य ध्येय बहुत से लघु उद्योगों के लिए कारखानों के निर्मित स्थानों (Built Factory Accommodation) की सुविधाएँ प्रदान करना है। इनके फलस्वरूप उद्योगों को सामान्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सुविधाओं जैसे आवश्यक विद्युत्, जल, गैस, वाष्प, रेलवे साइडिंग इत्यादि की प्राप्ति सुविधा से हो सकती है। इन सुविधाओं के एक ही स्थान पर केन्द्रित होने से यहाँ के कल-कारखानों को काफी लाभ होता है।

सम्पूर्ण देश में ११० औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की योजना है, जिनमें से ३६ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें ६०० शेड हैं। २४ अन्य बस्तियों में काम चल रहा है, और ३७ में जल्दी ही शुरु होने वाला है। इन बस्तियों की सारी लागत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को कर्ज के रूप में देती है।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बी० बी० गिरि ने 'ईस्टर्न यू० पी० चैम्बर ऑफ कामर्स', इलाहाबाद के समक्ष भाषण देते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि इससे ग्राम-वासियों की आर्थिक दशा सुधरेगी और बड़ी एव छोटी औद्योगिक इकाइयों में सामंजस्य होगा।^१

आर्थिक सहायता

लघु उद्योगों को धन की भी बहुत जरूरत होती है। उद्योगों को सरकारी सहायता सम्बन्धी अधिनियम के अधीन इन उद्योगों को केन्द्र और राज्यों की सरकारों से धन की सहायता मिलती है। राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भी लघु उद्योगों को रुपया देते हैं। 'राष्ट्रीय लघु उद्योग' भी अनेक प्रकार से लघु उद्योगों की सहायता करता है।

देश में आजकल विदेशी मुद्रा की बड़ी तंगी है। फिर भी लघु उद्योगों के लिए

^१ National Herald, August 19, '59, p 7.

आयश्चर्य सामान्य और मशीनें विदेशों से मँगाने की यथासम्भव आज्ञा दी जाती है। इस लिए आयात लाइसेंस लेने की भी विधि सरल कर दी गई है।

सरकार ने एक 'लघु अनुसन्धान मंडल' बनाया है जो छोटे उद्योगकारियों और कारीगरों को नई-नई चीजें खरीदने और बनाने या बताने के निवाले (invent) के लिए धन तथा अनुसन्धान की सुविधाएँ देता है।

दस्तकारियों की उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ

'अग्नि भारतीय दस्तकारी बोर्ड' की स्थापना नवम्बर १९५२ में हुई थी और अगस्त १९५७ में इसका पुनर्गठन किया गया। इस बोर्ड का काम सरकार को सामान्य तौर पर दस्तकारी उद्योग की समस्याओं पर परामर्श देना है।

इस वष अगिल भारतीय बोर्ड की दो बैठकें हुईं। इनमें से एक अगस्त १९५८ में और दूसरी दिसम्बर १९५८ में हुई। यह बोर्ड अपना काम अनेक समितियों की मार्फत करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 'स्थायी समिति' है, जिसने १४ सदस्य हैं। इसमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय दोनों का एक-एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है।

आलोच्य वष में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित ३६८ योजनाएँ की जाँच की गईं। भारत सरकार ने दस्तकारियों के विकास के लिए १९५८-५९ में ४० लाख रुपए अनुदान के रूप में और २० लाख रुपये श्रृंखला के रूप में केंद्रीय सहायता के तौर पर राज्यों का देन की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों द्वारा १९५९-६० की योजनाएँ तैयार करने के लिए, प्राथमिकताएँ के अनुसार सिद्धान्त तय कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार की योजनाएँ चालू करने के लिए कदम उठाये हैं। इनमें से अधिक महत्व का योजनाएँ ये हैं—

- (१) परम्परागत दस्तकारियों में प्रशिक्षण देना,
- (२) त्रिकी व्यवस्था के लिए भण्डारों की स्थापना, और
- (३) औद्योगिक सहायकी समितियों का निराकरण .

बोर्ड के कार्य

इस वष के दौरान में बोर्ड ने मोटे तौर पर निम्न कार्य किये—

(१) डिजाइन और प्रायोगिक केन्द्र—१९५७ में स्थापित किये गये प्रायोगिक केन्द्र चालू रहे और इनकी कुल संख्या २५ हो गई। प्रशासनिक मन्त्रालय के लिए २ प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना सम्बन्ध और मद्रास में की गई। सामान्य पैक बनाने के तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए करल एक नया केन्द्र मैसूर में आरम्भ किया गया।

बम्बई, कलकत्ता, पगलौर और मद्रास के चार क्षेत्रीय केन्द्र भी इस वष चालू रहे।

(२) त्रिकी व्यवस्था—अप्रैल १९५८ में अगिल भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी का

गई। देश के विभिन्न केन्द्रों में एक चलती फिरती प्रदर्शनी गाड़ी ने भी साधियाँ का प्रदर्शन किया। सौराष्ट्र की दस्तकारियों पर विचार विमर्श करने के लिए जनवरी १९५८ में निजी व्यवस्था सम्मन्धी एक छोटा-सा सम्मेलन सम्पन्न किया गया, जिसमें निजी मजदूरों व मनेजर्स, डिजायनर्स, निर्यातकों आदि ने भाग लिया।

मार्च १९५८ में अन्तर राष्ट्रीय निजी व्यवस्था सम्मन्धी एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। दो उद्योगों अर्थात् गलीचा उद्योग और ताँबा तथा पीतल की वस्तुओं के उद्योग के लिए एक कन्द्रीय दस्तकारी विपणन समिति की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों द्वारा विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य की महत्वपूर्ण दस्तकारियों के लिए चिह्नारूढ योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं। उत्पादकों, निर्माताओं और दस्तकारियों के व्यापारियों की एक निर्देशिका भी सफलित हो जा रही है।

(३) निर्यात सम्वर्द्धन—निर्यात के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस वर्ष (१९५८) 'इंडियन हैण्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' का निर्माण किया गया। इसकी अतिरिक्त पूँजी १ करोड़ रुपये है। यह कार्पोरेशन विदेशों में प्रदर्शनियों का समन्वय तथा निर्यातकों को विन्मेष सहायता देने का काम करने हाथ में ले लेगा, जिसे अब तक रोई करता था। अनेक विदेशी प्रदर्शनियों में बोट ने भाग लिया। निर्यातकों के एक रजिस्टर का सफलन किया जा रहा है और उनमें एक मासिक सूचक पत्र भी वितरित किया जाता है। निर्यातकों से निरन्तर विचार विमर्श किये जाते हैं और अमेरिका आदि देशों में बाजार सम्बन्धी अनेक गवेषणात्मक अध्ययन भी किये गये हैं। अक्टूबर-नवम्बर १९५८ में सरकार ने अमेरिका में हस्तकरघे और दस्तकारियों के उत्पादकों के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले उच्च अधिकारियों के एक दल को भारत आने का निमन्त्रण दिया।

(४) सहकारिता—दस्तकारी उद्योगों में सहकारिता आन्दोलन का विस्तार करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली, मद्रास, उड़ीसा तथा जम्मू और कश्मीर की वर्तमान सहकारी समितियों का एक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अन्य राज्यों से सूचना एकत्र की जा चुकी है। सहकारी समितियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए मार्च १९५८ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है।

(५) आयोजन और गवेषणा—हाथ द्वारा और मिल द्वारा कपड़े का उत्पादन के मध्य प्रतिस्पर्धा की समस्या पर अनुसंधान कार्य हो रहा है। अगली जनगणना में दस्तकारी उद्योग के बारे में जानकारी एकत्र करने के प्रयत्न हो रहे हैं। कारीगरों, व्यापारियों आदि की समितियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। निजी गवेषणा संस्थाओं, जिनमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सहायता से अन्य सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं।

(६) प्राविधिक (Technical) विकास—दिल्ली के प्राविधिक विभाग केन्द्र ने उत्पादक उद्योगों के तरीकों के निरूपण का कार्य आरम्भ कर दिया है। एक अधिकारी को अल्पमालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जागान भेजा गया है।

(८) प्रशिक्षण—मण्डारों के प्रगन्ध के निषय में विरोध प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किये गये और कम्बर्न के हैण्टीक्राफ्ट्स रीवर्स ट्रेनिंग कालेज को सहायता दी जाती रही। दलकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद और धारवाड़ की दो निजी संस्थाओं को भी सहायता दी जा रही है।

(८) प्रचार—‘भारत १९५८ प्रदर्शनी’ में भी दस्तकारी बोर्ड ने भाग लिया। भारत के प्रमुख हवाई अड्डा और होटलों में दस्तकारियों के उत्पादनों का प्रदर्शन करके प्रचार किया जा रहा है। बोर्ड ने बहुत सी सामग्री भी प्रकाशित की है।

(९) संग्रहालय—दिल्ली में बोर्ड का एक संग्रहालय भी है जिसमें १९५८ में प्रदर्शन योग्य नई वस्तुएँ रखी गईं।

(१०) विदेश से सहायता—दस्तकारियों के विवास के उद्देश्य से ६ विदेशी निरोपकों की नियुक्ति करने के लिए फोर्ड फाउण्डेशन ने ७५,०००० डॉलर का अनुदान दिया है। फोर्ड फाउण्डेशन ने बोर्ड को सहायता और परामर्श देने के उद्देश्य से

० डॉलर का एक और अनुदान दिया है।

बोर्ड की मार्फत १९५३-५४ से दस्तकारिया पर निम्न प्रकार व्यय किया

गया है —

वर्ष	मासिक व्यय (लाख ₹० में)
१९५३-५४	१४
१९५४-५५	१५.७१
१९५५-५६	२८
१९५६-५७	२७
१९५७-५८	५९.८३

इण्डियन हैण्टीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

दस्तकारियों के व्यापार सम्बन्धी प्रगन्ध को सारे देश के लिए एक प्रमाणशाली एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए, निर्यात सम्बर्द्धन पर विशेष जोर देते हुए, अप्रैल १९५८ में ‘इण्डियन हैण्टीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक सरकारी कम्पनी की स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इस कॉर्पोरेशन की अधिकृत पूँजी १ करोड़ ₹० और शुरू में जारी (निर्गमित) की गई पूँजी १० लाख रुपये है।

१९५८-५९ के वजत अनुदान में कॉर्पोरेशन के व्यय के सम्बन्ध में अग्र लिखित राशि रखी गई थी.—

	लाख रु०
कार्पोरेशन को अनुदान	११
ऋण (Loans)	८
अंश पूंजी (Share Capital)	१०

पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योग

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योगों को उचित स्थान प्रदान किया गया है, और इनके विकास के लिए विलुप्त योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन विभिन्न विकास सम्बन्धी क्रियाओं या व्यौरा सक्षेप में इस प्रकार है—

विभिन्न बोर्डों की स्थापना

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न छः बोर्डों (मंडलों) की स्थापना की गई है, जिनका कार्य अपने-अपने उद्योगों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करना तथा उनके विकास एवं उन्नति के लिए अपने सुभाव प्रस्तुत करना है—

- (१) अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड;
- (२) अखिल भारतीय हस्तशिल्पकला (दस्तकारी) बोर्ड;
- (३) अखिल भारतीय हाथ काया बोर्ड,
- (४) लघु उद्योग बोर्ड,
- (५) नारियल जटा (Coir) बोर्ड, तथा
- (६) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड।

(१) अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड

इस बोर्ड की स्थापना जनवरी १९५३ में हुई थी। १९५६ में इसका नाम बदल कर 'अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन' कर दिया गया। इसने खादी एवं नौ विशिष्ट ग्रामीण उद्योगों जैसे साबुन बनाना, तेल पेरना, धान से चावल निकालना, दियासलाई बनाना, हाथ का पागज बनाना, मधुमक्खी पालना, चमड़ा कमाना, आटा चक्की तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(२) अखिल भारतीय हस्तशिल्पकला (दस्तकारी) बोर्ड

इसकी स्थापना नवम्बर १९५२ में हुई थी। इसका कार्य विभिन्न भारतीय हस्त शिल्प कलाओं (दस्तकारियों) का विकास करना है। अप्रैल १९५८ में केन्द्रीय सरकार ने दस्तकारियों के व्यापारिक आधार पर उत्पादन तथा निर्यात के सहायतार्थ 'भारती' ?

हस्तशिल्प कला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना की है। इस निगम की अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है।^१

(३) अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड

इसकी स्थापना अक्टूबर १९५२ में हस्तकरघा उद्योग के विकास तथा निर्यात रूप से जुलाहों को सहायी समितियों में संगठित करने के उद्देश्य से की गई है। इस बोर्ड की क्रियाओं की अर्थ व्यवस्था सरकार द्वारा मिलों के यन्त्रों पर लगाये गये टाक्स (cess) से होती है। विपणन की सुविधा के लिए बोर्ड के अधीन केन्द्रीय विपणन सङ्घटन (Central Marketing Organisation) की स्थापना की गई है, जिसकी शाखाएँ मद्रास, अम्बई तथा बाराकसी में हैं।

(४) लघु उद्योग बोर्ड

इसकी स्थापना नवम्बर १९५४ में 'इन्टरनेशनल ज्ञानिग टीम ऑफ एक्सपर्ट्स' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। यह एक समन्वयक (co ordinating) और परामर्शदात्री (advisory) सस्था है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होने हैं जो कि विभिन्न सङ्घटनों की क्रियाओं का समन्वय एवं विकास योजनाओं का कार्यान्वय करते हैं।

(५) नारियल जटा बोर्ड

इसका निर्माण जुलाई १९५४ में 'कोयर इण्डस्ट्री एक्ट १९५४' के अन्तर्गत हुआ है। १९५७-५८ में इसका पुनर्निर्माण हुआ। प्रारम्भ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस लिए १ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु बाद में इसकी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता को देखकर इस धन-नाशि को बढ़ाकर १.७० करोड़ रुपये कर दिया गया। भारतीय सरकार ने द्वितीय योजना के अन्तर्गत 'एलपी' के निष्कर्ष 'कोयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट' की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

(६) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

इसकी स्थापना सन् १९४६ में हुई थी, परन्तु देश के सम्पूर्ण उद्योगों को इसका अन्तर्गत लाने के लिए इसका पुनर्गठन १९५२ में किया गया। इसका उद्देश्य सिल्क उत्पादन में वृद्धि एवं विकास तथा रेशम के बीड़े पालने (sericulture) की क्रिया में अनुसन्धान करना है।

विदेशी सहयोग (Foreign Collaboration)

भारतीय लघु स्तरीय उद्योगों के विकास में कुछ विदेशी सरकारों ने भी प्रयत्न नैय योगदान दिया है। केंद्रीय उद्योग मन्त्री ने अभी हाल में ही बताया है कि ओम्बला

^१ इसका विस्तार में अभ्ययन अगले पृष्ठों में किया गया है।

(दिल्ली) का 'इण्डो जर्मन मशीन टूल प्रोडो टाइप सेक्टर' १९६० तक तैयार हो जायगा। 'टी० सी० एम० सेंटर, राजकोट' में कार्य प्रगति पर है। कलकत्ते में एक फाउण्ड्री और लाइट इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार और जापान के बीच बातचीत चल रही है। भारतवर्ष में घड़ी उद्योग के लिए प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक 'स्विट्स दल' आने वाला है। गुण्डी (मद्रास) में सूक्ष्म औजार (Precision instruments) उत्पादन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार ने योग प्रदान किया है। इसी प्रकार 'इण्डो पोलिश' लघु-उद्योग केन्द्र के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

वित्तीय सहायता (Financial Aid)

प्रथम पंचवर्षीय योजना

इस योजना में केन्द्र द्वारा प्रारम्भ में १७ करोड़ रुपये का प्रावधान था। बाद में सादी एव हाथ करपा उद्योग के विकास के निमित्त सूती वस्त्र उद्योग पर उपकर (cess) लगाकर २० करोड़ रुपये और प्रदान किये गये थे। विभिन्न राज्यों में १२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

इन प्रावधानों के निपटीत इन उद्योगों पर व्यय की गई कुल धन राशि ४३ ७ करोड़ रुपये है। इसमें से ३३ ६ करोड़ रुपये कन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष १० १ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा दिये गये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये ३३ ६ करोड़ रुपये में से हाथ करपा उद्योग पर ११ २ करोड़ रुपये, सादी उद्योग पर १२ ३ करोड़ रुपये, हस्तशिल्प कला उद्योगों पर ८२ लाख रुपये, कौश कृमि पालन (sericulture) पर ६५ लाख रुपये, लघु स्त्रीय उद्योगों पर ४ ४ करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर २ ६ करोड़ रुपये, नारियल जटा उद्योग (coir industry) पर ३० लाख रुपये व्यय किये गये। ग्रामीण शिल्पों तथा उद्योगों के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं के क्षेत्रों में १ ८ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत कुटीर एव लघु स्त्रीय उद्योगों पर २०० करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया था। विभिन्न उद्योगों पर इस धन राशि का आनन्दन प्रगते पृष्ठ पर दिखाया गया है।

उद्योग	करोड़ रुपये
(१) हस्त करघा (Handloom)	५६५
(०) खादी	१६७
(३) ग्रामीण उद्योग	३८८
(४) हस्त शिल्पकला (Handicrafts)	६०
(५) लघु स्त्रीय उद्योग	५५०
(६) अन्य उद्योग	६०
(७) सामान्य योजनाएँ (प्रशासन, अनुसंधान इत्यादि)	१५०
कुल योग	२०००

अनुमान है कि द्वितीय योजना में इन उद्योगों पर करल १८० करोड़ रुपये किया गया है।

५ पंचवर्षीय योजना

श्री मनुभाइ शाह, कन्द्रीय उद्योग मंत्री ने सितम्बर १४, १९५६ को मैसूर व उद्योगपतिर्या की कान्फ्रेंस का उद्घाटन करत समय नताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर, लघु एव मध्य वर्ग व उद्योगों व विकास पर ६०० करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जायगा। करल कुटीर और लघु उद्योगों पर २५० करोड़ रुपये व्यय किय जावेंगे।^१

श्री शाह ने यह भी नताया कि पूर्व स्थापित किये गये छ बोरों को अधिक आत्म निर्भर बना दिया जायेगा और वे बोर्ड अपने अधिकारों को राजकीय बोरों को हस्तातरित कर सकेंगे, क्वाकि अधिक कन्द्रीयकरण से षोइ विशेष लाभ प्राप्त न हो सकेगा। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक सेवा संस्था (Small Scale Service Institute) स्थापित की जावेगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १००० से अधिक औद्योगिक प्रसार सेवा केंद्रों को स्थापित किया जायगा जिससे कि प्रत्येक ५००० से अधिक ग्रामादी वाले क्षेत्रों में कम से कम एक प्रसार सेवा केंद्र हो। इस समय इन केंद्रों की संख्या १४६ है।^२

उपसंहार

सरकार की उपयुक्त विभिन्न विकास योजनाएँ, प्रतिफल कुटीर एव लघु उद्योगों

^१ तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारूप, ६ जुलाई, १९६०।

^२ *National Herald*, Sept 16, '59

के प्रगति मार्ग पर बढ़ने की सच्ची हैं। अतीत का समृद्धिशीली भारत समय की विपन्नताओं के कारण एक जर्जर व शोषित राष्ट्र रह गया था, परन्तु आज समय के परिवर्तन के साथ साथ परिस्थितियाँ नयी लेजी से परिवर्तित होनी जा रही हैं। कुटीर एव लघु-उद्योगों का पुनर्विकास एव पुनर्स्थापन सफलतापूर्वक होना प्रारम्भ हो गया है। देश में ही नहीं विदेश में भी इनका द्वारा निर्मित वस्तुओं की चर्चा एव प्रशंसा पुनः होने लगी है। दिसम्बर १९५५ में बवालालमपुर (मलाया) में 'इण्डियन हैण्डलूम गुट्स इम्पोरियम' की स्थापना की गई है। 'इम्पोरियम' के अध्यक्ष का कथना है कि: "भारतीय चुनकर विश्व के अन्य निपुण चुनकरों में सबसे आगे हैं, कोई अति-शयोक्ति नहीं मालूम होती, क्योंकि पश्चिमी देश के कपड़ा बनाने वाले भी—जिनके पास सभी आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हैं—भारतीय हैंडलूम के कपड़ों के पक्के रंग, आकर्षक डिजायन तथा मजबूती का लोहा मानते हैं।"

न्यूजीलैंड की फैशन पत्रिका 'ट्रेपर' का भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों के सम्बन्ध में विचार है कि 'इन कपड़ों में विशेषकर हस्तकराधा ज्यादित सिल्क ने पश्चिमी सवार को हिला दिया है। भारतीय जरी सिल्क की कढ़ी साड़ियाँ, न्यूपाने के फैशन ग्लासिदों में 'इन्निङ गाउस' के रूप में नई प्रचलित होती जा रही हैं।'

वेलिंगटन नगर के भारतीय दूतावास के कार्यालयों में आयोजित एक प्रदर्शनी में भारतीय साड़ियों को पश्चिमी स्त्रों के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, दिखलाया गया था।

एक विदेशी फैशन विशेषज्ञ ने ठीक ही कहा है कि सुली प्रदर्शन के हेतु मुनहले एव स्पहले काम वाले वस्त्रों का प्रयोग आवश्यक है। भारतीय हैंडलूम में तो यह विशेषता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न

- 1 Examine the importance of cottage industries in Indian economy How can they hold their own against large scale industries? (Agra, 1958)
- 2 'Development of cottage and small scale industries should receive greater priority than the expansion of heavy and large-scale industries under the Third Five Year Plan'. (Agra, 1960)

भारत में विशिष्ट संगठित उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

आ बुकनन के शब्दां में 'सूती उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव, अतीत और वर्तमान में वर्ण का कारण किन्तु सग्न न्य ग्राह्य है।' यह उद्योग भारत के सग्न दित बड़ पमाने के उद्योगों में प्रथम काट का है। आगरा के द्वाट से विश्व में मात वाय सूती मिल उद्योग का दूसरा स्थान है। तमुआ की सल्या की दृष्टि से अमरिका और इंग्लैंड के उपरान्त भारत का ही स्थान है। अमिनी की सरपा की दृष्टि से मा वृताय स्थान है। विश्व के सम्पूर्ण वस्त्र उत्पादन का १४% तथा सूत उत्पादन १३% भारत में ही उत्पन्न किया जाता है।

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में ग्रान इस उद्योग का महान् महत्त्व है। यह देश के कपल सबसे उड़ा ही नहीं परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कारखाना उद्योग है, जो अविनाशन भारतीयों के स्वामित्व में है, उन्हीं के द्वारा संचालित है तथा इसकी निर व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा होती है। १९५६ के प्रारम्भ में देश में ४८२ मिलें थीं। १९५८ में १२,४८१,७७४ तमुए तथा १,००,६८३ त्रप थ और लगभग ६ लाख व्यक्ति काम कर रहे थे और यदि सहायक उद्योगों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो लगभग १० लाख व्यक्तियों का इससे जापना प्राप्त होता है। इसका वार्षिक उत्पादन ग्रन लगभग ५००० करोड़ गन कपड़ा ग्रो १६५० करोड़ पौंड से भी अधिक रहा है। इसमें ११३ करोड़ रुपये की रथाया पुना लगी हुई है।

आज निर्यात करने वाले देशों में भारत का स्थान जापान के बाद आता है। सूता वस्त्र का निर्यात भारत पश्चिम में कनाडा से लेकर पुव में हिन्देशिया तक, उत्तर में फिनलैंड से लेकर दक्षिण में ग्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक करता है। सग्न है कि भारतीय वस्त्र उद्योग देश का वह उद्योग है जिस पर यह गन कर सकता है और माजी समृद्धि के लिए आशाभरी द्वाट से देस सकता है।

ऐतिहासिक पर्यवेक्षण

समय के आसरण का हटाने से हम सूती वस्त्र उद्योग के अत्यन्त सौन्दर्यमय

एव गौरवपूर्ण अतीत के दर्शन होते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से अपनी उन्नत स्थिति में था। मोहनजोदड़ो के धातव्यशेषों में सूती वस्त्रों के अवशेष प्राप्त किये गये हैं, जिनके आधार पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टर्नर और ए० एन० गुलाटी ने ब्रह्म निम्न्य निनाला है कि ऐसे वस्त्र रुई से बनाये गये होंगे। ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस तो इस बात पर आश्चर्य प्रकट करने हुए लिखता है कि "भारतीय एक ऐसे ऊन के वस्त्र पहनते हैं जो मेघ वस्त्रियों के शरीर पर नहीं होती अपितु पेड़ पौधों के रूप में उगाई जाती हैं।" अजन्ता की गुफा के कुछ चित्रों में भी इस उद्योग के गौरवपूर्ण अतीत का अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत के प्राचीन साहित्य में वस्त्रों के उल्लेख के सहस्रों उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि विलाप करते हुए कहता है कि "मैं धार्मिक कर्तव्यों का न ताना जानता हूँ और न जाना।" ऋग्वेद में बरखा रीने वाली सुई को 'सूती' (ऋग २ ३२ ४) एव 'अरिधेशी' (ऋग ७ १८ १४), कैंची को 'भुरिज' (ऋग ८ ४ १६) ताने वाली लकड़ी को 'मयूख', दरकी को 'बिम' और हुनकर को 'वायित्री', 'धाम' और 'सिंठी' नामों से उल्लेखित किया गया है। अथर्ववेद ने भी ऐसा ही लिखा है कि 'सुहागरात के दिन बर अग्नी नववधू के हाथ का हां कता बुना वस्त्र पहनता था।' महाकवि वाण ने बहुमूल्य वस्त्रों की कलात्मक बुनावट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सौर के केंबुल जैसे महीन सूत, रश्मी तथा मोती की भालरां वाले वस्त्रों का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। वस्त्रों पर आलेख, हंस तथा अन्य पशु पक्षियों की अफना (बुनाई) का भी उल्लेख मिलता है।

भारतीय वस्त्र की उत्कृष्टता मुस्लिम काल में असंदिग्ध थी। ढाके की मलमल तो इतिहास प्रसिद्ध वस्तु है, जिसके बारे में अंगूठी के छेद में से २० गज लम्बा और एक गज चौड़ा थान को निकालना, आठ तह लपेटे लकड़ी को भी औरगजेव का डारना तथा ७५ गज मलमल का पीने दो रस्ती बजन तक होना सर्वविदित है। मुगल दरबारी कवियों की रचनाओं में कपड़े को मकड़ी के जाले, बहता पानी, शबनम या ओस के बिंदुओं से समानता दी जाती है।

यहाँ तक नहीं इतिहास का मत है कि ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भी भारतीय मलमल को मिश्र के ममाज (Egyptian Mummies) के आवरण के लिए बुना जाता था। योरोपीय सभ्यता के आदि विकासशील देश यूनान (Greece) के निवासी हेरोडोटस (Herodotus), मैगस्थनीज (Megasthenes) तथा प्लिनी (Pliny) जैसे विद्वानों ने भारतीय वस्त्रों की मुकदम से प्रशंसा की है। टैवरनियर (Tavernier) ने लिखा है कि 'धालीकट की मलमल इतनी महीन थी कि हाथ में ही नहीं की जा सकती थी, उसका स्त आसों से दिखता ही नहीं था।' फ्रांस में मलमल के अनेक कवित्वपूर्ण नाम विख्यात हैं, जैसे बुनी हया (W.

बरसाती कुहार (raining water) आदि। अफ्रीका के इतिहास में उल्लेख है कि भारतीय वस्त्रों के मूल्य में वस्त्र के वजन से चौगुना सोना दिया जाता था।

इस उद्योग की विभिन्न चीजें इतनी प्रसिद्ध हो गई थीं कि जिन्हें लेने के लिए दूर-दूर से सौदागर उन्हें परिश्रम, जोशिम तथा काट उठाकर आते थे। डॉ० रामरुद्र ने तो यहाँ तक लिखा है कि वस्त्रोद्योग का कारण भारत में सोना और चाँदी दूसरे देशों से दुला चला आता था। इन सब उल्लेखों से प्रस्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतीय वस्त्र उद्योग की मिश्रध्वारी स्थिति और जीवनोपयोगी भाँग थी।

श्रीत्रोगिक महाशान्ति ने विलायत में स्त्री कारखाने स्थापित करने में सहायता की और थोड़े ही समय में लकाशायर, मैनचेस्टर, पैरले इत्यादि स्थानों में विशाल कारखाने स्थापित हो गये। इधर भारत में अंग्रेजों का आभिव्य जम चुका था, उनसे खुले बाजार की नीति तथा राजनीतिक अत्याय के शुक में एव साथ मिलकर भारतीय वस्त्र उद्योग का गला घोट दिया।

आधुनिक दृष्टि की तमसे पहले स्त्री वस्त्र मिल सन् १८१८ में हुगली नदी (कलकत्ता) के किनारे घूसरी नामक स्थान पर स्थापित की गई, पर इस उद्योग की वास्तविक नींव १८५१ में डाली गई जब कि बम्बई में श्री कावसजी नाना भाई डार के 'धाम्बे स्पिनिंग एण्ड डीनिंग कम्पनी' स्थापित की। इस कम्पनी ने अपना कार्य ५ फरवरी सन् १८५४ से आरम्भ किया। इसके उपरान्त दूसरी मिल सन् १८६१ में श्री सन्तोष लाल छोगलाल रँहडीनाला ने 'शाहपुर मिल' के नाम से खुलवाया। इस मिल की स्थापना के लिए एम्मात से अंग्रेजी मशीनों को बैलगाड़ी पर लाकर अहमदाबाद लाया गया था और उगे सन्चालित करने के लिए लकाशायर से कारीगर बुलाये गये थे। इस मिल के उपरान्त सन् १८६६ में "कैलिको मिल" की स्थापना हुई। अधिकांश मिला की स्थापना बम्बई में ही हुई। सन् १८७६ ई० में मिलों की संख्या केवल बम्बई में ही ५६ हो गई, जिनमें १४,५३,००० तकिए और १३ हजार बरवे थे। अधिकांश में ये मिल बटाई मिल (spinning mills) थे।

इस सफलता की देपन हुए अहमदाबाद, शोलापुर, मद्रास, बानपुर आदि नगरों में स्त्री कारखे व कारखाने खोले गये। सन् १९१४ में कारखानों (मिल) की संख्या २६४ हो गई।

स्त्री वस्त्र उद्योग की प्रगति एव विकास का अध्ययन हम पाँच सप्तकों में कर सकते हैं—

- (१) प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१९१४ तक)
- (२) प्रथम महायुद्ध एव उसके पश्चात् (१९२६ तक)
- (३) द्वितीय महायुद्ध तक (१९३६ तक)

(४) द्वितीय महायुद्ध एवं पश्चात् (१९४७ तक)

(५) स्वतंत्रता के पश्चात् (१९६० तक)

प्रथम महायुद्ध के पूर्व (१९१४ तक)

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रारम्भ में सूती मिलों का विवास बम्बई के आसपास हुआ। सन् १८७६ ई० तक मिलों की संख्या ५६ ही गई थी। परन्तु १८७७ के पश्चात् इन मिलों का देश के हृदय में स्थित उपरी नगरों जैसे नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर में भी विस्तार हुआ। स्वदेशी भावना (१९०५) की लहर के कारण कातने तथा बुनने की मिलें वानपुर, कलकत्ता, भद्रास, मधुरा, आगरा, ग्वालियर, इन्दौर में भी खुली। उनीसवीं शताब्दी के अन्त तक इस उद्योग में क्रमिक विवास होता रहा, यद्यपि कई बार इसकी दशा खराब हो गई। इस समय की प्रमुख विशेषता थी सूत का उत्पादन, जिसका निर्यात चीन और जापान को होता था और देशी धरंधरे में बुनकर भी प्रयोग करते थे। १९०७ में पुनः उद्योग को विश्वमन्दी के कारण सबट का सामना करना पड़ा।

सन् १८८० से सन् १९१४ तक सूती वस्त्र उद्योग का जो विवास हुआ, उसमें दो प्रवृत्तियों प्रमुख थीं—

(१) तन्तुओं (spindles) की अपेक्षा बरघों की संख्या में वृद्धि से वृद्धि, तथा

(२) अच्छे वस्त्र के निर्माण की ओर प्रवृत्ति।

१९१४ में हमारे देश में सूती मिलों की संख्या २७१ हो गई थी। परिणाम स्वरूप प्रथम महायुद्ध के पहले १९१४ तक सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से हमारा देश विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर सका।

प्रथम महायुद्ध एवं पश्चात् (१९१४ से १९२६ तक)

प्रथम महायुद्ध से सूती वस्त्र उद्योग को काफी बढ़ावा मिला। युद्ध के छिड़ जाने से इंग्लैंड तथा विदेशों से होने वाला बरघों का आयात बन्द हो गया तथा भारतीय उद्योग पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। एक तो, देशी माँग की पूर्ति की तथा दूसरे, युद्ध कार्य के लिए आवश्यक वस्त्र निर्यात करने की। विदेशी बरघों का मूल्य बढ़ जाने के कारण भारतीय उपभोक्ता भारतीय मिलों के बने बरघों की ओर मुड़ने लगे। इसके अतिरिक्त नई नई सैब (trillitry) आभूषणवस्तुओं के कारण भारत में हर प्रकार के बरघों की माँग और उत्पन्न बढ़ती गई।

इस प्रोत्साहन के होने हुए भी उद्योग के विकास में व्यावहारिक बाधाएँ थीं, जैसे—मशीनों, औजारों तथा आवश्यक रंग रसायनों के आयात में अनुविधाएँ वगैरह महायुद्ध में एक और लान पड हुआ कि भारत का विदेशी व्यापार अमेरिका और जापान के साथ बढ़ा, किन्तु ब्रिटेन के कारण मिला

समता से कार्य करना पड़ा। इससे उद्योग की आशातीत और अप्रत्याशित सम्पन्नता प्राप्त हुई। अशुधियों की १९१९ में ४०%, १९२० में ३५% और १९२१ में ३०% लाभार्थ मिले। परन्तु यह सम्पन्नता जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से चली गई।

इस काल (१९१४ से १९२६) में सूती वस्त्र उद्योग की दो विशेषताएँ थीं—

(१) नई मशीनों के आयात में कटिनाई होने के कारण नवीन मशीनों की अधिख सख्या में स्थापना न हो सकी परन्तु फिर भी फरपो की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

(२) अभी तक इस उद्योग में कटाई का विशेष महत्व था परन्तु अब कुनाई १२ का विवास हुआ।

पाख, मेसोपोटामिया, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका और मलाया में भारतीय बखों का निर्यात होने लगा।

द्वितीय महायुद्ध तक (१९२६ से १९३६)

सन् १९२३ के उपरान्त इस उद्योग की प्रगति शिथिल पड़ गई। कृषि पदार्थों के मूल्य गिरने के कारण कृषकों की क्रयशक्ति क्षीण हो गई। फलस्वरूप सूती बखों की माँग में बहुत कमी हो गई। युद्धोत्तर काल में इस उद्योग के सम्मुख अति पूँजीकरण, योग्य प्रबन्धकों का अभाव, कुप्रबन्ध, प्राविधिक (technical) विशेषज्ञों का अभाव, नई मशीनों तथा बच्चे माल का दुरुपयोग आदि समस्याएँ उपस्थित हो गईं। इसी समय सूती मशीनों में मजदूरों द्वारा लम्बी हड़तालें की गईं। इन समस्याओं के कारण यह उद्योग गौर सफट में पँस गया।

विदेश होकर उद्योग ने सन् १९३५ में प्रशुल्क संरक्षण (tariff protection) की माँग की। फलस्वरूप सन् १९२६ में उद्योग की जाँच के लिए एक प्रशुल्क बोर्ड की स्थापना हुई। बोर्ड ने उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। सिफारिश के अनुसार सन् १९२७ में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम स्वीकृत हुआ। संरक्षण के फलस्वरूप उद्योग पुनः धीरे धीरे प्रगति करने लगा। यह प्रगति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पहले सन् १९३६ तक होनी रही। इस समय हमारे देश में ३३४ सूती मिलें थीं।

द्वितीय महायुद्ध एवं पश्चात् (१९३६ से १९४७ तक)

सितम्बर सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा होने पर सूती बखों की माँग एकदम बढ़ने लगी। इसके विपरीत विदेशों से आने वाला बखों का लगभग बन्द हो गया। क्योंकि ब्रिटिश वख उद्योग युद्ध सम्बन्धी उत्पादन में व्यस्त हो गया तथा जापान से शत्रुता होने से भारत को मित्र देशों की सेना तथा उद्योगियों की माँग की पूर्ति करने का एकाधिकार मिल गया। फलस्वरूप भारतीय सूती उद्योग को पुनः प्रगति

करने का अक्सर प्राव्य हुआ। मिलों की सख्या तथा तकुओं एव करघों की सख्या में भी काफी वृद्धि हुई। फिर भी बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिए पूरी उत्पादनशीलता से कार्य करना पड़ा। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ३१ मार्च १९४४ के अन्त में सूत एव कपड़े का उत्पादन क्रमशः १६८० मि० पौंड तथा ४८७० ६ मि० गज हो गया था, जो पिछले सत्र वर्षों से अधिक होते हुए भी माग की सम्पूर्ण माँग का ५० प्रतिशत भाग पूरा कर सकता था।

माँग की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा कम होने के कारण कपड़े के मूल्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले गये। सन् १९४२ से कपड़े की कीमतें बढ़ने लगी थीं, जो सन् १९३६ की अपेक्षा चौगुनी थीं। इधर भारत से कपड़े का निर्यात बढ़ता जा रहा था और देशी माँग भी बढ़ रही थी। विवश होकर सरकार को कपड़े पर कन्ट्रोल लगाना पड़ा और साथ ही साथ उत्पादन एव बिक्री पर भी सरकार को अपना नियन्त्रण रखना पड़ा। नियन्त्रण के हेतु सरकार ने समय-समय पर पाँच आदेश जारी किये, जो इस प्रकार थे—

- (१) काटन क्लाय एण्ड यार्न कन्ट्रोल आर्डर, जून् सन् १९४३।
- (२) काटन क्लाय एण्ड यार्न कन्ट्रोल आर्डर सन् १९४५—संशोधित १९४७।
- (३) काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री (कन्ट्रोल ऑफ प्रोडक्शन) आर्डर सन् १९४५।
- (४) काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री (कन्ट्रोल ऑफ मूवमेन्ट) आर्डर सन् १९४६।
- (५) काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री (मैटीरियल एण्ड स्टोर्स) आर्डर सन् १९४६।

सन् १९४६ के अन्त में इन नियन्त्रणों के फलस्वरूप इस उद्योग की परिस्थिति में सुधार होने लगा और जनवरी सन् १९४७ से वस्त्र उद्योग में मूल्य नियन्त्रण हटा लिया गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् (१९४७-१९५६)

१५ अगस्त सन् १९४७ में देश के विभाजन के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग को काफी क्षति हुई। विभाजन के परिणामस्वरूप इस उद्योग को कच्चे माल का अभाव हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान इत्यादि देशों के कच्चे माल की पूर्ति पर भारतीय मिलों को निर्भर रहना पड़ा। सिंध तथा पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र जिसमें ७५% मध्यम तथा लम्बे रेशे की कपास उत्पन्न करने वाली उर्वरा भूमि तथा १४ मिलें पाकिस्तान को चली गईं। पाकिस्तान से रुई का आयात दुष्कर हो गया। दोनों देशों की सरकारों के बीच अनेक व्यापारिक समझौते हुए, परन्तु पाकिस्तान ने अपने बच्चों का पालन नहीं किया। विवश होकर भारत सरकार ने मिश्र, अफ्रीका आदि देशों से व्यापारिक समझौते करके तथा देश में ही 'अभिन्न कपास उत्पादन आंदोलन' द्वारा क्षति पूर्ति की।

१९४८-४९ में देश के आर्थिक और राजनैतिक वातावरण में कुछ सुव्यवस्था

आ जाने से मुधार के लक्ष्य प्रकट होने लगे। परन्तु दुर्भाग्यवश यह स्थिति फिर बिगड़ गई। सन् १९४६ में रुपये के श्रवमूल्यन और कोरिया के युद्ध के कारण कपास और मशीनें आदि फिर महँगी होने लगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६)

प्रथम योजना के प्रारम्भ के समन वह उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित था। सन् १९५० ई० म वषा की अनिश्चितता व हड़तालों के कारण बच्चे माल और धम की कठिनाईयें उत्पन्न हो गई थीं। विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में वषास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के चले जाने से इस उद्योग की लगभग १० लाख कपास की गाँटों की वार्षिक कमी हो गई। इसके अतिरिक्त कुल ४०६ मिलों में से १५० मिलें अनार्थिक थीं जिनका आधुनीकरण तथा प्रतिस्थापन अत्यधिक आवश्यक था। परन्तु प्रथम योजना की प्रगति के साथ साथ वस्त्र उद्योग की भी प्रगति होने लगी।

प्रथम योजना में १९५५-५६ तक ४७०० मि० गज मिल बपड़े का और १७०१ मि० गज वस्त्रों के बपड़े का लक्ष्य रखा गया था, पर बड़े हर्ष की रात है कि इस योजना के दौरान ही १७ म वस्त्र उत्पादन लक्ष्य से आगे बढ़ गया। दिसम्बर १९५५ तक सरकार ने ८६ नई मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस (अनुशासन) दिये। वचें समिति तथा कानूनगो समिति की रिपोर्टों के अनुसार योजनाबाल में हस्त करपा उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक 'सूची वस्त्र निर्यात प्रवर्तक परिषद' नियुक्त की जो कि वस्त्र निर्यात को हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५६-६१)

इस योजना के अन्तर्गत वस्त्र उत्पादन में सन १९६०-६१ तक २४% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ३५०० मि० गज बपड़े का उत्पादन हस्त करपा उद्योग के लक्ष्य की सीमा है। इसके अतिरिक्त उद्योग को अपने वर्तमान निर्यात को कायम रखने हुए १५० मि० गज अतिरिक्त मिल बपड़े का उत्पादन केवल निर्यात के लिए करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु १४६०० नये स्वचालित करघे लगाने की व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत मिल उद्योग और करपा उद्योग में समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार की नवीन सूची वस्त्र सम्बन्धी नीति

वस्त्र उद्योग इस समय एक निरन्तर सफल से गुजर रहा है। मिलों में बहुत-सा उत्पादित भाग जमा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि लगभग ४६ करोड़ रुपये से अधिक धन वेनारफ़ैसा पड़ा है। बहुत ही मिलों ने या तो उत्पादन निरन्तर बन्द कर

दिया है। अथवा कुछ कम कर दिया है। इन सूती मिलों की विगड़ती हुई दशा के सुधारने के लिए सरकार ने जून सन् १९५८ में एक जांच समिति श्री डी० एस० जोशी की अध्यक्षता में नियुक्त की। समिति ने अपनी रिपोर्टों इस प्रकार दी हैं—

(१) उद्योग की प्रमुख कठिनाइयों को दूर करने के लिए निवेकीकरण और नवीनीकरण की योजनाओं को वायान्वित करना अत्यन्त आवश्यक है।

(२) विपणन शान और शोष पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।

(३) बन्द मिलों को खोलने का नुस्ख प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि बन्द होने का मुख्य कारण युगानी मशीनें तथा मरम्मत आदि के प्रति उदासीनता है।

(४) एक ऐसे सलाहकार परिषद् का निर्माण होना चाहिए, जिसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो और जो समय समय पर टेक्स्टाइल कमिश्नर को आवश्यक सलाह दे सके।

सरकार ने उपरोक्त रिपोर्टों को आंशिक रूप से मान लिया है। उद्योग की रक्षायता के लिए उत्पादन उप कर (excise duty) और निर्यात उप कर में कमी कर दी गई है।

सरकार की नवीन सूती वस्त्र सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत इस बात का प्रयास किया गया है कि मिलों द्वारा ३५-३ करोड़ गज, विद्युत द्वारा चालित शरधों द्वारा २०-१ करोड़ गज और हस्त करघा द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बनाया जाना चाहिए। इस नीति की मूल बातें इस प्रकार हैं—

(१) नये तडुओं (spindles) के चलाने के लाइसेंस (अनुमति पत्र) केवल उन्हीं को दिये जायें जो उन्हें शीघ्र चालू कर सकें, जिससे बढ़ती हुई माँग की पूर्ति आसानी से हो जाय।

(२) सूती वस्त्र मिलों को १४६०० करघा को लगाने की अनुमति केवल इसलिए दी गई है जिससे उनका समस्त उत्पादन, जो लगभग ३५ करोड़ गज होगा, प्रति वर्ष निर्यात कर दिया जायगा।

(३) ३५,००० विद्युत चालित करघे सहकारी समितियों द्वारा लगाये जायेंगे।

(४) अन्तर करघों को इस नीति के अन्तर्गत विशेष महत्व दिया गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति

१९५८ के आरम्भ में देश में ४७० सूती वस्त्र मिलें थी जिनमें १,३०,५०,००० तडुओं तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था। १९५८ में १-६८ अरब पौण्ड स्त तथा ४ अरब ६२ करोड़ ७० लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ।

१९५९ के आरम्भ में इन मिलों की संख्या बढ़ कर ४८२ हो गई, इनमें १-२० अरब रुपये का विनियोग हुआ था तथा ६ लाख मजदूर काम कर रहे थे।

विगत कुछ वर्षों से सूत और सूती कपड़े का उत्पादन इस प्रकार था—
सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन^१

वर्ष	सूत (लाख पौंड)	सूती कपड़ा (लाख गज)
१९५१	१३,०४४	४०,७६४
१९५२	१४,४९६	४५,९८४
१९५३	१५,०६०	४८,७८०
१९५४	१५,६१२	४९,९८०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०
१९५६	१६,७१६	५३,०७६
१९५७	१७,८०१	५३,१७४
१९५८	१६,८५३	४९,२६९
१९५९	१७,२९८	४९,३५४
१९६० (फरवरी तक)	१८,२९९	५,२०६

दिसम्बर १९५८ में लोक सभा में कुछ सदस्यों ने सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान दयनीय स्थिति और विशेष रूप से गिरते हुए निर्यातों की ओर चिन्ता व्यक्त की। इसी दौरान में उद्योगमंत्री श्री मन्ू माई शाह ने बताया कि विद्युत् बुझ बर्षों से अन्यायिक तथा सीमान्त कुशलता व कारण ३६ सूती मिलों पूर्णरूपेण और ३२ मिलों आंशिक रूप से बन्द हैं, जिसके फलस्वरूप ४०,००० श्रमिक बेकार हो गये हैं। अब उन्होंने एक योजना घोषित की जिसके अनुसार तीन वर्ष तक (१९६१) प्रति वर्ष २५०० स्वचालित करपे लगाये जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि I N T. U. C., A I T U C, तथा हिन्दू मजदूर सभा के श्रमिक नेताओं ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया है।

गल मार्च १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष, तीन लाख तक २,५०० स्वचालित करपे स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। इसका अतिरिक्त बर्षों की सम्पूर्ण मिलों को ३००० अतिरिक्त स्वचालित करपे लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी जायगी कि उनसे बिये गये उत्पादन का शत प्रतिशत और उसके पूर्व १९५४, १९५५ और १९५६ में से किसी एक वर्ष का आधा उत्पादन भी निर्यात-व्यापार में शुद्धिके हेतु विदेशों में लगी आधुनिक मशीनों के स्तर पर लाने के लिए ४०० से ५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की पूर्ति दो तरीकों से हो सकती है : या तो उद्योग स्वयं अपने वार्षिक अविरेकों (surpluses) में से निच


^१ उद्योग व्यापार पत्रिका, जुलाई १९६०।

व्यवस्था करे या राष्ट्रीय उद्योग विकास परिषद्, औद्योगिक वित्त निगम (I F C) आदि उद्योगों को नई मशीनें लगाने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करें। सम्भवतः इन दोनों तरीकों का एक सम्मिश्रण सर्वोत्तम होगा।

† १ जनवरी, १९५६ से १५ अगस्त, १९५६ तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने १२ सूती कपड़ा कारखानों को ३ करोड़ ४२ लाख ६४ हजार रुपये का ऋण दिया। १९५८ में १३ सूती कारखाना को २ करोड़ ५० लाख ६० हजार रुपये और १९५७ में ४ कारखानों को १ करोड़ २० लाख ७० हजार रुपये का ऋण दिया गया।^१ अभी हाल ही में सूती वस्त्र उद्योग का प्राग्नीर्ण्य करने के उपायों और समस्याओं का अध्ययन करने एवं अपने सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए निगम (N I. D. C.) द्वारा एक कार्यसमूह दल (working group) की स्थापना की गई है। इस दल के चेयरमैन श्री डॉ० एस० जोशी टेक्सटाइल कमिश्नर हैं। यह दल अपना कार्य ३० नवम्बर, १९५६ तक समाप्त कर चुका है।

सूती वस्त्र उद्योग का वितरण (Distribution of Cotton Textile Industry)

सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य मद्रास, बंगाल, मद्रास तथा



चित्र १६

उत्तर प्रदेश हैं। मिल द्वारा बनी वस्त्रों में ८०% भाग सूत और बुनी हुई वस्त्रों

^१ उद्योग व्यापार पत्रिका, अक्टूबर १९५६, पृष्ठ ३१२।

ना होता है। जिस प्रकार से विहार और उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग के लिए, पश्चिमी बंगाल जूट उद्योग के लिए, पंजाब ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, केरल चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार उमई सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर देश की सबसे अधिक सूती मिलें, सबसे अधिक तंतुएँ (spindles) (५५%) तथा सबसे अधिक बरघे (२/३) हैं। राज्या के पुनर्गठन के पश्चात् उमई में १७४ पूरा (composite) मिलें तथा २२ खल घातने वाली मिलें हैं। वहाँ पर सम्पूर्ण देश में निर्मित वस्त्रों का ६८% तथा सूत का ५३% भाग निर्मित होता है।

उद्योग की वर्तमान समस्याएँ

(१) विवेकीकरण की समस्या—वस्त्र उद्योग के सम्पूर्ण विवेकीकरण के अभाव की समस्या है। योजना आयोग के अनुसार १५० अनुयायन इकाइयाँ हैं तथा काबल टैक्साइल इनस्लावर्ष बमदी (१९५८) की रिपोर्ट के अनुसार सूती मिला के बन्द होने का कारण विवेकीकरण का न अपनाया जाना है।

(२) आधुनीकरण की समस्या—सूती मिला में लगी हुई मशीनें ४० वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं जिनकी उपायिता समाप्त हो चुकी है।

(३) पच्ची रई के अभाव की समस्या—भारत के विभाजन के पश्चात् देश की रई का अभाव हो गया है। फलस्वरूप मिला, अमीरा, अमेरिसा तथा जपान से ऊँच दामों पर मगानी पड़ती है।

(४) उद्योग के लिए आवश्यक यंत्रों का निर्माण—पंचनीय योजनाओं के अन्तर्गत कुछ उद्योगप्रतिष्ठा ने इस कार्य का शुभारम्भ किया है पर स्थिति अभी सतोषजनक नहीं है।

(५) विदेशी प्रतियोगिता—जापान और अमेरिका हमारे वस्त्र उद्योग के प्रमुख प्रतियोगी हैं क्योंकि सुबोरात सभी देशों ने अपना औद्योगिक पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण कर लिया है।

(६) मिलाएँ एव हस्त करणों में समन्वय स्थापित करना—आज मिला और हस्त करणों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई है और यदि यह भावना बनी रही तो निश्चय ही देश का कल्याण न हो सकेगा।

(७) अनाधिक इन्साइयों की समस्या—पूँजी के अभाव, कुप्रबन्ध तथा कच्चे माल के अभाव, के फलस्वरूप १५० अनाधिक इकाइयाँ बंद हो गई हैं जिनमें ८० लगभग सीमान्त कुशलता पर चल रही थीं तथा २५ इकाइयाँ बन्द हो चुकी थीं, २५ घाटे पर चल रही थीं।

(८) उत्पादन उपकरणों का भार—भारत में बत्तों पर कर की दर १२½% से लेकर ३६% तक है जो बहुत ही अधिक है।

नामक स्थान से आयात किया था। २ वर्ष तक तो इस मिल ने जूट की कटाई का कार्य किया किन्तु १८५७ ई० में हाथ करपा भी लगा दिया गया, जिससे इस मिल में बोरों भी बनने लगे।

४ वर्ष पश्चात् सन् १८५६ में जार्ज हैसब्रसन ने 'बोर्निवो कम्पनी' नामक दूसरी जूट मिल की स्थापना की जिसने कटाई और बुनाई दोनों कार्यों को प्रारम्भ से ही अपनाया। शक्ति का प्रयोग होने से इस मिल ने ५ वर्षों में ही अपनी क्षमता दूनी कर ली और १३ वर्षों में अपनी पूँजी क दुगुने से अधिक लाभ कमाया। १८६० में दो और नई मिलें खुलीं। धीरे धीरे बहुत-सी नई मिलें खुलती रहीं और १६१३ १४ तक कुल मिलों की संख्या ६४ हो गई जिन्होंने ४३ ७४ लाख जूट की गाँठों की उत्पत्ति की थी और २८ २७ करोड़ रुपये का माल बाहर भेजा था। इस समय तक जूट मिलों के प्रबंध, आकार, विस्तार तथा मशीनों में सुधार हुआ।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९१४ ३६ तक)

१९१४ में प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से इस उद्योग के विकास को काफी प्रोत्साहन मिला और युद्ध काल में अप्रत्याशित समृद्धि हुई। इस प्रकार यह महायुद्ध इस उद्योग के लिए एक परदान सिद्ध हुआ। युद्ध जनित आवश्यकताओं का कारण जूट की मांग निरन्तर बढ़ती ही गई। फलस्वरूप उद्योग का भी विकास होता गया। और बोरों, कपड़ों तथा रस्सियों की मांग बढ़ती गई और दूसरी ओर विदेशों से आवश्यक मशीनों के आयात में रुकावट पड़ गई। सरकारी माँगों की शीघ्र पूर्ति सम्भव करने के लिए फैक्ट्री एकट क प्रावधानों को स्थापित कर दिया गया और बाद में कच्चे जूट का निर्यात निम्ना लाइसेंस के बन्द कर दिया गया। जर्मनी के रुस पर आक्रमण से रुसी सन की पूर्ति अन्य देशों के लिए बन्द हो गई। फलस्वरूप जूट कारखानों को काफी लाभ हुआ। कारखानों का शुद्ध लाभ १९१५ में ५८%, १९१६ में ७५%, १९१७ में ४६% और १९१८ में ७३% थे। मालिकों ने संचित कोषों तथा विधायक कोषों में भलीभाँति धन का प्रावधान किया।

युद्ध के समाप्त होते ही मंदी का भावा आया और उद्योग पुन सफट में पँट गया। युद्ध जन्य माँग युद्ध की समाप्ति के साथ ही लुप्त हो गई। कच्चे जूट की कीमतें तथा अम-व्यय बढ़ने लगा। युद्ध काल में अर्जित लाभ नये कारखानों की स्थापना तथा पुराने कारखानों का विस्तार हुआ। अति पूँजीकरण (over capitalisation) भी युद्धकाल की एक विशेषता थी। १९१६ २० में कोयले का भी अभाव हो गया। १९२० से विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव प्रारम्भ हो गया था। इन सब कारणों से उद्योग सफटग्रस्त हो गया। इस सफट से बचने के लिए सभी जूट मिलों ने निश्चय किया कि अब भविष्य में कुछ समय तक के लिए विस्तार रोक देना चाहिये। कम क घटे कम

कर दिये गये तथा गृहृत से करवे सील कर दिये गये। १९१९ से १९२९ तक जूट मिल एंजोसियेशन की सदस्य मिलों ने सप्ताह में केवल ४ दिन ही काम किया।

उल्लेखनीय बात तो यह है कि विश्वव्यापी आर्थिक-मंदी की अपेक्षाकृत भी जूट मिल उद्योग में अधिक हानि नहीं हुई। जूट उद्योग पहले से ही सुसंगठित एवं सुदृढ़ था। प्रबंधनों की दूरदर्शिता तथा कुशलता, अखंड संगठन व सहकारिता की भावना के कारण उद्योग बुद्धोपरान्त मंदी के आपातों को सहन कर सका। इतना ही नहीं, नल्कि इसने अपनी स्थिति को और ठोस कर लिया। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उद्योग की काफी उन्नति हुई और भारतीय निर्यातों में जूट की वस्तुओं का स्थान बना रहा। १९१४-१५ और १९२९-३० में मिला की सराया ७० से ९८, करघा की संख्या ३८,३७८ से ५३,६०० और तंतुग्रा की सराया ७,६५,५२८ से ११,४०,४३५ हो गई। डॉ० बुनेनन के अनुसार मिलों ने १९१५-२४ के बीच प्रति वर्ष ६०% का लाभ कमाया और शायद ही संसार में कारखानों के क्रिही समूह ने इतना लाभ कमाया था।

१९२९ के बाद विश्वव्यापी मंदी ने उद्योग को अत्यंत काफी हानि पहुंचाई। वृषि की पैदावार व मूल्यों में मंदी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम हुआ और बोरों की माँग घट गई। उधर इस वर्ष जूट का उत्पादन काफी बढ़ जाने के कारण जूट मिला में अपने स्टॉक को समाप्त करने के लिये काम करने के घंटे ५६ से ६० प्रति सप्ताह कर दिये। इसका फलस्वरूप मिलों व स्टॉप में और भी अधिक वृद्ध हुई और निर्मित वस्तुओं व दाम और भी गिर गये। अतः 'जूट मिल संघ' ने इन मिलों व काम के घंटों की संख्या १९३१ में ६० से ४० प्रति सप्ताह कर दी और १५% करघों की सील बन्द कर दिया गया। यह निर्णय १९३८ ई० तक चलता रहा। परन्तु फिर भी परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ।

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके उपरांत

३ सितम्बर १९३९ से द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से उद्योग को पुनः विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ। युद्ध काल में दिनोत्तर मांग में वृद्धि होने के कारण कच्चे जूट एवं जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती गई। भारत सरकार ने युद्ध की आवश्यकताओं के लिए गोरे, टाट, व अन्य जूट की वस्तुओं के लिए भारी मात्रा में आहरण दिये। निदेशों की भी जूट की मांग बढ़ गई। अतः मदीकाल में लगाये गये सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया और अन्तर् मिलें ६० घंटे प्रति सप्ताह कार्य करने लगीं। एक विशेष कानून के द्वारा सरकार ने 'कारखाना अधिनियम' को जूट उद्योग के सम्बन्ध में स्थगित कर दिया। इन सब परिस्थितियों व फलस्वरूप जूट उद्योग पुनः अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगा तथा उसका उत्पादन में एकदम वृद्धि हो गई।

अगस्त, सन् १९४० में जूट की वस्तुओं की माँग एतदन्त कम हो गई, फलव-
शाम करने के घटों को पुनः घटाने सत्ताह में ४५ ही करना पड़ा; किन्तु यह परिस्थिति
अधिक दिन तक नहीं रही। सन् १९४२ ई० में इतने अपने काम के घटों को पुनः ५४
प्रति सत्ताह कर दिया। १९४२ के पश्चात् उद्योग को दो प्रतिशत घटनाओं का सामना
करना पड़ा—(१) कोयला एवं मिश्रित की कमी तथा यातायात की अनुपस्थिति और
(२) सन् १९४३ का पनाल का भीषण दुर्भिक्ष। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने निर्णय किया
कि एक सत्ताह तक काम बन्द रखा जाय।

युद्धोत्तरांत भवभावतः यह उद्योग संतोषजनक स्थिति में नहीं था। यह स्थिति
आगामी ३ वर्षों तक चलती रही। वास्तव में देखा जाय तो यह उद्योग ऐसी प्रतिकूल
परिस्थितियों में केवल अपने मजबूत सङ्गठन एवं अनुभवो प्रमुख अभिकर्तव्यों के कारण
ही जीवित रह सका।

स्वतन्त्रता के पश्चात्

१५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप इस उद्योग में
बायी छति पहुँची क्योंकि जूट का उत्पादन करने वाले क्षेत्र का अधिकांश भाग
पाकिस्तान में चला गया और जूट निर्यात की सभी मिलें भारतवर्ष में रह गईं। जूट
उत्पादन करने वाले क्षेत्र का ७१% भाग जिसमें कुल जूट उत्पादन का ७२% होता था
पाकिस्तान में चला गया और उपर मिलें—११३—भारतवर्ष में रह गईं। फलस्वरूप
इन मिलों के लिए कच्चे जूट का निर्यात अभाव हो गया।

कच्चे जूट की पूर्ति करने के लिए सरकार ने ३ कार्य किये—

- (१) पाकिस्तान से कच्चे जूट के आयात के सम्बन्ध में समझौता;
- (२) कच्चे जूट की रसीद के लिए अधिकतम मूल्य; तथा
- (३) देशी उपज बढ़ाने के लिए प्रयत्न।

भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से कच्चे जूट के आयात के लिए
अनेक समझौते किये। उदाहरणार्थ सन् १९४७, सन् १९४९ तथा सन् १९५० में क्रमशः
५०, ४०, तथा ७२३ लाख गांठा का आयात होना था परन्तु पाकिस्तान ने अपनी
धूर्त्तापूर्ण क्रियाओं से अपने वचन का पूर्णतः पालन नहीं किया। सितम्बर सन् १९४९
में भारतवर्ष ने अपने दायें का अनुमूलन किया परन्तु पाकिस्तान ने अपने रुपये का
अनुमूलन नहीं किया इसके फलस्वरूप भारतीय १४४ करोड़ पाकिस्तान के १०० रुपये
के बराबर हो गये। इसके फलस्वरूप एक समस्या और उठ खड़ी हुई और भारत को
विवश होकर अपनी जूट सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आन्तरिक साधनों
पर ही अवलम्बित होना पड़ा। इसके १ वर्ष पश्चात् कोरिया युद्ध भी छिड़ गया, पर
भारत कच्चे माल की कमी के कारण अरबों का पूर्ण लाभ न उठा सका। सन् १९५१
में सन् १९४६ की अपेक्षा उत्पादन केवल ८०% ही रहा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

इस योजना में जूट और जूट की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन रखा गया था। योजना काल में जूट उद्योग के विकास के लिए, नवीन मिलों की स्थापना के लिए अथवा वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, वरन् वर्तमान मिलों की स्थिति को ही टोच एव मजबूत बनाने का निश्चय किया गया। जूट की कमी होने के कारण तथा वर्तमान मिलों की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता के कारण केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता (१२ लाख टन) को ही बनाये रखने का ही लक्ष्य रखा गया। मुख्यतः निर्यातवर्ती उद्योग होने के कारण जूट की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य आवश्यक रखा गया। १९५०-५१ में होने वाले ६,५०,००२ टनों के निर्यात को बढ़ाकर १९५५-५६ में १० लाख टन कर देने का लक्ष्य रखा गया। वरन् जूट का अभाव दूर करने के लिए वर्तमान समय में उत्पन्न किये जाने वाले जूट को ३३ लाख गांठों से बढ़ाकर ५१ लाख गांठों का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त 'विमिली' और 'मेस्ता', जो कि जूट की पूर्ति में सहायक होंगे, के उत्पादन का लक्ष्य १० लाख गांठों रखा गया।

योजना काल में उपरोक्त लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया। बिस्वी भी नई मिल की स्थापना के लिए आज्ञा नहीं दी गई। हाँ, असम की राज्य सरकार के कहने पर एक जूट मिल (असम जूट मिल, गोहाटी) जिसकी उत्पादक क्षमता ३०० कस्से थी, की स्थापना के लिए आज्ञा दी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में भी जूट की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य केवल १२ लाख टन वार्षिक ही रखा गया है क्योंकि इस काल के अन्तर्गत जूट की वस्तुओं की माँग का अनुमान इतना ही लगाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत केवल असम जूट मिल, गोहाटी, जिसकी स्थापना के लिए प्रथम योजना में आज्ञा दी गई थी, का ही केवल निर्माण हुआ। इस मिल की स्थापना में १५ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस मिल की स्थापना के अतिरिक्त न तो कोई नई मिल स्थापित की जायगी और न वर्तमान मिलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जायगी। वरन् जूट के उत्पादन में २५% वृद्धि का लक्ष्य आवश्यक रखा गया है अर्थात् १९६०-६१ तक वरन् जूट का उत्पादन ५० लाख गांठों हो जायगा। संक्षेप में द्वितीय योजना में जूट उद्योग के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिखाये गये हैं।

	इकाई	१९५५-५६	१९६०-६१
(१) वार्षिक उत्पादन क्षमता	१,००० टन	१२००	१२००
(२) वार्षिक उत्पादन	" "	११५०	१२००
(३) निर्यात	" "	८७५	९००
(४) बचता माल	लाख गाँठें	४१	५०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत जूट के उत्पादन का लक्ष्य १३.५ टन रखा गया है। इस प्रकार १९६६ तक जूट के उत्पादन में १५ लाख टन की वृद्धि हो जायगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना काल में ५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

जूट उद्योग का विवरण (Distribution of Jute Industry)

भारत का जूट उद्योग सघार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सघार के कुल



चित्र १७

जूट उत्पादन का ५३% भाग भारतीय में है। इसके परभाव, संयुक्त राज्य (U. K.)

और फ्रांस का स्थान है जहाँ क्रमशः ८२% तथा ६४% करके हैं। इस समय भारत-वर्ष में ११३ जूट मिलें हैं, जिनमें ६६८ करोड़ रुपये की पूँजी तथा ७२,७८३ करके लगे हुए हैं। इन मिलों का वितरण इस प्रकार है—

क्षेत्र	मिलों की संख्या
पश्चिमी बंगाल	१०१
आन्ध्र प्रदेश	४
उत्तर प्रदेश	३
बिहार	३
उड़ीसा	१
देहली	१
कुल	११३

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में ही हैं। पश्चिमी बंगाल में भी ये मिलें बलकत्ते के ग्रासपास हुगली नदी के किनारे ६० मील लम्बी और दो मील चौड़ी पट्टी में वन्दित हैं।

पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीयकरण के कारण—जूट उद्योग के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि बंगाल में जूट मिलों के केन्द्रित होने के लिए उत्तरदायी कारण निम्नांकित थे—

(१) कच्चे माल की उपलब्धता—देश में अधिकांश कच्चा जूट बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और जूट सत्ता होने के कारण निर्माणी मिलों को अपनी ओर ही आकर्षित कर लेता है।

(२) जल यातायात की सुविधा—बंगाल क्षेत्र में विशाल हुगली नदी तथा अन्य छोटी छोटी नदियाँ के कारण आन्तरिक जल मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्नत रेल यातायात का भी लाभ प्राप्त होता है।

(३) सस्ती शक्ति (कोयले) की उपलब्धता—रानीगंज तथा आसनसोल के कोयला क्षेत्र बलकत्ते से केवल १२३ मील की दूरी पर स्थित हैं। अतः यहाँ से कोयला सस्ती दर पर नुगमता से प्राप्त किया जा सकता है।

(४) सस्ती एवं प्रचुर श्रमशक्ति—बंगाल तथा उसके पड़ोसी प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा काफी घने बसे हैं। अतः इन क्षेत्रों से श्रमिकों को काफी संख्या में सस्ती दर पर प्राप्त किया जा सकता है।

(५) बलपत्ता बन्दरगाह का निवट होना—निवट ही में बलपत्ता बन्दरगाह होने के कारण निर्मित जूट की वस्तुओं को निर्यात करने में तथा विदेशों से आवश्यक मशीनों को आयात करने में बहुत सुविधा है।

(६) प्रारम्भिक विकास का लाभ—उपरोक्त लाभों को देखते हुए स्काटलैंड में डब्लू के एक जूट उद्योगपति ने श्री जॉर्ज ब्राक्लैंड को सलाह दी कि वे स्काटलैंड से मशीनें ले जाकर बंगाल में जूट मिल खोलें। फलस्वरूप जॉर्ज ब्राक्लैंड ने डब्लू के मशीनें लाकर श्रीरानपुर के निवट 'रिशरा' नामक स्थान पर एक जूट मिल का स्थान किया। शने-शने विदेशी पूँजी आकर्षित होती रही और बंगाल क्षेत्र में अनेक मिलें स्थापित हो गईं।

विपणन (marketing) सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ जूट मिलें आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो गईं हैं। उत्तर प्रदेश में तीन मिलें हैं जिनमें से २ बानपुर में और एक सहजनवा में है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नई जूट मिलों की स्थापना तथा विस्तार के लिए अनुमति नहीं दी गई। केवल एक जूट मिल (ग्रसम जूट मिल) स्थापित की गई है। वर्तमान स्थिति

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जूट की वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार हुआ है—

वर्ष	उत्पादन '००० टन
१९५१	८७४.८
१९५२	९५१.६
१९५३	८६८.८
१९५४	९२७.१
१९५५	१०२७.२
१९५६	१०९३.२
१९५७	१०२९.६
१९५८	१०६२.०
१९५९	१०५१.२

उपरोक्त आँकड़ों के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि जूट का उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दस साल बाद भारत

फिर जूट का निर्यात करने लगा है। ४ अप्रैल, १९५६ को कलकत्ता बन्दरगाह से १,००० गाँठों की पहली खेप विदेश को स्वाना की गई।

१९५८ में जूट मिल उद्योग ने अपने १२½% रुपये मोहरबन्द रखकर काम किया। फिर भी जनवरी-सितम्बर १९५८ की अवधि में, १९५७ की इसी अवधि की तुलना में भारतीय जूट मिल सघ की सदस्य मिलों में कुछ अधिक ही उत्पादन ८,०६,२०० टन हुआ जब कि जनवरी सितम्बर, १९५७ में यह ७,६१,७०० टन हुआ था।

जूट उद्योग की समस्याएँ

(१) कच्चे जूट का अभाव—आज भारत ८०% कच्चे जूट का उत्पादन करता है फिर भी अपनी आवश्यकता के २०% के लिए पाकिस्तान का मुँह ठाकना पड़ना है।

(२) विवेकीकरण के अपनाए जाने की समस्या—इस उद्योग की तीव्र गति से विवेकीकरण अपनाना चाहिये क्योंकि—

(अ) जूट उद्योग मुख्यतः निर्यातकर्ता उद्योग है।

(ब) विदेशी मुद्रा का अधिनारा भाग उपार्जित किया जाता है।

(स) वर्तमान मशीनें पुरानी एवं जीर्ण शीर्ष हैं।

(द) अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना।

विवेकीकरण योजना के सम्मुख समस्याएँ

(१) ४०,००० व्यक्तियों का बेरोजगार होना,

(२) ४०-४५ करोड़ रुपये का विनियोग, तथा

(३) जूट की गिस्ती हुई माँग।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम जूट मिल— { सन् १८५४ में जॉर्ज आर्कलैंड द्वारा 'रिछड़ा' में (कलकत्ता के पास) स्थापित की गई।
२. कुल मिलों की संख्या — ११३ जूट मिलें
३. पूँजी का विनियोग — ६६८ करोड़ रुपये
४. कर्मचारियों की संख्या—३,१०,००० से अधिक
५. वार्षिक उत्पादन — १३० करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक, जो अधिकतर निर्यात कर दिया जाता है और १२० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
६. योजनाओं में लक्ष्य — { प्रथम योजना—१.२ मि० टन
द्वितीय योजना—१.२ मि० टन
तृतीय योजना—१.३५ " "
७. उद्योग का वितरण — पश्चिमी बंगाल—१०१ मिलें
आन्ध्र प्रदेश—४ मिलें
उत्तर प्रदेश तथा बिहार—६ मिलें
उड़ीसा तथा दिल्ली—२ मिलें

लोह एवं इस्पात उद्योग

(Iron and Steel Industry)

लोह एवं इस्पात आधुनिक भौतिक सभ्यता के ढाँचे की रीढ़ है। आधुनिक सभ्यता के लिए लोहा एवं इस्पात, हवा और पानी से भी अधिक उपयोगी है। नित्य प्रति जीवन की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो या तो लोहे से न बनती हो अथवा लोहे के बिना ग्रीकार से न बनती हो। कवि वीरस ने तो यहाँ तक कहा है कि “सोना महल की रानी के लिए आवश्यक है, चाँदी महल की दासी के लिए और तौना एक सभ्यता के लिए, परन्तु लोहा इन सभी धातुओं का स्वामी है।”^१ इस कथन की पुष्टि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स के शब्दों से भी होती है। उनके अनुसार “आधुनिक युग के यान्त्रिक आविष्कार, मुख्यतः यान्त्रिक श्रम की देन हैं, जिनमें राय प्रेरक शक्ति तथा लोहा उनकी आधारशिला एवं केन्द्रीय शक्ति है।”^२

नि सन्देह आधारभूत उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोह एवं इस्पात ही है। यह न केवल औद्योगिक ढाँचे की आधारशिला है, बल्कि आधुनिक युग के प्रत्येक क्षेत्र की आधारशिला है। औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, यातायात एवं उम्पाद गहन, वैज्ञानिक कृषि सभी का भविष्य इस उद्योग के भविष्य पर आधारित है।

१६ एवं इस्पात के साथ कोयले की उपलब्धता सोने में मुहांगे के समान है। इस उद्योग का महत्व राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टि से भी कम नहीं है। लार्ड केम्स ने कहा है कि “जर्मन साम्राज्य की नींव गूत और लोहे पर नहीं, बल्कि कोयले और लोह पर पड़ी थी।”^३ इतना ही नहीं सभ्यता में आधुनिक युग भले ही आ जान, परन्तु फिर भी लोह एवं इस्पात की महत्ता यथावत् ही बनी रहगी।

प्रत्येक देश का औद्योगिक महत्व उसके इस्पात उत्पादन से प्रगट होता है। इस दृष्टिकोण से अमेरिका सभ्यता में अग्रगण्य है। यहाँ पर इस्पात का उत्पादन लगभग १० करोड़ टन प्रति वर्ष है। इसके बाद सोवियत रूस का स्थान है, यहाँ पर ४॥ करोड़ टन इस्पात पैदा होता है। इसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस आते हैं—जहाँ पर क्रमशः १६० लाख टन, १७० लाख टन और १०० लाख टन इस्पात पैदा होता है। छोटे-छोटे से देश जैसे जापान, लुक्जम्बर्ग और आर जैसे देशों में भी क्रमशः ५० लाख टन, ३० लाख टन तथा ३० लाख टन इस्पात तैयार किया जाता है। परन्तु खेद का विषय है

१ “The mechanical contrivances of the present age are mainly due to the completion of a system of machine labour, in which steam is the motive power, and iron the fulcrum and the lever.”—*Jevons*

२ “Not on blood and iron but on coal and iron was the German Empire founded”—*Lord Keynes*.

किं भास्त केवल १२ लाख टन ही प्रति वर्ष उत्पन्न कर पाता है। इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में बृहत् श्रायोजन किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा १९५४ में की गई, 'भारतीय उद्योग गणना' के अनुसार देश में उस समय लौह एवं इस्पात का १२६ करोड़ तथा छोटे कारखानों में। इनमें कुल पूंजी का निनियोग ७० १६ करोड़ रुपये था, जिसमें से ३५.६ करोड़ रुपये स्थाई पूंजी और ३४ २६ करोड़ रुपये चालू पूंजी थी। लगभग ८५ हजार ६ सौ ३४ व्यक्ति काम कर रहे थे जिन्हें १८ १३ करोड़ रुपये वेतन व मजदूरी के रूप में दिये गये।

ऐतिहासिक मीमासा

लौह एवं इस्पात का उत्पादन में भारतीय लोग अति प्राचीन काल से निपुण रहे हैं। प्राचीन भारत में लौह पत्थर से इस्पात बनाने का कार्य छोटी छोटी लौहकारियों में किया जाता था। लगभग प्रत्येक गांव में यह कार्य होता था। ऋग्वेद जो हिं सभार के पुस्तकालय में प्रथम पुस्तक मानी जाती है, में भी लौह के अन्न शस्त्र बनाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत में लौहा पिघलाया जाता था और इस्पात के प्रसिद्ध दमिश्क हुरे का निर्माण भारतीय इस्पात से ही होता था। रानाडे के अनुसार भारतीय लौह उद्योग केवल देश की भागों को ही पूरा नहीं करता था बल्कि विदेशों में भी अपने माल को निर्यात करता था।

लौह एवं इस्पात की वस्तुओं के गुण की ख्याति विश्वव्यापी थी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तम्भ जो कम से कम १५ सौ वर्ष पुराना है हमारे पूर्वजों की कुशलता का प्रतीक है। श्री नाल के अनुसार इस स्तम्भ का निर्माण आज के बड़े-बड़े कारखानों में होना असम्भव है। असम में उड़ी से उड़ी तीनों बनाई जाती थीं और भारतीय इस्पात की मिलायत में भी उड़ी भाग थी।

आधुनिक प्रणालियों से लौहा बनाने का कार्य जहाँ तहाँ १९वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि कुछ अप्सल प्रयत्न इसके पूर्व भी किये जा चुके थे। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इस उद्योग के ऐतिहासिक विकास को पांच भागों में बांट सकते हैं —

- (१) १६वीं शताब्दी के अन्त तक,
- (२) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक (१६०१ १४),
- (३) द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक (१६१४ १६३६),
- (४) स्वतन्त्रता के पूर्व तक (१६३६ १६४७), तथा
- (५) स्वतन्त्रता के पश्चात् (१६४७ १६५६)।

१६वीं शताब्दी के अन्त तक

सर्वप्रथम १७७७ में नेत्स मोटी तथा फर्रुहार (Mottec and Fur-

quhar) ने भरिया तिल व पाव लोहा बनाने का काम शुरू किया था, परन्तु दा वर नाद यह बंद हो गया। इसका पश्चात् सन् १८०८ में 'इस्ट इण्डिया कम्पनी' की प्रार्थना से मिस्टर डकन ने मद्रास में लाहे व साधना की रोज की और एक छोटा-सा कारखाना पोला पर यह असफल रहा। तत्पश्चात् सन् १८२५ में मद्रास सिविल सर्विस-रू मिस्टर जोसियाह हीथ (Josiah Heath) ने मद्रास में एक कारखाना पोला, परन्तु यह भी असफल रहा। मिस्टर हीथ ने इर्तीफा देकर सन् १८३० में दक्षिणी प्रारसाठ में पोर्तनापो नामक स्थान पर मद्रास सरकार की सहायता से कारखाना पोला परन्तु यह प्रयास भी असफल रहा।

उत्तर प्रदेश में मुमायू में १८३७ में सरकारी तथा गैर सरकारी कम्पनियों ने व्यवसाय शुरू किया, पर ईंधन के अभाव में असफल रहे। प्रगाल में जैसाप एंड कम्पनी ने प्रारकार में १८३६ में काम शुरू किया पर शाघ्र ही बन्द कर दिया। इस प्रकार १८७७ तक यह क्रम जारी रहा। १८७४ में भरिया बोरला पोला क निकट बोरार प्रारसन बस्स स्थापित किया गया जिसे १८८८ में 'प्रगाल प्रारसन एंड स्टील कम्पनी' ने अपने हाथ में ले लिया। १६०० में ३५ हजार टन लोहा तथा इस्पात का उत्पादन हुआ।

महायुद्ध के पूर्व तक (१६०१-१६१४ तक)

१६०५ में 'प्रगाल प्रारसन एंड स्टील कम्पनी' में लाहे से इस्पात बनाना शुरू पर इस २३ लाख रुपये की लागत उठाना पड़ी। भाग्यवश इसी समय एक सहस्रा उद्योगपति, तिनना नाम जमशेद जी नसरवान जी टाटा था, भारत में एक शक्तिशाली लोह एवं इस्पात उद्योग को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने १६०२ में ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण किया और वहाँ के लोह एवं इस्पात उद्योगों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। वे अपने साथ कुछ विदेशी निर्यातकों को भी यहाँ लाए। उन्होंने १६०३ से १६०५ तक दश के भारी लोह क्षत्र (सामची) को ढुंढ निकाला। पर दुर्भाग्यवश श्री टाटा अपने भ्रम के पूर्ण हाने के पहले ही १६०४ में परलास्वासी हो गये। १६०७ में श्री टाटा के नाम पर 'टाटा प्रारसन एंड स्टील कम्पनी' की स्थापना हुई। पिट्सबर्ग की प्रारसद इतानियरिंग कम्पनी की सहायता से १६०८ में सामची (जमशेदपुर) नामक स्थान में कारखाना बनाना शुरू हुआ जो १६१० में पूरा हो गया। १६११ से कच्चा लोहा और १६१३ में स्पात का उत्पादन प्रारम्भ हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक (१६१४-१६-८)

प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६१८) इस उद्योग के लिए बरदान के रूप में सिद्ध हुआ। विदेशी प्रारसर्दा लगभग समाप्त हो गई, आन्तरिक और विदेशी माग अत्यधिक

बढ़ गई और मूल्यों में भी आघातीत वृद्धि हुई। टाटा कम्पनी की अद्भुत तीव्र सफलता से प्रभावित होकर १९१८ में आयरनकोल (बंगाल) के निक्ट हीरापुर में १० लाख पौंड की पूँजी के साथ 'इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी' खोली गई। १९२१ में मनोहरपुर में 'यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन आफ एशिया', १९२३ में 'दी ईस्टर्न आयरन कम्पनी' और भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स' (अब मैसूर आयरन एन्ड स्टील वर्क्स) की स्थापना हुई।

१९२४ से उद्योग के सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी। एक तो विदेशी प्रतिस्पर्धा और दूसरी देश में मजदूरी और षोयले के मूल्य में वृद्धि हो जाने से उद्योग की काफी हानि हुई। बंगाल आयरन कम्पनी को तो अपनी क्रियाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना पड़ा। भाग्यवश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण के अन्तर्गत विदेशी आयात पर ४०% कर लगाया गया और आर्थिक सहायता भी दी गई। प्रारम्भ में यह सहायता ५० लाख रुपये वार्षिक थी, परन्तु विदेशी रस्सात का मूल्य गिरने से इस सहायता की धनराशि और बढ़ा दी गई, तथा संरक्षण-आयात पर भी नढ़ाये गये। इस सहायता से उद्योग तीव्र गति से विकास करता गया और आघातों की मात्रा में भी कमी हुई। समय-समय पर प्रशुल्क बोर्ड द्वारा इस उद्योग की जाँच होती रही और संरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती रही। इस प्रकार १९४७ तक इस उद्योग को संरक्षण मिलता रहा। १९४६ में उद्योग ने संरक्षण की पुनः माग नहीं की, फलस्वरूप १९४७ से यह संरक्षण हटा लिया गया है।

स्वतन्त्रता के पूर्व तक (१९३९-४७)

सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से रस्सात की माग एकदम बढ़ गई और आघात में कमी हो गई। इस उद्योग को पुनः प्रगति करने का अवसर मिला। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का शस्त्रशाला बन गया था और रस्सात के उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा मूल्यों पर सरकार ने कठोर नियन्त्रण कर रखा था। १९३९ में ही 'स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल' का जन्म इस उद्दी हुई माँग का लाभ उठाने के लिए हुआ। इसके अतिरिक्त अनेक नई-नई सहायक कम्पनियाँ भी स्थापित हुईं।

इस प्रकार युद्ध काल में रस्से लौह तथा रस्सात दोनों के उत्पादन में वृद्धि होती रही। सन् १९४१ में बच्चा लौहा २० लाख टन और १९४३ में रस्सात ११.३ लाख टन तक पहुँच गया। यह उत्पादन अब तक के उत्पादन में सर्वोच्च था किन्तु इसके उपरांत ही उत्पादन गिरने लगा। माँग में कमी हो गई और उद्योग पुनः खराब प्रस्त हो गया। १९४६ में सरकार ने एक आयरन एन्ड स्टील पैनल नियुक्त किया जिसने उत्पादन बढ़ाने के उपायों तथा उद्योग की स्थिति व उसके प्रति राजकीय फर्तव्य के

विषय में अपनी सिफारिशें कीं। पैनल ने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए २५ लाख टन इस्पात प्रति वर्ष उत्पादित करने का लक्ष्य बताया और इसके लिए दो नये कारखाने स्थापित करने का मुझाव दिया। पैनल ने यह भी बताया था कि यदि निजी पूंजीमति अधिक उत्पादन में सहयोग नहीं देते हैं तो सरकार को स्वयं कारखाने स्थापित करने चाहिए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् (१९४७-६० तक)

स्वतन्त्रता प्राप्त क पश्चात् लौह एवं इस्पात उद्योग में विकास की आरंभिक योजना दिया गया। राष्ट्रीय सरकार ने अनुभव किया कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए एक उन्नतशील इस्पात उद्योग में सम्भव न हो सकेगी। चूंकि देश में पूंजी का अभाव था, अतः सरकार ने इस उद्योग में आर्थिक सहायता दी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सरकार ने लौह एवं इस्पात उद्योग की उन्नति में उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। सरकार का निश्चय था कि वह सन् १९५६ तक ३० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च करेगी और ४३ करोड़ रुपये निजी उद्योगियों को विकास योजनाओं में पूरा करने के लिए देगी। देश में समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य को सामने रखते हुए, योजना आयोग ने निश्चय

किया है कि अब भारी तथा आधारभूत उद्योगों का सरकार ही खोले। फलस्वरूप सरकार

और मूलभूत भी कर दिया है। सन् १९५१ में जापान की एक कम्पनी का प्रस्ताव

परन्तु काफी बाद विवाद के पश्चात् भी वह असफल रहा। १ अगस्त १९५३ का

भारत सरकार और जर्मनी की दो प्रमुख कम्पनियों—डेमाग एंड क्रुप (Demag and Krups)—के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार उड़ीसा

राज्य के रूरकेला नामक स्थान में एक लॉह का कारखाना स्थापित किया गया है।

इसके उपरान्त १९५४ में रूस की सरकार का भी प्रस्ताव आया, जिसे जनवरी १९५५ में

सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह दूसरा कारखाना मध्य प्रदेश के भिलाई नामक स्थान

पर बनाया जा रहा है। अगस्त १९५५ में एक तीसरा प्रस्ताव 'ब्रिटेन' इस्पात मिशन

का भी स्वीकार कर लिया गया है और तीसरा कारखाना पश्चिम बंगाल में आसनसोल

के निकट दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है।

साथ ही साथ पुराने भारतीय लौह एवं इस्पात कारखानों का भी विस्तार हो रहा

है। टाटा आयरन स्टील कम्पनी को १० करोड़ रुपये, स्टील कारपोरेशन आफ इंडिया

को ३५ करोड़ रुपये विस्तार योजना के लिए स्वीकार किये गये हैं। इन सभी योजनाओं

की सहायता में रूपरेखा अगले चरण पर दी गई है—

क्रम	नाम	उत्पादन शक्ति (लाख टन)
१	दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२०
२	दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	१३
३	दि मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	७
४	जर्मनी का कारखाना क्रमला म	१०
५	सोवियत रूस का कारखाना मिलाई म	१०
६	प्रविश कारखाना दुर्गापुर म	१०

द्वितीय योजना—भारत की विकास योजनायाँ के साथ ही साथ लौह एवं इस्पात की माँग भी बढ़ने लगी। अतः इस योजना के अन्तर्गत इस उद्योग को और भी अधिक महत्व दिया गया। सरकार ने ४३१ करोड़ रुपये इस उद्योग पर व्यय करने का निश्चय किया। सरकार ने यह भी निर्णय किया कि १९६०-६१ तक इस उद्योग की उत्पादन क्षमता ६० लाख टन हो जानी चाहिये।

इस उद्देश्य से द्वितीय योजना काल में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन करने, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ाकर ८ लाख टन करने तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का उत्पादन बढ़ाकर १ लाख टन इस्पात कर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार द्वितीय योजना में तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर चौगुना कर देने की योजना है।

प्रथम योजनाकाल में जिन तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के समझौते, जो विभिन्न देशों से हुए थे, उन्हें द्वितीय योजना में कार्यान्वित किया गया। जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

स्थान	पैजी का सिन्डिकेट (अरब रु०)	कच्चा लोहा (लाख टन)	इस्पात पिंड (लाख टन)	फक्का इस्पात (लाख टन)	विक्री हेतु कच्चा लोहा (लाख टन)
क्रमला	१७०	६४५	१००	७२०	३०
मिलाई	१३१	१११०	१००	७७०	३००
दुर्गापुर	१३८	१२७५	१००	७६०	३५०

ये तीनों कारखाने लगभग बन चुके हैं। इन तीनों इस्पात संयंत्रों के प्रबंध का दायित्व 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' पर है, जो अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है।


रुरकेला की प्रथम धमन भट्टी का कार्य ३ फरवरी १९५६ को, तथा भिलाई का धमन भट्टी का कार्य ४ फरवरी १९५६ को प्रारम्भ हो गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य १ करोड़ टन रखा गया है। द्वितीय योजना में इस्पात का लक्ष्य ६० लाख टन था। इस प्रकार तृतीय योजना में ४० लाख टन अतिरिक्त इस्पात का उत्पादन करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाकाल में ८०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

लोह एवं इस्पात उद्योग का वितरण

इस समय भारतवर्ष में ६ प्रमुख लोह एवं इस्पात के संयंत्र हैं जिनमें से तीन पूर्व स्थापित तथा तीन नव निर्मित हैं। पूर्व स्थापित संयंत्र 'टाटा आयरन एंड स्टील



चित्र १८

कम्पनी', 'इरिडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी', तथा 'मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स' हैं। नवीन स्थापित संयंत्र 'रुरकेला', 'भिलाई' तथा 'दुर्गापुर' हैं, जिनकी स्थापना

कन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय योजना के अन्तर्गत की गई है। इन सयन्त्रों के निरक्षण एवं स्थानीयकरण का निरक्षण इस प्रकार है —

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी—यह कम्पनी, जो कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी इस्पात निर्माणी इकाई है, साक्ची (जमशेदपुर) नामक स्थान में स्थापित है। आवश्यक कच्चा माल जैसे, कच्चा लोहा, कोयला, चूना तथा डालोमाइट साक्ची से थोड़ी ही दूर पर प्राप्त हो जाते हैं। यह कम्पनी कच्चा लोहा ३० से ५० मील की दूरी पर स्थापित गुफनाहिसानी, नाआनुची, नदम पहाड़ की खानों से प्राप्त करती है। जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है यह कम्पनी अपनी ही खानों से जो कि लगभग १०० मील की दूरी पर स्थापित हैं, प्राप्त करती है। चूना और डालोमाइट की पूर्ति पास वाले ही क्षेत्रों से हो जाती है। तोरकाइ तथा मुवर्णरेखा नदियाँ से आवश्यक जल की पूर्ति हो जाती है।

यह कम्पनी कलकत्ते से करल १५२ मील की दूरी पर स्थित है जिससे इसे विपणन तथा निर्यात में सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यातायात, कच्चेमाल की प्राप्ति तथा विपणन में सुविधाओं की दृष्टि से यह कम्पनी सर्वश्रेष्ठ है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी—यह कम्पनी आसनसोल के पास 'कुलडी' नामक स्थान पर स्थापित है। कुलडी कोयला खानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कच्चा लोहा 'नोटोदुरु' तथा 'बुदुदुरु' नामक पहाड़ियों में 'गुआ' खानों से प्राप्त किया जाता है। १९५३ में इस कम्पनी ने अपने पास में ही स्थापित 'स्टील कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' का सप्लायन (absorption) कर लिया है। चूना तथा डालोमाइट त्रिखड़ा तथा रुक्मला से प्राप्त किया जाता है। मैंगनीज तथा कार्बन क्रमशः मध्य प्रदेश तथा सिंहभूमि जिले से प्राप्त की जाती है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स—यह कम्पनी मैसूर राज्य में 'भद्रावती' में स्थापित है। यह अपनी आवश्यकता के लिए कच्चा लोहा २६ मील दूर पर स्थित 'नाग बुदान' पहाड़ियों से प्राप्त करती है। चूना करल १३½ मील की दूरी पर ही प्राप्त हो जाता है। यह कम्पनी लोहे को गलाने के लिए कोयले के स्थान पर तारकोल का प्रयोग करती है। तारकोल के अभाव को दूर करने के लिए कम्पनी ने अभी हाल में एक विद्युत भट्टी का निर्माण किया है। इस कम्पनी को मद्रास और मम्बई के नदरगाहा के पास स्थापित होने के कारण अन्य इस्पात कम्पनियों की अपेक्षा में यातायात तथा दक्षिणी राज्या का लाभ प्राप्त है।

रुक्मला इस्पात संयंत्र—यह संयंत्र कलकत्ते से २५० मील की दूरी पर उड़ीसा प्रदेश के रुक्मला नामक स्थान पर सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। रुक्मला हावड़ा मम्बई लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। संयंत्र स्टेशन से

नी दूरी पर स्थापित है। पास में ही 'वाइल' तथा 'साउ' नामक नदियाँ बहती हैं और वे दोनों मिल कर एक नदी—ब्रह्मानी—का जन्म देती हैं। इसी क्षेत्र में एक प्राकृतिक पहाड़ी श्रेणी है जो शहर को भट्टियाँ की गर्मी तथा भूतल से बचाती है। यहाँ पर 'गोनाइ' क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में अच्छे लोहे का अयस्क भण्डार पाया गया है। अनुमान है कि यह भण्डार ५० अथवा २ करोड़ टन कच्चा लोहा प्रति वर्ष प्रदान कर सकता है। इससे अतिरिक्त ५५ मील की दूरी पर 'गुआ' में एक नई खान विस्तार की जा रही है। चूने की खान यहाँ पर इतनी अधिक हैं कि यहाँ से चूना देश के अनेक इलाकों को भेजा जाता है। गीरमित्रपुर की चूने की खान जो एशिया में सबसे बड़ी है यहाँ पर स्थित है। गोणले की पूर्ति 'गोनाइ' तथा 'भरिया' कोयला खानों से की जायगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र—यह संयंत्र मध्य प्रदेश में नागपुर से १७३ मील की दूरी पर 'भिलाई' रेलवे स्टेशन के पास २० अथवा २५ मील के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र के लिए आवश्यक कच्चा लोहा ५० मील दूर दक्षिण में स्थित बेल राफड़ा से प्राप्त किया जाता है। कोयला १४६ मील की दूरी से 'बोला' नामक स्थान से प्राप्त होता है। मंगनीय पश्चिम में स्थित 'भण्डारा' तथा 'बालराट' नामक पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया जाता है। चूने का तो यह गढ़ ही है। आवश्यक बंधन 'तटुला' जल स्रोत से होता है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र—पश्चिमी बंगाल में 'दुर्गापुर' नामक स्थान पर २१८५६ में 'इण्डियन स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड' (यह १३ प्रतिशत सम्पत्तियों का एक सन् है) के सहयोग में केन्द्रीय सरकार ने स्थापित किया है। इस संयंत्र के लिए आवश्यक कच्चा लोहा 'गुआ' क्षेत्र में 'गोलानी' की खानों से प्राप्त किया जायगा। कोयला 'भरिया' से प्राप्त किया जायगा। चूना 'गीरमित्रपुर' तथा 'हाथोनाड़ी' क्षेत्रों से प्राप्त किया जायगा।

वर्तमान स्थिति

इस्पात, खान एवं ईंधन के केन्द्रीय मन्त्री ने बताया है कि जुलाई १९५६ तक के छह माहों में कुरुआ और भिलाई में कच्चे लोहे का उत्पादन क्रमशः ८१,११६ तथा १,५४,८०२ टन था। दोनों ही संयंत्रों में तीन धमन भट्टियाँ (Blast Furnaces) में से पहली भट्टी उत्पादन करने लगी थी। भिलाई में फरवरी से अगस्त तक लोहे के १,८७,६७७ पिंड तैयार हुए।

इस्पात का आयात करने के लिए भारत सरकार ने सन्विष १९५६ तथा १९५७ से क्रमशः २,०४,२०० टन ५,८०० टन तक ५,२१२ टन (मैट्रिक) का अनुमति किया है। जून १९५६ तक पालौड, हगरी तथा सोनियत रुस से ६८,१६६ टन

(मैट्रिक) इस्पात आ गया था। सरकार 'विकास ऋण कोष' (Development Loan Fund) में से भी ६० मिलियन डॉलर के मूल्य का इस्पात खरीद रही है।

वास्तविक उत्पादन—विभिन्न विकास योजनाओं के फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों से लौह एवं इस्पात का कुल वास्तविक उत्पादन देश में बढ़ता ही रहा है, जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होता है—

लौह एवं इस्पात का उत्पादन*

(,००० टन)

वर्ष	थका लोहा	तैयार इस्पात
१९५१	१,७०८८	१,०७६४
१९५२	१,६८४८	१,१०२८
१९५३	१,६५४८	१,०२३३
१९५४	१,७९२८	१,२४३२
१९५५	१,७५६८	१,२६००
१९५६	१,८०७२	१,३१६४
१९५७	१,७८२२	१,३४६४
१९५८	२,०११२	१,४९६६
१९५९	२,१९६०	१,७२६४
१९६० (जनवरी)	३३६८	२१५२

निम्नी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की प्रगति

दादा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के विस्तार का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। आशा की जाती है कि अप्रैल १९५९ तक २० लाख टन इस्पात तैयार की जाने की योजना पूरी की जा सकेगी।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने दो धमन भट्टियाँ चालू की हैं और इसके प्रति दिन १,२५० टन लोहा तैयार किया जाता है। इसके विस्तार का कार्यक्रम दिसम्बर १९५९ तक पूरा करने की योजना है। मैक्स आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के हर साल १७,००० टन दले हुए लोहे के स्न पाइन बनाने का कारखाना लगभग तैयार कर लिया है। इसके अलावा, एक और कारखाना घोलने की योजना पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें हर साल २० हजार टन लोहा एवं सिलिकन मिश्रित धातु तैयार की जायेगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८ में कुल ११ लाख ६० हजार टन लोहा

और इस्पात आयात किया गया, जबकि १९५७ में १७ लाख ३० हजार टन आयात किया गया था। इस वर्ष देश में ४,५७,००० टन एनिज लोहा निकाला गया, जबकि १९५७ में २,६५,००० टन निकाला गया था। इस वर्ष तीनों सरकारी इस्पात कारखानों की निर्माण की प्रगति सन्तोषजनक रही।

इस्पात की तीनों सरकारी कारखानों में २००० इजानियरों और १६ हजार मशीन चलाने वाला तथा कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए रूस अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी और कनाडा के इस्पात कारखानों में इजानियरों के १,७०० स्टाफों को काम सिटाने की व्यवस्था की गई। दिसम्बर १९५८ तक १,०४० इजानियर तथा कर्मचारियों को विदेशों में भेजा गया था जिनमें से ७०० काम सीट कर आ गये हैं और काम पर लग गये हैं।

लौह एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ

वर्तमान काल में इस उद्योग में सम्मुख कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं जिनके कारण द्वितीय योजना में निधारित लक्ष्य में पूरा होने में कुछ बाधा पड़ रही है। प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं —

(१) वित्त की समस्या—नवीनीकरण, आधुनिकरण तथा विस्तार करने के लिए उद्योग को एक बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति आन्तरिक स्रोतों में होना असम्भव-सा जान पड़ता है। सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न ऋण निगम भी अपने सीमित साधनों के कारण इसकी पूर्ति करने में असमर्थ हैं।

(२) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—वर्तमान काल में उद्योग में एक सन्तुष्ट एवं दृश्य समस्या प्रशिक्षित एवं प्राविधिक कर्मचारियों का अभाव है। देश में ऐसी शिक्षा देने वाले विद्यालय तथा कन्द्र बहुत कम हैं। इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार विदेशों से ऐसे व्यक्तियों का आयात कर रही है और साथ ही साथ भारतीयों को विदेश शिक्षा प्राप्त करने के लिए भव रही है।

(३) औद्योगिक नीति—भारत सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति को समाजवादी व्यवस्था के आधार पर बनाया है। इससे अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक अधिक महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप निजी उद्योगपति अपना धन निनियोग करने में हिचकत हैं।

(४) कोयले की कमी—उद्योग को अच्छे कोयले की आवश्यकता की समस्या को भी सामना करना पड़ रहा है। अच्छे कोयले का वर्तमान उत्पादन ३६ मि० टन है जिसको बढ़ा कर १६६० ६१ तक ११२ मि० टन करने का लक्ष्य है जिसकी प्राप्त करना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है।

(५) यातायात की सुविधा का अभाव—इस उद्योग में अच्छे तथा पक्के

माला को अधिकतर रेल यातायात के द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है। वर्तमान रेलवे इंजन तथा डिब्बों की कमी इस उद्योग के लिए एक समस्या बन गई है। स्मरण रहे कि १ टन इस्पात बनाने के लिए ५.३ टन कच्चा माल तथा कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसका यातायात रेलवे के द्वारा होता है। द्वितीय योजना में निर्दिष्ट ६ मि० टन इस्पात निर्यात का लक्ष्य पूरा करने के लिए ३३ मि० टन कच्चे माल तथा कोयले का यातायात करना होगा। यह उसी समय सम्भव है जब कि रेल यातायात ने द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायँ।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम कारखाना—सन् १७७७ में मैसूर मोट्टी तथा फरुखार ने भरुवा जिले में एक कारखाना स्थापित किया।

२. कुल कारखानों की संख्या—१९५४ की औद्योगिक उत्पादन गणना के अनुसार देश में १३१ कारखाने हैं। इस समय छः प्रमुख कारखाने हैं—(१) T. I. S. Co., (२) I. I. S. Co., (३) M. I. S. W., (४) Rourkela, (५) Bhilai & (६) Durgapur

३. पूँजी का वित्तियोग— { लगभग ७०० करोड़ रुपये जिसमें से ५५८ २५ करोड़ रु० नेत्रल तीन नये सयनों पर।

४. वार्षिक उत्पादन—१९५८ में २०११ २ हजार टन कच्चा लोहा तथा १,२६६ ६ हजार टन तैयार बनाया गया।

५. योजनाओं में लक्ष्य— { प्रथम योजना—१७ मि० टन
(इस्पात लखड) { द्वितीय योजना— ६ ”
 { तृतीय योजना—१० ”

६. उद्योग का वितरण—बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मद्रास

७. कर्मचारियों की संख्या—१९५४ की गणना के अनुसार ८५,६३४ व्यक्ति

८. एक्सपोर्ट्स—इस्पात लखड पर १९५६ ६० म ट करोड़ रु०

चीनी उद्योग

(Sugar Industry)

स्वस्थ शारीरिक क्रिया प्रणालियों के संचालन में शर्करा (ग्लूकोज) की जो उपयोगिता है, किसी भी राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में चीनी को उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त है। दैनिक जीवन की उपयोग्य सामग्रियों में चीनी की आवश्यकता दिन-दिन बढ़ती जा रही है, फलतः चीनी उद्योग का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

गुड़ और देशी साँड़ को सम्मिलित करके हुए भारतीय चीनी उद्योग सकार म सबसे बड़ा उद्योग है। सकार के प्रमुख चीनी उत्पादक—रूस, संयुक्त राज अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादि देश—भारत के उद्योग ही आते हैं। सकार में ग्राहक बनने की शक्ति का कुल उत्पादन २४० लाख टन और बनने तथा सुन्दर की शक्ति का उत्पादन ३८० लाख टन है जिसमें से ५० लाख टन शक्ति केवल भारत ही उपलब्ध करता है। यही नहीं सकार के सम्पूर्ण बनने के उत्पादन का लगभग २८% भारत में पैदा होता है। भारतवर्ष के सगठित बड़े उद्योगों में चीनी उद्योग का स्थान द्वितीय है। यह देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जान की दैनिक आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति करता है। चीनी तथा गुड़ का उत्पादन प्रति वर्ष १२० करोड़ रु० से अधिक का होता है। इस प्रकार देश में १६० चीनी के कारखाने हैं जिनमें लगभग कुल १०० करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है। इस उद्योग में लगभग २ करोड़ कृषकों, १०४ लाख कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा ३५०० विश्वविद्यालयों के शिक्षित व्यक्ति रोजगार पा रहे हैं। इस उद्योग में १६५७५८ में चीनी, गुड़, साँड़कारी तथा शीश क्रमशः १६,६८,०००, ३०,००,०००, २,००,०००, ७,२५,००० टन पैदा किया गया। सरकार ने इस उद्योग में से उत्पादन उपकर (excise duty) के रूप में इसी वर्ष ४२७५ लाख रुपये वसूल किये। इस प्रकार भारत की अर्थ-व्यवस्था में चीनी उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

ऐतिहासिक मीमांसा

चीनी उद्योग भारत का अति प्राचीन उद्योग है। ऐसा कहा जाता है कि भारत ही बनने तथा चीनी का प्रारम्भिक गढ़ है। भारतीय शक्ति उद्योग का प्राथमिक इतिहास अत्यन्त रोचक है। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ग्राहक से २५०० वर्ष पूर्व भारत की बनने और बनने से चीनी बनाने की कला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में 'शर्करा' शब्द का उल्लेख मिलता है। 'पंच अमृत' नामक रास्य पदार्थ में 'शर्करा' बाली जाती थी। इससे ६२७ ६५० के बीच चीन के महान् शासन 'ताइ तुसुंग' (Tai Tsuang) ने एक नए भारत में भारतीय चीनी उद्योग का अन्वेषण करने की योजना का। इससे चार शताब्दी पूर्व चीन में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में बनने के द्वारा चीनी बनाने तथा शरीर से मद्यकार निकालने की विधियों का उल्लेख किया है। १५वीं शताब्दी से भारत ने योरोपीय देशों को चीनी भेजना प्रारम्भ कर दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल में भी (१७वीं तथा १८वीं शताब्दी) गुड़ से चीनी तैयार करने तथा उसे विदेशों को निर्यात करने का उद्योग प्रारंभ होतों हैं। सन् १८०२ ई० में सुकरन्दर (Sugar-Beet) की खोज होने पर योरोप में चीनी निर्यात जाने लगी। फलस्वरूप भारतीय चीनी की माँग घटने लगी। १८वीं

शताब्दी में परिस्थिति एकदम उदल गई तथा भारत स्वयं इसका आयात करने लगा। मारिशस तथा जावा से आयात में भारी वृद्धि के कारण तथा सरकारी सहायता प्राप्त योरोपीय चीनी के आयातों के फलस्वरूप सन् १८६० तथा उसके पश्चात् चीनी उद्योग की दशा बहुत खराब हो गई।

आधुनिक चीनी उद्योग का विरास सन् १८६६ ई० से होता है, जब कि मद्रास तथा बंगाल के काशीपुर में गुड़ बनाने और साफ करने के लिए एक एक कारखाना खोला गया। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो आधुनिक चीनी उद्योग की नींव १८६६ ई० में पड़ी, जब कि सरकार ने चीनी के आयात पर कर लगा दिया। इस प्रतिबंध की आड़ में अनेक कारखाने १९०३ में उत्तरी भारत में खोले गए। परन्तु इस समय तक उत्पादन के दृग अर्थशास्त्रिक थे, जिससे बीमत अधिक होती थी, माल की किम्मत खराब होती थी और भारत अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा लेने में असमर्थ था।

तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी भारत में मोतिहारी, बारा-बंझिया, बेल मुद्दू, गारखपुर, तथा पडरौना के कारखाने प्रसिद्ध थे। शताब्दी के प्रारम्भ में चीनी कुटीर उद्योग एक प्रकार से नाट होता जा रहा था और मूल उद्योग मंद गति से प्रगति करता जा रहा था। सन् १९०१-१९२० के बीच भारतीय गन्ने की नस्ल सुधारने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये थे। सन् १९०१-३० में गन्ने में सुधार करने की दृष्टि से कोयम्बटूर में एक अनुसंधान कन्द्र खोला गया। सन् १९१६-२० में चीनी उद्योग के विकास के लिए एक चीनी समिति भी स्थापित की गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन बढ़ा। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के फलस्वरूप इस उद्योग को प्रोत्साहन अग्रश्रेय मिला परन्तु युद्धोपरान्त उद्योग की अवस्था ज्यों की त्यों हो गई।

चीनी उद्योग की संरक्षण

सन् १९३१ तक भारत में विदेशों से शक्कर का काफी आयात किया जाता था। इस समय भारत में छोटे-बड़े सब मिलाकर कुल ३२ कारखाने ही थे, जिनका अस्तित्व ही खतरे में था, क्योंकि वे विदेशी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। अतः सन् १९३०-३१ में 'इम्पीरियल वाउन्सिल ऑफ एग्जाम्प्लरल रिक्वेस्ट' ने इस उद्योग की दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ सुझाव दिये। फलस्वरूप सन् १९३१ में एक दरिफ बोर्ड नियुक्त किया गया जिसके सुझावों के अनुसार अप्रैल १९३१ को १५ वर्षों के लिए उद्योग को संरक्षण देना स्वीकार किया गया। चीनी उद्योग ही एक ऐसा उद्योग था, जिसे सरकार ने सर्वप्रथम इतनी लम्बी अवधि के लिए संरक्षण देना स्वीकार किया।

क लिए सरकार ने चीनी के आयातों पर प्रथम सात वर्षों के लिए ७३ रु० प्रति हज़र पेट के हिसार से सरस्रय कर लगाया और इस आयात कर पर २५% के बयनर एक अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) भी लगाया, जिसके परिणामस्वरूप आयातों पर कुल भार ६ बर्या १ ग्राना प्रति हज़रपेट हो गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि निदेशी शर्कर के आयात क्रमशः कम होने लगे गए और १९६१-४२ तक आयातों प्रायः समाप्त हो गईं। सन् १९३१-३२ में ३२ चीनों मिले थीं जिनका उत्पादन १,५८,५८१ टन था। सन् १९३६-३७ में मिला की संख्या बढ़कर १३७ तथा उत्पादन १२,२०,६०० टन हो गया। यह उत्पादन अनुमानित उपयोग (१०,५०,००० टन) में कुछ अधिक था। इस अतिरिक्त उत्पादन से उद्योग भारी संकट में पड़ गया, क्योंकि चीनी का भाव तेजी से गिरने लगा था।

सन् १९३७ में मिला की आपसी अनार्थिक प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त उत्पादन, और लाभों में भारी कमी को रोकने के लिए सुगर सिंडीकेट की स्थापना की गई। इस सिंडीकेट की ६० मिल सदस्य थीं। इसी वर्ष चीनी अप्रिनियम निरन्तर भी स्वीकृत किये गये। इन अप्रिनियमों के अनुषार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रत्येक मिल को प्रान्तीय (राज) सरकार से मिल चलान के पूर्ण अनुज्ञापन (Licence) लेना अनिवार्य था। प्रत्येक मिल के लिए मात्रा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र भी निर्धारित कर दिये गए। इन दोनों प्रान्तों की मिला को अपनी चीनी इसी सिंडीकेट को बेचनी पड़ती थी। एक चीनी निरन्तर बोर्ड भी स्थापित किया गया। सन् १९४० में एक शर्कर आयोग (Sugar Commission) की भी नियुक्ति की गई।

द्वितीय महायुद्ध पर उसके परिचात् (१९३६-१९४७ तक)

सन् १९३६ में जिस समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ १०५ चीनी के कर जाने से तथा उनका कुल उत्पादन १३,६३,२०० टन था। उत्पादन अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने इन पर निरन्तरण करने के लिए प्रत्येक कारणाने के उत्पादन का नोटो निश्चित किया। सन् १९४० के उपरान्त देश में चीनी पर संकट रहने लगा। सन् १९३६-४० में एक तो अति उत्पादन हो जाने से, दूसरे गन्ने के दाम सरकार द्वारा ऊँचे नियत करने के कारण स्थिति और भी खराब गई। चीनी का उत्पादन अधिक हान पर भी लाभ कमाने की इच्छा से सुगर सिंडीकेट ने चीनी के मूल्यों को ऊँचा ही रखा। सरकार की अस्थिर व अनियोजित नीति तथा सिंडीकेट के लाभ कमाने की इच्छा के कारण चीनी उद्योग एक ऐसे कुचक्र में पड़ गया था जिससे मुक्ति पाना अशुभव प्रतीत होता था।

अप्रैल सन् १९४२ में चीनी का भावकर अभाव हो गया। अतः सरकार द्वारा चीनी के मूल्यों पर निरन्तरण पर निरन्तरण किया गया। कुछ समय परिचात् चीनी के

उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन पर भी नियन्त्रण कर दिया गया। सन् १९४२-४३ के उपरान्त चीनी उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण बहुत बढ़ गया। सन् १९४४ में गन्ने की स्थिति में सुधार करने के लिए 'भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति' की स्थापना की गई।

१९४४-४५ में देश में चीनी के उत्पादन में और भी कमी हो गई। सन् १९४६-४७ में तो केवल ६०१ लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ जब कि १९४३-४४ में १२०१ लाख टन का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष आयात बिल्कुल न होने से देश में चीनी का घोर अभाव हो गया, कीमत ५ गुनी बढ़ गई और चोरबाजारी भी चालू हो गई। इस प्रकार नियन्त्रण सन् १९४७ तक चलता रहा किन्तु बाद को गांधी जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसे हटा लिया गया।

विभाजन और चीनी उद्योग—१५ अगस्त, १९४७ में देश का विभाजन हो जाने से चीनी उद्योग पर भी कुछ प्रभाव पड़ा, परन्तु यह प्रभाव चीनी उद्योग के लिए इतना अधिक नहीं था जितना सूती वस्त्र तथा जूट उद्योग के लिए। विभाजन के फलस्वरूप कुल उत्पादन का केवल २१% भाग पाकिस्तान के क्षेत्र में गया तथा शेष ६७% भारतीय-गणतन्त्र में रह गया। चीनी के दाम अधिक ऊँचे होने के कारण पाकिस्तान तथा मध्य एशियाई देशों ने क्यूना, जावा तथा ब्राजील से सस्ती चीनी मँगाना प्रारम्भ कर दिया था। निर्यात न होने पर देश में आन्तरिक उपभोग के लिए चीनी उपलब्ध होने लगी। जनता में नियन्त्रण की घोर निन्दा हो रही थी। महात्मा गांधी भी मूल्य नियन्त्रण के विरोध में थे। अतः दिसम्बर १९४७ में चीनी पर से नियन्त्रण हटा दिया गया।

नियन्त्रण हटा जाने के परिणामस्वरूप १९४८ में चीनी उत्पादन में वृद्धि हो गई किन्तु १९४९ ई० में पुनः चीनी उद्योग व्यापारियों और उत्पादकों के पड़वन्त का लक्ष्य बन गया। निवश होकर सरकार को पुनः नियन्त्रण लगाना पड़ा जिसके अनुसार सरकार ने चीनी के उत्पादन, निर्यात, तथा मूल्य के नियमन का उच्चदायित्व अपने ऊपर ले लिया। सन् १९५० में 'चीनी तथा गुड़ निवन्त्रण आठ' के द्वारा सरकार ने नियन्त्रण को और भी प्रभावरूप देना दिया। इसके अनुसार गन्ने के भाव भी निश्चित कर दिये गये और १८ वर्ष पुराना सरक्षण भी समाप्त कर दिया गया। अगले दो वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण तथा उद्योग की दशा में सुधार होने के कारण चीनी पर नियन्त्रण हटा दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

योजना के प्रारम्भ में श्वेत चीनी उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या १५६ थी। इन कारखानों में से १४१ कारखाने वास्तव में उत्पादन कर रहे थे और

उत्पादन ११.६ लाख टन था। सन् १९५१ के बाद एक कारखाना और बन गया। इन सत्र कारखानों की उत्पादन क्षमता १५.४ लाख टन चीनी थी। योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि १९५५-५६ तक देश में १५ लाख टन वार्षिक चीनी की माँग होगी। अतः योजना काल में किसी नवीन कारखाने की स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। हाँ इस बात पर जोर अवश्य दिया गया कि कारखानों की बेकार क्षमता का उपयोग किया जाय, कारखानों का प्रतिवृत्त परिस्थितियों वाले स्थानों से अनुकूल परिस्थितियाँ वाले स्थानों पर विचलन प्रोत्साहित किया जाय, और कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पूर्ति प्रदान की जाय जिससे औसत बान बरने के दिन १०० से १२० वार्षिक हो जायँ।

प्रथम योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य १५ लाख टन रखा गया। पर बढ़ती हुई माँग के कारण इसे पूरा करने के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर १८ लाख टन कर दिया जब कि वास्तविक उत्पादन लगभग १८,२०,००० टन हुआ। इस काल में १४१ कारखाने वास्तव में उत्पादन कर रहे थे। योजनाकाल में उद्योग के विस्तार एवं विस्तार पर १५ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

चीनी उद्योग की विस्तार-परिपद ने अनुमान लगाया कि द्वितीय योजना के अन्त में चीनी का उपभोग २५ लाख टन या इससे अधिक हो जायगा। अतः द्वितीय योजना काल में चीनी का उत्पादन लक्ष्य २५ लाख टन रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ६० नए कारखानों की स्थापना की जा रही है। अर्थात् योजना के अन्त तक कुल २०० कारखाने हो जायँगे। इस २५ लाख टन में 'सहकारी चीनी कारखानों' का योगदान लगभग ३,५०,००० टन होगा, और शायद है कि प्रागे चलकर ये सहकारी कारखाने कुल उत्पादन का २५% स्वयं करने लगेंगे। नये कारखानों को लाइसेन्स देते समय यह ध्यान रखा जायगा कि कारखाने ऐसे स्थानों पर केन्द्रित किये जायँ जहाँ नि गन्ना काफी मात्रा में उपलब्ध हो तथा चीनी उद्योग का पहले से प्रसार न हुआ हो।

२५ लाख टन चीनी के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाकाल में लगभग ५० करोड़ रुपये व्यय किये जायँगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त (१९६६) तक देश में चीनी की माँग ३३ लाख टन हो जायगी। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए १ अरब ६० का निनि-योग करने का अनुमान लगाया गया है।

वर्तमान स्थिति

प्रथम योजनाकाल से लेकर इस समय तक चीनी उद्योग की स्थिति का न्योच निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

वर्ष	कारखानों की संख्या (चालू)	उत्पादन (हज़ार टन)
१९५१	१३६	१११४.८
१९५२	१३६	१४९४.०
१९५३	१३६	१२६१.२
१९५४	१३७	१०८८.०
१९५५	१३७	१५९४.८
१९५६	१४३	१८५६.४
१९५७	१६४	२००७.६
१९५८	१६४	२००६.४
१९५९	१७०†	२४२८.९

दूसरी योजना में जितनी चीनी के उत्पादन का लक्ष्य था, उतनी क्षमता के कारखानों के लिए लाइसेन्स दिये जा चुके हैं। अब और कारखानों के लिए इस अवधि में सरकार लाइसेन्स नहीं देगी।

चीनी के सहकारी कारखाने

इस समय देश में जितनी चीनी बनती है, उसका चौथाई भाग दूसरी योजना के अन्त तक चीनी के सहकारी कारखानों में बनेगा। १९५७-५८ में गन्ना पेरने के मौसम में १४ सहकारी कारखानों में १ लाख ५० हजार टन चीनी बनी। यह चीनी के समस्त उत्पादन का लगभग ७॥ प्रतिशत है।

पहली योजना के आरम्भ से १९५१ के उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत चीनी बनाने के ३८ सहकारी कारखानों को लाइसेन्स दे दिये गये। इनमें से २१ कारखानों में काम शुरू हो गया है। ६ और कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं।

इन कारखानों के लिए मशीनें बाहर से मँगानी पड़ीं। शेष सहकारी कारखानों के लिए मशीनें देश में ही बनाई जा रही हैं। इन मशीनों के कुछ पुर्जे जो देश में नहीं बनाये जा सकते, बाहर से मँगाये जाते हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चार कारखानों की मशीनें १९६० के अन्त तक

† उद्योग व्यापार पत्रिका, जुलाई १९६०।

‡ अनुमानित।

दे दी जायेंगी। सात और कारखानों को भी १९६१ के अन्त तक गरीबों मिल जायेंगी।

गन्ने की खेती करने वालों के लिए सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखानों चलाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इन कारखानों के मालिक गन्ने के उत्पादक ही होंगे और वे ही इनका प्रबन्ध भी करेंगे। आरम्भ में राज्य सरकारें इन कारखानों के अंश (shares) खरीदेंगी। इस काम के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र से सहायता मिलेगी।

चीनी उद्योग की समस्याएँ

(१) द्रोणपूर्ण स्थानीयकरण—भारत में गन्ना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी भारत है और चीनी मिलें उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण में गन्ने की उपज प्रति एकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार से ४-५ गुनी है।

(२) प्रति एकड़ पैदावार में कमी—अन्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उपज की मात्रा बहुत कम है तथा उससे प्राप्त चीनी का प्रतिशत अंश भी कम है।

(३) गन्ने की ऊँची कीमतें—मिलों के पास अपने निजी फार्म नहीं हैं। अतः किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में गन्ने का मूल्य तेल के आयात पर निश्चित किया जाता है तथा गन्ने की किस्म का कोई विचार नहीं किया जाता जिसे दोनों वर्गों को हानि की सम्भारना रहती है।

(४) सरकार द्वारा लगाए गए ऊँचे उत्पादन दर—चीनी उद्योग पर कर तथा उस पर की दर दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय सरकार उत्पादन कर लगाती है तथा राज्य सरकारें गन्ना कर (Cane-cess) लगाती हैं।

(५) निवेशीकरण के अथनाए जाने की समस्या—ग्राहकता आर्थिक शक्ति उसे माना जाता है जो ७००-८०० टन प्रति दिन गन्ना परले की क्षमता रखती है। १९५५ में ३१ ऐसे कारखाने थे जो ७०० टन गन्ना परले की क्षमता नहीं रखते थे।

(६) ईंधन का अभाव—गन्ने की छोई (refuse) वायुमय तथा गन्ना जलाने के काम आती है। अतएव इसको नहीं जलाना चाहिए फिर भी जहाँ कोयले और लकड़ी का अभाव है, छोई जलाने के काम में लार्द जाती है।

(७) अन्य समस्याएँ—कमी-कमी देश में चीनी का एकदम अभाव हो जाता है, इसके लिए प्राकृतिक अथन उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि हमारे घड़े-घड़े व्यापारी लोग उत्तरदायी हैं। ये भंडे-भंडे व्यापारी लोग बहुत बड़ी मात्रा में शुल्क को खरीद लेते हैं और बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। हमारे व्यापारी भाइयों को चाहिए कि वे अपने इस नरोदित स्वतन्त्रता प्राप्त भारत के मल्लिक पर क्लक का टीका न लगायें।

एक समस्या यह भी है कि चीनी उद्योग को देशी खाँडकारी तथा गुड़ से भी प्रतियोगिता लेनी पड़ती है। अच्छा हो यदि इन सभी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों का नियमन कर दिया जाय।

योजना आयोग के सुझाव

चीनी उद्योग की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(१) नये कारखानों की स्थापना के स्थान पर पुराने कारखानों के विस्तार को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(२) जो कारखाने मात्रा उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों से दूर बसे हुए हैं उनको अपनी स्थिति बदलनी चाहिए, जिससे भाड़े में बचत हो।

(३) गन्ने एवं चीनी पर लगाये गये उत्पादन करों इत्यादि को इस उद्योग के विकास के लिए पुनः व्यय किया जाना चाहिए।


(४) उद्योग को नई मशीनें प्राप्त करने में सुविधा दी जाय जिससे वे बिखी हुई व पुरानी मशीनों को हटा सकें।

(५) सरकार को उद्योग की उचित उन्नति के लिए समय-समय पर चीनी के उत्पादन पर नियंत्रण, गुड़ व चीनी के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर विचार करते रहना चाहिए।

चीनी उद्योग की विकास सभा के सुझाव पर भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल आस्ट्रेलिया व इटोनेशिया भेजा था। इस मंडल ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५६ में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में चीनी उद्योग के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है।

चीनी उद्योग का वितरण

यह उद्योग मुख्यतया उत्तर प्रदेश तथा बिहार में केन्द्रित है। इन दोनों प्रदेशों में उद्योग के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। १९५५ में १४३ चीनी के कारखानों में ११८*७३ करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी बनाई गई। इसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग क्रमशः ६४*४५ तथा २३*५१ करोड़ रुपया था। जब कि कर्नाट, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश का भाग क्रमशः १३*६४, ४*८६ और ४*८२ करोड़ रुपया ही था।



चित्र १६

स्मरणीय तत्व

प्रथम कारखाना—सन् १८६६ ई० में बंगाल के बारीपुर में गुड़ बनाने और साक बनाने के लिए एक कारखाना खोला गया।

कुल कारखाने—मई १९५६ में १७० चीनी के कारखाने थे।

सरक्षण—१९३१ से १५ वर्षों के लिए सरक्षण प्रदान किया गया।

वार्षिक उत्पादन—१९५६ में देश में २४२८६ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ।


लाक्ष्य—प्रथम योजना—१५ लाख टन चीनी

द्वितीय योजना—२५ लाख ,, ,,

तृतीय योजना—३३ लाख ,, ,,

उत्पादन कर—१९५८-५९ में सरकार ने ४६ करोड़ रुपये उत्पादन कर के रूप में वसूल किये।

केन्द्रीयकरण—चीनी के कारखाने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मुख्यतया फेंद्रित हैं।



चित्र २०

सीमेंट उद्योग

(Cement Industry)

देश के औद्योगिक क्षेत्र एवं ढाँचे में सुप्रसिद्ध सीमेंट उद्योग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सीमेंट उद्योग की प्रमुख विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत नवीन होते हुए भी इसने सराहनीय प्रगति की है। इसके सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह उद्योग बिना संरक्षण के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् वृत्तगति से विकसित हुआ और अगले १५ वर्षों में इसने अपना उत्पादन तिगुना कर लिया। यद्यपि इसकी स्थापना सन् १९०४ में मद्रास में समुद्री तीरियों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए हुई थी, परन्तु इसकी सफलता न मिल सकी। इस उद्योग का वास्तविक विकास १९१२-१३ में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। इस समय देश में सीमेंट बनाने के ३१ कारखाने हैं जिनका वार्षिक उत्पादन ६६ लाख टन है। इस उद्योग में अनुमानतः ५० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है और ४० हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

उद्योग का ऐतिहासिक विकास

आधुनिक सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के 'लीड्स' के भी 'जोसेफ एस्पडेन' ने १८२४ ई० में किया था जब उन्होंने विभिन्न वस्तुओं के 'पोर्टलैंड'

सीमेन्ट के लिए पेटेंट अधिकार प्राप्त किया था। अतः उनकी पद्धति पर तैयार किये गये सीमेन्ट को 'पोर्टलैंड' सीमेन्ट कहते हैं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग का विकास पिछले कुछ ही वर्षों से हुआ है। यद्यपि सीमेन्ट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल भारत-वर्ष में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और देश में उसकी खपत के लिए एक विलुप्त बाजार भी है परन्तु फिर भी इसको प्रथम महायुद्ध के छिड़ने पर ही राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो सका और यहाँ पर विदेशी स्तर पर सीमेन्ट का उत्पादन होने लगा। इसके पूर्व यद्यपि कुछ मात्रा में सीमेन्ट का उत्पादन होता था, परन्तु इसकी किस्म ज्यादा अच्छी नहीं थी। देश को आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बड़ी मात्रा में (लगभग १८ मि० टन प्रति वर्ष) सीमेन्ट का आयात करना पड़ता था।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९१४-१९३६)

प्रथम विश्वयुद्ध तक केवल एक ही सीमेन्ट का कारखाना मद्रास में था जिसकी स्थापना १९०४ में हुई थी। यद्यपि १९१२ और १३ में ३ अन्य कम्पनियाँ—'इंडियन सीमेन्ट कम्पनी, पोर् बन्दर', 'कटनी सीमेन्ट ऐण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी' तथा 'बून्दी पोर्टलैंड सीमेन्ट कम्पनी' स्थापित हुई थी, परन्तु इन्होंने सीमेन्ट का उत्पादन युद्ध के छिड़ने पर ही प्रारम्भ किया था। इन तीन कम्पनियों की सीमेन्ट उत्पादन विधि सर. अकटर १९१४, जनवरी १९१५ तथा १९१६ थी। इन तीनों कम्पनियों की उस समय वार्षिक उत्पादन क्षमता ७६ टन थी। युद्ध से उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिला। के कारण सीमेन्ट की माँग काफी बढ़ गई क्योंकि युद्ध के लिए हवाई अड्डे, सड़कें तथा भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट की बड़ी आवश्यकता थी। इधर देशवासियों ने भी अधिक धन कमा कर भवन निर्माण की ओर ध्यान दिया। सीमेन्ट की सीमित उपलब्धि होने के कारण सरकार ने इसके वितरण पर निबन्धन लगा दिया जो १९१६ तक जारी रहा।

१९१६-२२ के बीच ७ नई कम्पनियों की स्थापना हुई। इन नई कम्पनियों में से २ कटनी, १ काठियावाड़, १ पंजाब, १ छोटा नागपुर, १ ग्वालियर और १ हैदराबाद में स्थापित की गईं। कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण आपस में अनार्थिक प्रतिस्पर्धा होने लगी जिसने कारण २ से २५ करोड़ रुपये की हानि हुई। अतः इस संकट से उबरने के लिए १९२४ में इस उद्योग ने सरक्षण का माँग की परन्तु इस उद्योग को सरक्षण प्राप्त न हो सका। अतः इस उद्योग को काफी चोट पहुँची, यहाँ तक कि इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया।

ऐसी स्थिति में उद्योग के समक्ष अपने स्वयं के साधनों पर निर्भर रह कर अपनी स्थिति में सुधार करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। अतः भारतीय सीमेन्ट के उद्योगपतिवा ने डैरिफ बोर्ड के सुझाव के अनुसार सीमेन्ट के विक्रय मूल्य को निर्धारित

तथा नियमित करने के लिए 'दी इण्डियन सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन' की स्थापना की।

'दी इण्डियन सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन'

इसकी स्थापना सन् १९२५ में सीमेंट के निर्माताओं के द्वारा हुई थी। इस एसोसियेशन का उद्देश्य निम्नी मूल्य का निर्धारण व नियमन था। इस एसोसियेशन को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली। सदस्य निर्माताओं ने पूर्ण सहयोग से कार्य किया, यहाँ तक कि एसोसियेशन की आगामी चार वर्षों की क्रियाओं में मूल्यों में कटौती या कमी करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है।

सन् १९२७ में सीमेंट की माँग बढ़ाने के उद्देश्य से एसोसियेशन ने Concrete Association of India की स्थापना की। वित्त व्यवस्था के लिए प्रत्येक सदस्य अपनी कुल निम्नी पर ५ आने प्रति टन की दर से चन्दा देता था। इस एसोसियेशन का प्रमुख उद्देश्य सीमेंट के उपभोक्ताओं में सामट के प्रयोग का प्रचार करना और व्यावश्यकता पड़ने पर उन्हें मुफ्त प्राविधिक (Technical) सलाह देना था।

'दी सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी आंव इण्डिया'

विक्रय व्यव म मितव्ययिता लाने क उद्देश्य से 'दी इण्डियन सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन' एक केन्द्रीय विक्रय संगठन के निर्माण की बात साची गई। वही कठिनाइयाँ रु अद 'दी सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी आंव इण्डिया' की स्थापना १९३० में की गई। इसक अनुसार प्रत्येक कारखाने क लिए उत्पादन कोटा (Quota) निधारित किया गया। अत्र सभी कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता ७ लाख २२ हजार टन हो गई।

इसके द्वारा निम्नी का केन्द्रीयकरण हुआ और सीमेंट बेचने म वही सुविधा एव सहायता मिली। सीमेंट की निम्नी वही और सम्पूर्ण देश म सीमेंट क मूल्य म २५% से अधिक की कमी हुई। इससे पुन उद्योग उन्नति करने लगा।

'दी एसोसिबेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड'

१९३२ ३५ म दो नई कम्पनियाँ की स्थापना क्रमश कोयम्बटूर और शाहा बाद म हुई। इन कम्पनियों की स्थापना से २ लाख टन उत्पादन क्षमता म वृद्धि हो गई, अर्थात् अत्र कुल कोटा की मात्रा ६,२२,००० टन हो गई। कोटा वही कठोरता से तृप्त होता था और यद्यपि वही अर्थात् म यह पद्धति सन्तोषजनक थी, फिर भी इसके लाभ प्रद विवरण नहीं हो पाता था। प्राय अनार्थिक इवाइयाँ को भी कोटा मिल था जो आर्थिक कुशलता क स्तर से निम्न स्तर पर काम करती थी। अनुशुलता को दूर करने के लिए कोशिश भी नहीं करती थी। इसक एक देखा कोइ प्रावधान भी नहीं था जिसके अनुसार कम्पनियाँ अपना

करने के लिए बाध्य हों। इन दोनों को दूर करने के लिए आवश्यक था कि उद्योग में विवेकीकरण की योजना को अपनाया जाय।

अतः श्री पी० ई० दिनशा ने १ अगस्त १९३६ को ११ कम्पनियों का संविलयन (Merger) करके "एशोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड" की स्थापना ८ करोड़ रुपये की पूँजी से धम्बई में की। इसमें फेचल 'सोन बैली सीमेंट कम्पनी लिमिटेड', को छोड़कर देश की सभी कम्पनियाँ सम्मिलित थीं। वास्तव में सीमेंट-उद्योग के सभी विवेकीकरण की ओर यह पहला प्रयास था।

इसका उद्देश्य एकाधिकार करना नहीं था, बल्कि सीमेंट के निर्माण में उत्पादन-व्यय में कमी करना, वितरण व विक्रय व्यय में कमी करना तथा उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीमेंट देना था। इसके फलस्वरूप १९३६ से आगे देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होने लगी।

डालमिया सीमेंट लिमिटेड

सन् १९३६ में 'डालमिया सीमेंट लिमिटेड' ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ स्थापित हुई। श्री रामकृष्ण डालमिया का विचार था कि डाटोट, भईद, कर्नाची, प्रिचनापल्ली और रोहतास में सीमेंट की ५ कम्पनियाँ खोलें, पर १९३८ तक केवल कर्नाची और बेहरी औरन-सोन की दो ही कम्पनियाँ सीमेंट का निर्माण कर रही थीं। ये कम्पनियाँ A. C. C. से सम्मिलित नहीं हुईं बल्कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगीं। इस प्रतिस्पर्धा ने बहुत बुरा रूप धारण कर लिया और A. C. C. को इसका मुकाबला करना पड़ना हो गया। अतः यह उचित समझा गया कि इन दोनों दलों में एक समझौता हो जाय जिससे पारस्परिक अनाधिक प्रतिस्पर्धा से छुटकारा मिल सके। सीमाव्यवस्था सन् १९४० में दोनों दलों में समझौता हो गया। 'दी सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लि०' का जीर्णोद्धार किया गया और इस कम्पनी को दोनों दलों द्वारा निर्मित सीमेंट की बिक्री का कार्य सौंपा गया। इस समय A. C. C. के अन्तर्गत १२ कारखाने और डालमिया ग्रुप के अन्तर्गत ५ कारखाने तथा ४ अन्य कारखाने उत्पादन कार्य में लगे हुए थे।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९३६-४१)

अन्य उद्योगों की भाँति इस उद्योग को भी द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से पर्याप्त लाभ हुआ। सरकार को युद्ध कार्यों के लिए आवश्यक निर्माण कार्य करने के लिए बहुत सीमेंट की आवश्यकता थी। अतः सरकार ने सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण लगा दिया। देश के सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग ६०% भाग और बाद में ८०% भाग सरकार ने अपने लिए सुरक्षित करा रखा था। शेष जनता की माँग के लिए मिलता था जिस पर सरकार का नियन्त्रण था। निःसन्देह आन्तरिक तथा

विदेशी माँग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण युद्धकाल में उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। बढ़ती हुई माँग का लाभ उठाने के लिए A. C. C. ने अपने सदस्य कारखानों का प्रसार कर दिया।

युद्ध के पश्चात् सीमेंट का उत्पादन घटने लगा और १९४६-४७ में उत्पादन अपनी निम्नतम सीमा पर पहुँच गया। इसके लिए उत्तरदायी कारण— अमिर्कों द्वारा हड़ताल, कोयले का अभाव, यातायात की कठिनाई, राजनैतिक उथल-पुथल तथा समय-समय पर मशीनों का पिस जाना इत्यादि थे। इस वर्ष (१९४६-४७) में केवल १५,४२,००० टन सीमेंट उत्पन्न हुआ।

विभाजन का प्रभाव—देश के विभाजन के समय २४ सीमेंट के कारखाने थे, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २.६ मि० टन थी। विभाजन के फलस्वरूप ५ कारखाने पाकिस्तान में चले गये और 'जिप्सम' की खान वाले क्षेत्र भी पाकिस्तान की सीमा में चले गये। अब भारतीय मिलों की उत्पादन क्षमता घटकर २.२ मि० टन ही रह गई और 'जिप्सम' का काफी अभाव हो गया। १९४८ में A. C. C. तथा डालमिया ग्रुप में कीमतों के विषय में मतभेद होने के कारण दोनों ने अपनी विपणन व्यवस्थाएँ अलग-अलग कर लीं। यह व्यवस्थाएँ आज भी अलग-अलग ही हैं।

सरकार ने अपनी युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण तथा विकास योजनाओं में आगामी पाँच वर्षों (१९५२ तक) में सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य ६२ लाख टन प्रति-वर्ष रखा था। यद्यपि यह लक्ष्य प्राप्त न हो सका, परन्तु फिर भी सन् १९३६ के बाद उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही। युद्धोत्तर काल में (१९४७-५२) उद्योग का उत्पादन दुगुना हो गया था और A. C. C. तथा डालमिया ग्रुप अपने-अपने कारखानों के विस्तार में क्रियाशील रहे थे। मार्च १९५२ तक देश में २३ सीमेंट के कारखाने थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत ६ नये सीमेंट के कारखानों के स्थापित करने तथा २० लाख टन वार्षिक, योजना के अन्त तक, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य था। इस समय सीमेंट के २१ कारखाने थे, जिनकी उत्पादन क्षमता ३३ लाख टन तथा वास्तविक उत्पादन २७ लाख टन था। जो योजना के अन्त में बढ़कर ४७.४ लाख ६४ लाख टन क्रमशः हो गया। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति न परन्तु वृद्धि तो काफी हुई। योजना का पूर्ण चित्र इस प्रकार है—

	१९५०-५१	१९५५-५६
कारखानों की संख्या	२१	२७
वार्षिक उत्पादन क्षमता	३२,८०,०००	५३,०६,०००
वास्तविक उत्पादन	२६,६९,०००	४८,००,०००
निर्यात	२६,०००	३,००,०००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में उद्योग की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य १६ मि० टन वार्षिक तथा वास्तविक उत्पादन १३ मि० टन वार्षिक रखा गया है। कारखानों की संख्या २७ से बढ़कर ४४ हो जायगी। संक्षेप में इस योजना के अन्तर्गत उद्योग का विकास कार्यक्रम इस प्रकार है—

	१९५५-५६	१९६०-६१
कारखानों की संख्या	२७	४४
वार्षिक उत्पादन क्षमता	४६,३९,०००	९,६०,००,०००
वार्षिक वास्तविक उत्पादन	४६,००,०००	९,३०,००,०००

तृतीय पंचवर्षीय योजना


इस योजना में सामंत के उत्पादन का लक्ष्य २ करोड़ टन रखा गया है, अर्थात् द्वितीय योजना की अपेक्षा में १९६५-६६ तक ४० लाख टन सीमेंट अधिक उत्पन्न होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना काल में १ अरब रुपये व्यय किए जायेंगे।

सीमेंट उद्योग का वितरण

(Distribution of Cement Industry)

मार्च १९५८ में ४६ सीमेंट के कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता ६६ मि० टन प्रति वर स भी अधिक थी। इन कारखानों में से १३ A C C ग्रुप में, ६ बालमिया जैन ग्रुप में थे, तथा १० अन्य कारखाने थे। विभिन्न क्षेत्रों में इनका वितरण तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इनका विकास कार्यक्रम इस प्रकार है—

• लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर।



चित्र २१

स्थान	१९५५-५६		१९६०-६१	
	कारखानों की संख्या	वार्षिक उत्पादन क्षमता ('००० टन में)	कारखानों की संख्या	लक्षित क्षमता वार्षिक ('००० टन में)
बिहार	६	११२२	७	२३२४
उड़ीसा	१	१६५	१	७२५
उत्तर प्रदेश	१	२००	२	६२९
मध्य प्रदेश	१	३५०	३	११६८
मध्य भारत	१	६०	१	६०
राजस्थान	२	५२५	२	१२८४
पंजाब	२	३७०	२	६३५
बीकानेर	२	४६९	५	१४७०
बम्बई	२	३००	४	५६५
मद्रास	३	६४२	४	६४६
आन्ध्र	२	१६६	५	६६८
मैसूर	१	६६	१	१०४
केरल	१	५०	१	५५
वैदरानाद	१	३८०	२	६४६
असम	—	—	२	२३१
हिन्ध प्रदेश	—	—	२	५५०
योग	२०	४,६३१	४४	१२,५६४

यह उद्योग भारत के सम्पूर्ण राज्यों, अरबम, पश्चिमी बंगाल तथा कर्नाटक को छोड़कर पूर्ण रूप से विराम हुआ है।

उद्योग के केन्द्रीयकरण के कारण

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि देश में सीमेंट के कारखाने बहुत सीमित संख्या में हैं और वे अन्य उद्योगों की भांति विन्धी विशेष क्षेत्र में केन्द्रित नहीं हैं। इस उद्योग के स्थानीयकरण का अध्ययन करने से शत होता है कि इस उद्योग के स्थानीयकरण में तीन प्रमुख कारक (factor)—कच्चा माल, बाजार तथा शक्ति—सहायक होते हैं। भारतवर्ष में भी ये कारखाने इन साधनों की उपलब्धता वाले स्थान में ही अधिकतर सीमित हैं।

सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना या लकड़िया, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम हैं। चूना अथवा लकड़िया की जिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती हैं। उपयुक्त चिकनी मिट्टी भी इन जगहों के पास प्राप्त हो जाती है। जिप्सम ही एक ऐसी धातु है जिसको दूर के स्थानों से लाना पड़ता है। इस प्रकार अधिकतर कच्चे माल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अथवा उनके पास ही केन्द्रित हो जाते हैं। परन्तु कभी कभी भाड़े की लागत इतनी अधिक हो जाती है कि इन कारखानों को अपने कच्चे माल की प्राप्ति वाले स्थानों से विलग होकर उपभोग वाले केन्द्रों के पास केन्द्रित होना पड़ता है। इसी कारण ये कारखाने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधानुसार बिलंबे हुए हैं।

उद्योग की वर्तमान स्थिति

सीमेंट उद्योग के कारखानों का आकार काफी अनाधिक है। आजकल आर्थिक आकार के कारखाने बहुत सीमित हैं। सन् १९५५-५६ में २७ कारखानों में से केवल १९ कारखाने ही आर्थिक से जिनकी उत्पादन क्षमता १ लाख टन वार्षिक से अधिक थी। इस अनाधिक आकार के कारण उद्योग अधिक उत्पादन व्यव की समस्या से प्रसिद्ध था। प्रथम व द्वितीय योजनाओं में कारखानों के आकार में सामान्य वृद्धि हुई है। उद्योग की प्रगति का सक्षेप में न्यूनतम अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है—

सीमेंट का उत्पादन^१

वर्ष	सीमेंट ('००० टन)	सीमेंट की चादरें ('००० टन)
१९५१	३,१९५.६	८२.८
१९५२	२,५३७.६	८७.६
१९५३	३,७८०.०	७६.६
१९५४	४,३९८.०	७९.२
१९५५	४,४८६.८	१०४.४
१९५६	४,९२८.४	१२०.०
१९५७	५,६०१.६	१५८.४
१९५८	६,०६८.४	१८६.०
१९५९	४,८२६.८	१८२.४
१९६० मार्च तक	१९,३५.३	४८.६

इस समय सीमेंट का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात के लिए २-लाख टन सीमेंट के निश्चित कोटे के अतिरिक्त १,४८,००० टन और सीमेंट पावर मेजने के क्वार किये जा चुके हैं। इसमें से लगभग ७६ हजार टन सीमेंट बाहर भेजा जा चुका है।

सीमेंट के कारखानों की मशीनें बाहर से मँगाने के लिए कुछ लाइसेंस दिये गये हैं। इन मशीनों से २३ लाख टन सीमेंट और बनाया जा सकेगा। सीमेंट उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं के लिए अमेरिका की विनास श्रृणु निधि और प्राविधिक सहयोग मिशन की सहायता का विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया है।

सीमेंट के कारखानों की और अधिक मशीनें भारत में ही बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि १९६२ तक भारत में ही बनी मशीनों से सीमेंट कारखानों की आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति हो सकेगी। १९५८ में एक्सपैक्ट्स की १ लाख ८६ हजार ३९५ टन चादरें तैयार की गईं।

१९५८ में सीमेंट उद्योग अत्यन्त उन्नति करता रहा। वर्ष के आरम्भ में ६३.२ लाख टन की स्थापित क्षमता थी जो नवम्बर १९५८ तक अन्त तक बढ़कर ७०.५३ लाख टन हो गई। १९५८ के पहले ११ महीनों में वास्तविक उत्पादन ५५.३२ लाख टन हुआ जब कि १९५७ की इसी अवधि में यह ५०.१ लाख टन हुआ।

^१ उद्योग विभाग परिचय, बुलाई १९६०।

स्मरणीय तत्व

१. प्रथम कारखाना—१९०४ में मद्रास में समुद्री सीमेंटों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए एक कारखाना खोला गया था।
२. कुल कारखाने—१९५५-५६ में देश में २७ सीमेंट के कारखाने थे।
३. वार्षिक उत्पादन—१९५८ में ६०६८५ हजार टन सीमेंट तथा १८६० हजार टन सीमेंट की चादरें बनाई गईं।
- ४ उत्पादन लक्ष्य—प्रथम योजना—५३,०६,००१ टन
द्वितीय योजना—१,६०,००,००० टन
तृतीय योजना—२,००,००,००० टन
५. केन्द्रीयकरण—लगभग देश भर में समान रूप से वितरण। अनेकानेक निहार और मद्रास में अधिक केन्द्रीयकरण है, जहाँ क्रमशः ६ और ३ कारखाने हैं।
- ६ पूँजी—५० करोड़ से अधिक पूँजी लगी हुई।
७. रोजगार—इस उद्योग से ४० हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।
- ८ उत्पादन की दर—१९५८-५९ में सरकार ने १३.८३ करोड़ ६० बरतन किये।

कोयला उद्योग

(Coal Industry)

कोयला उद्योग की आधारशिला है। कोयले और लोहे का सम्मिश्रण ही औद्योगिक विकास के लिए सोने में मुहागे के समान है। जोई भी देश अपने उद्योग बढ़ाने की सड़क के पथ पर तभी आगे बढ़ सकता है, जब कि उसके पास कोयले की पर्याप्त खानें हों और वह उनसे पर्याप्त कोयला निकालता हो। दूसरे शब्दों में कोयला आधुनिक उद्योग-धर्मों का जन्मदाता है, क्योंकि अधिकांश देशों की औद्योगिक एवं व्यापारिक शक्ति की पूर्ति मुख्यतया कोयले के द्वारा ही होती है। लार्ड कैन्स ने भी कहा है कि "जर्मन साम्राज्य की नींव खून और लोहे पर नहीं बल्कि कोयले और लोहे पर पड़ी थी।" ऐसे समय में जब कि देश औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हो रहा हो, कोयला निःसन्देह एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन जाती है। स्वतन्त्र भारत की नींव सुव्यवस्थित अर्थ व्यवस्था पर लड़ी करने के लिए आबादी के मदद हनारी राष्ट्रीय सरकार ने कोयला और स्तल उद्योगों के विकास को काफ़ी प्रधानता दी है। प्रथम योजना के अन्त में देश की खानों से हर साल ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला गया। (द्वितीय) योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयले के

भारत में २५००० वर्षीय माल में ४४ अरब टन कार्बन का भण्डार है। अनुमान लगाया गया है। यह सचारा भर न पानले क भण्डारों का प्रथम भाग है। भारत का टोन्ला चून खनन न पानला चून से लिखता है।

उद्योग का क्रमिक विकास

भारत में कार्बन खनन के दृग्भन्ध में यह गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में यह कार्य नया नहीं है। प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि सन् १७७४ ई० में सचर बहल कार्बन खनन करने का काम पुरु दुआ, काठ नर हर्स्टिंग में 'मजस समार एरड हाइल' की म्गाल में पानले की पानां क बन्ध निवालने की आशा प्रदान की। परन्तु यह प्रयत्न सफल न हो सका क्योंकि खनन के पान कम गहरे थे। इससे ४० वर्ष बाद सन् १८१४ में रानीगञ्ज के पान निवालने का काम नये सिरे से पुन प्रारम्भ हुआ और १९वीं सदी के मध्य तक पान गञ्ज में बहुत सी कोयला खानें खोली गईं।

इस काम में १८५८ से १८६० तक के भू-गर्भ पर्वकाल से पनी खाना खोली थी। १८६० तक लगभग ५० कोयला खानों में खुदाई होने लगी थी। और १८५० में प्रविष्ट लगभग २,८२,००० टन कोयला निवाला जाने लगा था। २०वीं सदी के प्रारम्भ में देश में ६० लाख टन कोयला प्रति वर्ष निवाला जाने लगा। इससे ६० लाख टन कोयला रानीगञ्ज, भारवा और गिरीडीह में निकाला था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व बाकारा, पैच और चादापाटी में भी कोयले की खानें खोली गई थीं। १९१४ तक कुल उत्पादन नद्वार १६५ लाख टन हो गया।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके पश्चात् (१९१४-१९३९)

युद्धकाल में औद्योगिक गति विविधा में एकदम वृद्धि हो जाने के कारण कोयले की मांग उत्पत्ती पूर्ति से अविन हो गई। कोयला उद्योग पूरे युद्धकाल तक सफल प्रयत्न करता रहा कि वह नदती दुर्ग मांग के साथ कोयले की पूर्ति करता रहे। इस प्रयत्नों के फलस्वरूप कोयले का उत्पादन सन् १९१८ में २ करोड़ टन हो गया था। इस उत्पादन का ८५% रानीगञ्ज और भरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ। बॉर्निंग बाल के नाम एकदम बढ़ गई थी, अतः बाकारा के कोयला क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ गया। कुलयी और भरिया क्षेत्र की खानों में कार्बन खनन करने वाली पत्नी पत्नी मजस खोली गईं। इससे आंतरिक कोयला क्षेत्र का नियुक्तीकरण भी तनी से उभरा गया और २ केंद्रीय नियुक्त क्षेत्रन बनाये गये।

युद्धोपरान्त उत्पादन में पत्नी होना शुरू हो गई, क्योंकि युद्धकाल का यह विकास सीमित था और मशीन एवं उपकरणों के मिलने की बट्टिनार के कारण यह कम जाये भी न रह गया। युद्धोपरान्त कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुईं जिसे स्थिति में कुछ

122

भारत में ३५००० वर्ग मील में ४४ अरब टन कोयले का भण्डार है। अनुमान लगाया गया है। यह उखार भर के कोयले के भण्डार का पूर्ण भाग है। भारत का कोयला क्षेत्र ब्रिटेन के कोयला क्षेत्र से निम्न है।

उद्योग का क्रमिक विकास

भारत में कोयला निष्कालन के सम्बन्ध में यह कार्य के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में यह कार्य नया नहीं है। प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि सन् १७७४ ई० में सबसे पहले बंगाला निम्नाने का काम शुरू हुआ, जबकि पारेन हेस्टिंग्स ने 'मर्सर मैन्डर एण्ड हाउसे' को बंगाल में कोयले की खानों से कोयला निष्कालने की आज्ञा प्रदान की। परन्तु यह प्रयत्न सफल न हो सका क्योंकि रानीगञ्ज की खानें कम गहरी थीं। इसका ६० वर्ष बाद सन् १८१४ में रानीगञ्ज के पास कोयला निष्कालने का काम नये तौर पर पुनः प्रारम्भ हुआ और १९वीं सदी के मध्य तक रानीगञ्ज में बहुत सी कोयला खानें खोदी गईं।

इस काम में १८५८ से १८६० तक के भू-गर्भ पर्यवेक्षण से बड़ी सहायता मिली थी। १८६० तक लगभग ५० कोयला खानों में खुदाई होने लगी थी। और रानीगञ्ज में प्रतिवर्ष लगभग २,८२,००० टन कोयला निकाला जाने लगा था। २०वीं सदी के प्रारम्भ में देश में ६० लाख टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जाने लगा। इसमें से ५० लाख टन कोयला रानीगञ्ज, भरिया और गिरिवाह में निकलता था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व आगरा, पैच और चादापाटी में भी कोयले की खानें खोदी गईं थीं। १९१८ तक कुल उत्पादन बढ़कर १६५ लाख टन हो गया।

प्रथम महायुद्ध पर उसके पश्चात् (१९१४-१९३६)

युद्धकाल में औद्योगिक गति विधियाँ में एकदम रुक हो जाने के कारण कोयले की माँग उसी पूर्ति से अतिरिक्त हो गई। कोयला उद्योग पूरे युद्धकाल तक यह प्रयत्न करता रहा कि वह अपनी हुई माँग के साथ कोयले की पूर्ति करता रहे। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कोयले का उत्पादन सन् १९१८ में २ करोड़ टन हो गया था। इस उत्पादन का ८५% रानीगञ्ज और भरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ। कोयला कोल की माँग एकदम बढ़ गई थी, अतः आगरा के कोयला क्षेत्र का अन्वेषिक विनाश किया गया। कुलदी और भरिया क्षेत्र की खानों में कोयला उत्पन्न वाली उपायों की मशीनें लगाई गईं। इससे अतिरिक्त कोयला क्षेत्रों का विद्युतीकरण भी तेजी से किया गया और २ केन्द्रीय विद्युत स्टेशन बनाये गये।

युद्धोपरान्त उत्पादन में घटा होना शुरू हो गई, क्योंकि युद्धकाल का यह विकास सीमित था और मशीनें एवं उपकरणों के मिलने की कठिनाई के कारण यह क्रम जारी भी न रह सका। युद्धोपरान्त कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुईं जिससे स्थिति में कुछ

सुधार न हो सका। उदाहरणार्थ 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' द्वारा भट्टियों का नशा जाना, सरकार की अस्थिर नीति तथा निश्चव्यापी आर्थिक मन्दी इस अस्तोत्थनक स्थिति के लिए उत्तरदायी थे। सन् १९३६ के बाद औद्योगिक गतियों में पुनः वृद्धि हुई जिसका प्रभाव यह हुआ कि कोयले की माँग पुनः बढ़ने लगी।

द्वितीय महायुद्ध एव उसके पश्चात् (१९३६-१९५१)

दूसरे महायुद्ध के कारण ग्रहण से नये उद्योग खोले गये जिससे कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कोयले की माँग बढ़ने के साथ साथ मूल्यों में भी सुधार हुआ। पर आश्चर्यकता की पूर्ति के लिए बढ़े हुए मूल्य पर भी कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। यातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ तथा कोयले के गिरते हुए आवात ने इस समस्या को और भी गम्भीर बना दिया। इस कर्मा को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाये गये और कोयले के मूल्य का नियन्त्रण किया गया। सन् १९४४ के मध्य तक मूल्यों पर कड़ा नियन्त्रण हो चुका था। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला क्षेत्रों से गहर के श्रमिकों को भर्ती किया, जेनस, हास और अतिरिक्त लाभ कर (E.P.T.) के सम्बन्ध में छूटें देकर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रलोभन भी दिये। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। सन् १९५० में कोयले का उत्पादन बढ़कर ३.२ करोड़ टन हो गया। १९५१ में भी ऐसी कोई प्रतिशत घटना नहीं हुई और इस वर्ष भी उत्पादन ३.४२ करोड़ टन रहा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६)

इस योजना में कोयला क्षेत्र के सुरक्षित रखने और नान कोयला क्षेत्र के भूखण्डों की विस्तृत खोज करने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया गया है। योजना काल में ३.८ करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया था जो लगभग प्राप्त हो गया। योजना के अन्त में कोयला उत्पन्न करने वाली प्लान्टों की संख्या ३०६ थी। सन् १९५२ में भारत सरकार ने कोयला प्लान (सरकार व सुरक्षा) कानून पास किया, जिसके द्वारा सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गये —

- (१) कोयले की प्लान्टों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको कार्यान्वित करना,
- (२) कोयला बोर्ड को कोयला उद्योग की समस्याओं को सुलभाने का अधिकार देना,
- (३) कोयला तथा धातु के उत्पादन पर कर लगाना, तथा
- (४) कोयला उद्योग को सुरक्षापूर्ण बनाने के लिए तथा उद्योग नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना।

सन् १९५३ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य कोयला देने की मशीनें लगाने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ६ करोड़ टन रखा गया है। इस प्रकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन २ करोड़ २० लाख टन और बढ़ाना है। इस अतिरिक्त उत्पादन का १ करोड़ टन निजी कोयला खानों में तथा शेष १ करोड़ २० लाख टन सरकारी खानों से उत्पादित किया जायगा। सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की देखभाल करने के लिए अक्टूबर सन् १९५६ में 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना की गई है। इसने अधीन सरकारी खानों से कोयला निखालने, उत्पादन बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने का काम होता है। निगम अपना कार्य पूरी सफलता से कर रहा है। इस समय इसके अधीन ११ कोयला खानें हैं। इसने अलावा कुछ नई खानों से भी कोयला निखालने का काम शुरू हो गया है और कुछ अन्य नई खानें खोदी जा रही हैं।

दूसरी योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार ने वे क्षेत्र भी ले लिए हैं, जहाँ कोयला है परन्तु अभी खानें नहीं खोदी गईं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत कोयले का उत्पादन बढ़ा कर दुगुना कर दिया जायगा, अर्थात् १९६०-६१ में कोयले का वार्षिक उत्पादन १२ करोड़ टन होने लगेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाकाल में २५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

वर्तमान स्थिति—प्रथम योजनाकाल के अन्त तक निजी कोयला खानों में कोयले का उत्पादन नगण्य बढ़ा है। १९५८ में इन खानों से ३,४५,००,००० टन कोयला निकाला गया। सरकारी कोयला खानों से ५७ लाख टन कोयला निकाला गया। इस प्रकार सन् १९५८ में सरकारी व निजी खानों से कुल ४,५२,००,००० टन कोयला निकाला गया। इस प्रकार अब हम अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल हो रहे हैं। देश में कोयले के कुल उत्पादन का ६५% देश में ही खप जाता है और शेष ५% कोयला विदेशों को भेजा जाता है। १९५१ से लेकर अब तक कोयले के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है—

सनिज कोयले का उत्पादन*

वर्ष	सनिज कोयला (हजार टन)
१९५१	३४,२०८
१९५२	३६,२२८
१९५३	३५,८४४
१९५४	३६,७६८
१९५५	३८,१०८
१९५६	३९,४३१
१९५७	४३,५३६
१९५८	४५,३२४
१९५९	४७,०२८

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता गया है। परन्तु देश में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः इसके साथ साथ कोयले की माँग बढ़ती जा रही है। परन्तु इस माँग को देखते हुए हमारे यहाँ कोयले की खानें काफी नहीं हैं और अच्छे किस्म की खानें तो बहुत कम हैं। इसलिये हमें इस बात पर ध्यान प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारे पास जितनी भी खानें हैं, उनसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से अधिक से अधिक कोयला निकालें और परमाद न होने दें। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम' बनाया है जिसके अधीन सरकारी खानों से कोयला निकालने, उत्पादन बढ़ाने, और उसे सुरक्षित रखने का काम होता है। निगम अपना काम पूर्ण सफलता के साथ कर रहा है।

१५ अप्रैल १९५९ को गृह मंत्री पट्टि गोविन्द वल्लभ पन्त ने 'अरगनी' में कोयला खाने के नये कारखाने का उद्घाटन किया। यह पश्चिम में अरने किस्म का सबसे पहला कारखाना है। यह कारखाना नवम्बर, १९५८ में चालू हुआ। इन कारखानों में प्रति घंटा ४०० टन कोयला भेजा जाएगा। फिर यहाँ से हुला हुआ कोयला सुरसेला और भिलाई के इलाक़ के कारखानों को भेजा जाएगा। यह कारखाना दोनारो की खानों के पास है।

सरकार कोयले के नये महारतों को खोलने, बहाँ खानें खोलने, और इस बात को भरतीनों की सहायता से बढ़ाने के साथ साथ, पुनर्जाती खानों का विकास कर रही है। विभिन्न स्थानों पर खानों की सहायता से कुर्दाई करके लगभग १ अरब ९० करोड़ टन


कोयले के म्बदरों का पता लगाया जा चुका है। बहुत से स्थानों पर अभी खुदाई जारी है और बहुत से अन्य म्बदरों के मिलने की आशा है। पुरानी खियासतों की खानों से अब ६ लाख २७ हजार टन अधिक कोयला निकाला जाने लगा है।

हमारे देश में खान इंजीनियरों की बहुत कमी है। 'कोयला विकास निगम' द्वारा शिल्पियों की माँग पूरी करने के लिए १९५६ में ४ खान प्रशिक्षण खल खोले गये। ये खल बंगाली (बिहार), गिरडीह (बिहार), बलछर (उड़ीसा), और कुर्गिया (मध्य प्रदेश) में हैं। इन खलों में प्रति वर्ष ४०० से अधिक छात्र भरती किये जाते हैं। शीघ्र ही एक और खल खोला जायगा। ६८ स्नातक इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने की भी योजना है। कुछ अधिकारी ट्रेनिंग के लिए गहर भी भेजे जाते हैं।

'कोयला विकास निगम' की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निगम की नई खानों ने १९५६ में १२ ७४ लाख टन कोयला खानों से निकाला। बंधार कोलरी ने वृत्त १९५६ से कार्य प्रारम्भ कर दिया है और प्रति वर्ष लगभग २५,००० टन कोयला खानों से निकालेगी।

कोयला उद्योग का वितरण

भारतवर्ष में प्रायः कोयले का ६६% भाग 'गोंडवाना' की खानों से प्राप्त होता



चित्र २२

है। शेष १% राजस्थान, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश,

बंगाल तथा बिहार से प्राप्त होता है। इन प्रदेशों में भी उद्दाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में कोयले का वितरण अत्यन्त असन्तुलित है। देश के कुछ भागों, जैसे दक्षिण भारत म कोयले की इतनी कमी है कि वहाँ पर (प्रौद्योगिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सना है। यातायात की बाधाओं ने स्थिति को और भी बरिल बना दिया है।

बङ्गाल और बिहार में देश का सबसे अच्छी किस्म का कोयला पाया जाता है। देश के लगभग मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ से कोयले का वितरण अन्य क्षेत्रों को आसानी से हो जाता है। रेल यातायात तथा फलरुत्ते का मन्दस्वाह इसके वितरण में प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। कोयला अधिकतर रेल यातायात से भेजा जाता है, और यह मालगाड़ी द्वारा दोगे गये कुल बोझ का २५% भाग है।

उद्योग की समस्याएँ

उद्योग की २ प्रमुख समस्याएँ हैं जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) प्रति व्यक्ति कम उत्पादनशीलता—भारतीय श्रमिक, जो कोयला पान म काम करते हैं, की उत्पादनशीलता अपेक्षाकृत कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति पासी, कोयले का उत्पादन ०.४१ टन है। यह विदेशी एनिका की तुलना में बहुत कम है। अतः इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। अतः कोयला खानों का अधिकविकसित यमीकरण होना आवश्यक है।

(२) प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भारतभर में कोयला उद्योग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की अन् भी बहुत कमी है। यद्यपि सरकार न अभी कुछ प्रशिक्षण केंद्रों से शोना है परन्तु फिर भी यह आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता पा रह है। अतः इन केंद्रों के प्रसार की आवश्यकता है।

(३) यातायात की समस्या—योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित गृह और प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में यातायात के सुधना की कमी होनी जा रही है। कोयले को उत्पादन केंद्रों से उद्योग क केंद्रों तक स्थानान्तरित करने के लिए यातायात के सुधना म और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है।